दशम माला,

20 दिसंबर 1991
अग्रहायण 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-7 दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1991/29 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 427 से 430	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—402
तारांकित प्रश्न संख्या : 406 से 426 और 306 (19-12-1991) 431 से 447 (20-12-1991)	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4526 से 4661 और 4663 से 4758 (19-12-1991) 4795 से 4994 (20-12-1991)	
संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक	402—455
(नए अनुच्छेद 239 क क और 239 क ख का अन्तः स्थापन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	402—404
श्री मनोरंजन भक्त	404
श्री पी० एम० सदई	404
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	417—422
प्रधानमन्त्री द्वारा वक्तव्य	455—466
हरारे में राष्ट्र मण्डल शिखर सम्मेलन, कराकास में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल के और चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधान मन्त्रियों की यात्राओं के बारे में	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	466—498
राज्य सभा के संदेश	498
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	498
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	499—500
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	500
लोक लेखा समिति छठा और सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	501
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति तीसरा प्रतिवेदन और अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	501—502
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	502
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	502—514
बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	514
संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 332 में संशोधन)—पुरःस्थापित	514
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	514
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	514—516
नियम 377 के अधीन मामले	516—523
(एक) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैथन स्थित औरंगाबाद पेपर मिल्स और नाथ पेपर मिल्स के गोदावरी नदी में बहिस्त्राव को रोकने की आवश्यकता श्री अंकुश राव आर० टोपे	516—517
(दो) उड़ीसा में खालेबेदिया घाट पर सुबर्ण रेखा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता डा० कार्तिकेश्वर पात्र	517—518
(तीन) पटना-सीतामढ़ी सोनवर्सा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	518—519

विषय	पृष्ठ
(चार) असम में गैस विस्फोटक परिसर शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री उद्धव बर्मन	519
(पांच) देश में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र का पहले से ही पता लग जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल खुराना	519—520
(छः) मुदुरै और तूतीकोरिन के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन	520
(सात) डी० जी० एस० एण्ड डी० की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	520—521
(आठ) हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	521
(नौ) पुलिस की और अधिक बटालियन बनाने और आतंकवाद के खतरे से निपटने हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
प्रो० प्रेम धूमल	521—522
(दस) पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन क्षेत्र के अस्तित्व को ग्रीनहाउस के प्रभाव से उत्पन्न खतरे से बचाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मण्डल	522
(ग्यारह) महाराष्ट्र में कोंकण तट पर उद्योगों की स्थापना को रोकने के बारे में पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना की समीक्षा करने की आवश्यकता	
श्री अन्ना जोशी	522—523
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	523—526
पहला प्रतिवेदन—स्वीकृत	
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	523—524

विषय	पृष्ठ
(दो) विधवा कल्याण विधेयक	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	524
(तीन) आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था विधेयक	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	524
(चार) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 29 क, आदि में संशोधन)	
श्री श्रवण कुमार पटेल	525
(पांच) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 3 और 4 में संशोधन)	
श्री राम नाईक	525
(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 30 में संशोधन)	
श्री जे० चोक्का राव	525—526
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 107 आदि में संशोधन)	
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	526
रोजगार गारंटी विधेयक	626—556
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
कुमारी फिडा तोपनो	526—529
श्री दवि राय	529—533
श्री सत्य नारायण जटिया	533—534
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	534—536
श्री सूर्य नारायण यादव	536—538
डा० लाल बहादुर रावल	538—539
श्री शोभनाद्रेश्वर राव वाड्डे	539—541
श्री शरत चन्द्र पटनायक	541—542
श्री नीतीश कुमार	542—543
प्रो० प्रेम धूमल	543—545
श्री गोपीनाथ गजपति	545—547
श्री पवन सिंह चाटोवर	647—550
श्री भोगेन्द्र झा	550—556

विषय	पृष्ठ
संविधान (संशोधन) विधेयक	556—558
(अनुच्छेद 356 में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	558—560, 567—569
(एक) केरल में पालघाट में 13 मे 15 दिसम्बर, 1991 तक हुए सांप्रदायिक उपद्रव	
श्री एम० एम० जैकब	558—562
(दो) भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् के इतिहास को शैक्षिक पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना	
श्री अर्जुन सिंह	567—568
(तीन) सरकार द्वारा एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए सीमा शुल्क का सत्यापन और मूल्यांकन	
श्री रामेश्वर ठाकुर	568—569
(चार) सर्विस डाक्टर	
श्री माखन लाल फोनेदार	
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	560—562
(नए भाग 9 का अंत:स्थापन तथा ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
श्री जी० वेंकटस्वामी	
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	562—564
(नए भाग 9 क का अंत:स्थापन तथा बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव	565—567
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	569—586
और	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजगोपाल नायडू रामासामी	570—571
श्री भोगेन्द्र झा	571—576

विषय		पृष्ठ
	श्री चित्त बसु	576—578
	श्री रंगराजन कुमारमंगलम	578—581
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री रंगराजन कुमारमंगलम	
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव		587
नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन करने के बारे में		
	श्री एस० बी० चव्हाण	587
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक		588—637
विचार करने के लिये प्रस्ताव		
	श्री एस० बी० चव्हाण	588—589
	श्री मदन लाल खुराना	589—594
	श्री सज्जन कुमार	594—597
	श्री ताराचन्द खंडेलवाल	597—599
	श्री जगदीश टाईटलर	599—601
	श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन	601—603
	श्री ई० अहमद	603
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	603—609
	श्री मनोरंजन भक्त	609—611
	श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम'	611—612
	श्री फ्रैंक एन्थनी	612—614
	श्री राम नाईक	614—616
	श्री पी० एम० सईद	616—618
	श्री पी० सी० थामस	618—619
	श्री अन्बारासु ईरा	619—620
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	628—636
	श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	636
	श्री एस० बी० चव्हाण	636—637

विषय	पृष्ठ
कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक	637—638
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगल	
दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक	639—645
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	
विदाई उल्लेख	645—649
श्री के० सी० रस्तोगी द्वारा महासचिव के पद का त्याग करना तथा महासचिव के रूप में श्री सी० के० जैन की नियुक्ति	

लोक-सभा

मंगलवार, 29 दिसम्बर, 1991/29 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुख के साथ सभा को यह सूचित करना है कि हमारे तीन भूतपूर्व साथियों सर्वश्री रामसिंह भाई वर्मा, एच० सी० लिंगारेड्डी और के० कुन्जाम्बु का निधन हो गया है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा 1957-62 और 1972-77 के दौरान दूसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे जिसमें उन्होंने क्रमश: मध्य प्रदेश के निमाड़ और इन्दौर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया । इससे पहले वह 1947 में तत्कालीन इन्दौर राज्य की संविधान सभा के सदस्य रहे थे और 1949-56 के दौरान तत्कालीन मध्य भारत विधान सभा के सदस्य रहे ।

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री वर्मा ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक वर्षों तक जेल में बन्दी रहे ।

एक विख्यात समाज-सेवी, सुधारवादी और श्रमिक नेता श्री वर्मा ने समाज में सामन्तवादी और पुराने सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । उन्होंने श्रमिक वर्ग के उत्थान और खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य किया । वह विभिन्न मजदूर संघों में विभिन्न पदों पर रहे और उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखीं ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा का 29 अक्तूबर, 1991 को 79 वर्ष की आयु में इन्दौर में निधन हो गया ।

श्री एच०सी० लिंगारेड्डी तत्कालीन मैसूर राज्य के चिकबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र से जून, 1965 में उप चुनाव में तीसरी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और फरवरी, 1967 में लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने तक वह इसके सदस्य रहे । वह कर्नाटक विधान सभा के सदस्य भी रहे ।

एक विख्यात राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री रेड्डी ने सहकारिता आन्दोलन के प्रसार के लिए काफी कार्य किया और गांवों के गरीब लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को उजागर किया ।

श्री लिंगारेड्डी का लम्बी बीमारी के बाद 27 नवम्बर 1991 को बंगलौर में निधन हो गया ।

केरल विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री के० कुन्जम्बु 1979-87 के दौरान छठी, सातवीं और

आठवीं लोक सभा में लगातार तीन अवधियों के लिए लोक सभा के सदस्य रहे जिसमें उन्होंने केरल राज्य के तीन अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व भी वह 1955-59 और 1960-64 के दौरान केरल विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1960-64 के दौरान राज्य मन्त्री परिषद के भी सदस्य रहे।

एक संसदविद के रूप में अपने लम्बे समय के दौरान उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और उसमें, खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह 1985-86 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के भी सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में वह समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध रहे।

श्री कुन्जम्बु का 14 दिसम्बर, 1991 को तिरुअनन्तपुरम में 67 वर्ष की आयु पर निधन हो गया।

हम अपने इन तीन मित्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते है। मुझे विश्वास है कि दुख संतप्त परिवारों के प्रति सम्वेदनाओं को भेजने में सदन मेरे साथ है।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण अब थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अन्तिम दिन है और हमें पीछे के बेंचों पर बैठे सदस्यों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। इधर आइए, हम उनकी ओर भी ध्यान दें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र को विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

*427. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक के समय पर धन उपलब्ध न होने के कारण इनमें से किन्हीं परियोजनाओं पर काम रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक के साथ यह मामला उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	मूल ऋण/ऋण राशि (मिलियन डालर)
1.	चन्द्रपुर तापीय बिजली परियोजना 16-9-85	300.00
2.	महाराष्ट्र बिजली परियोजना 11-9-89	400.00
3.	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना	35.96
4.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना 5-12-85	230.71
5.	बम्बई शहरी विकास परियोजना 1-3-85	186.56
6.	तृतीय बम्बई जल आपूर्ति परियोजना 12-5 85	188.45
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना 30-6-91	109.9
	बहु-राज्यीय परियोजनाएं (महाराष्ट्र के साथ)	
8.	वर्धा-गोपित जल विभाजक क्षेत्र परियोजना 8-2-84	40.98
9.	जल प्रबन्ध परियोजना 12-5-87	131.29
10.	सरदार सरोवर परियोजना 1-3-85	200.00
	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	
11.	चतुर्थ ट्राम्बे तापीय बिजली परियोजना	135.40
12.	बी०एस०ई०एस० (निजी बिजली उपयोगिताएं)	200.00
13.	टी०ई०सी० (निजी बिजली उपयोगिताएं)	158.00

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना में कहां-कहां काम चालू है, इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। मन्त्री महोदय से विनती है कि इसका ब्यौरा बताया जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से जो प्रोजेक्ट चालू हैं, उनका विवरण इस प्रकार है।

	(मूल ऋण) (मिलियन डालर में)
1. चन्द्रपुर तापीय बिजली परियोजना	300.00
2. महाराष्ट्र बिजली परियोजना	400.00
3. महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना	35.96
4. महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना	230.71
5. बम्बई शहरी विकास परियोजना	168.56
6. तृतीय बम्बई जल आपूर्ति परियोजना	188.45
7. महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	109.9
इसमें तीन हैं जो मल्टी स्टेट हैं, जो विभिन्न राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं—	
वर्धा-घोषित जल विभाजन क्षेत्र परियोजना	40.98
जल प्रबन्ध योजना	131.29
सरदार सरोवर परियोजना	200.00
तीन निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं---	
चतुर्थ ट्राम्बे तापीय बिजली परियोजना	135.40
बी०एस०ई०एस० (निजी बिजली उपयोगिताएं)	200.00
टी०ई०सी० (निजी बिजली उपयोगिताएं)	158.00

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : वर्धा घोषित जल विभाजक क्षेत्र परियोजना की जो 40.98 मिलियन डालर निधि है, उसमें महाराष्ट्र को कितना भेजा गया है और उसका विनियोग जिलावार किस तरह से हुआ है, यह बताना चाहिए और अभी जो मैंने पहला प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना का है, इस पर मन्त्री महोदय ने भी उत्तर दिया है, लेकिन ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना में कहां-कहां पर कार्य चालू है, यह नहीं बताया गया है, जो लिखा है उसी को दिया गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जो रकम अब तक दी गई है और जो बाकी है विभिन्न प्रोजेक्ट में जिसमें कि महाराष्ट्र वाटर इरीगेशन प्रोजेक्ट 3-11-91 को 2.87 करोड़ रुपए बचा हुआ है और पहले तक 5.22 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जो विवरण मांगा है, वह विवरण अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन योजनावार विवरण उपलब्ध है, जिसे मैंने अभी बताया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न महाराष्ट्र से सम्बन्धित है।

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या यह सच है कि जयकवाडी जल उपयोग परियोजना जोकि विश्व बैंक सहयोगी परियोजनाओं का एक हिस्सा है, धन की कमी के कारण बन्द पड़ी है। यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : विश्व बैंक परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना विश्व बैंक से मंजूरी प्राप्त न होने के कारण बन्द पड़ी हैं। विश्व बैंक परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए गए धन की प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्यान्वित है।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है उन पर पहले ही धन वितरित किया जा चुका होता है। मेरी जानकारी में विश्व बैंक से विदेशी सहायता में से केन्द्र से धन की अदायगी न होने के कारण धन की कमी से कोई परियोजना रुकी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से दो सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। अब मैं शहरी क्षेत्रों से दो अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री अन्ना जोशी : क्या प्रत्येक परियोजना के लिए दर्शाई गई राशि कुल लागत है या कुल लागत का वह हिस्सा है जिस पर विश्व बैंक धन लगाने पर सहमत हो गया है? उसमें से कितनी राशि अब तक प्राप्त हुई है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मेरे पास 31 मार्च तक और 30 नवम्बर 1991 तक वितरित धनराशि के बारे में प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा है। न निकाली गई राशि जो दर्शाई गई है उस राशि को अभी निकाला नहीं गया है। और अभी इस खाते में ही जमा है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना पर खर्च किए गए धन का विवरण प्रस्तुत करने के बाद उसको राज्य सरकार द्वारा निकाला जा सकता है। और यही मैंने किया है।

जहां तक महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना का सम्बन्ध है 31 मार्च तक 5.22 करोड़ रुपए शेष था और अब 2.87 करोड़ रुपए शेष हैं।

श्री मुरली देवरा : मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बम्बई शहर से सम्बन्धित दो परियोजनाओं के उदाहरण दिए हैं। एक बम्बई शहर विकास परियोजना और दूसरी, बम्बई जल आपूर्ति परियोजना तीसरा चरण इसका परिव्यय 188 करोड़ रुपए हैं। बम्बई जल आपूर्ति का चौथे चरण और बम्बई शहर विकास परियोजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है। 120 करोड़ डालर से भी ज्यादा राशि की विश्व बैंक सहायता का इस्तेमाल नहीं हो पाया है और दूसरी तरफ, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं।

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार सुचारु रूप से धन वितरित करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

एक तरफ, विश्व बैंक सहायता का उपयोग नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ हमें आवश्यक खर्चों का भुगतान करना पड़ रहा है। सरकार लाभार्थियों को समय पर धन वितरित करने के लिए क्या कर रही है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : विश्व बैंक सहायता के बारे में प्रणाली यह है कि परियोजना के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक परियोजना को मुख्यत: राज्य सरकार की परियोजना प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। निजी परियोजनाओं के मामले में, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, उनका प्राधिकरण निजी क्षेत्र का होता है।

एक माननीय सदस्य : इसमें भारत सरकार की भूमिका क्या है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इस समय, जितनी राशि प्राप्त होनी है, इसका 70 प्रतिशत राज्य सरकार को दिया जाता है और 30 प्रतिशत केन्द्र को प्राप्त होता है। जब कभी राज्य सरकार खर्च करती है, तो वह वितरण का विवरण वित्त मन्त्रालय को भेज देती है और यह मन्त्रालय उस आधार पर राशि का भुगतान देता है।

जहां तक बम्बई शहर की दो परियोजनाओं का सम्बन्ध है 30 नवम्बर, 1991, तक बम्बई शहर विकास परियोजना के लिए 269.61 करोड़ रुपये बकाया थे। और तीसरा, बम्बई जल आपूर्ति परियोजना के लिए 380.74 करोड़ रुपये शेष था।

जहां तक देरी का सम्बन्ध है इसके कई कारण रहे हैं। मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में देरी करना। देर का कारण परियोजना के लागत के मूल्यांकन और सामग्री की खरीद में हुई देरी है।

कभी-कभी राज्य सरकारें भी जो कुछ उन्हें खर्च करना होता है जिसकी वापिसी बाद में मिलती है समय पर खर्च करने में असमर्थ रहती है। बाद की योजनाओं में अनुभव यह रहा है कि बहुत सी राज्य सरकारें आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रिम राशि को खर्च करने और फिर खर्च की वापिसी लेने में तालमेल नहीं कर पाती हैं यह एक व्यवहारिक समस्या है।

कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे परियोजना के कार्यान्वयन में तकनीकी कठिनाईयां। कभी-कभी पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं हैं जहां पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है।

भारतीय परियोजनाओं के लिए सऊदी अरब से सहायता

*428 **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने ऐसी कुछ भारतीय परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव किया है जिनके शीघ्र ही शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारत में परियोजनाओं के लिए सऊदी अरब से वर्ष 1967-77 से सऊदी विकास निधि से सहायता मिल रही है। 12-13 नवंबर, 1991 को नई दिल्ली में हुई भारत सऊदी संयुक्त आयोग की हाल की बैठक में सऊदी विकास निधि को संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित परियोजनाओं की सूची दी गई है।

विवरण

भारत-सऊदी संयुक्त आयोग कार्यकारी दल की रिपोर्ट में उल्लिखित परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है

नाम

स्वास्थ्य क्षेत्र

1. आई० आर० सी० एच० कैंसर अस्पताल का विस्तार
2. बरेली, उत्तर प्रदेश में 500 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण
3. सीतापुर, उत्तर प्रदेश में 300 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना
4. कैंसर संस्थान, अदयार (तमिलनाडु)

एम० सी० डी० सी० परियोजनाएं

मुर्गी पालन, बगासे आधारित विद्युत उत्पादन और कपास कातने से संबंधित 3 परियोजनाएं।

कृषि क्षेत्र

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन और सब्जी/पुष्प बीजों का अधिक उत्पादन
2. गुजरात में जलविभाजक विकास कार्यक्रम

उद्यान कृषि

1. उद्यान कृषि सम्बन्धी फसलों के कटाई पश्चात आधारित ढांचे का सुदृढ़ीकरण
2. पौध प्रवर्धन इकाइयों की स्थापना।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, भारत को सऊदी अरबिया के विकास परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का मौका दिया गया और उनकी पंचवर्षीय योजना में, इसकी राशि 1200 करोड़ बिलियन अमरीकी डालर है और हमें उनकी परियोजनाओं में भी सहायता करने के लिए कहा गया है।

दूसरा पहलू यह है कि भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की बैठक छः वर्षों बाद हुई थी और इससे लगता है कि उन्हें हमारा सहयोग लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हमें समाचारपत्रों से पता चला है कि इन्जीनियरिंग, प्लास्टिक और खाद्य प्रसंस्करण के अलावा तेल की खोज के क्षेत्र में भी हमारी सहायता मांगी गई है क्या अब मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि और अन्य क्षेत्र कौन-से हैं जहां उन्हें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी सहायता मांगी है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : 12 और 13 नवम्बर 1991 को हुई गत बैठक के दौरान; सऊदी अरब, भारत में पांच परियोजनाओं को सहायता देने में सहमत हो गई थी। उन्होंने 50 परियोजनाओं में जिसकी लागत लगभग 50 बिलियन डालर के लगभग है भारत को सहयोग देने का अनुरोध किया था और उन्होंने ऐसे क्षेत्रों जैसे इन्जीनियरिंग, प्लास्टिक खाद्य प्रसंस्करण इस्पात उत्पादन, तेल पूर्वेक्षण पेसोकेमीकल्स की परियोजनाओं की एक सूची दी थी। उन्हें आशा व्यक्त की थी कि भारतीय उद्यमी को सऊदी अरब में संयुक्त रूप से परियोजनाओं में निवेश सुविधाओं की जानकारी दी जाये। भारतीय पक्ष इस जानकारी का प्रचार करने के लिए सहमत हुआ था और इसकी जानकारी एफ० आई० सी० ए० एस० एस० ओ० सी० एच० ए० एम, एक्सटेम बैंक, ई० ई० पी० सी० और अन्य संगठनों को दे दी गई है। उन्होंने

सूचना का अनुसरण किया होगा और सऊदी अधिकारियों के साथ विशेष परियोजनाओं पर चर्चा की होगी।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, इसके अलावा सऊदी अरब 1976-77 से अपने सऊदी विकास निधि से सहायता दे रहा है। चार परियोजनाएं है जिसमें वे हमें सहायता दे रहे हैं । स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत आई० आर० सी० एच० कैंसर अस्पताल का विस्तार बरेली उत्तर प्रदेश, में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण, मीतापुर, उत्तर प्रदेश, में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना, अदयार (तमिलनाडु) में कैंसर संस्थान की स्थापना के साथ साथ एन० सी० डी० सी० की कृषि के सम्बन्धी परियोजनाएं और बागवानी परियोजनाएं हैं अब मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा इस सहायता अन्तर्गत कुल कितनी राशि है जो उन्होंने सुनिश्चित की है और इन अस्पतालों आदि के विस्तार में कुल कितना धन उपयोग किया गया है। कब तक इस धन का उपयोग किया जायेगा और अभी तक इतनी देर क्यों की गई है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इन परियोजनाओं का चरण अलग-2 है और समझौते पर अलग-2 तारीखों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रथम परियोजन श्रीशैलम नागार्जुन सागरधन बिजली पावर परियोजना जिसके 353 सऊदी रियाल मिलियन डालर 20 वर्षों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर से दिये गये थे। यह परियोजना पूरी हो गई है। कोरापुर-रायगडा रेलवे लाइन परियोजना 30 मिलियन डालर की थी और हमने एस० आर० 54.307 मिलियन डालर इस्तेमाल किये है। कार्य अभी चल रहा है और इसे पूरा होने में अभी समय लगेगा। रामगुडम थर्मल पावर प्लांट के बारे में 172 सऊदी रियाल में से, हमने 51 मिलियन सऊदी रियाल खर्च कर दिये हैं। परियोजना का कार्य अभी चल रहा है। नव सेवा पोर्ट परियोजना का कार्य भी चल रहा है और समय और मांगा है। ग्वालियर अस्पताल परियोजना का कार्य इतना नहीं हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : स्पीकर साहब, वक्त देने का शुक्रिया। आपके जरिये मैं वजीरे मालियात से यह जानना चाहूंगा कि सऊदी अरब आज यूरोपियन बिरादरी को 70 फीसदी मैथनॉल सप्लाई करता है और हिन्दुस्तान को भी फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहा है। मैं फाइनांस मिनिस्टर से जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनों मैदानों में कोई ज्वॉट वैंचर या प्रोग्राम है ? अगर नहीं है तो क्या फ्यूचर में इस तरह का ज्वॉट वैंचर करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अभी जो पुराने तीन प्रोजेक्ट थे, वे थे—मद्रास मैट्रोपॉलिटन एरिया ट्रांसमिशन एंड सब-ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट मास्टर प्लान, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, मंत्रिय वाटर सप्लाई स्कीम, अभी हाल ही में जो टीम आई थी··· (व्यवधान)

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह फर्टिलाइजर का मामला है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं कह रहा हूं। अभी उन्होंने यह तय किया है कि इन प्रोजेक्ट्स को स्थगित किया जाये। नये प्रोजेक्ट्स की दिशा बदली है। पहले जो फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट थे, उसमें उन्होंने पहले मंजूरी दे दी, इसके बाद जो पाइप लाइन में थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया है। इस बार जो बैठक हुई है, उनकी दिशा यह है कि अब सामाजिक और मानव संसाधन तथा कृषि के क्षेत्र में आने के प्रोजेक्ट्स वह देना चाहते है। इस सम्बन्ध में 4 प्रोजेक्ट्स उन्हें दिये गये और 7 प्रोजेक्ट्स और देने की बात है।

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मैथनाल के सम्बन्ध में पूछा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था। फिर भी मैंने इसकी अनुमति दे दी थी। कृपया बैठ जाइये।

डा० के० वी० आर० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सऊदी अरब की सहायता से कोई परियोजना आंध्र प्रदेश में विचाराधीन है या उस पर कार्य चल रहा है। यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप दे सकते है। अन्यथा आप इसे लिखकर भेज सकते हैं।

श्री ई० अहमद : हमारे पास सरकार द्वारा प्रतिपादित नई औद्योगिक नीति है। इस तथ्य के बावजूद सउदी अरब और वहां के उद्योगपति भारत में संयुक्त रूप से उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरे सऊदी अरब के हाल ही के दौरे में कुछ उद्योगपतियों ने बताया था कि वे पूर्व बाई बेक के आधार पर आई० पी० सी० एल० के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए तैयार है। जब सऊदी उद्योगपति अपना धन हमारी तकनीकी जानकारी के साथ इ तेमाल करने के लिए तैयार हैं तो सरकार संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में द्विपक्षीय बाई बेक के आधार पर भारत में सरकारी कम्पनियों और उद्योगपतियों को इस कार्य में राजी करने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाती।

श्री रामेश्वर ठाकुर जैसाकि मैंने कहा था कि पिछली मीटिंग में भी जोर दिया गया था कि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में हमारी परिजोनाओं के बारे में सऊदी निधि से किसी प्रकार की सहायता का प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में उन्होंने विशेषरूप से कहा था कि केवल मानव संसाधन और कृषि के क्षेत्र में सहायता दी जायेगी लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति रही है और यदि कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। सरकार ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करेगी।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सऊदी अरब से प्राप्त विभिन्न प्रदेशों की परियोजनाओं में इस किस्म के संस्थानों को जो राशि दी जाती है, उसमें आज तक बिहार के किसी एक प्रोजेक्ट में भी खर्च उनको नहीं दिया गया और अब आगे जो सऊदी अरब से प्राप्त धनराशि परियोजनाओं पर खर्च करने की बात कही जा रही है, उसमें बिहार को विशेष रूप से चूंकि आज तक बराबर मिस्टेक रही है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : सऊदी अरब की असिस्टेंस बिहार के प्रोजेक्ट को दी जायेगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, यह राज्य सरकार पर निर्भर है। सऊदी अरब से जो फण्ड्स उपलब्ध हुए हैं, जिस क्षेत्र में, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, उस क्षेत्र में भी यदि राज्य सरकार से कोई प्रोजेक्ट, कोई योजना आये तो सरकार विचार करेगी और उसको सऊदी अरब को उसके विचार के लिए और सहयोग के लिए प्रस्तुत करेगी।

लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत दिए जा रहे प्रोत्साहनों को समाप्त करना

[अनुवाद]

429. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत अब तक दिए जा रहे प्रोत्साहनों में से कुछ को हाल ही में केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या इसके कारण भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा म्युचुअल फण्ड योजनाओं आदि की तुलना में लघु बचत योजनाओं का आकर्षण कम हो गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों द्वारा धन जुटाने पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों पर विचार किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहनों को फिर से देना प्रारम्भ करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार ने हाल ही में ऐसे कोई प्रोत्साहन वापस नहीं किए हैं जो अब तक विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के सम्बन्ध में अनुमत्य रहे हैं । तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान संग्रहों में किंचित कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संग्रहों से ऋण के जरिए राज्यों के हिस्से पर प्रभाव पड़ा है ।

संग्रहों में वृद्धि के लिए डाकघर सावधि जमाओं (1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय), डाकघर आवर्ती जमाओं (5 वर्षीय) और किसान पत्रों के सम्बन्ध में ब्याज दरों में और संशोधन किया गया है । आयकर अधिनियम की धारा 80S के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्रों (8वां निर्गम) के सम्बन्ध में मात्र ही वर्जित राशि पर कर रियायत भी दी गई है ।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान निवल अल्प बचत संग्रहों में कमी के कारणों का पता लगाने और कमी को रोकने के उपाय सुझाने के वास्ते एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया है ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, आप मुझे ऐसा कहने पर क्षमा करेंगे लेकिन जो कुछ सभा पटल पर रखा गया है विवरण नहीं है बल्कि यह टालमटोल का एक बड़ा नमूना है । सरकार ने इस विवरण में लघु बचत योजना के प्रोत्साहनों को वापिस लेने से इन्कार किया है । निःसन्देह प्रत्यक्ष रूप से वापिसी नहीं की गई है लेकिन वाणिज्यिक बैंकों और म्युचुअल फण्ड, यूनिट ट्रस्ट और अन्य कई योजनाएं जिनकी ब्याज दर और कर छूट बहुत ऊंची होने के कारण लघु बचत योजना को ठुकराया गया है । मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा ।

अक्टूबर 1990 से पहले, लघु बचत में तीन वर्षों के लिए सावधि जमा में ब्याज दर 10.5 प्रतिशत थी जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह 10 प्रतिशत थी अब यह 13 या 14 प्रतिशत की तुलना में 11 प्रतिशत है । लघु बचत योजना में कर छूट की सीमाएं 7,000 रुपए तक हैं जबकि अन्य योजनाओं में यह सीमा 13,000 रुपए है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह प्रत्यक्ष रूप से वापिस लेना नहीं है तो यह निश्चय ही लघु बचत योजना को हतोत्साहित करना है । मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब वाणिज्य बैंकों, म्युचुअल फण्ड आदि को ब्याज की ऊंची दर और अधिक कर छूट की अनुमति दे दी जायेगी तो उनकी प्रतिस्पर्धाओं के लिए उनकी लघु बचत योजना को क्या कोई तुलनात्मक प्रोत्साहन कहा जायेगा ? निःसंदेह ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को लम्बे वाक्यों और शब्दों में खो न जाने दीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, विवरण में कुछ थोड़े से उपायों का उल्लेख किया गया है लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह लघु बचत योजना को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्या का जहां तक सवाल है, इसमें कोई बेसलेस नहीं है, हमारे पास ओथेण्टिक डाटा है। खासतौर पर लघु बचत योजनाओं का मकसद ही है कि जो कलैक्शन होता है, जिस स्टेट में होता है, उस स्टेट को उस कलैक्शन का 75 परसेण्ट दिया जाता है और वह 25 साल में धीरे-धीरे करके सेण्ट्रल को वापिस करते हैं। जहां तक यू० टी० आई० का सवाल है, यू० टी० आई० का 1988-89 और 1990-91 के दौरान लगभग 337 करोड़ रुपया इसमें उन्होंने लगाया है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि 1980-81 से लेकर मार्च, 1991 तक हमारे ग्रास और नैट्स-कलैक्शन क्या हैं, यदि आपका अनुमति दें, मैं बताता हूं। इसमें ग्रास-कलैक्शन 99,946 करोड़ रु० और नेट कलैक्शन 45,487 करोड़ रुपये है, जो इण्टरेस्ट डिपाजिटर्स को देना है, वह 17007 करोड रुपए हैं। मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस बहुत होता है, 2,283 करोड़ रुपए। हमने अभी तक जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1991 तक स्टेट्स को 31,805 करोड़ रुपए का लोन दिया है।···(**व्यवधान**)··· मैं आपको बतला रहा हूं, इसमें कोई बेसलैस बात नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो हम लोन देते हैं, वे बहुत कम ब्याज की दर पर देते हैं। ईअर वाइज डाटा मेरे पास है, मैं वह भी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ जो इसमें डिफरेंस है, वह यह है कि स्टेट्स को जो भी लघु बचत योजनाओं के द्वारा पैसा देते हैं, उसमें हर वर्ष ब्याज की दर तय होती है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : यू० टी० आई० के बारे में? (**व्यवधान**)

श्री बलबीर सिंह : यू० टी० आई० का हमारा म्यूच्युअल बेसेज पर है। डिपैंड्स-अपोन-मार्केट, कोई गारन्टी नहीं है। नेशनल सेविंग्स स्कीम में 11 परसेंट का ब्याज है। मैं माननीय सदस्या को बता देना चाहती हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 52,476 करोड़ रुपए का बर्डन है, जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट बीअर करती है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, अन्य प्रश्न जो मैं पूछना चाहती हूं वह यह है। इस भारी काट से लघु बचत संग्रहों में इस तरह की कमी से उन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जिनका महत्वपूर्ण संसाधन संग्रहण है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में वाणिज्यिक करों का इसका प्रभाव पड़ेगा।

मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष में, यह वसूली 1010 करोड़ रुपये बढ़ गया था। अब, अप्रैल और सितम्बर 1991, के बीच सारे देश में लघु बचत की वसूली घटकर 38 प्रतिशत रह गया था। राज्यों का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : मालिनी जी, आप प्रश्न को संक्षिप्त कर सकती हैं।

श्रीमती सविती भट्टाचार्य : महोदय, डाकघर सावधि जमा योजना में संशोधन का सुझाव दिया गया है और डाकघर आवर्ती जमा राज्यों के घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जब ये उपाय किये गए थे निश्चय ही सरकार ने राज्यों की अर्थव्यवस्था में होने वाले कटाव को ध्यान में रखा था अब, मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या जब यह निर्णय लिए गये थे तब राज्य सरकार से सलाह की गई थी या क्या उन्हें विश्वास में लिया गया था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जुलाई, 1991 से इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से लगातार पत्राचार करते रहे हैं और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहती हैं कि क्या राज्य सरकार से पूछा गया है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, लघु बचतों के सम्बन्ध में कुछ राज्यों में समस्याएं रही हैं। मैंने इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से चर्चा कर ली है। कई अवसरों पर उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और ब्याज की दरों को समायोजित किया गया है। इसके माध्यम से अठ्ठाणी लाभ दिए गए हैं। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि कुछ समस्या है और इस समस्या को दूर करने के और क्या किया जा सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए मैंने कल ही योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप हर वक्त बाधा डाल रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरी जानकारी ठीक है तो वसूली में लगभग 800 करोड़ रुपए तक कमी हुई है। ऐसा अंशतः स्रोत पर कर कटौती करने की योजना आरम्भ करने के कारण हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस योजना को समाप्त करते पर विचार करेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक स्रोत पर कर कटौती का सम्बन्ध है यह राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अतिरिक्त अधिकांश लघु बचत योजनाओं पर लागू नहीं होती है। चालू वर्ष के पहले छह महीनों में राष्ट्रीय बचत योजनाओं का कारोबार काफी अच्छा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती पहली अक्तूबर से लागू होगी। अतः आपका अनुमान सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण डेरवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि यूनिट ट्रस्ट की जो सेविंग्स होती है, वह स्टेट्स को दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने कई बार इनको कहा है कि इसको बन्द नहीं किया जाए, वहां पर अकाल की भयंकर स्थिति है और यूनिट ट्रस्ट का जो पैसा हमको मिलना चाहिए वह बन्द कर दिया है। तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि अकाल की स्थिति को देखते हुए राजस्थान की यूनिट ट्रस्ट को पैसा दिया जाए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश लघु बचतों की एक सामान्य बात नहीं थीं। पिछले दो वर्षों में दौरान यूनिट ट्रस्ट के पास कुछ धन अधिशेष रहा है। अत: उसे लघु बचतों में निवेश किया गया। यूनिट ट्रस्ट के पास अधिशेष धन नहीं है। अत: यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

श्री संदीपन भगवान थोरट : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से कुल कितनी मात्रा में प्रोत्साहन की मांग की है और पिछले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र से लघु बचतों की कुल वसूली कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है तो दे अन्यथा इसे लिखकर भेजें।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : मान्यवर, इस योजना के तहत सबसे अच्छा जो कलैक्शन है वह महाराष्ट्र का ही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सितम्बर, 91 में 6272 लाख रुपए है और परसेंटेज जो है वह 158.11 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मण्डल : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं क्या यह सच है कि यू० टी० आई०, एन० एस० सी० आदि में निवेश की गई लघु बचतों पर से आयकर में छूट को समाप्त करने के कारण इस योजना के तहत होने वाली जमाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो क्या सरकार 31 मार्च, 1991 वाली स्थिति को बनाए रखने पर विचार करेगी।

श्री मनमोहन सिंह : जैसाकि मैंने कहा है, मैंने पहले ही एक समिति नियुक्त कर दी है जो तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। हम स्थिति पर नजर रखेंगे और उस समिति की सिफारिशों के अनुसार हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

श्री पी० सी० चाको : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि लघु बचतों में पर्याप्त कमी आई है। स्रोत पर कर कटौती करने के सरकार के हाल के निर्णय के कारण देश में लघु बचतों के क्षेत्र और वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्र, दोनों में जमाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जमाओं के प्रभावित होने के कारण क्या सरकार स्रोत पर कर कटौती के अपने हाल के निर्णय पर पुन:विचार करेगी ?

श्री मनमोहन सिंह : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम : श्रीमान, तमिलनाडु सरकार ने प्लैट, मारुति कार आदि देने जैसी इनामी योजना आरम्भ की है ताकि निवेशकों को विशेषकर लघु बचत की ओर आकर्षित किया जा सके। क्या भारत सरकार लघु बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार की योजना का अनुसरण करेगी। क्या सरकार के पास लघु बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने की कोई अन्य योजना है ?

श्री मनमोहन सिंह : हमारे पास इस समय और कोई योजना नहीं है। इस योजना की प्रगति

के परिणाम देखेंगे और फिर हमारे द्वारा गठित समिति यदि कुछ उपाय करने के सुझाव देती है तो उस पर विचार किया जाएगा।

राव राम सिंह : मंत्री महोदय ने मामले की जांच के लिए योजना-आयोग की एक समिति गठित की है। मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति का क्षेत्राधिकार क्या है तथा क्या लघु बचत योजनाओं के लिए प्रोत्साहन देने का मामला इस समिति के क्षेत्राधिकार का ही एक भाग है।

श्री मनमोहन सिंह : इस समिति के क्षेत्राधिकार संक्षेप में, लघु बचत संग्रह की प्रवृत्ति की समीक्षा करना है तथा अनुभव के आधार पर बढ़ोत्तरी के सुझाव देना है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में अल्प बचत योजनाओं में जमा की गई राशि की वापसी सही ढंग से नहीं की जा रही है और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में जो धनराशि जमा हो रही है, उस पर अधिक ब्याज दिया जाता है और अल्प बचत में जमा की गई राशियों पर कम ब्याज दिया जाता है, तो क्या अल्प बचत योजनाओं में भी ब्याज की दर बढ़ाई जाएगी, ताकि लोग प्रोत्साहित होकर अधिक धनराशि जमा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या ब्याज दर बढ़ाई जाएगी।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : श्रीमान, पारस्परिक निधियों की ब्याज दर बहुत ही आकर्षक है किन्तु ये ब्याज प्रत्याभूत दर नहीं है। इसमें कुछ जोखिम भी हैं जबकि इन बचत योजनाओं में कोई जोखिम नहीं है। अब जो कोई भी पूंजी निवेश करना चाहे, मेरे विचार से उन्हें बहुत कुछ सोच समझकर विचार करना होगा। मैं नहीं सोचता कि सरकार लघु बचत योजना द्वारा दी जा रही ब्याज दर सहित पारस्परिक निधियों के ब्याज दर के समक्ष रखेगी।

श्री मरासमुद्रम ज्ञानेन्द्र रेड्डी : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय बचत संगठन के जिला बचत अधिकारियों के 250 पद समाप्त करने जा रही है? राष्ट्रीय बचत संगठन में विगत वित्तीय वर्ष में 8650 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। किन्तु तह बचत जनसंख्या के 10 प्रतिशत से आता है। शेष 90 प्रतिशत को बचत के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा तो यह सब किस तरह सम्भव होगा।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे इस प्रश्न की अलग के आवश्यकता है। मेरे पास इस विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : श्रीमान, यह मामला केन्द्र से राज्य को दिए जाने वाले निधियों के अवमूल्यन के मूल प्रश्न से सम्बन्धित है। उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों में संसाधन संग्रह में गिरावट आयी है। उपर्युक्त के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या वास्तव में संसाधनों को राज्यों को हस्तान्तरण करने में गिरावट आयी है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि 9वें वित्त आयोग की अनिवार्य सिफारिशों के अनुसार सरकार संसाधनों के योजनेत्तर रिक्ति को भरने के लिए क्या उपाय कर रही है।

श्री मनमोहन सिंह : हमारे पास फिलहाल राज्यों के योजनेत्तर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शंकर राव डी० काले : श्रीमान, क्या मैं लघु बचत अभिमान की प्रगति, तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में हुए परिणामों के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : मैं सम्माननीय सदस्य को आंकड़े दे दूंगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, बचत योजनाएं केन्द्र सरकार चलाती है और इनसे चाहे केन्द्र सरकार को सहायता मिलती हो या राज्य सरकार को सहायता मिलती हो, बचत योजनाएं सरकार के वित्तीय स्रोत को बढ़ाने का माध्यम है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि जमा करने पर जमाकर्ता को जो सुविधाएं मिलती हैं क्या लघु बचत योजनाओं में धनराशि जमा करने वालों को भी उसी तरह की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कमेटी को निर्देश देंगे ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : श्रीमान, यह समिति लघु बचत योजना के सभी पक्षों की जांच करेगी। यदि समिति कुछ सिफारिशें करती है जिससे कि इसे अधिक आकर्षक बनाया जा सके तो सरकार उस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चटर्जी की प्रश्न पूछने की बारी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमान, पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि डाकघरों की मासिक अभियोजनाओं का 'रिटर्न' अन्य मासिक आय योजनाओं से कम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लघु बचत योजनाओं, को मजबूत बनाने के लिए। सी आई० सी० और जीवन बीमा निगम आदि कर्मचारियों की भाविषनिधि संग्रह जिसे लघु बचत योजना से हटा लिया गया है तथा केन्द्रीय मद में जमा किया जाता है क्या इसे लघु बचत योजना में वापस लाया जाएगा ताकि राज्यों के एक सौ रुपये से दो सौ करोड़ रुपये तक की राशि केन्द्र को न जा सके।

श्री मनमोहन सिंह : श्रीमान, फिलहाल यह मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री बीर सिंह महतो : श्रीमान, संग्रह में बढोत्तरी लाने के लिए ब्याज दर संशोधित किए गए हैं एवं आगकर में रियायत बढ़ायी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने लघु बचत में आई गिरावट को रोकने का कोई अन्य उपाय किया है तथा साथ ही विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुकावट की प्रतिशतता क्या है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह सितम्बर, 1971 तक का है और चाहिए तो हम बाद में दे देंगे।

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, जो बचत योजनाएं सरकार की चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर, तो क्या कोई ऐसी योजना है जिससे वे ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता को प्रोत्साहित करने के लिए 1-10-91 से जो बचत योजनाएं हैं उन पर ब्याज दर बढ़ाया गया है, बैंक में 13 परसेंट है और पोस्ट आफिस में टाईम डिपाजिट में 13.5 परसेंट है।

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय,···(**व्यवधान**) महिलाओं के लिए क्षेत्रीय बचत योजना के प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर रही है। यह योजना घाटे में चल रही है। इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम महिला बचत योजना के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं जो है उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके दृष्टिकोण में पुरुष और स्त्री समान हैं ?

श्री बलबीर सिंह : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, छोटी बचत योजना के सुधार के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, इसमें क्या उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के भी अधिकारी रखे गए है, इसकी रिपोर्ट कब आयेगी।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी में प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री डा० श्रीरंगराजन हैं। यह कमेटी तीन सप्ताह में रिपोर्ट दे देगी। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लघु बचत योजना के लिए कितने एजेंट मुकर्रर किये हुए हैं, उनका क्या ब्यौरा है और क्या कमीशन दिया जाता है ?

श्री बलबीर सिंह : राज्य सरकार कलेक्शन करती है इसके साथ-साथ जो कलेक्शन होता है जैसा मैंने पहले बताया उसका 75 प्रतिशत सरकार को देते हैं, इसमें राज्यों के कलेक्टोरेट से भी कलेक्शन किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० एस० राव आप हमेशा काफी प्रश्न पूछा करते हैं, आप दूसरों को भी अवसर दिया करें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित डाकघरों के माध्यम से लघु जमा के संग्रह के सम्बन्ध में सरकारी खर्च इष्टतम होंगी तथा ग्रामीण लोग भी कम व्यय के साथ अपनी जमाराशि को वापस ले सकते हैं-- क्या सरकार ग्रामीण लोगों को डाकघरों के माध्यम से जमा करने के लिए उत्साहित करने के लिए अधिकतम विभेदक ब्याज दर प्रदान करेगी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इससे ग्रामीण लोगों को लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विभेदक ब्याज दर प्रदान करने से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : हमने 1-10-1991 से पोस्ट आफिस में लघु बचत योजना पर 13.5 प्रतिशत इंटरेस्ट दिया है ताकि लोगों की इसमें रुचि बढ़े।

श्री कालका दास : लघु बचत योजना का देश अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है। अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि लघु बचत योजना का जो स्तर है वह नीचे आता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं पिछले पांच वर्षों में वर्षवार लघु बचत योजना के सम्बन्ध में कितनी राशि जमा हुई और इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पास आंकड़े हैं तो भिजवा देना।

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है मेरे पास सभी आंकड़े हैं, मैं उनको आप अनुमति दें तो वर्षवार भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप भिजवा देना।

जर्मनी द्वारा भारत में निवेश

[अनुवाद]

*430. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या जर्मनी द्वारा भारत में नए निवेश किए जाने के बारे में कोई आश्वासन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग पर भारत-जर्मन संघीय गणराज्य संयुक्त आयोग के कार्य कलाप के सम्बन्ध में आर्थिक मामलों के संघीय जर्मन मन्त्री के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने दिनांक 17-11-1991 से 19-11-1991 तक भारत का दौरा किया था। व्यापार, निवेश तथा विकास सहयोग के क्षेत्र में सहायता से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हुई। पूंजी अन्तरण के बढ़े हुए प्रवाहों तथा विकासशील देशों के बाजारों के लिए भारत के निर्यातों की बढ़ी हुई बाजार पहुंच के लिए भारत की आवश्यकता को जर्मन-शिष्टमण्डल ने माना है। भारतीय शिष्टमण्डल ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुकूल शर्तें उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल में ही उठाए गए कदमों का खुलासा किया।

दोनों देशों के बीच बातचीत एक नीतिगत संवाद के रूप में हुई, इसलिए भारत की ओर से किसी विशिष्ट निवेश प्रस्तावों को नहीं रखा गया। परन्तु, संघीय सरकार के अधिकारियों एवं जर्मन व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों ने भारत में उभरते हुए निवेश वातावरण में रुचि दिखाई।

डा० सी० सिल्वेरा : श्रीमान, समाचारों के अनुसार जर्मन के आर्थिक मन्त्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की। वे चाहते

सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों से संतुष्ट प्रतीत होते थे। उन्हीं समाचारों के अनुसार ऐसा लगता है कि जर्मनी ने भारत में नए निवेश करने के आश्वासन दिए हैं। भारत में निवेश करने में जर्मन की रुचि उनके प्रतिनिधमंडल के सदस्यों से ही स्पष्ट थी जिसमें जर्मन उद्योग और बैंकों के अग्रणी प्रतिनिधि शामिल थे। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि भारत में ऐसी कौन सी मुख्य परियोजनायें हैं जिनके लिए आर्थिक सहायता दिए जाने के बारे में जर्मन सरकार विचार कर रही है अथवा जिनका वित्त-पोषण अभी तक जर्मन सरकार ने किया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : श्रीमान औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग हेतु गठित भारतीय-जर्मन संयुक्त आयोग ने भारत में निवेश के नए क्षेत्रों तथा भारतीय निर्यात के सम्बन्ध में जर्मन बाजार सहित यूरोपीय बाजार में भारत के माल की खपत के बारे में उच्च-स्तर पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्बन्ध में चर्चा बड़ी सन्तोषजनक रही। जर्मन पक्ष ने यह भी कहा है कि भारतीय उद्यम भी पूर्वी जर्मनी के विकास, आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास में भाग ले सकता है। उन्होंने भारतीय उद्यमों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया हैं। (व्यवधान)

जहां तक वर्ष-वार भागीदारी का सम्बन्ध है, वर्ष 1957 से वर्ष 1990 तक देश को 13,667 विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 2,476 जोकि कुल भारत विदेशी सहयोग का 18 प्रतिशत है, जर्मनी से प्राप्त हुआ। अभी हाल ही में अर्थात् चालू वर्ष के दौरान भी, वर्ष 1991 में अगस्त तक जर्मन फर्मों के साथ 229.1 करोड़ रुपए के निवेश के 60 मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति प्राप्त हुई है।

डा० सी० सिलवेरा : विभिन्न राज्यों में कुछ परियोजनाओं का वित्त-पोषण जर्मन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। क्या राज्य सरकारें अपने राज्य की लम्बित परियोजनाओं को लेकर इन कंपनियों के साथ सीधे समझौता-वार्ता कर सकती हैं?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, सामान्यतः परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ही दूसरी सरकार से विचार-विमर्श करती है। जब तक कि यह निजी परियोजना न हो जिसमें निजी उद्यमी ही उस बारे में समझौता करता है। जहां तक जर्मनी द्वारा सहायतार्थ परियोजनाओं का सम्बन्ध है, साधारणतः सरकारी स्तर पर ही उन पर विचार हुआ है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जर्मनी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और भारत के प्रधानमन्त्री भी जर्मन गए थे और इन्होंने जर्मनी में भी अनुरोध किया था वहां के लोगों से कि वे भारत में पूंजी-निवेश करें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में और खासकर ऑटोमोबाईल्स के क्षेत्र में कोई अनुरोध किया था, यदि किया है तो जर्मनी का क्या रेस-पोंस है?

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर ठाकुर : श्रीमान, जैसाकि मैंने पहले बताया, विशिष्ट परियोजनाओं पर ही वहां चर्चा हुई थी क्योंकि यह चर्चा काफी उच्च स्तर पर हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : रक्षा-वाहनों के बारे में क्या विचार है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक पिछली बैठक का सम्बन्ध है अभी तक रक्षा-वाहनों से सम्बन्धित किसी भी विशेष परियोजना पर चर्चा नहीं हुई ।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या मैं माननीय मन्त्री से उन क्षेत्रों के नाम जान सकता हूं जहां जर्मनी में प्रौद्योगिकी पर निवेश करने की इच्छा जाहिर की है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : भारत-जर्मन सहयोग साधारणतः रसायन, पेट्रो-रसायन विद्युतीय मशीनों, उचित मापदण्ड के उपकरण तथा औद्योगिक मशीनों के सम्बन्ध में हुआ है ।

उच्च-प्रौद्योगिकी के भी अन्य क्षेत्र हैं जिनमें हमारी रुचि है तथा जिनमें भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग-समझौते के तहत उच्च सहयोग की सम्भावनाएं हैं ।

[हिन्दी]

श्री एस०एन० लालजान बाशा : स्पीकर सर, यह जो जर्मनी का डेलीगेशन भारत आया था, अभी नई-नई मशीनरी बनाने का जो विचार हुआ है तो उसके लिए जर्मनी द्वारा हिन्दुस्तान में हाई-टेक्नालॉजाजी प्रोजेक्ट्स बढ़ाये जाने पर सरकार कोई कदम उठाने पर सोच रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जो उच्च कोटि की टेक्नालाजी का ज्ञान है, उसके लिए हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है और उसके अन्तर्गत स्पेसिफक प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें एक मशीनरी टूल्स का भी है जो लुधियाना, लखनऊ और भोपाल में किए गए हैं । इसके अलावा तीन किए जा रहे हैं । इसी तरह से इस समझौते के अन्तर्गत हम एक दूसरे देश से जरूरत के आधार पर उनसे हाई-टेक्नालॉजी में मदद लेते हैं और आगे भी लेने की संभावना है ।

श्री राम नारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, क्या जर्मनी की कोई कंपनी भारत में टू-व्हीलर/थ्री व्हीलर के लिए इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए तैयार है, यदि हां, तो सरकार क्या सहायता प्रदान करेगी ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : श्रीमान, इस सम्बन्ध में एस्कोर्ट्स तथा बी०एम० डब्ल्यू० के मध्य सहयोग का एक प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, जर्मनी में भारत के प्रधानमन्त्री जी भी यात्रा पर गए और वहां के शिष्टमण्डल भी यहां आए थे और मन्त्री महोदय ने जवाब में बताया है कि किसी स्पेसेफिक क्षेत्र में निवेश पर वार्ता नहीं हुई । तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से जर्मन से निवेश के लिए किसी क्षेत्र विशेष में भारत का कोई प्रस्ताव जाने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में उन्होंने बहुत सारा कह दिया हैं ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जैसा मैंने बताया है, भारत सरकार उच्च तकनीकी में और विभिन्न क्षेत्रों में, एक तो सरकारी स्तर पर और दूसरा जो गैर सरकारी हैं जिसका उल्लेख अभी वित्त मन्त्री जी ने किया, उसमें भी हम एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं ।

— ———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्व मामलों सम्बन्धी भारतीय परिषद

[अनुवाद]

*406. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मामलों सम्बन्धी भारतीय परिषद के प्रबन्धन को अपने हाथ में लेने के लिए संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90, 1990-91 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् को कोई धनराशि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय विश्व कार्य परिषद का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए संसद में एक विधेयक पुन: रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

जगदीशपुर से गोरखपुर तक पाइपलाइन का विस्तार

*407. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री मानवेन्द्र शाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर-पाइपलाइन के बारे में गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड की निगमित योजना में इस पाइपलाइन का जगदीशपुर से गोरखपुर तक विस्तार करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रुप-15 सम्मेलन

*408. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेनेजूएला में काराकस में हाल में सम्पन्न हुए ग्रुप-15 सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा इस विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इन विषयों के सम्बन्ध में भारतीय शिष्टमंडल ने क्या दृष्टिकोण अपनाया;

(घ) क्या भारत ने अनेक प्रस्ताव पेश किए थे जिनमें उत्तर-दक्षिण वार्ता और विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्य सदस्य देशों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है;

(च) क्या इस सम्मेलन के दौरान दूतावासों एवं उनके राजनयिकों की सुरक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पर भी चर्चा की गई;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारत का विचार निकट भविष्य में ऐसा शिखर सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) कराकस, वेनेजुएला में 27-29 नवम्बर, 1991 तक आयोजित जी-15 के शिखर-सम्मेलन में ग्यारह देशों ने भाग लिया था।

(ख) से (ङ) जी-15 के नेताओं ने और उनके प्रतिनिधियों ने एक नई विश्व-व्यवस्था विकास के सम्बन्ध में एक नई आम सहमति तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विनिमय किया। इस बैठक में भाग लेने वाले राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पारित की, जिसमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और अन्य मसलों पर उनके दृष्टिकोण समाहित हैं तथा जिसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग को संविहित करने से सम्बन्धित निर्णय भी निहित हैं। भारत ने यह सुनिश्चय करने पर मतैक्य तैयार करने के लिए जी-15 देशों की स्थिति स्पष्ट की कि विश्व का ध्यान प्रमुख रूप से विकासीय घटनाओं पर केन्द्रित किया और आर्थिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मसलों को प्रयोजनीय कार्य-सूची का केन्द्र-बिन्दु बनाने के तौर-तरीके ढूंढे गए। अन्य राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने इन विचारों का समर्थन किया। जी-15 देशों ने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त की कि औद्योगिकृत देशों के साथ बातचीत आरम्भ की जाए। इस संवर्धित सहयोग के आधारभूत सिद्धान्तों कि संयुक्त विज्ञप्ति में व्याख्या की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) भारत ने 1993 में होने वाले जी-15 के शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने की पेशकश की और शिखर सम्मेलन ने इसका अनुमोदन कर दिया।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

[हिन्दी]

*409. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विदेशी संस्थाओं द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली ऐसी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान वितरण (मिलियन डालर में)			स्रोत	1992-93 के दौरा अनुमानित वितरण (मिलियन डालर में)
			1988-89	1989-90	1990-91		
1.	आंध्र प्रदेश	दूसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	शून्य	8.359	5.473	आई० डी० ए०/ आई० बी० आर०/ डी०	28 डालर
2.	बिहार	बिहार सार्वजनिक सिंचाई परियोजना	1.533	2.843	3.256	आई० डी० ए०	17 डालर
3.	गुजरात	*दूसरी गुजरात सिंचाई परि०	11.052	7.685	—	आई० डी० ए०	
		गुजरात मध्यम सिंचाई	15.200	9.909	27.625	आई० डी० ए०	39 डालर
		सरदार सरोवर जल वितरण एवं जल विकास	8.544	13.997	61.929	आई० डी० ए०	77 डालर
4.	हरियाणा	हरियाणा सिंचाई-II	8.697	10.717	12.019	आई० डी० ए०	शून्य
5.	कर्नाटक	*कर्नाटक टैंक सिंचाई	11.200	0.438	—	आई० डी० ए०	
		ऊपर कृष्णा सोपान-II	—	18.000	11.781	आई० डी० ए०/ आई० बी० आर० डी०	21 डालर

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	केरल	*कल्लादा सिंचाई एवं वृक्ष फसल परियोजना	3.540	—	—	आई० डी० ए०	
		*कल्लादा सिंचाई परियोजना	13.135	2.353	—	आई० बी० आर० डी०	
7.	मध्य प्रदेश	*मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई	21.833	—	—	आई० डी० ए०/ आई० एफ० ए० डी०	
		*मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई	14.200	16.287	28.264	आई० डी० ए०	शून्य
		*दूसरी चम्बल सिंचाई	5.288	3.140	—	आई० डी० ए०	
		मध्य प्रदेश लघु सिंचाई	7.000	2.097	6.231	ए० एस० ए० आई० डी०	शून्य

टिप्पणी :—(1) आई० डी० ए० तथा अथवा आई० बी० आर० डी०—विश्व बैंक से सहायता दर्शाती हैं ।

(2) आई० एफ० ए० डी०—कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि के लिए है ।

(3) ई० ई० सी०—यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए है ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान वितरण (मिलियन डालर/येन/डी.एम. में) 1988-89	1989-90	1990-91	स्रोत	1992-93 के दौरान अनुमानित वितरण (मिलियन डालर में)
8.	महाराष्ट्र	*महाराष्ट्र जल उपयोग	7.340	3.781	4.357	आई० डी० ए० आई० बी० आर० डी०	शून्य
		महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई	8.570	6.955	11.386	आई० डी० ए०	42
		महाराष्ट्र लघु सिंचाई	2.356	3.667	2.604	यू० एस० ए० आई० डी०	10
		*महाराष्ट्र सिंचाई प्रौद्योगिकी	5.503	0.965	—	यू० एस० आई० डी०	
		महाराष्ट्र में फ्लस के विकास के लिए जल नियन्त्रण प्रणाली			0.541	ई० ई० सी०	1
9.	उड़ीसा	महानदी बराज	11.090	2.045	—	आई० डी० ए०	
		*दूसरी उड़ीसा सिंचाई	4.410	—	—	आई० डी० ए०	
		अपर कोलाब सिंचाई (येन)	—	32.751	10.689	जापान	4
		ऊपर इन्द्रावती परियोजना (येन)	—	299.162	213.185	जापान	5
10.	राजस्थान	*राजस्थान कमान क्षेत्र	9.402	1.019	—	आई० एस० ए० डी०	
		राजस्थान लघु सिंचाई (डी० एम०)	—	0.754	0.101	जर्मनी गणराज्य	
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना (येन) (इंजीनियरिंग सेवा)	—	—	—	जापान	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	तमिलनाडु	*तमिलनाडु में सिंचाई टैंक का आधुनिकीकरण			2.367	ई० ई० सी०	
		पेरियार वैगई परियोजना	3.777	1.810	1.947	आई० डी० ए०	7
		टैंक सिंचाई प्रणाली सोपान-II			1.340	ई० ई० सी०	7
12.	उत्तर प्रदेश	*दूसरे उत्तर प्रदेश नलकूप	28.083	22.273	20.374	आई० डी० ए/ आई० एफ० ए० डी०	शून्य
		अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	10.347	8.798	20.434	आई० डी० ए०	30
		उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना			9.236	नीदरलैंड	15
13.	पश्चिम-बंगाल	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	7.244	2.616	6.452	आई० डी० ए०	15
14.	पंजाब	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास	—	8.000	3.843	आई० डी० ए०/ आई० बी० आर० डी०	15
15,	हिमाचल प्रदेश	पहाड़ी क्षेत्रीय भूमि और जल विकास परियोजना	—	—	0.143	यू० एस० ए० आई० डी०	6
	बहु राज्य	*सुबर्णरेखा सिंचाई	39.210	8.202	—	आई० डी० ए०	
		राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना	—	6.050	11.582	आई० डी० ए०	17
		जल संसाधन प्रबंध एवं प्रशिक्षण परियोजना	0.660	1.179	2.376	यू० एस० आई डी०	
		सरदार सरोवर परियोजना	—	9.559	31.562	आई० डी० ए०	31
		बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना	—	—	—	आई० डी० ए०/ आई० बी० आर० डी०	8

टिप्पणी :—वर्ष 1992-93 के दौरान अदायगी के लिए अनुमान अन्तरिम है।

* सितारे के चिन्ह वाली परियोजनाएं समाप्त कर दी गयी हैं।

पृथकतावादी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम

*410. **श्री राम शरण यादव :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है ताकि वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और देश में पृथकतावादी तत्वों का मुकाबला करने के प्रयास में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी में कोई सांस्कृतिक दल तथा संयुक्त शिष्टमण्डल भेजे थे ताकि इन देशों में वहां के कुछ समाचार पत्रों द्वारा भारत के विरुद्ध किए गए झूठे प्रचार का खंडन किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई ऐसी यात्राओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) विदेशों में रहने वाले भारतीय वहां के स्थानीय समाज का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है और विदेश मन्त्रालय बराबर इस कोशिश में रहता है कि उनके साथ जितना नजदीकी सम्बन्ध सम्पर्क हो सके किया जाए तथा भारत सम्बन्धी घटनाओं से उन्हें पूरी तरह से अवगत रखा जाए। विदेशों में रहने वाले अपने राष्ट्रिकों को भारत के प्रति उनकी आत्मीय भावना के आधार पर अपने साथ लेने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं जिससे कि भारत की घटनाओं की सही तस्वीर सामने रखी जा सके और ऐसा करके अलगाववादी तत्वों और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रचार का प्रतिकार किया जा सके।

इन देशों में हमारे राजनयिक मिशन भारतीय समुदाय के विभिन्न नेताओं से तथा उनके मीडिया और अन्य मत निर्माताओं से भी नियमित रूप से सम्पर्क रखते हैं ताकि भारत की घटनाओं के सम्बन्ध में तथा विभिन्न मसलों पर स्थिति के सम्बन्ध में उन्हें समझाया जा सके।

विदेशों को जो सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भेजे जाते हैं वे अनिवार्यतः भारतीय राजतंत्र और भारतीय समाज के बहुवाद और विविधता के वैविध्य पूर्ण स्वरूप, उसकी स्मृद्धि और उसकी एक जुटता को प्रस्तुत करते हैं। इसी से अलगाववादी तत्वों और अलगाववादी प्रवृतियों का कारगर तरीके से प्रतिकार हो जाता है।

पेट्रोल के विकल्प के रूप में गैसोहोल का विकास

[अनुवाद]

*411. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर शुगर ने पेट्रोल के विकल्प के रूप में 'गैसोहोल' नामक मिश्रण का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य चीनी एककों को इस प्रकार की चेष्टाओं हेतु प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार के अनुसार मैसूर शुगर कम्पनी ने अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण के इस्तेमाल का एक वाहन पर परीक्षण किया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लोहा और इस्पात वितरण नियंत्रण आदेश

[हिन्दी]

*412. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "प्लानिंग बॉडी एप्रूव्स स्टील डिकन्ट्रोल मूव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और उनके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है। इस चरण पर विवरण देना जनहित में नहीं है।

गंगा नदी के बाढ़ के पानी को राजस्थान की ओर मोड़ना

*413. **श्री अयूब खां** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के बाढ़ के पानी की राजस्थान के ऊसर क्षेत्रों की ओर मोड़ने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गंगा के पानी में हिस्से की राजस्थान की मांग को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान ने 1984 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें राजस्थान के सूखा क्षेत्रों में उपयोग के वास्ते मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए हरिद्वार के निकट गंगा नदी के 1133 क्यूमेक जल के व्यपवर्तन की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को 1989 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, रायबाला और नरोरा में एक वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक के लिए गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है जिससे कि राजस्थान को आर्थिक रूप से स्वीकार्य दरों पर जल व्यपवर्तित किया जा सके। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत हिमालयी नदी विकास घटक का अधिक व्यापक आधार पर अध्ययन शुरू किया है, जिसमें राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों को भी गंगा नदी तथा इसकी पूर्वी सहायक नदियों से अधिशेष जल के व्यपवर्तन की परिकल्पना की गयी है। उनकी रिपोर्ट आठवीं योजना के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

केरल को "सुफला कम्पलैक्स" उर्वरकों की आपूर्ति

[अनुवाद]

*414. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित "सुफला कम्पलैक्स" उर्वरकों की केरल को आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित "सुफला कम्पलेक्स" में दो ग्रेड अर्थात् 20:20:0 और 15:15:15 होते हैं। केरल सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य को सुफला कम्पलेक्स 15:15:15 का आबंटन किए जाने के लिए नहीं कहा है। जहां तक सुफला कम्पलेक्स 20:20:0 का सम्बन्ध है, चूंकि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०) कोचीन भी 20:20:0 का उत्पादन करता है एवं इसे केरल के लिए आबंटन प्रदान किया गया है, अतः केरल में आर० सी० एफ० के सुफला कम्पलेक्स 20:20:0 का आबंटन करने से परिवहन सम्बन्धी अनावश्यक भार पड़ेगा।

बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में कोयले की कमी

*415. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र कोकिंग कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इस्पात का उत्पादन बहुत कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कोकिंग कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों सहित "सेल" के सभी इस्पात संयंत्र स्वदेशी कोयले की कमी और उसके परिणामस्वरूप प्रचालन सम्बन्धी अड़चनों का सामना कर रहे हैं।

(ख) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में कमी का कारण अपर्याप्त उत्पादन और इस्पात संयंत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कोयला कम्पनियों द्वारा सप्लाई करने में असक्षमता है।

(ग) जी, नहीं। स्वदेशी कोककर कोयले की उपलब्धता की कमी को "सेल" द्वारा आयातित कोयले का अधिक प्रयोग करके और भण्डारों से निकालकर पूरा किया जा रहा है।

(घ) सरकारी स्तर पर कोककर कोयले की उपलब्धता का नियमित और व्यापक प्रबोधन किया जा रहा है और इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा रेलवे के साथ बराबर सम्बन्ध बनाए रखे जाते हैं। कोककर कोयले की अपेक्षित शेष मात्रा का आयात भी किया जा रहा है।

गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

*416. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की खपत में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना शुरू की है ताकि वे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने के अनुसंधान और विकास के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है और इन राज्यों ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) चीनी फैक्टरियों को चीनी विकास कोष से विकास और अनुसंधान दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। उपलब्ध विकास सहायता में किसानों को उन्नत किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, सिंचाई की योजनायें, नर्सरियां, कृमि नियंत्रण उपाय और ताप-उपचार संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक गन्ना अनुकूली अनुसंधान परियोजना भी लागू की जा रही है जिसके तहत गन्ना उगाने वालों में उन्नत बीज सामग्री तथा कृषि पद्धतियां लोकप्रिय बनाई जाती हैं।

(ग) गन्ना अनुसंधान और विकास के लिए राज्यों को आबंटित धन का ब्यौरा और 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान वितरित रकम का विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य		गन्ना विकास (चीनी विकास कोष के तहत ऋण)				गन्ना अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यों को दिया गया धन और उनके द्वारा खर्च की गई रकम	
		1989-90		1990-91		1989-90	1990-91
		स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित		
1.	आंध्र प्रदेश	536.99	759.87	—	418.98	5.44162	3.7942
2.	असम	—	20.79	—	26.99	0.1024	—
3.	बिहार	198.64	105.20	102.12	33.34	2.046	7.1314
4.	गुजरात	130.48	82.49	—	25.08	—	
5.	हरियाणा	334.62	526.49	—	104.51	1.093	4.3427
6.	कर्नाटक	1273.14	314.61	—	—	0.8115	2.4683
7.	केरल	—	—	—	—	0.71	2.624
8.	मध्य प्रदेश	362.77	94.22	—	90.74	2.2395	6.64679
9.	महाराष्ट्र	2365.80	1447.94	615.68	1011.065	3.955	13.1113
10.	उड़ीसा	—	—	—	—	0.86025	2.2694
11.	पंजाब	692.08	399.57	—	424.27	4.518	7.759
12.	तमिलनाडु	612.62	1212.83	—	650.41	187.339	192.0115
13.	उत्तर प्रदेश	1886.86	1503.32	1936.87	1794.34	210.957	215.7783
14.	पांडिचेरी	85.54	—	—	40.13	—	—
	कुल	8479.54	6467.33	2654.67	4619.865	420.07327	457.93689

उल्फा आतंकवादियों को बंगलादेश और बर्मा में प्रशिक्षण

[अनुवाद]

*417. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री जनार्दन मिश्र : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उल्फा और एन०सी०सी० एन० आतंकवादियों को बंगलादेश और बर्मा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मामला बंगलादेश और बर्मा की सरकारों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) सरकार को इस आशय की खबरों की जानकारी है जिनमें उल्फा और अन्य उग्रवादियों को बंगलादेश और म्यानमार में प्रशिक्षण दिए जाने का उल्लेख है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बंगलादेश की सरकार ने स्पष्ट शब्दों में इस बात से इन्कार किया है कि उल्फा और अन्य उग्रवादियों को बंगलादेश में प्रशिक्षण या अन्य प्रकार की सहायता दी जा रही है । म्यानमार की सरकार ने हमें बताया है कि वे भारत में घुसपैठ करने वालों को प्रशिक्षण नहीं दे रही है । फिर भी, भारत सरकार बंगलादेश और म्यानमार की सरकारों के साथ इस मामले को उठाए हुए है ।

हज यात्रा

*418. **श्री पी०एस० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हज के लिए जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए आवास आरक्षित करने हेतु सऊदी अरब के साथ कोई विशेष प्रबन्ध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय हज यात्रियों की संभावित संख्या कितनी है; और

(घ) भारतीय तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली अन्य समस्याओं को हल करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) और (ख) जी, हां । 1991 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब में रहने की जगह आरक्षित कराने के प्रबन्ध हज समिति कर रही है । किराए की संविदाओं पर बातचीत करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जनवरी के शुरू में सऊदी अरब आया । इसके बाद विभिन्न हज समितियों के प्रतिनिधियों का एक "इमारत चयन दल" वहां जाएगा; यह दल मक्का और मदीना में हमारे हज-यात्रियों के लिए आवास स्थानों का चयन करेगा ।

(ग) उम्मीद है कि 1992 में हज समिति के प्रबन्धों के अन्तर्गत लगभग 24,000 भारतीय हज यात्री जाएंगे ।

(घ) रहने की जगह के अलावा, परिवहन और रास्ते में ठहरने का प्रबन्ध, चिकित्सा प्रबन्ध और हज स्वयंसेवकों का इन्तजार करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त हज यात्रियों को पेश आने वाली अन्य कठिनाइयों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—वृद्ध और अशक्त लोगों का विशेष ध्यान, खासतौर पर उन्हें ठहरने की जगह के बारे में, यात्रियों के जद्दाह पहुंचने पर उनकी आप्रवासन औपचारिकताओं के सम्बन्ध में उनकी अगवानी सहायता तथा उनके सामान की रक्षा और उसके बाद यात्रा के दौरान रक्षा शामिल है, को सुलझाने के लिए एक विशेष मानीटरिंग व्यवस्था की गई है। ताकि यदि किसी हज यात्री को कोई समस्या हो तो उसका तुरन्त निदान किया जा सके।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को सुरक्षा पुरस्कार

*419. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को 1990 के दौरान सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए "सुरक्षा पुरस्कार" दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का अन्य इस्पात संयंत्रों को उसी स्तर के सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है- और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष देव मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990 के दौरान इस्पात उद्योग में सर्वोत्तम सुरक्षा निष्पादन के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण स्थायी समिति द्वारा विशाखापटनम इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र को संयुक्त रूप से "इस्पात मन्त्री ट्राफी" प्रदान की गई।

(ग) और (घ) इस्पात संयंत्र प्रबन्धन प्रचालन के दौरान सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देते हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू पर अधिक जागरूकता लाने की दृष्टि से 1977 से सुरक्षा पुरस्कार की योजना लागू है। विभिन्न इस्पात संयंत्रों ने भी गत समय में सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत समय में "सेल के सुरक्षा पुरस्कार विजेताओं की सूची

क्रम सं०	सर्वोत्तम सुरक्षा निष्पाद के लिए इस्पात मन्त्री सुरक्षा शील्ड	वर्ष के दौरान कोई घातक दुर्घटना न होने पर "चेयरमैन सेल प्लैक"
1977	एलाय इस्पात संयंत्र	एलाय इस्पात संयंत्र
1978	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	एलाय इस्पात संयंत्र
1979	राउरकेला इस्पात संयंत्र	एलाय इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया आइरन एंड स्टील लिमिटेड

1	2	3
1980	राउरकेला इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र
1981	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र
1982	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड और सेलम इस्पात संयंत्र
1983	राउरकेला इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड
1984	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र
1985	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र, इंडियन आइरन एण्ड स्टील कंपनी लि०, सेलम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड
1986	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र एण्ड विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड
1987	भिलाई इस्पात संयंत्र	एलाय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड, इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड
1988	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० और राउरकेला इस्पात संयंत्र	सेलम इस्पात संयंत्र, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो-स्मेल्ट लि०, और विश्वेश्वरैया एण्ड स्टील लिमिटेड
1989	सेलम इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र	अलाय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड और इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
1990	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड

उड़ीसा में तेल और गैस की खोज

[हिन्दी]

*420 श्री मृत्युंजय नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों में तेल और गैस के भंडारों की खोज की जा रही है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कार्य के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विदेशी एवं भारतीय कंपनियों की सहायता से खोज कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार की प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उड़ीसा में कोई खोज नहीं कर रहा है । तथापि आइल इंडिया लिमिटेड के अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण कर रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तेल और गैस के अन्वेषण के लिये बोली के चौथे दौर में महानदी बेसिन के 5 ब्लाकों यथा 3 अपतटीय और 2 तटवर्ती ब्लाकों को आफर किया गया है ।

कुछ खनिजों को राज्यों के नियन्त्रण से मुक्त करना

*421. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खनिजों को राज्यों के नियन्त्रण से मुक्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन तीन खनिजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्यों के नियन्त्रण से मुक्त किया जाना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से राजस्थान के मामले में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) गौण खनिजों के लिये पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों और नवीकरण राज्य के गौण खनिज रियायत नियमों (माइनर मिनरल

रूल्स) द्वारा शासित होती हैं जबकि अन्य खनिजों (गौण खनिजों के अलावा)के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों का अनुदान व नवीकरण खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित होता है; दोनों प्रकार के नियमों का सृजन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किया गया है। इमारती पत्थर (मकानों आदि के निर्माण में स्थानीय रूप से प्रयुक्त पालिश रहित अनगढ़ पत्थरों को छोड़कर) गौण खनिज दायरे से निकालने के लिये खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन के बाद खनिज रियायत नियम ऐसे खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों के अनुदान और नवीकरण के बारे में लागू होंगे।

प्रस्तावित संसोधन पर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राय मांगी गयी है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राय तो मिल गई है, परन्तु कुछ अन्य राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से राय अभी नहीं मिली है। राजस्थान सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है और राजस्थान के मुख्य मन्त्री से भी इस आशय का पत्र मिला है। उनके पत्र में उठाये गये मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) से (छ) प्रस्तावित संशोधन पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रस्तावित संशोधन के बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राय को भलीभांति ध्यान में रखा जाएगा।

कोयला क्षेत्र से वैगनों में लदान

[अनुवाद]

*422. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में और वर्ष 1991-92 के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक कोयला क्षेत्र से प्रतिदिन औसतन, कितने वैगनों में कोयला लादा गया था;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कम वैगनों में कोयला लादा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने अधिक वैगनों में कोयला लादने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में वर्ष 1990-91 और अप्रैल-नवम्बर, 1991 (अनन्तिम) की अवधि के दौरान किए गए दैनिक औसत वैगन लदान के सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोयला कम्पनी का नाम	1990-91	(चार पहिया वैगन/प्रतिदिन) (अप्रैल नवम्बर, 1991)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1978	1901
भारत कोकिंग कोल लि०	2129	2317
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	2503	2570
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	1345	1301

1	2	3
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3791	4207
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1493	1500
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	90	101
कुल : कोल इंडिया लि०	13329	13897
सिंगरेनी कोलयरीज कंपनी लि०	1236	1201
कुल (को० इं०लि० + सि०को० कं०लि०)	14565	15098

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान दैनिक औसत लदान कार्य में समग्र रूप से सुधार हुआ है। रेलवे के साथ समन्वय करके, प्रेषक के दैनिक कार्य-निष्पादन पर गहन निगरानी रखकर रेल लदान में आगे सुधार किए जाने के सम्बन्ध में कदम उठाए जा रहे हैं।

आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र के खतरे वाले जोन

*423. **श्री चित्त बसु** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र के कितने स्थान धंस जाने की संभावना वाले हैं जिन्हें "खतरे वाला जोन" बताया गया है;

(ख) इससे प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक की घोषणा के आधार पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में 45 स्थानों को असुरक्षित क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और इन क्षेत्रों को केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्र की मास्टर प्लान में सूचीबद्ध किया गया है। इन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) हाल ही में रानीगंज क्षेत्र में कुछ धंसाव के मामलों की सूचना मिली है, जिससे कुछ आवासों को नुकसान पहुंचा है और लोग प्रभावित हुए हैं। धंसाव के कारण, जोकि दांडाडीह ग्राम में दिनांक 5 जुलाई, 1990 को हुआ, उससे 15 आवासों में दरारें पड़ गई। इन आवासों की ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के प्रबन्धन द्वारा मरम्मत कर दी गई है। अप्रैल, 1991 में केंडा क्षेत्र की बहुला कोलियरी में धंसाव होने के कारण 30 अस्थाई घरों को नुकसान पहुंचा। इस सम्बन्ध में प्रभावित हुए 54 व्यक्तियों में से 32 का पुनर्वास कर दिया गया है।

असुरक्षित क्षेत्रों पर बढ़ते हुए आवास कार्यों को रोके जाने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार ने 1979 में एक कानून पास किया था, जिसके अन्तगत ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण किए जाने पर रोक लगाई गई थी। इस सम्बन्ध में कानून बन जाने पर भी धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों पर बढ़ते हुए आवासों के कार्यों पर रोक नहीं लगाई जा सकी और लोगों के बसने में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का प्रबन्धन आवासों को गिरा सकता है और अपने कर्मचारियों को यदि स्थिति के

अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित कर सकता है। किन्तु, इसके बाहर के लोगों के सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रयासों के परिणाम वांछित नहीं आए हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा आवश्यकतानुसार धंसाव के कारण प्रभावित व्यक्तियों को स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र	स्थान
1.	बाराकर टाउन, पलासडगा गांव बेगुनिया टाउन	चूंच विक्टोरिया क्षेत्र, भा० को०को० लि०
2.	महाबीर कोलियरी, गोवल बस्ती को छोड़कर	कुनुस्टोरिया क्षेत्र, ई०को०लि० (महाबीर कोलियरी)
3.	फतेहपुर गांव और पोस्ट सी० आई० रोड	सीतारामपुर क्षेत्र, ई०को०लि० (धेमोमेन कोलियरी)
4.	जनकपुर गांव, कोंडा बाजार कुलटी फाउण्ड्री, कुलटी वर्कशाप	रामनगर कोलियरी (इस्को)
5.	कैंदा गांव	कैंदा क्षेत्र, ई०को०लि० (न्यू कैंदा कोलियरी)
6.	सौबपुर गांव	श्रीपुर क्षेत्र
7.	छोटधामा और पान-कियारी गांव	सीतलपुर कोलियरी, सोदेपुर क्षेत्र
8.	अलूथिया और अन्य गांव	पटमहाना कोलियरी, सीतारामपुर
9.	प्राइवेट हाउसिस नजदीक हिन्दुस्तान पिलिंगटोन ग्लास फैक्टरी	ऊषाग्राम, आसनसोल
10.	घूटदोबा/कालीपहाड़ी अण्डर रोड	कालीपहाड़ी कोलियरी, श्रीपुर क्षेत्र
11.	बोराचक, रघुनाथवती, ई० रेलवे, ईस्ट बाराबोनी लूप दो संथाल बस्तियां	रामजीवनपुर कोलियरी, सीताराम क्षेत्र
12.	महाबीर कोलियरी गोवाला बस्ती को छोड़कर	महाबीर कोलियरी, के०एन०टी० क्षेत्र
13.	रानीगंज टाउन	राजीगंज टाउन, के०एन०टी० क्षेत्र
14.	गोरपरी और रैकिट और कॉलमेन ब्लूय फैक्टरी	धापरा वेस्ट ब्लाक, श्रीपुर क्षेत्र

1	2	3
15.	जनकपुर गांव, केंदुआ बाजार कुलटी फाउण्ड्री, कुलटी टाउन	रामनगर कोलियरी (इस्को)
16.	केंदा गांव	न्यू केंदा कोलियरी, केंदा क्षेत्र
17.	कुलदंगा गांव	पारासिया कोलियरी, के०एन०टी० क्षेत्र
18.	संकतोड़िया गांव	सीतलपुर कोलियरी, सोदेपुर क्षेत्र
19.	संथाल बस्ती	बलबेद कोलियरी, के० एन० टी० क्षेत्र
20.	सोदेपुर कोलियरी	पोइडीह कोलियरी, सोदेपुर क्षेत्र
21.	मनोहरबहल	मनोहरबहल कोलियरी, सीतारामपुर क्षेत्र
22.	अलूधिया और अन्य गांव	पतमचना कोलियरी, सीतारामपुर क्षेत्र
23.	बहूला (मोतीबाजार)/काजोरा-हरीपुर डी० बी० रोड और बस्ती सहित	बहूला कोलियरी, कुन्दा क्षेत्र
24.	बलसुख सैरीमिक्स	सालनपुर क्षेत्र
25.	बाराकर टाउन, पलासडंगा गांव, बेगुनिया टाउन	चंच विक्टोरिया क्षेत्र (भा०को०को०लि०)
26.	बोराचक, रघुनाथ बस्ती, ई० रेलवे, ईस्ट बारोनोबी लूप, दो संथाल बस्ती	रामजीवनपुर कोलियरी, सीताराम-पुर क्षेत्र
27.	महाबीर कोलियरी गोवाला बस्ती को छोडकर	महाबीर कोलियरी, के०एन०टी० क्षेत्र
28.	रानीगंज टाउन	कुनुस्टोरिया
29.	चटरिसडंगा गांव	श्रीपुर कोलियरी, श्रीपुर क्षेत्र
30.	डांगर पट्टी	खास काजोरा कोलियरी, काजोरा
31.	सिकरपुकुर गांव	—वही—
32.	धसल गांव	कृष्णानगर कोलिनरी, केंदा
33.	फतेहपुर गांव और जी० टी० रोड का एक भाग	धेमोमेन कोलियरी, सीतारामपुर क्षेत्र

1	2	3
34.	हरीपुर गांव, रानीगंज सूरी रोड	हरीपुर कोलियरी, केंदा क्षेत्र
35.	हुरमाडंगा गांव	जमूरिया कोलियरी, श्रीपुर क्षेत्र
36.	जमूरिया बाजार	—वही—
37.	जनकपुर गांव, केंदुआ बाजार, कुलटी फाउण्ड्री, कुलटी टाउन	रामनगर कोलियरी (इस्को)
38.	केंदा गांव	न्यू केंदा कोलियरी, केंदा क्षेत्र
39.	कौरडीह गांव	कौरडीह कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र
40.	पलसबोन गांव	घनश्याम कोलियरी, काजोरा
41.	संकतोड़िया गांव	सीतलपुर कोलियरी, सोदेपुर क्षेत्र
42.	संथाल बस्ती	बेलबेद कोलियरी, के० एन० टी० क्षेत्र
43.	सीबपुर गांव	श्रीपुर क्षेत्र
44.	सोदेपुर गांव	पोइडीह कोलियरी, सोदेपुर क्षेत्र
45.	बस्ती और ऊषाग्राम नार्थ आफ जी० टी० रोड, आसनसोल का एक भाग	न्यू घूसिक कोलियरी, श्रीपुर क्षेत्र

कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप

*424. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूरोपीय समुदाय" ने पाकिस्तान से कहा है कि वह कश्मीर में हस्तक्षेप करना बन्द कर दे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी हां। यूरोपीय समुदाय ने सीधे पाकिस्तान की सरकार से और सार्वजनिक रूप से भी पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वह कश्मीर में दखलन्दाजी बन्द करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

(ग) यूरोपीय समुदाय ने तथ्यों के प्रति जो समझबूझ दिखाई है उसका भारत सरकार स्वागत करती है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारे अन्दरूनी मामलों में इस तरह की तमाम दखलन्दाजी बन्द करने के लिए तुरन्त कारगर कार्यवाही करेगा।

वीजा-शुल्क में वृद्धि पर पुनर्विचार

*425. **डा० राजागोपालन श्रीधरन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में वीजा शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क की समीक्षा की गई है ।

(ख) विदेशी पर्यटकों के लिए संशोधित वीजा शुल्क 12 दिसम्बर से लागू किया गया है जो नीचे दिए अनुसार है :—

(i) एक माह के लिए वैध पर्यटक वीजा	125 रुपये
(ii) छह माह के लिए वैध पर्यटक वीजा	625 रुपये
(iii) एक वर्ष के लिए वैध पर्यटक वीजा	1300 रुपये
(iv) पांच वर्ष के लिए वैध पर्यटक वीजा	2600 रुपये

कृषि वस्तुओं के लिए एक समान मूल्य नीति

*426. **श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी** :

श्री रामकृष्ण कौंतालां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी राज्यों में कृषि वस्तुओं के लिए एक समान मूल्य नीति लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) सरकार सम्पूर्ण देश में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए समान समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और सार्वजनिक, सहकारी अभिकरणों इत्यादि के माध्यम से खरीददारी करती है । सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों के सम्बद्ध मन्त्रालयों आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए समान समर्थन मूल्य के बारे में निर्णय लेती है ।

रसोई गैस की डीलरशिप का आवंटन

*306. **प्रो० मलिनी भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल चयन बोर्ड द्वारा रसोई गैस की डीलरशिप के आबंटन के बारे में पूर्वी क्षेत्र से शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार के निर्देश के बावजूद, ठीक ढंग से कार्य कर रही सहकारी समितियों को ऐसी डीलरशिप के आबंटन के मामले में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि ऐसी डीलरशिप का आबंटन उचित रूप से हो ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के विरुद्ध कुछेक मामलों में कुछ व्यक्ति न्यायालय में चले गए। अन्य कुछ मामलों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(ख) और (ग) सहकारी समितियों के लिए अलग से कोई कोटा नहीं है। अन्य बातों के समान होने पर उन सहकारी समितियों को अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में वरीयता दी जाती है जो "खुली" श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करती हैं।

जहाज निर्माण सामग्री का आयात

[अनुवाद]

*431. **श्रीमती दीपिका चिखलिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जहाज निर्माण सामग्री और उपकरणों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इनके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जहाज निर्माण सामग्री और उपस्करों के आयात पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

1988-89	—	93.66 करोड़ रु०
1989-90	—	102.46 करोड़ रु०
1990 91	—	83.21 करोड़ रु०

(ख) जी, हां।

(ग) जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय की एक स्कीम ऐसे उद्यमियों को सहायता अनुदान प्रदान करने की है जो आयात की जाने वाली मदों का अपने ही देश में विकास करते हैं। इस प्रयोजन के लिए कुल विकास लागत के 70 प्रतिशत तक का सहायता अनुदान सुलभ कराया जाता है।

साधारण निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण

*432. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर सामान निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रीन-चैनल में जांच प्रक्रिया क्रमों को काफी कम कर दिया गया है। सीमाशुल्क अधिकारियों से कहा गया है कि वे यात्रियों की निकासी के समय उनसे शिष्टता का व्यवहार करें और इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्रवाई करें। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु अलग से सीमा शुल्क काऊंटर खोले गए हैं।

आंध्र प्रदेश और गुजरात में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण

*433. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**

श्री दत्तात्रेय बन्डारू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 1990 और 1991 के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश और गुजरात में कितनी-कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) इन संस्थाओं ने उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को वास्तव में कितनी धनराशि दी है; और

(ग) स्वीकृत ऋण की शेष धनराशि देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान कैलेण्डर वर्ष के आधार पर सूचना नहीं रखते हैं, इसलिए 1990 तथा 1991 के दौरान मंजूरियों तथा संवितरण की राशि बताना संभव नहीं है। फिर भी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय पर्यटन वित्त निगम, जोखिम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी निगम, भारतीय नौवहन ऋण तथा पूंजी निवेश निगम तथा भारतीय प्रौद्योगिकी विकास तथा सूचना कम्पनी लि० द्वारा वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च), 1990-91 (अप्रैल-मार्च) तथा अप्रैल से सितम्बर 1991 के दौरान गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए स्वीकृत तथा संवितरित सहायता नीचे दी गयी है :—

(करोड़ रुपये)

राज्य	1989-90 (अप्रैल-मार्च)		1990-91 (अप्रैल-मार्च		1991 (अप्रैल-सितम्बर)	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
गुजरात	1587.8	935.7	2557.8	1397.3	695.8	707.2
आंध्र प्रदेश	997.2	671.1	1569.1	965.3	354.2	518.4

(ग) संवितरण आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी और संस्थाओं द्वारा लगायी गयी विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत एककों से प्राप्त अनुरोधों और परियोजनाओं की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार एक अवधि के दौरान किए जाते हैं। अतः स्वीकृतियों तथा संवितरणों के बीच में समय का अन्तर है। तथापि, संस्थानों द्वारा शीघ्र संवितरण के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं ताकि स्वीकृतियों तथा संवितरणों के बीच समय अन्तर को कम किया जा सके।

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के एककों को हो रहा घाटा

*434. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न एककों में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एककों को कितना-कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान तथा अप्रैल 1991 से नवम्बर, 1991 की अवधि के दौरान ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के एककों में उत्पादन का मूल्य निम्नोक्त अनुसार था :—

एकक का नाम	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु० में)	
	1990-91	अप्रैल, 91 नवम्बर, 91
कानपुर वूलन मिल्स ब्रांच (लाल इमली), कानपुर, (उ० प्र०)	16.10	9.25
न्यू इगर्टन वूलन मिल्स ब्रांच (धारीवाल), पंजाब	14.19	7.02

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन एककों द्वारा उठाया गया घाटा निम्नोक्त अनुसार था :—

एकक का नाम	उठाया गया घाटा (करोड़ रु० में)	
	1990-91	अप्रैल, 91-नवम्बर, 91
कानपुर वूलन मिल्स ब्रांच (लालइमली), कानपुर, (उ०प्र०)	15.58	10.30
न्यू इगर्टन वूलन मिल्स ब्रांच (धारीवाल), पंजाब	6.65	4.42

गंभीर कार्यशील पूंजी सम्बन्धी कठिनाइयां, अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनें आवश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता, अधिक ब्याज भार उत्पादन की लागत आदि घाटे अधिक के मुख्य कारण रहे हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सरकार के हितों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है ।

पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता

*435. **श्रीमती विमल कुमारी भण्डारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि इस वित्तीय सहायता का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया जाये जिनके लिए वह दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश वित्तीय सहायता, चाहे वह ऋण के रूप में हो या अनुदान के रूप में, परियोजनाबद्ध होती है । ऐसी सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर अथवा दोनों पक्षों द्वारा लगातार मानीटरिंग के साथ परियोजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर वितरित की जाती है ।

जनता कपड़ा योजना को हथरघा क्षेत्र में लागू करना

*436. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों को, जो दयनीय स्थिति में हैं, कुछ राहत प्रदान करने के लिए जनता कपडा योजना में लुंगियों, तौलियों, नैपकिन आदि को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत लुंगियों के उत्पादन को पहले से ही अनुमति दी गई है । योजना के अन्तर्गत ऐसी सुविधा है जिसके अनुसार उत्पादन योग्य मदों के उत्पादन को अनुमति सरलता और सुलभता के साथ दी जा सके । केन्द्र सरकार जनता कपड़े के लक्षित उपभोक्ताओं की पसंद और राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति (एस० एल० आई० सी०) की सिफारिशों के आधार पर जनता कपड़े के उत्पादन में मंजूर की गई मदों की सूची की समय-समय पर समीक्षा करती है । यदि तौलिए और नैपकिन को इस योजना में शामिल करने हेतु संबंधि राज्य की एस० एल० आई० सी० से विशेष प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) जनता कपड़ा योजना में आरम्भ में 40 एस काऊंट तक की सूती साड़ियों धोतियो और लुंगियों के उत्पादन को ही मंजूरी दी गई थी लेकिन बाद में सूची में संशोधन करके 60 एस काऊंट तक की साड़ियों, धोतियों, लुंगियों, कमीज के कपड़े और लम्बे कपड़े के उत्पादन को भी मंजूरी दी गई । पर्वतीय क्षेत्रों और ऊनी उत्पादन वाले क्षेत्रों के बुनकरों की जोरदार मांग और इन बुनकरों को निरंतर

रोजगार देने के उद्देश्य से 1-4-1980 से ऊनी मदों जैसे शाडी कम्बल, शाडी शाल, ऊनी शाल लोई/पट्टू अथवा पुरुषों के शाल और लम्बे ऊनी कपड़े उत्पादन को भी मंजूरी दी गई है। इन मदों के अतिरिक्त इस योजना में क्षेत्रीय और उपभोक्तों की पसंद की मदें जैसे आदिवासी साड़ी, घाघरा, लुगड़ी, पछाड़ा, ओढ़नी, मेखला, ढखना, चौड़ीहट्टी, फेनाक आदि के उत्पादन को भी मंजूरी दी गई है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

[हिन्दी]

*437. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री राम शरण यादव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कच्चे पटसन का कितना उत्पादन हुआ और भारतीय पटसन निगम ने प्रत्येक राज्य से कितना-कितना पटसन खरीदा;

(ख) क्या इस वर्ष हुए कच्चे पटसन के कुल उत्पादन का केवल एक तिहाई भाग ही खरीदा गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के पटसन मौसम के दौरान कच्चे पटसन का अनुमानित उत्पादन तथा भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदी गई मात्रा के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(लाख गांठों में)

राज्य	उत्पादन	जे० सी० आई० तथा सहकारी समितियों द्वारा अधिप्राप्ति
असम	10.7	1.01
बिहार	10.0	0.72
मेघालय	0.6	0.02
उडीसा	4.3	0.08
उत्तर प्रदेश	1.0	—
त्रिपुरा	0.9	0.01
प० बंगाल	55.0	6.40
आंध्र प्रदेश	6.0	0.28
अन्य राज्य	1.5	—
समस्त भारत	90.0	8.52

(ख) जे० सी० आई० और सहकारी समितियों ने वर्ष 1990-91 के पटसन मौसम में कच्चे पटसन के कुल उत्पादन के लगभग दसवें हिस्से की खरीदारी की और उसने वर्ष 1991-92 के पटसन मौसम के दौरान 11-12-1991 तक 8.53 लाख क्विंटल कच्चे पटसन की खरीदारी की है।

(ग) वर्ष 1990-91 के पटसन मौसम के दौरान जे० सी० आई० को कीमत समर्थन प्रचालन शुरू करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों के स्तर से अधिक थीं। वर्ष 1991-92 के पटसन मौसम के दौरान जे० सी० आई० ने अपने सभी क्रय केन्द्रों को यह निवेश दिया है कि वे उनको पेश किए गए समस्त कच्चे पटसन को न्यूनतम समर्थन कीमतों पर खरीद लें। जे० सी० आई० पटसन मिलों से मांग-पत्र प्राप्त न होने पर कच्चे पटसन की वाणिज्यिक खरीदारियों नहीं बढ़ा सका है। तथापि, जे० सी० आई० अभी भी बाजार में बना हुआ है तथा कच्चे पटसन की निरन्तर खरीदारियां कर रहा है ताकि आपात बिक्रियों को रोका जा सके तथा पटसन कृषकों के हितों की रक्षा की जा सके।

पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए का मूल्य

[अनुवाद]

*438. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंड स्टर्लिंग की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में 3 जुलाई, 1991 से लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष नवम्बर में प्रथम सप्ताह में ब्रिटिश मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में अभूतपूर्व गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) पौंड स्टर्लिंग की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में 3 जुलाई, 1991 से गिरावट रही है। यद्यपि इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि रुपए की विनिमय दर मुख्य रूप से उन देशों की करेंसियों के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो भारत के प्रमुख व्यापारिक हिस्सेदार हैं अस्थिर विनिमय दरों की स्थिति में रुपए के मूल्य में उर्ध्वगामी या अधोगामी घटबढ़ जो इन करेंसियों के मूल्य में घटबढ़ पर निर्भर करती है, एक सामान्य घटना है। सरकार ने पहले से ही व्यापारिक, औद्योगिक और सरकारी क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों सहित विनिमय दर समायोजन, राजकोषीय अनुशासन की बहाल रखने तथा सख्त मौद्रिक नीति जैसे बृहत-आर्थिक स्थिरीकरण के अनेक उपाय पहले ही किए हैं। इन नीतियों से कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होने वृद्धि की प्रक्रिया को गतिशील बनाने और उससे उच्च स्तर के निर्यातों और समस्त वृद्धि के लिए एक ठोस आधार मिलने से रुपए में स्थिरता आएगी। विदेशी मुद्रा के भण्डारों के स्तरों की हाल ही की प्रवृत्तियों और मुद्रास्फीति की दर में गिरावट जो अगस्त में 16.7 प्रतिशत के उच्च शिखर से गिरकर 14 प्रतिशत से भी कम रह गयी है से यह पता चलता है कि इन नीतियों का समग्र प्रभाव अनुकूल ही रहा है। उभरती हुई आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण जरूरत पड़ने पर और आगे कदम उठाए जाएंगे।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

*439. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को विकसित करने की नई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में जलमार्गों को विकसित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य की कतिपय नई योजनाओं को मंजूरी दी है अथवा देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जलमार्गों को छोड़कर अन्य अन्तर्देशीय जलमार्गों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। तथापि, उन चुनिंदा जलमार्गों के विकास के लिए, जो राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं हैं केन्द्र सरकार, जलमार्ग की अनुमोदित लागत के 50% तक राज्यों को ऋण सहायता देती है। अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल की गई नई स्कीमों के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	स्कीमों का ब्यौरा	1991-92 की वार्षिक योजना में प्रावधान (करोड़ रु०)	लाभान्वित होने वाले राज्य
1	2	3	4
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की स्कीमें			
(i)	होवर क्राफ्ट की खरीद	3.00	पश्चिम बंगाल
(ii)	2 तेल टैंकरों की खरीद	4.00	पश्चिम बंगाल/असम
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्कीमें			
(iii)	राष्ट्रीय जलमार्ग-I (गंगा) पर हल्दिया और पटना के बीच टर्मिनल सुविधाएं	2.50	प० बंगाल/बिहार
(iv)	राष्ट्रीय जलमार्ग-I (गंगा) पर पटना और इलाहाबाद के बीच आधारभूत सुविधाएं	0.25	उत्तर प्रदेश/बिहार

1	2	3	4
(v)	राष्ट्रीय जलमार्ग-I (गंगा) पर पटना और कलकत्ता के बीच नौवहन सुविधाएं	2.00	बिहार/प० बंगाल
(vi)	ड्रैजर की खरीद	1.00	उत्तर प्रदेश/बिहार पश्चिम बंगाल/असम
(vii)	राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुर) पर रात्रि नौवहन सुविधाएं	0.30	असम
(viii)	राष्ट्रीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र) पर टर्मिनल सुविधाएं	0.70	असम
(ix)	सुन्दरबन में नदी की सफाई	0.10	पश्चिम बंगाल
(x)	पश्चिमी तटीय नहर का विकास	0.50	केरल
(xi)	अन्य जलमार्गों के लिए जलराशिक सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन, प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास इत्यादि	0.93	विभिन्न तटवर्ती राज्य
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें		
(xii)	मद्रास और काकीनाडा पत्तनों के बीच नहर में सुधार	2.20	तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश
(xiii)	केरल में जैट्टियों का आधुनिकीकरण	0.11	केरल
(xiv)	हुगली पर फैरी सेवाओं हेतु टर्मिनल सुविधाएं	0.25	पश्चिम बंगाल
	योग	15.84	

(ख) से (ङ) हुगली नदी पर फैरी सेवाओं के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत, 2.25 करोड़ रु० की लागत से 5 टर्मिनलों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह स्कीम 25 नवम्बर, 1991 को मंजूर हो चुकी है।

सोवियत संघ को निर्यात

*440. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में हाल की घटनाओं के पश्चात उसके साथ किये गये निर्यात करारों के स्थान पर नये करार वहां की सम्बन्धित प्राइवेट पार्टियों अथवा संघीय राज्यों के साथ करने होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कारण से सोवियत संघ के लिए करारगत निर्यातों में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी कमी होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सोवियत संघ में आर्थिक तथा वाणिज्यक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से ऐसा संकेत मिलता है कि धीरे-धीरे सोवियत संघ के गणराज्यों तथा उपक्रमों के साथ निर्यात एवं आयात सम्बन्धी करार सीधे ही किये जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में भविष्य में और गति आने की सम्भावना है।

(ग) वर्ष 1991 की व्यापार योजना में सोवियत संघ को 5040 करोड़ रु० के भारतीय निर्यातों की व्यवस्था है जबकि 1990 में 5300 करोड़ रु० का प्रावधान था। जनवरी-सितम्बर, 1991 के दौरान वास्तविक निर्यात 2849 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि 1990 की उसी अवधि के दौरान ये 4097 करोड़ रु० हुये थे।

कलकत्ता और हल्दिया गोदियों के कार्यकरण के बारे में विश्व बैंक दल की रिपोर्ट

[हिन्दी]

*441. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 6 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5929 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता और हल्दिया गोदियों के कार्यकरण के बारे में विश्व बैंक दल की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) विश्व बैंक के एक दल ने कलकत्ता और हल्दिया गोदियों सहित चुनिंदा भारतीय महापत्तनों का "पत्तन क्षेत्र आधुनिकीकरण अध्ययन" शुरू किया है। इस दल को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

*442. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** :

श्री चेतन पी०एस० चौहान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1991 में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपनी ग्राहक सेवाओं का सर्वेक्षण करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में अपनी मूल्यांकन रिपोर्टें दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अभी तक अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने जुलाई 1991 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किये थे कि ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिये सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाये गये कुछ उपायों के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक द्वारा सर्वेक्षण किया जाये। यह सर्वेक्षण बाहर की ख्याति प्राप्त एजेंसियों को सौंपा जाना था। एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कुछ पैरामीटरों का पता लगाया गया था और बैंकों को इनकी सूचना दी गई थी।

9 राज्यों के सम्बन्ध में सम्बद्ध संयोजक बैंकों से सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। इनका ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। जिन राज्यों/बैंकों से अभी भी रिपोर्टें प्राप्त होनी हैं उसका ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

क्र०सं०	राज्यों का नाम जिनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई	सर्वेक्षण कार्य सौंपे गए संयोजक बैंक का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्रा बैंक
2.	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
3.	हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक
4.	हिमाचल प्रदेश	यूको बैंक
5.	केरल	कैनरा बैंक
6.	मध्य प्रदेश	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
7.	महाराष्ट्र	बैंक आफ महाराष्ट्र
8.	पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक
9.	राजस्थान	बैंक आफ बड़ौदा

विवरण-2

क्र०स०	राज्यों का नाम जिससे सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है	संयोजक बैंक का नाम
1.	अरुणाचल प्रदे	भारतीय स्टेट बैंक
2.	असम	—तदैव—
3.	बिहार	बैंक आफ इंडिया

1	2	3
4.	गुजरात	देना बैंक
5.	कर्नाटक	सिंडिकेट बैंक
6.	जम्मू व कश्मीर	कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया
7.	मणिपुर	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
8.	मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक
9.	मिजोरम	—तदैव—
10.	नागालैंड	—तदैव—
11.	उड़ीसा	यूको बैंक
12.	सिक्किम	कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया
13.	तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज बैंक
14.	त्रिपुरा	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
15.	उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
16.	पश्चिमी बंगाल	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

*443. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाई की है;

(ग) कितने व्यक्तियों को साक्ष्यों के अभाव में अथवा सन्देह का लाभ देकर छोड़ दिया गया; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 1-1-91 से 30-11-91 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत 300 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरम्भ की गई और 95 व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबन्दी आदेश जारी किये गये ।

(ग) शून्य ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फांसी के मामले

*444. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को फांसी दी गई;

(ख) ऐसे कितने मामले लम्बित हैं, जिनमें फांसी देने का निर्णय पहले ही दिया जा चुका है; और

(ग) ऐसे मामलों में अपराधियों को फांसी दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी ऐसे सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से, जो इस विषय से सम्बन्धित हैं, मांगी गई है । उक्त जानकारी प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 की मरम्मत

*445. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 की हालत यातायात के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है । पिछली वर्षा ऋतु के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ खंड क्षतिग्रस्त हो गए थे । संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सामान्य रख-रखाव कार्य के एक भाग के रूप में इनकी मरम्मत की जा रही है ।

वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 295.00 लाख रु० की लागत के विकास कार्यों को और 179.00 लाख रु० की लागत के, बाढ़ से क्षतिग्रस्त/विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्यों को मंजूरी दी गई थी। यह 1991-92 की वार्षिक योजना में मंजूरी के लिये शामिल किये गये सुधार कार्यों के अतिरिक्त है जिसमें से 17 कि०मी० लम्बाई के लिए 278.00 लाख रु० की लागत के प्राक्कलनो को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है ।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के इकाई मूल्य में कमी

[हिन्दी]

*446. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से कुछ के इकाई मूल्य में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के मूल्य इस वर्ष कम हुए हैं और प्रत्येक मामले में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इन वस्तुओं के इकाई मूल्य में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1990 की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान जिन मदों के इकाई मूल्य में कमी आई है उनमें छोटी इलायची (16% की कमी), तम्बाकू उत्पाद (—9.1%), चीनी (—11.3%), एल्यूमिना (—17.3%), क्रोम अयस्क (—5.7%), नमक (—21.8%) आदि जैसे मूल उत्पाद हैं । टी० वी० सैट, टेलीफोन संयंत्र वीडिओ/आडियो कैसेट तथा टू-इन-वन जैसी कुछ विनिर्मित मदों की कीमतें भी लगभग 10-12% तक गिर गई हैं ।

(ग) चूंकि भारत अधिकांश मदों का प्रमुख निर्यातक नहीं है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिकांश मदों के कीमत निर्धारण में, जिनका निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है, सरकार का प्रभाव बहुत कम रहा है । तथापि, सरकार मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उच्च इकाई मूल्य प्राप्त किया जा सके । मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों, समुद्री उत्पाद इलैक्ट्रानिक्स, बल्क औषध तथा फार्मूलेशन एवं कतिपय उन्नत इंजीनियरी वस्तुओं की श्रेणियों जैसे कुछ उत्पादों का निर्यात 10 प्रतिशत अंक के अतिरिक्त एक्सिम स्क्रिप्स का हकदार है, इस प्रकार कुल एक्सिम स्क्रिप्स दर एफ०ओ०वी० मूल्य की 40 प्रतिशत हो जाती है । इन उपायों के शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम मिलने की सम्भावना है ।

कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन कपड़ा मिलें

*447. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन अलाभप्रद/बन्द पड़ी मिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) सरकार ने इन मिलों को लाभप्रद बनाने तथा इनके कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कानपुर स्थित कोई भी मिल इस समय बन्द नहीं है । यद्यपि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कानपुर में स्थित मिलों में घाटा हो रहा है लेकिन उनमें से किसी भी मिल को गैर अर्थक्षम मिल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार ने आधुनिकीकरण और श्रमिक सुव्यवस्थीकरण की प्रक्रिया से इन मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं ।

विकास परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

4526. **श्री वे० वोक्का राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए मुआवजे के रूप में बड़ी धनराशि देकर काफी बड़े भू-क्षेत्र का अधिग्रहण करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में उपयुक्त संशोधन करके मुआवजे की दरों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सम्बद्ध सूचना एकत्र की जा रही है ।

पड़ोसी देशों में करबी और मिजो जनसंख्या

4527. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश, बर्मा, थाईलैंड और चीन में करबी और मिजो लोग रहते हैं;

(ख) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है और कितने क्षेत्र में ये लोग रहते हैं; और

(ग) क्या उन देशों में उनको सिविल लोकतान्त्रिक और अन्य अधिकार प्राप्त है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के सीमावर्ती बर्मा क्षेत्र में ही मिजो लोग हैं, बंगलादेश, चीन और थाइलैण्ड में नहीं, सिवाय इक्का-दुक्का लोगों को इन लोगों की संख्या की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। म्यानमार में रहने वाले मिजो सदा से ही म्यानमार के राष्ट्रिक रहे हैं और उनके सामाजिक-राजनैतिक कल्याण का दायित्व म्यानमार की सरकार का है ।

मछुआरों को डीजल पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वापस अदायगी

4528. **श्री राम नाईक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसने वर्ष 1990-91 के दौरान मछुआरों को डीजल पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वापस अदायगी करने की योजना मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में मछुआरों को 31 अक्तूबर, 1991 तक वास्तविक रूप में कितनी राशि का वापस भुगतान किया गया;

(ग) उक्त वापस अदायगी में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का क्रमश: कितना-कितना अंश रहा ;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र से 30 जून, 1991 के पश्चात भी योजना जारी रखने का आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान (1-10-90 से) "20 मीटर से कम लम्बी मत्स्यन नौकाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एच० एस० डी० तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति" नामक योजना शत-

प्रतिशत केन्द्रीय शेयर से क्रियान्वित की गई थी। वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र तथा राज्य द्वारा 80:20 के आधार पर लागत शेयर की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह योजना 31 मार्च 1992 तक बढ़ा दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	समुद्रिक राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	31 अक्तूबर 1991 तक वास्तविक भुगतान की गई राशि (लाख रुपये)
1.	गुजरात	111.00
2.	महाराष्ट्र	50.83
3.	कर्नाटक	1.68
4.	गोवा	1.01
5.	तमिलनाडु	0.27
6.	केरल	4.62
7.	आंध्र प्रदेश	0.05
8.	उड़ीसा	5.51
9.	पश्चिम बंगाल	3.66
10.	पांडिचेरी	0.10
11.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.19
12.	लक्षद्वीप	0.81
13.	दमन और दीव	2.32

जलेसर में रसोई गैस का विपणन

[हिन्दी]

4529. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश के जलेसर चुनाव क्षेत्र में रसोई गैस के विपणन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और वहां रसोई गैस एजेंसी कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले (1981 की जनगणना के अनुसार) शहरों मे एल० पी० जी० की नई एजेंसियां चरणों में खोली जाती हैं ।

रेणुका और किशऊ बांध

[अनुवाद]

4530. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर रेणुका और किशऊ बांधों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **रेणुका बांध**—यह परियोजना जून, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां जुलाई, 81 से दिसम्बर, 1981 के बीच राज्य सरकार को भेजी गई थीं । केन्द्रीय जल आयोग में 4-11-91 को हुई हाल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुई थी ।

किशऊ बांध—

प्रारम्भ में यह परियोजना मई, 1978 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और उनकी टिप्पणियों के आधार पर संशोधित रिपोर्ट वर्ष 1988 में प्रस्तुत की गई । तथापि, चूंकि दिल्ली को जल आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मई, 1989 में केन्द्रीय जल आयोग में आयोजित हुई बैठक में परियोजना को संशोधित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ताकि जल आपूर्ति घटक को शामिल किया जा सके । अब तक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हिमाचल प्रदेश में विकलांगों को एल०पी०जी० एजेंसियों का आबंटन

4531. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों को रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल की फुटकर दुकानें आबंटित की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में ऐसी एजेंसियां आबंटित की गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) आज तक हिमाचल प्रदेश में तीन एल० पी० जी० एजेंसियां और चार पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन विकलांगों को किया गया है ।

अधिक सुरक्षित पारपत्र

4532. **प्रो० राम कापसे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाली पारपत्रों की आशंका को समाप्त करने के लिए हाल ही में अधिक सुरक्षित पारपत्र आरम्भ किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी प्रमुख बातों में कुछ अल्ट्रावायलेट का प्रयोग तथा ताप-सक्रिय अल्ट्रावायलेट फिल्म का प्रयोग शामिल है । ताकि फोटोग्राफ और व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहे ।

बिहार में रसोई गैस कनेक्शन

[हिन्दी]

4533. **श्री ललित उरांव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रांची, गुमला, लोहारडागा और डाल्टनगंज (पलामू) में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सूचना निम्नानुसार है :—

शहरों के नाम	प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या	
रांची	16080	लगभग
गुमला	1150	,,
लोहारडागा	1300	,,
डाल्टनगंज (पलामू)	1150	,,

(ख) अधिकतम आवेदकों को यथाशीघ्र एल० पी० जी० कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

कच्चे तेल का आयात

[अनुवाद]

4534. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश की सम्पूर्ण खपत की तुलना में देश में कितने प्रतिशत कच्चे तेल का आयात किया गया और इसके मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(ख) इस अवधि के दौरान डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा इन वर्षों के दौरान संसाधित कुल कच्चे तेल की मात्रा का क्रमश: 37.5 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थी।

औसत वर्ष 1989-90 और 1990-91 में आयातित कच्चे तेल का सी०आई०एफ० मूल्य गत वर्ष की तुलना में क्रमश: करीब 30.6 प्रतिशत और 40.9 प्रतिशत अधिक था।

(ख) डीजल और पेट्रोल (एम० एस० 87) का भंडारण पर मूल्य 1989-90 के दौरान क्रमश: 17.38 प्रतिशत और 16.25 प्रतिशत और वर्ष 1990-91 के दौरान 25 प्रतिशत तक बढ़ा।

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के प्रबन्धाधीन फार्मों को लाभ/हानि

4535. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के प्रबन्धाधीन फार्मों को कितना वार्षिक लाभ/हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा प्रबन्धित फार्मों के निवल लाभ/हानि से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :—

फार्म का नाम	1990-91 (अस्थायी)	1989-90	1988-90 (लाख रुपए) लाभ/हानि (+)(—)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	(+) 29.22	(+)95 85	(+)154.96
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़	(+) 10.80	(+)75.66	(+)109.32
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर	(—) 92.56	(—)62.10	(—) 48.17
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार	(+)132.39	(+)47.15	(+) 74.19
केन्द्रीय राज्य फार्म, लाडोवाल	(+) 9.23	(—) 2.00	(—) 6.08
केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच	(+) 17.19	(+)17.66	(+) 3.71
केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली	—) 9.95	(—)1 .66	(—) 13.46
केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिल-बारी	(+) 11.32	(+) 5.82	(+) 4.61
केन्द्रीय राज्य फार्म, बारपेटा	(—) 0.30	(—) 0.75	(—) 0.97
केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर	(+) 14.25	(—)19.36	(—) 61.34
केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम	(+) 0.93	(—)75.52	(—) 30.68
केन्द्रीय राज्य फार्म, कन्नानोर	(+) 7.36	(—) 0.45	(—) 42.58
केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	(—) 33.98	(—)27.62	(—) 20.01

दिहांग तथा सुबनसिरी बांध परियोजनाएं

4536. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई दिहांग तथा सुबनसिरी बांध परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो आपत्ति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) अरूणाचल प्रदेश द्वारा उनके सीमा क्षेत्र के जल-मग्नता के कारण व्यक्त की गई आपत्तियों की वजह से दिहांग तथा सुबनसिरी बांध परियोजनाओं के वास्ते विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण नहीं किए जा सके। जल संसाधन मन्त्रालय ने अरूणाचल प्रदेश सरकार से उनकी सहमति हेतु अनुरोध किया है लेकिन यह प्राप्त नहीं हुई है।

एच० सी० एल० में अनियमितताओं का आरोप

4537. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 नवम्बर, 1991 के नई दिल्ली से प्रकाशित फाइनेन्शियल एक्सप्रेस "करप्शन रैम्मैट इन एच० सी० एल० अलेज यूजर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और एच० सी० एल० के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उद्योगों और विशेषकर लघु इकाइयों को तांबा की आपूर्ति करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : जी, हां।

(ख) समाचार शीर्षक के अन्तर्गत बंधाई तार निर्माताओं ने हिन्दुस्तान कापर लि० के खिलाफ उसके दिल्ली कार्यालय में खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार के निम्नलिखित आरोप लगाए हैं :—

(i) अप्रैल, 1991 से ग्राहकों को पंजीकरण पत्रों, मासिक अर्पण पत्रों और लेखा विवरणियों के अग्रेषण पत्रों के हिसाब-किताब में तथा जुलाई, 1991 से गोदाम से उठाए गए तांबे के लिए ग्राहकों के बिलिंग में अनियमितताएं; तथा

(ii) तांबा आपूर्ति की सुसंगत नीति का अभाव।

हिन्दुस्तान कापर लि० पूर्णतः सरकार की वितरण नीति के अनुसरण में, ग्राहकों को तांबे की आपूर्ति करता है। कम्पनी के दिल्ली कार्यालय में मई, 1991 में कम्प्यूटर संचालन में रूकावट के कारण, कम्पनी की ओर से अपने ग्राहकों को मासिक आबंटन लेखा विवरणियां आदि के बारे में व्यक्तिगत सूचना देने में कुछ विलम्ब हुआ था; किन्तु विभिन्न प्रयोक्ता एसोसिएशनों को समय-समय पर वितरण नीति की जानकारी दी जाती रही और ग्राहकगण अपने-अपने आबंटन के अनुसार माल उठाते रहे। किसी भी ग्राहक को उसकी मासिक हकदारी से अधिक आबंटन किए जाने का कोई उदाहरण नहीं

है। दिल्ली क्षेत्र से तांबा माल उठाने की बिलिंग अब चालू कर दी है। इस प्रकार समाचार में लगाए गए आरोप तथ्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) नई व्यापार नीति के अन्तर्गत, जहां "एक्जिम" पर्चियों पर प्राथमिक तांबे के आयात की अनुमति है, वहां लघु यूनिटों को मुक्त विदेशी मुद्रा दायरे के अन्तर्गत पूरक लाइसेंसों पर आयात करने की अनुमति दी गई है।

कृषि विकास हेतु ईरान को सहायता

4518. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने अपने देश में कृषि विकास हेतु भारतीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई आपसी समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) ईरान कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग चाहता है जिसमें वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, ईरानी छात्रों तथा विशेषज्ञों को भारत में विभिन्न विषयों में उच्चतर शिक्षा की सुविधा, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं तथा प्रकाशन और अनुसंधान सामग्री का आदान-प्रदान शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में ईरान और भारत के बीच सहयोग के बारे में 11 नवम्बर, 1991 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

हल्दिया से बरौनी तक पाईपलाइन बिछाया जाना

4539. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया से बरौनी तक पाईपलाइन बिछाये जाने की परियोजना के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस परियोजना पर होने वाली लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में इंडियन आयल कारपोरेशन विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

उड़ीसा में पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की ऐजेन्सियों का आवंटन

[हिन्दी]

4540. **श्री नानी भट्टाचार्य** :

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को संसद सदस्यों से उड़ीसा के क्योंझर जिले के जगमोहनपुर ब्रह्मनीपाल और छोटेगांव नामक स्थानों में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेन्सियों के आवंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उड़ीसा सहित देश के विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और एल० पी० जी० एजेन्सियों को खोले जाने के सम्बन्ध से अभ्यावेदन नियमित तौर पर प्राप्त होते रहते हैं। विपणन सर्वेक्षण, आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता के आधार पर तेल कम्पनियां अपनी विपणन योजनाओं में ऐसे स्थानों को शामिल करती है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में बाढ़ एवं तूफान से प्रभावित लोगों को राहत

4541. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 5829 दिनांक 5 सितम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 के तूफान पीड़ित लोगों को बाढ़ एवं तूफान राहत के वितरण में की गई अनियमितताओं का पता लगाने के लिए की गई मजिस्ट्रेटी जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन द्वारा करवायी गयी मजिस्ट्रेटी जांच के परिणाम प्राप्त हो गए है। संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन गृह मंत्रालय के परामर्श से इन परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

सीमेंट उद्योगों को कोयले की आपूर्ति में कमी

4542. **श्री के० वी० तंग्कावालू** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सीमेंट निर्माता/कोयले लिग्नाइट की कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के त्रिचूर जिले में जयानकोंडम से पूरी मात्रा में लिग्नाइट निकालने हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) वहां सीमेंट उद्योगों को लिग्नाइट की पर्याप्त आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड : (क) से (ग) जी, हां। तमिलनाडु स्थित सीमेंट संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति किए जाने में कुछ कमी रही है। किन्तु सरकार ने इन सीमेंट संयंत्रों को वैकल्पिक स्रोतों से कोयले की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए हैं। तमिलनाडु स्थित कुछ सीमेंट संयंत्रों को बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों से रेल-सह-समुद्री मार्ग द्वारा संचलन कर कोयले का आवंटन किया जा रहा है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयले के संचलन को बढ़ाए जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (नै० लि० का०) ने नेयवेली से सीमेंट संयंत्रों को लगभग 4 लाख टन लिग्नाइट की आपूर्ति की

तथा अप्रैल से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान इन्हें लगभग 3.03 लाख टन लिग्नाइट की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है। वर्ष 1991-92 में सीमेंट उद्योग को 6.0 लाख टन लिग्नाइट की आपूर्ति किए जाने का कार्यक्रम है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु के त्रिची जिले में जया-कोंडम में उपलब्ध लिग्नाइट का तत्काल उत्खनन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खाद्यान्नों की जारी की गई नई किस्में

4543. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उड़ीसा के शुष्क क्षेत्रों में उगाये जाने हेतु खाद्यान्नों की अनेक किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा सहायता प्राप्त समन्वित फसल सुधार प्रायोजनाओं के जरिए उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किये गये अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप उड़ीसा की उपराऊं तथा मध्यम भूमियों के लिए उपयुक्त विभिन्न फसलों की निम्नलिखित उन्नत किस्में रिलीज की गई :

फसलें	किस्में/संकर
उपराऊं चावल	सुभद्रा, डी० आर० 83-1, पारिजात, सत्तारी
मंडुवा	पी० आर०-711, जे० एन० आर०-1008, नीलाचल, दिव्यसिंह
मूंग	के०-851, ज्योति, सुजाता
उड़द	टी०-9, यू० पी० यू०-1, सरस्वा
अरहर	मुक्ता, टी०-21, यू० पी० एस०-120
तिल	विनायक, कनक, कालिका
कुलथी	डी० एस० 1-2, डी० एस० 2-2, डी० एस० 2-1, यू० आर० एम०—13
लोबिया	सी०-170, सी०-120, एफ० एस०-68
मूंगफली	ए० के० 12-24, किसान, टी० जी०-9, फुले प्रगाटी (जे० एल०-24)
मक्का	ए० 51-54, जवाहर, विजय
रामतिल	फुलबनी स्थानीय, उटकमण्ड, नं० 5

(ग) भुवनेश्वर में उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केन्द्र, सन् 1970-71 से बारानी कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत, सहकारी केन्द्रों में से एक प्रमुख केन्द्र है। इस प्रायोजना का 75 प्रति ात सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रदान कर रही है। इसके लिए प्रायोजना के समन्वित सैल तथा केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। उड़ीसा सहित कृषि विभाग से फील्ड स्टाफ को केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान से सम्बद्ध प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में समय-समय पर उन्नत बारानी कृषि तथा जल-संभर प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारत सोवियत तेल प्रति-व्यापार सौदा

4544. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ का विचार भारत सोवियत तेल प्रति-व्यापार सौदे को दुर्लभ मुद्रा सौदे में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाज के कमजोर वर्गों को दूध की सप्लाई

4545. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों को दूध की सप्लाई करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य शामिल किए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और ग) प्रश्न नहीं उठते।

पैराफीन मोम का उत्पादन

4546. **श्री वी०डेवराजन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पैराफीन मोम का वार्षिक उत्पादन और मांग कितनी है;

(ख) क्या देश पैराफीन मोम के मामले में आत्मनिर्भर है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने पैराफीन मोम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के पैराफीन मोम का आयात किया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान पेराफिन वैक्स का उत्पादन और खपत क्रमशः करीब 49 टी० एम० टी० और 70 टी० एम० टी० था ।

पैराफिन वैक्स के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान 34.44 करोड़ रुपए की करीब 23 टी० एम० टी० पैराफिन वैक्स का आयात किया गया था ।

आनन्द मार्ग

4547. **श्री हन्नान मोल्लाह** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आनन्द मार्ग को एक सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त आवेदन-पत्रों से संबद्ध सचिवालय समिति ने आनन्द मार्ग यूनीवर्सल रिलीफ टीम (ए० एम० यू० आर० टी०) को, जो संयुक्त राज्य अमरीका में एक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के साथ सहबद्ध गैर-सरकारी संगठन के रूप में 28 जून, 1991 को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का ध्यान भारत और विदेश में आनन्द की गतिविधियों से सम्बद्ध तथ्यों की ओर आकर्षित किया है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय समिति के निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है ।

भारत और इराक के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध

[हिन्दी]

4548. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए खाड़ी युद्ध के कारण भारत और इराक के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्बन्धित संकल्पों के प्रति हमारी वचनबद्धता के कारण भारत और इराक के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में इस समय निष्क्रिय हैं ।

बटर और वनस्पति तेल की कमी

[अनुवाद]

4549. डा० **(श्रीमती) पद्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बटर और वनस्पति तेल की निरन्तर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों की कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दोनों उत्पादों की उत्पादकता में सुधार लाने वाली प्रमुख एजेंसियों को पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र में दूध की कम अधिप्राप्ति और तरल दूध को अधिक बिक्री के कारण अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान टेबल बटर के उत्पादन में लगभग 3470 मीटरी टन की कमी आई है। देशी स्रोतों से खाद्य तेलों की मांग और उपलब्धि के बीच का अन्तर अनुमानतः लगभग 7 लाख मीटरी टन है।

(ग) से (ङ) सरकार समझती है कि सम्बन्धित एजेंसियों का पुनर्गठन करने की कोई जरूरत नहीं है।

मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल का आवंटन

[हिन्दी]

4550. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनवरी, 1992 से मध्य प्रदेश को और अधिक मिट्टी का तेल देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उत्पाद की उपलब्धता होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववर्ती आधार पर किया जाता है। किसी भी राज्य के एस०के०ओ० आवंटन को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी-15 देशों में विकास परियोजनाएं

[अनुवाद]

4551. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** :

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-15 देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के लिए छः विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव भारत ने किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनमें से कोई योजना भारत में कार्यान्वित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) 27 से 29 नवम्बर, 1991 तक करोकस, वेनेजुएला में हुए जी-15 के दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के लिए 6 प्रस्ताव

अनुमोदित किये गये। ये परियोजनाएं है—(1) विकासशील देशों के बीच औषधीय और सुगन्धित पदार्थों तथा जड़ी-बूटियों के जीन बैंकों की स्थापना; (2) सौर ऊर्जा अनुप्रयोग; (3) दक्षिण निवेश व्यापार और प्रौद्योगिकी आंकड़ों के आदान-प्रदान का केन्द्र; (4) दक्षिण देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए बहु-पक्षीय भुगतान व्यवस्थाएं; (5) अप्रैल-मई, 1992 में विदेशी ऋण की समस्या पर चर्चा करने के लिये वित्तीय विशेषज्ञों की बैठक ताकि इस मुद्दे पर सामूहिक दृष्टिकोण तैयार किए जा सकें; और (6) आत्म-निर्भरता तथा जन-केन्द्रित विकास पर समुदाय-आधारित परियोजना।

(ग) से (च) विकासशील देशों में औषधीय और सुगन्धित पादपों तथा जड़ी-बूटियों के लिए जीन बैंकों की स्थापना तथा सौर-ऊर्जा अनुप्रयोगों से सम्बन्धित दो परियोजनाओं का प्रस्ताव भारत ने कुआलालम्पुर में जी-15 के प्रथम शिखर-सम्मेलन में रखा था जिन पर सिद्धांत रूप से सहमति हुई। भारत ने दोनों परियोजनाओं में और संशोधन करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए जी-15 के सदस्य देशों के विशेषज्ञ दल की 23-25 सितम्बर, 1991 तक नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। कराकस शिखर-सम्मेलन ने दोनों परियोजनाओं को अपना अनुमोदन देते हुए उन्हें क्रियान्वित करने का समर्थन किया। भारत इन दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

अपर ताप्ती परियोजना

[हिन्दी]

4552. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर ताप्ती परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसको कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) महाराष्ट्र की अपर ताप्ती परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 101.32 करोड़ रुपये है। मार्च, 1991 के अन्त तक 77.37 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। मुख्य बांध एवं मुख्य नहर के पहले 85 किलोमीटर और पहली 27 वितरणियों के अन्तर्गत वितरण प्रणाली का कार्य पूरा हो गया है। आठवीं योजना के दौरान इस परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम है।

अन्तर्राज्यीय करार और पर्यावरणिक एवं वन स्वीकृति के साथ मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती चरण-II की संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त पशु विकास परियोजना

[अनुवाद]

4553. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केरल में पशु विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केरल में कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल

4554. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने एमनेस्टी इन्टरनेशनल को भारत में सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सुझाव किसी अन्य देश ने दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) सरकार को कुछ विदेशी सरकारों से जिनमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" के बारे में इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं। "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" का एक सक्रिय भारत विषयक अध्याय है। सरकार भारत मानवाधिकारों की स्थिति के सम्बन्ध में एमनेस्टी इन्टरनेशनल के साथ बराबर सम्पर्क रखती है ।

केरल में मछली उतराई केन्द्र

4555. **श्री टी०जे० अंजलोज** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में और मछली उतराई केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार का थोट्टापल्ली, कट्टूर पोलाथयी और क्विलांडी में मछली उतारने वाले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

शीर्षक समाचार—"इंडियन ड्रग्स बैन्ड इन नेपाल"

4556. **डा० रवि मल्लू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इंडियन ड्रग्स बैन्ड इन नेपाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले के तथ्यों की जानकारी काठमांडु स्थित हमारे राजदूतावास से मंगाई जा रही है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विपणन अन्तराक्षेपण संचालन

4557. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल के मूल्यों को स्थिर करने के लिए संचालित विपणन अंतराक्षेपण संचालन से खाद्य तेल में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकने में कोई सफलता प्राप्त हुई; और

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के विपणन अंतराक्षेपण संचालन के फलस्वरूप मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) तेल वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड मूंगफली तेल के मूल्य को 30% कम करने में सफल रहा। अन्य खाद्य तेलों के लिए एक प्रमुख मूल्य निर्धारक होता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ऐसे कोई सांविधिक अधिकार नहीं हैं जिनके द्वारा वह खाद्य तेलों में अधिक लाभ कमाने और चोर-बाजारी को रोक सके।

उत्तरी बिहार में तेल और प्राकृतिक गैस

4558. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की तराई क्षेत्र से जुड़े उत्तरी बिहार के जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) मधुबनी जिले के दुल्लीपट्टी में और पूर्वी चम्पारन जिले के खगौल में की गई ड्रिलिंग के अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस ड्रिलिंग कार्य को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) यद्यपि उत्तरी बिहार में अन्वेषण कार्य प्रगति पर है फिर भी, अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) मधुबनी जिले में दुल्लापट्टी के समीप मधुबनी-1 कूप की खुदाई की गई थी। खगौल में कोई कूप नहीं खोदा गया है। तथापि पूर्वी चम्पारण जिले में रक्सौल-1 कूप की खुदाई की गई थी। इन कूओं में कोई हाइड्रोकार्बन नहीं मिला है।

(ङ) वर्तमान में पश्चिमी चम्पारण जिले में कदमा-1 कूप की खुदाई चल रही है। आगे की जाने वाली खुदाई इस कूप से प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगी।

आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग प्रयोजन हेतु अधिगृहित की गई भूमि के लिए भूस्वामियों को मुआवजा

4559. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में ड्रिलिंग प्रयोजन हेतु अधिगृहित की गयी भूमि के लिए भूस्वामियों को पूरे मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या प्रत्येक प्रभावित परिवार को रोजगार दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कब तक रोजगार दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वेधन की सीमित अवधि के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में जमीन पट्टे आधार पर अधिगृहीत किया जिसके लि : राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियत पट्टा भाड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भुगतान किया जाता है। जब जमीन को अस्थायी तौर पर पट्टे पर लिया जाता है तो प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने का दायित्व तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नहीं होता है ।

उड़ीसा में रबी कार्यक्रम

4560. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ के बाद की परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिये रबी कार्यक्रम के लिए कोई आकस्मिक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है अथवा जारी करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार का रबी कार्यक्रम हेतु उड़ीसा के लिए किसी आकस्मिक योजना प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, बाढ़ के बाद की स्थिति का लाभ उठाने के लिए उड़ीसा के राज्य कृषि विभाग द्वारा 1991-92 के रबी/ग्रीष्म मौसम के दौरान उत्पादन की निम्नांकित नीति तैयार की गई है जिस पर सितम्बर, 1991 में नई दिल्ली में हुए रबी अभियान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया एवं उसे अन्तिम रूप दिया था। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) बाढ़ का पानी कम होने के पश्चात् या वसत ऋतु की फसल की कटाई और धान की मध्यावधि जो भी स्थिति हो, के पश्चात उपलब्ध शेष नमी से मूंग, उड़द, दलहन जैसी दालों तथा मूंगफली, तिल और सरसों जैसे तिलहनों को गहन कवरेज के लिए प्राथमिकता दी जाए ।

(2) जहां भी लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई के स्रोत उपलब्ध हों वहां तिलहनों, मूंगफली और सरसों की फसलों के लिए सिंचाई उपलब्ध किए जाने को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। मुख्य परियोजनाओं से सिंचाई जल का उपयोग गेहूं तथा ग्रीष्म कालीन धान पैदा करने के लिए युक्तिसंगत रूप से किया जाना चाहिए।

(3) समय पर बुवाई, खरपतवार नाशी के प्रयोग तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने तथा पद्धतियों के उपयुक्त उपयोग के साथ पैदा करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक फसल उत्पादन हो सके; और

(4) आदानों का प्रबन्ध अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए।

उड़ीसा में रबी उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति कृषि मन्त्रालय द्वारा मोनिटर की जा रही है।

(घ) रबी उत्पादन कार्यक्रम के लिए आकस्मिक फसल योजना तैयार करने हेतु 1991-92 के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

कानपुर में गंगा बांध परियोजना

4561. **श्री केशरी लाल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के पास निर्माणाधीन गंगा बांध परियोजना का रूपांतरित प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर आने वाली अनुमानित लागत और अन्य ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकन अभिकरणों की सभी बकाया टिप्पणियों को शामिल करते हुए कानपुर में गंगा बराज पर आशोधित परियोजना रिपोर्ट तथा माडल अध्ययनों के निष्कर्ष केन्द्रीय जल आयोग में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। बराज से कानपुर शहर को जल आपूर्ति, विद्युत गृह के वास्ते ठंडे जल की आपूर्ति तथा कानपुर के घाटों के पास शुष्क मौसम में जल प्रवाह उपलब्ध होगा लेकिन आशोधित प्रस्ताव के प्रतिपादन के पश्चात ही इनके ब्यौरे तथा लागत का पता लग सकता है।

केरल के बेरोजगार मछुआरों को राहत

4562. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन मछुआरों को कोई राहत दी है, जो केरल के अलेपी जिले की नहरों और वेम्बन्द तालाब की मछलियों के "एपीजोआर्टिक अलसरेटिव सिंड्रोम" (ई०यू०एस०) नामक बीमारी के ग्रस्त होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सहायता के लिए उठाए गए या उठाए जाने जाने वाले कदम चूंकि लोग रोगमुक्त मछलियों को भी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वह संक्रामक रोग अभी भी फैला हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) "एपीजोआर्टिक अलसरेटिव सिंड्रोम" से प्रभावित मछुआरों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का अभी कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

जल के वैज्ञानिक विनियमन हेतु नमूना विधेयक

4563. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के वैज्ञानिक विनियमन हेतु राज्यों को एक नमूना विधेयक परिचालित किया गया है ताकि तत्सम्बन्धी उपयुक्त कानून बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने उस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या भूजल को प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भूजल नियन्त्रण और नियमन पर एक मसौदा माडल बिल उपयुक्त विधान बनाने हेतु वर्ष 1978 में राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। केवल गुजरात ने ऐसा विधान बनाया है लेकिन यह माडल बिल के अनुरूप नहीं है।

(ग) और (घ) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई है। इस स्कीम में दो राज्यों में प्रयोगात्मक अध्ययन करने तथा दो सघ शासित क्षेत्रों में प्रचालनात्मक पुनर्भरण अध्ययन करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में भूजल समाप्त होने का डर है, उनमें अपनी स्वयं की योजना में से कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन शुरू किए जाएं।

भूकम्प के कारण सम्पत्ति की क्षति उठाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण

[हिन्दी]

4564. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकम्प के कारण सम्पत्ति की क्षति उठाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आसान किश्तों में भुगतान करने वाले ब्याज-मुक्त ऋण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राहत व्यय के वित्त पोषण की मौजूदा योजना में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज-मुक्त अग्रिम उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज मुक्त प्राकृतिक आपदा अग्रिम जो 1000 रुपये से अधिक नहीं है और जो अधिक से अधिक 25 मासिक किस्तों में वसूल किया जा सके, कार्यालय के प्रमुख द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी से आवेदन प्राप्त होने पर मन्जूर किया जा सकता है जिसकी चल या अचल सम्पत्ति सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित घोषित किये गये क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हुई है।

ऊन का उत्पादन

[अनुवाद]

4565. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ के मांस के निर्यात तथा चरागाहों के कम होने के कारण राजस्थान और गुजरात के ऊन के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1991-92 में देश में ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) भेड़ के मांस के निर्यात से राजस्थान और गुजरात में ऊन का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। चरागाहों के कम होने से राजस्थान में ऊन का कुल उत्पादन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है।

(ख) राजस्थान में चारागाह भूमि के विकास के लिए राजस्थान सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है।

(ग) देश में ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्न लिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :—

(1) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में बड़े भेड़ प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता देना।

(2) कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में ऊन बोर्डों/निगमों/संघों के गठन/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता देना।

(3) केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से 800 उन्नत भेड़ें विभिन्न राज्यों को वितरित करने का प्रस्ताव है।

(4) विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लाभभोगियों को नर व मादा भेड़ों का संवितरण करने का प्रस्ताव है।

कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात

4566. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान कुद्रेमुख, कर्नाटक से कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान कुद्रेमुख से कुछ और देशों को लौह अयस्क का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के० आई०ओ०सी०एल०) ने लौह अयस्क सान्द्रण और आदान आक्साइड पैलेटों का क्रमशः 39.06 लाख टन और 18.36 लाख टन निर्यात किया। इनका जापान, बहरीन, चैकोस्लोवाकिया, ईरान, चीन, हंगरी, टर्की, आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, मिश्र, कटर को निर्यात किया गया और इसके अलावा ईस्सर स्टील (भारत) को इसकी सप्लाई की गई।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान के० आई० ओ० सी० एल० ने 40 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण और 22.5 लाख टन लौह अयस्क पैलेट्स के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। अन्यों में, चालू वर्ष के दौरान के० आई० ओ० सी० एल० ने ताइवान को 1.5 लाख टन पैलेट्स और मलेशिया को 0.6 लाख टन पैलेट्स सप्लाई करने के लिए समझौता किया है। के० आई० ओ० सी० एल० अपने उत्पादों के लिए नये बाजारों का पता लगाने के अपने प्रयास भी जारी रखे हैं।

दुधारू पशुओं की आबादी

[हिन्दी]

4567. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुधारू पशुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी आबादी देश में तेजी से घट रही है;

(ग) यदि हां, तो उनकी आबादी में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दुधारू गोपशुओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में दुधारू गोपशुओं* की राज्यवार संख्या

(हजार में)

	राज्य	गोपशु
1.	आंध्र प्रदेश	2738
2.	अरूणाचल प्रदेश	77
3.	असम	1962
4.	बिहार**	4067

1	2	3
5.	गोवा	26
6.	गुजरात	941
7.	हरियाणा	603
8.	हिमाचल प्रदेश ×	622
9.	जम्मू व कश्मीर	851
10.	कर्नाटक	3247
11.	केरल	1947
12.	मध्य प्रदेश	8548
13.	महाराष्ट्र	5164
14.	मणिपुर	154
15.	मेघालय	147
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	58
18.	उड़ीसा	3888
19.	पंजाब	1003
20.	राजस्थान	3986
21.	सिक्किम	45
22.	तमिलनाडु	2810
23.	त्रिपुरा	247
24.	उत्तर प्रदेश	6159
25.	पश्चिम बंगाल	4390

स्रोत :—नवीनतम पशुधन संगणना 1987

सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

* दुधारू गोपशु वे हैं जो दूध देते हैं और जिन्होंने "दूध देना बन्द" कर दिया है।

** 1987 में पशुधन संगणना नहीं की गई थी; दिये गये आंकड़े 1982 के लिए हैं।

× 1987 में पशुधन संगणना नहीं की गई थी; अनुमानित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रधान मन्त्री की फ्रांस यात्रा

[अनुवाद]

4568. **श्री रवि राय :**

श्री बी० एन० रेड्डी :

श्रीमती वासपा राजेश्वरी : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में फ्रांस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उस देश के नेताओं के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकारी शिष्टमण्डल ने भारत में फ्रांस द्वारा निवेश किये जाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में फ्रांस के शिष्टमण्डल से बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां। प्रधानमन्त्री ने 25-26 नवम्बर, 1991 को पेरिस की यात्रा की थी।

(ख) राष्ट्रपति मित्रों के साथ प्रधान मन्त्री की बातचीत में दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत किये जायें।

(ग) और (घ) 25 नवम्बर को प्रधान मन्त्री के साथ अपनी मुलाकात में फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सरकार की नई उदार आर्थिक नीतियों का स्वागत किया तथा भारत में अपना पूंजीनिवेश बढ़ाने में अपनी दिलचस्पी तथा तत्परता दिखाई।

पामोलीन का आयात

[हिन्दी]

4569. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने किस दर से पामोलीन का आयात किया था;

(ख) कितना पामोलीन आयात किया गया; इसे बाजार में किस थोक भाव पर बेचा गया और इसे उपभोक्ताओं को किस दर से उपलब्ध कराया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष बोर्ड ने कितना लाभ अर्जित किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) खाद्य तेल का आयात राज्य व्यापार निगम जो इस प्रयोजन हेतु कैनेलाईजिंग एजेंसी है, के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान पामोलीन का सीधे कोई आयात नहीं किया।

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई पामोलीन की मात्रा में से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को आबंटित पामोलीन की मात्रा और औसत थोक बिक्री दर, जिस पर उसे बेचा गया, का

वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)	औसत थोक दर (रुपए प्रतिमीटर टन)
1988-89	25,000	19,758
1989-90	80,000	25,173
1990-91	शून्य	23,845

(पुराना स्टाक बेचा गया)

पामोलीन की कुछ मात्रा 15 कि०ग्राम के टीनों में 437 रुपये प्रति टीन की दर पर सीधे सहकारी समितियों को बेचा गया।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मण्डी हस्तक्षेप कार्यों से सृजित अधिक राशि को 30 करोड़ रुपये तक एक मण्डी हस्तक्षेप निधि में जमा करना और शेष सरकारी खाते में जमा करना होता है। इसलिए, बोर्ड द्वारा लाभ कमाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई हानि होती है तो वह भी मण्डी हस्तक्षेप निधि में से और उसके बाद सरकार से लेनी होती है।

अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के डिपुटी सक्रेटरी आफ स्टेट की भारत यात्रा

4570. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के डिपुटी सेक्रेटरी आफ स्टेट ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा का ब्यौरा क्या है और भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) अमरीका के आंतरिक सुरक्षा मामलों के अण्डर सेक्रेट्री श्री रेगनाल्ड बार्थोलोमियो 21 से 23 नवम्बर 1991 तक भारत की यात्रा पर आये थे।

(ख) श्री बार्थोलोमियो की यह यात्रा भारत और अमरीका के बीच आपसी हित के मसलों पर, जिनमें इस क्षेत्र के सुरक्षा पर्यावरण का विषय भी शामिल है, होने वाले विचार विनिमय के ही सन्दर्भ में थी।

अफगानिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध

[अनुवाद]

4571. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने उस देश के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सदा से चले आ रहे पारम्परिक घनिष्ट सम्बन्ध मजबूत हों। हमारे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तर पर यात्राएं होती रही हैं और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में

सहयोग बढ़ाने के लिए करार सम्पन्न किए गए हैं। भारत अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता भी देता रहा है जिनमें अन्य के साथ-साथ शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए राहत सहायता, विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति तथा अफगान के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने अनुदान के आधार पर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की आपूर्ति भी की है।

महाराष्ट्र में चिमूर में कार्यशाला की स्थापना

[हिन्दी]

4572. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में स्थित सभी कोयला खानों में खनन कार्य वर्धा कोलफील्ड के नियन्त्रण में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को चन्द्रपुर जिले में स्थित चिमूर में एक कार्यशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में सभी कोयला क्षेत्रों में खनन कार्य का क्रियान्वयन वर्धा वेली कोयला क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में तादली में स्थित केन्द्रीय वर्कशाप चन्द्रपुर को चिमूर में स्थानांतरित किए जाने से सम्बन्धित एक सन्दर्भ माननीय सदस्य से प्राप्त हुआ है। बल्लारपुर, चन्द्रपुर और वाणी क्षेत्रों की कोयला खानों की आवश्यकताओं की दृष्टि से तदाली में वर्कशाप की स्थिति केन्द्रीय स्वरूप की है। भविष्य में भी इन क्षेत्रों में और परियोजनाएं आरम्भ होने वाली है। इसलिए वर्कशाप को तदाली से चिमूर स्थानांतरित किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

असम में बुरो धान उत्पादकों को सहायता

[अनुवाद]

4573. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज जिले के एक प्रमुख कृषि उत्पाद "बुरो पैडी" की प्रत्येक वर्ष बाढ़ से क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) करीमगंज जिले में जब भी अप्रैल-मई में जल्दी बाढ़ें आती है तो "बोरो धान" की फसल को क्षति पहुंचती है।

(ख) और (ग) 1990-91 के दौरान इस फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची। तथापि, 1991-92 के दौरान, बाढ़ों के कारण "बोरो धान" के अधीन लगभग 4655 हेक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ था। बाढ़ राहत के अन्तर्गत करीमगंज जिले के सभी प्रभावित किसानों को धान की अधिक उपज देने वाली किस्म के 12·2 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया जिसमें 7.63 लाख रुपये खर्च हुए।

एस्बेसटस और प्रे बैराइटोज के खनन में निजी क्षेत्र को शामिल करना

4574. **श्री ए० प्रताप साय** : क्या **खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्बेसटस और ग्रे वैराइटीज से सम्बन्धित खनन कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; (ख) उन जगहों के नाम जहां एस्बेसटस और वैराइटीज उपलब्ध होते हैं और इन जगहों में खनन कर रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का कार्य कैसा है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की उन रूग्ण इकाइयों के नाम जो इस खनन कार्य में लगी हैं और उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार निजी क्षेत्र को, इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का अधिग्रहण करने या संयुक्त रूप से चलाने का आमन्त्रण देने के लिए सोच रही है जो घाटे में चल रहे हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तटीय आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का उपयोग

4575. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र में इस प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है;

(घ) क्या गैस के प्रति मीट्रिक टन दाम को कम करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि और अधिक उद्योगों को अप्रयुक्त गैस को इस्तेमाल में लाने के लिए प्रेरित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 तक के० जी० बेसिन से अनुमानित 3.2 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) गैस का आबंटन निम्नलिखित को किया गया है :—

1.	डेल्टा पेपर मिल्स	0.028
2.	आंध्र शुगरस, टनुकू	0.016
3.	साउथरन मैगनीशियम	0.006
4.	साउथरन पैस्टीसाइडस	0.006
5.	कलेमन पोर्सीकलेम	0.003
6.	ए०पी०एस०ई०बी०, विजेश्वरम	0.4
7.	नागारजुन फर्टीलाइजर लि० काकीनाडा	1.3

8.	गोवथामी सालवैंट	0.005
9.	कोस्टल एग्रो इण्ड०	0.005
10.	एपी बगासी प्रोडक्ट्स	0.009
11.	एपी शुगरस	0.006
12.	किर्लोस्कर सर्विसस (केवल 24 माह के लिए)	0.018
13.	एल०पी०जी०	0.32
14.	एन०टी०पी०सी०, काकीनाडा	1.5
15.	ए०पी०एस०ई०बी०, जेगरुपुडू	1.5
16.	गणेश पेट्रोकैमिकल्स	0.34 (सिद्धान्त रूप से)
17.	न्यू फर्टिलाइजर प्लांट	0.50

उपर्युक्त में से क्रम सं० 1-7 पर उल्लिखित पार्टियों के साथ गैस आपूर्ति संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सुपारी में महाली रोग का प्रभाव

4576. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाली; सुपारी में लगने वाले रोग, के अप्रत्याशित आक्रमण से कर्नाटक बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का सुपारी में लगने वाले इस रोग के कारणों का पता लगाने के लिए कृषि विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां । कर्नाटक राज्य सरकार की सूचना के अनुसार फफूंद से होने वाले महाली रोग, जिसे "कोलरोग" भी कहा जाता है, के कारण कर्नाटक में विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले में सुपारी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इस रोग के फैलने का कारण इस वर्ष जून, जुलाई और अगस्त के दौरान असामान्य रूप से भारी और लगातार वर्षा का होना है । वर्षा की अवधि के दौरान नमी के वातावरण और धूप कम निकलने के कारण इस रोग के फैलने में तेजी आई ।

यह अनुमान है कि कुल 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस रोग का संक्रमण गम्भीर था, जो 30 से 50% के बीच था अतः इसके लिए पौध रक्षण उपायों की जरूरत पड़ी । सामान्यतया, गिरियों के

उत्पादन में लगभग 10% की कमी होगी क्योंकि लगभग सभी किसानों ने पौध रक्षण उपाय किए। जिन बागानों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है उनमें उत्पादन में 50% से भी अधिक की कमी हो सकती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस रोग के कारण और उपचार की सभी को जानकारी हैं। इसके अलावा, किसान केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश किए गए पौध रक्षण उपाय पहले ही अपना रहे हैं।

इण्डियन वेटेरीनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इज्जतनगर की धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

4577. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बरेली में इज्जतनगर स्थित इंडियन वेटेरीनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट को कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) क्या इस संस्थान ने सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० सेंका) : (क) महोदय, पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भा० पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को दी गई राशि का आवंटन निम्न प्रकार है :

1988-89	रु० 11.35 करोड़
1989-90	रु० 14.16 करोड़
1990-91	रु० 15.00 करोड़

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए आवंटित की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(ग) 1990-91 के दौरान सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि कुछ मूल्यवान वैज्ञानिक उपस्कर उपलब्ध नहीं हो पाए।

रायचूर ताप बिजलीघर को कोयले की आपूर्ति

[अनुवाद]

4578. **श्री आस्कार फेरनान्डेस** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः माह में कर्नाटक की कोयले की कुल मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ख) क्या कर्नाटक को कोयले के पूरे कोटे की आपूर्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991-92 के लिए रायचूर तापीय विद्युत गृह की मांग का 2.88 मिलियन टन मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 1991-92 के प्रथम छः महीनों

के लिए यथा-आनुपातिक मांग 1.44 मि० टन होने का हिसाब लगाया गया है। इसकी तुलना में रायचूर तापीय विद्युत गृह को प्रथम छः महीनों में 0.962 मि० टन कोयले की आपूर्ति की गई है।

(ग) रायचूर तापीय विद्युत गृह को कोयले की कम आपूर्ति किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं --सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा कोयले का कम उत्पादन एवं प्रेषण किया जाना और इस कारण से उत्पन्न कोयले की कमी को पूरा करने में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की असमर्थता।

एल्यूमिनियम फैक्ट्री की स्थापना करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4579. **श्री रामदेव राम** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलामू पांडवा, रेनुकूट, गुमला तथा छीपाडोहा (उ० प्र०) में स्थित कुछ खानें बिरला औद्योगिक गृह को पट्टे पर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ग) क्या रेनुकूट, उत्तर प्रदेश स्थित बिरला समूह की अल्यूमीनियम फैक्टरी चन्द्रा खानों से कच्चा माल प्राप्त करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की सहायता से चन्द्रा में अल्युमीनियम फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों के कष्टों का निवारण

[अनुवाद]

4580. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली स्थित बोट क्लब लान में एक किसान रैली आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस रैली में की गई मुख्य मांगें क्या थीं; और

(ग) किसानों के कष्टों के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) रैली में की गई मुख्य मांगें अभी आयोजकों द्वारा सूचित नहीं की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गोदावरी डेल्टा का संरक्षण

4581. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में कई एकड़ कृषि भूमि हर वर्ष पानी में डूब जाती है जिससे किसानों को भारी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भूमि के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का दक्षिण भारत के चावल और नारियल की पैदावार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के क्षेत्र बाढ़ प्रवण हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रबन्ध कार्य करना शुरू कर दिया है और 552 किलोमीटर तटबन्ध का निर्माण तथा 12814 किलोमीटर जल निकास चैनलों का सुधार किया है, 40 नगरों को सुरक्षा प्रदान की है तथा 21 गांवों की भूमि ऊंची की है। इन उपायों से मार्च, 1990 तक कुल 13.9 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 10.09 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचा है।

(ग) और (घ) चावल और नारियल के उत्पादन में सुधार लाने के लिए दक्षिणी राज्यों में नई योजनाएं चलाने का निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि इनके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए दक्षिणी राज्यों में चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम तथा नारियल विकास बोर्ड पहले से ही विद्यमान हैं।

उदयपुर स्थित हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर में उत्पादन

4582. **श्री राम नारायण बैरवा :**

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उदयपुर में "हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर" ने जस्तों तथा अन्य धातु उत्पादों का वर्षवार कितना उत्पादन किया;

(ख) क्या इस वर्ष का उत्पादन गत वर्षों की तुलना में संतोषजनक रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापट्नम के विकास की प्रस्तावित योजना क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का गत तीन वर्षों का जस्ता आदि धातुओं का उत्पादन विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हिंदुस्तान जिंक लि० का विशाखापत्तनम में 22,000 टन सीसा और 30,000 टन जस्ता की वार्षिक क्षमता का एक स्मेल्टर है। अधिक धातु निकासी और बेहतर पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन 1992-93 में किया जाएगा।

विवरण

हिन्दुस्तान जिंक लि० का गत तीन वर्षों व 1991-92 (नवम्बर, 1991 तक) का जस्ता आदि धातुओं का उत्पादन

(टनों में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 नवम्बर, 91 तक
जस्ता	58,614	65,013	72,362	47,613
सीसा	18,594	23,010	24,919	17,475
उपोत्पाद धातुएं				
कैडमियम	230.514	261.11	259.320	157.566
चांदी	37.748	33.479	31.589	19.639

"नार पार" नदियों के जल प्रवाह को मोड़ना

[हिन्दी]

4583. **श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में "नार पार" नदियों के जल प्रवाह का पूर्व की ओर मोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में नार और पार नदियों के जल को पूर्व की ओर मोड़ने हेतु केन्द्र में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क के एक भाग के रूप में, नार और पार नदियों के जल को उत्तर की ओर मोड़ने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गयी प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों को टिप्पणियों हेतु भेजी गई थी। उनकी टिप्पणियां/सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश के विद्युत घरों और उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

[अनुवाद]

4584. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मार्ग और सड़क द्वारा मध्य प्रदेश के कोयला खानों से राज्य में स्थित उद्योगों और विद्युत केन्द्रों को 1991 (आज तक) के दौरान कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश से बाहर के कौन-कौन से कोयला खानों से कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या उच्च प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले कोयले की कालाबाजारी के किसी मामले का पता चला है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) मध्य प्रदेश के कोयला उपभोक्ता, मध्य प्रदेश और प्रदेश से बाहर की खानों से रेल, सड़क और अन्य माध्यमों से कोयले की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। अप्रैल से अक्तूबर, 1991 तक मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों द्वारा 12.01 मिलियन टन कोयला प्राप्त किया गया और इसी अवधि में मध्य प्रदेश के सीमेंट संयंत्रों द्वारा 1.292 मि० टन कोयले की आपूर्ति प्राप्त की गई। कैलेन्डर वर्ष, 1991 के लिए रेलवे ने मध्य प्रदेश के औद्योगिक उपभोक्ताओं को, लघु उद्योगों को छोड़कर, कोयले का संचलन करने के लिए राज्य प्राथमिकता के अन्तर्गत प्रति माह 132 बाक्स वैगन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। जनवरी से जुलाई, 1991 तक 92.7 बाक्स वैगन की यथा अनुपात अधिकतम सीमा की तुलना में रेलवे ने 8,953 बाक्स वैगनों के संचलन की स्वीकृति दी है। राज्य के अन्दर तथा बाहर की गई कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, वे० को० लि० तथा सा० ई० को० लि० की मध्य प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश से बाहर भी कोयले की खानें हैं। इन खानों से मध्य प्रदेश के अन्दर तथा मध्य प्रदेश से बाहर के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जाती है।

(ग) और (घ) कोयले की कालाबाजारी किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी विशिष्ट शिकायत जब भी कोयला कम्पनियों की नोटिस में लाई जाती है तब उस पर कोयला कम्पनियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

भारतीय दूतावासों में वाणिज्य सम्बन्धों की स्थापना

4585. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों में शक्तिशाली वाणिज्य स्कंधों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के पास भारतीय निर्माण कम्पनियों के कुछ आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कुछ चुने हुए देशों में स्थित भारतीयों मिशनों में अलग-अलग आर्थिक और वाणिज्यिक प्रखण्ड हैं तथापि आर्थिक नीतियों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के बाद सरकार ने अपने सभी मिशनों को आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का परिव्यय

4586. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई क्षेत्र में प्रस्तावित परिव्यय वर्षवार कितना-कितना था ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्यारण शुक्ल) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय निम्नवत् है—

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1988-89	454.70
1989-90	464.20
1990-91	426.40

कृषि सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए न्यायालयों की स्थापना

[हिन्दी]

4587. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री बलराज पासी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अपरिष्कृत तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

[अनुवाद]

4588 **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में अपरिष्कृत तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमान है;

(ख) इसके लिए अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को तेल के घरेलू उत्पादन में कमी होने का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरा तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए फिलहाल, 20.3 एम० एम० टी० क्रूड तेल और 9.264 एम० एम० टी० पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को अनुमोदित किया है। अपेक्षित विदेशी मुद्रा वर्तमान वर्ष के शेष भाग के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) 1 मिलियन टन एन० जी० एल० सहित 35.06 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान है। विभिन्न कारणों से इसके पूरा होने की संभावना नहीं है।

(ङ) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पांच प्रमुख तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं यथा—पश्चिमी अपतट में नीलम, मुक्ता और पन्ना क्षेत्र और बम्बई हाई क्षेत्र में एल-II और एल-III रिजर्वायरों के अतिरिक्त विकास सम्बन्धी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

कोंकण तटीय क्षेत्र में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना

4589. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोंकण तटीय क्षेत्र में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं बनाई है तथा कार्यान्वित की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : केन्द्र सरकार ने निर्यात हेतु झींगा पालन में वृद्धि करने के लिए कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में खारे पानी में मछली पालने के लिए तीन मछली पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की हैं। महाराष्ट्र में मछली उतारने के 29 केन्द्रों के अलावा रत्नागिरी में एक लघु मात्स्यिकी बन्दरगाह चालू किया है। मछली उतारने के दो केन्द्रों का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें एक सिन्धु दुर्ग जिले में सारंगेकोटे में और एक रायगढ़ जिले में अगराओं में बनाया जाएगा।

कोल इण्डिया लि० द्वारा धुएं रहित कोयले का उत्पादन

4590. **श्री मोहन सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के रांची तकनीकी कक्ष ने धुंआ प्रदूषण अत्यधिक श्रम तथा प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को दूर करने, आपदा कम करने के लिए धुंए वाले कोयले का किफायती विकल्प अर्थात् विशेष धुआंरहित ईंधन विकसित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष धुआंरहित ईंधन के उक एककों की संख्या क्या है जिन्हें शुरू किया जा चुका है और अन्य विशेष धुआं रहित ईंधन एककों का ब्यौरा क्या है जो निर्माण/कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं;

(ग) 50/100 टी० डी० पी० क्षमता वाले इन एककों की परियोजना लागत क्या है; और

(घ) उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोल इण्डिया लि० द्वारा इन एककों को दी जाने वाली सुविधाओं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) 12 विशेष धुंआ रहित ईंधन (एस० एस० एफ०) यूनिटें पहले से ही कार्यचालन में हैं। ऐसी यूनिटों के ब्यौरे के साथ-साथ उनके स्थान के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

यूनिट का नाम	स्थान
1. मा चिनमस्तिक कोक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	हजारी बाग, बिहार
2. एस० जे० कोक इंडस्ट्री	हजारी बाग, बिहार
3. सुपर कोक इंडस्ट्री	हजारी बाग, बिहार
4. पुष्पांजली कोल एण्ड कोक प्रा० लि०	औरंगाबाद, बिहार
5. श्री मारुती (एस० एस० एफ०) इंडस्ट्री लि०	धनबाद, बिहार
6. स्वास्तिका स्मोकलैस कोक प्रा० लि०	औरंगाबाद, बिहार
7. बैद्यनाथ कैमिकल्स एण्ड कार्बोनाइजेशन कं०, प्रा० लि०	पालमऊ, बिहार
8. जय दुर्गा इंडस्ट्रीज, रामनगर इंडस्ट्री एरिया	वाराणसी, उ० प्र०
9. श्रीराम फ्यूल प्रा० लि०, रामनगर इंडस्ट्री एरिया	—वही—
10. ईस्टर्न फ्लेम प्रा० लि०	कानपुर, उ० प्र०
11. इंडो-यूनिक फ्यूल प्रा० लि०	नागपुर, महाराष्ट्र
12. देशलहरा कौक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	राजनन्दगांव, म० प्र०

उपर्युक्त कार्यचालन अधीन 12 यूनिटों के अलावा 7 और यूनिटें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) 50 टी० पी० डी० और 100 टी० पी० डी० की एस० एस० एफ० यूनिटों के अनुमानित लागत क्रमशः 60 लाख रु० तथा 85 लाख रु० है।

(घ) कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने, तकनीकी विशेषज्ञता देने तथा एस० एस० एफ० यूनिटों के संयंत्रों को कोयले का संयोजन प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है।

कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में किसानों के संगठन को प्रतिनिधित्व

[हिन्दी]

4591. **श्री बलराज पासी :**

श्री राजवीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि लागत तथा मूल्य आयोगों में किसानों के संगठन को प्रतिनिधित्व देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) वर्ष 1989 में पुनर्गठित, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की वर्तमान संरचना काफी सुविस्तृत है तथा उनमें किसानों के हितों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

बिहार में गैस पाइपलाइन बिछाना

4592. **श्री छेदी पासवान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार वहां प्राकृतिक गैस की सप्लाई हेतु पाइपलाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

4593. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट का रूख चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल अनाजों के उत्पादन का एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) वैसे, सरकार देश में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, संगठित प्रयास कर रही है । देश में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाये जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं--- समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम गेहूं, मक्का और कदन्न का कार्यान्वयन, स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, अच्छी क्वालिटी के बीजों के मिनिकिटो का वितरण उर्वरकों का अधिक और कुशल उपयोग, वर्षा सिंचित कृषि प्रौद्योगिकी के अपनाये जाने का प्रचार करना, सिंचाई का कुशल उपयोग, पर्याप्त पौध रक्षण उपाय, विपणन और मूल्य समर्थन आदि ।

विवरण

(लाख मीटरी टन में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
आंध्र प्रदेश	122.1	120.9	119.2
असम	25.8	29.0	33.9
बिहार	111.66	110.0	113.3
गुजरात	48.3	42.2	42.2
हरियाणा	88.3	82.2	90.4
हिमाचल प्रदेश	11.3	13.6	14.2
जम्मू व कश्मीर	12.8	12.8	12.8
कर्नाटक	63.6	65 6	57.7
केरल	10.1	10.8	10.9
मध्य प्रदेश	128.4	123.4	149.3
महाराष्ट्र	93.5	115.1	107.4
उड़ीसा	58.9	68.6	57.9
पंजाब	169.4	188.9	191.4
राजस्थान	90.3	73.8	92.3
तमिलनाडु	69.7	74.8	71.9
उत्तर प्रदेश	326.4	315.5	326.8
पश्चिम बंगाल	113.1	116.4	110.8
अन्य	17.1	18.2	19.3
अखिल भारत	1560.7	1581.8	1621.7

बावनथारी सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

4594. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बावनथारी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच निर्धारित नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक राज्यवार कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जनवरी, 1986 में यथासंशोधित समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् है :—

(i) बावनथारी परियोजना स्थल पर 16.8 हजार मिलियन घन फुट (टी० एम० सी०) की 75% विश्वसनीय प्राप्ति को अनुमोदित किया गया है।

(ii) मध्य प्रदेश द्वारा प्रयोग हेतु प्रतिप्रवाह आरक्षण 4 टी० एम० सी० रखा जाए।

(iii) शेष 12.8 टी० एम० सी० को बावनथारी परियोजना पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बराबर-बराबर बांटा जाना है।

(iv) मध्य प्रदेश 4 टी० एम० सी० के प्रतिप्रवाह प्रयोग से वापसी प्रवाहों के कारण बावनथारी परियोजना पर 8.4 टी० एम० सी० अतिरिक्त प्रयोग के लिए भी पात्र है।

(v) परियोजना के शीर्ष कार्य अर्थात् साइटकासा बांध तथा बायां तट नहर का निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा और दायां तट नहर का निर्माण महाराष्ट्र द्वारा किया जाना है।

(vi) साइटकासा बांध की लागत इन दोनों राज्यों के बीच बराबर बराबर बांटी जानी है जबकि नहरों की लागत सम्बन्धित राज्यों द्वारा वहन की जानी है।

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मार्च, 1991 के अन्त तक क्रमशः 11.85 करोड़ रुपए और 11.21 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

(ग) इसे पूरा करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तिलहनों का उत्पादन

4595. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे तिलहनों का पता लगाया गया है जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र को आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष महत्व देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में इस क्षेत्र में तिलहनों का राज्यवार कितना-कितना उत्पादन हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। तोरिया-सरसों सोयाबीन, मूंगफली और अलसी।

(ग) जी, हां।

(घ) तिलहन विकास की क्षमता वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बेहतर बीजों, पौध-रक्षण रसायनों/उपकरणों और अन्य आदानों की आपूर्ति करके क्षेत्र विस्तार और फसल वृद्धि योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ङ) तिलहन उत्पादन का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

(000 मीटरी टन में)

	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1.	असम	166.5	139.9	169.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.4	17.8	19.8
3.	मेघालय	4.9	5.4	5.4
4.	मणिपुर	1.8	1.2	1.3
5.	मिजोरम	2 0	2.7	6.5
6.	नागालैंड	6.6	10.9	14.7
7.	सिक्किम	12.8	15.1	14.4
8.	त्रिपुरा	6.8	10.2	10.3

कीटनाशकों पर राजसहायता देना बन्द करना

[हिन्दी]

4596. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों पर दी जा रही राजसहायता बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां ।

पाकिस्तान द्वारा चीन से अतिरिक्त लड़ाकू विमान प्राप्त करना

[अनुवाद]

4597. **श्री ए० के० पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वे तीन सौ टैंट भेंट देने का निर्णय किया है जिन्हें हाल के खाड़ी युद्ध के दौरान लौटती हुई इराकी सेना से अमरीका ने जब्त किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को सुदृढ़ बनाने के लिये चीन से चालीस अतिरिक्त एफ-7 लड़ाकू विमान लेने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, त इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारत की सुरक्षा के लिए सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय मिलीजुली सेनाओं ने सोवियत निर्मित टैंकों पर इराक में कब्जा किया है और उन्हें दम्माम, सऊदी अरब से जहाज द्वारा करांची, पाकिस्तान भेजा है । इस मामले में हमने पूछताछ की है लेकिन इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

(ख) सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान चीन से एफ-7 पी किस्म के 40 लड़ाकू विमान लेकर अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है। तथापि, इस संविदा पर हस्ताक्षर होने की कोई पुष्ट खबर नहीं है।

(ग) सरकार ऐसी बातों पर निरन्तर निगाह रखती है जिसका राष्ट्र की सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता हो और राष्ट्र के हितों की संरक्षा के उपाय करती है।

बिहार में आलू अनुसंधान केन्द्र

4598. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार का नालन्दा जिला देश का अत्यधिक महत्वपूर्ण आलू उत्पादक क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जिले के उन्नत किस्म के ज्यादा पैदावार देने वाले आलू के बीज के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, नालन्दा बिहार का एक महत्वपूर्ण आलू उगाने वाला जिला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में खनन पट्टे देना

4599. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के खनन न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान खनन पट्टे प्रदान किये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी में सामान ढोने वाले मजदूर

[हिन्दी]

4600. **श्री राम निहोर राय** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी में 1990-91 के दौरान माल ढोने का ठेका गैर-संविदा श्रमिकों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी का संविदा श्रमिकों से बिना कोई काम करवाए वेतन देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन श्रमिकों का भविष्य क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस एजेंसियां

[अनुवाद]

4601. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित की गयी रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वहां कोई एजेंसी नहीं है ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर 20,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले (1981 की जनगणना के अनुसार) शहरों में एल०पी०जी० की नयी एजेंसियां चरणों में खोली जाती हैं ।

आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग

4602. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस ड्रिलिंग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बोब्बरालंका एकक कार्य करने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक 96 अन्वेषण और दो पैरामिट्रिक कुएं खोदे गए हैं । 19 प्रास्पेक्टों को हाइड्रोकार्बन युक्त संरचनाओं के रूप में स्थापित किया गया है ।

(ग) बोब्बरालंका क्षेत्र में फिलहाल कोई एकक (बेधन रिग) तैनात नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मंडपम (तमिलनाडु) में केन्द्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान

4603. **डा० पी० राजेश्वरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में मंडपम स्थित केन्द्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान का और विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, आठवीं योजना में नियन्त्रित स्थितियों में समुद्री प्राणी संवर्धनालय, सी-बास कल्चर और समुद्री शैवाल उत्पादन के लिए धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए, मंडपम में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में मछुवारों की सुरक्षा

4604. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर रह रहे मछुवारो की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे कि वे मानसून मौसम के दौरान, जब समुद्र में अपनी मत्स्य नौकाओं को ले जाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भी अपना मछली पकड़ने का कार्य जारी रख सकें;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल में विजिन्जाम और नीनडकारा समुद्री तट पर किये गये उपायों को तमिलनाड के पश्चिमी तट पर भी आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर, मुट्टम में एक मत्स्य अवतरण केन्द्र पूरा हो गया है। चिन्नामुट्टम में भी एक लघु मात्स्यिकी बन्दरगाह पूरा होने वाला है जो 10 गहरे समुद्री जलयानों तथा 240 यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को स्थान देने की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है तथा यह बन्दरगाह केरल के समुद्रतट पर विजिन्जाम तथा नीनडकारा में निर्माणाधीन मात्स्यिकी बन्दरगाहों के सदृश है।

खाद्य की कमी

4605. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्रीमती दीपिका चिखलिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में कमी को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी सलाहकार ग्रुप ने देश में आगामी वर्षों में खाद्य की कमी की सम्भावना की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) महोदय, भारत सरकार को ऐसी किसी चेतावनी के बारे में जानकारी नहीं है । वास्तव में, कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता कम नहीं हो रही है बल्कि उसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

कच्चे तेल की कमी

4606. **श्री सुधीर गिरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सोवियत संघ से कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आने की संभावना है; और

(ख) देश में खपत के लिए कुल कितनी मात्रा में खनिज तेल की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान करीब 51.6 मि०मि०ट० ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

4607. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 199। के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडियन्स इन साउथ अफ्रीका कन्सर्न्ड अबाउट फ्यूचर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(क) सरकार चाहती है कि भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक वहां के मूल नागरिक की तरह ही पृथग्वासन से मुक्ति के बाद के दक्षिण अफ्रीका के विकास में पूरी भूमिका निभाएंगे, जैसे कि वे इस समय पृथग्वासन विरोधी आंदोलन में निभा रहे हैं।

तेल तथा गैस के कुओं की खुदाई

[हिन्दी]

4608. **श्री राजबीर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत डेढ़ वर्ष के दौरान तेल और गैस के कितने कुंओं की खुदाई की गई; और

(ख) अब तक तेल तथा गैस का कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिनांक 1-4-1990 से 30-9-1991 तक आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 52 कुएं और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 696 कुएं ।

(ख) किसी क्षेत्र के पूर्ण चित्रण और मूल्यांकन के बाद ही सफल अन्वेषण कुंओं से उत्पादन होना सम्भव है। विकास कुंओं से उत्पादन उनको आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने के बाद सम्भव है। अतः उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कुंओं से उत्पादित होने वाली तेल की वास्तविक मात्रा को निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है।

कोयला क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता

4609. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि की विदेशी सहायता प्राप्त हुई तथा उसके परियोजना-वार आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी ने इस सहायता का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोयला क्षेत्र द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता (परियोजना-वार) की कुल राशि नीचे दी गई है :—

दाता देश/ संगठन	दाता देश की मुद्रा	परियोजना	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता की राशि (मिलियन दाता देश की मुद्रा में)		
			1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
सोवियत संघ	रूबल	1. झांझर	8.497	—	0.148
		2. खदिया	16.523	15.185	2.467
		3. निचाई	4.080	11.740	5.309
		4. मुकुन्दा	2.020	—	—
		5. कुमारी	—	1.200	—
		6. मोहर	—	0.660	—
		7. कपुरिया	—	—	0.230
		8. खरखरी धर्मबंद	—	—	0.304
		9. पाथरखीह वाशरी (आधुनिकरण)	—	—	0.500
		जोड़	31.120	28.785	8.958

1	2	3	4	5	6
फ्रांस	फ्रेंच फ्रेंक	1. चोरा	—	3.756	1.260
		2. ईस्ट कतरास	55.520	9.229	10.074
		3. नार्थ अमलाबाद	0.246	—	0.330
		4. अनन्ता	—	0.936	—
		5. लेडो तिराप	—	0.635	—
		6. कोटाडीह	—	—	27.028
		7. जीडीके-10	2.621	23.593	1.950
		जोड़	58.387	38.149	40.642
ब्रिटेन	पौंड स्टर्लिंग	1. अमलोरी	0.070	—	—
		2. राजमहल तीव्र लदान पद्धति	0.780	—	—
		3. डस्ट एक्सट्रैक्टर्स	0.480	—	—
		4. मूनीडीह पम्प पैक	0.250	—	—
		5. लोगर्स	—	0.221	—
		6. स्पेयर्स	—	—	0.138
		7. लोंगवाल सैट	—	1.255	8.686
		8. सुरक्षा उपस्कर	—	0.110	—
		9. बेल्ट कन्वेयर्स	0.801	0.148	—
		जोड़	2.381	1.734	8.824
विश्व बैंक (आई०बी० आर०डी०)	अमरीकी डालर	1. दुधीचुआ	4.020	26.530	14.570
		2. ब्लाक-II	4.090	9.080	5.790
		3. पुटकी बलिहारी	1.240	2.030	0.910
		4. गेवरा	14.920	10.920	7.750
		5. सोनपुर बाजारी	0.660	0.140	—
		जोड़	24.930	48.700	29.020

1	2	3	4	5	6
केनाडा	कनाडियन डालर	राजमहल	—	41.664	71.425
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलियन डालर	पिपरवार	—	9.100	21.413
जर्मनी	डच मार्क	रामगुंडम-II	0.274	0.352	—

(ख) इस सहायता की उपयुक्त रूप में उपयोगिता का सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध कोयला कंपनियों, सरकार तथा दाता देश संगठन द्वारा विदेशी सहायता राशि की उपयोगिता पर गहन निगरानी की जा रही है ।

सुकिन्दा खानों का हस्तांतरण

4610. **श्री राम बदन** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुकिन्दा खानों को गैर-सरकारी हाथों को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या वित्तीय अड़चनें आएंगी;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न जन असन्तोष की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ओड़ीसा राज्य निगमों की सुकिन्दा क्षेत्र की किसी भी खान को प्राइवेट पार्टियों को सौंपे जाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में मिट्टी के तेल की मांग

[अनुवाद]

4611 **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कर्नाटक में मिट्टी के तेल की प्रति माह कुल मांग कितनी है;

(ख) इस मांग के विपरीत कर्नाटक को प्रति माह कितना मिट्टी का तेल आवंटित किया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उत्पाद की उपलब्धता होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस०के०ओ० का आवंटन पूर्ववर्ती आधार पर किया जाता है। गत वर्ष के दौरान कर्नाटक को दिए गए माहवार आवंटन को दर्शाने वाला (यथा जनवरी से दिसम्बर, 1991) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

माह	आवंटन (मी० टन में)
जनवरी, 91	40633
फरवरी, 91	40611
मार्च, 91	35181
अप्रैल, 91	34256
मई, 91	34256
जून, 91	34256
जुलाई, 91	35638
अगस्त, 91	35638
सितम्बर, 91	35638
अक्टूबर, 91	35638
नवम्बर, 91	36975
दिसम्बर, 91	36975

उड़ीसा में गोपालपुर कोयला खानों को खोलना

4612. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में प्रस्तावित गोपालपुर कोयला खानों में कितने गांव और परिवार प्रभावित होंगे;

(ख) विस्थापित परिवारों के पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विस्थापित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार के पास गोपालपुर में कोयला प्रभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के कोयला खनन क्षेत्र गोपालपुर की वसुन्धरा ईस्ट ओपनकास्ट परियोजना को खोले जाने से 3 गांवों से अर्थात तिखिलापादा, कुलापादा तथा सुरदेजा के रहने वाले 68 परिवारों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(ख) विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किए जाने का प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार किया जाना है।

(ग) इस सम्बन्ध में भूवंचित व्यक्तियों को उम्मीदवारों की योग्यता तथा रिक्त पदों की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना में रोजगार दिए जाने में तरजीह दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में समेकित मात्स्यिकी परिजनाओं का विकास

4613. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में समेकित मात्स्यिकी परियोजनाओं का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन के विकास/विस्तार के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) समेकित मात्स्यिकी परियोजना की एक इकाई विशाखापत्तनम में स्थापित की गई थी तथा इसने 1989 के बाद से काम करना शुरू कर दिया था। पूर्वी समुद्र तट के पास उपलब्ध कम मूल्य की मछली से अधिक मूल्य के उत्पादों के विकास और उनके प्रायोगिक विपणन द्वारा उन्हें लोकप्रिय बनाना इस यूनिट के काम में शामिल है।

(2) शीतागारों की क्षमता 25 मीटरी टन से बढ़ाकर 125 मीटरी टन हो गई है।

(3) एक आधुनिक समुद्री अभियांत्रिकी कार्यशाला, 1990 में शुरू की गई।

(4) समेकित मात्स्यिकी परियोजना के मत्स्यन बेड़े के नवीकरण के रूप में दो 23.9 मीटर गहरे समुद्री जलपोतों का निर्माण भी किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का घाटा

4614. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रचालन का प्रथम वर्ष है। वर्ष 1990-91 में 192.13 करोड़ रुपए ब्याज देने तथा 197.23 करोड़ रुपए के मूल्य ह्रास के पश्चात इसे 477.55 करोड़ रुपए

की निवल हानि हुई । हानि के कारण यह है कि वर्ष के दौरान चालू की गई चरण-1 की इकाइयां अभी स्थायीकरण की प्रक्रिया में हैं जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत प्रभारों नामत: मूल्य ह्रास के साथ-साथ ब्याज के भारी दबाव से इनमें क्षमता का उपयोग कम रहा ।

(ग) न कार कंपनी के पूंजीगत आधार को पुन: तैयार करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि इसकी दीर्घकालिक अर्थ-क्षमता सुनिश्चित रहे ।

पशु चिकित्सालय

[हिन्दी]

4516. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास पशु-चिकित्सा अस्पताल की सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण व्यक्तियों के लाभार्थ इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इस समय कितने पशु-चिकित्सा अस्पताल चल रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लौह अयस्क का उत्पादन

4616. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह-अयस्क की कुछ नई खानों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों से लौह अयस्क के उत्खनन और उत्पादन पर कितना खर्च आएगा;

(घ) क्या लौह अयस्क का उत्पादन देश की खपत के अनुसार हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने लोहे का आयात किया गया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

[अनुवाद]

4617. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए सह वित्त सुविधा के सम्बन्ध में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बातचीत किन संगठनों तथा देशों के साथ की गई; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा और अदायगी किस रूप में की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) 250 मिलियन अमरीकी डालर की कार्यक्रम सहायता के लिए एशियन डेवेलपमेंट बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय दल नवम्बर, 1991 में मनीला गया था जो अन्य बातों के साथ-साथ तेल आयातों के लिए वित्त प्रदान करने में सहायता करेगा। अर्धवार्षिक पुनर्भुगतान की पद्धति 15 जून, 1995 से आरम्भ होकर तथा 15 दिसम्बर, 2006 को समाप्त होगी।

पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ड्रिलिंग गतिविधियां

4618. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बहुत से दल क्षेत्रीय, जो पश्चिम बंगाल में खुदाई में लगे हुए थे, हाल ही में हटा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोवियत और भारतीय विशेषज्ञों ने पश्चिमी बंगाल में कुछ जिलों में तेल के संभावित भारी भण्डार होने की बात कही है; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गतिविधियों को कम करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भावनगर में लिग्नाइट के भण्डार

[हिन्दी]

4619. **डा० महावीर सिंह** :

श्री हरिसिंह जी गोहिल : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर जिले के थलसई ग्राम में लिग्नाइट के बड़े भण्डारों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस भण्डार के उपयुक्त प्रयोग हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) लिग्नाइट के भण्डार गुजरात के भावनगर जिले में, जिसमें थलसार ग्राम शामिल है, पाए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा लिग्नाइट के इन भण्डारों का दोहन किए जाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। किन्तु, गुजरात खनिज विकास निगम, जोकि राज्य सरकार का एक निगम है, ने गुजरात राज्य सरकार से इस क्षेत्र के लिग्नाइट के खनन कार्य सम्बन्धी पट्टेदारी के लिए आवेदन किया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में दूध का मूल्य

[अनुवाद]

4620. **श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पोर्टब्लेयर ने पुनः संसाधित दूध के मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न भागों से दूध के मूल्यों में इस वृद्धि के विरुद्ध विरोध प्रकट किये/अभ्यावेदन दिये गये हैं;

(घ) कारपोरेशन द्वारा पुनः संसाधित दूध की उत्पादन लागत क्या है और क्या अण्डमान प्रशासन के पशु पालन विभाग द्वारा कारपोरेशन को सप्लाई किये जा रहे ताजे दूध के मूल्य में कोई वृद्धि की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दुग्ध संयंत्र चलाने के लिए और पोर्ट ब्लेयर की जनता को दूध सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा कारपोरेशन को कितनी राजसहायता/रियायत आदि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मक्खन की कमी

4621. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के उत्पादों की विपणन की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा विपणन किये जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमूल मक्खन का मूल्य खुले बाजार में मदर डेरी के बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचे जाने वाले मूल्य से बहुत ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समान दरों पर अमूल मक्खन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ब्रांड नेम "धारा" के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विपणित खाद्य तेलों का वितरण कर रहा है।

(ग) और (घ) अमूल मक्खन का खुदरा मूल्य, जिसमें डीलरों का मार्जिन तथा सभी कर शामिल

हैं, 100 ग्राम और 500 ग्राम के लिए क्रमशः 8 रुपये और 38.50 रुपये प्रति पैक है। खुदरा मूल्यों में थोड़ा-बहुत अन्तर आने का कारण डीलरों द्वारा मार्जिन में स्वैच्छिक कमी करना हो सकता है।

(ङ) मक्खन तथा कुछ अन्य डेरी उत्पादों के उत्पादन में कमी की जानी थी क्योंकि सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के डेरी संयंत्रों द्वारा नगरों और शहरों में तरल दूध की आवश्यकता को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। तथापि प्रचुरता के मौसम के प्रारम्भ होने पर अधिशेष दुग्ध वसा के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार होने की आशा है।

बिहार में खनिज भण्डार

[हिन्दी]

4622. **श्री सूरज मंडल** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गोड्डा जिले के पहाड़पुर मण्डल तथा मुंगेर जिले के सोनो मण्डल में कोयले, सीसे तथा अभ्रक के भण्डारों का पता चला है;

(ख) क्या सोनो डिवीजन में सोने के भण्डारों का भी पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनके दोहन के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार के गोड्डा जिले में कोयला और मुंगेर जिले में सीसे व अभ्रक होने की सूचना है। लेकिन इन क्षेत्रों में इन खनिजों के भण्डारों का आकलन नहीं किया गया है।

(ख) बिहार सरकार ने सोनो संभाग में सोने के लिए गवेषण किया है। उसके नतीजे अभी तैयार नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त खनिजों के विदोहन के प्रश्न पर तभी विचार होगा, जब उनके उपयोगी निक्षेपों की पुष्टि हो जायेगी।

नीम के उत्पादों का पंजीकरण

[अनुवाद]

4623. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इनसेक्टिसाइड ब्यूरो ने नीम के उत्पादों का पंजीकरण करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) नीम और अन्य वनस्पतिक कीटनाशकों हेतु मार्ग-निर्देश तैयार करने के लिए नियुक्त की गई उप-समिति ने क्या प्रगति की है;

(घ) क्या पौधों से सुरक्षित कीटनाशकों को विकसित करने सम्बन्धी किसी परियोजना का प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशकों के पंजीकरण का कार्य करती है न कि सेन्ट्रल इनसेक्टिसाइड ब्यूरो। 11 दिसम्बर, 1991 की कीटनाशी उद्योग को परिचालित संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर नीम उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) पंजीकरण समिति ने नीम तथा अन्य वनस्पति सम्बन्धी कीटनाशियों के लिए दिशा निर्देशों का निरूपण करने के लिए सितम्बर, 1990 के दौरान एक कार्यकारी दल (उप समिति नहीं) की नियुक्ति की थी। कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर उक्त समिति द्वारा 25 जुलाई, 1991 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया और अनुमोदित दिशा-निर्देशों को कीटनाशी उद्योग के संघों को भेज दिया गया था। इस उद्योग से, उक्त दिशा निर्देशों के सरलीकरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर नीम पर आधारित कीटनाशियों के अग्रदर्शी विनिर्माताओं के परामर्श से इन्हें संशोधित किया गया। इन दिशा निर्देशों को इस समिति द्वारा 18 नवम्बर, 1991 को अनुमोदित किया गया और इन्हें कीटनाशी उद्योग के संघों को परिचालित किया गया।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

तमिलनाडु में चल रही सिंचाई परियोजनाएं

4624. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चल रहे बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तमिलनाडु की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडु की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	मूल्यांकन की स्थिति	नवीनतम अनुमानित लागत	7वीं योजना की समाप्ति तक हुआ व्यय	चरम क्षमता	7वीं योजना की समाप्ति तक सृजित क्षमता	पूरा किए जाने का समय
(क) बृहद परियोजनाएं			शून्य					
(ख) मध्यम परियोजनाएं								
1.	कलवरापल्ली जलाशय	V	अनुमोदित	12.10	11.20	3.24	3.24	1991-92
2.	कोडागवार जलाशय	V	अननुमोदित	14.70	14.56	3.79	3.79	1991-92

मचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। कें-
ठत पंजीकरण समिति कीटनाशकों के पंजी-
। 11 दिसम्बर, 1991 की कीटनाशी
पर नीम उत्पादों के पंजीकरण के लिए

सम्बन्धी कीटनाशियों के लिए दिशा निर्देशों
र्यकारी दल (उप समिति नहीं) की नियुक्ति
5 जुलाई, 1991 को हुई इसकी बैठक में
ी उद्योग के संघों को भेज दिया गया था।
वेदनों के आधार पर नीम पर आधारित
धित किया गया। इन दिशा निर्देशों को
गया और इन्हें कीटनाशी उद्योग के संघों

रियोजनाएं

न मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ई परियोजनाओं का ब्यौरा; और

र इन्हें कब तक किए जाने की सम्भावना

र (ख) तमिलनाडु की निर्माणाधीन बृहद
रण संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडु की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जिसमें शुरू की गई	मूल्यांकन की स्थिति	नवीनतम अनुमानित लागत	7वीं योजना की समाप्ति तक हुआ व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	सिंचाई क्षमता की समाप्ति तक सृजित क्षमता	पूरा किए जाने का समय
(क)	**बृहद परियोजनाएं**		शून्य					
(ख)	**मध्यम परियोजनाएं**							
1.	कलवरापल्ली जलाशय	V	अनुमोदित	12.10	11.20	3.24	3.24	199 -92
2.	कोडागवार जलाशय	V	अननुमोदित	14.70	4.56	3.7	3.79	1991-92
3.	अनाईमदुव जलाशय	VI	अननुमोदित	11.46	11.82	2.81	2.81	5 91- 2
4.	औरथुपलायम	V	अननुमोदित	16.46	16.17	4.20	4 20	199 -92
(ग)	**विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमें**							
1.	पेरियार-वैगई प्रणाली चरण-II का आधुनिकीकरण	VI	अननुमोदित	95.00	9 43	7.52	7.52	आठवीं योजना
2.	पारम्बिकुलम अलियार परियोजना अयाकट का विस्तार	VI	अननुमोदित	312 3	26.2	0 83	6 .2 5 1	आठवीं योजना
3.	तन्जावुर चैनलों का आधुनिकीकरण	VII	अननुमोदित	366.60	58.84	उपलब्ध नहीं	—	
4.	पेरियर बांध सुदृढ़ीकरण	VI	अननुमोदित	1 .2 52	11 2 5	कोई सीधा लाभ नहीं		आठवीं योजना

कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस उपलब्ध कराना

4625. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तक कृष्णा गोदावरी बेसिन से कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाई जाने की सम्भावना है; और

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें गैस का आबंटन किये जाने की सम्भावना है और यदि उन कम्पनियों से किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 3.2 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम० डी०)।

(ख) निम्नलिखित को गैस का आबंटन किया गया है :—

		एम०एम०एस०सी०एम०डी०
1.	डेल्टा पेपर मिल्स	0.028
2.	आंध्रा शुगर्स टनुकू	0.016
3.	साउथरन मैगनीशियम	0.006
4.	साउथरन पेस्टीसाइडस	0.006
5.	कलेमन पोर्सीकलेम	0.003
6.	ए०पी०एस०ई०बी०, विजेश्वरम	0.4
7.	नागारजुन फर्टीलाइजर लि० काकीनाडा	1.3
8.	गोवथामी सालवैंट	0.005
9.	कोस्टल एग्रो इण्ड०	0.005
10.	ए०पी० बगासी प्रोडक्ट्स	0.009
11.	ए०पी० शुगर्स	0.006
12.	किर्लोस्कर सर्विसस (केवल 24 माह के लिए)	1.018
13.	एल०पी०जी०	0.32
14.	एम०टी०पी०सी० काकीनाडा	1.5
15.	ए०पी०एस०ई०बी० जगरुपुडू	1.5
16.	गनेश पेट्रोकेमिकल्स	0.34 (सिद्धान्त रूप से)
17.	न्यू फर्टीलाइजर प्लांट	0.50

उपर्युक्त में से क्रम सं० 1-7 पर उल्लिखित पार्टियों के साथ गैस आपूर्ति संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है।

बिहार और मध्य प्रदेश में कोयला खानों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4626. **डा० जी० एल० कमोजिया** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार और मध्य प्रदेश में कोयला खानों के आधुनिकीकरण करने और वहां कार्यरत खनिकों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला उद्योग को आधुनिकीकृत किये जाने की प्रक्रिया एक निरन्तर स्वरूप की है और इस प्रक्रिया को भूमिगत तथा ओपेन-कास्ट दोनों तरह की खानों में प्रगामी रूप में शुरू किया जाता है । आधुनिकीकरण किये जाने के कार्य को आधुनिक खनन पद्धतियों की शुरूआत द्वारा धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है, जोकि मुख्यत: उत्पादन उत्पादकता, कोयले की निकासी, खनिकों की सुरक्षा आदि से सम्बन्धित है । मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की कोयला खानों में, जिनमें कोयला खनन क्रियाकलाप किये जा रहे हैं, उनमें आधुनिकीकरण किये जाने का कार्य पद्धतिबद्ध आयोजन के जरिए किया जा रहा है, जिससे अन्य बातों के अलावा प्रकाश में सुधार, परिवहन/लदान पद्धति, सतह रूफ-स्पोर्ट, रोशनी आदि में योगदान मिला है । खतरे वाले श्रमिक कार्यों को बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से कम किया जा रहा है ।

रसोई गैस का उत्पादन और खपत

4627. **डा० एस० पी० यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस के वार्षिक उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस के वितरण का अनुपात क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान एल० पी०जी० का उत्पादन और खपत नीचे दिया गया है :—

(हजार टन में)

वर्ष/अवधि	उत्पादन	खपत
1989-90	1948	2268
1990-91	2144	2417

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली एल० पी० जी० के अनुपात के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है ।

कोयले का श्रेणीकरण

4628. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कोयले के श्रेणीकरण में सुधार किया है और यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके कारण कोयले के मूल्य में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कोयले के श्रेणीकरण के परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि० ने अब तक कितनी अतिरिक्त धनराशि अर्जित की है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान खान/सीम के अधिसूचित ग्रेडों के अनुसार कोल इंडिया लि० में हुए ग्रेडवार कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है :

(मि० टन में)

उत्पादन मिश्रण ग्रेड	1988-89	1989-90	1990-91
असम कोयला	0.90	0.84	0.68
ए	2.96	3.07	2.96
बी	22.61	21.88	21.97
सी	32.54	34.01	37.85
डी	22.77	20.71	17.71
ई	24.50	25.03	25.82
एफ	26.91	32.99	39.01
जी	1.42	1.41	4.03
जोड़ अकोकर (ए)	134.59	139.95	150.03
इस्पात ग्रेड			
इस्पात ग्रेड-I	0.26	0.03	0.03
इस्पात ग्रेड-II	0.52	0.49	0.34
वाशरी ग्रेड			
वाशरी ग्रेड-I	2.94	2.30	1.42
वाशरी ग्रेड-II	2.98	1.52	1.57
वाशरी ग्रेड-III	10.79	12.86	12.95
वाशरी ग्रेड-IV	18.90	20.79	22.75

1	2	3	4
एस सी-I	0.33	0.47	0.55
एस सी-II	0.19	0.17	—
कुल कोककर (बी)	36.91	38.64	39.62
कुल जोड (ए)+(बी)	171.50	178.59	189.65

(ख) और (ग) विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कीमतें, जोकि पिछली बार 1-1-89 को संशोधित की गई थीं, अभी तक लागू हैं। कोल इंडिया लि० के कोयले की समग्र उत्पादन पर प्रति टन भारित औसत कीमत वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 274.20 रुपये, 268.70 रुपये और 262.89 रुपये प्रति टन रही।

म्यामार के चुने हुए प्रतिनिधियों को राजनैतिक शरण

[अनुवाद]

4629. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि म्यामार (बर्मा) के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत में राजनैतिक शरण मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) म्यानमार के चार संसद सदस्यों को, जो भारत में आ गये थे, मानवीय आधार पर राजनैतिक शरण दी गई थी और साथ ही उन्हें तब तक भारत में रहने की अनुमति भी दी गई थी जब तक उनकी स्वदेश वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां न बन जाएं। तथापि, यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वे भारत के प्रदेश में अपने अस्थायी प्रवास के दौरान किसी राजनैतिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे।

जापान के सहयोग से कोयला निकालना

4630. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा रामगुंडम स्थित खुले मुहाने की खान से कोयला निकालने के लिए जापान के लिए जापान के साथ समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) कोयला मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार रामगुंडम में कोयले का खनन किए जाने के लिए जापान के साथ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की उरान स्थित परियोजना में विस्फोट

4631. **प्रो० राम कापसे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की उरान (महाराष्ट्र) स्थित परियोजना में जून, 1991 में दो विस्फोट हुए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इन विस्फोटों के कारण जान-माल की कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मात्स्यिकी व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

4632. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मात्स्यिकी व्यापार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके कारण देश के कई लाख मछुआरे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मुर्गीपालन परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों को शामिल करना

4633. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनिवासी भारतीयों की सहायता से कुछ राज्यों में मुर्गीपालन परियोजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां मुर्गीपालन परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी;

(ग) क्या उड़ीसा में मुर्गीपालन की कोई ऐसी परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मुर्गी-पालन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

तेल की खोज संबंधी नीति

4634. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल की खोज सम्बन्धी वर्तमान नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उद्देश्यों, स्त्रोत की उपलब्धता, आदि को ध्यान में कर हाइड्रो कार्बन के अन्वेषण और निकर्षण के लिए कार्यक्रम और कार्य नीति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है।

पेट्रोलियम की खपत

4635. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटर-गाड़ियों में पेट्रोलियम की कुल कितनी खपत है तथा अमरीकी डालर में इसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार आयात को कम करने के लिए अशोधित तेल का स्वदेशी उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कोई नीति या कार्यक्रम बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्यों हैं; और

(घ) इस समय देश में राज्यवार कुल कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का ब्यौरा क्षेत्रवार रखा जाता है। अमरीकी डालरों की विनिमय दरों में उतार चढ़ाव को देखते हुए इस खपत का वास्तविक मूल्य बताया नहीं जा सकता।

(ख) और (ग) जी, हां। अक्तूबर, 1990 से पांच तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें पश्चिमी अपतट में नीलम, मुक्ता और पन्ना के तेल क्षेत्र और बम्बई हाई क्षेत्र के एल-II और एल-III का अतिरिक्त विकास शामिल हैं।

(घ) 1992-93 के दौरान देश में राज्यवार प्राकृतिक गैस की अनुमानित निवल उपलब्धता निम्नवत है :—

राज्य	निवल उपलब्धता एम० एम० एस० सी० एम० डी० (मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन)
गुजरात	5.44
असम	6.555

1	2
तमिलनाडु (कावेरी)	0.14
आंध्र प्रदेश (के० जी० बेसिन)	2.58
त्रिपुरा	0.28
अरूणाचल प्रदेश	0.068
अपतट	30.3

उड़ीसा में खनिजों का सर्वेक्षण

4636. **श्री के० प्रधानी** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लोहे, मैंगनीज तथा क्रोमाइट का पता लगाने के लिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग तथा खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) क्या उड़ीसा के खनन निदेशालय ने खोज कार्य और इन खनिजों के उपयोग को बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुरोध किया है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। उड़ीसा में विभिन्न एजेंसियों द्वारा गवेषण के फलस्वरूप, 1-1-1985 को कुल आकलित निकासी योग्य भण्डारों में से 'लौह-अयस्क के 2602.34 मिलियन टन, मैंगनीज अयस्क के 33.58 मिलियन टन तथा क्रोमाइट अयस्क के 51.56 मिलियन टन भंडारों की पुष्टि हो गई है।

(ख) उड़ीसा सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने राज्य में सक्षम खनिजधारी क्षेत्रों के निर्धारण के लिए हवाई विद्युत-चुम्बकीय सर्वेक्षण की अपेक्षा की है।

तेल संरक्षण सम्बन्धी कार्य योजना

4637. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की बचत के प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अन्तर मन्त्रालयी कार्य दल के परिवहन, उद्योग, कृषि इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। आवश्यक कार्रवाई हेतु इन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों विभागों को उपलब्ध करा दिया है।

फलोद्यान

4638. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने क्षेत्र में फलों के बागान हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार फलों का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान फलोद्यान के अन्तर्गत लिए गए क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) फलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य-वार क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमश: विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1990-91 के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। 1987-88 से 1989-90 तक फल रोपण के अन्तर्गत क्षेत्र में हुई वृद्धि निम्नवत् है :—

क्षेत्र हेक्टेयर में

1987-88	1988-89	1989-90
25,58,955	27,72,485	28,55,902

विवरण-I

फल रोपण (1989-90) के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	आंध्र प्रदेश	2,76,355
2.	अरूणाचल प्रदेश	17,583
3.	असम	66,442
4.	बिहार	2,50,867
5.	गोवा (दमन और द्वीव सहित)	5,290
6.	गुजरात	84,000
7.	हरियाणा	26,830
8.	हिमाचल प्रदेश	1,55,880
9.	जम्मू और कश्मीर	1,68,358
10.	कर्नाटक	2,29,927
11.	केरल	2,13,090
12.	मध्य प्रदेश	64,842
13.	महाराष्ट्र	2,06,100
14.	मणिपुर	18,300
15.	मेघालय	23,142

1	2	3
16.	मिजोरम	4,906
17.	नागालैंड	3,872
18.	उड़ीसा	1,64,426
19.	पंजाब	64,947
20.	राजस्थान	22,296
21.	सिक्किम	11,800
22.	तमिलनाडु	1,38,995
23.	त्रिपुरा	41,107
24.	उत्तर प्रदेश	4,85,441
25.	पश्चिम बंगाल	1,09,000
26.	अण्डमान एवं निकोबार	3,182
27.	चण्डीगढ़	124
28.	दिल्ली	420
29.	दादरा तथा नगर हवेली	708
30.	लक्षद्वीप	310
31.	पांडिचेरी	362
	कुल	28,58,902

स्रोत : राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभाग ।

विवरण-II

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90 तक) के दौरान फलों का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन मीटरी टन में

क्रम सं०	राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3114519	3154610	3210388	3632473	3769083*
2.	अरूणाचल प्रदेश	22335	23629	26030	35255	39458
3.	असम	550729	670538	621760	778500	836374
4.	बिहार	2380771	2265300	2232045	2733870	3211050*
5.	गोवा दमन द्वीव सहित	38200	39900	44800	45508	50400
6.	गुजरात	1765700	1810500	1854400	1823200	1832900
7.	हरियाणा	208674	191614	174111	184658	154174*
8.	हिमाचल प्रदेश	207750	400510	309000	137355	459990
9.	जम्मू व कश्मीर	792483	763168	470754	740000	768613*
10.	कर्नाटक	3110494	2840424	2950856	3078692	3185824*
11.	केरल	563483	893068	931075	1025080	1015701

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	809215	693434	693432	825000	853000
13.	महाराष्ट्र	1568616	1690498	1684658	2027335	1295840
14.	मणिपुर	62700	67400	72300	79200	90000
15.	मेघालय	175618	172897	190480	195053	201710
16.	मिजोरम	10161	18959	26161	36952	42829*
17.	नागालैंड	5689*	5885	5880	9265	9672*
18.	उड़ीसा	1176192	1252596	1422020	1517852	1635152
19.	पंजाब	431000	489806	521800	589904	593949
20.	राजस्थान	115514	178670	187603	216029	237631
21.	सिक्किम	14500	16820	19500	22550	24000
22.	तमिलनाडु	2133560	2311900	1906730	2508000	2711695
23.	त्रिपुरा	277510	284366	292440	301510	325050
24.	उत्तर प्रदेश	1803260	2412030	2730345	2973428	2986918
25.	पश्चिम बंगाल	893410	73800	965254	1042900	1087900
26.	अण्डमान और निकोबार	10200	21086	14635	15910	14347
27.	दादरा तथा नगर हवेली	8000	6890	6890	7200	7100
28.	लक्षद्वीप	219	249	442	639	635

1	2	2	4	5	6	7
29.	पांडिचेरी	4850	5907	8170	13280	13781
30.	दिल्ली	130	150	5100	5165	6000*
31.	चण्डीगढ़	12080	12080	12180	12280	12380
	कुल	22256342	22756454	23573959	26614042	26973156

*=रूख के आधार पर अनुमानित आंकड़े

स्रोत : राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभाग ।

बहु-फसलीय कृषि का विकास

4639. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में बहु-फसली कृषि को विकसित करने हेतु नई नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए असम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) असम में बहु-फसलीय कृषि के विकास की कोई विशिष्ट योजना नहीं है । तथापि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट और इसके केन्द्रों द्वारा अल्पकालीन फसल किस्मों का प्रयोग करके और स्थानीय रूप से विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाकर विभिन्न राज्यों में फसल गहनता में वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है ।

(ग) असम में बहु-फसलीय कृषि का विकास करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

असम में सोने तथा यूरेनियम के भंडार

4640. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के करबी अंगलोंग तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में सोने तथा यूरेनियम का कोई भंडार मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो इनका स्थलवार ब्यौरा क्या है तथा वहां इन धातुओं की कितनी मात्रा मौजूद है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं । इंडियन मिनरल ईयर बुक, 1991 के अनुसार, असम के करबी अंगलोंग तथा नार्थ ईस्टर्न हिल्स में सोने तथा यूरेनियम के कोई ज्ञात भंडार नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की उत्पादन लागत

4641. **श्री प्रकाश बी० पाटील** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न कोयला खानों में कोयले की उत्पादन लागत कोयला खान-वार क्या है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० (सी० आई०एल) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के लिए सहायक कंपनीवार उत्पादन

की लागत नीचे दी गई है—

कंपनी	रु० प्रति टन
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	498.52
भारत कोकिंग कोल लि०	397.67
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	243.05
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	159.58
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	310.82
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	191.22
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	705.00
समग्र को० इं० लि०	277.18

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के कोयले की उत्पादन लागत वर्ष 1990-91 के लिए 401.05 रु० प्रति टन थी।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० की तुलना में वर्ष 1986-87 के लिए कुछ देशों से उपलब्ध उत्पादन लागत नीचे दी गई है—

देश	उत्पादन लागत	
	अमरीकी डालर प्रति टन	रु० प्रति टन
यू०के०	68.80	873.10
बेलजियम	71.00	901.02
एफ०आर० जर्मनी	114.20	1449.24
पोलैंड	29.00	368.02
भारत (को०इं०लि०)	—	221.54

भारत में कोयले की उत्पादन लागत और भी कम होती है लेकिन श्रमशक्ति अधिक होने और उत्पादकता कम होने के कारण यह नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों से श्रमशक्ति की वृद्धि रोकने और उत्पादकता में सुधार करके उत्पादन में वृद्धि किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के, जहां तक श्रमशक्ति का सम्बन्ध है, अच्छे परिणाम सामने आए है, चूंकि वर्ष 1985-86 से इसे निरन्तर लगभग 6.7 लाख पर रखा गया है, जबकि उत्पादन में, वर्ष 1985-86 के 134 मि० टन के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1990-91 में 189.6 मि० टन की वृद्धि हुई है, जोकि 41.5 प्रतिशत है। यह वृद्धि इस अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादकता में 0.92 टन से 1.29 टन तक की वृद्धि करके प्राप्त की गई है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व के वर्षों में उत्पादन की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति में वर्ष 1985-86 से बदलाव आ गया है। इस अवधि में उत्पादन लागत में 213.97 रु० टन

मे 277.18 रु० प्रति टन की वृद्धि हो गई है, अर्थात इसमें 29.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसकी तुलना में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (सभी वस्तुओं के मामले) में 45.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गुजरात में जल आपूर्ति तथा पुलों का निर्माण

4642. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से खम्बात की खाड़ी में दो लेन वाले एक पुल के निर्माण तथा पाइपलाईन द्वारा जल आपूर्ति करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें प्रतिदिन कितने पानी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उद्योगों को पानी की आपूर्ति का प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र को जल आपूर्ति करने के बारे में वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा जून, 1989 में प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर, गुजरात सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और इस योजना आयोग को प्रस्तुत किया था।

(ख) इस परियोजना रिपोर्ट में कैम्बे की खाड़ी को पार करने के लिए इस खाड़ी पर दो लाइन के एक पुल के निर्माण तथा इस पुल के बोक्स गरडर्स के जरिए भूमि पर बिछायी जाने वाली पाइप-लाईन के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गयी है। गुजरात ने कम्पोजिट टाईप के पुल के निर्माण की लागत का अनुमान 127 करोड़ रुपए तथा आर०सी०सी० टाईप के लिए 186 करोड़ रुपए लगाया है।

(ग) जल की मात्रा के सम्बन्ध में इस परियोजना में दो विकल्पों--(i) 50 मिलियन गैलन प्रति-दिन और (ii) 100 मिलियन गैलन प्रति दिन, की परिकल्पना की गयी है।

(घ) और (ङ) जी, हां। औद्योगिक प्रयोग के लिए लगभग 25 मिलियन गैलन प्रति दिन जल की आपूर्ति का प्रावधान है।

(च) योजना आयोग में इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पाकिस्तान से रक्षा संधि के सम्बन्ध में अमरीकी दृष्टिकोण

4643. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से रक्षा संधि के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा अपनाए गए किसी नए दृष्टिकोण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं । हालांकि इन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रबन्ध विद्यमान हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, सुरक्षा के क्षेत्र में अमरीका और पाकिस्तान के बीच होने वाली कार्रवाई पर भारत सरकार बराबर निगाह रखती है ।

24वां डेयरी उद्योग सम्मेलन

4644. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 सितम्बर, 1991 में भारतीय डेयरी संघ द्वारा 24वां डेयरी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में कितने शिष्टमण्डलों ने भाग लिया;

(ग) उक्त सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे;

(घ) सम्मेलन में क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सम्मेलन का उद्देश्य सतत वृद्धि की गुणवत्ता तथा संभाव्यता विषय पर चर्चा करना तथा उस पर विचार विमर्श करना था । लगभग 770 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(घ) सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है—

(1) डेरी उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की सीमा के अन्तर्गत लाया जाए ।

(2) सरकारी डेरियों का निजीकरण ।

(3) सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करना ।

(4) जिला दुग्ध संघों तथा डेरी संघों के लिए सहकारी कंपनियों की स्थापना करना ।

(5) डेरी संघों तथा जिला दुग्ध यूनियनों के पास ऐसे कर्मचारी हों जो सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के बजाए निर्वाचित मण्डल के जवाबदेह हो ।

(ङ) सरकार ने सुझावों को नोट कर लिया है ।

केन्द्रीय जल आयोग का क्षेत्रीयकरण

4645. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करके केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों और इसके गठन का क्षेत्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(घ) क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रस्तावित शक्तियों एवं कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्रीयकरण से अन्तर्राज्यीय जल-विवादों को हल करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) नई दिल्ली, पटना, हैदराबाद, बंगलौर, शिलांग तथा बड़ौदरा प्रत्येक में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों और इसके गठन का क्षेत्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह "क") सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा के साथ क्षेत्रीयकरण को जोड़ दिया गया है, जिस पर कार्रवाई चल रही है।

(ख) और (घ) विकेन्द्रीकरण में निम्न परिकल्पना की गई है--

(i) परियोजना प्राधिकारियों की समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग के बीच प्रभावी समन्वय,

(ii) निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावी और शीघ्र प्रबोधन एवं मूल्यांकन,

(iii) फील्ड एककों और राज्य सरकार के अभिकरणों से आकड़े एकत्र करने में बेहतर समन्वय, और

(iv) जल संसाधन विकास तथा सिंचाई प्रबन्ध आदि के क्षेत्र में अन्य कार्यालयों के साथ बेहतर स्थानीय समन्वय और सम्पर्क।

क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग के अभिन्न अंग हैं तथा वे विद्यमान ढांचे के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

(ङ) अन्तर्राज्यीय जल विवाद क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

उड़ीसा में खदानों और खानों में विस्फोट सामग्री का उपयोग

4646. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ खदानों और खानों में उचित लाइसेंस के बिना ही विस्फोट सामग्री का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नेपाल के प्रधानमन्त्री के साथ बातचीत

[हिन्दी]

4647. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के प्रधानमन्त्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके और भारतीय नेताओं के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम हुए;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री जी०पी० कोइराला की 5-10 दिसम्बर, 1991 तक की भारत यात्रा के दौरान पारस्परिक हित के अनेक मामलों पर व्यापक और उपयोगी चर्चाएं हुई।

इस यात्रा से पूर्व 4 और 5 दिसम्बर, 1991 को भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता मैंने और नेपाल के सह-अध्यक्ष श्री माहेश्वर प्रसाद सिंह की थी। दोनों प्रधान मन्त्रियों और उनके प्रतिनिधिमण्डलों के बीच हुई बातचीत में संयुक्त आयोग की रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई।

इस यात्रा के दौरान अनेक संधियों और करारों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें भारत-नेपाल व्यापार संधि, भारत-नेपाल पारगमन संधि, अनधिकृत व्यापार के नियन्त्रण में सहयोग के लिए करार, वी०पी० कोइराला भारत-नेपाल फाउण्डेशन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

व्यापार संधि में अनेक सुविधाएं और रियायतें शामिल हैं जिनका उद्देश्य भारत को नेपाली निर्यात बढ़ाने से है और नई पारगमन संधि में सीमा-शुल्क और अन्य प्रक्रियाओं को काफी सरल बना दिया गया है। दोनों पक्षों ने तस्करी की बढ़ती हुई समस्या, जिसने भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, को नियन्त्रित करने के लिए पूरी तरह से सहयोग करने पर वचनबद्धता दिखाई है।

विभिन्न जल परियोजनायों और जल संसाधन विकास क्षेत्र जो कि दोनों देशों को समुचित लाभ पहुंचाने के लिए अधिकतम संभाव्य क्षेत्र हैं, में सहयोग के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में भी अनेक महत्व-पूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें नेपाल के औद्योगिक विकास को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से अनुमोदित संयुक्त उद्यमों के उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में आने की अनुकूलतम व्यवस्था शामिल है।

जन-स्वास्थ्य, संचार और दूर-संचार के क्षेत्रों में नई भारतीय सहायता परियोजनाओं का भी पता लगाया गया। नागर विमानन और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम निर्धारित किए गए।

इस प्रकार दोनों सरकारों ने आपसी हित के द्विपक्षीय सहयोग में नए युग का सूत्रपात करने के लिए आधार तैयार किया है।

बहु-उद्देशीय परियोजनाओं सम्बन्धी भारत-नेपाल वार्ता

[अनुवाद]

4648. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी, कमला, बागमती, करनाली तथा अन्य नदियों से सम्बन्धित बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में हाल ही में हुई भारत-नेपाल वार्ता का क्या परिणाम रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नेपाल के प्रधानमन्त्री के हाल ही के भारत दौरे दिसम्बर, 1991 के दौरान हुई भारत-नेपाल बातचीत के निष्कर्ष में करनाली परियोजना के लिए परियोजना पैरामीटरों को अन्तिम रूप देना पंचेश्वर परियोजना के लिए संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, कोसी उच्च बांध परियोजना के पैरामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए संयुक्त अन्वेषण/अध्ययन करना तथा कमला और बागमती परियोजनाओं के लिए नेपाल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गैस वितरण प्रणाली

4649. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री प्रभु दयाल कटौरिया :

डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फिरोजाबाद, आगरा तथा गाजियाबाद-खुर्जा-नौएडा क्षेत्रों में सेकेंडरी/प्राकृतिक गैस वितरण प्रणाली के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक गैस आवंटित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) यद्यपि इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथापि, गैस के लिए कोई निश्चित आबंटन नहीं किया गया है।

स्पर पाइप लाइन का निर्माण

4650. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री मानवेन्द्र शाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने औरिया से इलाहाबाद, मिर्जापुर और बान्द्रा तक "स्पर पाइपलाइन" का निर्माण करने तथा उसे बरौनी स्थित प्रस्तावित गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) . (क) जी, हां ।

(ख) इलाके के कुछ उर्वरक फैक्ट्रियों और फ्लोट ग्लास यूनिट को गैस की सप्लाई करने के लिए इलाहाबाद और मिर्जापुर होते हुए औरैया से बांदा तक एक स्पर लाइन बनाने और बाद में इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ग) एच० बी० जे० पाइपलाइन के मार्ग में गैस की उपलब्धता और बचनबद्धता की स्थिति को देखते हुए उस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

कच्चे तेल का आयात

4651. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सोवियत संघ से तेल के आयात में कुल कितनी कमी आयी है;

(ख) क्या ईरान और इराक ने भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ग) क्या कच्चे तेल के आयात के लिए किसी अन्य विकल्प का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई किए गए हैं, तो विदेशों के साथ अन्तिम रूप से किये गये समझौतों सहित, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जनवरी,—नवम्बर, 1991 के दौरान करीब 1·7 मि० मि० टन ।

(ख) जबकि ईरान से आपूर्ति जारी है, अगस्त, 1990 से ईराक से आपूर्ति रुक गई है ।

(ग) और (घ) वांछित स्तर तक कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी को वैकल्पिक स्रोतों से दोनों ही आवधिक और स्थल खरीद द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

भारत-विरोधी तत्वों को हथियार खरीदने के लिए बी० सी० सी० आई० से वित्तीय सहायता

4652. **श्री चिन्नासामी श्री निवासन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा इसे भारत-विरोधी और अलगाववादी तत्वों को, जिन्हें पाकिस्तान तथा श्रीलंका में आश्रय मिला हुआ है, आपूर्ति करने के लिए बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल द्वारा दी गई वित्तीय सहायता सम्बन्धी कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों की खबरों को छोड़कर ऐसे कोई ओर प्रमाण नहीं देखे जिनसे इस मामले पर आवश्यक कार्यवाई की जा सके ।

जम्मू व कश्मीर के सम्बन्ध में उप-उच्चायुक्त का भाषण

[हिन्दी]

4653. **श्री मदन लाल खुराना** :

श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1991 को द हिन्दू में "पाक डेपुटी हाई कमिश्नर डिफेंड कश्मीर पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के राजनयिक के कथित बयान क्योंकि तीखे और उत्तेजनात्मक लगे थे अतः इस बात की ओर पाकिस्तान के दिल्ली स्थित हाई कमीशन का ध्यान आकर्षित किया गया था । पाकिस्तान हाई कमीशन के सम्बद्ध अधिकारी ने उसके बाद भारत सरकार को यह स्पष्टीकरण दिया है कि बहुत से बयान जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है वास्तव में उनके वास्तविक बयानों का गलत प्रस्तुतीकरण है ।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों की जांच

[अनुवाद]

4654. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जिनका पता लगाने के लिए गत 12 महीनों में मिलावट, जमाखोरी कालाबाजारी, कम तोल आदि के सम्बन्ध में जांच की गई है;

(ख) इन जांचों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) दिल्ली में एक से अधिक पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी रखने वाले व्यक्तियों/परिवारों की संख्या क्या है;

(घ) एक व्यक्ति/परिवार को ऐसी अधिक एजेंसियों की मंजूरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) एक व्यक्ति/परिवार को ऐसी एक अधिक एजेंसी की मंजूरी न दिये जाना सुनिश्चित करने की दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 237

(ख) गलती करने वाले डीलरों पर विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है ।

(ग) से (ङ) सितम्बर, 1977 में जारी नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश ऐसे डीलरशिपों का दिया जाना निषिद्धकता है । ऐसी रिपोर्ट की गयी है कि सितम्बर, 1977 से पूर्व 43 मामले मौजूद थे ।

खेतड़ी तांबा परियोजना को जवाहरलाल नेहरू नहर से पानी की सप्लाई

[हिन्दी]

4655. **श्री अयूब खां** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना को भूजल की सप्लाई के कारण इस क्षेत्र के भूजल के स्तर को नीचे जाने से रोकने हेतु इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू नहर के पानी की सप्लाई का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि खेतड़ी तांबा परियोजना से न तो ऐसी कोई मांग रही है और न ही जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है यह नहर इस समय केवल एक गैर-बारहमासी नहर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र का शामिल होना

[अनुवाद]

4656. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस के विद्यमान कुछ छोटे और सीमांत क्षेत्रों को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) यद्यपि इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप में निर्णय ले लिया गया है तथापि अभी तक शर्तें तय नहीं की गई हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

4657. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया है और वर्ष 1991-92 के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कोई स्वतन्त्र समीक्षा की गई है कि केन्द्रों को कम लागत से किस प्रकार चलाया जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, 1990-91 वर्ष में 9516 संकुल व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 2,07,446 कृषकों, कृषक महिलाओं, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों और क्षेत्र स्तरीय विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ।

कृषि विज्ञान केन्द्रों ने प्रमुख खाद्यान्न फसलों और सम्बन्धित क्षेत्रों में 3,413 प्रदर्शन आयोजित किये जिनसे 1,43,437 किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं ने लाभ उठाया ।

(ख) 1990-91 वर्ष में इन कार्यक्रमों पर 813·13 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी । 1991-92 वर्ष के लिए वित्तीय आवंटन 800 लाख रुपये है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इससे पूर्व कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य की दो बार निम्न दो समितियों द्वारा समीक्षा की गयी :

(I) वर्ष 1980 में डा० पी० भट्टाचार्या, पूर्व पशु पालन आयुक्त, भारत सरकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति ।

(II) 1987 में संयुक्त एफ० ए० ओ०—भा० कृ० अ० परिषद परामर्शदात्री मिशन ।

दोनों ही मूल्यांकन समितियों ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यों की सराहना की और दोनों ही कृषि विज्ञान केन्द्रों की किसानों, किसान महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनके द्वारा नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होने से सम्बन्धित उनकी उपयोगिता से प्रभावित थीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोल इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता

4658. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्रीय सरकार ने कोल इंडिया लि० को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की;

(ख) क्या सरकार का इस वित्तीय सहायता को बन्द करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सरकार द्वारा कोल इंडिया लि० को वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 के दौरान क्रमश: 1040·00 करोड़ रु० तथा 600·00 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता (सकल बजटीय सहायता) प्रदान की गई ।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान सरकार द्वारा कोल

इंडिया लि० को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को खनन पट्टे

[हिन्दी]

4659. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को चूने के पत्थर के कितने खनन पट्टे प्रदान किये गये हैं;

(ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को ये खनन पट्टे कब प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने वहां पर खनन कार्य आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने गत तीन वर्षों के दौरान कहां कितना खनन कार्य किया है, और इससे अर्जित की गई आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने कितना घाटा-वहन किया है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान पट्टा शुल्क के रूप में वर्ष वार कितना भुगतान किया गया ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी हां, दो ब्यौरे इस प्रकार है :—

पट्टा नं० 1 : 8-7-82 से 20 वर्ष की अवधि के लिए मेड़ा और सीताराम जी का खेड़ा गांवों में 987 हेक्टर क्षेत्र हेतु स्वीकृत।

पट्टा नं० 2 : 26-2-83 से 20 वर्ष की अवधि के लिए मेड़ा और बामनिया गांवों में 436·25 हेक्टर क्षेत्र स्वीकृत हेतु।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपयुक्त खनन पट्टे सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा फीडस्टाक अपने प्रस्तावित 300 टन दैनिक उत्पादन क्षमता के सीमेंट कारखाने को कच्चे माल की पूर्ति हेतु प्राप्त किये गये थे; लेकिन वह कारखाना धन की तंगी के कारण शुरू नहीं हुआ। अत: खनन पट्टे भी अभी तक चालू नहीं हुए है।

(च) उपर्युक्त खनन पटटे लेने के बाद जो भी खर्चा हुआ वह क्षेत्र में गवेषण पर किया गया, अत: कोई घाटा नहीं हुआ। गत तीन वर्षों के दौरान पट्टों के लिए अनिवार्य भाटक (डेड-रेंट) और भूमि कर के रूप में किया गया वर्ष-वार भुगतान इस प्रकार है :—

पट्टा नं० 1 :	8-7-88 से 7-7-89 तक	रु० 2,35,065·95
	8-7-89 से 7-7-90 तक	रु० 1,18,440·00
	8-7-90 से 7-7-91 तक	रु० 1,03,635·00
	8-7-91 से 7-1-92 तक	रु० 59,220·00

पट्टा नं० 2 :	26-2-88 से 25-2-89 तक	रु०	26,175·00
	26-2-89 से 25-2-90 तक	रु०	52,350·00
	26-2-90 से 25-2-91 तक	रु०	52,350·00
	26-2-91 से 25-2-92 तक	रु०	26,175·00

असम के डिब्रूगढ़ इलाके में बाढ़ नियंत्रण

[अनुवाद]

4660. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में असम के डिब्रूगढ़ इलाके के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिब्रूगढ़ को ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ विभीषिका से बचाने के लिए कोई बृहद योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नागाधुली मैजोन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 10.74 करोड़ रुपये की लागत से डिब्रूगढ़ कस्बे के प्रतिप्रवाह की एक बाढ़ नियंत्रण परियोजना का तकनीकी रूप से अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) और (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा डिब्रूगढ़ कस्बे की सुरक्षा हेतु कोई मास्टर योजना तैयार नहीं की गई है लेकिन मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी की मास्टर योजना में विद्यमान डिब्रूगढ़ कस्बे के सुरक्षा कार्यों के सुदृढ़ीकरण को अभिज्ञात किया गया है।

वन क्षेत्रों में खनिज भण्डार

[हिन्दी]

4661. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी** : क्या **खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश खनिज भण्डार वन क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनों में इन खनिजों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिज आमतौर पर वन क्षेत्रों सहित दूर-दराज और दुर्गम स्थलों पर मिलते है।

(ख) खनिज निक्षेपों का वन्य और वन्येतर क्षेत्रों में वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ग) वन और वन्येतर दोनों ही क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों का गवेषण क्रमिक आधार पर किया जाता है।

विदेशी सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

4663. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात संयंत्र लगाने हेतु निर्णय लिया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों/अनिवासी भारतीयों से बातचीत करने की अनुमति दे दी गई है;

(ग यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी विदेशी कम्पनी/अनिवासी भारतीयों के साथ कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) संसाधन सम्बन्धी अड़चनों के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना सम्भव नहीं होगा।

ख) लाइसेंसिंग शर्तों में अभी हाल के संशोधनों को देखते हुए इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करना आवश्यक नहीं है। अतः राज्य सरकारें इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु अपने परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकती हैं। तथापि, विदेशी सहयोग और विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश के लिए उनके प्रस्तावों पर विद्यमान नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने उड़ीसा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कापारो ग्रुप के डा० स्वराज पाल के साथ 1 नवम्बर, 91 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। सूचित किया गया है कि कापारो ग्रुप वित्तीय पैकेजों जिसमें विदेशी मुद्रा व स्वदेशी रुपया शामिल है, का प्रबन्ध करेगा। इस्पात संयंत्र को पूरा करने के समय के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने आगे बताया है कि यद्यपि समझौते ज्ञापन में विस्तृत रूपरेखा अभी सम्मिलित कर ली गई है और विवरण तैयार किया जाना है और यदि आवश्यक हुआ तो समझौते ज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जायेगा और यथा समय समझौते में विवरण दे दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

4664. **श्री ए० प्रताप साय** :

श्री रामकृष्ण मोंताला : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र में, कुछ सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) श्रीसैलम दायां तटनहर, तेलुगु गंगा; तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-II, पुलीवेन्दला शाखा नहर तथा चेय्येरू, वरदराज स्वामीगुड्डी बुग्गावंका और मद्दीलेरू नामक क्रमशः चार वृहद एवं 4 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आठवीं योजना में 4 नई स्कीमों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। नई स्कीमों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)
क. बृहद परियोजनाएं				
1.	मुंकेमुला बराज	करनूल	33.92	करनूल कुड्डापाह नहर के लिए निकास-नली संरचनाएं
2.	अलेगनुरू जलाशय	करनूल	28.00	संतोलन जलाशय
3.	गलेरू नागरी सुजाला सरावन्ती	चित्तौर	1296.37	131,500
ख. मध्यम परियोजना				
1.	पुत्ताकनुमा	अनन्तपुर	4.78	9,915

रूस और उसके अन्य गणराज्यों के राष्ट्रपतियों को आमन्त्रण

4665. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार :

श्री मुकुल वासनिक :

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने रूस और सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों के राष्ट्रपतियों को भारत की यात्रा के लिए आमन्त्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में उनकी क्या-क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक रूसी महासघ, यूक्राइन बेलारूस, ताजाकिस्तान, किरगिजिस्तान, तुर्कमीनिस्तान तथा तजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों को भारत आने का निमन्त्रण दिया गया है। उनकी यात्राओं की तारीखों को राजनयिक सूत्रों के माध्यम से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आयातित कार्बन इस्पात कतरन की सप्लाई न होने के कारण इस्पात संयंत्रों का बन्द होना

4666 **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कार्बन इस्पात कतरन की सप्लाई न होने के कारण चालू वर्ष के दौरान देश में अनेक इस्पात संयंत्र बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या धातु कतरन व्यापार निगम ने कार्बन इस्पात कतरन की पर्याप्त मात्रा का आयात नहीं किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) यह सच नहीं है कि आयातित कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप की सप्लाई न होने के कारण चालू वर्ष के दौरान देश में बड़ी संख्या में इस्पात संयंत्र बन्द हो गये हैं। तथापि, आयातित स्टील मेल्टिंग स्क्रैप की कमी के कारण लघु इस्पात उद्योग में उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) पर्याप्त निर्बाध विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के दौरान माध्यम एजेंसी, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से गलित स्क्रैप के आयात में कमी आई।

(घ) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से आयात को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रयोक्ता उद्योग भी आयात-निर्यात पत्र के जरिए स्क्रैप का सीधे आयात कर सकते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4667. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पाद देश की अन्तरिक मांग पूरी करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो जिन देशों से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सोवियत रूस, चीन, मलेशिया, यू० ए० ई० और बहरीन की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ आवधिक करारों और स्थल खरीद द्वारा चालू वर्ष (1991-92) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तराल को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्न हैं :—

(1) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन से सम्बन्धित कार्यकलाप को तेज करना;

(2) ग्रासरूट रिफाइनरियों की स्थापना और वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तारण; और

(3) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देना।

पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंसियों को प्राधिकृत करना

[हिन्दी]

4668. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बरेली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधीन कार्यरत ऐसी अधिकृत एजेंसियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या बरेली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधीन कार्यरत कुछ एजेंसियों को काली सूची में रख दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) ट्रैवल एजेंसियों को अपने ग्राहकों के पासपोर्ट मामलों में भारत में पासपोर्ट कार्यालयों के साथ सम्पर्क करने के लिए मान्यता दी जाती है।

(ग) दस।

(घ) दो ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) (I) उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मैसर्स गंगा ट्रैवल्स, हरिद्वार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस कम्पनी से लगभग 300 पासपोर्ट/दस्तावेज कब्जे में लिए हैं।

(II) उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड ट्रैवल सर्विस, मेरठ के विरुद्ध रिपोर्ट दी है।

रूस से सहायता प्राप्त इस्पात संयंत्र

[अनुवाद]

4669. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में हुई हाल की घटनाओं का रूस से सहायता प्राप्त/सहयोग से देश में चालू/चल रहे इस्पात संयंत्रों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजीगत माल तकनीक और अन्य सामग्री की अविरल आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सोवियत संघ में हुई हाल की घटनाओं का प्रभाव इस्पात क्षेत्र में अनिवार्य रूप से असंवितरित ऋण के उपयोग और इस्पात संयंत्रों के लिए मशीनों तथा उपस्करों की सप्लाई से सम्बद्ध है। विदेश मन्त्री ने हाल ही में मास्को की यात्रा की है और उन्होंने सोवियत संघ के साथ भारत के आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-

विमर्श किया। विचार-विमर्श से यह पता चलता है कि सोवियत संघ और रूस के नेताओं की हार्दिक इच्छा है कि इन सभी समस्याओं का हल शीघ्र निकाला जाए और आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित सभी विद्यमान करारों को सम्मान दिया जाए। भारत के उच्च स्तरीय बहु-उद्देशीय दल की मास्को यात्रा के दौरान इन समस्याओं पर अधिक विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। यह दल सोवियत संघ और रूस में अपने-अपने प्रतिपक्षों के साथ विचार-विमर्श करेगा। इसलिए इस चरण में इस्पात क्षेत्र की परियोजनाओं पर सोवियत संघ में हुई हाल की घटनाओं के प्रभाव, यदि कोई हो, को निश्चित रूप से आंकना सम्भव नहीं है।

परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व

4670. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाल ही में हुई बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल में परमाणु शक्तियों द्वारा परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने तथा परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो अन्य सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा छः राष्ट्रों की ओर से पहल किये जाने के बाद "परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई शुरूआत की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक देशों ने इन उद्देश्यों का समर्थन किया है।

(ग) जून, 1988 में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए, जो निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित था, सन् 2010 तक नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर देने की कार्य योजना प्रस्तुत की थी।

(घ) इस कार्य योजना में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वे सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए अनिवार्य बचनबद्धता के बारे में बातचीत करें। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो इस समय विश्व निरस्त्रीकरण की कार्यसूची में शामिल सभी मसलों से जुड़े हुए हैं। कार्य योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से हासिल किया जाए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4671. **श्री अवध कुमार पटेल** :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी आतंकवादियों द्वारा अपने सहयोगियों के अपहरण किए जाने के विरोध में हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कितने कर्मचारियों का अपहरण किया गया,

कितने कर्मचारियों को रिहा किया गया और कितने कर्मचारी अभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में उल्फा और अन्य आतंकवादियों के कब्जे में हैं; और

(ग) हड़ताल के कारण कितना नुकसान हुआ ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर पूर्वी भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के दस अधिकारियों का अपहरण हुआ था, जिनमें से पांच अधिकारी मुक्त हो गये हैं और शेष तीन के मुक्त हो जाने की रिपोर्ट मिली है। तथापि, एक अधिकारी के मुक्त होने के बाद उसके साथ सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ है । दो अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी ।

(ग) 9-9-1991 से आपरेशन के सामान्य होने तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 90.22 करोड़ रुपये (लेवी को छोड़कर) के बराबर उत्पादन की हानि हुई ।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण बांध

4672. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रक बांधों को सुदृढ़ करने की कोई योजना लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नवम्बर, 1991 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को सूचित किया कि आगामी 4 वर्षों में सोपानबद्ध तरीके से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार सर आर्थर कॉटन बराज के अनुप्रवाह पर गोदावरी नदी के विद्यमान बाढ़ तटों को ऊंचा करने का उनका प्रस्ताव है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय दूतावासों के पास वाहन

[हिन्दी]

4673. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के पास कितने वाहन हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके रख-रखाव पर वर्ष-वार कुल कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

अनिवासी भारतीयों की सहायता से तेल शोधन कारखानों की स्थापना

[अनुवाद]

4674. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों की सहायता से देश में कुछ तेल शोधन कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इन कारखानों को कौन-कौन से स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों की सहायता से रिफाइनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का निजीकरण

4675. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल सरकार से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (आई०आई०एस०सी०ओ०) का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने आई० आई० एस० सी० ओ० में और आगे निवेश करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कपारो ग्रुप लिमिटेड, लन्दन के श्री स्वराज पाल ने प्रधानमन्त्री को यह उल्लेख करते हुए पत्र लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने उनसे इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उसके अधिग्रहण करने की संभाव्यता को देखने की दृष्टि से दौरा करने की इच्छा व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने भी प्रधान मन्त्री को लिखे गये श्री स्वराज पाल के पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया है कि विद्यमान संसाधन सम्बन्धी कठिन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए तत्काल आधार पर श्री स्वराज पाल के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

(ग) और (घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड के समक्ष लम्बित है। "सेल" भी इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रहा है।

राष्ट्रीय तेल ग्रिड

4676. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तेल ग्रिड की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अब तक कितने भण्डारण और पैकिंग केन्द्रों की राज्य-वार कहां-कहां स्थापना की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीय आयल ग्रिड की स्थापना के उद्देश्य के क्रम में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को वनस्पति तेल परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2.35 लाख मीटरी टन तेल का भण्डारण; (ख) प्रतिवर्ष लगभग 1.4 लाख मीटरी टन की पैकिंग हेतु पैकेजिंग अवसंरचना का सृजन किया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने स्वदेशी तेल को वृहत मात्रा को अतिरिक्त वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्र में पहुंचाने के लिए एक किफायती परिवहन प्रणाली भी विकसित की है।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अब तक निम्नलिखित भण्डारण और पैकेजिंग केन्द्रों का वित्त पोषण किया है :—

राज्य	पैकेजिंग केन्द्र	भण्डारण
गुजरात	आनन्द	ईदर, भावनगर, जामनगर,
	जगुदण	राजकोट, धासा,
	सूरत	जूनागढ़, आनन्द, मेहसाम, काण्डला
मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन
कर्नाटक	बंगलौर	हासपेटबंगलौर,
	हासपेट	रायचूर
तमिलनाडु	मद्रास	त्रिवेन्नमलाई
	मदुराई	विरूधाचलम
	तिरूवेन्नमलाई	
उड़ीसा	भुवनेश्वर	खुर्दा
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	गड़वाल
	विशाखापत्तनम	हैदराबाद
		अनन्तपुर
महाराष्ट्र	बम्बई, धुले	धुले
उत्तर प्रदेश	नोएडा	नोएडा
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	कलकत्ता
अन्य	चण्डीगढ़	दिल्ली (1) मदर डेयरी
		(2) नरेला।

उड़ीसा में कृषि सम्बन्धी परियोजनाएं

4677. **श्री ब्रिजकिशोर त्रिपाठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने काजू के पौधारोपण और बाढ़ प्रवण नदियों के डूबे हुए क्षेत्रों में इन्टीग्रेटेड वाटर के शेड मैनेजमेंट की स्कीमों के लिए अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस योजना के लिए राशि आबंटित करने का विचार है; और

(ग उड़ीसा में कृषि के विचार के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के सम्बन्ध में 1991-92 के दौरान उड़ीसा सरकार को 350 लाख रु० की धनराशि आबंटित की गई है। राज्य सरकार ने इतनी ही धनराशि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। काजू रोपण मृदा सरक्षण के कार्यक्रमों की मदों में से एक है। बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उड़ीसा राज्य से कोई जल ग्रहण क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है।

(ग) उड़ीसा में कृषि और इससे सम्बन्धित क्रियाकलापों के विकास के लिए 198.05 करोड़ रु० का परिव्यय आबंटित किया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

4678. **डा० लाल बहादुर राव** :

श्री बलराम पासी :

श्री राजवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इनका उत्पादन, क्षमता के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वांछित सूचना विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादन में कमी इन कारणों से रही है :—

समुद्र के भीतर कुछ पाइपलाइनों में रिसाव, रिजवार्यर सम्बन्धी समस्याएं (दबाव में कमी, जी०ओ०आर० और वाटर कट में वृद्धि), अधिकारियों की हड़ताल और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब।

कच्चे तेल के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

	कच्चा तेल (मिलियन टन)		प्राकृतिक गैस (एम०एम०एस०सी०यू०एम०)	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
तटवर्ती (राज्यवार)				
1. असम*	5.81	5.07	2159	2211
2. अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.04	23	29
3. त्रिपुरा	—	—	25	70
4. गुजरात	6.36	6.31	1613	1696
5. तमिलनाडु	0.20	0.30	55	64
6. आंध्र प्रदेश	0.01	0.02	26	46
*नागालैंड सहित				
अपतटीय	22.32	21.21	13088	14082
कुल	34.69	33.00	16989	17998

भारतीय कृषि पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

4679. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :**

श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री गुरुदास कामत :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "एग्रीकल्चर-चैलेन्जिज एण्ड अपोरचुनिटीज" शीर्षक वाली विश्व बैंक रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि पर इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा अगस्त, 1991 में "एग्रीकल्चर-चैलेन्जिज एण्ड अपोरचुनिटीज" शीर्षक से देश की अर्थव्यवस्था के बारे

में एक शापन तैयार किया गया था जिसमें भारत में कृषि के कुछेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था।

(ख) कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कुछेक मुख्य सिफारिशें हैं—कृषि के लिए समग्र आवंटन में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र को चयनात्मक रूप से विश्व मंडी के लिए खोलना, कृषि पर पूंजी निवेशों की कुशलता को सुधारना, राजसहायता को युक्तसंगत और पात्र लोगों की ओर लक्षित बनाना, बढ़ती हुई मांगें पूरी करने के लिए कृषि को विविध बनाना, फसल उत्पादन के लिए किसानों को बेहतर प्रोत्साहन देना तथा ग्रामीण बैंकिंग को फिर से सुदृढ़ बनाना। उस रिपोर्ट में भारतीय कृषि को शेष विश्व को कृषि अर्थ-व्यवस्था के साथ जोड़ने को दलील दी गई है और कृषि में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए एक निदेशक पहलू के रूप मे मंडी के संकेतों पर तथा गैसे-सरकारीकरण पर अधिक जोर दिया गया है।

(ग) कृषि पर पूंजी निवेश की कुशलता को सुधारने के बारे में उस रिपोर्ट में की गई कुछेक सिफारिशें भारत सरकार की कृषि सम्बन्धी नीतियों के अनुरूप हैं। लेकिन भारतीय कृषि को विश्व कृषि अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चयनपरक और आदान-प्रदान पर आधारित होगा। इसी प्रकार, हालांकि विपणन और गैर-सरकारीकरण की अपनी भूमिका है तथापि भारतीय कृषि, विशेषकर वर्षा सिंचित कृषि के मामले में उनके काम-काज की कुछ सीमाएं है।

सी० सी० एल० द्वारा भूमि से बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास

4680. **श्री ललित उरांव** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में कोयला क्षेत्रों में सी० सी० एल० द्वारा अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि से बेदखल किए गए सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन लोगों के लिए रोजगार/पुनर्वास की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम०वी न्यामगौड) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित जी जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सी०सी०एल० तथा आई०सी०सी०एल० द्वारा उपकर की उगाही

4681. **श्री ललित उरांव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० तथा इंडियन कोकिंग कोल लि० द्वारा बिहार में वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान और 1991-92 में अब तक कितने उपकरण की उगाही की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बिहार सरकार को उपहार की कितनी राशि का भुगतान किया जाना था तथा इन दोनों कंपनियों ने कितनी राशि का भुगतान किया; और

(ग) शेष राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस०वी० न्यामगौड) : (क) से (ग) पटना उच्च न्यायालय की

रांची खंडपीठ द्वारा कोयले पर उपकर के संग्रहण को असंवैधानिक घोषित किए जाने से सम्बन्धित किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप बिहार में उपकर के संग्रहण को रोक दिया। कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार से प्रेषित किए गए कोयले के एवज में सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० तथा भा० को० को० लि० द्वारा उपकर के रूप में संग्रहण की गई राशि पर आधारित देय राशि तथा उपकर के रूप में संग्रहण की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

कंपनी	संग्रहण पर आधारित देय राशि	अदा की गई राशि	प्रगामी शेष बकाया राशि
से०को०लि०			
1-4-1988 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि			शून्य
1988-89	266.18	272.23	(—) 6.05
1989-90	246.63	191.30	49.28
1990-91 (5-11-90 तक की अवधि के सम्बन्ध में)	84.40	208.97	(—) 75.29
भा०को०को०लि०			
1-4-1988 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि			26.20
1988-89	285.66	280.19	31.67
1989-90	264.37	210.49	85.55
1990-91 (5-11-90 तक की अवधि के सम्बन्ध में)	122.43	121.49	86.49

टिप्पणी : इंडियन कोकिंग कोल कंपनी लि० के नाम की कोयला कंपनी विद्यमान नहीं है। माननीय सदस्य का आशय इस सम्बन्ध में शायद भारत कोकिंग लिमिटेड के सन्दर्भ में है।

उपर्युक्त के आधार पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने दि० 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार 75.29 करोड़ रु० की अधिक राशि की अदायगी कर दी है, जबकि भारत कोकिंग कोल लि० को 86.49 करोड़ रु० बिहार सरकार को अदायगी करनी है। यदि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को इस मामले में मिला दिया जाए तो दि० 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार

11.12 करोड़ रु० की राशि की अदायगी की जानी शेष है। कोल इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि अप्रैल, 1991 में कोल इंडिया लि० द्वारा बिहार सरकार को तदर्थ आधार पर 40 करोड़ रु० की अदायगी कर दी गई है। यदि अप्रैल, 1991 में तदर्थ आधार पर की गई इस अदायगी को हिसाब में लाया जाए तो बिहार सरकार को अदा किए जाने के लिए कोई राशि बकाया देय नहीं रहेगी।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

4682. **श्री ललित उरांव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से लेकर नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया; और

(ख) ऐसे आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जनवरी-दिसम्बर, 1991 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए एस०के०ओ० के आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) उत्पाद की उपलब्धता होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस० के० ओ० का आबंटन किया जाता है।

विवरण

आंकड़े मिलियन टन में

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	कुल आबंटन (जनवरी" 91-दिसम्बर "91)
1.	आंध्र प्रदेश	572805
2.	अरुणाचल प्रदेश	9027
3.	असम	241189
4.	बिहार	468240
5.	गोआ	26660
6.	गुजरात	781469
7.	हरियाणा	150903
8.	हिमाचल प्रदेश	35579
9.	जम्मू और कश्मीर	64181
10.	कर्नाटक	435695
11.	केरल	260267

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	380753
13.	महाराष्ट्र	1480432
14.	मणिपुर	19998
15.	मेघालय	15184
16.	मिजोरम	5756
17.	नागालैंड	9875
18.	उड़ीसा	152940
19.	पंजाब	319099
20.	राजस्थान	264939
21.	सिक्किम	6576
22.	तमिलनाडु	646060
23.	त्रिपुरा	19628
24.	उत्तर प्रदेश	906612
25.	पश्चिमी बंगाल	724838
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3571
27.	चंडीगढ़	20416
28.	दादर और नागर हवेली	3008
29.	दमन और द्वीयू	2941
30.	दिल्ली	238344
31.	लक्ष्यद्वीप	874
32.	पांडिचेरी	14053

बिहार में खनिजों का पता लगाना

[हिन्दी]

4683. **श्री ललित उरांव** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला, लोहारडगा, पलामू और रांची जिलों में खनिजों का पता लगाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में बाक्साइट, चूने का पत्थर, लौह अयस्क, अग्निसह मृदा का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में खोज कार्य कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूर्वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने गत तीन वर्षों के दौरान पलामू और रांची जिलों में सर्वेक्षण किया हैं। किन्तु गुमला और लोहारडागा जिलों में उक्त अवधि में कोई सर्वेक्षण नहीं किया।

(ख) जी०एस०आई० ने पलामू जिले के औरंगा कोल फील्ड के बनहरडी ब्लाक में 111.05 मिलियन टन कोयला होने का अनुमान लगाया है। रांची जिले के बबईकुंडी, सरजमडीह और सिन्दौरी क्षेत्रों में मामूली प्राथमिक स्वर्ण होने का संकेत मिला है। पलामू जिले के माझीवां कलां में बेसमेटल के अन्वेषण से अभी कोई उत्साहवर्द्धक परिणाम नहीं मिले हैं।

(ग) और (घ) गुमला, लोहारडागा, पलामू और रांची जिलों में बाक्साइड, चूना पत्थर, लोह अयस्क और फायरक्ले के लिए गवेषण करने के लिए अभी कोई कार्यक्रम नही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों में आग लगना

4694. **श्री छेदीलाल पासवान** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कोयला खानों में आग लगी हुई है और यह आग कब से लगी है;

(ख) अब तक कितने मूल्य का कोयला जल गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह आग बुझाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) आग सम्बन्धी समस्या मुख्यतः भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान है। कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पहले बहुत पूर्व से झरिया कोयला क्षेत्र के 17.32 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 70 जगहों पर आग लगी है। इस कोयला क्षेत्र में पहली आग लगने की सूचना 1916 में मिली थी। खानों के नाम और वर्ष जब पहली बार आग लगने की सूचना मिली थी, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आग के कारण कोयला भंडारों में हुए नुकसान का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। किन्तु कोयला कंपनी ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान कीमत में 1,110 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 37 मि० टन कोयले के भंडार इन आगों से नष्ट हो गए हैं।

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन आगों पर काबू पाने के लिए तत्कालीन खान मालिकों द्वारा कोई प्रभावकारी कदम निरन्तर रूप में नहीं उठाए गए थे। वर्ष 1972 तथा 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद झरिया कोयला क्षेत्र की बड़ी आगों को बुझाए जाने के सम्बन्ध में योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के लिए 114.57 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत

की गई है और ये योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप 5 आगों को पूर्णतः बुझा दिया गया है। इसके अलावा 3 स्थलों पर आगों को बुझाने से सम्बन्धित अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को पूरा कर लिया गया है और इन आगों को पूरी तरह से बुझाए जाने में कुछ और समय लगेगा। 13 अन्य स्थलों पर आगों को रोक दिया गया है और इसके आगे इन आगों को पूरी तरह से बुझाए जाने के सम्बन्ध में कार्य प्रगति पर है। अग्निशमन परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिए अग्निशमन-सम्बन्धी क्रियाकलापों पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण रखने के कार्य में सुधार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	खानों का नाम	आगों की संख्या	आग लगने के वर्ष
1.	फुलारीटांड	3	1928
2.	अंगारपाथरा	1	1957
3.	गाबलीटांड	1	1934
4.	जोगता	1	1942
5.	कनकनी	1	1952
6.	सेन्द्रा बंसजोरा	3	1922
7.	लोयाबाद	1	1958
8.	बसुरिया	1	1980
9.	बंसदेवपुर	1	1958
10.	गोपालीचक	1	1929
11.	इन्डस्ट्री	1	1951
12.	कुसुन्डा	1	1935
13.	अलकुसा	1	1931
14.	कुस्टोर	1	1927
15.	इना	3	1959
16.	राजापुर	3	1956
17.	कुजामा	2	1963
18.	भालगोरा	2	1940
19.	ई० भगतडी	1	1968
20.	सिमलाबहल	1	1965
21.	लोडना	3	1927

1	2	3	4
22.	बागडीगी	1	1935
23.	साउथ तिसरा	1	1973
24.	भौरा	2	1916
25.	बरारी	1	1919
26.	भुलन बरारी	2	1931
27.	सुदामडीह	2	1966/1977
28.	पाथरडीह	1	1968
29.	ब्लाक-II		
30.	बेनेडीह	1	1966
31.	नुडखुरकी		
32.	केसुरगढ़	1	1971
33.	कतरास छोटूडीह	2	1952
34.	तेतुलमारी	2	1938
35.	कुन्डुआडीह	2	1959
36.	पुटकी	1	1962
37.	ई० बसुरिया	2	1976
38.	भागाबन्ध	1	1978
39.	अमलाबाद	1	1981
40.	मूनीडीह	1	1976
41.	दामोदा	1	1970
42.	मुडीडीह	1	1952
43.	तीर्थ तिसरा	2	1964
44.	जीनागोरा	2	1944
45.	जोयरामपुर	1	1965
46.	जीलगोरा	1	उ०न०

इसके अलावा वर्ष 1952 और वर्ष 1967 के बीच के विभिन्न वर्षों में लगी शैलो गहराई की 5 उपर्युक्त छोटी आगों को राष्ट्रीयकरण के बाद से पहले ही बुझा लिया गया है।

बिहार में भभुआ में एल्यूमिनियम और बाक्साइट के भंडार

4685. **श्री छेदी पासवान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भभुआ जिले के अढोरा मंडल में एल्यूमिनियम और बाक्साइट के विशाल भंडार हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थल-वार इनकी खुदाई हेतु अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

4686. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में गुलेन्दी, पीपलाज और गागरिन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(क) 2470 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली गुलेन्दी परियोजना जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आशोधित करने हेतु 1/91 में राज्य सरकार को लौटा दी गई है।

पीपलाज परियोजना केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 4130 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली पीपलाद परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 17 करोड़ रुपए है, फरवरी, 1991 में प्राप्त हुई थी तथा राज्य सरकार से आशोधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए अद्यतन जल विज्ञान को ध्यान में रखते हुए सिंचाई आयोजना की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

10980 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली गागरिन परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 11 करोड़ रुपए है, मई, 1981 में प्राप्त हुई थी तथा राज्य सरकार से केन्द्रीय मूल्कांकन अभिकरण की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इसे आशोधित करने का अनुरोध सितम्बर, 1984 में किया गया था। आशोधित रिपोर्ट केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

असम में कच्चे तेल के भंडार

4687. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में हाल ही में भारी मात्रा में कच्चे तेल के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में खोज का कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) इससे प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेल प्राप्ति की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) असम में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० ने तेल के व्यापक भंडारों को स्थापित किया है। हाल की खोजों में कथोलोनी, हातियाली और कछार में की गई खोजें भी शामिल हैं। आगे का अन्वेषण चल रहा है। उत्पादन के लिए अनुमान करने के पूर्व नई खोजों को चित्रित करना होता है।

चूना पत्थर के भण्डार

4688. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में चूने के पत्थर के बड़े विशाल भण्डार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों में चूना-पत्थर के अनुमानित खनन योग्य भण्डार इस प्रकार हैं :—

राज्य	खनन योग्य भण्डार (हजार टन)
1 अरूणाचल प्रदेश	108,529
2. असम	731,792
3. मणिपुर	6,657
4. मेघालय	4,268,196
5. मिजोरम	शून्य
6. नागालैंड	308,948
7. त्रिपुरा	80

रसोई गैस कनेक्शन का कोटा

4689. **श्री नानी भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के वरिष्ठ रसोई गैस प्रबन्धक और मुख्य क्षेत्र प्रबन्धकों की सिफारिशों पर रसोई गैस कनेक्शनों का मासिक कोटा निर्धारित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में आयल पाम की खेती

4690. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आयल पाम की खेती के लिए और वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और आंध्र प्रदेश को अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने आयल पाम बीज उद्यानों, नर्सरियों, पिराई-इकाइयों की स्थापना और क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश में बीज उद्यान और पाम आयल निकालने वाली इकाई की स्थापना के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में 38 लाख रुपये की एक धनराशि दी जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन का विकास

4691. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ-साथ उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में खारे पानी में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो झींगा मछली पालन में लगे किसानों को अब तक दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के किसानों को आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में झींगा मछली पालन हेतु कुछ प्रतिशत भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन के विकास हेतु आठवीं योजना में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत झींगा पालन के लिए आंध्र प्रदेश में झींगा पालकों को अब तक राजसहायता के रूप में करीब 39.50 लाख रुपये की एक रकम दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 1987 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार झींगा पालन के लिए खारे पानी वाली भूमि पट्टे पर देने के लिए 60 प्रतिशत लाभार्थी मछुआरा

सहकारितायें, 20 प्रतिशत अपने रोजगार वाले टेकनोक्रैट, तथा शेष 20 प्रतिशत प्रगतिशील उद्यमी होंगे।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में खारे पानी में मछली पालन विकास हेतु सरकार द्वारा उठाये जाने के लिए कुछ प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :—

(1) विश्व बैंक की सहायता से झींगा पालन परियोजना का कार्यान्वयन जिसके तहत 80.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, नेल्लौर तथा प्रकासम नामक चार जिलों में लगभग 1393 हैक्टेयर निवल जल क्षेत्र कवर किया जाएगा।

(2) राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र दोनों के तहत खारे पानी में मछली पालन विकास के चल रहे कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखना।

(3) राज्य क्षेत्र में लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाना।

(4) बैकयार्ड हैचरियों आदि के माध्यम से अर्ध कुशल संचालकों को बढ़ावा देना।

धाकुनी कोल परियोजना

4692. **श्री रामनिहोर राय : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धाकुनी कोयला परियोजना का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना खर्च किया गया है;

(घ) मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप कितने प्रतिशत लागत बढ़ाने का अनुमान है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) से (ङ) जी, नहीं। इस परियोजना को वास्तविक रूप में (फिजीकली) पूरा कर लिया गया है, और यह पूर्णतः चालू किए जाने की प्रक्रिया के अधीन है। गैस का वाणिज्यिक उत्पादन मई, 1990 में शुरू किया गया था। धनकुनी कोयला काम्पलेक्स परियोजना द्वारा वर्तमान में गैस का उत्पादन 20 मिलियन सी० एफ० टी० की प्रतिदिन निर्धारित क्षमता की तुलना में लगभग 3 मिलियन सी० एफ० टी० किया जा रहा है। इस संयंत्र को पूर्णतः चालू किया जाना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के एक उपक्रम, ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन द्वारा गैस की वचनबद्ध की गई मात्रा की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। इस परियोजना पर नवम्बर, 1991 तक 126.36 करोड़ रु० का पूंजीगत परिव्यय किया गया है। इस परियोजना पर 49.27 करोड़ रु० की मूल लागत की तुलना में संशोधित लागत 135.37 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

बीज प्रजनन प्रौद्योगिकी के लिए पेटेन्ट अधिकार

4693. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चित मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा बीज प्रजनन प्रौद्योगिकी के पेटेन्टीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सम्बन्धी बातचीत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की गई बीज प्रजनन प्रौद्योगिकी हेतु पेटेन्ट अधिकारों की मांग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पेटेन्ट कानूनों पर राष्ट्रीय कार्यकारी दल ने, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, 26 नवम्बर, 1991 की कृषि, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों और अन्य सम्बन्धित गैट मामलों पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला ने पादपों और जन्तुओं के मामले में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों को अपनाने के खिलाफ तर्क दिया था।

(ग) भारतीय पेटेन्ट अधिनियम के तहत बीज और रोपण सामग्री को विशेष तौर पर छूट दी जाती है। यह सरकार की अब तक की स्थिति रही है। तथापि, बीजों के लिए पेटेन्ट अधिकारों के प्रश्न की जांच इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय की स्थायी नीति आयोजन समिति द्वारा की जा रही है।

चीन के प्रधानमन्त्री से वार्ता

4694. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के प्रधानमन्त्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनमें और भारतीय नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर हुई वार्ता के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या इस वार्ता के दौरान भारत चीन सीमा विवाद, परमाणु अप्रसार संधि और सीमा व्यापार जैसे द्विपक्षीय मामले भी उठाए गए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) चीन के प्रधानमन्त्री श्री ली फंग 11 से 16 दिसम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के साथ व्यापक बातचीत की तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की।

दोनों देशों के नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत-चीन सम्बन्धों के सुधार पर सन्तोष व्यक्त किया तथा पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर मैत्रीपूर्ण, अच्छी प्रतिवेशिता और परस्पर लाभदायक सम्बन्ध निरन्तर विकसित करने में अपनी तत्परता व्यक्त की।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें सीमा का सवाल तथा सीमावर्ती व्यापार के क्षेत्र सहित परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग का विषय भी शामिल था। नाभिकीय अप्रसार संधि से सम्बद्ध मसलों पर विचार विनिमय किया गया जिसमें नाभिकीय मसलों पर भारत की सुस्थापित और सैद्धान्तिक नीति को चीनी पक्ष के समक्ष दोहराया गया।

दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि मित्रतापूर्ण परामर्श के माध्यम से सीमा के सवाल का शीघ्र और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि सीमा का सवाल जब तक अन्तिम रूप से तय नहीं हो जाता तब तक वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखेंगे।

दोनों पक्षों ने व्यापार, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का रचनात्मक मूल्यांकन किया तथा कृषि, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग विकसित करने पर सहमत हुए।

शंघाई तथा बम्बई में प्रधान कोंसलावासों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में एक करार पर, एक कोंसली अभिसमय पर, सीमा व्यापार पुनः शुरू करने के ज्ञापन पर, 1992 के लिए एक व्यापार प्रोटोकोल पर और बाह्य अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग में सहयोग से सम्बद्ध एक ज्ञापन पर चीनी प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए।

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में तेल के लिए खुदाई का कार्य

4695. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में तेल के लिए खुदाई का कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उक्त खुदाई कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या रामनाथपुरम जिले में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रामनाथपुरम जिले में कूप उचीपुल्ली-I में ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है। शेष स्थानों की ड्रिलिंग के परिणामों और इन परिणामों के भू-वैज्ञानिक विश्लेषणों पर ड्रिलिंग कार्य का पूरा होना निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में गोदावरी गैस पाइपलाइन काकीनाडा से विशाखापत्तनम तक बढ़ाना

4696. **श्री रामकृष्ण कोंतालम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस पाइप लाइन को आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से विशाखापत्तनम तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब कार्यान्वित की जायेगी और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के गैस का उत्पादन होता है; और

(घ) कुल कितनी मात्रा और मूल्य की गैस का उपयोग किया जा रहा है और कितनी मात्रा और मूल्य की गैस बेकार जा रही है अथवा जलाई जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लगभग 4.3 लाख घन मीटर गैस प्रतिदिन जिसका मूल्य 6.1 लाख रुपये है ।

(घ) 5.9 लाख रुपये मूल्य की लगभग 4.2 लाख घन मीटर गैस का प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा है और 20,000 रुपये मूल्य के करीब 14,000 घन मीटर गैस प्रतिदिन जलाई जा रही है ।

देहरादून/मसूरी में मैंगनीज/कैल्शियम की खानें

4697. **श्री भुवनचन्द खंडूरी** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून/मसूरी में कार्यरत मैंगनीज/कैल्शियम की कितनी खानें हैं;

(ख) इस क्षेत्र में उक्त खनिज की खुदाई हेतु लाइसेंस देने की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खानों को बन्द करने/इनका कार्य स्थापित करने के बावजूद अवैध रूप से खुदाई अब भी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा दोषी अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देहरादून जिले में कैल्शियम (चूना-पत्थर) की दो खानें चालू हैं ।

(ख) चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने देहरादून/मसूरी क्षेत्र में खनन कार्य पर रोक लगा दी है, इसलिए इस क्षेत्र में मैंगनेशियम/कैल्शियम खनिजों के खनन हेतु लाइसेंस जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग

4698. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** :

श्रीमती दीपिका चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल (पेट्रोल) के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार एल्कोहल को ईंधन के रूप में उपयोग करने का विचार है जो देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेटोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) पेट्रोल के विकल्प के रूप में अल्कोहल के इस्तेमाल के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता स्थापित करने और संभावित परिचालनगत समस्याओं के समाधान के लिए अभी अध्ययन और परीक्षण किए जा रहे हैं। परन्तु, उपर्युक्त के अलावा, इसका वाणिज्यीकरण अल्कोहल की सतत उपलब्धता पर निर्भर है जो अभी सीमित है।

देश में रसोई गैस की खपत

4699. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** :

श्रीमती दीपिका चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश और गुजरात में पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश और गुजरात में 31 अक्तूबर, 1991 को रसोई गैस की पृथक-पृथक कुल कितनी मांग थी; और

(घ) इन राज्यों में रसोई गैस की सप्लाई बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान एल० पी० जी० की प्रति व्यक्ति खपत निम्नानुसार थी :—

	प्रति व्यक्ति/वर्ष
समस्त भारत	131.4 कि०ग्रा०
आंध्र प्रदेश	123.2 कि०ग्रा०
गुजरात	113.7 कि०ग्रा०

(ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान एल० पी० जी० की कुल खपत निम्नानुसार है :—

आंध्र प्रदेश	97,488 एम०टी०एस०
गुजरात	1,21,933 एम०टी०एस०

(ग) एल० पी० जी० की मांग हमेशा ही अधिक रही है। उपलब्धता में वृद्धि करने के उपायों में आयात के अतिरिक्त वर्द्धित देशी उत्पादन शामिल हैं।

कपास की फसल पर हवाई छिड़काव पुनः शुरू करना

4700. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास की फसल पर हवाई छिड़काव का कार्य पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को पुन: शुरू करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1991-92 के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कपास की फसल पर हवाई छिडकाव के कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना में 125 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रचालन शुल्क की व्यवस्था है।

(ग) हवाई छिडकाव का कार्यक्रम, जोकि सातवीं योजना के दौरान लागू था, को कपास की फसल को कीटों के गम्भीर हमले जोकि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, से बचाने के लिए पुन: शुरू कर दिया गया है।

बाम्बे हाई में तेल के रुग्ण कुएं

4701. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1991 तक बाम्बे हाई में तेल के कितने रुग्ण कुएं हैं और अब तक कितने तेल कुओं को बन्द किया गया है;

(ख) इनके बन्द होने से तेल के उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(ग) सरकार का वर्तमान स्थिति से निपटने तथा तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रस्ताव हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिनांक 1-11-1991 के अनुसार बम्बई हाई क्षेत्र में बीमार/निष्क्रिय और गैर-प्रवाही तेल कुओं/स्ट्रीगों की संख्या 79 थी।

(ख) 0.59 मि० मी० टन प्रतिवर्ष।

(ग) घरेलू उत्पादन में कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए पांच तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है।

(घ) जी, नहीं।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन

4702. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या गुट निरपेक्ष आन्दोलन का ग्रुप-7 के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) अकरा में 2 से 7 सितम्बर, तक आयोजित गुट निरपेक्ष देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श के दौरान भारत ने एक त्वरक

की भूमिका निभाई है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका को मजबूत करने के लिए भी सक्रिय प्रयास किए और इसके लिए उसने गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो को तथा सुरक्षा परिषद में गुट निरपेक्ष दल को पुनः सक्रिय किया।

(ख) और (ग) गुट निरपेक्ष आन्दोलन और जी-77 को मिलकर एक कर देने के प्रस्ताव पर अक्रा में मंत्रिस्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन 1977 में निकोसिया में सम्पन्न मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा स्थापित विधि-तन्त्र विषयक समिति को यह प्रादेश दिया गया था कि वह संयुक्त समन्वयकारी समिति बनाने के बारे में रिपोर्ट देगी।

विदेशी कम्पनियों को कोयला खनन के ठेके

[हिन्दी]

4703. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पानयों को कोयला क्षेत्र में कितने ठेके दिए गए हैं;

(ख) कितने ठेकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कितने ठेके अभी भी चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों के कार्य की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी कम्पनियों के बदले भारतीय कम्पनियों को ठेके देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) गत दो वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को 23 ठेके दिए गए।

(ख) उपर्युक्त 23 ठेकों में से 8 ठेके निरस्तादित कर दिए गए हैं तथा शेष 15 ठेके चल रहे हैं।

(ग) और (घ) इन ठेकों के कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा समय-समय पर कोयला कम्पनी और सरकार के स्तर पर की जाती है। इन ठेकों की कार्य की प्रगति सामान्यतः सन्तोषजनक पाई गई है।

(ङ) नई प्रौद्योगिकी को शुरू किए जाने तथा उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा में सुधार करने तथा कोयला की उच्चतर दर पर अधिप्राप्ति करने के लिए ऐसी विशेषज्ञता वाले अन्य देशों से चुनिंदा द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। विदेशी कम्पनियों को ठेके तब दिए जाते हैं जब सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और उपकरण देश में उपलब्ध नहीं है तथा ऐसी स्थिति में जब कि सहयोगी देश द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही हो।

रांची, बिहार में ग्रेफाइट के भंडारों का दोहन

4704. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के रांची जिले में ग्रेफाइट का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो दोहन कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) की अब तक जानकारी के अनुसार, बिहार के रांची जिले में किसी प्रचुर ग्रेफाइट खनिजीकरण का पता नहीं चला है। इस जिले में ग्रेफाइट गवेषण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तीसरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पहल

[अनुवाद]

4705. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में न्यूयार्क में ग्रुप-77 की मन्त्री स्तरीय बैठक में अपने भाषण में विकासशील देशों की गिरती हुई अर्थव्यवस्था में सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पहल का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अन्य सदस्य देशों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही के एक भाषण में उन्होंने विकास के लिए वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव का स्वागत किया था। बाद में 30 सितम्बर, 1991 को ग्रुप-77 के मन्त्रियों की बैठक में पारित घोषणा में इस प्रस्ताव को पृष्ठांकित किया गया।

दिल्ली में रसोई गैस की कमी

4706. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

श्री मदन लाल खुराना : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं को गैस सिलेन्डर प्राप्त करने के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) पिछले बारह महीनों के दौरान महीनावार दिल्ली में गैस सिलेन्डरों की आवश्यकता तथा उसकी की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में घरेलू प्रयोग और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए कनैक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश की बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं

[हिन्दी]

4707. **श्री राम बदन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं तथा उनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) राज्य की निर्माणाधीन बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं से अब तक कितना लाभ प्राप्त हुआ है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्राप्त 80 करोड़ रुपए की लागत की 31 बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों में से, 17 करोड़ रुपए की लागत की 10 स्कीमें अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेजी गई हैं। हाल में प्राप्त तीन को छोड़कर, अन्य स्कीमों पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेजी गई हैं।

(ख) निर्बाधन का समय मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों का सन्तोषजनक उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) इस समय सीमान्त तटबन्धों के निर्माण, कटाव-रोधी कार्यों, जल निकास तथा नगर सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 400 स्कीमें हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त बाढ़ सुरक्षा लाभों में सातवीं योजना के अन्त तक 14.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

उत्तर प्रदेश में पटसन अनुसंधान केन्द्र

4708. **श्री राम बदन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पटसन अनुसंधान केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है तथा वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तंजोर में तेल शोधक कारखाना

[अनुवाद]

4709. **श्री के० तुलसिऐमा वान्द्रायार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तजोर में एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल के लिए तमिलनाडु और असम की रायल्टी में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं;

(घ) कावेरी बेसिन में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए खोज सम्बन्धी गतिविधियों के विस्तार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) कावेरी बेसिन में कच्चे तेल के कुल कितने भण्डार होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मैसर्स मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तंजौर जिले के पन्ननगुडी ग्राम में 0.5 मि० मि० टन प्रतिवर्ष का एक क्रूड आसवन एकक स्थापित कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की दर पर सरकार द्वारा नियुक्त ईश्वरन समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(घ) और (ङ) कावेरी बेसिन में तेल और गैस के लिए अन्वेषण में सहयोग करने के लिए बोली से चौथे दौर में एक अपतटीय ब्लाक को आफर किया गया है । दिनांक 1-1-91 के अनुसार इस बेसिन में 8.31 मिलियन टन निकर्षण योग्य भण्डार है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध उत्पादों के संशोधित मूल्य

[हिन्दी]

4710. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिम्दी दुग्ध योजना द्वारा विपणित दुग्ध, मक्खन और घी के मूल्य हाल ही में संशोधित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के संशोधित मूल्य क्या हैं; और

(ग) यह संशोधित दरें कब से प्रभावी हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विपणित टोंड दूध के बिक्री मूल्य को 14-12-90 से 4.50 रु० से बढ़ाकर 5.00 रु० प्रति लिटर कर दिया गया था । घी और मक्खन के बिक्री मूल्यों में 7 अक्तूबर, 1991 से संशोधन किया गया था जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(रुपये प्रति पैक)

क्रम सं०	दुग्ध उत्पाद का नाम	से	तक
1.	घी		
	एक किलोग्राम पोलीपैक	80.00	90.00
	एक किलोग्राम टिन	84.00	95.00
	2 किलोग्राम टिन	167.00	190.00

1		2	3
2.	टेबल बटर (नमकीन)		
	100 ग्राम	7.50	8.00
	500 ग्राम	35.00	39.00
3.	सफेद मक्खन		
	500 ग्राम	36.00	40.00

पारादीप तेल शोधक कारखाने पर प्रतिवेदन

[अनुवाद]

4711. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पारादीप में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी व्यवहारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरार कार्यान्वित करना चाहती है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) 8वीं और 9वीं योजना अवधि के दौरान पूर्वी भारत में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक ग्रासरुट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के लिए नया भवन

4712. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर हेतु एक नया भवन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्यालय को किसी बड़े भवन में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसके लिए प्रतिमाह कितना किराया अदा किया जा रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 33,500/- रु० के मासिक किराए पर 7500 वर्ग फुट ।

कर्नाटक में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

4713. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ख) जनवरी, 1991 से अब तक मैसूर शहर में स्वीकृत नए पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां खोले गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिनांक 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार 925 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र थे। सरकार द्वारा केवल राज्यवार विवरण रखा जाता है।

(ख) जी, कोई नहीं।

फसल बीमा योजना

4714. **श्री वी० देवराजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने क्षेत्र में व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई है; और

(ख) चालू वर्ष में उक्त योजना को कितने क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) वृहत फसल बीमा योजना एक स्वैच्छिक योजना है। कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसे किसी भी क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र है। अतएव इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। फिर भी, वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1991-92 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

खरीफ, 1985 से खरीफ, 1991 तक वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	9032980.00
2.	असम	775541.84
3.	बिहार	2374401.64
4.	गोआ	9707.06

1	2	3
5.	गुजरात	9625569.00
6.	हिमाचल प्रदेश	22306.70
7.	जम्मू व कश्मीर	77358.00
8.	कर्नाटक	1433267.51
9.	केरल	307429.73
10.	मणिपुर	4759.00
11.	मध्य प्रदेश	7449052.00
12.	महाराष्ट्र	9446639.08
13.	मेघालय	14693.84
14.	उड़ीसा	1998893.17
15.	राजस्थान	1544600.00
16.	तमिलनाडु	1455513.06
17.	त्रिपुरा	19888.01
18.	उत्तर प्रदेश	5335468.00
19.	पश्चिम बंगाल	1632656.00
20.	अन्डमान व निकोबार	4145.34
21.	दिल्ली	1359.00
22.	पांडिचेरी	13066.72
	कुल :	51881255.50

कृषि और टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, उड़ीसा में व्याप्त अनियमितताओं का आरोप

4715. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उड़ीसा से विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं सम्बन्धी कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० वी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना

4716. **श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना को 1987 से विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस परियोजना से अब तक हुए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे किन-किन राज्यों को लाभ हुआ है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत संवितरण का ब्यौरा निम्नवत् है :—

वर्ष	संवितरण (मिलियन डालर में)
1988-89	शून्य
1989-90	6.050
1990-91	11.580

(ग) परियोजना का प्रयोजन अधिक विश्वसनीय, पूर्वानुमेय तथा समान सिंचाई सेवा के जरिए वर्तमान सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत उत्पादकता तथा कृषि आय बढ़ाना है । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रचालनात्मक योजना के आधार के लिए तैयार की गई निम्न लागत अवसंरचनात्मक सुधार अवस्था के लिए प्रावधान किया गया है ।

(घ) अब तक शुरू की गई 59 उप-परियोजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं । इनसे होने वाले लाभों का अभी अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है ।

(ङ) शुरू में, यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में शुरू किया गया था। बाद में, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हो गए ।

आंध्र प्रदेश में भूजल के लिए क्रमबद्ध सर्वेक्षण

4717. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वोडेडे** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल संसाधनों का क्रमबद्ध सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य कृषि योग्य कितना क्षेत्र भूजल संसाधनों के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने आंध्र प्रदेश राज्य में भूजल संसाधनों का क्रमबद्ध जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

(ख) इस राज्य के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों का अनुमान 43.366 घन किलोमीटर लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस राज्य में कृषि योग्य क्षेत्र, जिसे भूजल संसाधनों द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है, का अनुमान अस्थायी रूप से 5.19 मिलियन हेक्टेयर लगाया गया है।

पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर

4718. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1991 को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लिटर उत्पाद शुल्क बिक्री कर इत्यादि कितना-कितना था; और

(ख) इस शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को कितने राजस्व की आय हुई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) साधारण तापमान पर पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क निम्नानुसार है :—

	(रुपए प्रति करोड़)
पेट्रोल (एम० एस-87)	2.44
डीजल (एच एस डी)	0.35

एक राज्य से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच बिक्री कर बदलता रहता है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से अर्जित राजस्व लगभग निम्नानुसार है :—

	(रुपए करोड़)
पेट्रोल (कच्चा नैफ्था और एस० बी० पी० एस० शामिल है)	1200
डीजल	728

तेल उत्पादन की सप्लाई में कटौती

[हिन्दी]

4719. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने तेल उत्पादन की सप्लाई में पर्याप्त कटौती करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो मूल मांग में कितनी कटौती की गयी है;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) समिति की सिफारिशों को कब तक लागू करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

[अनुवाद]

4720. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रों के विकास हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पांच प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आएगी;

(ग) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है;

(घ) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के प्रथम छः महीनों के दौरान अलग-अलग कितनी मात्रा में तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने 1991-92 के दौरान तेल के आयात को कम करने हेतु कोई निर्देश जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने अक्तूबर, 1992 से पांच तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में नीलम, बुच्चा और पन्ना तेल क्षेत्र और बम्बई हाई क्षेत्र के एल II और एल III रिजर्वायर के अतिरिक्त विकास की परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं पर लगभग आठ हजार करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। यदि विदेशी मुद्रा का विमोचन और कार्य का दिया जाना समय पर हुआ तो इन परियोजनाओं का 1994 के पूर्वार्द्ध में चालू हो जाना निर्धारित है।

(घ) अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान कुल 14.02 एम० एम० टी० कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है जबकि अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान 13.22 एम० एम० टी० का आयात किया गया था।

(ङ) और (च) तेल का आयात तेल अर्थ बजट के अनुसार किया जाता है तो आनुषंगिक घटकों को हिसाब में लेकर तैयार होता है।

इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों को सुरक्षा जूतों की सप्लाई

4721. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के श्रमिक दुर्घटनाओं इत्यादि से बचने के लिये उपयुक्त सुरक्षा जूतों की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों के पास केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के ही उद्योगों से निर्मित ऐसे जूते हैं जो उनके मानक के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों ने सरकारी क्षेत्र के किसी जूता उत्पादन एकक के समक्ष प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सम्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा उपाय के रूप में कामगारों को नीति के रूप में अपेक्षित क्वालिटी/मानकों के अनुरूप सुरक्षा जूते उपलब्ध कराये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों से जांच-पड़ताल करने के पश्चात सुरक्षा जूतों की खरीद करते हैं। तथापि, गुणवत्ता, उत्पाद की विशिष्टियों, उद्धरित मूल्य, पार्टियों के निष्पादन आदि बातों को ध्यान में रखते हुए खरीद के लिए आर्डरों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

दिल्ली में नकली गैस रेग्युलेटर बनाने वाला गिरोह

[हिन्दी]

4722. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नकली गैस रेग्युलेटर बनाने वाले किसी गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके पास से कितने नकली गैस रेग्युलेटर पकड़े गए;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) फिलहाल ऐसी कोई घटना नोटिस में नहीं आई है।

गांवों में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन

[अनुवाद]

4723. **श्री जीवन शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध शहरी क्षेत्रों और शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक युवकों विशेषकर बेरोजगार स्नातकों को अधिक नौकरियां देने और गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस के

कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जहां-जहां, वर्तमान एक पंप या एजेंसी है, उसके बदले दो या तीन पंप और इससे अधिक एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों और एजेंसियों को दो या तीन भागों में बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नये बिक्री केन्द्र/एल०पी०जी० की एजेंसियां विपणन योजनाओं, उत्पाद उपलब्धता आदि के अनुसार विभिन्न स्थानों पर खोली जाती हैं। अधिकतम एल०पी०जी० कनेक्शन यथाशीघ्र देने के सतत प्रयास किए जाते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों के अलग से कोई आरक्षण नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश में घरेलू प्रयोग हेतु कोयले की आपूर्ति

4724. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने घरेलू उपयोग हेतु कोयले की आपूर्ति बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में कोयले के कतिपय भाग का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती दरों पर घरेलू प्रयोग के लिये आवंटन करने का है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वे सिक्को कोक नाम का एक घरेलू धुंआरहित ईंधन बनाते हैं, जिसकी आपूर्ति वे आंध्र प्रदेश के सभी जिलों और कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वितरकों के माध्यम से करते हैं। इस आपूर्ति को बन्द किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर कोयले का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव कोयला मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

केरल के कुट्टानाड में जल संतुलन अध्ययन

4725. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुट्टानाड में डच सरकार की सहायता से जल संतुलन अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डच सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जनवरी, 1987 में डच सरकार की सहायता से केरल के कुट्टानाड में जल संतुलन पर एक अध्ययन की शुरुआत की गयी थी जिसे दिसम्बर, 1989 में पूरा कर लिया गया था। इस अध्ययन में शामिल मदों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) तन्नीरमुक्कम रेगुलेटर के प्रचालन के विशेष संदर्भों के साथ जल की गुणवत्ता, जल-विज्ञान और झील की विशेषताओं पर दीर्घकालीन प्रभाव;

(2) जल-गुणवत्ता की भावी प्रवृत्तियों और सम्भावित पर्यावरणीय प्रभावों पर भविष्यवाणी; और

(3) जल की गुणवत्ता को संरक्षित रखने वाले जरूरी सुधारात्मक उपायों के बारे में योजना तैयार करना। इसके लिए डच सरकार ने 5.97 मिलियन डी०एफ०एल० (23 मिलियन रुपए के बराबर) का वित्तीय समर्थन दिया है।

ब्रिटेन में भारतीय दुकनदारों पर हमला

4726. **श्री आर० धनुषरोडी आदित्यन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी हाल के इन समाचारों से अवगत है कि ब्रिटेन के कुछ शहरों में भारतीय दुकानदारों पर हमला हुआ है और उनकी दुकानों को लूटा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन हमलों में हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2 सितम्बर, 1991 को बर्मिघम में हैंडसवर्थ में भारतीय मूल के ब्रिटिश राष्ट्रिकों की कुछ दुकानें लूटी गई थीं। इसमें किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई लगभग 5 लाख पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ था। बदमाशों द्वारा किये गये हमले में एशिया और ब्रिटेन के कुछ अन्य दुकानदारों को भी नुकसान हुआ था।

(ग) यू० के० स्थित भारत के हाई कमीशन ने ऐसे हमलों पर अपनी चिन्ता से और तत्काल पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता के बारे में उपयुक्त स्तर पर ब्रिटिश प्राधिकारियों को सूचित कर दिया है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की दूसरी खान में आग दुर्घटना

4727. **डा० आर०के०जी० राजुलु** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की दूसरी खान में कोई आग दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस आग दुर्घटना से कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) ऐसी आग दुर्घटनाएं भविष्य में न हों इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है; और

(च) कारपोरेशन को सुचारु रूप से चलाने तथा हानि से बचने के लिये खरीद तथा आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 23-7-1991 को नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खान II रिक्लेमर मशीन-II में आग लगने सम्बन्धी एक दुर्घटना हुई। यह मशीन हाइड्रोलिक सिलिंडर में बकेटव्हील-बूम को नीचे तथा हाईस्टिंग करने के लिए नियोजित मरम्मत कार्य के लिए रोक दी गई थी। यह आग रिक्लेमर के नीचे की बेल्ट में लगी थी। इस आग के परिणामस्वरूप मुख्यत: इलैक्ट्रिकल केबलों तथा उपकरणों के कारण लगभग 1.5 लाख रु० की हानि हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। इस सम्बन्ध में एक समिति द्वारा जांच की गई, जिसमें खान-II से सम्बद्ध क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ता शामिल थे। इस समिति के निष्कर्षों का सम्बन्ध निम्नलिखित के संबंध में था :

चूंकि रिक्लेमर मशीन निबन्धित मरम्मत कार्य के लिये रुकी हुई थी, तथा उस दिन काफी मात्रा में वेल्डिंग कार्य चल रहा था। वेल्डिंग कार्य से गर्म धातु नीचे पड़े एकत्रित लिग्नाइट के टुकड़ों (डस्ट) पर पड़ गई और इससे वे सुलग गए। तेज हवा से आग को बढ़ावा मिला और यह आग खुली आग के रूप में फैल गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। इस समिति ने ऐसी दुर्घटनाओं को पुन: होने से रोके जाने के लिये कुछ उपायों को भी सुझाया।

(ङ) और (च) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) सभी अग्निशमन सम्बन्धी तरीके, जैसे पानी का छिड़काव, आग बुझाने वाले उपकरणों, आदि तैयार स्थिति में रखा जाना।

(2) रेत तथा अन्य अग्निशमन उपकरणों को मशीनों में उपलब्ध करा दिया गया है।

(3) अतिरिक्त बचाव करने के लिये उपाय किये गये हैं, जहां वेल्डिंग की जानी है और यह कार्य उक्त क्षेत्र की अच्छी तरह से जांच करके और जहां कार्य किया गया है, उस स्थान पर अच्छी तरह से पानी का छिड़काव किया जाना।

(4) एक ऐसी पद्धति तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत केबल-डक्ट्स में फाइन-लिग्नाइट धूल तथा ढांचों में केविटिज को साफ करके या तो जल के छिड़काव के द्वारा अथवा वायु को चालित करके धूल को एकत्रित होने से रोका जा रहा है।

जल संसाधनों का विकास

4728. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों के विकास और दूर-दराज के क्षेत्रों में बसी जनसंख्या के लिये प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिये जल संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) क्या ढलान वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित प्रणाली का अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जल को रोकने और भू-संरक्षण के लिये बांध बनाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सितम्बर, 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय संसाधन विकास की आयोजना तथा विकास जहां तक सम्भव

हो, बहुप्रयोजनी परियोजना के रूप में किया जाना चाहिये । पेयजल के लिये प्रावधान पर प्राथमिक रूप से विचार किया जाना चाहिये । ये परियोजनाएं विभिन्न अन्य प्रयोजनों, जिनमें वन विकास भी शामिल होगा, हेतु जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी आवश्यक हैं ।

(ख) ढलान पर उत्पादन सहित अधिकांश सतही सिंचाई प्रणाली गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर कार्य करती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां चैक बांध मृदा संरक्षण और जलाशयों में जल भण्डारण के लिये बांध प्रदान किए जाते हैं ।

केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के निकट प्रस्तावित तापीय परियोजना

4729. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० ए० के० पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का केरल में कायमकुलम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तापीय परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थान के निकट किसी प्रमुख प्रतिष्ठापन का निर्माण करने का विचार था;

(ख) क्या अब इस प्रतिष्ठापन को साक्षशमकोट्टा में किसी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में चान्दोल बांध के कारण हुई हानि

4730. **श्री गुरुदास कामत :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बुक भाग, चान्दोल बांध ने बहुत सी जानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इससे बहुत से गांवों में फसल तथा सम्पत्ति की हानि भी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) परियोजना प्रशासन ने सूचना दी है कि चांदिल बांध द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गांवों के आप्लावन से अथवा उसमें डूबने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) और (घ) चांदिल बांध स्पिलवे के क्रेष्ट स्तर तक निर्मित किया गया है । क्रेस्ट तक जलअवरुद्ध होने से 6 गांव पूर्णतया प्रभावित हुए थे, अन्य 12 गांवों में मकानों और कृषि भूमि को आंशिक रूप से क्षति पहुंची थी तथा अन्य 29 गांवों में, गांवों अथवा मकानों को क्षति पहुंचाये बिना पानी कृषि क्षेत्रों

में प्रवेश कर गया था। आखिरी वर्ग के कुछ गांवों में धान के खेत 5% तक प्रभावित हुए थे। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां मालिकाना अधिकारों पर विवाद हैं, चांदिल जलमग्न क्षेत्र के पहले 30 गांवों में केवल एक को छोड़कर शेष सभी में अर्जित भूमि और मकानों के लिए मुआवजे का भुगतान पूरा कर दिया गया है। मुआवजे का भुगतान किए जाने के पश्चात भी गांववासियों ने अर्जित भूमि में खेती करना जारी रखा। सरकार अर्जित भूमि पर खड़ी फसल की क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं है।

भारतीय तेल निगम से निवेश वापसी का प्रस्ताव

4731. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम ने सरकारी पूंजी के 20 प्रतिशत भाग को लोगों को देने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

4732. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हजीरा-बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से गैस प्राप्त करके गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करने का है जिससे पूर्व उन कारखानों को चालू हो जाना चाहिए अन्यथा उपलब्ध गैस संसाधनों को अन्य प्रयोक्ताओं को दे दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तेल के आयात को कम करने के उपाय

4733. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल ब्यूरोक्रेसी की शक्तियों के ऊपर नियन्त्रण करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोवियत संघ द्वारा भारत को निर्यात किए गए तेल उत्पादकों में कमी करने की वजह से इम्पोर्ट बिल में वृद्धि होगी, उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) ब्यूरोक्रेसी सरकार के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियन्त्रण में है।

(ग) देशी कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादन में वृद्धि करने और तेल संरक्षण तथा मांग प्रबन्धन के उपायों को बढ़ावा देने के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि तेल के आयात में कमी की जा सके।

सिंचाई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन

[हिन्दी]

4734. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के संयुक्त रूप से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में योजना आयोग की सलाह मानने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप धनराशि की कमी के कारण ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) बेसिन राज्यों के बीच आपसी समझौते के जरिए अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं का प्रतिपादन किया जाता है और उनका संयुक्त कार्यान्वयन किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्वेषण, उनका प्रतिपादन, आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी आपसी प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं के बजट प्रावधानों में से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है तथा यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा किसी परियोजना से जोड़ी नहीं जाती। तथापि राज्य सरकारों के योजना प्रस्तावों, जिनमें अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं का परिव्यय भी शामिल है, को योजना आयोग की सहमति से अन्तिम रूप दिया जाता है।

खाना पकाने की गैस का अपव्यय

4735. **श्री छेदी पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रखरखाव सुविधाओं के अभाव में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी गैस किन-किन स्थानों पर बेकार हुई है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए किसी गैर सरकारी एजेंसी को ठेका देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जैसाकि तेल कम्पनियों द्वारा रिपोर्ट की गई है, उनके यहां रख-रखाव सुविधा के नहीं होने की वजह से एल० पी० जी० की कोई बर्बादी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई हाई में तेल उत्पादन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

4736. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में कम तेल उत्पादन के कारणों और उसी प्रबन्धन के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समिति के निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :—

यह कि कच्चे तेल की निकासी का स्तर विकास स्कीमों द्वारा अनुसंशित स्तर से भिन्न हो गया है और यह कि ऐसे विरचन को स्वीकृत उद्योग कार्य प्रणालियों के अनुसार उचित ठहराया गया था, परन्तु यह रिजर्वायर स्थिति के रखरखाव की दृष्टि से शायद उचित नहीं था; अधिक निकर्षण की अवधि के सम्बन्ध में दबाव रखरखाव स्कीमों के क्रियान्वयन में हुई विलम्ब से उच्च गैस-तेल का अनुपात आदि प्रभावित हुआ है किन्तु, यह कि ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह पता चले कि निकर्षण योग्य भंडारों के उत्पादन में हानियां ऐसे ही किन्हीं घटकों के फलस्वरूप हुई थीं ।

समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

"इण्डियन काउंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स" में अनियमितताएं

[अनुवाद]

4737. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स" में विद्यमान अनियमितताओं तथा कुप्रबन्धन से सम्बन्धित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार भारतीय विश्व कार्य परिषद को बेहतर बनाने और उसका शुरू जैसा स्तर फिर से कायम करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को भारतीय माल की बिक्री

4738. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ रिपोर्टों की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को बेचे जाने वाले भारतीय माल की बिक्री में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिनकी सप्लाई के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में भारी मांग है; और

(घ) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भारतीय माल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां विविध सामग्री खरीदती है जिनमें कम्प्यूटर, संचार उपकरण, लेसर सिस्टम, फाल पुर्जे इत्यादि शामिल हैं । जिन सामानों ने प्राथमिक रूप से भारत के हिस्से में बढ़ोत्तरी की है उनमें मशीनी पुर्जे, कुओं की खुदाई के रिग, कृषि उपकरण, जीप, भवन सामग्री, हाथ के औजार पम्प, चिकित्सीय और आपातकालीन राहत सामग्री शामिल है । भारत से वस्तुओं की खरीद को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय अपनायें हैं । संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से एक सीधा प्रसारण संपर्क स्थापित किया गया है और भारतीय वितरकों का एक कैटलोग तैयार किया गया है, जिससे वितरकों और संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकताओं का मिलान किया जा सके । सरकार ने अन्तर एजेंसी प्राप्ति कार्यशाला को कराने में पहल की है जिससे भारतीय उद्यमी और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के मुख्य क्रय अधिकारियों के बीच बातचीत को बढ़ावा मिल सके ।

गुजरात में उद्योगों को कोयला और इस्पात की सप्लाई में कमी होना

4739. **श्री काशीराम राणा :**

श्री हरिन पाठक : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के औद्योगिक एककों को कोयले और इस्पात के बोक्स वैगनों की निर्धारित क्षमता का आधे से भी कम मात्रा का आवंटन होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) रेल मन्त्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी, 1991 से जुलाई, 1991 की अवधि में गुजरात के लिए राज्य प्राथमिकता के अन्तर्गत कोयले के संचलन के लिए रेल द्वारा निर्धारित यथा अनुपात अधिकतम सीमा 12,229 बाक्स वैगनों की रखी गई थी । इसमें से रेलवे को गुजरात सरकार से 10,893 बाक्स वैगनों की अनुशंसा प्राप्त हुई, और इसने लदान के लिए 8221 बाक्स वैगनों की स्वीकृति दी, जोकि निर्धारित अधिकतम सीमा का 67% है ।

राज्य प्राथमिकता संचलन के अन्तर्गत लदान में कमी बिजली, सीमेंट, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण आयी है ।

वर्तमान में रेल मंत्रालय के अनुसार, गुजरात की औद्योगिक यूनिटों को इस्पात के संचलन के लिए वैगनों का आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है ।

इगतपुरी डाक यार्डस से पेट्रोल की चोरी

4740. **डा० वसन्त पवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इगतपुरी डाक यार्डस से पेट्रोल की चोरी के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने इगतपुरी स्टेशन पर पेट्रोल की चोरी के बारे में भारतीय रेलवे के विरुद्ध कोई दावा दायर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दावे कि राशि वसूल करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इगतपुरी स्टेशन में "होल्डिंगलाइन" में रखे एम० एस०/एच० एस० डी० टैंक वैगनों में चोरी की रिपोर्ट मिली है जो मुख्य स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आगे की जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय रेलवे के सतर्कता विभाग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह मामला सौंप दिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इगतपुरी स्टेशन की घटना के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने भारतीय रेलवे के विरुद्ध 17,11,163/- रुपये की राशि का दावा दायर किया है। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।

साफ्ट कोक की बिक्री में कथित अनियमितताएं

4741. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू प्रयोग के निमित्त साफ्ट कोक की नियत मूल्य पर बिक्री में सरकार ने कोई अनियमितताएं पाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आगे वितरण किए जाने के लिए साफ्ट कोक का आबंटन छमाही आधार पर करता है। कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियां, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित प्रायोजन के अनुसार साफ्ट कोक की आपूर्ति करती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में साफ्ट कोक की खुदरा कीमत निर्धारित करने का प्राधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित कीमत से खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत लिए जाने सम्बन्धी किसी शिकायत की जानकारी कोयला मंत्रालय को नहीं है। ऐसी शिकायतें मिलने पर उनकी जांच सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जाती है।

सेलम इस्पात संयंत्र

4742. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र ने जापानी स्रोतों से "स्टेकल मिल्स" खरीदी हैं;

(ख) क्यान उसके लिए अन्य विदेशी बोली लगाने वाले भी थे;

(ग) क्या सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा पुरानी परियोजना का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सेलम इस्पात संयंत्र ने अभी तक स्टेकल मिल की खरीद नहीं की है। सेलम इस्पात संयंत्र ने स्टेकल मिल के रूपांकन, विनिर्माण, सज्जीकरण, परीक्षण, संभरण, स्थापना तथा चालू करने के सम्बन्ध में अगस्त, 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित की हैं। प्राप्त निविदाएं फरवरी, 1992 में खोली जानी हैं।

(ग) और (घ) सेलम इस्पात संयंत्र के लिए एक पुरानी स्टेकल मिल की खरीद करने के लिए "सेल" का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे प्राप्त उत्पाद अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं होंगे।

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा जारी करने के प्रक्रिया को आसान बनाना

[हिन्दी]

4743. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से खनिजों के दोहन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों को अभ्यारण्य को छोड़कर अन्य विशेष खानों की भूमि पर खनिज दोहन का कार्य करने की छूट प्रदान करने का अधिकार देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राजस्थान सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किसी क्षेत्र को वन्येतर प्रयोजनों हेतु अपनाने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

सूखा-प्रभावित राज्यों को सहायता

4744. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

श्री के० प्रधानी :

प्रो० रासा सिंह रावत :

कुमारी बिमला वर्मा :

श्री सूरजभानू सोलंकी :

श्री रामलखन सिंह यादव :

श्री राम नाईक :

प्रो० राम कापसे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संयंत्री फसलों तथा पशुधन की कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(ग) ऐसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है और कितनी धनराशि वास्तव में ली गई है;

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय दलों ने कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया है; और

(ङ) केन्द्रीय दलों के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान सूखे की स्थिति के परिणामस्वरूप राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन भेजे हैं। किसी केन्द्रीय टीम ने प्रभावित राज्यों का दौरा नहीं किया है, क्योंकि वित्त राहत व्यय की वर्तमान योजना के तहत केन्द्रीय दल तैनात करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। फसल को हुए नुकसान जैसी कि राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी गई, उसके द्वारा मांगी गई सहायता तथा विपदा राहत कोष के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय सरकार के अंश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या (अनंतिम)	प्रभावित फसली क्षेत्र (अनंतिम) (लाख है०)	प्रभावित पशुधन (अनंतिम)	मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड रु०)	1991-92 के लिए केन्द्रीय विपदा राहत के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14	9.56	सूचना नहीं	*	49.21
2.	गुजरात	16	सूचना नहीं	सूचना नहीं	606.00	47.82
3.	मध्य प्रदेश	26	25.00	सूचना नहीं	220.00 1991-92 हेतु 95.46 1992-93 हेतु 124.30	20.81
4.	महाराष्ट्र	19	58.6	सूचना नहीं	789.41 1991-92 हेतु 576.58 1992-93 हेतु 212.83	24.75
5.	कर्नाटक	16 (5 गम्भीर रूप से)	4.79 (खरीफ-91) 6.34 (रबी—91)	सूचना नहीं	15.00	20.25

* कृषि आदानों के लिए 36.00 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत राजसहायता के रूप में 7.50 करोड़ रु० की मांग की गई है।

ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को रोकना

[अनुवाद]

4745. **श्री एस० एन० ब्रह्मो चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर नदी के ऊपरी क्षेत्र में उसकी सहायक नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन हो जाने के कारण इस नदी के तल में भारी गाद भर जाने की ओर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने उन सहायक नदियों को नियन्त्रित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्रह्मपुत्र बेकी-मानस-एई के उत्तरी किनारों पर सहायक नदियों और पगला दिया उप बेसिनों हेतु उपचारात्मक उपायों का पता लगाते हुए मास्टर योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इनमें पगलादिया नदी पर मुख्यतया बाढ़ नियन्त्रण कार्यों और एई नदी पर कटाव-रोधी कार्यों हेतु पगलादिया बांध (29 मीटर ऊंचा) सम्मिलित है।

उद्यान-कृषि का समन्वित विकास

4746. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमोत्तर राज्यों में उद्यान-कृषि के समन्वित विकास के लिए विश्व बैंक को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बल्गारिया का देश में सेब उद्यान लगाने में सहायता करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) उत्तरी-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक समन्वित बागवानी विकास परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। कुल 136.5 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से यह परियोजना सात वर्षों की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सेब और अन्य शीतोष्ण फलों, सब्जियों और फलों का समग्र विकास करना है जिससे उत्पादन, उत्पादकता, विस्तार सेवा और कटाई के बाद की अवसंरचना के सभी पहलू शामिल हैं। विश्व बैंक ने इस परियोजना का स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार बुल्गारिया के सहयोग से अक्तूबर, 1989 से जम्मू एवं कश्मीर में भारत-बुल्गारिया परियोजना क्रियान्वित कर रही है। जिसमें पुलवामा जिले में जैनापुरा फार्म में बागवानी का विकास करना शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बुल्गारिया सेब की व्यापारिक किस्म की कलम-रोपण सामग्री तथा 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बुल्गारिया से आयातित प्रकंद (रूटस्टाक) सेब की देशी अम्बरी किस्मों को लगाया जाएगा। यह परियोजना अक्तूबर, 1992 तक समाप्त होनी है।

कोयले का उत्पादन

4747. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री बलराज पासी :

श्री राजवीर सिंह :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान और 1991 में अब तक देश में, राज्य-वार, कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इसका उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार की गई है/तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(मिलियन टन में)

क्रम सं०	राज्य	*निम्नलिखित वर्षों के दौरान किया गया कोयले का उत्पादन	
		1990-91	1991-92 (सितम्बर, 91 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	17.708	8.90
2.	असम	0.679	0.34
3.	बिहार	67.488	27.04
4.	मध्य प्रदेश	65.351	29.14
5.	महाराष्ट्र	16.854	7.68
6.	उड़ीसा	16.272	8.30
7.	उत्तर प्रदेश	10.378	4.42
8.	पश्चिम बंगाल	17.002	7.54
	जोड़	211.732	93.36

* टिप्पणी : मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर के कोयले के उत्पादन को छोड़कर।

(ख) और (ग) इस्पात को छोड़कर, जहां मिश्रण के उद्देश्य से इस्पात संयंत्र कम राख वाले कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं, कोयले का वर्तमान उत्पादन तथा हमारे पास उपलब्ध पिट-हैड स्टाक सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के 1992-97 के मसौदे के अनुसार नई खानें आरम्भ करके, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण करके और नई प्रौद्योगिकी को लागू करके वर्ष 1996-97 में देश में 293.21 मि० टन के स्तर तक कोयले के उत्पादन किए जाने का अनुमान है।

नेपाल में आतंकवाद

4748. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के तराई क्षेत्र में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशक

4749. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति को आवश्यक नहीं समझा गया।

भूकम्प के संबंध में भारतीय उपयुक्त द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति

4750. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश में गढ़वाल में हाल में आये भूकम्प के संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता की आपूर्ति पर इसका क्या विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों को जानकारी देने के लिए भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों को कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। भारतीय हाई कमिश्नर की ओर से की गई यह कार्यवाही एक मिसाल है। जिससे दूसरे भी ऐसा ही योगदान देने के लिए प्रेरणा लेंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड किंगडम में भारतीय हाई कमिश्नर द्वारा 30 अक्तूबर, 1991 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति

भारत के प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव को सम्बोधित एक पत्र में भारतीय हाई कमिश्नर श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने हाल ही में उत्तरकाशी क्षेत्र में आए भूकम्प के कारण जान और माल की भीषण क्षति पर दुख: और अफसोस व्यक्त किया है। हाई कमिश्नर महोदय ने प्रधानमन्त्री जी को यह विश्वास दिलाया है कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग इन भूकम्प पीड़ितों की ओर से बेहद चिन्तित है और उनकी तकलीफों को कम करने के लिए जो भी योगदान जरूरी हो उसके लिए वे तत्पर हैं।

हाई कमिश्नर महोदय ने भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए दो महीने के वेतन की राशि प्रधानमन्त्री कोष में दान की।

बिहार में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

[हिन्दी]

4751. **श्री राम टहेल चौधरी :**

श्री साइमन मरांडी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक जिलेवार और वर्षवार पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आबंटित की गई;

(ख) इनमें से जिलेवार तथा कितने बिक्री केन्द्र तथा गैस एजेंसियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित की गई;

(ग) इन एजेंसियों के आबंटन के लिए जिलेवार कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या भविष्य में और अधिक पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई एजेंसियां आबंटित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क)

अवधि	खुदरा बिक्री केन्द्र		एल० पी० जी०	
	कुल	अ० जा०/अ० ज० जा०	कुल	अ० जा०/अ० ज० जा
1988-89	27	5	115	
1989-90	20	—	305	
1990-91	4	—	05	—
(अप्रैल-नवम्बर 91)	04	—	05	—
योग	55	11	30	4

(ख) सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी गई डीलरशिपों का केवल राज्यवार ब्यौरा रखती है।

(ग) सरकार ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

(घ) और (ङ) बिहार सहित विभिन्न राज्यों पर नये खुदरा बिक्री केन्द्र/एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं, उत्पाद उपलब्धता आदि के अनुसार खोली जाती हैं।

पाइपलाइन से चोरी

[अनुवाद]

4752. **श्री जीवन शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइपलाइनों से चोरी करने वालों का एक संगठित गिरोह जिसका जाल सम्पूर्ण गुजरात में फैला हुआ है तेलशोधक कारखानों में सक्रिय है जिससे भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या है; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल०पी०जी० सिलेंडरों की बिक्री में तथाकथित कदाचार

4753. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने दिल्ली में एल०पी०जी० डीलरों द्वारा किये जा रहे कदाचार को रोकने के लिए कूपन व्यवस्था प्रारम्भ की थी;

(ख) क्या सभी उपभोक्ताओं के लिए इन कूपनों को खरीदना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन एल०पी०जी० डीलरों द्वारा सड़क के किनारे बनी चाय की दुकानों और ढाबों को गैस सिलेंडर बेचे जा रहे है; और

(ङ) ऐसे सिलेंडर बेचकर इन डीलरों द्वारा कमाये जा रहे अनुमानित लाभ पर अंकुश लगाने के लिए निगम द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इंण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा सांबित हुए किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देश है कि वे एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की नियमित/अचानक/संयुक्त जांच करें ।

मध्य प्रदेश में चालू सिंचाई परियोजनाएं

4754. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चालू प्रत्येक सिंचाई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनमें से कुछ परियोजनाएं निश्चित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप प्रत्येक परियोजना लागत में कितनी वृद्धि हुई ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन वृहद और सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रुपये में/सिंचाई क्षमता हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	प्रारम्भिक अनुमोदित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत	सातवीं योजना के अन्त तक व्यय	90-91 के दौरान व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक क्षमता	90-91 के दौरान अतिरिक्त उपलब्धि	पूरा होने का नियत वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृहद परियोजनाएं										
1.	हरदेव बांगी	वार्षिक योजना (78-80)	115.30	692.88	304.64	34.27	392.0	52.0	37.0	आठवीं योजना से आगे
2.	महानदी जलाशय	IV	अननुमोदित	961.60	208.13	35.93	304.9	90.4	5.0	वही
3.	बारगी यूनिट-I	V	अननुमोदित	191.31	148.11	6.88	219.8	2.8	4.2	वही
	यूनिट-II	V	अननुमोदित	375.03	84.69	13.92				
4.	अपर वैनगंगा	V	50.60	149.88	108.87	6.42	103.9	59.7	—	आठवीं योजना के दौरान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	धनवार	वार्षिक योजना (78-80)	अननुमोदित	24 40	18.00	0.82	18.2	16.1	—	वही
6.	कोलार	IV	अननुमोदित	157.40	101.49	12.62	60.9		1.5	वही
7.	पैरी	IV	12.00	33.54	16.10	0.60	72.8	54.3	—	वही
8.	जोंक	IV	4.14	46.38	18.76	1.27	14.5	4.6	—	वही
9.	कोदार	V	2.94	38.28	20.71	1.15	23.3	19.6	—	वही
10.	मिध सोपान-I	IV	4.95	35.52	24.16	1.49	37.6	35.2	—	वही
11.	हलाली	वार्षिक योजना (78-80)	13.06	20.57	15.26	1.13	37.6	33.9	1.1	वही
12.	बाणसागर									
	यूनिट-I	V	91.31	448.03	117.95	7.20	249.0	—	—	आठवीं योजना से आगे
	यूनिट-II	V	अननुमोदित	403.28	53.69	10.07				
13.	राजघाट यूनिट-I	V	61.61	133.50	60.18	4.50	116.6	—	—	वही
	यूनिट-II	V	अननुमोदित	237.38	30.11	5.84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	बरिआरपुर बायां तटनहर	V	18.40	84.60	27.59	3.52	43.8	—	—	आठवीं योजना के दौरान
15.	उर्मिल	V	6.41	20.70	7.55	1.08	7.7	—	—	वही
16.	बावनथाडी (भारतीय मानक)	VI	अननुमोदित	89.78	10.56	1.29	29.4	—	—	आठवीं योजना से आगे
17.	माही	VI	27.10	99.50	18.27	4.10	26.4	—	—	वही
18.	सिंध सोपान-II	VI	अननुमोदित	607.67	25.06	5.38	120.0	—	—	वही
19.	रंगवान उच्च-स्तरीय नहर	IV	3.17	8.83	6.25	0.54	17.10	11.70	4.50	1992-93
20.	नर्मदा सागर	VI	1993.67 (समग्र)	752.16	10.09	3.83	169.00	—	—	आठवीं योजना से आगे
21.	मान	VI	अननुमोदित	44.10	13.27	8.61	19.20	—	—	आठवीं योजना के दौरान
22.	जोबत	VI	30.75	30.75	4.75	2.00	12.51	—	—	वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. महान		VI	अननुमोदित	80.00	14.35	4.63	19.70	—	—	आठवीं योजना से आगे
			कुल	5817.07	1470.59	179.09	2116.11	380.30	63.30	
मध्यम सिंचाई परियोजनाएं										
1. बुन्दाला		वार्षिक योजना (78-80)	2.10	34.20	9.58	0.69	4.50	0.50	0.10	आठवीं योजना के दौरान
2. तिल्लार		वही	2.86	32.90	25.21	3.46	9.9	1.5	1.0	वही
3. मात्तिया मोती		वही	1.61	20.00	14.09	1.19	6.5	4.0	2.0	वही
4. कन्हरगांव		VI	5.22	16.70	11.34	1.36	3.5	2.3	0.2	वही
5. गुनचट्टा		V	1.99	38.10	24.39	3.48	13.1	—	3.0	वही
6. कालीसोटे		वार्षिक योजना (78-80)	9.53	51.20	38.61	4.17	10.1	0.6	0.4	वही
7. देजला देवाडा		VI	16.43	45.20	29.18	2.45	12.2	1.0	2.3	वही
8. गौमुख		वार्षिक योजना (78-80)	3.50	25.50	20.56	1.99	8.0	3.5	0.5	वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	चोरल	वही	3.96	27.40	20.05	2.74	5.0	—	0.5	वही
10.	छीरपानी	VI	8.57	27.90	18.67	2.52	9.1	—	—	वही
11.	पिपरियानल्ला	V	4.97	12.50	8.88	0.53	6.9	5.5	0.5	वही
12.	मटियारी	V	4.89	44.30	31.16	4.40	13.7	4.6	—	वही
13.	चन्दोरा	वार्षिक योजना (78-80)	2.92	15.00	8.98	0.87	3.8	0.5	—	वही
14.	शिवनाथ दिक्परिवर्तन	V	0.42	7.60	4.14	0.73	5.9	0.6	0.1	वही
15.	घोलावाड़	वार्षिक योजना (78-80)	4.68	18.04	12.88	0.99	6.4	3.0	—	वही
16.	बंकी	V	3.12	17.75	11.04	0.36	3.4	2.5	—	वही
17.	बलार	V	2.67	10.90	8.05	0.35	5.6	5.5	—	वही
18.	बंजार	V	2.09	7.20	4.76	0.13	2.4	1.5	0.5	वही
19.	बरनई	VI	4.26	15.40	4.18	1.47	2.8	—	—	वही
20.	दुधी	वार्षिक योजना (78-80)	3.96	19.70	7.23	1.04	4.9	—	—	वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	बुढना	वही	1.99	21.60	10.05	1.10	3.2	—	—	वही
22.	लखुन्दर	VI	4.27	27.40	8.64	1.20	8.3	—	—	वही
23.	गाज	VI	अननुमोदित	23.90	2.96	1.79	4.4	—	—	आठवीं योजना के दौरान
24.	दोराहा	वार्षिक योजना (78-80)	3.49	4 97	4.05	0.32	2.8	2.0	0.5	वही
25.	रामपुर खुर्द	वही	1.51	10.90	2.29	0.89	3.1	—	—	वही
26.	बंदिया	VI	1.80	9.80	3.03	0.17	2.0	—	—	वही
27.	मंद दिक्परिवर्तन	V	2.51	40.40	7.90	2.00	13.1	—	—	वही
28.	बिलासपुर दिक्परिवर्तन	V	0.95	6.30	0.41	—	5.6	—	—	वही
29.	कोसारटेडा	VI	9.33	35.03	5.56	0.88	11.1	—	—	वही
30.	कुंवारी लिफ्ट	VI	1.02	3.80	0.19	0.04	3.9	—	—	वही
31.	बाह	VI	अननुमोदित	52.40	2.46	0.23	13.6	—	—	आठवीं योजना से
32.	सागर	VI	10.63	32.80	0.83	0.10	12.5	—	—	वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	मनुआर	VI	अननुमोदित	41.40	3.56	0.28	13.0	—	—	वही
34.	कमरपाकुट	वार्षिक योजना (78-80)	1.61	8.00	6.13	0.58	3.4	2.8	—	आठवीं योजना के दौरान
			कुल	796.19	371.04	44.31	227.7	41.9	11.6	

1. परियोजनाओं के पूरा होने का कार्यक्रम परियोजना के आकार, निधियों, निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा क्रियान्वयन के दौरान सामने आई तकनीकी समस्याओं पर निर्भर करता है। उपर्युक्त के अलावा, सामान्यतया वृहद परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम 10-15 वर्ष तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का 5 वर्ष होता है।

2. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब मुख्य रूप से क्रियान्वयन के दौरान कार्य क्षेत्र में बदलाव के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए निधियों का अपर्याप्त आवंटन, भूमि अधिग्रहण समस्याएं, सीमेन्ट, स्टील और डीजल जैसी दुर्लभ सामग्री उपलब्ध न होने के कारण होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियां

4755. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों को संसद द्वारा अनुमोदित कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन उत्पादकों के लिए कार्य योजना

4756. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार पटसन उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु एक दीर्घावधि कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है और इस पर कितना व्यय होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पटसन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में विशेष पटसन विकास कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र प्रवर्तित वर्तमान योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने का प्रस्ताव है ।

विशेष पटसन विकास कार्यक्रम की वर्तमान योजना के अन्तर्गत क्वालिटी बीजों के उत्पादन तथा वितरण, पौध रक्षण रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति, कृषि उपस्करों के वितरण तथा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शनों के आयोजनार्थ भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पटसन की उत्पादकता में वृद्धि करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि पटसन उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । आठवीं योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान इस योजना पर लगभग 46 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है ।

औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का जीन बैंक

[हिन्दी]

4757. **प्रो० राम कापसे** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का जीन बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में एक जीन बैंक स्थापित किया जा चुका है जिससे कि औषधीय और सगन्धीय पौधों और जड़ी-बूटियों सहित अन्य कृषि फसलों के जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) संरक्षित किए जा सके । इस समय जीन बैंक में विभिन्न फसलों के पौधों के कुल 1,43,897 जनन द्रव्यों

(जर्मप्लाज्मों) का संग्रह है जिसमें 665 नार्कोटिक और 138 औषधीय व सगन्धीय पौधों के नमूने भी शामिल हैं।

अमरीकी दल का कश्मीर दौरा

[अनुवाद]

4758. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :**

श्री ताताचन्द खण्डेलवाल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी उच्चाधिकार प्राप्त अमरीकी दल ने कश्मीर का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरे का उद्देश्य क्या था;

(घ) क्या ऐसे किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दल अथवा व्यक्तियों को कश्मीर घाटी का दौरा करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीकी दल ने कश्मीर पर कोई विचार व्यक्त किए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) अमरीकी कमाण्डर-इन-चीफ प्रशान्त क्षेत्र कमांड (सी०आई०एन०सी०पी०ए०पी०) एडमिरल लारसन के नेतृत्व में एक दल ने अक्तूबर, 1991 में जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी।

(ख) राजदूत एम०जे० विल्कन्सन, सी०आई०एन०सी०पी०ए०सी० के विदेश नीति सलाहकार, रियर एडमिरल आई०जी० वोस्ट, निदेशक, सामरिक नियोजन और नीति, कैप्टन जे०ए० रसेक, कार्यकारी सहायक, ले० कमाण्डर गालिहन, चिकित्सक, कैप्टन लिचफील्ड, ए०डी०सी० दल के अन्य सदस्य थे। उनके साथ राजनैतिक परामर्शदात्री रॉबिन राफेल, कर्नल रिचर्ड क्राइट्स, रक्षा और सेना अताशे तथा नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य के राजदूतावास से डुण्डास मैक कलाफ आये थे।

(ग) इस यात्रा का उद्देश्य अतिथियों को नियन्त्रण रेखा के इस तरफ भारत में शस्त्रों और गोलाबारूद के साथ बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित आतंकवादियों के अवैध रूप से घुस आने से उत्पन्न तनाव दिखाना था।

(घ) लेबर पार्टी के नेता और यू०के० के छाया विदेश मंत्री श्री गेराल्ड काफमैन ने भी अगस्त, 1991 में जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी।

(ङ) और (च) इस दल ने यह अनुभव किया कि उसने यहां स्थिति का और भारत की नीतियों और चिन्ताओं का बेहतर मूल्यांकन किया है।

पंजाब नेशनल बैंक की लखनऊ और कानपुर शाखाओं में धन का कथित दुर्विनियोजन

[अनुवाद]

4759. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक की लखनऊ और कानपुर की शाखाओं में नियुक्त कुछ अधिकारियों को सरकारी धन के कथित दुर्विनियोजन तथा ऋण मंजूर करने में नियमों के घोर उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विदेशों की वायु सेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4760. **श्री बी० देवराजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशिक्षक विभिन्न देशों की वायु सेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे प्रशिक्षण किन-किन शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जी, हां। ऐसे देशों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विदेशी मित्र देशों के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत चलाए जाते हैं :—

(1) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम।

(2) स्व-वित्तीय योजना।

विवरण

उन राष्ट्रों के नाम निम्नलिखित हैं जिनके प्रशिक्ष् भारतीय वायु सेना के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

1. बंगलादेश
2. बोस्तवाना
3. केनिया
4. मारीशस
5. नेपाल
6. श्रीलंका
7. सेशलस

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

4761. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पाकिस्तानी विमानों ने कितनी बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध जताया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पाकिस्तानी वायुयानों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के कुछ मामले हुए हैं। और अधिक विवरण देना वाछनीय नहीं होगा।

(ख) सरकार ने इन घटनाओं पर पाकिस्तानी सरकार ने अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त कर दी है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा आरक्षण नियमों का क्रियान्वयन

4762. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन सम्बन्धी सरकारी निर्देशों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने के लिए निगम द्वारा क्या कदम उठाये गये है और गत दो वर्षों के दौरान भरे गए रिक्त स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय तक भरे न गए पदों की ग्रेडवार स्थिति क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण का कोटा अखिल भारतीय आधार पर 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान वर्ग-वार भरी गई रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

	वर्ष	भर्ती			प्रोन्नति		
		कुल सं०	अ०जा०	अ०ज०जा०	कुल सं०	अ०जा	अ०ज०जा०
वर्ग-क	1990	—	—	—	2	—	—
	1991	—	—	—	4	—	1
वर्ग-ख	1990	—	—	—	20	3	—
	1991	—	—	—	1	—	—
वर्ग-ग	1990	12	4	5	19	4	1
	1991	3	—	1	14	3	1
वर्ग-घ	1990	9	1	2	—	—	—
	1991	4	1	—	—	—	—

(ग) पिछली रिक्तियों की अद्यतन स्थिति निम्नोक्त प्रकार है—

	अ०जा०	अ०ज०जा०
वर्ग-क	18	8
वर्ग-ख	14	8
वर्ग-ग	46	62
वर्ग-घ	2	9

आंध्र प्रदेश में कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना का क्रियान्वयन

4763. **श्री जे० चोक्का राव :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत प्रदेश में 1 नवम्बर, 1991 तक, कितने किसानों तथा कारीगरों को लाभ पहुंचा;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत तथा वितरित की गई; और

(ग) शेष धन राशि का वितरण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत हिताधिकारियों को दी गई राहत के जिलावार आंकड़े प्राप्त नहीं होने हैं। अलबत्ता, 7-12-1991 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में इस योजना के तहत 29.93 लाख हिताधिकारियों को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 883 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 7-12-1991 की स्थिति के अनुसार, आंध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक और आंध्र प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक को 222.30 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई और संवितरित की गई। इसमें से 111.15 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में दिया गया और 111.15 करोड़ रुपए ऋण राहत हेतु राज्य सरकार के हिस्से को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम से ऋण के रूप में दिया। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 64.15 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मंजूर किए जिसमें से 59.94 करोड़ रुपए अब तक जारी कर दिए गए हैं।

(ग) आशा है कि शेष राशि चालू या आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

4764. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, शहरी गरीबों आदि के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अप्रैल से अक्तूबर, 1991 और पिछले तीन वर्षों की समान अवधि में कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सहभागी बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नियत लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर लिया है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सरल बनाने वाला घटक है और इसलिए उसके लक्ष्य अलग से नियत नहीं किए गए हैं। जहां तक शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार का सम्बन्ध है, उसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में कमी आई है। कमी के मुख्य कारण, आवेदनों का पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होना, 5000/- रुपए की ऋण सीमा के अन्दर वित्त पोषण के लिए अर्थक्षम योजनाओं की अनुपलब्धता, स्वरोजगार की अपेक्षा वेतन भोगी रोजगार को प्राथमिकता देना आदि माने गए हैं।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान 1990-91 में अगस्त तक (नवीनतम उपलब्ध) तथा उसी के तदनुरूप गत 3 वर्षों के लिए जो बैंक ऋण राशि उपलब्ध कराई गई वह नीचे दी गई है—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बैंक ऋण की राशि
1988-89 (अक्तूबर, 88 के अनुसार)	489
1989-90 (सितम्बर, 89 के अनुसार)	391
1990-91 (अक्तूबर, 1990 के अनुसार)	405
1991-92 अगस्त, 1991 के अनुसार	206

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के मामले में आंकड़ा सूचना पद्धति में अप्रैल से अक्तूबर की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं होती है। फिर भी वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 की मार्च को समाप्त अवधि के लिए ऋणों की राशि नीचे दी गई है—

वर्ष	राशि करोड़ रुपए में
1988-89	138
1989-90	129
1990-91	67*

*अनन्तिम ।

छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन

4765. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनियों का प्रशासन छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है, और इन छावनियों का समुचित विकास नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने वाला कानून लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) छावनियों के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड उत्तरदायी है। छावनी बोर्ड संविधिक निकाय हैं तथा ये छावनी अधिनियम 1924 की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करते हैं। छावनी बोर्ड अपने सीमित संसाधनों के अन्दर ही विकास योजनाएं चलाते हैं।

(ख) छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कपड़ा मिलों को ऋण देना

[अनुवाद]

4766. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए अथवा इन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु कितनी ऋण-राशि अथवा अन्य रियायतें दी गई;

(ख) वास्तव में कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया अथवा अर्थक्षम बनाया गया; और

(ग) इसके द्वारा कितने कामगारों का पुनर्वास किया गया ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति अनुसार वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी० एम० एफ० एस०) के अन्तर्गत वस्त्र मिलों को आधुनिकीकरण सहायता के रूप में 1367 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त अगस्त, 1986 में जब से यह योजना लागू है तथा 31 जुलाई, 1991 तक रियायती दर पर आधुनिकीकरण ऋण जैसी दी गई अन्य रियायतें 32.33 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर हैं।

(ख) और (ग) 31 जुलाई, 1991 तक इस योजना के अन्तर्गत 357 मिलों को आधुनिकीकरण ऋण सहायता की स्वीकृति दी गई। 19 मामलों में पुनरुद्धार योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन मिलों को सहायता देने से कामगारों को बराबर रोजगार मिलता रहा है। कितने कामगारों को वास्तविक रूप में पुनः स्थापित किया गया है इसके बारे में जानकारी केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती।

आसनसोल तथा हावड़ा के बीच जी० टी० रोड की मरम्मत

4767. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल तथा हावड़ा के बीच जी० टी० रोड का टुकड़ा यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के इस टुकड़े की मरम्मत कराने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आसनसोल और हावड़ा के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सामान्यतया यातायात योग्य स्थिति में है। पिछले मानसून मौसम के दौरान इसमें कुछ नुकसान पहुंचा था जिसकी अब मरम्मत की जा रही है।

(ग) पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अब तक 1170.85 लाख रु० जारी किए जा चुके हैं, इसमें रा० रा०-2 भी शामिल है।

केरल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्ति

4768. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा 1990 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु जिन कुछ व्यक्तियों का अस्थाई रूप से चयन किया गया था उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति संभवतः कब तक की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, तिरूवनन्तपुरम द्वारा वर्ष 1990 में किए गए चयन से है, न कि उसके द्वारा 1990 में आयोजित की गई परीक्षाओं आदि से। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने सूचित किया है कि 1990 में उसके द्वारा चयनित कोई भी उम्मीदवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खपाए जाने के लिए शेष नहीं है।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

4769. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) शेष प्रस्तावों के मंजूर न किये जाने के क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

		लम्बाई
(I)	लंगतीसिंहा-बरपेटा-दौलासल-मुकलमुआ-हाजो से होते हुए उत्तरी सलमारा से मीनगांव तक, तथा	110
(II)	दीफू-लुम्बडिंग हफ्लांग से होते हुए मंजु से सिल्चर तक	250

(ग) और (घ) नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने सम्बन्धी निर्णय, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्डों, राशियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

ऋण माफी योजना

4770 **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री 22 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड द्वारा अनुदान अथवा ऋण के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को मंजूर की गई तथा दी गई राशि का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितनी राशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कृषि और ग्रामीण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत 14-12-1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से मंजूर और जारी की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, वे अखिल भारतीय संस्थान हैं अतः उनके लिए राज्य वार ब्यौरे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तथापि, अब तक सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को 755.04 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

(ख) सरकार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में पूरी प्रतिपूर्ति करती है, जबकि सहकारी बैंकों के मामले में ऐसी प्रतिपूर्ति उक्त उद्देश्य के लिए सरकारी बजट में किए गए प्रावधानों के तहत की जाती है। वर्ष 1990-91 के बजट में कुल 1500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं और इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के बजट में कुल 1500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं और इनमें से 1000 करोड़ रुपये का उपयोग भी किया जा चुका है। इस वर्ष के बजट की शेष धनराशि को भी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रतिपूर्ति के लिए शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा। शेष धनराशि अगले वर्ष के बजट में दिये जाने का विचार है।

विवरण

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को मंजूर और जारी अनुदानों और ऋण की राज्यवार स्थिति

14-12-91 की स्थिति
(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		राज्य सहकारी बैंक				राज्य भूमि विकास बैंक			
		अनुदान		ऋण		अनुदान		ऋण		अनुदान	
		मंजूर	जारी	मंजूर	जारी	मंजूर	जारी	मंजूर	जारी	मंजूर	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	गुजरात	4.174	4.174	90.286	90.286	90.286	90.286	17.12	17.12	17.12	17.12
2.	कर्नाटक	49.545	49.54	32.678	32.678	32.678	32.678	13.65	13.65	13.65	13.65
3.	मध्य प्रदेश	25.714	25.384	77.53	77.53	77.53	77.53	16.65	16.65	16.65	16.65
4.	उड़ीसा	36.016	34.206	45.529	45.529	48.529	48.529	12.04	12.04	12.04	12.04
5.	पश्चिम बंगाल	29.222	29.222	36.27	36.27	36.27	36.27	9.00	9.00	9.00	9.00
6.	अंडमान निकोबार	—	—	—	—	0.05	0.05	*	—	*	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	पंजाब	0.521	0.521	50.00	50.00	50.00	50.00	3.00	3.00	3.00	3.00
8.	हरियाणा	10.996	10.996	41.00	41.00	41.00	41.00	13.52	13.52	13.52	13.52
9.	हिमाचल प्रदेश	0.272	0.272	6.214	6.214	6.214	6.214	0.83	0.83	0.83	0.83
10.	असम	7.570	7.579	6 563	6.563	6.563	6.563	0.645	0.645	0.645	0.645
11.	मेघालय	0.217	0.217	2.09	2.09	2.09	2.09	*	—	*	—
12	त्रिपुरा	4.964	0.784	0.33	0.33	0.33	0.33	0.365	0.16	0.365	0.16
13.	मणिपुर	0.089	0.01	1.155	0.66	1.1555	0.66	*	—	*	—
14.	मिजोरम	0.294	0.294	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	नागालैंड	0.053	0.053	0.33	0.33	0.33	0.33	*	—	*	—
16	अरूणाचल प्रदेश	0.056	0.056	0.50	0.50	0.50	0.50	—	—	—	—
17.	आंध्र प्रदेश	64.15	59.947	66.802	66.802	66.802	66.802	44.35	44.35	44.35	44.35
18.	राजस्थान	38.712	38.712	71.036	71.036	71.036	71.306	7.96	7.96	7.96	7.96
19.	उत्तर प्रदेश	58.913	58.913	128.161	128.161	128.161	128.161	33.02	33.02	33.02	33.02
20.	तमिलनाडु	6.084	6.084	93.857	93.857	66.857	66.857	28.79	28.79	28.79	28.79
21.	पांडिचेरी	*	—	—	—	1.024	1.024	—	—	0.05	0.05
22.	बिहार	50.723	50.691	93.37	93.37	93.37	93.37	44.00	44.00	44.00	44.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	महाराष्ट्र	12.87	12.849	134.13	134.13	134.13	134.13	40.31	40.31	40.31	40.31
24.	गोवा	*	—	0.508	0.50	0.508	0.50	*	—	*	—
25.	जम्मू व कश्मीर	3.87	3.87	9.765	9.765	9.765	9.765	0.445	0.445	0.445	0.445
26.	केरल	6.517	6.517	26.125	23.33	26.125	23.33	5.00	5.00	5.00	5.00
27.	नई दिल्ली	*	—	—	—	0.10	0 10	*	—	*	—
28.	चण्डीगढ़	*	—	0.076	—	0.076	0.076	—	—	—	—
	जोड़	411.681	400.908	1014.09	1010.716	991.074	987.776	290.695	290.495	290.745	290.54

* राज्य में कोई बैंक नहीं है ।

पूर्व-लदान आलेखन प्रक्रिया

4771. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1991 से लागू हुई नई मानकीकृत पूर्व-लदान आलेखन प्रक्रिया निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके सरलीकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यातक संगठनों, सीमाशुल्क विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक करके महानिदेशक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अध्यक्षता में डी० जी० आई० टी० के कार्यालय में गठित निर्यात सरलीकरण समिति द्वारा नई क्रियाविधि की दो महीने में एक बार पुनरीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के मुम्बई-अहमदाबाद खण्ड को चौड़ा करना

4772. **श्री राम नाईक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के मुम्बई-अहमदाबाद खंड को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब शुरू होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) चार लेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल करना एक सतत कार्य है जिसे अग्रिम योजना बनाने, संरेखण को निश्चित करने, परियोजना तैयार करने आदि के लिए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। बम्बई से अहमदाबाद तक रा० रा० 8 की 502 कि० मी० लम्बाई में से 35 कि० मी० में पहले ही चार लेन हैं तथा 101 कि० मी० में चार लेन बनाने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खंडों में 4 लेन बनाने के लिए सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है जिनकी कुल लम्बाई 86 कि० मी० है। इन कार्यों के लिए प्राक्कलनों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और संस्वीकृत किया जाना है। अतः अभी उनके शुरू होने की तारीख नहीं बताई जा सकती।

सशस्त्र बलों की भर्ती

[हिन्दी]

4773. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के प्रथम आठ महीनों के दौरान देश में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के विभिन्न विभागों में की गई भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ख) क्या इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया;

(ग) यदि हां, तो परीक्षा का माध्यम क्या था; और

(घ) क्या विकल्प के रूप में भारतीय भाषाएं, विशेषकर हिन्दी रखी गई थीं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

थलसेना और नौसेना में अन्य रैंकों की भर्ती के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :

अन्य रैंकों की भर्ती के लिए आवेदन-पत्र प्रणाली आरम्भ की गई है । इस प्रणाली के अन्तर्गत उम्मीदवार को सम्बन्धित क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय को सीधे ही आवेदन-पत्र भेजने होते हैं जहां रिक्तियों की संख्या, आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदण्डों, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाणपत्रों आदि के आधार पर आवेदन-पत्रों की छंटनी की जायेगी । क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय छांटे गए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए पत्र सीधे ही भेजेगा जिसमें उन्हें निर्दिष्ट तारीख और समय पर उनके निवास स्थान के निकट नियत किए गए स्थान पर जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा । जांच परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने पर उम्मीदवारों को निम्नलिखित भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी :—

(1) **शैक्षिक योग्यता** : उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और उनकी जन्म-तिथि सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की जांच की जाती है ।

(2) **शारीरिक नाप-तोल** : निर्धारित किए गए पात्रता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ये नाप-तोल की जाती हैं ।

(3) **शारीरिक क्षमता परीक्षण** : जिन उम्मीदवारों का शारीरिक नाप-तोल निर्धारित मानकों के अनुसार होता है उन्हें विभिन्न शारीरिक क्षमता परीक्षण देने पड़ते हैं ।

(4) **डाक्टरी जांच** : भर्ती चिकित्सा अधिकारी उम्मीदवारों को तीन श्रेणियों अर्थात् भर्ती के लिए "उपयुक्त" अथवा "अस्थायी रूप से अनुपयुक्त" अथवा "अनुपयुक्त" में बांटते हैं । भर्ती के लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त और "अनुपयुक्त" उम्मीदवारों को उनकी विफलता के कारण से अवगत करा दिया जाता है । ये उम्मीदवार यदि चाहें तो उपचारात्मक इलाज/भर्ती चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों के खिलाफ अपील करने के लिए निर्धारित सैन्य अस्पताल में जा सकते हैं ।

(5) **लिखित परीक्षा** : नियत तारीख और समय पर सम्पूर्ण देश में लिखित परीक्षा ली जाती है ।

(6) **साक्षात्कार/अभिरूचि परीक्षा** : धर्म शिक्षक, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (केटरिंग) और हवलदार (शिक्षा) जैसी कतिपय श्रेणियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार/अभिरूचि परीक्षा भी आयोजित की जाती है ।

(7) **योग्यताक्रम सूची** : अन्ततः सफल उम्मीदवारों की योग्यताक्रम-सूची तैयार की जाती है ।

(8) **सफल उम्मीदवारों की भर्ती और उन्हें भेजना** : योग्यताक्रम सूची में शामिल उम्मीदवारों की भर्ती करके उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है ।

2. लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी—दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। उम्मीदवार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखकर उत्तर दे सकते हैं। तथापि, शिक्षा शाखा में क्लर्कों और हवलदार के रूप में भर्ती के लिए अंग्रेजी के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न-पत्र का कुछ भाग अंग्रेजी में ही रखा जाता है और उसका उत्तर अंग्रेजी में ही लिखकर देना होता है। क्षेत्रीय भाषाएं अंग्रेजी में नहीं लिखी जायेंगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति नहीं दी गई है।

3. वायुसैनिकों की भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है :—

भारतीय वायुसेना में वायुसैनिकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है और तत्पश्चात् ट्रेड आबंटन परीक्षा ली जाती है। प्रश्न-पत्र वस्तुपरक होते हैं। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी ट्रेडों में भर्ती के लिए भारत के सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों से वर्ष में दो बार आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तकनीकी ट्रेडों के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है जबकि गैर-तकनीकी ट्रेडों के लिए प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।

4. सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा सेना चयन बोर्डों के माध्यम से सीधे ही की जाती है। अफसरों के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

[अनुवाद]

4774. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊनी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या ऊनी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाने अथवा नीति अपनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार ऊनी वस्त्र उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है। इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद नोडीय अभिकरण है। परिषद ने संभाव्य बाजारों को निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं तथा नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों में शामिल हैं : नये बाजारों और नये उत्पाद केन्द्रों का विकास करना, बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऊनी वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए 781 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शुद्ध बचत के आंकड़े

4775. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

डा० परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1991 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किये आंकड़ों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये देश की शुद्ध बचत के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) यदि आंकड़ों में कोई भिन्नता है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चुनिन्दा वर्षों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा (फरवरी 1991 में) अनुमानित देश की निवल बचतों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	चालू कीमतों पर निवल बचतों के अनुमान	
	भारतीय रिजर्व बैंक	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
1980-81	16,698	16,699
1988-89	40,672	44,208
1989-90	47,547	50,387

(ख) दोनों संगठनों के निवल बचतों के अनुमानों में अन्तर के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :—

(I) भारतीय रिजर्व बैंक अपने अनुमान मुद्रा और वित्त सम्बन्धी रिपोर्ट में प्रकाशनार्थ, अक्तूबर/नवम्बर में तैयार करता है, जबकि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन अपने वार्षिक अनुमान जनवरी/फरवरी में तैयार करता है। इस प्रकार अधिक नवीनतम आंकड़ों की उपलब्धता से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए अनुमानों से भिन्न होते हैं, जोकि पहले के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। प्रकाशन में इस अन्तर के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र और घरेलू बचतों से सम्बन्धित अनुमानों में अन्तर होता है।

(II) गैर-सरकारी निगमित बचतों के अनुमानों में अन्तर, प्रकाशन के समय और अनुमानों के सम्बन्ध में दोनों संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली अलग-अलग पद्धतियों के कारण हैं।

ग्रामीण झोंपड़ी बीमा योजना

4776. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण झोंपड़ी बीमा योजना की शुरूआत से राज्यवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से लेकर 31 जुलाई, 1971 तक, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, राज्यवार लाभभोगियों की

संख्या के सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	48078
अरुणाचल प्रदेश	शून्य
असम	208
बिहार	30318
गोवा	118
गुजरात	234
हरियाणा	153
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू एवं कश्मीर	7
कर्नाटक	5787
केरल	2656
मध्य प्रदेश	283
महाराष्ट्र	2761
मणिपुर	2
मेघालय	शून्य
नागालैंड	1
मिजोरम	शून्य
उड़ीसा	9758
पंजाब	153
राजस्थान	3327
सिक्किम	शून्य
तमिलनाडु	20386
त्रिपुरा	317
उत्तर प्रदेश	30095
पश्चिम बंगाल	16749
अण्डमान एवं निकोबार	शून्य

1	2
चण्डीगढ़	25
दादर एवं नगर हवेली	शून्य
दमन एवं दीव	शून्य
दिल्ली	314
लक्षद्वीप	शून्य
पांडिचेरी	521
जोड़	1,72,188

(ख) मे (घ) लम्बित दावों के निपटान में विलम्ब केवल दावेदारों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण हैं। सामान्यत: दावों का निपटान पूर्ण दस्तावेज और निर्धारित रिपोर्ट प्राप्त होने के दस दिन के भीतर किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय सहभागिता

4717. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान भाग लिया;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त व्यापार मेलों में कितना व्यापार किया गया तथा कितना लाभ कमाया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विदेशों में 121 मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। विदेशों में आयोजित मेलों के नाम तथा स्थानों का ब्यौरा विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 में दिया गया है।

(ख) खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	मेलों की संख्या	खर्च
1988-89	40	971.93
1989-90	43	1,274.82
1990-91	38	1,153.63
योग :	121	3,400.38

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	बुक किया गया व्यापार	तय किया जा रहा व्यापार
1988-89	38,492.81	82,895.58
1989-90	52,872.56	113,792.99
1990-91	44,179.73	91,058.02
योग :	135,545.73	287,746.88

विवरण-1

क्रम सं०	मेले का नाम	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
	(क) **सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले :**		
1	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली)	14-21 अप्रैल, 1988	हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, उपहार एवं सजावटी सामान, सिले-सिलाए परिधान, कालीन, चमड़ा एवं चमड़े से निर्मित वस्तुएं ।
2.	अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला, बनो (चेकोस्लोवाकिया)	16-21 अप्रैल 1988	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान जैसे घरेलू साज-सज्जा का सामान, सूती वस्त्र, सिले सिलाए परिधान, रसोई के उपकरण, कार्यालय उपकरण, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, खाद्य उत्पाद खेल-कूद का सामान चाय, काफी और समुद्री उत्पाद इत्यादि ।
3.	ओसाका अन्तर्राष्ट्रीय मेला ओसाका (जापान)	23-30 अप्रैल, 1988	वस्त्र, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, समुद्री उत्पाद इत्यादि ।
4.	जिम्बाब्वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बुलवायो (जिम्बाब्वे)	23-30 अप्रैल, 1988	भारी एवं हल्के इंजीनियरी उत्पाद रसायन, वस्त्र, उपभोक्ता सामग्री ।

1	2	3	4
5.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैंड)	12-19 जून, 1988	मोपेड और स्कूटर, हल्के इन्जीनियरी सामान, रसोई उपकरण इत्यादि, थर्मस फ्लास्क, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चाय और काफी इत्यादि ।
6.	बुखारेस्ट अतर्राष्ट्रीय मेला, बुखारेस्ट (रोमानिया)	12-22 अक्तूबर, 1988	दूरसंचार हेतु मशीनें और उपकरण, विद्युतीय इंजीनियरी, पावर जनरेशन धातु कार्य, लुगदी और पावर उद्योग और हल्के उद्योग हेतु मशीनें, कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ ।
7.	विदेशी आयात मेला "प्रगति हेतु साझीदार" बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य)	7-11 सितम्बर 1988	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान परिधान, हस्तशिल्प, कालीन, सजावटी सामान और उपहार की वस्तुएं ।
8.	नैरोबी अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी (केन्या)	27 सितम्बर— 1 अक्तूबर, 1988	कृषि-मशीनें, भारी और हल्की मशीनों के उपकरण, दस्ती औजार रसायन एवं उर्वरक, वस्त्र, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, लघु उद्योग एकक और कृषि उत्पाद इत्यादि ।
9.	बगदाद अंतर्राष्ट्रीय मेला बगदाद (इराक)	1-15 नवम्बर, 1988	सभी प्रकार का भारी और हल्का इंजीनियरी सामान यथा कृषि मशीनें, रोलिंग स्टाक, भारी एवं हल्के वाहन, हार्ड-वेयर, चाय, काफी, काजू, वस्त्र और सिले-सिलाए परिधान, जूट और जूट उत्पाद इत्यादि ।
10.	आस्ट्रेलिया द्विशतवार्षिकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	23-31 जुलाई, 1988	हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, उपहार एवं साज-सज्जा सामग्री, कालीन सिले-सिलाए परिधान, और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, काफी, मशीनी औजार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ।

1	2	3	4
11.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी)	23 सितम्बर— 2 अक्तूबर, 1988	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्ची सामग्री, लकड़ी, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन और भवन निर्माण उद्योगों हेतु मशीनें, अर्थमूविंग उपकरण, मोटर कार और ट्रक, औद्योगिक उपभोक्ता सामान, सिले-सिलाए परिधान, फलों का रस, काफी और चाय।
12.	सिट्रा-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार ला, सिओल (दक्षिण कोरिया)	10 अक्तूबर— 1 नवम्बर, 1988	दस्ती औजार, वस्त्र परिधान, साज-सज्जा का सामान, खेल कूद का सामान और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उपहार वस्तुएं और अन्य उपभोक्ता सामान इत्यादि।
13.	डकार अन्तर्राष्ट्रीय मेला डकार (सेनेगल)	24 नवम्बर— 4 दिसम्बर, 1988	हल्का इंजीनियरी सामान, आटो मोटर, मशीनें और पूंजीगत सामान, खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, बिजली का सामान, फैंसी वस्तुएं, आभूषण, बर्तन, जूट एवं नारियल रेशा से निर्मित वस्तुएं, खेल-कूद का सामान, परिधान, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रसायन और भेषजीय उत्पाद और वस्त्र इत्यादि।
14.	बसंत हार्ड-वेयर और हाउस-वेयर मेला, बर्मिघम (यूनाइटिड किंगडम)	22-26 जनवरी, 1989	दस्ती और पावर, औजार, घरेलू साज-सज्जा का सामान, ताले और ताले की फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह के उपकरण गार्डन फर्नीचर और इससे सम्बन्धित सामान।
15.	अन्तर्राष्ट्रीय बसंत मेला, बर्मिघम (यू० के०)	5-9 फरवरी, 1989	ब्राय वेयर, घरेलू सजा-सज्जा का सामान, हस्तशिल्प और उपहार वस्तुएं।

1	2	3	4
16.	लिप्जिग वसंत मेला, लिप्जिग (जर्मन संघीय गणराज्य)	12-18 मार्च, 1989	दस्ती औजार, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, कटलरी, भवन निर्माण सामग्री, खेल और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रसायन, नारियल उत्पाद, काफी, चाय तम्बाकू और समुद्री उत्पाद ।
17.	सेबिट "89 मेला, हेनोवर (जर्मन जनवादी गणराज्य)	21-28 मार्च, 1989	कार्यालय और दूरसंचार उपकरण ।
18.	अंतर्राष्ट्रीय वसंत मेला, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	27 फरवरी— 10 मार्च, 1989	भारी और हल्का इंजीनियरी सामान, औद्योगिक मशीनें, हार्डवेयर और दस्ती औजार, विद्युत उपकरण एवं सहायता सामान, सिले सिलाए परिधान, भारी और हल्के वाहन, उर्वरक और सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान इत्यादि ।
(ख) विशेषीकृत वस्तु मेले :			
1.	इन्टरस्टफ अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	10-12 अप्रैल, 1988	वस्त्र एवं परिधान ।
2.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला हांगकांग	3-6 मई, 1988	चमड़ा निर्मित वस्तुएं ।
3.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा सामान प्रदर्शनी, न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	9-11 मई, 1988	चमड़ा निर्मित वस्तुएं ।
4.	स्टार मेला मिलान (इटली)	19-23 मई, 1988	साज-सज्जा के वस्त्र, पर्दे, कालीन अपहोल्स्ट्री वस्त्र, वाल कवरिंग और घरेलू लिनेन इत्यादि ।
5.	आस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	अगस्त, 1988	इंजीनियरी सामान ।
6.	अमेरिका राष्ट्रीय जूता मेला, न्यूयार्क (यू०एस०ए०)	6-9 अगस्त, 1988	फुटवियर ।
7.	राष्ट्रीय हार्ड-वेयर शो शिकागो (यू०एस०ए०)	14-17 अगस्त, 1988	सभी प्रकार का हार्ड-वेयर सामान ।

1	2	3	4
8.	अन्तर्राष्ट्रीय मशीन टूल्स शो शिकागो (यू० एस० ए०)	7-15 सितम्बर, 1988	मशीनी औजार और सहायक सामान ।
9.	सीमेन डु-कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस)	3-6 सितम्बर, 1958	चमड़ा एवं चमडा निर्मित सामान ।
10.	प्रेट-ए-पोर्टर मेला, पेरिस (फ्रांस)	18-22 सितम्बर, 1988	महिलाओं के लिए सिले-सिलाए परिधान एवं संबंधित सामान ।
11.	आई० एफ० एम० ए० अन्तर्राष्ट्रीय बाइसिकल और मोटर साइकिल प्रदर्शनी, क्लोन (एफ० आर० जी०)	21-25 सितम्बर, 1988	बाइसिकल और बाइसिकल के हिस्से-पुर्जे, मोटर साइकिल स्कूटर और मोपेड इत्यादि ।
12.	इन्टरस्टफ अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	25-27 अक्टूबर, 1988	वस्त्र परिधान ।
13.	सियोम खाद्य उत्पाद प्रदर्शनी, पेरिस (फ्रांस)	20-24 अक्तूबर, 1988	खाद्य उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ।
14.	हिमटेक्सटिल मेला, फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	11-14 जनवरी, 1989	घरेलू सजा-सज्जा के वस्त्र, पर्दे, कालीन, वाल कवरिंग और सभी प्रकार का घरेलू सजा-सज्जा का सामान ।
15.	प्रेट ए-पोर्टर डु फेमिनिन पेरिस (फ्रांस)	10-14 फरवरी, 1989	महिलाओं के सिले-सिलाए परिधान और सम्बन्धित सामान ।
16.	अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी, लंदन (यू० के०)	1-4 फरवरी, 1989	खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ ।
17.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्ड-वेयर शो क्लोन (जर्मनी संघीय गणराज्य)	5-8 मार्च, 1989	हार्ड-वेयर, औजार, ताले एवं इनकी फिटिंग, भवन निर्माण सामग्री और डी-आई-वाई सप्लाइज ।
18.	होटर्म एवं फूडेक्स मेला टोक्यो (जापान)	मार्च, 1989	होटर्म उपकरण और खाद्य उत्पाद ।
19.	डोमोटेक्स मेला, हेनोवर (जर्मन संघीय गणराज्य)	9-12 जनवरी, 1989	हाथ से बुने कालीन ।

1	2	3	4
(ग) भारतीय प्रदर्शनियां :			
1.	भारतीय इंजीयिरिंग प्रदर्शनी, मास्को (रूस)	1-8 जुलाई, 1988	भारी एवं हल्का इंजीनियरी सामान, वस्त्र एवं घरेलू साज-सज्जा का सामान, चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, जूतों के ऊपरी भाग मोटर गाड़ी के हिस्से-पुर्जे, दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक्स साफ्टवेयर और सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं ।
2.	भारतीय प्रदर्शनी, मारिशस	27-04 अगस्त/ सितम्बर, 1988	सभी प्रकार का इंजीनियरी सामान, मशीनी औजार, दस्ती औजार, भारी एवं हल्के वाहन, विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण, कृषि मशीनें और सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर और हार्ड-वेयर, सभी प्रकार के लोडर, परिधान और साड़ियां इत्यादि ।
5.	भारतीय प्रदर्शनी, थाइलैंड	10-19 मार्च, 1989	हल्का और भारी इंजीनियरी सामान, परियोजना और परामर्शी सेवाएं, काष्ठ और कागज मिल मशीनें, चावल मिल, वस्त्र और परिधान, उपहार वस्तुएं और हस्तशिल्प एवं सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान ।

विवरण-2

क्रम सं०	मेले का नाम	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
(क) सामान्य अन्तरराष्ट्रीय मेले			
1.	पोजनान अन्तरराष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैण्ड)	जून '89 (11-18)	मोपेड और स्कूटर, हल्का व भारी इंजीनियरी का सामान, रसोई के उपकरण, थर्मस फ्लास्क, चमड़े का सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूती वस्त्र, चाय व काफी इत्यादि ।

1	2	3	4
2.	बीजिंग अन्तरराष्ट्रीय मेला, बीजिंग (चीन)	जुलाई "89 (14-23)	वस्त्र मशीनरी, इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता सामान, उर्वरक मशीनरी, पेट्रो रसायन, मानव निर्मित फाइबर, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण और पैकेजिंग कम्प्यूटर सापट-वेयर, पावर जेनरेशन मशीनरी, कृषि उप-करण व ट्रैक्टर, वातानुकूलन और रेफ्रिज-रेशन उपकरण, खोजबीन करने वाले (एक्सप्लोरेशन) उपकरण, संश्लिष्ट धागा, इलेक्ट्रानिक परीक्षण व मापन उपकरण, वायर रोप, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे, रसायन, भेषज (ठेर सी दवाइयां और इन्टरमीडिएट हाइज) लाइनर अल्कारल वेजेजोन, प्लाई-वुड, प्रसंस्कृत हीरे, इलेक्ट्रानिक पुर्जे।
3.	दमिश्क अन्तरराष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया)	अगस्त/ सितम्बर "89 (28-10)	लोहे और इस्पात ट्यूबें, पाइप और फिटिंग तार, पम्प, बिजली के घरेलू पंखे, दस्ती औजार और ब्लैड, चाकू, टूल टिप, पेट्रोल इंजन, बिजली की मोटर ट्रैक्टर और ट्रैलर कम्बिनेशन, एक्सकेवेटिंग, लेवलिंग और बोरिंग मशीनरी, धातु काटने वाले मशीनी औजार, वैल्डिंग, कलई, कटाई व सोल्डरिंग मशीनें; (बिजली की), औद्योगिक रेफ्रि-जरेशन उपकरण, चूल्हों के बर्नर सेन्ट्रीफ्यूज पंखे, ब्लोअर, माल उठाने व लादने की मशीनें, टेप, काक और वाल्व, ट्रांसमिशन शाफ्ट, पुलिज और क्रेंक, सर्किट, ब्रेकर, सेनिटरी और प्लम्बरिंग उपकरण, मशीनरी और परिवहन उपकरण, फल और सब्जियां दवाइयां और भेषज पदार्थ, सूती धागा, फेब्रिक्स और मेड अप, टायर और ट्यूब, चाय, काफी, मसाले, रासायनिक उत्पाद, रंगाई चर्मशोधन व रंगाई का सामान, कन्वेयर वेल्ट।
4.	तेहरान अन्तरराष्ट्रीय मेला, तेहरान	सितम्बर "89 (16-26)	सीमेंट के छोटे प्लान्ट, पावर जेनरेटिंग उप-करण, भारी और हल्के वाहन, हार्डवेयर, कृषि मशीनरी, चमड़े की मशीनें, रसायन,

1	2	3	4
	(ईरान)		वस्त्र, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान व उपहार वस्तुएं ।
5.	बुडापेस्ट अन्तरराष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी)	सितम्बर/ अक्तूबर "89 (22-01)	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्चा माल, इमारती लकडी, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन उद्योग और भवन निर्माण उद्योग की मशीनरी, अर्थ मूविंग उपकरण, मोटर कार और ट्रक, सिलाई मशीन, टेप रिकार्डर प्रसाधन सामग्री, चमड़े का सामान, सिले-सिलाये परिधान, फलों का रस, काफी व चाय आदि उपभोक्ता सामान ।
6.	नैरोबी अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी, नैरोबी (केन्या)	सितम्बर "89 (26-30)	कृषि मशीनरी, भारी और हल्की मशीनरी, दस्ती औजार, रसायन और उर्वरक, वस्त्र, चमड़े का सामान, लघु औद्योगिक इकाइया और कृषि उत्पाद आदि ।
7.	विदेशी आयात मेला, "प्रगति के साझीदार" बर्लिन (जर्मनी)	सितम्बर" 89 (27-30)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, परिधान, हस्तशिल्प वस्तुएं, कालीन, सजावटी व उपहार वस्तुएं आदि ।
8.	बगदाद अन्तरराष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक)	नवम्बर" 89 (01-15)	कृषि मशीनरी, रोलिंग स्टाक, हल्के व भारी वाहन आदि सभी प्रकार की भारी व हल्का इंजीनियरी का सामान, हार्डवेयर, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चाय, काफी, काजू, कपड़ा व तैयार परिधान, पटसन व पटसन की वस्तुएं ।
9.	अन्तरराष्ट्रीय हार्डवेयर व हाउसवेयर प्रदर्शनी, बर्मिघम (यू० के०)	जनवरी "90 (21-24)	दस्ती व विद्युत चालित, औजार घरेलू साजसज्जा की वस्तुएं, ताले व तालों की फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई के उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह के उपकरण, गार्डन फर्नीचर व असेसरी आदि ।
10.	अन्तरराष्ट्रीय बसन्त मेला बर्मिघम (यू० के०)	फरवरी "90 (05-09)	ब्राम्वेयर, घरेलू साजसज्जा की वस्तुएं, हस्तशिल्प व उपहार की वस्तुएं ।

1	2	3	4
11.	अन्तरराष्ट्रीय बसन्त मेला, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	फरवरी/ मार्च "90	हल्की व भारी इंजीनियरी का सामान औद्योगिक मशीनें, हार्डवेयर व दस्ती औजार, बिजली के उपकरण व पुर्जे, सिले सिलाये परिधान, हल्के व भारी वाहन, उर्वरक व सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान आदि।
12.	लिप्जिग बसन्त मेला लिप्जिग (जर्मनी)	मार्च "90 (11-17)	दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक्स, कटलरी, बिल्डर्स हार्डवेयर, खेल व चमड़े का सामान, रसायन, नारियल रेशे के उत्पाद, काफी, चाय, तम्बाकू व समुद्री उत्पाद।
13.	काहिरा अन्तरराष्ट्रीय मेला, काहिरा (मिस्र)	मार्च "90 (10-23)	ट्रक सामग्री, इस्पात उत्पाद, बिजली का सामान, कृषि मशीनरी, छोटे व दस्ती औजार आदि भारी व हल्का इंजीनियरी सामान, चाय, चीनी मसाले, तम्बाकू, दवाइयां व भेषज पदार्थ, रंग रोगन और पटसन निर्मित वस्तुएं आदि।
14.	वेलेंसिया अन्तरराष्ट्रीय मेला, वेलेंसिया (वेनेजूएला)	मार्च "90 (23-31)	दस्ती औजार, टायर, ट्यूब आदि मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे, उपभोक्ता सामान, मशीनी औजार, चमड़े की वस्तुएं, सिले-सिलाये परिधान, उपहार की वस्तुएं।
ख.	**विशेषीकृत वस्तु मेले :**		
1.	इन्टरस्टफ अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	अप्रैल "89 (11-13)	वस्त्र।
2.	अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला हांग कांग	अप्रैल "89 (24-27)	चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुएं।
3.	आस्ट्रेलिया आटो मैकेनिक प्रदर्शनी, सिडनी (आस्ट्रेलिया)	अप्रैल/ मई "89 (29-02)	मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे।
4.	स्टार मेला, मिलान (इटली)	मई "89 (18 21)	साज सज्जा का कपड़ा, पर्दे, कालीन, अप्होल्स्ट्री कपड़ा, वाल कवरिंग व घरेलू लिनेन आदि।

1	2	3	4
5.	आस्ट्रेलिया अन्तरराष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	जुलाई/ अगस्त "89 (31-04)	इंजीनियरी सामान ।
6.	अमेरिकी राष्ट्रीय जुता मेला, न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	अगस्त "89 (05-08)	फुटवियर ।
7.	राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, शिकागो (यू० एत० ए०)	अगस्त "89 (13-16)	सभी प्रकार की हार्डवेयर वस्तुए ।
8.	प्रेट-ए-पोर्टर डू-फेमिनिन मेला पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर "89 (2-5)	महिलाओं के सिले-सिलाये परिधान व सम्बन्धित सामान ।
9.	आठवां ई० एम० ओ० मेला, हेनोत्तर (जर्मनी)	सितम्बर "89 (12-20)	मशीनी औजार ।
10.	सीमेन-डु-कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर "89 (16-19)	चमड़ा व चमड़े से निर्मित सामान ।
11.	मशीन एशिया" 89 आठवीं एशिगाई अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सिंगापुर	सितम्बर "89 (26-29)	ट्रांसमिशन लाइन टावर, रिफ्रैक्टरी, बिजली के चूल्हे, भेषज पदार्थ, रसायन, कागज, लुग्दी, चीनी व सीमेंट के प्लांट व मशीनरी, पावर जनरेशन उपकरण—ए सी व डी सी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर कन्ट्रोल गीयर, स्विच गीयर, रिएक्टर आदि । करघे व बुनाई मशीनें आदि कपड़ा मशीनरी उपकरण-मेडिकल प्रोसेस कण्ट्रोल वैज्ञानिक व प्रयोगशाला के परिवहन-एल० सी० वी०, स्कूटर, मोपेड, ट्रक, तिपहिये, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, धातु कार्य के उपकरण, कटाई के औजार, वैल्डिंग व सोल्डरिंग उपकरण आदि । साइकिल व उनके पुर्जे, मशीनी औजार, अर्थ मूविंग उपकरण, एअर कम्प्रैशर, फोर्क लिफ्ट, बैटरियां,

1	2	3	4
			फास्टनर, पाइप व ट्यूब और फिटिंग, रेलवे वैगनों के पुर्जे, प्लास्टिक व रबड़ प्रसंस्करण मशीनरी, भोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन मशीनरी, इलेक्ट्रानिक पुर्जे—एनालिटिकल व इलेक्ट्रानिक परीक्षण उपकरण, कम्प्यूटर, डाट मेट्रिक्स प्रिन्टर, पेरीफेरल, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार के केबल ।
12. इन्टरकामा मेला, डस्सेलडार्फ	अक्तूबर "89 (9-14)	मापन उपकरण, लेन्सर, ट्रांसमीटर, विश्लेषण व परीक्षण उपकरण, बेलेंसिज, स्वतन्त्र कम्प्यूटरों व असेसरी का उपयोग, प्रोसेस आटोमेशन और मैन्यूफैक्चरिंग आटोमेशन के उपकरण व प्रणालियां ।	
13. अनूगा-विश्व खाद्य पदार्थ बाजार, क्लोन (जर्मनी)	अक्तूबर "89 (14-19)	खाद्य पदार्थ व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ।	
14. सिस्टम्स "89 मेला म्यूनिख (जर्मनी)	अक्तूबर "89 (16-20)	कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर और दूर-संचार उपकरण ।	
18. इन्टरस्टाफ अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	अक्तूबर/ नवम्बर "89 (31-02)	वस्त्र ।	
16. के० "89 मेला डस्सेलडार्फ (जर्मनी)	नवम्बर "89 (2.9)	प्लास्टिक व रबड़ की वस्तुएं ।	
17. इन्टरस्टाफ एशिया अन्तरराष्ट्रीय परिधान निर्माण व्यापार मेला, हांग कांग	नवम्बर "89 (15-17)	धागा, कपड़ा और परिधान ।	
18. विश्व फैशन व्यापार मेला ओसाका (जापान)	नवम्बर "89 (22-26)	पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के उत्तम फैशन के परिधान ।	
19. हिमटेक्सटिल— अन्तरराष्ट्रीय घर एवं घरेलू वस्त्र व्यापार मेला, फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	जनवरी "90 (17-20)	घरेलू साजसज्जा का सामान, पर्दे, वाल कवरिंग व सभी प्रकार का घरेलू सजावट का सामान ।	

1 2	3	4
20. डोमोटेक्स मेला हेनोवर (जर्मनी)	जनवरी "90 (8-11)	हाथ से बुने कालीन ।
21. हिमटेक्सटिल—एशिय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, टोक्यो (जापान)	फरवरी "90 (1-4)	घरेलू उपयोग का कपड़ा, घरेलू कपड़ा व फर्शी बिछावन ।
22. नेशनल वैराइटी मर्चेन्डाइज प्रदर्शनी न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	फरवरी "90 (17-20)	चमड़े का सामान, आकर्षक वस्तुएं, कृत्रिम आभूषण, सिले सिलाये परिधान, उपहार वस्तुएं और उपभोग का सामान ।
23. प्रेट-ए-पोर्टर डु-केमिनिन मेला, पेरिस (फ्रांस)	फरवरी "90 (3-6)	महिलाओं के तैयार उत्कृष्ट फैशन और असेसरी ।
24. अन्तरराष्ट्रीय हार्ड-वेयर मेला क्लोन (जर्मन संघीय गणराज्य)	मार्च "90 (5-8)	हार्ड-वेयर, औजार, ताले और फिटिंग, डी-आई-वाई सप्लाइयां ।
25. सेबिट मेला हेनोवर (जर्मनी)	मार्च "90 (21-28)	कार्यालय उपकरण व दूरसंचार उपकरण ।
26. फूडेक्स मेला टोक्यो (जापान)	मार्च "90 (13-17)	खाद्य पदार्थ ।
27. फेबरेक्स मेला, लन्दन (यू० के०)	अप्रैल "90 (3-5)	महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के परिधान, खेल-कूद के परिधान ऊन और मिश्रित ऊन, सूत और मिश्रित सूत, संश्लिष्ट कपड़ा, लेस और ट्रिमिंग, टेबल व बाथ लिनेन मिश्रण, रेशम, फाइन कपड़ा, अपहोल्स्ट्री, साजसज्जा का कपड़ा ।
(ग) भारतीय प्रदर्शनियां :		
1. भारतीय प्रदर्शनी, जोर्डन	सितम्बर "89 (14-22)	औद्योगिक मशीनरी, उपकरण, वातानुकूलन व प्रशीतन उपकरण व प्लान्ट, भारी व हल्की औद्योगिक मशीनरी, वस्त्र मशीनरी, साइकिलों के टायर बनाने की मशीनरी, निर्माण व अर्थ मूविंग के उपकरण, सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक व विद्युत

1	2	3	4
			उपकरण, मशीनरी औजार, कृषि मशीनें, भेषज वस्तुएं, रसायन, हार्ड-वेयर व दस्ती औजार, सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर और आटो असेसरी आदि।
2.	भारतीय प्रदर्शनी जकार्ता (इण्डोनेशिया)	जनवरी/ फरवरी "90 (2 -02)	वस्त्र मशीनरी व उसके हिस्से-पुर्जे, रंगाई व फिनिशिंग मशीनरी, कताई मशीनें, बड़े करघे, जूते बनाने की मशीनरी, सौर ऊर्जा के उपकरण, चर्म शोधन मशीनें, कृषि मशीनें व उपकरण, दस्ताने बनाने की मशीनें, टायर रिट्रीडिंग मशीनें, भेषज पदार्थ व दवाईयां बनाने की मशीनें, तेल निकालने के कोल्हू व प्लान्ट मशीनें, फसल कटाई की मशीनें, मरोल प्रसंस्करण मशीनरी, पत्थर काटने व पालिश करने की मशीनें, आभूषण बनाने की मशीनें, 300 टन से लेकर 1000 टन क्षमता वाली चीनी मिल मशीनरी व प्लान्ट, चाय प्रसंस्करण मशीनरी, शैक्षिक व वैज्ञानिक परीक्षण व मापन उपकरण, डीजल इंजन, 2 हार्स पावर से 2000 हार्स पावर तक के पम्प व जनरेटिंग सेट, मशीनरी औजार, दस्ती औजार, साईकिलों के पुर्जे, बिल्डर्स हार्डवेयर व अन्य, फिश मिल मशीनरी, कम्प्रेशर, विद्युत मशीनरी व पुर्जे, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण मशीनरी, परिवहन उपकरण व उनके पुर्जे, सड़क निर्माण, सिंचाई, चीनी, सीमेंट, कपड़ा, सिविल निर्माण, विद्युत विकास कार्य, रेलवे, लघु उद्योग, नारियल रेशा मशीनरी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, तथा वनाधारित उद्योगों के लिए परामर्श व प्रौद्योगिकी सेवाएं।
3.	भारतीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, मास्को (सोवियत संघ)	मार्च "90 (15-22)	भारी व हल्का इंजीनियरी सामान, आटो असेसरी, दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं और साफ्टवेयर आदि।

विवरण-3

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया

20-12-1991 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 4777 के भाग (ए) का उत्तर—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत की भागीदारी के विषय में

क्रम सं०	मेले का नाम व स्थान	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
(क) सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले			
1.	ब्रनो उपभोक्ता सामान मेला, ब्रनो, चेकोस्लोवाकिया	अप्रैल, 90 (7-12)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान जैसे घरेलू फर्निशिंग, सूती वस्त्र, सिले-सिलाये परिधान, रसोई का सामान, कार्यालय उपकरण, चमड़े का सामान, खाद्य उत्पाद, खेलकूद का सामान, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद इत्यादि।
2.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान, इटली	अप्रैल, 90 (2-9)	हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, उपहार एवं सजावटी सामान, सिले-सिलाये परिधान, कालीन, चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद।
3.	हेनोवर उद्योग मेला, हेनोवर जर्मन संघीय गणराज्य	मई, 90 (2-9)	फाउण्ड्री उत्पाद-कास्टिंग एवं फोर्मिंग प्रोसेस, कास्टिंग सामग्री, मेटल कास्टिंग, सिन्टर्ड उपकरण फिनिश्ड नान कट मेटल पार्ट्स, असेम्बलीज एवं धातु निर्माण, थिन गेज शीट मेटल उत्पाद, वायर प्रोडक्ट, एपेरेट्स, कन्टेनर्स पाइपिंग, मोल्ड, माडल, औजार, फास्टनिंग, ताले, मेटल फिटिंग एवं अन्य सिंगल उपकरण (सबकान्ट्रेक्टिड कम्पोनेंट), प्लास्टिक पार्ट्स (प्लास्टोमर्स) एवं प्लास्टिक संसाधन, रबड़ पार्ट्स इलास्टोमर्स तथा रबड़ ग्लास अथवा औद्यो सिरेमिक संसाधन उत्पादन एवं अन्य सेवाएं, परामर्श एवं प्रकाशन।

1	2	3	4
4.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैंड)	जून, 90 (10-17)	मोपेड एवं स्कूटर, हल्का एवं भारी इंजीनियरी का सामान, रसोई का सामान, थर्मस फ्लास्क, चमड़े का सामान, संसाधित खाद्य पदार्थ, सूती वस्त्र, चाय एवं काफी आदि ।
5.	इजमीर अन्तर्राष्ट्रीय मेला इजमीर, टर्की	अगस्त-सितम्बर (20-30, 1990)	इलेक्ट्रिकल पावर मशीनरी, अर्थ-मूविंग मशीनरी, निर्माण मशीनरी, सी०एन०सी० मशीनी औजार, वस्त्र मिल मशीनरी, डीजल इंजन, पम्प सेट, वाटर पम्प, पिस्टन, साइंटिफिक एपेरेटस एवं प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, पेरीफेरल एवं साफ्टवेयर, भारी और हल्के वाहन, रेलवे रोलिंग स्टाक, भारी एवं हल्की इंजीनियरी सामान, छत के पंखे एवं पुर्जे, जूट एवं जूट उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सूखे मेवे, चाय काफी, समुद्री उत्पाद सिले-सिलाये परिधान, औषधीय जड़ी बूटियां ।
6.	विदेशी आयात मेला प्रगति के लिए साझीदार बर्लिन (पश्चिमी)	अगस्त-सितम्बर (29-01, 1990)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, परिधान हस्तशिल्प, कालीन, सजावटी एवं उपहार का सामान ।
7.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला बुडापेस्ट, हंगरी	सितम्बर, 90 (21-27)	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्चा माल, टिम्बर, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन एवं निर्माण उद्योग के लिए मशीनरी, अर्थमूविंग उपकरण, मोटर कार एवं ट्रक, औद्योगिक उपभोक्ता सामान, सिले-सिलाये परिधान, फलों का रस, काफी एवं चाय ।
8.	नैरोबी कृषि एवं उद्योग प्रदर्शनी, नैरोबी (केन्या)	अक्तूबर, 90 (2-6)	कृषि मशीनरी, भारी एवं हल्की मशीनरी दस्ती औजार, रसायन एवं उर्वरक, वस्त्र, चमड़े का सामान, लघु उद्योग की यूनिट, कृषि उत्पाद इत्यादि ।

1	2	3	4
9.	सिट्रा-सियोल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, सियोल, दक्षिण कोरिया	अक्तूबर-नवम्बर (30-05, 1990)	इंजीनियरी सामान, दस्ती औजार, वस्त्र घरेलू फर्निशिंग, कालीन परिधान, खेलकूद एवं चमड़े का सामान, संसाधित खाद्य पदार्थ, काजू, उपहार का सामान, खनिज, ग्रेनाइट, रसायन एवं भेषज, मसाले, काफी, साफ्ट-वेयर एवं इलेक्ट्रिकल सहित इलेक्ट्रानिक सामान ।
10.	डकार अन्तर्राष्ट्रीय मेला, डकार, सेनेगल	नवम्बर-दिसम्बर (29-10, 1990)	इलेक्ट्रिकल सहित इलेक्ट्रानिक सामान हल्का इंजीनियरी सामान, आटो, मोटर मशीनरी एवं पूंजीगत सामान, खाद्य उत्पाद हस्तशिल्प, बिजली का सामान, फैन्सी सामान, आभूषण, बर्तन, जूट एवं केयर, खेलकूद का सामान, परिधान, चमड़े का सामान, रसायन एवं भेषज उत्पाद, वस्त्र इत्यादि ।
11.	कन्ज्यूमेक्समपो-अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सामान प्रदर्शनी मास्को (सोवियत रूस)	जनवरी, 91 (17-24)	परिधान, जूते, फर एवं चमड़े का सामान, वस्त्र, आटोमोबाइल इंजीनियरी एवं परिवहन घरेलू उपकरण, कार्यालय उपकरण, प्लास्टिक का सामान, बागवानी उपकरण एवं औजार, घड़ियां, दीवार घड़ियां, आभूषण, चश्मे, संगीत उपकरण, फर्नीचर, आंतरिक सजावट एवं शृंगार प्रसाधन सामग्री इत्यादि ।
12.	लिप्जिग वसन्त मेला, लिप्जिग, जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य	मार्च, 91 (16-22)	दस्ती औजार, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, कटलरी, खेलकूद एवं चमड़े का सामान, रसायन तम्बाकू एवं समुद्री उत्पाद, काफी, चाय, केयर उत्पाद ।
(ख)	**विशेषीकरण वस्तु मेले**		
1.	फेवरेक्स मेला, लन्दन	अप्रैल, 90 (3-5)	महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के परिधान, खेलने के परिधान, ऊन एवं

1	2	3	4
			ऊनी मिश्रण, सूती मिश्रण, सिंथेटिक, लेस एवं ट्रिमिंग, टेबल एवं बाथ लिनेन मिश्रण, रेशम वस्त्र, अप-हालेस्ट्री फर्निशिंग ।
2.	फूड एवं होटल एशिया प्रदर्शनी, सिंगापुर	अप्रैल, 90 (3-6)	खाद्य उत्पाद, उपभोक्ता बीयर, स्पिरिट, शराब एवं पेय, खाद्य एवं पेय संसाधन तथा सेवा उपकरण, चेक इन एवं स्टाक कन्ट्रोल सिस्टम, संचार एव सुरक्षा सिस्टम, सफाई एवं रख-रखाव उपकरण, हाउस कीपिंग उत्पाद, फर्नीचर एवं फर्निशिंग उत्पाद शाप फिटिंग, शैल्विंग तथा स्टोरेज सिस्टम ।
3.	इन्टर स्टाफ-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला फ्रैंकफर्ट जर्मन संघीय गणराज्य	अप्रैल, 90 (24-26)	वस्त्र ।
4.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला हांगकांग	अप्रैल, 90 (25-28)	चमड़े का सामान ।
5.	ए०आई०ई०ई०, सिडनी आस्ट्रेलिया	मई, 90 (21-25)	इंजीनियरी सामान ।
6.	स्टार मेला, मिलान (इटली)	मई, 90 (24-27)	फर्निशिंग वस्त्र, परदे, कालीन, अप-होलस्ट्री वस्त्र, वाल कवरिंग एवं घरेलू लिनन इत्यादि ।
7.	आस्ट्रेलियाई आटोमैकेनिक प्रदर्शनी, सिडनी आस्ट्रेलिया	जून, 90 (2-5)	आटो पार्ट्स एवं सहायक सामान ।
8.	राष्ट्रीय अमेरिकी जूता मेला न्यूयार्क सं०रा०अ०)	अगस्त, 90 (4-7)	फुटवियर ।
9.	राष्ट्रीय हार्डवेयर शो शिकागो (सं०रा०अ०)	अगस्त, 90 (12-15)	सभी प्रकार का हार्डवेयर का सामान ।
10.	प्रेट-ए-पोर्टर डू फेमिनीन मेला पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर, 90 (1-4)	महिलाओं के सिले-सिलाये परिधान एव सहायक सामान ।

1	2	3	4
11.	आई०एम०टी०एम०, अन्तर्राष्ट्रीय मशीनी औजार प्रदर्शनी शिकागो (सं०रा०अ०)	सितम्बर, 90 (5-13)	मशीनी औजार एवं सहायक सामान
12.	सीमेन-डु-कुअर मेला पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर, 90 (15-18)	चमड़ा एवं चमड़े का सामान ।
13.	आई०एफ०एम०ए०, अन्तर्राष्ट्रीय बाइसिकिल एवं मोटर साइकिल प्रदर्शनी, क्लोन (ज०सं०ग०)	सितम्बर, 90 (19-23)	बाइसिकिल एवं इसके हिस्से-पुर्जे, मोटर साइकिल, स्कूटर एवं मोपेड ।
14.	सिओल अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ प्रदर्शनी पेरिस (फ्रांस)	अक्तूबर, 90 (22-26)	खाद्य उत्पाद एवं संसाधित खाद्य पदार्थ ।
15.	इन्टरस्टाफ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	अक्तूबर, 90 (23-25)	क्लाथिंग टेक्सटाइल ।
16.	एनेक्स एशिया इलेक्ट्रानिक्स प्रदर्शनी, सिंगापुर	नवम्बर, 90 (7-10)	इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर, आई०सी० एवं पी० सी०बी० एसेम्बली, उत्पादन हेतु उपकरण, माइक्रो इलेक्ट्रनिक्स, आप्टो इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक मोटरें, जेनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, स्विच-गीयर वितरण, केबल, इन्स्ट्रूमेंटेशन, परीक्षण एवं मापन उपकरण, विद्युत इलेक्ट्रानिक, आटोमेशन, प्रकाश व्यवस्था एवं सहायक सामान ।
17.	इन्टरस्टाफ एशिया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हांगकांग	नवम्बर, 90 (12-14)	धागे, वस्त्र एवं परिधान ।
18.	डोमोटेक्स मेला हेनोवर (ज०सं०ग०)	जनवरी, 91 (7-10)	हस्तनिर्मित कालीन ।
19.	हिमटेक्सटाइल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	जनवरी, 91 (9-12)	घरेलू फर्निशिंग, परदे, वाल कवरिंग एवं सभी प्रकार का घरेलू सजावटी सामान ।

1	2	3	4
20.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर एवं हाउस-वेयर शो बर्मिघम (यू०के०)	जनवरी, 91 (20-23)	दस्ती एवं विद्युत औजार, घरेलू साज-सज्जा का सामान, ताले एवं उसकी फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई के उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह उपकरण, गार्डन फर्नीचर एवं सहायक सामान इत्यादि
21.	हिमटेक्समटिल एशिया अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार मेला टोकियो (जापान)	फरवरी, 91 (1-4)	हाउसहोल्ड टेक्सटाइल, होम टेक्स-टाइल एवं फर्शी बिछावन।
22.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला क्लोन (ज०सं०ग०)	मार्च, 91 (4-7)	हार्डवेयर, टूल लाक एवं फिटिंग, निर्माण एवं डी-वाई आपूर्ति।
23.	सेविट मेला, हेनोवर जर्मन संघीय गणराज्य	मार्च, 91 (13-20)	कार्यालय उपकरण एवं दूरसंचार।
24.	फूडेक्स मेला टोकियो (जापान)	मार्च, 91 (12-16)	खाद्य उत्पाद।
(ग)	**भारतीय प्रदर्शनियां**		
1.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी मोका-मारीशस	अगस्त, 90 (10-19)	सभी इंजीनियरी मदें, मशीनी औजार, भारी एवं हल्के वाहन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक मदें, कृषि मशीनें एवं सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, सभी प्रकार के लोडर, परिधान एवं साड़ियां इत्यादि।
2.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी मनीला (फिलीपिन्स)	जनवरी फरवरी, 91 (29-05)	औद्योगिक मशीनरी/उपकरण, वाता नुकूलन एवं संयंत्र, भारी एवं हल्के उद्योग, वस्त्र मशीनें, चीनी मिल मशीनरी, बाइसिकिल टायर बनाने की मशीनें, निर्माण एवं अर्थमूविंग उपकरण, सभी प्रकार की विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक मदें, मशीनी औजार कृषि मशीनें, भेषज एवं रसायन, हार्डवेयर एवं दस्ती औजार तथा सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर एवं हार्डवेय· इत्यादि।

गन्टूर में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

4778. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गन्टूर में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस पीठ की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के इलाहाबाद-मंगवा खण्ड की मरम्मत

[हिन्दी]

4779. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 का इलाहाबाद-मंगवा (रीवा) खंड की हालत यातायात के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस राजमार्ग के उक्त खंड के विकास और उसकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 का इलाहाबाद से मंगवा (रीवा) खंड सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर मरम्मत/सुधार कार्य किये जा रहे हैं ।

राजस्थान में रक्षा कालेज और आयुध कारखाना

4780. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में एक रक्षा कालेज और एक आयुध कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राजस्थान में रक्षा कालेज या आयुध निर्माणी स्थापित करने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

[अनुवाद]

4781. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के सदस्यों अथवा चेयरमैन के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बैंकवार नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार अब रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु इन श्रेणियों के लोगों को लेने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित गैर-सरकारी निदेशकों के नाम बैंक-वार नीचे दिए गए हैं।

बैंक आफ इंडिया	श्री शमशेर सिंह दुल्लो
बैंक आफ बड़ौदा	श्री बाहुरा एक्का
यूको बैंक	श्री आर० टी० रिमबाई
केनरा बैंक	श्री ओमप्रकाश शंकरानन्द कनागली
यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्रीमती मल्लजम्मा
बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री मदन वर्मा
आंध्रा बैंक	श्री राजकुमार नागरथ
कार्पोरेशन बैंक	श्री राजगुरू दयाराम तुलसीराम
न्यू बैंक आफ इंडिया	कुमारी सेलजा कुमारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्रीमती सन्तोष चौधरी

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कोई भी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) सरकार का यह प्रयास रहता है कि वह प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कम से कम एक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति करे। बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

धागे की सप्लाई

4782. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के धागे की मांग कितनी है और गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने धागे की वास्तविक सप्लाई की गई; और

(ख) विभिन्न प्रकार के धागे की मांग को पूर्णतया पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों द्वारा यार्न के विभिन्न काउन्टों की मांग और इन राज्यों को की गई वास्तविक सप्लाई की मात्रा के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1989-90 में 1883 मिलियन किग्रा० और वर्ष 1990-91 में 2071 मिलियन किग्रा० के कुल यार्न उत्पादन की तुलना में यार्न की मांग और खपत क्रमशः 1648 मिलियन किग्रा० और 1700 मिलियन किग्रा० थी।

केरल में एम० सी० रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

4783. **श्री थाइन जान अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एम० सी० रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। तथापि वित्तीय अभाव और अन्य प्राथमिकता को देखते हुए इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हुआ है।

मद्रास में बंक यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार

4784. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत मिली है कि मद्रास से सरकारी जलयानों द्वारा पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा के लिए मद्रास में टिकट लेते समय बंक श्रेणी के यात्रियों से दुर्व्यवहार किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि मद्रास में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड बंक यात्रियों से दुर्व्यवहार न करें ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) टिकट दिए जाने की पहले की प्रक्रिया में कुछ कमियां होने के कारण मद्रास में बंक श्रेणी के यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में परेशानी होती थी। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने 1-9-1991 से प्रक्रिया को सरल बना दिया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का मद्रास स्थित उप आवासीय आयुक्त प्रशासन के कोटा की पूर्ण सूची को अन्तिम रूप देता है और उसे

मद्रास स्थित भारतीय नौवहन निगम के कार्यालय को भेजता है। आरक्षण और टिकट दिए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सुधार करने और उसका कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मैसर्स राइट्स ने एक परियोजना शुरू की है। प्रणाली को सरल बनाने के लिए उनकी सिफारिशों पर किए जा रहे कार्यान्वयन के साथ यह आशा की जाती है कि यात्रियों की परेशानी और कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।

(ख) मद्रास में तैनात सुरक्षा गार्ड बाहरी एजेंसी के कर्मचारी हैं जिसे सुरक्षा ठेका दिया गया है। मद्रास स्थित भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड का कार्यालय सुरक्षा गार्डों के आचरण पर कड़ी निगरानी रख रहा है। भारतीय नौवहन निगम के मद्रास स्थित कार्यालय द्वारा एक समुचित जन-शिकायत हैंडलिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से प्राप्त किसी भी शिकायत पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वित्तीय सहायता

4785. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो फिलहाल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे लाभ भोगियों की राज्यवार संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां सरकार के परामर्श से सामाजिक उद्देश्य योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्पों की स्थापना और एल० पी० जी० डीलरशिप को कवर करने के लिए डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप प्रदान करने की एक योजना पर कार्य कर रही हैं। योजना के अन्तर्गत डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित, सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप की विभिन्न श्रेणियों के आबंटकों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक में आंकड़ा संग्रहण प्रणाली से राज्यवार ऐसे हितधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती है, जिन्होंने बैंकों से ऋण प्राप्त किये हैं।

क्यूबा के साथ व्यापार सम्बन्ध

4786. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 1991 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'क्यूबा फार इण्डिया एज मेजर एलि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत और क्यूबा के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापार किया जाएगा?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और क्यूबा दोनों टैरिफ एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गाट) के संविदाकारी

पक्ष हैं, जिसमें गाट पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध शामिल हैं। इसके अलावा भारत और क्यूबा व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी व्यवस्था (जी० एस० टी० पी०) के भी सदस्य हैं; जिसमें जी०-77 के सदस्यों के बीच अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं का प्रावधान है।

भारत-क्यूबा व्यापार में कई वस्तुएं शामिल हैं। प्रमुख भारतीय निर्यात इंजीनियरी माल, परियोजना माल, वस्त्र एवं रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों का होता है। क्यूबा से प्रमुख भारतीय आयात अपरिष्कृत खनिजों, धात्विक लौह अयस्कों और धातु छीलन, औषधीय एवं भेषजीय उत्पादों का होता है।

कृषि उत्पादों तथा फलों का निर्यात

[हिन्दी]

4787. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से निर्यात किये जा रहे कृषि उत्पादों और फलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1992 के दौरान निर्यात किये जाने वाले इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या योजना तैयार की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा, इन उत्पादों के उत्पादन हेतु किसानों को क्या-क्या प्रोत्साहन और सुविधायें दी गयी हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मसाले, काजू, तम्बाकू, चावल, गेहूं, चीनी, ताजे फल और सब्जियां, संसाधित फल तथा सब्जियां, मोटा अनाज जैसे मक्का, जौ, ज्वार, रागी मुख्य कृषि उत्पाद हैं जिनका भारत से निर्यात किया जाता है।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए बेशी मात्रा का सृजन करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के निम्नलिखित त्रिगुणी कार्यनीति तैयार की गई है :—

(I) क्षेत्र/उपज में वृद्धि;

(II) सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा उच्च गुणवत्ता प्रबन्ध के माध्यम से उत्पादन क्षमताएं और;

(III) सम्बद्ध अनुसंधान और विकास तथा विस्तार के माध्यम से बैक अप सहायता। यह एक सतत प्रक्रिया है।

एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम

[अनुवाद]

4788. **श्रीमती वासत्वाराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एडवांस लाइसेन्सिंग स्कीम की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एडवांस लाइसेन्सिंग स्कीम में आमूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) जी, हां। संशोधित योजना के सम्बन्ध में, सार्वजनिक सूचनाएं सं० 191-आई० टी० सी० (पी० एन० /90-93 दिनांक 14-8-91, सं० 206-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93, दिनांक 11-9-91, सं० 227-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 1-10-91, सं० 228-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 4-10-91, सं० 229-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 7-10-91, सं० 241-आई० टी० सी० (पी० एन० /90-93 दिनांक 4-11-91, सं० 224-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 90-93 दिनांक 18-11-91, 249-आई० टी० सी० (पी एन)/90-93 दिनांक 28-11-91 और सं० 253-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 6-12-91 जारी की गई है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। तथापि आयात और निर्यात नीति तथा क्रियाविधि की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा सार्वजनिक हित में संशोधनों की जब और जहां आवश्यकता समझी जाती है, उन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

चमड़ा क्षेत्र में विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता दिया जाना

4789. **श्री के० तुलसिऐया वांडायार** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विचार देश मे चमड़ा क्षेत्र के समेकित विकास के लिए आर्थिक सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें से कितनी धनराशि की सहायता तमिलनाडु के चमड़ा क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या चमड़ा क्षेत्र के समेकित विकास में अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र के प्रावधान को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (च) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) ने देश में चमड़ा क्षेत्र में समग्र एकीकृत विकास को सुकर बनाने के लिए 15,050,000/- अमरीकी डालर के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है मानव स्रोत विकास, फुटवियर सेक्टर का विकास उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास को सुकर बनाने के लिए आर० एण्ड डी० क्षमता को मजबूत बनाना, सहायता सेवाओं में सुधार करना। प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कार्यनीति क्रियान्वित करना, निर्यात बढ़ाना और कारगर समन्वय की प्रणाली की शुरूआत करना। यू० एन० डी० पी० सहायता से इस सेक्टर के लिए व्यापक योजना का विकास सुकर होगा जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र की योजना का विकास सुकर होगा जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने सहित इस सेक्टर के विभिन्न भागों के विकास के लिए महिला वर्ग को शामिल करना तथा विभिन्न समूहों के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यनीतियां बनाना शामिल हैं। इस कार्यक्रम में निधियों के राज्य-वार आबंटन की परिकल्पना नहीं है।

कुल यू० एन० डी० पी० सहायता में से, 1,600,000/- अमरीकी डालर की राशि का उपयोग प्रदूषण नियन्त्रण की एक कार्यनीति बनाने के लिए किया जाएगा। प्रदूषण नियन्त्रण के लिए प्रचलित प्रक्रिया, निकलने वाले अपशिष्ट की संरचना तथा उसकी मात्रा और उसके निकलने से पूर्व उसके शोधन के स्तर आदि के आधार पर किसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाया जाएगा।

निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विनिर्दिष्ट लाइसेंस

4790. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश कम्पनियां, जिन्हें विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुखी वस्तुएं उत्पादित करने के उद्देश्य से लाइसेंस दिए गए हैं ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहीं हैं जिनके लिए विशिष्ट लाइसेंस नहीं दिए गए हैं और स्थानीय बाजारों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें विदेशों को निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उन्होंने कितने प्रतिशत निर्यात किया; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 100% निर्यात-अभिमुख योजना के तहत स्थापित किए गए औद्योगिक एककों को उनके लाइसेंस पर विशेषरूप से पृष्ठांकित मदों के विनिर्माण की अनुमति दी जाती है। सरकार ने एककों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा बाजार स्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उत्पादन में लोचशीलता को सुकर बनाने हेतु व्यापक (ब्रांड-वैडिंग) सुविधाओं की भी अनुमति दी है।

100% निर्यात-अभिमुख एककों के विनिर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत बद्ध (बाउन्ड) किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए तथा विशेष आरोप के अभाव में ये प्रश्न नहीं उठते।

मछली और झींगा का निर्यात

4791. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों से मछली और झींगा का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में मछली और झींगा का निर्यात किया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा किन देशों को इनका निर्यात किया गया; और

(ग) इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुलतान सुर्शीद) : (क) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघशासित क्षेत्रों अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, और लक्षद्वीप से मछली और झींगे का निर्यात किया जाता है।

(ख) पिछली तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) सरकार का समुद्री उत्पादों से निर्यात आय को बढ़ाने हेतु निम्नांकित पंचकोणीय नीति अपनाने का विचार है :—

(I) कैप्चर फिशरी के विकास द्वारा निर्यात उत्पादन को बढ़ाना;

(II) मछली पालन द्वारा उत्पादन बढ़ाना;

(क) झींगा पालन केन्द्रों से प्रति हे० उपज बढ़ाना;

(ख) पालन द्वारा झींगा के उत्पादन के अन्तर्गत और ज्यादा क्षेत्र लाना; और

(ग) अन्य निर्यात योग्य मदों के उत्पादन को बढ़ाना ।

(III) नई तकनीक और मूल्यवर्धन का प्रवेश;

(IV) संसाधन सुविधाओं, गुणवत्ता उन्नयन और अपशिष्ट में कमी का आधुनिकीकरण; तथा

(V) जबरदस्त बाजार संवर्धन उपाय ।

विवरण

भारतीय समुद्री उत्पादों के मुख्य बाजार

मात्रा : मी० टनों में

मूल्य : करोड़ रुपए में

क्रमसं०	देश का नाम		1990-91	1989-90	1988-82
1.	जापान	मात्रा	38052	38763	358.11
		मूल्य	458.27	345.66	356.84
2.	संयुक्त राज्य अमरीका	मात्रा	16155	13802	13531
		मूल्य	109.31	78.33	70.11
3.	ब्रिटेन	मात्रा	7376	7695	6883
		मूल्य	63.05	50.19	42.84
4.	स्पेन	मात्रा	11063	11039	10808
		मूल्य	54.48	36.19	28.80
5.	सिंगापुर	मात्रा	16947	9480	6329
		मूल्य	43.99	25.16	17.03
6.	इटली	मात्रा	6381	3881	4116
		मूल्य	39.80	20.04	15.10

1	2		3	4	5
7.	फ्रांस	मात्रा	5708	5259	4768
		मूल्य	25.59	18.86	14.41
8.	हांगकांग	मात्रा	15137	2056	558
		मूल्य	17.21	5.25	2.59
9.	नीदरलैंड	मात्रा	2615	2624	1200
		मूल्य	15 23	13.05	8.64
10.	पुर्तगाल	मात्रा	3403	1314	931
		मूल्य	11.05	2.42	1.38
11.	अन्य	मात्रा	1654	13930	14842
		मूल्य	55.39	39.84	40.11
	कुल	मात्रा	139419	110843	99777
		मूल्य	893.37	634.99	597.85

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों और लेखाकारों के वेतनमान

[हिन्दी]

4792. **श्री ललित उरांव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने सरकार से सिफारिश की है कि भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों और लेखाकारों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान के समान होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों को किस समय तक क्रियान्वित किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष ने यह मांग उठाई थी कि वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करके उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान के बराबर कर दिया जाए। यह मामला विभागीय परिषद् में विचाराधीन है।

कच्चे तथा तैयार माल का निर्यात

4793. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जून, 1991 से 30 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में निर्यात किए गए कच्चे माल और तैयार माल के निर्यात का ब्यौरा तथा उनका मूल्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए पेट्रोल से चलाए जाने वाले वाहनों का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन से पूर्व की दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विदेश व्यापार सम्बन्धी आंकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक तथा संचयी आधार पर संकलित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए अनन्तिम वस्तु देश आंकड़े सितम्बर, 1991 तक के लिए उपलब्ध हैं। कच्चे माल तथा परिष्कृत सामान के निर्यात के देश वार ब्यौरे बहुत अधिक हैं और "फारेन ट्रेड स्टेस्टिसटिक्स आफ इंडिया (प्रिंसपल कमोडिटीज एण्ड कन्ट्रीज सितम्बर, 1991)" शीर्षक के तहत वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०) के प्रकाशन में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में मौजूद हैं।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	वाहन की किस्म	मात्रा (संख्या)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1.	पेसेंजर कार	10126	79.36
2.	स्कूटर	2011	2.64
3.	मोटर साईकिल	2435	6.15
4.	मोपेड	2468	1.30

(ग) पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए सरकार सामान्य रूप से उन दरों को मानीटर नहीं नहीं करती है जिन दरों पर प्रत्येक निर्यातक अपने निर्यात के सौदे करता है।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट बैंकों की शाखाएं खोलना

4794. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में जिलावार निजी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत है;

(ख) राज्य में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए निजी क्षेत्र के किन-किन बैंकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र की बैंकों की 22 शाखाएं

कार्य कर रही हैं। जिले-वार ब्यौरा और शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

	जिला	शाखाओं की संख्या
1.	भोपाल	1
2.	दुर्ग	1
3.	पूर्वी नीमाड़	2
4.	ग्वालियर	2
5.	इन्दौर	5
6.	मंदसौर	3
7.	रायपुर	1
8.	राजनन्दगांव	1
9.	रतलाम	2
10.	उज्जैन	3
11.	पश्चिमी नीमाड़	1
	कुल	22

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के केवल एक बैंक अर्थात यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि० ने मध्य प्रदेश में अर्ध-शहरी केन्द्र के लिए आवेदन किया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

राजस्थान में निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना

[अनुवाद]

4795. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राजस्थान में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

राजस्थान में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने हेतु 3-12-91 की स्थिति के अनुसार लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	इकाई का नाम	उत्पादन की मद	स्थान	टिप्पणी
1.	मैसर्स गोदारा काटन जीनिंग कं० लि०	कपास/कपास के बीज	सिरसा, हरियाणा और गंगानगर, राजस्थान	बोर्ड द्वारा अस्वीकृत
2.	मैसर्स रामपुर डिस्टीलरी केमिकल्स कं० लि०	सूती धागे	अलवर, राजस्थान	बोर्ड द्वारा स्वीकृत
3.	श्री एन० के० रैंगडिया मैसर्स सोवाटैक्स लि०	सूती धागे	अलवर, राजस्थान	बोर्ड द्वारा विचार किया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया।
4.	श्री प्रकाश चन्द जैन मैसर्स अहिंसा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा० लि०	ग्रेनाइट टाइल्स इत्यादि	आबू रोड, सिरोही राजस्थान	बोर्ड द्वारा अस्वीकृत
5.	मैसर्स जिम्मा प्रा० लि०	संगमरमर स्लैब इत्यादि	मकराना, राजस्थान	बोर्ड द्वारा अस्वीकृत

नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धन

[हिन्दी]

4796. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और इसके लिए राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : नये राष्ट्रीय राजमार्गों पर किये जाने वाले व्यय के लिए परिव्यय, पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किया जाता है न कि अलग से वार्षिक योजनाओं में। नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कुछेक मानदण्डों, निधियों की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखकर की जाती है न कि राज्य-वार लक्ष्यों के आधार पर। बजटगत समर्थन के अभाव के कारण वर्ष 1991-92 के दौरान अभी तक इस प्रणाली में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं किया गया है।

काफी का निर्गम मूल्य

[अनुवाद]

4797. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1992 के लिए अरबिका और रावेस्टा काफी का न्यूनतम निर्गम मूल्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत निम्नानुसार निर्धारित की है।

अरेबिका	—	23.93 रु० प्रति किग्रा०
रोबस्टा	—	19.21 रु० प्रति किग्रा०

भारतीय पटसन नियम द्वारा खरीद केन्द्र का बन्द किया जाना

4798. **डा० सुधीर राय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 मौसम से आगे तक बड़ी संख्या में भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्रों को बन्द किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक इसमें कमी की जा रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पटसन उत्पादकों तथा ऐसे केन्द्रों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय पटसन निगम (जे० सी० आई०) के क्रय केन्द्रों को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। जे० सी० आई० द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कच्चे पटसन की खरीदारी के जरिये पटसन उपजकर्त्ताओं के हितों की निरन्तर रक्षा की जाती रहेगी।

लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल, सहारनपुर

4799. **डा० राम चन्द्र डोम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर स्थित लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल में 3 सितम्बर, 1991 से तालाबन्दी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मिल को दोबारा चालू करने तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) मिल में कामगारों में व्यापक अनुशासनहीनता के साथ-साथ घेराव करके डराने की निरन्तर घटनाएं होने, प्रबन्धकों को जबरदस्ती डराने-धमकाने की धमकियां देने आदि के कारण प्रबन्धकों को तालाबन्दी घोषित करने के लिए विवश होना पड़ा।

(ग) मिल का दोबारा खुलना सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धकों, कामगारों और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय वार्त्ताएं चल रही हैं। इस मिल को चालू करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

छावनी बोर्डों का विकास किया जाना

4800. **श्री मन्दी येल्लैया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में छावनियों के विकास के लिए कितने धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या यह धनराशि सभी 64 छावनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं तथा गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न छावनियों और विशेषकर सिकन्दराबाद छावनी द्वारा प्रदान की गई नागरिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार के पास लम्बित विभिन्न छावनियों से नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) सरकार विभिन्न छावनी बोर्डों को उनके बजटों में घाटा पूरा करने और विकास योजनाएं शुरू करने के लिए सहायता-अनुदान देती है। विशिष्ट पूंजीगत निर्माण-कार्यों और विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार कतिपय छावनी बोर्डों को विशेष सहायता अनुदान मंजूर करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

2. आबंटित राशि छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तावित मांगों से कम पड़ गई है।

3. छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 116 के अनुसार, छावनी क्षेत्रों में जन सुविधाएं प्रदान

करने और गंदी बस्तियों में सुधार लाने का दायित्व छावनी बोर्ड का है, सरकार का नहीं। लेकिन सरकार सहायता अनुदान और विशेष सहायता अनुदान देकर उनकी सहायता करती रही है ताकि घाटे में चल रहे छावनी बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाएं शुरू कर सकें।

4. छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 116 और 117 के अन्तर्गत उन्हें जन सुविधाएं उपलब्ध कराने हैं। छावनी बोर्डों, जिनमें सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड भी शामिल है, द्वारा प्रदान की गई जल आपूर्ति, जल-मल निकास, स्कूल, अस्पताल और औषधालय जैसी जन सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

5. जन-सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में छावनी बोर्डों से सरकार को अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करना संभव नहीं हो सका है। छावनी बोर्डों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1988-89, 89-90, 90-91 और 91-92 के दौरान दिए गए सहायता अनुदान (सामान्य/विशेष) के ब्यौरे

क्रम सं०	छावनी का नाम	दिया गया सहायता अनुदान								टिप्पणी
		1988-89		1989-90		1990-91		*1991-92		
		सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आगरा	18.30	—	18.30	—	10.00	15.00	निल	—	
2.	अहमदाबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	*30-11-91
3.	अहमदनगर	22.75	—	22.75	—	23.00	—	13.00	—	की स्थिति के
4.	अजमेर	5.18	—	5.33	—	5.00	—	1.00	—	अनुसार
5.	इलाहाबाद	10.50	—	10.50	—	—	—	—	—	
6.	अल्मोड़ा	4.25	—	4.30	—	5.45	3.00	4.00	—	
7.	अम्बाला	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.	अमृतसर	1.92	—	—	—	—	—	—	—	
9.	औरंगाबाद	4.20	—	5.48	6.45	7.30	—	8.60	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	बड़ौना	18.65	—	18.65	—	21.60	6.00	13.50	—	
11.	बदामीबाग	20.82	—	23.82	—	21.50	—	1.50	—	
12.	बक्लोह	8.33	—	11.33	—	13.00	2.00	4.00	—	
13.	बरेली	21.65	—	21.65	—	3.10	—	—	—	
14.	बैरकपुर	23.92	—	24.42	6.30	25.00	—	17.50	—	
15.	बेलगाम	22.20	—	22.20	—	3.00	—	—	—	
16.	चकराता	9.10	—	14.60	—	16.50	6.00	15.00	3.90	
17.	कन्नानूर	3.62	—	2.82	2.00	—	—	—	—	
18.	क्लेमेंट टाउन	11.35	1.61	16.10	—	23.40	8.99	27.50	2.18	
19.	दगशई	8.82	—	8.82	—	14.00	2.00	6.00	—	
20.	डलहौजी	9.82	3.12	12.82	—	13.00	1.65	11.00	—	
21.	देहरादून	45.30	—	50.30	—	48 85	25.00	34.00	—	
22.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	
23.	देहू रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.	देवलाली	18.75	30.00	17.75	—	22.00	30.00	26.00	—	
25	दानापुर	17.20	—	16.20	—	19.45	14.86	12.50	—	
26.	फैजाबाद	16.85	—	20.82	—	20.00	5.00	21.00	—	
27.	फतेगढ़	12.10	—	12.10	—	13.00	8.00	9.00	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	फिरोजपुर	52.40	—	57.90	—	56.25	25.00	16.25	—	
29.	जबलपुर	10.00	—	8.00	—	—	—	—	—	
30.	जलापहाड	7.82	7.80	6.82	—	10.00	—	11.00	—	
31.	जालन्धर	33.85	—	23.85	—	42.50	10.00	17.50	—	
32.	जम्मू	8.50	5.00	11.00	—	12.55	8.39	6.25	—	
33.	झांसी	—	—	—	—	—	—	—	—	
34.	जतोग	10.82	—	10.82	—	12.00	1.66	13.00	—	
35.	कसौली	19.20	—	21.70	—	24.20	—	16.50	—	
36.	कानपुर	2.75	—	—	—	7.00	8.00	35.50	—	
37.	काम्पटी	23.10	—	21.10	—	23.20	4.00	6.20	—	
38.	खस्योल	20.20	—	22.20	—	23.00	8.00	25.00	—	
39.	किरकी	—	—	—	—	—	—	—	—	
40.	लन्डोर	6.93	—	8.33	—	9.00	6.73	11.50	7.92	
41.	लेन्सडाउन	18.00	—	18.82	—	20.60	9.00	6.70	—	
42.	लेबोंग	8.20	2.25	9.70	—	12.00	—	13.00	—	
43.	लखनऊ	30.00	—	28.00	—	10.00	—	—	—	
44.	मथुरा	17.20	—	18.20	—	18.75	5.00	—	—	
45	मेरठ	15.19	—	42.00	—	20.00	5.00	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	मऊ	45.86	—	42.86	3.00	46.00	5.00	15.50	—	
47.	मोरार	0.55	—	—	—	—	—	—	—	
48.	नैनीताल	5.55	—	7.55	—	7.10	3.00	8.10	—	
49.	नसीराबाद	21.65	—	21.65	—	24.30	—	12.30	—	
50.	पचमढ़ी	12.82	—	12.82	4.04	13.00	—	6.00	—	
51.	पुणे	—	—	—	—	—	—	—	—	
52.	रामगढ़	11.37	—	13.87	—	18.60	8.00	18.00	—	
53.	रानीखेत	25.65	3.50	26.65	—	26.50	13.00	18.50	—	
54.	रूड़की	8.82	—	9.82	—	9.75	—	7.00	—	
55.	सागर	1.50	—	—	—	—	—	—	—	
56.	शाहजहानपुर	8.10	—	7.10	—	1.10	—	1.00	—	
57.	सिकन्दराबाद	29.00	—	16.90	—	—	—	—	—	
58.	शिलांग	0.95	—	6.20	—	9.00	—	4.50	—	
59.	सुबाथू	10.82	—	8.82	—	10.00	2.00	9.00	—	
60.	सेंट थामस माउन्ट	—	—	—	—	—	—	—	—	
61.	वाराणसी	8.10	—	8.10	—	9.10	10.00	6.00	—	
62.	वेलिंगटन	30.20	—	37.20	—	37.10	—	12.00	—	

विवरण-2

छावनी क्षेत्रों में सिविलियनों के लिए जल-आपूर्ति और मल-व्यवस्था की स्थिति

क्रम सं०	छावनी का नाम	जल-आपूर्ति का स्रोत	प्रतिव्यक्ति/दिन जल की उपलब्धता (लीटर में)	भूमिगत मल-व्यवस्था
1	2	3	4	5
1.	आगरा	उ०प्र० जल निगम/ सैन्य इंजीनियरी सेवा	40	लागू नहीं होता
2.	अहमदाबाद	छावनी बोर्ड	175	अंशत: उपलब्ध
3.	अहमदनगर	सैन्य इंजीनियरी सेवा	50	लागू नहीं होता
4.	अजमेर	पी०एच०ई०डी०	40	लागू नहीं होता
5.	इलाहाबाद	सैन्य इंजीनियरी सेवा	135	लागू नहीं होता
6.	अल्मोड़ा	सैन्य इंजीनियरी सेवा/ कुमाऊं जल संस्थान	100	लागू नहीं होता
7.	अम्बाला	सैन्य इंजीनियरी सेवा	110	लागू नहीं होता
8.	अमृतसर	छावनी बोर्ड	230	अंशत: उपलब्ध
9.	औरंगाबाद	एम०डब्ल्यू०एस० एण्ड एस०बी०/एम०ई०एस०	45	लागू नहीं होता
10.	बबीना	उ०प्र० जल निगम	80	लागू नहीं होता
11.	बादामीबाग	राज्य सरकार/एम०ई०एस	200	लागू नहीं होता
12.	बकलोह	एम०ई०एस०	29	लागू नहीं होता
13.	बरेली	उ०प्र० जल निगम/ एम०ई०एस०	30	लागू नहीं होता
14.	बैरकपुर	छावनी बोर्ड/एम०ई०एस०	34	लागू नहीं होता
15.	बेलगांव	के०यू०डब्ल्यू०एस०बी०	75	अंशत: उपलब्ध
16.	कृष्णनूर	केरल जल प्राधिकरण	100	लागू नहीं होता
17.	चकराता	एम०ई०एस०	100	लागू नही होता

1	2	3	4	5
18.	क्लेमेंट टाउन	एम०ई०एस०/जल संस्थान	150	लागू नहीं होता
19.	ढगसाई	एम०ई०एस०	50	लागू नहीं होता
20.	डलहौजी	एम०ई०एस०	40	लागू नहीं होता
21.	दानापुर	छावनी बोर्ड	140	लागू नहीं होता
22.	देहरादून	छावनी बोर्ड	140	लागू नहीं होता
23.	देहू रोड	एम०आई०डी०सी०	80	लागू नहीं होता
24.	दिल्ली	एम०ई०एस०/ एम०सी०डी०/सी०बी०	175	अंशत: उपलब्ध
25.	देवलाली	एम०ई०एस०	75	लागू नहीं होता
26.	फैजाबाद	एम०ई०एस०	150	लागू नहीं होता
27.	फतेहगढ़	एम०ई०एस०	65	लागू नहीं होता
28.	फिरोजपुर	छावनी बोर्ड	150	लागू नहीं होता
29.	जबलपुर	एम०सी०/एम०ई०एस०	50	लागू नहीं होता
30.	जालन्धर	छावनी बोर्ड	130	अंशत: उपलब्ध
31.	जलपहाड़	एम०ई०एस०	15	लागू नहीं होता
32.	जम्मू	एम०ई०एस०/ पी०एच०ई०डी०	250	लागू नहीं होता
33.	झांसी	जल निगम	25	लागू नहीं होता
34.	जतोग	एम०ई०एस०	50	लागू नहीं होता
35.	काम्ठी	छावनी बोर्ड	100	लागू नहीं होता
36.	कानपुर उ०प्र०	जल निगम	100	अंशत: उपलब्ध
37.	कसौली	एम०ई०एस०	80	लागू नहीं होता
38.	किरकी	पी०एम०सी०	200	अंशत: उपलब्ध
39.	खस्योल	एम०ई०एस०	25	लागू नहीं होता
40.	लंडौर	एस०ई०एस०	50	लागू नहीं होता
41.	लैंसडाऊन	एम०ई०एस०	30	लागू नहीं होता
42.	लेबांग	एम०ई०एस०	30	लागू नहीं होता
43.	लखनऊ	उ०प्र० जल निगम	100	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
44.	मथुरा	छावनी बोर्ड	50	लागू नहीं होता
45.	मेरठ	उ०प्र० जल निगम	175	लागू नहीं होता
46.	मऊ	एम०ई०एस०	60	लागू नहीं होता
47.	मुरार	एम०ई०एस०/ पी०एच०ई०डी०	25	लागू नहीं होता
48.	नैनीताल	छावनी बोर्ड/ एम०ई०एस०	125	लागू नहीं होता
49.	नसीराबाद	एम०ई०एस०	40	लागू नहीं होता
50.	पंचमढ़ी	एम०ई०एस०	70	लागू नहीं होता
51.	पुणे	पुणे नगर पालिका	150	अंशत: उपलब्ध
52.	रामगढ़	छावनी बोर्ड	25	लागू नहीं होता
53.	रानीखेत	एम०ई०एस०	65	लागू नहीं होता
54.	रूड़की	छावनी बोर्ड	150	लागू नहीं होता
55.	सैंट थामस माऊन्ट	छावनी बोर्ड	55	लागू नहीं होता
56.	सागर	छावनी बोर्ड/एम०ई०एस०/ नगर निगम	40	लागू नहीं होता
57.	सिकन्दराबाद	मंजीरा जल संकर्म	45	लागू नहीं होता
58.	शाहजहांपुर	छावनी बोर्ड	150	लागू नहीं होता
59.	शिलांग	पी०एच०ई०डी०	25	लागू नहीं होता
60.	सुबाथू	एम०ई०एस०	100	लागू नहीं होता
61.	वाराणसी	छावनी बोर्ड	100	लागू नहीं होता
62.	वेलिंगटन	एम०ई०एस०	30	लागू नहीं होता

छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरियां

क्रम सं०	छावनी का नाम	स्कूल	अस्पताल		डिस्पेंसरियां
			संख्या	बिस्तरों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	7 प्रा० स्कूल	1	30	—
2.	अहमदाबाद	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
3.	अहमदनगर	6 प्रा० स्कूल	1	30	—
4.	अजमेर	—	—	—	1
5.	इलाहाबाद	3 प्रा० स्कूल और 1 जू० हा० स्कूल	1	42	—
6.	अल्मोड़ा	—	—	—	—
7.	अम्बाला	5 प्रा० स्कूल	—	—	—
8.	अमृतसर	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
9.	औरंगाबाद		1	20	—
10.	बबीना	2 प्रा० स्कूल	1	8	—
11.	बकलोह	2 प्रा० स्कूल, 1 मि० स्कूल	1	2	—

1	2	3	4	5	6
12.	बदामीबाग	—	—	—	1
13.	बैरकपुर	2 प्रा० स्कूल	1	48	—
14.	बरेली	3 प्रा० स्कूल और 1 हा० स्कूल	1	20	—
15.	बेलगांव	2 प्रा० स्कूल	1	—	1
16.	कन्नानूर	—	—	—	—
17.	चकराता	2 प्रा० स्कूल और 1 हा० स्कूल	—	—	—
18.	क्लेमेंट टाउन	1 प्रा० स्कूल	1	14	—
19.	डागशाई	—	—	—	1
20.	डलहौजी	1 प्रा० स्कूल	1	2	—
21.	दिल्ली	6 प्रा० स्कूल	1	30	—
22.	देहरादून	3 प्रा० स्कूल, 1 जू० हा० स्कूल और 1 हाई स्कूल	1	18	1
23.	देवलाली	6 प्रा० स्कूल और 1 हाई स्कूल	1	88	—
24.	दानापुर	—	—	—	1
25.	देहु रोड	14 प्राइमरी स्कूल	1	59	—
26.	फैजाबाद	1 जू० हा० स्कूल	—	—	1
27.	फतेहगढ़	2 प्रा० स्कूल	—	—	1
28.	फिरोजपुर	6 प्रा० स्कूल	1	32	—

1	2	3	4	5	6
29.	जबलपुर	4 प्रा० स्कूल और 1 मि० स्कूल	1	34	—
30.	जालन्धर	4 प्रा० स्कूल और 2 सी० से० स्कूल	1	34	—
31.	जलापहाड़	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
32.	जम्मू	--	1	35	—
33.	झांसी	3 प्रा० स्कूल	1	18	—
34.	जतोघ	1 मि० स्कूल	—	—	1
35.	काम्पटी	2 प्रा० स्कूल	1	32	—
36.	कानपुर	9 प्रा० स्कूल	1	36	—
37.	कसौली	1 प्रा० स्कूल	1	19	—
38.	किरकी	5 प्रा० स्कूल और 2 हा० स्कूल	1	100	1
39.	खस्योल	6 प्रा० स्कूल और 1 हा० स्कूल	1	20	—
40.	लंदौर	—	—	—	—
41.	लैंसडाउन	2 प्रा० स्कूल और 1 हा० स्कूल	1	33	—
42.	लेबंग	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
43.	लखनऊ	5 प्रा० स्कूल और 1 जू० हा० स्कूल	1	44	1
44.	मथुरा	2 प्रा० स्कूल	—	—	1
45.	मेरठ	4 प्रा० स्कूल और 1 इन्टर कालेज	1	75	—

1	2	3	4	5	6
46.	महू	3 प्रा० स्कूल, 1 मि० स्कूल और 1 हा० स्कूल	1	38	—
47.	मोरार	—	1	4	—
48.	नैनीताल	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
49.	नसीराबाद	—	—	—	1
50.	पचमढ़ी	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
51.	पुणे	7 प्रा० स्कूल और 4 हा० स्कूल	1	10	—
52.	रामगढ	5 प्रा० स्कूल और 2 मि० स्कूल	1	—	—
53.	रानीखेत	4 प्रा० स्कूल और 1 जू० हा० स्कूल	—	—	1
54.	रूडकी	2 प्रा० स्कूल और 1 जू० हा० स्कूल	—	—	1
55.	सेंट थोमस माउंट	2 प्रा० स्कूल और 2 हा० स्कूल	2	36	2
56.	सागर	4 प्रा० स्कूल, 1 मि० स्कूल और 1 हा० स्कूल	1	20	—
57.	सिकन्दराबाद	—	1	54	3
58.	शाहजहानपुर	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
59.	शिलांग	1 प्रा० स्कूल	—	—	1
60.	सुबाथू	—	1	9	—

1	2	3	4	5	6
61.	वाराणसी	2 प्रा० स्कूल और 1 जू० हा० स्कूल	1	18	—
62.	विलिंगटन	1 प्रा० स्कूल और 1 मि० स्कूल	1	35	—

प्रा० स्कूल — प्राइमरी स्कूल

मि० स्कूल — मिडिल स्कूल

जू० हा० स्कूल — जूनियर हाई स्कूल

हा० स्कूल — हाई स्कूल

सी० से० स्कूल — सीनियर सेकण्डरी स्कूल

हा० से० स्कूल — हायर सेकण्डरी स्कूल

विवरण-3

छावनी बोर्डों से प्राप्त विकास योजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं०	छावनी का नाम	विकास योजना/परियोजना	प्राप्त करने की तारीख	निहित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	मल-निकासी प्रणाली का प्रावधान	फरवरी, 92	65,10,000
2.	बकलोह	जल आपूर्ति योजना	मार्च, 89	46,96,000
3.	बैरकपुर	सिविल क्षेत्र के शुष्क शौचालयों को सेप्टिक टैंक शौचालयों में बदलना	अक्तूबर, 91	31,46,506
4.	क्लेमेंट टाऊन	जल आपूर्ति योजना	सितम्बर, 87	79,16,000
5.	चकराता	वाटर टैंकर का प्रावधान	सितम्बर, 91	13,69,000
6.	डलहौजी	स्वतंत्र जल आपूर्ति योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि	सितम्बर, 91	1,11,525
7.	देहरादून	प्राथमिकता बाल विद्यालय की इमारत की सड़क का पुनर्निर्माण	जनवरी, 89	4,00,000
8.	फैजाबाद	सर्विस शौचालयों को फ्लश-टाइप शौचालयों में बदलना	अगस्त, 91	14,73,000
9.	फतेहगढ़	10 सीटों वाले सुलभ शौचालयों के 4 सैटों का निर्माण	फरवरी, 89	14,61,000
10.	जलपहाड़	जल आपूर्ति योजना का विस्तार करना	अगस्त, 88	5,00,000
11.	कानपुर	जल आपूर्ति योजना का विस्तार करना	दिसम्बर, 87	25,00,000
12.	लंडौर	सीवर लाइनों का प्रावधान	अक्तूबर, 87	15,85,000
13.	लखनऊ	जल आपूर्ति योजना	दिसम्बर, 87	64,36,000
14.	मथुरा	50,000 गैलन क्षमता वाले ओवरहैड टैंक का निर्माण	जनवरी,88	4,11,000
15.	नसीराबाद	सुलभ शौचालय का निर्माण	फरवरी, 91	11,56,000

1	2	3	4	5
16.	रामगढ़	नालियों का निर्माण	सितम्बर, 87	35,33,000
17.	रानीखेत	सुलभ शौचालय का निर्माण	जनवरी, 88	8,06,000
18.	रानीखेत	जल-वितरण की पुरानी लाइनें बदलना	जनवरी, 88	6,00,000
19.	रानीखेत	जल-आपूर्ति योजना का विस्तार करना	दिसम्बर, 88	89,42,000
20.	रुड़की	जल-आपूर्ति योजना के लिए अतिरिक्त पम्प हाउस	नवम्बर, 89	10,82,000
21.	सागर	जल-आपूर्ति योजना का सुधार करना	मार्च, 90	32,13,000
22.	शिलांग	जल-आपूर्ति योजना का सुधार करना	जून, 88	32,40,000
23.	वाराणसी	जल-आपूर्ति योजना का सुधार करना	जून, 91	36,00,000
24.	वेलिंगटन	पैन-नुमा औषधालयों को फ्लश-नुमा शौचालयों में बदलना	जनवरी, 89	10,00,000
25.	सिकन्दराबाद	सिविल क्षेत्रों का विकास करना जिसमें लगभग 300 हाउसिंग कालोनियों और उनमें सिविल सुविधाओं का प्रबन्ध करना भी शामिल है।		5,00,00,000
		केन्द्रीय जल आपूर्ति		10,00,000
		सिविल मल-जल योजना		11,00,000

सशस्त्र सेनाओं के विकलांग कार्मिकों को पेंशन

[हिन्दी]

4801. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के मामले में जिन्हें सेना से विकलांगता के कारण कार्य-मुक्त कर दिया गया है, उनकी विकलांगता रक्षा लेखा नियन्त्रक (सी० डी० ए०) द्वारा शरीर के निचली हिस्से में दर्शायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन की मात्रा प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर सी० डी० ए० को यह अधिकार दिया गया है तथा यह कहां तक न्यायोचित है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं से सेवा मुक्त/अशक्तता के आधार पर सेवा निर्मुक्त किए जाने के समय, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की निशक्तता की मात्रा का निर्धारण और सिफारिश शुरू में सेवानिर्मुक्त/अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्डों द्वारा की जाती है। चिकित्सा सलाहकार (पेंशन), जोकि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को हताहत पेंशन पंचाट, 1962 के अधिकृत नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाले चिकित्सा अधिकारी हैं, की सलाह से मुख्य नियन्त्रक रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा इन बोर्डों की सिफारिशों का पुनरीक्षण तथा संशोधन किया जा सकता है। उक्त पुनरीक्षा के बाद अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों की तुलना में निशक्तता पेंशन का अवार्ड उसी स्तर पर रह सकता है तथा उसमें वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

मोटरों और स्टार्टरों के लिए नौसेना मुख्यालय द्वारा समझौता

4802. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना मुख्यालय ने मोटरों और स्टार्टरों की पूर्ति के लिए वर्ष 1987 में एक विदेशी कंपनी से कोई करार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कम्पनी द्वारा भेजे गए स्टार्टर सही नहीं पाए गए क्योंकि वे विनिर्दिष्टियों के अनुसार नहीं थे;

(ग) क्या स्टार्टर कम्पनी को वापिस कर दिए गए हैं और कम्पनी ने इनकी कीमत वापस कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) फर्म ने स्टार्टरों की पूरी कीमत वापस कर दी है। परन्तु फर्म ने स्टार्टरों को वापिस नहीं लिया है तथा नौसेना मुख्यालय को सलाह दी है कि स्टार्टरों को किसी भी अन्य संभावित प्रयोग के लिए रख लें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"प्लान टू मेक रिंग रोड ए फ्री वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

4803. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "प्लान टू मेक रिंग रोड ए फ्री वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में रिंग रोड को मुक्त रास्ता बनाने की योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिंग रोड को मुक्त रास्ता कब तक बना दिया जाएगा;

(घ) क्या दिल्ली में अन्य सड़कों को भी मुक्त रास्ते में परिवर्तित किया जाने के लिए सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : संवैधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सभी सड़कों/पुलों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र अनिवार्यतः उत्तरदायी हैं। प्रश्नगत सड़क एक स्थानीय सड़क है जिसके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर निम्न प्रकार है :

(क) से (ग) जी, हां। रिंग रोड पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा धन भेजा जाना

4804. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को धन प्रेषण पर अप्रैल, 1991 से रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह रोक कब तक हटाई जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए अधिशेष विदेश यात्रा/मात्र भाड़ा वसूली सम्बन्धी प्रेषणाओं में अप्रैल, 1991 से 50 प्रतिशत कटौती कर दी गई है।

(ग) विदेशी एयरलाइन्स द्वारा की गई प्रेषणाओं को अब मूल-स्तर पर अर्थात् अधिशेष विदेश यात्रा/माल भाड़ा वसूली के 99.5 प्रतिशत तक बहाल कर लिया गया है।

आई० एल० 76 विमान

4805. **प्रो० राम कापसे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुमण्डल में आई० एल० 76 विमानों के कार्य-निष्पादन का स्तर उपयुक्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विमानों के संचालन के सम्बन्ध में सरकार की भविष्य नीति क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन वायुयानों का भारी परिवहन वायुयान के रूप में उपयोग जारी रहेगा।

संगठित औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4806. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 1985-86 और 1990-91 में संगठित औद्योगिक क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों) में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रोजगार में कुल कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या नई "एग्जिट पालिसी" के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार चालू मूल्यो पर विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू पूंजी निर्माण समायोजित 1975 में 4130 करोड़ रुपए, 1985-86 में 13854 करोड़ रुपए और 1988-89 में 21,533 करोड़ रुपए (नवीनतम उपलब्ध) था। सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण उद्योगों (असमायोजित) में चालू मूल्यों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण 1975-76, 1985-86 और 1988-89 के वर्षों में क्रमश: 1445 करोड़ रुपए, 5562 करोड़ रुपए और 5207 करोड़ रुपए था। गैर-सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण उद्योगों में सकल घरेलू पूंजी निर्माण से सम्बन्धित तुलनात्मक असमायोजित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में निवल वृद्धि जिसमें सरकारी क्षेत्र में सभी विनिर्माण संस्थापनाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र की उन सभी विनिर्माण संस्थापनाओं की वृद्धि शामिल है जिन्होंने 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया है नीचे दी गई हैं :

वर्ष	रोजगार (लाख में)		जोड़
	सरकारी	गैर-सरकारी	
1975-76	11.13	41.58	52.71
1985-86	18.15	44.38	62.63
1988-89 (अद्यतन उपलब्ध)	18.48	43.89	62.37
1975-76 की तुलना में 1985-86	में वृद्धि		9.92 लाख + 18.9%
1985-86 की तुलना में 1988-89	,, ,,		0.26 लाख—0.01%
1975-76 की तुलना में 1988-89	,, ,,		9.66 लाख + 18.3%

(ग) सरकार ने ऐसी किसी एग्जिट पालिसी की घोषणा नहीं की है।

"ऑर्डनेंस फैक्ट्रीस" संगठन का पुनर्गठन

4807. **कुमारी उमा भारती** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ऑर्डनेंस फेक्ट्रीस" महानिदेशक के अन्तर्गत "आर्डनेंस फेक्ट्रीस" संगठन का पुनर्गठन करने का कोई विचार है;

(ख) क्या रक्षा के लिए बजट प्रावधान का एक प्रमुख भाग इसी सगठन पर लगा हुआ है;

(ग) क्या यह संगठन परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर सका है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संगठन का पुनर्गठन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आयुध निर्माणी महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाली अधिकांश परियोजनायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं। केवल कुछ ही परियोजनाओं की प्रगति में कमी है जिसका मुख्य कारण पैरामीटरों की क्षमता में, बीच में ही परिवर्तन होना तथा आयातित संयंत्र व मशीनरी की सप्लाई में विफलता होना था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रियों से करों की वसूली

[हिन्दी]

4808. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के मन्त्रिमंडल के उन सदस्यों के नाम क्या हैं; जिनकी और विभिन्न प्रकार के कर बकाया है; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

4809. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में वर्ष 1990-91 के दौरान इन योजनाओं से कितने लोगों का लाभ पहुंचा है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 71, उपधारा 3 (ख) के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्टेज कैरिज परमिटों का आरक्षण उसी अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में राज्य में लोक सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाती है।

(ग) 1979 मे विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दिए गए स्टेज कैरिज परमिटों के पिछले बकाए को पूरा करने के लिए कार्यकारी परिषद, दिल्ली प्रशासन द्वारा मई, 1989 में 15 परमिटों को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 14 पात्र आवेदकों को जून, 1991 में परमिट दे दिए गए हैं।

डीलक्स बसों के लिए 100 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने के लिए मार्च, 1991 में तैयार की गई एक स्कीम के अन्तर्गत 22 परमिट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

वस्त्रों का मूल्य

4810. **श्री बलराज पासी** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वस्त्रों के मूल्यों को जिनमें गत छः महीनों के दौरान भारी वृद्धि हुई है, रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : वस्त्रों की कीमतें विभिन्न बाजार बलों, जिनमें अन्तर्विष्टियों आदि की कीमतें भी शामिल हैं, द्वारा शासित होती हैं । सरकार ने कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि कताई कर्ताओं को बजट पूर्व कीमतों पर यार्न की सप्लाई करने के लिए राजी करना, सूती यार्न के निर्यात का स्थगन करना, यार्न की कीमतों की मानिटिरी आदि ।

राज्यों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाना

[अनुवाद]

4811. **श्री शरद दिघे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों का राजस्व संकलन योजना आयोग तथा वित्त आयोग द्वारा बनाए गए अनुमान से काफी कम रहा है जबकि उनका गैर-विकासात्मक व्यय बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार इस बारे में कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) कुछेक को छोड़कर अधिकांश राज्यों के मामले में राज्यों के राजस्व संकलन योजना आयोग तथा नवें वित्त आयोग के अनुमानों से कम नहीं रहे हैं । तथापि, यह सही है कि उनके गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि हो रही है ।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए राज्यों के राजस्व संकलन तथा गैर-विकासात्मक व्यय को दर्शाने वाले विवरण-I और विवरण-2 संलग्न हैं ।

(ग) राज्य सरकारों को समय-समय पर भिन्न-भिन्न सरकारी मंचों से यह सलाह दी गयी हैं कि वे राजस्व प्राप्ति की स्थिति सुदृढ़ करें तथा गैर-विकासात्मक व्यय में किफायत बरतें । इस बारे में आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है ।

विवरण-1

राज्य के अपने राजस्व संकलन

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1989-90			1990-91			1991-92		
	योजना आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	वित्त आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	वास्तविक राज्य बजट	योजना आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	वित्त आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	संशोधित अनुमान राज्य बजट	योजना आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	वित्त आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित	बजट अनुमान राज्य बजट
1. आंध्र प्रदेश	2836.86	2723.40	3099.69	2934.61	3133.34	3427.25	3222.32	3440.09	3845.61
2. अरूणाचल प्रदेश	27.41	33.27	38.02	16.80	28.99	40.75	21.25	31.87	41.42
3. असम	462.23	612.11	549.76	528.67	608.55	671.72	634.15	671.69	745.08
4. बिहार	1881.30	2213.97	1902.50	1996.36	1864.73	1906.76	3125.94	2086.65	2363.33
5. गोवा	143.51	107.03	130.63	139.29	105.99	152.08	195.22	117.70	189.41
6. गुजरात	2483.24	2293.73	2971.83	2680.99	2639.16	3263.00	3032.78	2924.69	3489.22
7. हरियाणा	939.61	1053.81	1356.05	1247.61	1093.99	1580.30	1468.66	1228.61	1857.87
8. हिमाचल प्रदेश	190.68	202.35	224.20	185.84	231.49	211.11	203.06	256.95	229.07
9. जम्मू ब कश्मीर	226.78	271.86	238.35	245.00	274.20	204.01	223.52	304.35	283.21
10. कर्नाटक	2368.25	2442.92	2434.53	2640.00	2497.80	2965.80	3214.94	2785.95	3511.62
11. केरल	1198.61	1413.76	1406.94	1590.69	1584.52	1594.03	1687.68	1746.59	1727.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. मध्य प्रदेश	2238.10	1885.22	2381.01	2441.34	2159.56	2648.31	2926.80	2378.43	3153.66
13. महाराष्ट्र	5364.36	5151.63	5970.97	5740.82	5976.32	6598.17	6318.13	6606.57	7090.86
14. मणिपुर	19.26	23.91	33.55	15.08	26.24	40.80	20.08	29.10	44.13
15. मेघालय	37.86	43.90	51.21	43.21	47.96	44.40	48.51	53.25	47.21
16. मिजोरम	—1.63	24.48	17.72	—3.14	9.38	18.40	1.38	10.56	19.06
17. नागालैण्ड	24.26	45.77	32.21	12.66	34.66	44.20	17.15	39.55	45.73
18. उड़ीसा	738.28	773.10	723.48	944.47	765.16	861.39	1009.96	846.55	1185.43
19. पंजाब	1312.77	1506.92	1470.65	1292.34	1511.84	1646.86	1571.05	1733.82	1808.22
20. राजस्थान	1288.44	1082.84	1542.79	1427.20	1423.41	2012.94	1773.56	1556.23	1935.38
21. सिक्किम	14.58	32.20	32.26	15.38	20.80	34.26	18.90	22.97	39.14
22. तमिलनाडु	2780.70	2553.90	2882.01	3047.24	3032.68	3418.20	3476.24	3439.48	3634.78
23. त्रिपुरा	23.87	35.32	37.27	18.00	37.23	39.87	17.35	40.79	43.62
24. उत्तर प्रदेश	2399.93	2960.38	3272.14	2768.73	3290.82	3664.31	3574.19	3617.21	4044.19
25. पश्चिम बंगाल	2173.94	2445.87	2151.10	2481.00	2403.31	2474.08	2897.46	2725.51	2890.38
जोड़	31173.20	31933.65	34950.87	34450.19	34802.13	39563.00	40700.28	38695.06	44265.42

विवरण-2

राज्यों का गैर-विकासात्मक व्यय

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	1989-90 लेखा	1990-91 संशोधित अनुमान	1991-92 बजट अनुमान
1.	आंध्र प्रदेश	1320.47	1624.87	1873.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	54.61	58.00	67.07
3.	असम	533.16	709.07	806.95
4.	बिहार	1444.32	1719.50	2177.29
5.	गोवा	26.82	64.97	89.53
6.	गुजरात	1031.24	1173.54	1443.42
7.	हरियाणा	541.81	659.47	794.31
8.	हिमाचल प्रदेश	233.67	296.66	346.89
9.	जम्मू एवं कश्मीर	379.86	418.72	549.02
10.	कर्नाटक	1082.72	1282.13	1512.92
11.	केरल	821.20	1009.31	1105.26
12.	मध्य प्रदेश	1155.16	1420.59	1575.68
13.	महाराष्ट्र	2163.79	3227.54	4087.22
14.	मणिपुर	81.15	97.44	100.11
15.	मेघालय	73.00	81.24	88.64
16.	मिजोरम	48.25	89.56	77.24
17.	नागालैंड	134.91	152.28	155.01
18.	उड़ीसा	641.40	766.58	959.23
19.	पंजाब	686.03	1125.31	1393.25
20.	राजस्थान	965.23	1120.67	1336.32
21.	सिक्किम	24.90	30.95	35.39
22.	तमिलनाडु	1268.00	1474.97	1813.51
23.	त्रिपुरा	103.10	103.74	125.05
24.	उत्तर प्रदेश	2721.12	3066 28	4474.25
25.	पश्चिम बंगाल	1309.15	1735.46	1933.11
	कुल	19465.05	23508.85	28919.81

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत कृषकों को राहत

4812. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कृषक, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत उनके भूमि बन्धक ऋण के लिये निर्धारित 10,000 रु० से बहुत कम की राहत प्राप्त कर रहे हैं और इसमें भी अलग-अलग व्यक्तियों में भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किसानों और भूमिहीन काश्तकारों तथा कारीगरों द्वारा लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की थी। जहां तक सहकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इसी पैटर्न पर योजनाएं तैयार करें। तदनुसार ही, असम सहित अन्य राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय योजना की तरह ही, सहकारी क्षेत्र में उधारकर्ताओं के हित के लिए राहत योजना तैयार की। योजना को सारे देश में समान रूप से कार्यान्वित किया गया है। योजना के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिक से अधिक 10,000 रुपए प्रति उधारकर्ता राहत प्रदान की गयी। बैंकों द्वारा दी गयी ऋण राहत अलग अलग उधारकर्ता के लिए अलग-अलग होगी जो दिनांक 2-10-1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक उधारकर्ता के खाते में अतिदेय राशियों पर निर्भर करेगी।

आयुर्वेदिक औषधियों का आयात

4813. **डा० रवि मल्लू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा कुछ निजी फर्में आयुर्वेदिक औषधियों (निर्मित अथवा कच्चे उत्पादों) का आयात कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना खर्च किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक औषधियों (तैयार या अपरिष्कृत उत्पाद) के आयात की अनुमति निर्धारित शर्तों के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दी जाती है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 2.28 लाख रुपए, 26.62 लाख रुपए और 41.42 लाख रुपए की आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का आयात किया गया था। मद-वार आयातों के आंकड़े आयातक वर्ग-वार नहीं रखे जाते हैं।

कौरमुंडा, उड़ीसा में "एयरक्राफ्ट बाडि क्लेडिंग" फैक्टरी

4814. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कौरमुंडा, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा में एक रक्षा "एयरक्राफ्ट बॉडि क्लेडिंग" फैक्टरी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी तक ऐसी फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ।

पंजाब सड़क परिवहन, नांगल में घाटा

4815. **श्री केशरी लाल :**

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री रोशन लाल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिसूचना के अनुसार किरायों में वृद्धि न किए जाने के कारण पंजाब परिवहन, नांगल को लाखों रुपये का परिहार्य घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घाटे के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान इस डिपो में अन्य प्रकार की कितनी गड़बड़ियां हुई हैं तथा उससे कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कर्तव्य पालन में लापरवाही बरते जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड में हुई कथित चोरी

4816. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की सहायक कम्पनी एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की सम्पत्ति की बड़े पैमाने पर चोरी की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है और इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाये गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) पुलिस 30-11-1991 को हुई कथित चोरी के एक मामले की जांच कर रही है । इससे अक्तूबर, 1987 में चोरी की एक अन्य घटना हुई थी । अक्तूबर, 1987 में सूचित की गई चोरी के मामले के बारे में दोषी पाए गए अधिकारी की सेवाएं नम्बर, 1988 से समाप्त कर दी गई थीं । 23-11-1991 को सूचित किए गए चोरी

के मामले में मण्डल अधिकारी, कर्नलगंज पुलिस स्टेशन, कानपुर ने दिनांक 4-12-1991 की अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि वास्तव में कोई चोरी नहीं हुई और नीलाम किया गया माल ट्रक में ले जाया जा रहा था जिसे एक बर्खास्त कर्मचारी की शिकायत पर रोका गया। तथापि विभिन्न व्यक्तियों के आपत्तियां उठाने और शिकायत करने के फलस्वरूप इस मामले को पुलिस द्वारा जांच करने के लिए फिर उठाया गया है। दायित्व निर्धारित करने तथा की जाने वाली कार्रवाई का मामला निर्णायक जांच के पूरा होने पर ही उत्पन्न होगा।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर पुल

4817. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** :

श्री अनादि चरण दास : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर नदी पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन्हीं स्थानों पर कुछ नये नदी पुलों के निर्माण और कुछ मुख्य नदी पुलों को चौड़े करने का प्रस्ताव है क्योंकि विद्यमान पुल काफी पुराने हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्यमान पुलों की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर स्थित नदी पुलों की कुल सं० 125 है।

(ख) से (घ) पालामुनी नदी पर मौजूदा निमज्जक पुल (सब मर्सीबल ब्रिज) के बदले इस स्थान पर दो लेन वाले एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खण्ड की दो अतिरिक्त लेनों पर महानदी, कुखाई, काथजोरी और पालामुनी नदियों पर चार नये नदी पुलों के निर्माण के भी प्रस्ताव हैं।

उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी लम्बित याचिकायें

4818. **श्री ए० चारलेस** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी कोई याचियायें लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 दिसम्बर, 1991 को उच्चतम न्यायालय में न्यायालय के अवमान की 248 अर्जियां लम्बित थी।

गुवाहाटी शेयर बाजार

4819. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी शेयर बाजार ने सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने के पहले तीन वर्षों में

सदस्यों को इस प्रतिज्ञा के आधार पर प्रवेश दिया है कि प्रवेश दिये गए सदस्यों को प्रवेश लेने से पांच वर्ष के भीतर अनिवार्यत: वह व्यापार/व्यवसाय छोड़ना होगा जो वे प्रवेश प्राप्त करने के समय कर रहे है, अन्यथा वे अपनी सदस्यता छोड़ दें;

(ख) क्या उक्त शेयर बाजार ने सदस्यता के पांच वर्ष पूरे कर चुके सदस्यों से उक्त प्रतिज्ञा का अनुपालन कराने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अमेरिका को सूती स्वैटरों का निर्यात

4820. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात के सम्बन्ध में अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत सरकार ने सूती स्वैटरों के निर्यात की मात्रा को कम करने सम्बन्धी अमेरिका शर्त को मान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सूती स्वैटर निर्यातकों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हाल ही में, वर्ष 1992 के लिए अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्त्रों और कपड़ा उत्पादों के अभिवृद्धि स्तर के सम्बन्ध में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक सहमति हुई है। इस करार के अन्तर्गत, श्रेणी 345 के अधीन आने वाले सूती स्वेटरों को ग्रुप-2 से हटाकर ग्रुप-1 में रखा गया है और 7% की वार्षिक वृद्धि सहित वर्ष 1992 के लिए 120,000 दर्जन नग का कोटा स्तर निर्धारित किया गया है। यह वर्ष 1991 के वास्तविक निर्यात की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।

तमिलनाडु में श्रीलंका की मुद्रा का चलन

4821. **श्री राजगोपालन श्रीधरण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु में श्रीलंका की मुद्रा के कथित अत्यधिक चलन तथा उसके जमीन जायदाद की खरीद-फरोख्त में इस्तेमाल से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जमीन-जायदाद की खरीद फरोख्त में श्री लंका की मुद्रा के ऐसे किसी प्रकार के अत्याधिक प्रचलन और इस्तेमाल के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वायु सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में वरिष्ठता का पुनःस्थापन

4822. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के 1939 के निर्णय के सन्दर्भ में वायु सेना मुख्यालय सिविल सेवा के विभिन्न ग्रेडों में कर्मचारियों की वरिष्ठता पुनःस्थापित की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) श्री डी० पी० शर्मा व अन्य तथा श्री एस० सी० अग्रवाल व अन्य द्वारा दर्ज सिविल याचिकायें सं० 4133-34/84, में उच्चतम न्यायालय ने 21 फरवरी, 89 को यह निर्णय दिया कि अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में याचिकाकर्त्ताओं की ज्येष्ठता उनके स्थाई होने की तारीख से मूल करके उनकी सेवा अवधि के आधार पर निश्चित की जाए। तदनुसार, 134 कर्मचारियों, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मूल याचिकाकर्त्ता थे, की ज्येष्ठता में संशोधन की कार्रवाई तुरन्त शुरू की गई थी। इससे पहले कि ज्येष्ठता संशोधित करने के परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभों के सम्बन्ध में आदेश जारी किए जाते, उच्चतम न्यायालय ने श्री आर० के० खोसला व अन्य द्वारा दर्ज रिट याचिका सं० 493/90 के सम्बन्ध में 9 जनवरी, 91 को एक और निर्णय दिया, जिसमें यह कहा गया कि 1989 में जो निर्णय दिया गया था उसके अन्तर्गत जारी होने वाले आदेश को उन सभी समान कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। इससे ज्येष्ठता का पिछला पुनरीक्षण लगभग निष्क्रिय हो गया।

1989 में दिया गया निर्णय, जिसे 1991 में और कार्मिकों के मामलों पर भी लागू कर दिया गया, को कार्यान्वित करना एक भारी कार्य है, जिसमें पिछले करीब 40 वर्षों की अवधि से भी अधिक के हजारों कर्मचारियों की ज्येष्ठता का संशोधन करना शामिल है। न्यायालय के आदेशों को तुरन्त लागू करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु कार्य की अधिकता को देखते हुए तथा कुछ पुराने अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण उक्त आदेश को कार्यान्वित करने की निश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

मद्रास में कूवम नदी का विकास

4823. **श्री अन्वारासु इरा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए मद्रास नगर में कूवम नदी के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी देशों से भवन निर्माण संबंधी ठेके

4824. **श्री के० पी० रेड्डीय्या यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सक्षम भवन निर्माण सम्बन्धी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सिविल निर्माण परियोजनाओं के निर्यात का विकास करने के लिए कौन से उपाय किए हैं अथवा करने का विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों तथा लातीनी अमेरिका के देशों से भवन निर्माण सम्बन्धी ठेके प्राप्त करने के लिए परियोजना निर्यातकों की मदद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत को वर्षों से सिविल निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारी परियोजनाओं के निष्पादन का पर्याप्त अनुभव विशेषज्ञता तथा क्षमता हासिल है ।

(ख) से (घ) सरकार ने खाड़ी एवं लेटिम अमेरिका सहित विभिन्न देशों को परियोजना निर्यात बढ़ाने के लिए कई संवर्धनात्मक उपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

बोलियां तैयार करने और प्रस्तुत करने की लागत के 50% की प्रतिपूर्ति के लिए विपणन विकास सहायता । परामर्शदात्री फर्मों द्वारा विदेशों में कार्यालय खोलने और उनके संचालन के लिए निपणन विकास सहायता । परियोजनाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक्जिम बैंक भी सप्लायर-ऋण और क्रेता ऋण के अलावा विभिन्न विकासशील देशों के लिए ऋणों में वृद्धि करता रहा है । आयकर अधिनियम की धारा 80-एच० एच० बी० और 80-सी० के तहत परियोजना निर्यातकों और परामर्शदात्री सेवाओं से प्राप्त आय पर 50% तक आयकर में छूट । परियोजना निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के आयात पर आयात शुल्क में रियायत की भी अनुमति दी गई है ।

खाड़ी में युद्ध-पश्चात की स्थिति में परियोजना निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु एक विशेष दल भी गठित किया गया है । उच्च स्तरीय अन्तर मंत्रालयों विचार-विमर्शों के जरिए परियोजना निर्यात के लिए सरकारी क्लियरेन्स के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए अन्तर-मंत्रालयों प्रतिनिधित्व सहित एक विशेष समिति भी बनाई गई है ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनियमितताएं

4825. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक आंध्र प्रदेश में विभिन्न बैंकों में, बैंकवार दुर्विनियोग/धोड़ाधडी के बैंकवार कितने मामले सूचित किए गए/पकड़े गए;

(ख) इन मामलों में कितनी राशि सम्बद्ध थी; और

(ग) उक्त मामलों की राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार किया गया ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा रख-रखाव प्रणाली से धोखाधड़ी/दुर्विनियोग के मामलों की संख्या, इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त और वसूल की गयी

राशि के बारे में राज्यवार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार 1-1-91 से 30-9-91 तक की अवधि के दौरान धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त जमाराशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (रुपये लाख में)
936	3242.68

यह आवश्यक नहीं कि इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त जमाराशियां उस घाटे को दर्शाती हों जिसे अन्ततः बैंक को उठाना है क्योंकि बैंक अनेक मामलों में प्राथमिक और/या समपार्श्विक दोनों तरह की कुछ प्रतिभूति रखते ही हैं जिसे बकाया राशि के बदले में समायोजित किया जायेगा। कई मामलों में बैंक बीमा पालिसियां भी रखते हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि की वसूली के लिए बैंक दीवानी मुकदमे भी दायर करते हैं।

राज्यों के ओवरड्राफ्ट

4826. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 नवम्बर, 1991 को रिजर्व बैंक के पास विभिन्न राज्यों के खातों में ओवरड्राफ्ट की कितनी धनराशि है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पीतबुखे) : 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार तीन राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खातों में ओवरड्राफ्ट में रहे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

	ओवरड्राफ्ट की राशि (करोड़ रुपयों में)
1. बिहार	7.50
2. केरल	26.21
3. पश्चिम बंगाल	33.30

रूसी गणराज्य के साथ व्यापार वार्ता

4827. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री 22 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उजबेकिस्तान गणराज्य के साथ किये गये व्यापार समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रूसी गणराज्य, कजाकिस्तान और किरगिजिया के साथ किये जाने वाले व्यापार समझौते की कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उजबेकिस्तान के साथ करार पर दिनांक 24 अक्तूबर, 1991 को हस्ताक्षर हुए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत और उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच व्यापार का प्रावधान है जो भारतीय रुपयों में सन्तुलित आधार पर किया जाएगा। किन्तु, व्यापार की मदों के बीजक और खातों का निपटकालिक निपटान परिवर्तनीय मुद्राओं में होगा। निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित मदों में शामिल हैं —कृषि उत्पाद, खनिज एवं

अयस्क, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, वस्त्र इंजीनियरी माल, आदि । आयात को प्रस्तावित मदों में शामिल हैं—कृषि उत्पाद, खनिज, उर्वरक, धात्विक उत्पाद, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, मशीनरी उपस्कर आदि ।

(ख) रूसी गणराज्य, कजाकिस्तान और किरगिजिया के साथ करारों पर हस्ताक्षर की तारीखें अभी तय होनी है ।

डोर्नियर 228 हल्के परिवहन विमान

4828. **श्री चन्नजीत यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 हल्के परिवहन विमानों की विदेशी बाजार में बिक्री की सम्भावनाएं उत्साहवर्धक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन विमानों की बिक्री के लिए किन-किन विदेशी बाजारों से सम्पर्क किया है; और

(ग) विदेशी बाजार में इस विमानों की बिक्री को बढ़ावा देने में मुख्य बाधाएं क्या हैं और सरकार का इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 हल्के परिवहन वायुयानों की सम्भावनाएं सीमित हैं क्योंकि कम्पनी को बाजार की प्रतियोगी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इसे जर्मनी की फर्म डोरनियर जी एम० बी० एच० के साथ किए गए लाइसेंस करार के अन्तर्गत केवल कुछ देशों को ही उक्त वायुयान बेचने की अनुमति है । इनमें से अधिकांश देश अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण उधार की आसान शर्तों पर वायुयान खरीदना पसन्द करते हैं । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड वायुयान का मूल्य प्रतियोगी बनाकर और वाणिज्यिक उधार पैकेजों का प्रस्ताव करके इस स्थिति का सामना करने का प्रयास कर रहा है । कंपनी ने अब तक एक डोरनियर वायुयान मारीशस को बेचा है ।

उड़ीसा में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

4829. **श्री के० प्रधानी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितनी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन समितियों द्वारा बनाई गई हथकरघा वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों और अग्रणी समितियों के पास भी कोई भण्डार हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में 756 सरकारी समितियां कार्य कर रही हैं ।

(ख) इन समितियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में उत्पादित जनता तथा गैर-जनता हथकरघा वस्तुओं का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख वर्ग मीटर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1988-89	586	4857
1989-90	489	4614
1990-91	448	4459
1991-92 (नवम्बर, 1991 तक)	283	2894

(ग) और (घ) उड़ीसा में इन समितियों द्वारा संचित माल का विवरण इस प्रकार है :—

समितियां	मूल्य (लाख रुपयों में)	
	जनता उत्पाद	गैर-जनता उत्पाद
प्राथमिक	268.00	1435.25
शीर्ष	411.00	1293.91

(ङ) संचित माल को बेचने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) बिक्री मूल्य कम करने के लिए लाभांश में कटौती;

(2) राज्य, जिला और ब्लाक स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेकर;

(3) स्थानीय क्षेत्रों में एजेंट और फेरी वालों द्वारा बिक्री करवाकर;

(4) उपयुक्त छूट देकर अधिक निकासी करना ।

मसाले का निर्यात/आयात

4830. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान मुख्य मसालों में से प्रत्येक मद की कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात/आयात किया गया और उनका अलग-अलग मूल्य क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान देश में उक्त प्रत्येक मसाले का राज्यवार कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) विवरण-I संलग्न है ।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा रखे जा रहे नवीनतम आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए है ।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 के दौरान मसालों का निर्यात			वर्ष 1990-91 के दौरान मसालों का आयात		
मसाले की मुख्य मदें	मात्रा (एम० टी)	मूल्य (लाख रुपए में)	मसालों की मुख्य मदें	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (लाख रुपए में)
काली मिर्च	31871	11106.04	काली मिर्च	1226	381.13
इलायची (छोटी)	379	1022.24	इलायची (बड़ी)	1267	368.16
इलायची (बड़ी)	961	431.55	लाल मिर्च	19	2.01
लाल मिर्च	23178	2798.02	अदरक	3623	180.60
अदरक	5487	1099.39	जीरा	546	115.82
हल्दी	12764	1433.90	सौंप	352	84.11
धनिया	3236	380.15	बेदियन सीड	142	31.58
जीरा (सफेद)	1035	296.79	पोस्त बीज	2084	253.87
अजमोदा	2598	395.22	लवंग	793	333.26
कलौंजी	1153	199.22	दालचीनी	34	11.54
मेथी	3440	283.96	जायफल	324	131.50
अन्य बीज मसाले	923	112.26	जावित्री	207	163.78

1	2	3	4	5	6
लहसुन	4646	327.72	तेजपत्ता	532	178.47
करी पाउडर	2787	601.17	हींग	1018	655.92
अन्य विविध मसाले	1945	318.63	जीरा और हौवेड़ा	196	21.62
तेल और तेल राल	879	3126.60	अन्य विविध मसाले	153	98.75
कुल	97291	23866.91	कुल	12516	3012.20

स्रोत : मसाला बोर्ड

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता

विवरण-2

मुख्य मसालों के उत्पादन का विस्तृत विवरण (1989-90)
(सरकारी आंकड़े)

(हजार मी० टन)

क्रम सं०	राज्य	काली मिर्च	लहसून	इलायची	धनिया	अदरक	लाल मिर्च	हल्दी
1.	आंध्र प्रदेश	—	1.1	—	18.6	10.57	383.1	173
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	4.18	1.0	1·0
3.	असम	—	—	—	—	—	7.5	5.2
4.	बिहार	—	5.8	—	2.3	0.58	5.5	5.3
5.	गुजरात	—	93.7	—	—	0.34(अ)	21.6	—
6.	हरियाणा	—	14.3	—	0.2	0·07	5.0	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.64	0.2	—
8.	जम्मू तथा काश्मीर	—	0.1*	—	—	—	0.5*	—
9.	कर्नाटका	0.69	2.2	1.55	1.6	2.94	44.2	68.6
10.	केरला	37.74	—	1.99	—	46.39	0.7	5.9
11.	मध्य प्रदेश	—	70.5	—	14.8	2.93	13.3	0.4
12.	महाराष्ट्र	—	40.8	—	—	0.72*	66.0	10.2
13.	मणीपूर	—	—	—	—	28.98	3.0*	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	10.20	1.1*	1.8
15.	मिजोरम	—	—	—	—	1.00	3.0	—
16.	नागालैंड	—	0.2	—	—	13.35	0.4	—
17.	उड़ीसा	—	50.2*	—	11.0*	—	72.2	30.4
18.	पंजाब	—	2.2	—	—	—	7.8	—
19.	राजस्थान	—	18.4	—	72.8	0.14	65·0	0.3
20.	सिक्कम	—	—	3·80	—	14.00*	—	—
21.	तमिलनाडु	0.35	5.2	0.53	18.5	0.85	27.7	69.19
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	1.33	0.8*	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	उत्तर प्रदेश	—	22.3	—	3.3	3.71	17.3	0.8
24.	पश्चिम बंगाल	—	—	0.84	—	9.06	36.5	15.1
25.	दिल्ली	—	—	—	—	—	नेग	—
26.	पांडिचेरी	0.01	—	—	—	—	0.2	—
27.	अखिल भारत	38.79	327.0	8.71	143.1	152.89	783.3	390.0

टिप्पणी : 1. * वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित आंकड़े बड़ी इलायची से सम्बन्धित आंकड़े

2. अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मसाले नहीं उगाए जाते हैं

स्रोत : कृषि मंत्रालय

बीड़ी के पत्तों के ठेकेदारों से आयकर की वसूली में अन्तर

4831. **श्री रामकृष्ण कोताला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 (ग) के अन्तर्गत बीड़ी पत्ता ठेकेदारों से स्रोत पर कर वसूली की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) महोदय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जनवरी, 1989 में यह स्पष्ट कर दिया था कि तेंदु-पत्तों के ऐसे व्यापारी आयकर अधिनियम की धारा 44-क ग तथा 206-ग के दायरे में नहीं आयेंगे जो इन पत्तों की बिक्री उन्हें सुखाने तथा उन पर पानी का छिड़काव करने आदि की प्रक्रिया करने के पश्चात करते हैं। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्पष्टीकरण कुछ राज्यों में सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में नहीं आया है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4832. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 में पृथक-पृथक बैंक-वार अब तक कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां सरकार के परामर्श से सामाजिक उद्देश्य योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्पों की स्थापना और एल० पी० जी० डीलरशिप की स्थापना करने के लिए डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप प्रदान करने की एक योजना पर कार्य कर रही है। तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप की विभिन्न श्रेणियों के आवंटकों

को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक में आंकड़ा समेकन प्रणाली से बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में पूछी गई राज्यवार विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती हैं।

मुम्बई में सड़क मार्गों का निर्माण

4833. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से दक्षिण मुम्बई को उत्तरी उपनगर से जोड़ने के लिए समुद्र पर सड़क मार्ग का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शुल्क-वापसी योजना के अन्तर्गत निर्यातकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताएं

4834. **श्री नवल किशोर राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली फर्मों द्वारा निर्यातों के अधिक राशि के बीजक बनाकर तथा कचरा और रद्दी निर्यात करके शुल्क-वापसी मांगने के कुछ मामलों का पता चला है जैसा कि 31 अक्तूबर, 1991 के इकानोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1990 और 1991 में ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन मामलों में सीमा शुल्क के कितने अधिकारी संलिप्त पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या-क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 के इकानोमिक टाइम्स में बताया गया है, वर्ष 1990 में राजस्व आसूचना महा-निदेशालय के द्वारा ऐसे दो मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें नकली फर्मों के द्वारा निर्यात किए गए सूती ब्लाउजों के सम्बन्ध में बहुत अधिक मूल्य का बीजक बनाकर प्रति अदायगी का दावा किया गया था वर्ष 1991 में इसी एजेंसी ने उन नकली फर्मों के विरुद्ध दो और मामले दर्ज किए थे जिन्होंने वास्तव में निर्यात किए बिना निर्यात के लिए प्रति अदायगी का दावा किया था।

(ग) और (घ) इसमें शामिल व्यक्तियों पर विभागीय न्याय निर्णयन के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और न्यायालय में उन अभियोजन कार्रवाई की जा सकती है। दो मामलों पर न्याय-निर्णयन किया जा चुका है और दो व्यक्तियों पर 10 लाख रु० और 2 लाख रु० का वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाया गया है। अन्य दो मामलों में अभी जांच की जा रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

इसमें प्रस्त पाये गये सीमा-शुल्क अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इस समय मामलों की जांच की जा रही है।

(ङ) सीमाशुल्क के कार्यालयों को इस प्रकार के तौर-तरीकों के बारे में सावधान कर दिया गया है और उनको यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि वे निर्यात कार्गो की उचित जांच करें।

तमिलनाडु में रामनाथपुरम में नौसेना अड्डे की स्थापना करना

4835. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में नौसेना अड्डा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीयर तथा अन्य एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का निर्यात

[हिन्दी]

4836. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में बीयर तथा अन्य एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों को बीयर तथा अन्य एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) बीयर तथा अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का पश्चिम एशिया तथा पूर्वी यूरोपीय देशों को पहले से ही निर्यात किया जा रहा है। कृषि तथा संगाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर, उत्पाद साहित्य/श्रव्य-दृश्य सामग्री के द्वारा व्यापक प्रचार करके गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग विकास, आदि के जरिए इन मदों के निर्यात को बढ़ाता है।

कपड़ा बनाने वाली मशीनों का आयात

[अनुवाद]

4837. **श्री धर्मण्णा सोंडय्या साडुल** :

श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कपड़ा बनाने वाली पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र इंजीनियरी उद्योग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पुरानी वस्त्र मशीनों के आयात की पहले से ही अनुमति दी गई है बशर्ते कि आयात नीति ए० एम० 1990-93 के अध्याय-3 के पैरा 34 और खण्ड I तथा ए० एम० प्रक्रिया 1990-93 की हस्त-पुस्तिका की पैरा 193(1) के अनुसार उनमें निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाये। 1.5 करोड़ रु० मूल्य तक के लिए वस्त्र एककों के लिए पुराने पूंजीगत माल का आयात करने का आवेदन-पत्र वस्त्र आयुक्त, बम्बई के जरिए मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होता है। इससे अधिक मूल्य के लिए आवेदन-पत्र सीधे ही उद्योग अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होता है। पुरानी मशीनों के ऐसे आयात की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि प्रक्रिया की हस्त-पुस्तिका के पैरा 164 के अनुसार विज्ञापन प्रक्रिया के साथ-साथ उसके पैरा 193 में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

समुद्र खाद्य उद्योग द्वारा निर्यात

4838. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर 1991 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "सी फूड इण्डस्ट्री इन ट्रबल" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्र खाद्य उद्योग द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) इस समाचार में दिए गए प्रमुख मुद्दे हैं :—

(I) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्मीडा) तथा ई०आई०ए० के बोर्ड में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (एस०ई०ए०आई०) का कोई प्रतिनिधित्व नहीं।

(II) मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(III) पीलिंग शेडों में सुधार लाने की आवश्यकता।

(IV) समुद्री खाद्य उद्योग के तेजी से विकास के कारण आत्म सन्तोष को बढ़ाना मिला और निर्यातकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(V) समुद्री खाद्य उद्योग जटिल प्रक्रिया की वजह से रियायती कीमत पर डीजल की सुविधा का लाभ उठाने में समर्थ नहीं है।

(ग)(I) सरकार एम्पीडा तथा ई०आई०ए० के बोर्डों के पुनर्गठन के समय इनमें एस०ई०ए०आई० के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी।

(II) पर्यावरण सम्बन्धी कारणों की वजह से सरकार ने मेढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।

(III) सरकार गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लिए एम्पीडा के जरिए अनेक आर्थिक सहायता योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं।

(IV) मन्त्रालय में निर्यातकों की समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है जिससे यह क्षेत्र इतना अच्छा कार्य कर रहा है।

(V) डीजल ईंधन आर्थिक सहायता योजना सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

झुन्झुनू (राजस्थान) में सैनिक स्कूल खोलना

[हिन्दी]

4839. **श्री अयूब खां** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूल खोलने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान में झुन्झुनू में एक सैनिक स्कूल खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह स्कूल वहां कब तक खोला जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक स्कूल योजना के अनुसार, सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर खोले जाते हैं, जिन्हें सैनिक स्कूल चलाने के लिए सभी योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देनी होती हैं तथा समय-समय पर तदर्थ सहायता अनुदान देनी होती है। इस प्रकार स्कूल का सारा पूंजीगत व्यय तथा अनुवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को ही वहन करना होता है।

(ख) से (घ) राजस्थान में झुन्झुनू में एक सैनिक स्कूल शुरू करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं तथा वित्तीय अनुमानों को सूचित करने के सम्बन्ध में प्राप्त राजस्थान सरकार के दिनांक 1-8-89 के अनुरोध के उत्तर में, रक्षा मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में आवश्यकताओं के बारे में राज्य सरकार को 31-8-1989 को सूचित किया। झुन्झुनू में सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा को विशेष वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4840. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ पर्वतीय राज्यों की भांति पिछड़े राज्यों को भी विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए अपनी आठवीं योजना (1992-97) और वार्षिक योजना (1992-93) के प्रस्तावों में विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है :—

(I) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम, और

(II) नक्सलवादी प्रवण क्षेत्रों के लिए कार्य-योजना।

किसी भी पिछड़े क्षेत्र का पता लगाने तथा उसके विकास और उसके लिए योजना बनाने एवं उसकी वित्त व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य योजनाओं के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार की है। यह स्थिति योजना आयोग के कार्यदल के विचार-विमर्श के दौरान स्पष्ट कर दी गई थी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि पिछड़े क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम अथवा नक्सलवादी प्रवण क्षेत्र में कार्य योजना के लिए कोई नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू नहीं की जा सकती है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों के लिए चमड़ा गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होना

[हिन्दी]

4841. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा निर्यातकों पर चमड़े का निर्यात करने हेतु चमड़ा अनुसंधान से चमड़ा गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) परिष्कृत चमड़े का निर्यात पोत लदानपूर्व गुणवत्ता निरीक्षण के अध्यधीन नहीं है। परन्तु, परिष्कृत चमड़े के रूप में अर्ध-परिष्कृत चमड़े (जिसके निर्यात पर प्रतिबन्ध है) का निर्यात रोकने के लिए सरकार ने परिष्कृत चमड़े की पहचान करने के लिए दिनांक 5-8-1991 के निर्यात व्यापार नियन्त्रण आदेश सं० ई० (सी०) ओ०,88/ए० एम० (91) के तहत संशोधित मानदण्ड/दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इसके अन्तर्गत, उपर्युक्त आदेश में निर्दिष्ट किस्म के चमड़े से भिन्न केवल अपरिष्कृत छाग-चर्म (सभी किस्म के) तथा अन्य नई किस्म के परिष्कृत चमड़े का निर्यात ही राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास के द्वारा पूर्व निरीक्षण प्रमाणन के अध्यधीन है।

फैजाबाद और बस्ती के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 की मरम्मत

4842. **श्री रामपाल सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के फैजाबाद से बस्ती के बीच का टुकड़ा यातायात की दृष्टि से उचित स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग फैजाबाद से बस्ती तक का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर पड़ता है न कि राष्ट्रीय राज-

मार्ग सं० 23 पर। इस खंड को सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता के अन्दर समय-समय पर जब भी आवश्यकता होती है, मरम्मत कार्य किए जाते है।

रूस के साथ सीधा व्यापार

[अनुवाद]

4843. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत के साथ सीधा व्यापार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ के भारत में आयात की तुलना में भारत का निर्यात बढ़ जायेगा;

(ग) इन परिस्थितियों में कितना वित्तीय घाटा होने का अनुमान है तथा इस मामले में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है;

(घ) क्या सरकार ने घाटे के समाधान के लिये रुपए-रुबल की विनिमय दर में संशोधन करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत, सोवियत संघ की आंतरिक घटनाओं पर निकट से नजर रखे हुए है। यह स्पष्ट है कि अब काफी शक्तियां रूप सहित अन्य गणराज्यों के पास है। सरकार, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ में उभर रहे नए सांविधानिक ढांचे के अनुसार गणराज्यों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने की इच्छुक है।

(ख) और (ग) भारत और सोवियत संघ के बीच इस समय व्यापार, वार्षिक व्यापार प्रोतोकोल के अनुसार निकासी और संतुलन आधार पर अपरिवर्तनीय रुपए में किया जाता है। नए बन रहे सोवियत संघ और गणराज्यों के साथ अभी तक उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। यद्यपि, यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि वर्तमान की तरह, संतुलन आधार पर, भारत को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियां होती रहें।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1978 के प्रोतोकोल पर आधारित रुपया-रूबल विनिमय दर में संशोधन करने के सम्बन्ध में अन्त:-सरकार अधिकारिक स्तर की वार्ता के दो दौर हो चुके है। ये वार्ताएं अभी तक अनिर्णायक रही है।

भागलपुर से गोविन्दपुर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[हिन्दी]

4844. **श्री सूरज मंडल** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बीरपुर को जी० टी० रोड से जोड़ने वाली भागलपुर से गोविन्दपुर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के सम्बन्ध में, विभिन्न कारकों जैसे राष्ट्रीय परिवहन नीति-समिति, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करना, प्रत्येक निजी मार्ग को अखिल भारतीय आधार पर तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की निकटता तथा संसाधनों आदि की उपलब्धता से सम्बद्ध कर तदनुरूप पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करके, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तैयार होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

वित्तीय संस्थाओं से राज्यों को ऋण

4845. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए उन परियोजनाओं हेतु जहां पर ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत से अधिक है वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 11.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने सम्बन्धी प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में कितने-कितने ऋण की मांग की गई तथा इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकारों को आवश्यक अनुमति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस समय लागू अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकारें यदि चाहें तो, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर, भारतीय जीवन बीमा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, हुडको, एच० डी० एफ० सी०, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि द्वारा ऋणों की मंजूरी के मामले में राज्यों निकायों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन लिए बिना ही गारंटी दे सकते हैं चाहे ऐसे ऋणों पर ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ही क्यों न हो।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

राज्यों में पृथक निर्यात संवर्धन कक्ष

[अनुवाद]

4846. **श्री रवि राय** :

श्री मुकुल वासनिक :

श्री अशोक आनन्द राव देशमुख : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए राज्यों को प्रथम निर्यात संवर्धन कक्ष या निदेशालय खोलने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्यों में निर्यातकों की विशेष समस्यओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए उनके मन्त्रालय के कक्ष को भी सुगठित करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सचिवालय में पृथक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ या निदेशालय स्थापित करें।

(ख) जब तक प्राप्त उत्तरों के अनुसार उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों ने राज्य सचिवालय में निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ या निदेशालय बना लिए हैं। इसके अलावा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों ने निर्यात निगम भी स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मन्त्रालय में एक अपर सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों की सहायता से केन्द्र-राज्य सम्बन्ध से सम्बन्धित मामले को देख रहे है।

बरेली (उ० प्र०) में शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

4847. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के सहयोग से बरेली में शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक यह केन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देगा; और

(घ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा इस केन्द्र को कितना अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ने 100 शिल्पकारों के लिए बेंत शिल्प में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिस पर 10.00 लाख रु० की लागत आएगी और इसके लिए 7.5 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि प्रस्ताव के सम्बन्ध में निगम से मांगे गये स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं।

(घ) वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निर्णय 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक मामले के गुणवगुण के आधार पर लिया जाएगा।

संविधान संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

4848. **श्री पी० पी० कालिया पेरुमल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के लागू होने के बाद से संसद के दोनों सदनों में आज तक कुल कितने संविधान संशोधन प्रस्तुत किए गए;

(ख) पारित किए गए संशोधनों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने विधेयक व्यपगत हुए;

(घ) कितने विधेयक वापस ले लिए गए; और

(ङ) न्यायापालिका द्वारा कितने संविधान सम्बन्धी संशोधनों को निरस्त किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 101

(ख) 68

(ग) 16

(घ) 2

(ङ) उपलब्ध अभिलेख के अनुसार न्यायापालिका ने 25वें, 32वें, 39वें, 42वें और 52वें संशोधन अधिनियमों के उपबन्धों भागत: अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया है।

सिंडिकेट बैंक में पदोन्नतियां

[हिन्दी]

4849. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंडिकेट बैंक में 1 जनवरी, 1978 से आज तक विशेष सहायकों के संवर्ग में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं; और

(ख) विशेष सहायक के पद पर क्षेत्र वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बेरोजगार युवाओं द्वारा लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण

4850. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार का उड़ीसा के शिक्षित बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा राज्य में 4,600 शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि वे उद्योग, सेवा और व्यापार में स्वरोजगार कार्य प्रारम्भ कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत की 23 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी सहित औद्योगिक कार्यों के लिए अधिक से अधिक 35,000/ रुपए, सेवा कार्यों के लिए 25,000/-रुपए तथा व्यापार के लिए 15,000/-रुपए के बैंक ऋण दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

बिहार के हजारीबाग जिले में एक आयुध कारखाना स्थापित करना

4851. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार बिहार में हजारीबाग जिले के मरकच्ची डिवीजन में आयुध कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायिक जिम्मेदारी पर सेमीनार

[अनुवाद]

4852. **श्री ताराचन्द खण्डेवाल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक जिम्मेदारी सम्बन्धी उपसमिति ने हाल ही में नई दिल्ली में एक सेमीनार का आयोजन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सेमीनार में चर्चा के विषयों का विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) न्यायिक उत्तरदायित्व विषयक उप समिति एक प्राईवेट एसोसिएशन है । सरकार का ऐसे प्राईवेट एसोसिएशनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों से कोई सरोकार नहीं है । सरकार के पास उनकी बैठकों और विचार-विमर्श के बारे में ब्यौरा नहीं है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर ऊपरी पुलों का निर्माण

[हिन्दी]

4853. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 के मुरादाबाद-रामपुर-बरेली वितान में ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरूकर दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां । लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारम्भिक प्रस्तावों को इस मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है ।

(ख) जी, नहीं । अनुमोदित प्रस्तावों पर आधारित योजनाएं तथा विस्तृत प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आनावारी प्रणाली

[अनुवाद]

4854. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या वित्त मंत्री 30 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनावारी प्रणाली का किसान की आय अथवा भूमि के क्षेत्रफल से कोई सम्बन्ध है; और

(ख) क्या पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के कृषक, जिनकी खेतीवाड़ी वर्षा पर निर्भर करती है, आनावारी प्रणाली के कारण ऋण, राहत इत्यादि से लाभान्वित नहीं हुए हैं जबकि 100 प्रतिशत या उससे अधिक फसल पैदा करने वाले धान की खेती करने वाले कृषक की तुलना में गन्ने की खेती करने वाले किसी प्रगतिशील क्षेत्र के कृषक की आय अधिक होगी चाहे उसकी फसल 50 प्रतिशत से भी कम हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) आनावारी प्रणाली का संबंध किसी फसल की सामान्य उपज की तुलना में किसी विशेष मौसम में उस फसल से प्राप्त होने वाली उपज से है। आनावारी की घोषणा अलग-अलग उधारकर्ताओं को भूमि से होने वाली आय या जोत पर आधारित नहीं होती है। यह फसलों को होनी वाली हानि और गांव/ब्लाक-वार आधार पर होने वाली उपज पर आधारित होती है। फसल की हानियों का आकलन करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदण्ड अपनाने के प्रयोजन से, कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना में फसल की हानियों को, राज्य सरकारों की आनावारी घोषणा के साथ जोड़ा गया। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के प्रावधानों के अनुसार वे उधारकर्ता, जिन्होंने अपने देश ऋणों अथवा ऋण की किस्तों को अदा नहीं किया और दो या दो से अधिक खराब फसल वर्षों का सामना किया, चाहे वे वर्ष लगातार हों या न हों और उनमें से एक वर्ष वह था जिसमें चूक की गई, इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक ऋण राहत के पात्र थे। "खराब फसल वर्ष" का आशय उस वर्ष से है, जिसमें फसल उपज के लिए घोषित "आनावारी" सामान्य उपज का प्रचार प्रतिशत अथवा उससे कम थी। चूंकि इस योजना में पहाड़ी क्षेत्रों अथवा प्रगतिशील क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया है और चूंकि आनावारी की घोषणा प्राकृतिक आपदाओं के कारण खड़ी फसलों को होने वाली हानि पर आधारित होती है जिसका आकलन गांव/खण्ड-वार आधार पर किया जाता है, इसलिए कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों अथवा अन्य प्रगतिशील क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल

4855. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सैनिक स्कूल की स्थापना किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर की जाती है, क्योंकि सैनिक स्कूल का सारा पूंजीगत

व्यय तथा अनुवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग उन्हीं के द्वारा वहन करना होता है। फिलहाल, सैनिक स्कूल खोलने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त कोई ठोस प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

4856. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में काफी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया से व्यापार सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रीस्तरीय आयोग की जुलाई, 1989 में कैनबरा में आयोजित पिछली बैठक में भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई थी। दोनों पक्ष 1992 तक द्विपक्षीय व्यापार करोबार को दोगुना करने का प्रयास करने तथा जीव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकल, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, पर्यावरण प्रदूषण के नियन्त्रण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने के लिए सहमत हुए थे। आस्ट्रेलिया पक्ष विविध प्रकार के उत्पाद तैयार करने की भारतीय क्षमता को आस्ट्रेलिया में बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने हेतु सहायता देने के लिए भी सहमत हुआ था। व्यापार स्तर पर, भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद (जे० बी० सी०) की 5वीं बैठक 3-4 सितम्बर, 1991 के दौरान नई दिल्ली में हुई। उपभोक्ता माल तथा आफटवेयर सेवाओं तथा कृषि एवं सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी कार्य-दलों ने द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

छावनी बोर्ड, कानपुर के सम्बन्ध में तिवारी आयोग की रिपोर्ट

4857. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री वी० श्री निवास प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर छावनी बोर्ड द्वारा अस्वच्छ और प्रदूषित पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में एस० एम० तिवारी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) एक शिकायत प्राप्त होने पर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर ने एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को कानपुर छावनी में कथित अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों की जांच करने तथा उन्हें तत्सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। छावती बोर्ड या सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर में टकसाल की स्थापना

4858. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसूर में टकसाल की स्थापना का निर्माण कार्य शुरूकर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है;

(घ) टकसाल कब से कार्य करना शुरूकर देगी; और

(ङ) 1991-92 के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मैसूर में टकसाल स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) तक उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत-फ्रांस आर्थिक सम्बन्ध

4859. श्री मुकुल वासनिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान द्वारा वर्तमान समझौतों और संयुक्त उद्यमों में विविधीकरण लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद तथा भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की बैठकें क्रमशः अक्टूबर, 1991 में नई दिल्ली में और नवम्बर, 1991 में पेरिस में हुई जिसमें भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कम्प्यूटर, सापटवेयर खाद्य प्रसंस्करण दूर संचार प्रदूषण नियन्त्रण सौर ऊर्जा और कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों का पता लगाया गया। भारत के प्रधान मंत्री तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच नवम्बर, 1991 में पेरिस में हुई वार्ता के दौरान इस पर पुनः जोर दिया गया।

आन्ध्र प्रदेश की निर्यात क्षमता

4860. श्री के० वी० आर० चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तम्बाकू, सब्जी, धागा तथा बने-बनाये वस्त्रों के निर्यात की बहुत सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य ने उक्त वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) तम्बाकू बोर्ड, एपीडा, टैक्सप्रोसिल और ए० ई० पी० सी० की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रमशः तम्बाकू, साग-सब्जी, यार्न तथा सिलेसिलाये परिधानों के निर्यात संवर्धन के लिए की गई। तम्बाकू बोर्ड के जरिए नीलामी पद्धति शुरू की गई है।

निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करने, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से व्यापार नीति उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है। ये उपाय आन्ध्र प्रदेश राज्य से होने वाले निर्यात पर भी लागू होते हैं। नई एग्जिम स्क्रिप से कुछ किस्म के कच्चे माल संघटकों तथा फालतू पूर्जों का आपात सुगम हो जाएगा। निर्यात संवर्धन के एक उपाय के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है। सरकार ने प्रतिष्ठित निर्यातकों की अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने, विदेशी ऋण लेने तथा इन खातों से निर्यात से सम्बद्ध आयात का भुगतान करने तथा इन खातों में निर्यात-आय जमा कराने की अनुमति देने का निश्चय किया गया। इन मदों के निर्यातकों को विनिमय दर समायोजन से भी लाभ होगा।

आंध्र-प्रदेश में सड़कों/पुलों का निर्यात

4861. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए कुछेक मानदण्डों और मानदण्डों के अध्यधीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की स्कीमों के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो जाने के बाद लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
	सड़क स्कीमें	
1.	नैल्लोर-बलारी-बम्बई सड़क को को 35/0 से 40/0 कि० मी० और 40/0 कि० मी० से 60/0 कि० मी० (नैल्लोर जिला) तक चोड़ा करना।	170.00
2.	निजमाबाद-नरसी सड़क को 30/0 से 45/0 कि० मी० (निजमाबाद जिले) में चोड़ा और सुदृढ़ करना।	50.00

1	2	3
3.	अल्लादुर्ग-मेटलकुण्टा सड़क को 34/0 से 44/8 कि० मी० (मेडक जिला) तक केरिजवे को चोड़ा करने के लिए सुधारना।	40.00
4.	अल्लादुर्ग-मैटलकुण्टा सड़क को राज्य सीमा तक 0/0 कि० मी० से 10/1 (मेढ़क जिला) तक चोड़ी और सुदृढ़ करने के लिए सुधारना।	40.00
5.	माड़ी चागी हल्दी सड़क (करनूल जिला) को सुधारना।	30.00
6.	कावली-कोटी-तुरमामीडी सड़क को 0/0 से 17/8 कि० मी० (मेड़क जिला) तक सुधारना।	25.00
7.	हलाकुण्डा-विट्टलपुरम सड़क (अनन्तपुर जिला) को सुधारना।	23.00
8.	जक्कल मदनूर सड़क को 0/0 से 8/0 कि० मी० (निजामाबाद जिला) तक सुधारना।	15.00
9.	मासनपल्ली-नल्लाबागू सड़क को 0/0 से 18/0 कि० मी० (निजामाबाद जिला) तक सुधारना।	45.00
10.	कोटालम हलवी सड़क (करनूल जिला) को सुधारना।	20.00
11.	विच्कोंड़ा-डोंगली सड़क को 0/0 से 16)/4 कि० मी० (निजामाबाद जिला) तक सुधारना।	20.00
12.	भद्राचलम-चन्द्रथतला (वेंकटापुरम-भोपाल पत्तनम सड़क) को 114 से 141/6 कि० मी० (खम्माम जिला) तक सुधारना, चौड़ा करना, मैटलिंग करना तथा डामर डालना।	105.00
13.	घाटी कुन्टा सड़क को 0/0 से 5/4 कि० मी० (खम्माम जिला) तक सुदृढ़ करना।	30.00
14.	सूर्यपेट-आवराव पेट सड़क को 28.6 से 174/4 कि० मी० तक सुदृढ़ करना।	729.00
15.	पोदूगुंता से पिडूगुराला (गुंतूर जिला) तक की सड़क को सुधारना, चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।	458.00
16.	हनुमाकोंडा खम्माम सड़क को 96.753 से 120.85 कि० मी० (खम्माम जिला) तक सुदृढ़ करना।	120.00
17.	खम्माम-कोदद सड़क को 0/0 से 23/123 कि० मी० (खम्माम जिला) तक सुदृढ़ करना।	116.00
18.	पारकल-महादेव पुरम सड़क (वारंगल जिला) को 1/6 से 4/0 तथा 7/6 से 27/0 कि० मी० तक चौड़ा और सुदृढ़ करना।	95.00

1	2	3
19.	बरगामपद-इटरुनगरम सड़क (वारंगल जिला) को 80/0 से 99/386 कि० मी० तक चौड़ा और सुदृढ़ करना।	95-00
20.	हनुमाकोंडा-खम्माम सड़क (वारंगल जिला) को 34/2 से 55/0 कि० मी० तक चौड़ा करना।	88.00
21.	हनुमाकोंडा-नगरम सड़क (वारंगल जिला) को 23/0 से 35/0 कि० मी० तक चौड़ा करना।	51.00
22.	यल्लान्दुर पारकल सड़क (वारंगल जिला) को 35/4 से 48/0 कि० मी० तक सुदृढ़ करना तथा ब्लैक टापिंग करना।	38.00
23.	पारकल-आत्माकुर सड़क (वारंगल जिला) को 10/0 से 15/0 कि० मी० तक चौड़ा और सुदृढ़ करना।	24.00
24.	हुजूराबाद-पारकल सड़क (वारंगल जिला) को 23/4 से 30/0 कि० मी० तक सुदृढ़ करना।	17.00
25.	नाडीचागी (कुरनूल जिला) के समीप तुंगभद्रा नदी पर पुल का निर्माण	400.00
26.	जहीराबाद बांसपुर सड़क (मेढ़क जिला) पर 12/0-4 कि० मी० में एक पुल का निर्माण	60.00
27.	पैनुकोंडा-रोददाम सड़क पर 18/6 कि० मी० पर पैन्नार नदी पर एक कोजवे का निर्माण	65.00
28.	ओल्लापलेम-वैमूलायादू (प्रकासम जिला) सड़क पर 53/6-8 कि० मी० में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	68.00
29.	सूर्यापेट-अय्यरावपेट सड़क (खम्माम जिला) के 57/8 कि० मी० पर मुनियार नदी पर दूसरे पुल का निर्माण।	500.00
30.	नैल्लीपाका-पोचावरम सड़क (खम्माम जिला) के 35/6 कि० मी० मे शबरी नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	380.00
	कुल :	3917.00 लाख रु०

सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

4862. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने उस देश में संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु भारत से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) 13-14 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित भारत सऊदी संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र के दौरान सऊदी अरब में परियोजनाओं की स्थापना करने में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। सऊदी अरब पक्ष ने बताया कि खाद्य संसाधन उद्योग, धातु और फैब्रीकेशन उद्योग, रसायन उद्योग, हल्के इंजीनियरी उद्योग, वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी के पेनल्स, पैकेजिंग उद्योग आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे अवसर विद्यमान हैं। सऊदी अरब के शिष्टमण्डल द्वारा दी गई सूचना भारतीय उद्यमियों को प्रसारित किए जाने के लिए फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् और एक्जिम बैंक को दे दी गई है।

चीनी का आयात

[हिन्दी]

4863. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और विदेशी मुद्रा में इसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या देश अब चीनी के मामले में आत्मा-निर्भर हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में से केवल वर्ष 1989-90 के दौरान 125673070 अमरीकी डालर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 3,41,750 मीट्रिक टन चीनी आयात की गई थी।

(ख) और (ग) चीनी मौसम 1989-90 तथा 1990-91 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन आयात किए बिना ही स्वदेशी खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वर्ष 1991-92 के दौरान, मौसम के आरम्भ में पिछले बकाया स्टाक तथा इस मौसम के दौरान अनुमानित चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहेगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधाएं

4864. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्राधिकृत पत्रकारों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रियायती पास की सुविधा प्रमाणिक पत्रकारों को प्रतिमाह 70 रु० की दर पर पहले से ही उपलब्ध करवा दी गई है। दिल्ली परिवहन निगम की वर्तमान विकट वित्तीय स्थिति को देखते हुए अन्य रियायतें देना उपयुक्त नहीं होगा।

सशस्त्र सेनाओं में पुनर्नियुक्त अधिकारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण

[अनुवाद]

4865. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सशस्त्र सेनाओं में पुनर्नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1986 को लागू चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में समेकित/पुनरीक्षित वेतनमानों के लाभ उन्हें प्रदान किये जाने की दृष्टि से उनके वेतनमानों के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप प्रत्येक पुनर्नियुक्त अधिकारी को वास्तव में एक बड़ी धनराशि वापस करनी पड़ी है और क्या उन अधिकारियों की पेंशन लाभराशि से इस राशि को वसूल किये जाने के आदेश जारी किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन अधिकारियों के जिनसे अब वसूली की जा रही है, हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार को इस समस्या की जानकारी है और इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि कुछ शर्तों के साथ तब तक वसूली करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर तीन महीनों के भीतर पुनरीक्षा नहीं हो जाती।

गुड़ का निर्यात

4866. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ को निर्यात की सूची से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सांग और कोल्हापुर जिलों से कृषक सहकारी संस्थाओं और मार्किट कमेटियों से गुड़ के निर्यात करने की अनुमति देने की लगातार मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) गुड़ के निर्यात की अनुमति न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन है। वर्ष 1991-92 के लिए यह सीमा 10,000 मी० टन है तथा वर्तमान न्यूनतम निर्यात कीमत 8,000/-रु० प्रति मी० टन है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए० पी० डी०) पहले आओ पहले पाओं के आधार पर उसके साथ संविदा के पंजीकरण के आधार पर सीमा (सीलिंग) स्लिपें जारी करता है। एक निर्यातक को निर्यात के लिए 500 मी० टन से अधिक आवंटित नहीं किया जाता है।

उड़ीसा में बैंक नोट मुद्राणालय की स्थापना

4867. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक अन्य बैंक नोट मुद्रणालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा में बैंक नोट प्रेस स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात गृह

[हिन्दी]

4868. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय देश में कितने मान्यता प्राप्त निर्यात गृह हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में कितने नये निर्यात गृहों को मान्यता प्रदान की गयी तथा कितने निर्यात गृहों की मान्यता समाप्त की गयी और तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस समय देश में 1179 मान्यता प्राप्त निर्यातक घराने हैं ।

(ख) फियो द्वारा प्राप्त निर्यात विवरणियों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त निर्यात घरानों के अनुमानित निर्यात निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया है । इस निष्पादन में उन निर्यात घरानों के सम्बन्ध में अनुमानित आंकड़े शामिल हैं जिन्होंने अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की है ।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात निष्पादन
1988-89	7042
1989-90	8124
1990-91	8968

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त निर्यात घरानों की संख्या निम्नलिखित है।

	तीन वर्षों की वैधता	एक वर्ष की वैधता
1989-90	495	—
1990-91	185	63
1991-92	519	दिनांक 31-3-92 तक की वैधता के साथ एक वर्ष के निर्यात घराना प्रमाण पत्र सहित

उपर्युक्त अवधि के दौरान किसी भी निर्यात घरानों की मान्यता समाप्त नहीं की गयी है ।

आयुर्वेदिक औषधियों पर उत्पाद शुल्क से छूट

[अनुवाद]

4869. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों पर उत्पाद शुल्क से कोई छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान, भारत की चोटी की दस औषधि कम्पनियों को उत्पाद शुल्क पर कम्पनी वार तथा वर्षवार कितनी छूट दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। दिनांक पहली मार्च, 1989 की अधिसूचना सं० 32/89-के० उ० शु० के अन्तर्गत, आयुर्वेदिक औषधियों को उत्पाद शुल्क की अदायगी से पूर्ण छूट प्राप्त है ।

(ख) पूर्ण रूप से छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माताओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों और तहत जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत उत्पादन और निकासी से सम्बन्धित सूचना नहीं देनी पड़ती है। अतः आयुर्वेदिक औषधियों के सम्बन्ध में दी गई उत्पाद शुल्क छूट के आंकड़े को तुरन्त नहीं बताया जा सकता है।

आयकर छापे

4870. **श्री एस० एन० बेकारिया** :

श्री साईमन मरांडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान, कलक्टरी-वार कितने आयकर छापे मारे गए;

(ख) छापों के दौरान जब्त की गई बेहिसाब धनराशि और अन्य सम्पत्ति के मूल्य का कलक्टरी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पता चले ऐसे कितने मामले न्यायालयो में दायर किए गए; और

(घ) कलक्टरी-वार ऐसे कितने न्यायिक मामले निपटाये गए और कितने मामलों में जुर्माना किया गया तथा कितने मामलों में वसूली की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजना की कार्यवाही स्वतः तलाशियों के आधार पर ही नहीं की जाती है। अभियोजना की कार्यवाही सामान्यतता कर-निर्धारणों के मुकम्मल हो जाने तथा संगत साक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् ही की जाती है। 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान चलाए गए निर्णीत अभियोजनों का

ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	चलाए गये अभियोजनों की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या	दोष-सिद्धि के मामलों की संख्या
1989-90	8929	638	181
1990-91	3786	2309	174

न्यायालयों द्वारा लगाए दण्डों से सम्बन्धित ब्यौरे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

आयकर निदेशालय (जांच)	वर्ष	तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	आयकर अधि नियम की धारा 132 (4) के अधीन घोषित छिपाई गई आय (करोड़ रुपयों में)
दिल्ली	1989-90	577	24.59	10.35
	1990-91	814	32.09	15.85
चंडीगढ़	1989-90	285	4.23	5.12
	1990-91	245	7.85	7.90
कलकत्ता	1989-90	648	18.68	12.89
	1990-91	824	32.18	12.62
कानपुर	1989-90	326	8.79	3.86
	1990-91	358	14.06	2.53
अहमदाबाद	1989-90	537	13.87	40.06
	1990-91	581	26.27	67.44
पूणे	1989-90	375	5.74	12.99
	1990-91	399	11.41	19.13
मद्रास	1989-90	315	9.44	14.97
	1990-91	619	25.93	26.61

1	2	3	4	5
हैदराबाद	1989-90	242	6.99	10.62
	1990-91	304	7.85	14.44
बंगलौर	1989-90	277	6.71	14.05
	1990-91	268	9.13	27.37
बम्बई	1989-90	402	28.98	67.99
	1990-91	1062	61.10	133.82
कुल	1989-90	3984	128.02	193.44
	1990-91	5474	227.87	328.01

महाराष्ट्र से अर्जित राजस्व

4871. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र से विशेष रूप से मुम्बई से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को मुम्बई तथा अन्य जिलों में अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों, जल आपूर्ति, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सुधार तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी है;

(ग) क्या इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर सिंह) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र से विशेष रूप से बम्बई से आयकर (निगम कर सहित), केन्द्रीय उत्पाद मुल्क एवं सीमा शुल्क की कुल वसूल की गई राशि नीचे दी गई है :—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	महाराष्ट्र	बम्बई
1988-89	15602	13787
1989-90	18314	16069
1990-91	20595	17944

आंकड़े समाहर्तालयों/आयुक्तों के अनुसार हैं क्योंकि जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) (I) महाराष्ट्र को स्लम क्षेत्रों में सुविधाओं (जिसमें अस्पताल, सड़कें, स्कूल भवन और जल आपूर्ति भी शामिल हैं) के लिए दी गई राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु० करोड़ों में
1989-90	26.81
1690-91	7.71
1991-92 (18-12-91 तक)	9.39

(II) महाराष्ट्र को भुगतान किए गए आयकर और संघीय उत्पाद शुल्क का भाग निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु० करोड़ों में
1988-89	748.07
1989-90	994.81
1990-91	1023.81

(ग) और (ङ) चूंकि भारत सरकार ने नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं, इसलिए ऐसा कोई सुझाव विचारार्थ नहीं है ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा केन्द्रित खरीद

4872. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा केन्द्रित खरीद का प्रयोजना उद्देश्य क्या है;

(ख) किसी खास श्रेणी के अन्तर्गत वस्तुओं की पहचान करने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा आम उपयोग की वस्तुओं को केन्द्रित खरीद के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अपेक्षित सामान की अधिप्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेवार है । इसमें ऐसा सामान सम्मिलित नहीं है जो सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा इस संगठन के कार्य-क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है । यह राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, अर्ध सरकारी निकायों, सांविधिक निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित सामान की प्रधिप्राप्ति भी उनके अनुरोध पर करता है ।

(ख) वस्तुओं की खास श्रेणी का निर्धारण सामान्यतः उद्योग द्वारा मान्य मानदण्डों के अनुसार किया जाता है, वस्त्र, चमड़ा; मशीनरी और उपस्कर, वाहन, विद्युत, रसायन, पेट्रो-रसायन आदि ।

(ग) वर्तमान व्यवस्था में आम उपयोग की वस्तुओं की केन्द्रित खरीद का प्रावधान पहले से ही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मूल्य आंकने वाले कर्मचारी

4873. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के मूल्य आंकने वाले कर्मचारियों को अंशकालिक कर्मचारी नहीं माना जाता है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दायर सरकार की रिट याचिका रद्द कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों में इस समय कितने मूल्य आंकने वाले कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सम्भवतः उच्चतम न्यायालय के मामले का सम्बन्ध इंडियन बैंक द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) से है। इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय में दायर की गई उसकी विशेष अनुमति याचिका के खारिज हो जाने के पश्चात, उसने औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास के अधिनिर्णय को कार्यान्वित कर दिया है। आभूषण मूल्यककों (जीवल अप्ररेजर) को अंशकालिक लिपिकों के रूप में आधे वेतनमान पर खपा लिया है और उन्हें दिनांक 1-4-1977 से वेतन आदि की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। ठेके के आधार पर कार्य करने वाले मूल्यांककों की कुल संख्या, जिन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास के अधिनिर्णय के तहत कवर करके बाद में बैंक में अंशकालिक लिपिक के तौर पर खपाया गया है, 347 है।

"आर बी एच एम" पटसन मिल्स कटिहार (बिहार) को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

4874. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री दिनांक 16 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 9073 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरबीएच एम पटसन मिल्स कटिहार (बिहार) को पुनः चालू करने और इसके पुनर्वास सम्बन्धी योजना में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) सरकार द्वारा मिल को शीघ्र पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) जो मजदूर मिल बन्द होने के कारण बेरोजगार हो गए थे, उनमें से कितने को इस योजना के पूरा होने के पश्चात रोजगार दिया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) आर बी एच एम पटसन मिल के पुनरुद्धार और पुनर्वासन के लिए 3.75 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी और यह वर्ष 1990 में पूरी हुई।

(ग) पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के कारण फालतू कामगारों की संख्या को सम्बन्धित प्लांट स्तरीय मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का क्रियान्वयन करने तथा पूरे अन्तिम लाभ का भुगतान करने के बाद बिना कोई अदला-बदली किए वार्धक्य आयु प्राप्त कामगारों को सेवा निवृत्त करके कम किया गया।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनर्वास

[अनुवाद]

4875. **डा० जी० एल० कनौजिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन एककों के पुनर्वास के लिए सहायता दी है; और

(ख) इसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि फैंक, वित्तीय संस्थाएं, केन्द्रीय और राज्य सरकारें आदि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास/पुनरुजीवन के लिए रियायतें/सहायता प्रदान करती हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सभी सम्बन्धित अभिकरणों को मिलता है, दीर्घावधि अर्थक्षमता पर निर्णय लेता है तथा कम्पनी के प्रस्ताव को रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की की धारा 17 (2) के तहत अनुमोदन की स्वीकृति देता है अथवा उसी अधिनियम की धारा 18(4) के तहत पुनर्वास योजना की स्वीकृति देता है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है उसने वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 में क्रमशः 39, 81 तथा 129 मामलों में अनुमति/स्वीकृति प्रदान की।

शत-प्रतिशत निर्यात लाइसेंस वाली बड़ी कम्पनियों और औद्योगिक घरानों के विरुद्ध जांच

4876. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बड़ी कम्पनियों तथा औद्योगिक घरानों के विरुद्ध कोई जांच की है, जिन्हें अपने उत्पादों के 100 प्रतिशत निर्यात के लिए लाइसेंस दिए गये थे परन्तु निर्यात करने के बजाय वे यह कहकर अपने उत्पादों को घरेलू बाजार में बेच रहे हैं कि यह रद्द किया हुआ माल है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों/औद्योगिक घरानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक एककों को सभी लागू प्रशुल्कों का भुगतान करने के पश्चात 5% तक की मात्रा को अवशिष्ट माल के रूप में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। सरकार खास उद्योगों के तकनीकी प्राचलों को ध्यान में रखते हुए अवशिष्ट मास की अधिक प्रतिशतता की अनुमति भी प्रदान करती है।

ऐसी सभी घरेलू बिक्रियां सीमाशुल्क प्राधिकारियों की देखरेख और नियंत्रण में होती है।

दिल्ली से लखनऊ और पूर्णिया से पटना तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

[हिन्दी]

4877. **डा० एस० पी० यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से लखनऊ और पूर्णिया से पटना तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के भागों की स्थिति यातायात के काबिल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग के उक्त भागों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों दिल्ली से लखनऊ और पूर्णिया से पटना के खंड सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में है। पिछली वर्षा ऋतु के दौरान कुछ खंड क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी मरम्मत की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और विकास एक सतत कार्यकलाप है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर सुधार किए जा रहे हैं।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड में कर्मचारियों की छंटनी

4878. **श्री मुमताज अन्सारी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्षेत्रवार कितने कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इन छंटनी किए हुए कर्मचारियों का अन्यत्र पुनर्वास करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड (मिटको) के किसी भी नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में बैंक जनसंख्या का अनुपात

[अनुवाद]

4879. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

30 नवम्बर, 1991 को आंध्र प्रदेश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैंक जनसंख्या का अनुपात कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या क्रमश: 6,000 और 13,000 थी।

रक्षा मन्त्रालय में एल० डी० सी०, यू० डी० सी० और कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान में संशोधन

4880. **श्री तेजनारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया डिफेंस एमप्लाइज क्लेरिकल एसोशियेसन ने 1-1-81 से "एल० डी० सी०" "यू० डी० सी०" और कार्यालय अधीक्षक के वेतनमानों को क्रमशः 1200 रुपये, 1400 रुपये और 1600 रुपये वेतनमानों के रूप में संशोधित किए जाने हेतु सरकार को प्रतिवेदन दिया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी हाल के अपने निर्णय में सरकार को इन वर्गों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) हाल में, ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) ऐसे कोई निर्देश सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू में गांव गिगरियाल के निवासियों को किराया/मुआवजे की अदायगी

4881. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू जिले में तहसील अखनूर के गांव गिगरियाल के उन लोगों को, जिनकी जमीन सेना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई थी, पिछले दो वर्षों से किराया/मुआवजा अदा नहीं की गई है और वर्ष 1983 से 1986 के लिए संशोधित दर से भुगतान भी नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनके शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कब तक इन राशियों का भुगतान कर दिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जम्मू जिले की अखनूर तहसील के गांव गिगरियाल में 106.375 एकड़ भूमि सेना के अधिग्रहण में है। इस भूमि का संशोधित किराये के अनुसार मुआवजा 1,63,605.30 रुपये प्रति वर्ष है। 103.675 एकड़ भूमि का मार्च, 1990 तक की अवधि का किराये का मुआवजा 1,60,757.30 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अदा कर दिया गया है। शेष 2.700 एकड़ भूमि से सम्बन्धित मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए 2848 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अदायगी कर दी गई है। इस भूमि का मार्च, 1991 तक की बाद की अवधि का किराया सम्बन्धित उपायुक्त से सही मांग प्राप्त न होने के कारण समय पर अदा नहीं किया जा सका। अब उनका पत्र प्राप्त हो गया है और अदायगी की जा रही है ।

2. 96.968 एकड़ भूमि के अधिकांश भाग के सम्बन्ध में वर्ष 1983-86 की अवधि के लिए संशोधित दर के हिसाब से बकाया राशि की अदायगी कर दी गई है। भूमि के शेष भाग अर्थात् 9.407 एकड़ के लिए उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत मांग को त्रुटियां दूर करने के लिए वापस भेज दिया गया है । उपायुक्त से संशोधित मांग प्राप्त होने पर इस भूमि से सम्बन्धित अदायगी कर दी जायेगी ।

दिल्ली परिवहन निगम की दैनिक आय

[हिन्दी]

4882. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की परिवहन प्रणाली में गैर-सरकारी क्षेत्र की बसें चलाये जाने के कारण दिल्ली परिवहन निगम की दैनिक आय में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में बस रूटों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता और इसलिए निजी बसों के प्रचालन पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। बसों के निजी प्रचालन के कारण दिल्ली परिवहन निगम की दैनिक आय में किस हद तक कमी आई है, यह ठीक-ठीक बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार दिल्ली परिवहन निगम के राजस्व एकत्रीकरण में वृद्धि करने और प्रचालन घाटों को कम करने की दृष्टि से इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इसकी प्रचालन लागत कम करने, किफायत सम्बन्धी उपाय लागू करने, लीकेजिज रोकने के लिए इसके निष्पादन पर लगातार नजर रख रही है। अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु दिल्ली परिवहन निगम ने अपने रूटों को युक्तिसंगत भी बनाया है।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्टरी में अफीम का उत्पादन

4883. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्टरी में प्रतिवर्ष उत्पादित अफीम की मात्रा और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस फैक्टरी में अफीम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1966, 1970, 1975, 1980, 1985 और 1990 में इस फैक्टरी के वर्षवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि उत्पादन में कमी आई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गाजीपुर स्थित कारखाने में निर्यात क्वालिटी की 9[illegible]° संशक्ति वाली अफीम का उत्पादन किया जाता है। वार्षिक उत्पादन, निर्यात आदेशों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि यह पहले ही अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्पादन का लेखा-जोखा वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है, न कि कैलेण्डर वर्ष के आधार पर। संगत वित्तीय वर्षों में गाजीपुर स्थित कारखाने में अफीम उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	90 ° संसक्ति वाली अफीम की मीट्रिक टनों में मात्रा
1966-67	462.367
1970-71	452.164
1975-76	444.069
1980-81	258.119
1998-86	384.400
1990-91	420.920

(ङ) चूंकि कारखाने में अफीम का उत्पादन निर्यात सम्बन्धी आदेशों पर निर्भर करता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादन में कमी आई है। तथापि, पोस्त की खेती के अधीन लाइसेंसशुदा रकबे में कमी होने के कारण पोस्त के खेतों से कच्ची अफीम की प्राप्ति में कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पोस्त की खेती के अधीन रकबे में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि विश्व बाजार में अफीम की कच्ची सामग्री की जरूरत से ज्यादा आपूर्ति हो रही है।

केरल में स्वापक औषधि सम्बन्धी मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय

[अनुवाद]

4884. **श्री रमेश चेन्नीत्तला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया सरकार का विचार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत केरल में मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये न्यायालय कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) यथा संशोधित स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों, जो कि राज्य सरकारों द्वारा सृजित किए जाते हैं, के द्वारा अपराधों की सुनवाई की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों का शीघ्र गठन करें।

मांड्या, कर्नाटक में विजय बैंक के संभागीय कार्यालय का खुलना

4885. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के मांड्य जिले में विजय बैंक की कितनी शाखायें हैं;

(ख) क्या मांड्या में विजय बैंक का एक संभागीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) कर्नाटक के मंडया जिले में विजया बैंक की 29 शाखाएं कार्यरत हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास मंडया में विजया बैंक का मण्डल कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है । विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयों की स्थापना पर्याप्त पर्यवेक्षी नियंत्रण और खर्च में कटौती सुनिश्चित करने के दो उद्देश्यों से की जाती है। बैंक की 722 शाखाओं के वर्तमान शाखा नेटवर्क के परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए इसके 19 मंडल और 6 अंचल कार्यालय हैं ।

आयात और निर्यात के लक्ष्य

4886. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने मूल्य का निर्यात और आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है;

(ख) इस वर्ष के दौरान अब तक वस्तुतः कितना निर्यात और आयात किया गया;

(ग) क्या निर्यात और आयात की पावती पर्चियां निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अनिश्चितताओं, सोवियत संघ में व्याप्त अव्यवस्था के कारण आयात की आपूर्ति में यू०एस०एस०आर० द्वारा महसूस की जाने वाली दिक्कतों के कारण यू० एस० एस० आर० को निर्यात, भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति के कारण लगाए गए सख्त आयात प्रतिबन्ध और व्यापार नीति में दूरगामी सुधारों पर निर्यातकों की प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा को देखते हुए वर्ष 1991-92 के लिए कोई विशेष निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय कोई आयात लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है ।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान भारत के निर्यात और आयात क्रमशः 18711 करोड़ रुपये तथा 21067 करोड़ रु० के रहे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक्सिम स्क्रिप के जरिये पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि जैसी संवेदनशील मदों के आयात को छोड़कर सभी कच्चे माल और संघटकों के आयात को निर्यात निष्पादन से जोड़ दिया गया है । इसके अतिरिक्त, एक्सिम स्क्रिप्स मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय है और इसलिए 20 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम की हकदार है । यह निर्यातकों के लिए स्वयं एक प्रोत्साहन है ।

बचत योजनाए

4887. **श्री प्रकाश वी० पाटील** :

श्री महासमुद्रम गणेश्वर रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कौन-कौन सी बचत योजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि इकट्ठी की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत वसूली में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(च) इन योजनाओं के द्वारा वसूली को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सरकार द्वारा चलाई जा रही बचत योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

1. डाकघर बचत खाता
2. डाकघर सावधि जमा (1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष) खाता
3. डाकघर आवर्ती जमा खाता
4. राष्ट्रीय बचत योजना, 1987
5. डाकघर मासिक आय खाता
6. इन्दिरा विकास पत्र
7. किसान विकास पत्र
8. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)
9. लोक भविष्य निधि
10. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989
11. सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1991

(ख) सूचना विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर संग्रहों में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन योजनाओं के प्रबन्धन पर भारत सरकार द्वारा किया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1988-89	316
1989-90	354
1990-91 (संशोधित अनुमान)	384

(च) संग्रह बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में ब्याज की दरों में वृद्धि, राजकोषीय रियायतों का विस्तार, प्रचार उपाय आदि शामिल हैं ।

विवरण-1

डाकघरों में सार्वजनिक भविष्य निधि सहित राज्यवार सकल और निवल अल्प बचत संग्रह

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य	1988-89		1989-90		1990-91 (अनन्तिम)	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	55737	25500	81223	48718	91558	50850
2.	अरूणाचल प्रदेश	416	184	438	122	403	156
3.	आसाम	24633	11173	35576	24055	31263	14829
4.	बिहार	81223	25451	104426	42108	114938	40896
5.	गोआ	4204	2586	6749	4366	4886	2513
6.	गुजरात	112570	66085	135856	78076	168115	95179
7.	हरियाणा	41543	20945	47373	24505	50543	23633
8.	हिमाचल प्रदेश	153 0	6449	27043	18061	20214	9630
9.	जम्मू और कश्मीर	11227	6411	19558	14725	8746	3976
10.	कर्नाटक	72420	30134	94616	44176	77861	28321

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	30455	16522	37855	21839	40857	20040
12.	मध्य प्रदेश	47454	22957	58327	30702	57427	23582
13.	महाराष्ट्र	167897	42115	203443	49409	211967	73818
14.	मणिपुर	510	256	582	294	592	290
15.	मेघालय	1547	786	3704	2888	1692	776
16.	मिजोरम	366	123	371	95	352	127
17.	नागालैंड	517	300	468	260	442	190
18.	उडीसा	27722	12462	38600	18205	46467	15228
19.	पंजाब	52209	33922	62731	38237	63520	34138
20.	राजस्थान	44583	21897	60459	33470	74693	40676
21.	सिक्किम	190	147	175	124	216	155
22.	तमिलनाडु	50595	16838	69819	32464	81256	34933
23.	त्रिपुरा	3468	2038	4199	2503	4587	2256
24.	उत्तर प्रदेश	204445	91290	243663	113234	190685	147957
25.	पश्चिम बंगाल	143714	61389	198156	100414	204568	90047
	जोड़ राज्य	1195195	517960	1535410	743050	1647749	764256

टिप्पणी : इस विवरण में बैंकों में सार्वजनिक भविष्य निधि और सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विवरण-2

अल्प बचत योजनाओं में प्रतिभूति-वार संग्रह

(लाख रुपये)

क्रम सं०	प्रतिभूति	1988-89 (अन्तिम)		1989-90 (अन्तिम)		1990-91 (अनन्तिम)	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बचत खाता	356249	16094	400366	20141	414562	11614
2.	एक वर्षीय सावधि जमा खाता	19554	6104	25755	6494	35437	11469
3.	2 वर्षीय सावधि जमा खाता	4370	2017	4713	617	5075	266
4.	3 वर्षीय सावधि जमा खाता	2131	—393	2037	—237	2188	—715
5.	5 वर्षीय सावधि जमा खाता	55248	—83605	32359	—122509	30313	—96232
6.	आवर्ती खाता	96925	30475	118080	40570	141590	35961
7.	राष्ट्रीय बचत योजना	71615	71525	—170842	170552	193023	192100
8.	मासिक आय खाता	57194	56407	77545	74340	86661	78940
9.	राष्ट्रीय बचत पत्र छठा निर्गम*	231021	120433	12502	—126875	—998	—206131

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	राष्ट्रीय बचत पत्र सातवां निर्गम*	11010	—2412	2451	—17183	—384	—25722
11.	राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम	0	0	152887	152865	157254	157023
12.	सामाजिक सुरक्षा पत्र*	451	400	240	224	71	49
13.	इन्दिरा विकास पत्र	170770	170769	268457	268453	245094	245076
14.	किसान विकास पत्र	193973	193930	845[illegible]5	345439	410083	408521
15.	सार्वजनिक भविष्य निधि (डाकघर)	2226	2129	4886	4691	7906	7667
16.	सार्वजनिक भविष्य निधि (बैंक)	49590	33865	87553	56999	95207	58712
17.	समाप्त कर दी गई योजनाएं	—15834	—34228	8653	—17066	5228	—14732
18.	जमा योजनाएं	—	—	1316	1310	1452	1372
	जोड़	1306493	583510	1716277	858825	1829842	865238

* समाप्त कर दी गई।

बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमाराशि

4888. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 और 31 अक्टूबर, 1991 को, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों और सरकारी क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमा-राशि के रूप में श्रेणी-वार कितनी धन-राशि जमा थी; और

(ख) जमाराशि में अन्तर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमाराशियों के योजनावार आकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, मार्च, 1991 और 1 नवम्बर, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशिया (अन्तर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) और मियादी जमाराशियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

तारीख को	कुछ जमाराशियां	मियादी जमाराशियां
29-3-91	201198.63	162898.26
1-11-91	214519.40	174414.81

इस अवधि के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मियादी जमाराशियों सहित कुल जमाराशियों में वृद्धि हुई।

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों पर बोनस की विभिन्न दरें

4889. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने विभिन्न पालिसियों जैसे सम्पूर्ण जीवन बीमा पालिसियों तथा स्थाई निधि बीमा पालिसियों पर बोनस की घोषणा करते समय वर्ष 1990-91 के लिए जोड़े जाने वाली बोनस की दरों में अन्तर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के पालिसी धारकों के लिए बोनस की सामान दर का आदेश देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम आजीवन व बन्दोबस्ती पालिसियों के लिए दावा प्राप्य बोनस की भिन्न-भिन्न दर घोषित किया करता था। यही प्रथा वर्ष 1990-91 के लिए भी जारी रही है। लेकिन, वर्ष 1990-91 के लिए बोनस की घोषणा करते समय पहली बार एक अतिरिक्त पैमाना (पैरामीटर) लागू किया गया है, जोकि "पालिसी के प्रारम्भ होने से लेकर उसकी कालावधि" है। तदनुसार, 31 मार्च, 1991 की स्थिति के

अनुसार किए गए मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्रतिहजार बीमित राशि पर साधारण दावा प्राय बोनस की निम्नलिखित दरें घोषित की गई हैं :—

	आजीवन पालिसियां	बन्दोबस्ती पालिसियां
1-4-70 से अथवा बाद शुरू होने वाली पालिसियां	84.00 रुपए	67.00 रुपए
1-4-70 से पहले लेकिन 31-3-65 के बाद शुरू होने वाली पालिसियां	87.00 रुपए	70.00 रुपए
31-3-65 से अथवा उससे पहले शुरू होने वाली पालिसियां	89.00 रुपए	72.00 रुपए

समता बनाए रखने की दृष्टि से 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार किए गए मूल्यांकन में विभेदक साधारण दावा प्राप्य बोनस की अवधारणा लागू की गई है। चूंकि किसी पालिसी के अन्तर्गत होने वाले अधिशेष सामान्यत: उन पालिसियों के मामले में अधिक होते हैं जो खातों में अधिक लम्बी अवधि के लिए बनी रहती हैं, इसलिए लम्बी कालावधि वाली पालिसियों पर ज्यादा बोनस घोषित किया गया है।

(ग) भिन्न-भिन्न प्रकार की पालिसियों के लिए बोनस की भिन्न-भिन्न दरें घोषित करने की परम्परा रही है। तथापि, पालिसीधारकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच समता बनाये रखने के लिए, वर्ष 1979 में अन्तिम (अतिरिक्त) बोनस की अवधारणा लागू की गई थी जोकि पालिसी कालावधि की ही एक साधारण प्रक्रिया है और जो आजीवन पालिसी और बन्दोबस्ती के बीच कोई अन्तर नहीं करती।

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता

4890. **श्री उद्धव बर्मन :**

श्री बाइल जाम अंजलोज : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित सड़कों और पुलों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गया वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी सहायता से निर्मित होने वाली सड़कों और पुलों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी संभावित लागत संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 और विवरण-4 तक में दी

गई है। इसके अतिरिक्त विदेशी ऋण के लिये प्रस्तावित उन परियोजनाओं की सूची का विवरण और ब्यौरे विवरण-3 पर दिए गए हैं जिन पर अभी ऋण हेतु हस्ताक्षर किए जाने हैं।

विवरण-1

एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण सहायता के लिये अनुमोदित कार्यों की सूची
ऋण सं० 918 : इंडिया (पैकेज-1)

ऋण राशि अमेरिका डालर 198.00 मिलियन

क्रम सं०	राज्य	रा० रा० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी० में	अनुमानित लागत करोड़ रु०
1. सिविल कार्य					
1. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं					
(i)	आंध्र प्रदेश	5	अनाकापाल्की से विशाखापत्तनम तक चौड़ा करके चार लेन बनाना और मजबूत करना	46	46.80
(ii)	हरियाणा और उत्तर प्रदेश	2	वल्लभगढ़ से मथुरा तक चार लेन बनाना और मजबूत करना	111	76.00
2. राज्यीय राजमार्ग					
(iii)	आंध्र प्रदेश		हैदराबाद रामगुंडम सड़क का सुधार	216	56.00
(iv)	कर्नाटक		अंकोला-हुबली सड़क का सुधार	133	38.00
(v)	तमिलनाडु		पूर्वी तटीय सड़क के मद्रास-कुड्डालोर खंड का सुधार	161	37.00

विवरण-2

एशियाई विकास बैंक परियोजना के तहत कार्यों की सूची
(द्वितीय पैकेज)

ऋण की राशि 250.00 मिलियन अमेरिकी डालर

क्रम सं०	कार्य का नाम	रा०रा०सं०	लागत (करोड़ रु०)
	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं		
1.	बंगलौर कर्नाटक/तमिलनाडु बार्डर खंड में चार लेन बनाना और मजबूत करना	7	24.40
2.	अलवर्ई-विटिल्ला तथा अरूर-शेरथला खंड (37 कि० मी०) में चार लेन बनाना तथा मजबूत करना और विट्टिला-अरूर खंड (10 कि० मी०) को मजबूत करना	47	41.80
3.	अकोल-कोट्पुतली खण्ड में चार लेन बनाना तथा मजबूत करना	8	54.09
	राज्यीय सड़क परियोजनाएं		
1.	आंध्र प्रदेश में काकीनाडा-राजनगरम सड़क (54 कि० मी०) का सुधार		23.00
2.	उड़ीसा में राऊरकेला-सम्बलपुर सड़क (164 कि० मी०) का सुधार		80.00
3.	पश्चिमी बंगाल में पनबगढ़-दुबराजपुर-नलहटी-मोरेग्राम सड़क (150 कि० मी०) का सुधार		81.00
4.	उत्तर प्रदेश में वाराणसी-शक्तिनगर सड़क का सुधार		61.00

विवरण-3

विश्व बैंक पैकेज I

ऋण की राशि 200.00 मिलियन अमेरिकी डालर

क्रम सं०	कार्य का नाम	रा० रा० सं०	लागत करोड़	5/91 तक प्रगति संचित वित्तीय (करोड़)
1.	रा० रा० 8 पर दिल्ली बम्बई के मुख्य रास्ते में अहमदाबाद और बदोदरा शहरों को	8	137.20	63.10

1	2	3	4	5
	को जोड़ने वाले नये दोहरे कैरिजवे एक्सप्रेस वे का निर्माण			
2.	मुरथल से करनाल तक मौजूदा कैरिजवे को चौड़ा कर चार लेन बनाना और मजबूत करना	1	40.16	5.96
3.	सरहिन्द से जालन्धर तक (252.25-372.2 कि० मी०) मौजूदा कैरिजवे को चौड़ा कर चार लेन बनाना	1	67.38	41.98
4.	27/8 से 67 तक मौजूदा दो लेन पर दो लेन के अतिरिक्त कैरिजवे का प्रावधान और इसे मजबूत करना तथा 67-160/2 तक मजबूत करना	45	68.49	39.21
5.	गंगा नदी पर एक बड़े पुल सहित वाराणसी शहर के दो लेन वाले बाईपास का निर्माण	2	49.92	23.99
6.	कलकत्ता-दिल्ली के मुख्य रास्ते में दनकुनी तथा फालसिट के केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़क और ग्रेड इंटर सैक्शन के साथ 2 लेन वाली एक नई सड़क का निर्माण	2	54.17	10.78

विवरण-4

राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के ब्यौरे (राज्यीय राजमार्ग

क्रम सं०	परियोजना तथा लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
	बिहार (जोड़ 99 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	गंगा पर भागलपुर पुल (4 कि० मी०)	46.03
2.	भागलपुर पुल को पहुंच मार्ग (14 कि० मी०)	7.10
3.	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सड़क (51 कि० मी०)	16.90
4.	सोनपुर-छपरा सड़क (50 कि० मी०)	21.50

1	2	3
	महाराष्ट्र (जोड़ 87 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	अहमदनगर-कोपरगांव सड़क (95 कि० मी०)	10.17
2.	पूणे-अहमदनगर सड़क (113.6 कि० मी०)	
3.	अहमदनगर-औरंगाबाद सड़क (105.4 कि० मी०)	23.61
4.	औरंगाबाद-मंथा सड़क (124 कि० मी०)	16.63
5.	अकोला-कनहरगांव सड़क (96 कि० मी०)	10.22
6.	नागपुर-कामपाड सड़क (69 कि० मी०)	9.94
7.	पालगर-वाडा सड़क (47 कि० मी०)	5.65
8.	वाडा-अम्बाडी सड़क (23 कि० मी०)	2.65
	राजस्थान (जोड़ 202 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	अलवर-भिवाड़ी सड़क (90 कि० मी०)	11.95
2.	अलवर-करौली सड़क (145 कि० मी०)	15.37
3.	उदयपुर-दबोक सड़क (16 कि० मी०)	7.08
4.	दबोक-चित्तौड़गढ़ सड़क (97 कि० मी)	10.60
5.	अजमेर-चित्तौड़गढ़ सड़क (186 कि० मी०)	22.19
6.	सिरोही-आबू सड़क (63 कि० मी०)	5.70
7.	आबू रोड-माउंट आबू रोड (23 कि० मी०)	2.43
8.	फतेहपुर-चुरू सड़क (36 कि० मी०)	2.72
9.	चुरू-हरियाणा सीमा (79 कि० मी०)	5.68
10.	सीकर-हरियाणा सीमा (133 कि० मी०)	11.31
	उत्तर प्रदेश (जोड़ 160 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	सोनौली-गोरखपुर सड़क (93 कि० मी०)	22.32
2.	गोरखपुर-बलिया सड़क (153 कि० मी०)	37.56
3.	फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क (143 कि० मी०)	34.10
4.	इलाहाबाद-दोहरीघाट सड़क (208 कि० मी०)	51.90

विवरण-5

(क) विश्व बैंक ऋण सहायता के लिये मालूम की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (पैकेज-II)

ऋण राशि 299.00 मिलियन अमेरिकी डालर

क्रम सं०	कार्य का नाम	रा० रा० सं	लागत (करोड़ रु०)
1.	करनाल-हरियाणा/पंजाब बार्डर खंड में चार लेन बनाना	1	112.40
2.	I) देवास-इन्दौर खंड में 4 लेन बनाना	3	23 89
	II) इन्दौर बाईपास	3	51.23
3.	4 लेन का बसीन क्रीक बिज मनोर खंड	8	92.11
4.	महानदी पुल तथा सम्पर्क सड़कों सहित भुवनेश्वर-कटक खंड में चार लेन बनाना	5	104.92
5.	हरियाणा/पंजाब बार्डर सरहिंद खंड मे चार लेन बनाना	1	69.30
6.	बिहार/पश्चिम बंगाल बार्डर-रानीगंज खंड में चार लेन बनाना	2	71.52
	राज्यीय सड़क परियोजनाएं		
1.	क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण	लागत 14 मिलियन अमेरिकी डालर	
ख	विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जापान) ऋण की राशि	34.7 मिलियन अमेरिकी डालर	
1.	उत्तर प्रदेश में आगरा-मथुरा खंड में चार लेन बनाना	2	106.50

आंध्र प्रदेश को जनता कपड़े का आवंटन

4891. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश को 1991-92 के दौरान जनता कपड़े का कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : आंध्र प्रदेश को वर्ष 1991-92 के लिए जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत मूलतः 52.00 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त हाल ही में 5 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन का लक्ष्य और आवंटित किया गया है।

रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा उद्योगपतियों को प्रदान की गई सुविधाएं

4892. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करने हेतु उद्योगपतियों से अपने उत्पादों में नई प्रौद्योगिकी तथा उच्च गुणवत्ता के समावेश हेतु रक्षा प्रयोगशालाओं का प्रयोग करने हेतु निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा उद्योगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(ग) कितने उद्योगपतियों ने अब तक इस सुविधा का उपयोग किया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा मन्त्री ने नई दिल्ली में 21 नवम्बर को उच्च तकनालाजी के सम्बन्ध में आयोजित 5 वीं कांग्रेस की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा था कि जहां आवश्यक होगा हमारे उद्योग अपने उत्पादों में नई तकनालाजियों और गुणता संस्कृति को शामिल करने के लिए रक्षा प्रयोगशालाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसाकि फ्रांस और अमरीका के उद्योगों ने किया है । इस प्रयोगों द्वारा सैन्य तकनालाजी संस्कृति को सिविल उद्योग में अन्तरित करने से ये देश लाभान्वित हुए हैं ।

(ख) सिविल उद्योग रक्षा प्रयोगशालाओं में उपलब्ध तकनालाजियों और विशेषज्ञता का उपयोग न केवल रक्षा उपयोग की मदों का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं बल्कि इस जानकारी का उपयोग सिविल उत्पादों का उत्पादन करने के लिए भी कर सकते हैं । परन्तु किसी प्रयोगशाला की सेवाओं की उपलब्धता निश्चित रूप से उस प्रयोगशाला के पास उपलब्ध मौजूदा कार्यभार पर निर्भर करेगी ।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उद्योगों को 153 तकनालाजियां अन्तरित की हैं । इन तकनालाजियों में, उदाहरण के लिए, रक्षा खाद्य सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर द्वारा अन्तरित 27 प्रौद्योगिकियां और उपकरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना, देहरादून द्वारा अन्तरित 22 तकनालाजियां शामिल हैं ।

भारत सहायता संघ के माध्यम से विदेशी सहायता

4893. **प्रो० राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ ने भारत को 6.7 अरब अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन देशों ने योगदान दिया है और प्रत्येक देश से कितनी सहायता धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) किन शर्तों पर, यदि कोई है, सहायता प्रदान की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रत्येक दाता अभिकरण के साथ सहायता सम्बन्धी बातचीत को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रदान की जाने वाली विदेशी सहायता की शर्तों के सम्बन्ध में ब्यौरे निर्धारित किए जाएंगे ।

विवरण

1991-92 के लिए नई सहायता वचनबद्धताओं के संकेतों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं०	देश/संस्था	मिलियन अमेरिकी डालर में राशि
1.	कनाडा	47.4
2.	डेनमार्क	61.5
3.	फ्रांस	132.7
4.	जर्मनी	330.0
5.	इटली	63.5
6.	जापान	823.6
7.	नीदरलैंड	121.0
8.	नार्वे	21.2
9.	स्वीडन	71.7
10.	स्वीट्जरलैंड	91.8
11.	यूनाइटेड किंगडम	319.0
12.	यूनाइटेड स्टेट्स	120.0
13.	ए० डी० बी०	891.5
14.	ई० ई० सी०	176.8
15.	आई० बी० आर० डी०/आई० डी० ए०	3,000.0
16.	आई० एस० ए० डी०	20.2
17.	आई० एफ० सी०	150.0
18.	नोरडीक इन्वेस्टमैंट बैंक	50.0
19.	यू० एन० सिस्टम	230.0
	जोड़ :	6,721.9

भारत और थाइलैंड के बीच व्यापार

4894. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और थाइलैंड के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान कुल कितना रुपए का व्यापार किया गया;

(ग) क्या भारत-थाईलैंड के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन-सी योजना बनाई गई है; और

(ङ) इस योजनाओं को लागू करने के लिए क्या अनुकर्ती कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यकी महानिदेशालय (डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-थाईलैंड व्यापार निम्नानुसार रहा है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1988-89	191.66	221.01	412.67
1989-90	316.95	148.20	465.15
1990-91	442.76	115.72	558.48

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1991 में नई दिल्ली में हुई भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार के विविधीकरण और प्रसार पर जोर दिया। दो प्रतिनिधि-मण्डलों से प्रत्येक पक्ष के लिए हितकर निर्यात मदों की पहचान की। बैंकाक में विभागीय स्टोर संवर्धन अभियान, प्रति-व्यापार, संयुक्त उद्यम टाई-अप्स और थाई परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी जैसे व्यापार संवर्धनात्मक उपायों को बढ़े हुए व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में अभिज्ञात किया गया।

पारिवारिक अदालतें

4895. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवाह और परिवार से सम्बन्धित भारी संख्या में विवादास्पद मामले काफी लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे मामलों को निपटाने के लिए देश में और अधिक पारिवारिक अदालतें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) लम्बित मामलों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति रही है कि कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित किया जाए। जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की अधिकारिता का विस्तार नहीं किया गया है, वहां सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करती रही है। जहां अधिनियम का विस्तार कर दिया गया है, वहां सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे प्रत्येक शहर या नगर वाले क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करें और अन्य क्षेत्रों के बारे में वे ऐसा कर सकते हैं जो वे आवश्यक समझें।

राष्ट्रीय बचत पत्र योजना

4896. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के द्वारा कुल कितनी राशि जुटाई गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अधिक धन जुटाने के प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकारों का अंश बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई एकल जमा की कुल राशि क्रमश: 17162.77 करोड़ रुपए और 18298.42 करोड़ रुपए (अनन्तिम) थी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार के ब्याज अदायगी शोधन सम्बन्धी और अल्प बचत ऋण के विद्यमान स्टाक पर वापसी अदायगी सम्बन्धी बोझ कोऔर अल्प बचत योजनाओं के प्रबन्धन की लागत को ध्यान में रखते हुए निवल संग्रह के 75 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से राज्य सरकारों को ऋणों की मात्रा में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है।

इलायची का निर्यात

4897. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में इलायची का निर्यात किया गया;

(ख) देश में कौन से मुख्य इलायची उत्पादक राज्य हैं; और

(ग) इलायची का उत्पादन बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से उसको कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात

की गई इलायची (छोटी/बड़ी) की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	छोटी इलायची मात्रा (मी० टन)	बड़ी इलायची मात्रा (मी० टन)
1988-89	787.00	464.00
1989-90	180.00	787.00
1990-91	379.00	961.00
1991-82 (अप्रैल से नवम्बर)	449.00	535.00

स्रोत : मसाला बोर्ड ।

(ख) छोटी इलायची का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं तथा बड़ी इलायची का उत्पादन करने वाले राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल है ।

(ग) मसाला बोर्ड ने इलायची (छोटी और बड़ी दोनों) की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों तरह के अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) उपजकर्ताओं को विस्तार सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं ।

(II) अधिक उपज देने वाली अच्छी प्रौधरोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपूर्ति ।

(III) पुनर्रोपण ।

(IV) इलायची के रोपण में जल साधनों के लिए अवस्थापना का विकास; और

(V) वैकानिक खेती के सम्बन्ध में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन प्लाटों को प्रारम्भ करना ।

आयुध कारखानों का कार्यभार

4898. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमश: 31 मार्च, 1991, 30 जून, 1991 और 30 सितम्बर, 1991 की सामान्यत: आयुध कारखानों का तथा विशेषतया वाहन कारखाना, जबलपुर का कार्य भार निर्धारित करने वाले आर्डरों की क्रमश: संख्या क्या है;

(ख) क्या सामान्यत: आयुध कारखाने में किसी भी समय आगामी चार वर्षों तक के लिए कार्य-भार बने रहने की आशा की जाती है;

(ग) क्या रक्षा आयुध कारखानों में पर्याप्त क्षमता व योग्यता उपलब्ध होने के बावजूद सरकार अक्सर गैर-सरकारी क्षेत्र से ही रक्षा उपकरणादि खरीदती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ रुग्ण आयुध कारखानों को बन्द करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो रूग्ण कारखानों को सक्षम बनाने तथा स्वस्थ व सुचारू कार्य करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) मांगी गई सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

(ख) अग्रिम योजना तैयार करने के लिए आयुध निर्माणियां चार वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार के पूर्वानुमान की अपेक्षा करती हैं । किन्तु बदलते हुए संभावित खतरों तथा बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सशस्त्र सेनाओं के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वे प्रत्येक मद के लिए इस प्रकार का पूर्वानुमान भेज सकें ।

(ग) और (घ) जिन मदों के उत्पादन के लिए आयुध निर्माणियां उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित हैं, सिविल क्षेत्र (निजी क्षेत्र सहित) से उन मदों की खरीद आयुध निर्माणियों में उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद ही की जाती है ।

(ङ) से (छ) चूंकि आयुध निर्माणियां विभागीय उपक्रम हैं और "न लाभ न हानि" के आधार पर कार्य करती हैं, अत: "रूग्ण यूनिटों" की संकल्पना इन पर लागू नहीं होती । किसी आयुध निर्माणी को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जिन निर्माणियों में इस समय उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें अपने उत्पादन में विविधता लाकर गैर-रक्षा मदों का उत्पादन करने और निर्यात करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुध निर्माणियों की उत्पादकता और वित्तीय कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए उन पर कड़ी नजर रखी जाती है ।

वाहन कारखाना, जबलपुर से वाहनों का निर्माण

4899. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहन कारखाना, जबलपुर द्वारा बनाए जा रहे वाहनों तथा निजी आटोमोबाइल उद्योग द्वारा बनाए जा रहे ऐसे ही वाहनों की सभी करों रहित तुलनात्मक लागत क्या है;

(ख) क्या वाहन कारखाना, जबलपुर में बनने वाले वाहनों की लागत निजी क्षेत्र में बनाए जा रहे ऐसे ही वाहनों से कम है;

(ग) यदि हां, तो जबलपुर वाहन कारखाने में कार्य भार में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जबलपुर वाहन कारखाने द्वारा अपनाई जा रही निर्माण प्रक्रियाएं और तकनीकियां आधुनिकी नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त वाहन कारखाने के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) वाहन निर्माणी, जबलपुर में जिस प्रकार के वाहनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार के वाहनों का निर्माण निजी क्षेत्र के आटोमोबाइल उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है । अत: युक्तिसंगत तुलना सम्भव नहीं है । पिछले कुछ समय से सेना द्वारा वाहन निर्माणी, जबलपुर को विद्यमान श्रेणी के वाहनों के लिए और आर्डर न देने का सम्बन्ध उनकी कीमतों से नहीं है ।

(च) से (छ) निर्माणी के आधुनिकीकरण के बारे में हाल ही में कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला सेनाओं में शामिल किए जाने वाले वाहनों की भावी श्रेणियों के बारे में लिए जाने वाले निर्णय से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की मरम्मत

[हिन्दी]

4900. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) और रीवा (मध्य प्रदेश) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की स्थिति वाहनों के चलने लायक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उपर्युक्त भाग के विकास एवं मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-7 का मिर्जापुर (उ० प्र०) तथा रीवा (मध्य प्रदेश) के बीच का खंड सामान्य तौर पर यातायात योग्य स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत मरम्मत/सुधार कार्य समय-समय पर शुरू किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

4901. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं उन्हें चौड़ा करने के लिए वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम में शामिल किए गए राजमार्गों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह कार्य किन एजेंसियों को सौंपा गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित निधियां आवंटित की गई :—

वर्ष	करोड़ रु०
1990-91	18.50
1991-92	19.00 (अनंतिम)

(ख) मध्य प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात्—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27 और 43 की राज्य के अन्दर संयुक्त रूप से लम्बाई 2946 कि० मी० है जो उपर्युक्त आबंटन में शामिल है।

(ग) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित कार्य मध्य प्रदेश सरकार को सौंपे जाते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है।

राजस्व कानून के उल्लंघन सम्बन्धी मामले

4902. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भेदियों के जरिए विभिन्न राजस्व कानूनों के उल्लंघन के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) कितने मामलों में राजस्व कानूनों का उल्लंघन प्रभावित हुआ; और

(ग) इसके लिए कितने भेदियों को नगद पुरस्कार दिया गया और ऐसे मामलों में ईनाम देने के क्या मानदण्ड हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के अन्तर्गत नई कपड़ा मिल खोलना

[अनुवाद]

4903. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़े की वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के अन्तर्गत नई कपड़ा मिलें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करना है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ऐसी कपड़ा मिलें खोलने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हीरे और स्वर्ण आभूषण तथा बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

4904. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हीरे-जवाहरात स्वर्ण आभूषण, बहुमूल्य एवं कम बहुमूल्य रत्नों तथा मोतियों के निर्यात में स्थिरता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके निर्यात के, मद-वार तथा वर्ष-वार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया; और

(घ) इन मदों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में दौरान रत्न एवं आभूषण के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

	(करोड़ रु०)
1988-89	4581
1989-90	5479
1990-91	5360

(स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) रत्न एवं आभूषण के निर्यात में वर्ष 1989-90 की तुलना में केवल वर्ष 1990-91 में ही गिरावट रही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका और जापान जैसे प्रमुख आयातक देशों में मन्दी का रुख रहा है और विश्वभर में जड़े हुए आभूषणों में हीरों का अपेक्षतया कम उपयोग हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषणों के मदवार तथा वर्षवार निर्यात-लक्ष्य एवं निष्पादन नीचे दिए गये हैं :—

	1990-91		1989-90		1988-89	
	लक्ष्य	निष्पादन	लक्ष्य	निष्पादन	लक्ष्य	निष्पादन
हीरे	5000	4738	5000	4972	3740	4238
रंगीन रत्न	250	208	175	195	125	147
स्वर्ण आभूषण	650	364	275	283	200	171
अन्य	50	50	50	29	39	25
योग	5950	5360	5500	5479	4104	4581

(घ) विदेशों में बाजार संवर्धन उपायों और विश्व बाजारों में भारतीय रत्न एवं आभूषण उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए उत्पाद विकास उपायों से निर्यात में वृद्धि में सहायता मिली हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन उपायों को जारी रखने और तीव्र करने का प्रस्ताव है।

विदेशी मिशनरियों द्वारा विदेशी मुद्रा का अनियमित लेन-देन

4905. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ विदेशी मिशनरियों को उनके विदेशी मुद्रा के अनियमित लेन-देन में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियान (ए० एस० ई० ए० एन०) के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

4906. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण-पूर्व देशों और एशिया-पैसेफिक रन ट्रेड ब्लाक्स के साथ अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए इन देशों के साथ निकट सहयोग के लिए कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सरकार ने चार क्षेत्रों, अर्थात व्यापार, पर्यटन, मानव संसाधन विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी में (शिक्ष-पूर्व के देशों) एशियान के साथ क्षेत्रीय वार्ता में भागीदार बनने में रूचि दिखाई हैं।

सरकार ने एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) समूह के साथ साझेदारी करने के बारे में भी रूचि का संकेत दिया है।

बिहार को वित्तीय सहायता

4907. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार को और अधिक वित्तीय सहायता देने का है ताकि वह कठिन आर्थिक स्थिति से उबर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) केन्द्रीय करों में हिस्सा, राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, लघु बचत ऋण, राजस्व घाटे को पूरा करने हेतु अनुदान, राज्य के आपदा राहत कोष में केन्द्र का अशंदान तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के निमित्त सामान्य रूप से दी जाने वाली धनराशियां राज्य को दी जा रही हैं। जब कभी आवश्यक होगा, राज्य अपनी अस्थाई अर्थोपाय कठिनाईयों को दूर करने में सहायता करने हेतु राज्य की हकदारियों में से कुछ अग्रिम धनराशि भी दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को अन्य किसी तरह की सहायता दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

यूको बैंक चण्डीगढ़ में कथित जालसाजी

4908. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1991 के ट्रिब्यून में "करोर्स मिसिंग फ्राम बैंक" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस बैंक के कार-वार की कोई जांच और छानबीन की गयी है;

(ग) यदि हां, तो जालसाजी और गबन के कितने मामले पकड़े गये और उनमें कितनी धन-राशि अन्तर्ग्रत है;

(घ) क्या इनके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यूको बैंक ने सूचित किया है कि उनके सेक्टर 17-बी शाखा, चण्डीगढ़ में मार्च, 1990 के दौरान कुल 21,86,809.30 रु० के जाली मांग ड्राफ्टों के कपटपूर्ण भुगतान के 14 मामले और गलत नामे डालने के आधार मात्र पर किए गए 45,000 रु० के आहरण के एक मामले का पता चला है। बैंक ने आगे बताया है कि इन भुगतानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28-11-90 को 3 बैंक कर्मचारियों और 6 बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया था। यूको बैंक ने 4 कर्मचारियों को निलम्बित किया है।

तमिलनाडु की विधान सभा को बहाल करना

4909. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

डा० ए०के० पटेल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु विधान सभा ने 4 अक्तूबर, 1991 को अपने पिछले संकल्प दो रद्द करते हुए राज्य विधान परिषद को बहाल करने हेतु कोई संकल्प पारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विधान परिषदें गठित करने के लिए विधान परिषद विधेयक, 1990 राज्य सभा ने 28 मई, 1990 को पारित किया था और उसके पश्चात् वह लोक सभा को भेज दिया गया था। नौवीं लोक सभा के विघटन के साथ ही विधेयक व्यपगत हो गया। तमिलनाडु विधान सभा के उस संकल्प को दृष्टि में रखते हुए, जिसमें उन्होंने राज्य विधान परिषद के पुनरुज्जीवन के लिए अपने पिछले संकल्प को विकसित कर दिया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जाने की आवश्यकता नहीं है।

कान्फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के शिष्टमण्डल का अमरीका का दौरा

4910. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कान्फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इडस्ट्री का कोई प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां पर जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमंडल की चर्चा अमरीकी सरकार तथा उद्योग को इस बात का संक्षिप्त ब्यौरा देने तक ही केन्द्रित रही कि दोनों देशों के बीच संस्थागत सम्पर्कों को सुदृढ़ करने के लिए भारत की औद्योगिक वित्तीय एवं व्यापार नीति में कौन से परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि पूंजी निवेश, संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी के अन्तरण के जरिए तथा भारत से साफ्टवेयर संघटक एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर भारत के विकास में अमरीकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। यह दौरा केवल गवेषणात्मक स्वरूप का था।

(ग) इस दौरे से दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापार सम्बन्धों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

विदेशी और आन्तरिक ऋणों तथा व्यापार घाटे का विकास दर पर प्रभाव

[हिन्दी]

4911. **श्री राम शरण यादव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की भारी अदायगी तथा विदेशी मुद्रा की कमी से विकास दर में गिरावट आने की सम्भावना है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितना व्यापार घाटा होने का अनुमान है और आन्तरिक तथा विदेशी ऋणों की ब्याज सहित कितनी राशि की अदायगी की जानी है; और

(ग) विकास दर में कितनी गिरावट आने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) ऋणों की वापसी अदायगी का देश की विकास दर पर सीमांत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, क्योंकि उधारों को कठोर सीमा के भीतर रखा जा रहा है। यदि विदेशी मुद्रा की कमी का निर्यात निष्पादन को मजबूत बनाने के उपायों द्वारा शमन नहीं किया जाता तो इसका विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। तथापि, सरकार का तेज निर्यात अभियान द्वारा विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने का प्रस्ताव है, ताकि हमारे विकास लक्ष्यों को हानि न पहुंचे।

वर्ष 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा हमारे निर्यात निष्पादन और अपने विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात स्तर पर निर्भर करेगा जिसे हम कायम रख सकते हैं। फिर भी, आशा की जाती है कि चालू वर्ष का व्यापार घाटा, पिछले वर्ष के 15,142 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे की तुलना में कम होगा। वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित ब्याज अदायगियों सहित आंतरिक और विदेशी उधार निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपये)

	निवल उधार	ब्याज अदायगियां
आंतरिक	38,545	24770
विदेशी*	4,224	2702

*इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों खातों की विदेशी सहायता शामिल हैं।

हाल ही में हुए उप चुनावों के दौरान बूथों पर कब्जा करना, हेराफेरी तथा अन्य अनियमितताएं

4912. **श्री मृत्युन्जय नायक :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री पी० सी० थामस :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री ललित उरांव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए उप चुनावों के दौरान बूथों पर कब्जा करने, हेराफेरी, हिंसा की अनेक घटनाएं तथा अन्य अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन बूथों पर पुनर्मतदान कराया गया उनकी निर्वाचन क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) 16 नवम्बर, 1991 को हुए प्रत्यादिष्ट/उप-निर्वाचनों के दौरान अनाचार के फलस्वरूप पुनर्मतदान कराए जाने या मतदान स्थगित किए जाने संबंधी एक विवरण संलग्न है। ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है जिनमें पुनर्मतदान कराना आवश्यक नहीं था क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी जानकारी का संकलन नहीं किया जाता है।

(ग) 23-कुड्डपा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं० 163 से 165 तक, 167 और 169 से 175 को छोड़कर, जहां मतदान स्थगित कर दिया गया था, विवरण में उल्लिखित सभी मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराए जाने के आदेश दिए गए थे।

(घ) से (च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 में कतिपय उपबन्ध हैं। तथापि, सरकार इस विषय में किए गए व्यापक प्रस्तावों पर, सम्पूर्ण निर्वाचन सुधारों के गहन अध्ययन करके विचार करेगी।

विवरण

तारीख 16-11-1991 को हुए प्रत्यादिष्ट/उप निर्वाचन के दौरान मतदान में हुए अनाचार के मामलों को दर्शाने वाला

ब्यौरा

निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्यांक	मतदान केन्द्र का संख्यांक	मतदान के दूषित हो जाने/अनाचार किए जाने के कारण
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
23—कुड्डप्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	7, 8, 9, 12, 13	मतपत्रों से भरी मत पेटी में पानी डाल दिया और मतपत्रों को फाड़ दिया।
154—कुड्डप्पा विधान सभा खंड	10	दो पेटियों में तेजाब डाल दिया और जला दिया।
	11, 118, 119, 120	मतपत्र छीन लिए गए।
	99, 99क, 100, 100क	एक भीड़ ने गड़बड़ी की और दूसरे ने पानी डाला।
	117	तेलगू देशम पार्टी के मतदान अधिकर्ता ने मत पेटी में पानी डाल दिया और भाग गया।
	135	एक भीड़ ने गड़बड़ी की। तेलगू देशम पार्टी के अधिकर्ता ने पानी डाल दिया।
	131	मत पेटी की पेपर सील के साथ छेड़छाड़ की और पानी डाल दिया। पीठासीन अधिकारी की डायरी फाड़ डाली।
	140	एक भीड़ ने गड़बड़ी की। दूसरी ने पानी डाल दिया।
	146, 147	कीचड़युक्त पानी डाल दिया।
	163, 164	मत पड़ी मत पेटियों में पानी डाल दिया।
	178, 179, 181	निर्वाचक नामावली की विधिवत् प्रति, मत पत्र फाड़ दिए गए और मत पेटियों में छेड़-छाड़ की गई।

1	2	3
23—कुड्डप्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	68, 70	मतपेटियों में पानी और स्याही डाल दी गई।
155—बडवल विधान सभा खंड	80	मतपेटियां छीन ली गई और कुएं में फेंक दी गई।
—यथोक्त—	163, 164 165, 167 169, 170	चक्रवात और भारी वर्षा के कारण मतदान पार्टियां, मतदान केन्द्रों पर समय से नहीं पहुंच सकीं।
	171, 172 173, 174 और 175	कम समुद्रम और वेमालूर के बीच की नदियों में बाढ़ आ गई थी और मतदान पार्टियां, इन नदियों को पार करके मतदान केन्द्रों पर विहित समय के भीतर नहीं पहुंच सकीं।
166—वेनुकोंडा सभा निर्वाचन क्षेत्र	64, 65 और 66	लगभग 12 बजे दोपहर में अनजान शरारती लोग मतदान केन्द्र में घुस गए और मत पड़ी मतपेटियों में द्रव और गोली डाल दी।
	असम	
5—बदरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	18, 67 80, 82 87, 89	शरारती लोगों ने मतपत्र छीन लिए उन पर चिन्ह लगाए और उन्हें मतपेटी में डाल दिया।
	बिहार	
49—पातेपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	129	असामाजिक लोगों ने मतदान अधिकारी की अभिरक्षा से, मतपत्रों से भरी मतपेटियां छीन लीं।
	140, 141	गोली चलने के कारण, 9.30 पूर्वाह्न के बाद मतदान रुक गया।
52—वैशाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	113, 122	मतदान केन्द्र के समीप हिंसा हुई और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।
	115	असामाजिक लोगों ने मतदान केन्द्र के समीप गोलियां चलाई जिनसे अनेक व्यक्ति घायल हो गए।
	135 और 136	मतदान केन्द्रों के समीप बम फोड़ा गया।

1	2	3
162—पोड़ैयाहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	4	मतपेटियां और हस्ताक्षरित मतपत्र जबरदस्ती छीन लिए गए।
	39	शरारती लोगों ने 104 मतपत्र छीन लिए, उन पर चिन्ह लगाए और मतपेटियों में डाल दिए।
213—पालीगंज, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	31, 29, 22 214	मतपत्र छीन लिए गए।
213—पालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	35, 36	असामाजिक लोगों ने बम फेंके और गोलियां चलाई।
	229	मतपत्र जबरदस्ती डाल दिए गए।
280—टुंडी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	118	कुछ अप्राधिकृत व्यक्तियों ने पीठासीन अधिकारी से 150 मतपत्र छीन लिए। कुछ फाड़ दिए गए तथा कुछ मतपेटियों में डाल दिए गए।
	151	असामाजिक लोग पीठासीन अधिकारी से दोनों मतपेटियां जबरदस्ती छीन ले गए। उन्होंने कुछ मतपत्रों को फाड़ दिया।
310—सिसई	129, 173	शरारती लोगों ने कुछ मतपत्र जबरदस्ती छीन कर कुछ मतपेटियों में डाल दिए।
18. बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
199—चंडी विधान सभा खंड	156	मतपेटी छीनी गई और उसमें गड़बड़ी की गई।
201—मोकामेह विधान सभा खंड	46	बड़ी संख्या में मतपत्र छीन लिए गए। चिन्हित निर्वाचक नामावली और अन्य सामग्री भी नष्ट कर दी गई। बूथ पर उपद्रव।
—यथोक्त—	47	बड़ी संख्या में मतपत्र छीने गए, निर्वाचक नामावली की प्रति छीन ली गई। नष्ट कर दी गई।
—यथोक्त—	48	प्रतिस्पर्धा सहित मतपत्र और पेपर सील, आदि छीन लिए गए।

1	2	3
—यथोक्त—	81	मतदान में प्रवीण की नई मतपेटियां कुएं में फेंक दी गई ।
—यथोक्त—	112	मतपेटी में गड़बड़ी की गई । मतपत्र बल-पूर्वक छीन लिए गए । बलात् मतपत्र डाले गए और बूथ पर कब्जा किया गया ।
—यथोक्त—	113	मतपत्र छीन लिए गए । पीठासीन अधिकारी को मतपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया । मतदान कार्मिकों को अभित्रस्त किए जाने और धमकी दिए जाने के कारण मतदान जारी नहीं रखा जा सका ।
—यथोक्त—	114	शरारती लोगों ने 50 मतपत्र फाड़ दिए । मतपेटी में गड़बड़ी की गई ।
—यथोक्त—	117	मतपत्र फाड़ डाले गए । मतपेटी में गड़बड़ी की गई । मतदान-सामग्री नष्ट कर दी गई । पेपर सील नष्ट कर दी गई । बूथ के बाहर अभित्रास ।
—यथोक्त—	118	मतपत्र और निर्वाचक नामावली छीन ली गई और फाड़ दी गई । मतपेटी में भी गड़-बड़ी की गई ।
—यथोक्त—	119	मतपेटी में गड़बड़ी की गई ।
—यथोक्त—	121	बूथ पर विघ्न डाला गया । मतपेटी, मतपत्र और मतदान की अन्य सामग्री छीन ली गई ।
—यथोक्त—	122	मतपत्र और मतदान की अन्य सामग्री छीन ली गई और फाड़ दी गई । मतपेटी में गड़-बड़ी की गई ।
—यथोक्त—	123	मतपत्र, पेपर सील और अन्य सामग्री नष्ट कर दी गई । मतपेटी में गड़बड़ी की गई ।
—यथोक्त—	124	असमाजिक लोगों ने मतपेटी में गड़बड़ी की । मतपत्र भी फाड़ दिए गए ।

1	2	3
201—मोलोमेह विधान सभा खंड	141	मतपत्र, निर्वाचक नामावली और मतदान की अन्य सामग्री को क्षति पहुंचाई गई। असमाजिक लोगों ने बूथ पर अव्यवस्था पैदा की।
—यथोक्त—	142	मतपेटी में बलपूर्वक मतपत्र डाले गए। निर्वाचक नामावली और मतदान की अन्य सामग्री छीन ली गई।
202—बाड़ विधान सभा खंड	63 (पूर्वी पार्श्व)	असमाजिक लोगों ने मतदान में विघ्न डाला। कुछ मतपत्रों को बलात् मतपेटी में डाला गया।
—यथोक्त—	63 (पश्चिमी पार्श्व)	—यथोक्त—
—यथोक्त—	133	मतपत्र छीने गए। मतदान कार्मिकों को अभित्रस्त किया गया।
—यथोक्त—	138	मतदान के दौरान शरारती लोग मतपेटी छीन ले गए।
—यथोक्त—	142	—यथोक्त—
—यथोक्त—	168, 169 और 170	बूथ के समीप हिंसा। एक व्यक्ति मारा गया। तीन व्यक्ति घायल हुए। मतपत्र छीने गए। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	182	शरारती लोग मतपेटी तथा समस्त मतदान सामग्री छीन ले गए।
—यथोक्त—	185	मतपत्र, मतपत्र लेखा और अन्य सामग्री नष्ट कर दी गई। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	186 और 187	मतपत्र और अन्य समस्त सामग्री नष्ट कर दी गई। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	188	मतपत्र और अन्य सामग्री नष्ट कर दी गई। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	210	बूथ पर विघ्न। मतपत्र छीने गए। सभी मतपत्र बलात् मतपेटी में डाल दिए गए। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।

1	2	3
203—बख्तियारपुर विधानसभा खंड	61	मतपत्र छीने गए। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	165	बड़ी संख्या में मतपत्र छीने गए, मतदान केन्द्र पर अतिरिक्त मतपत्र पहुंचाए गए किन्तु घटना के बाद कोई भी बूथ पर नहीं आया। मतपत्र भी बलात् मतपेटी में डाले गए।
—यथोक्त—	212	बड़ी संख्या में मतपत्र फाड़ दिए गए। निर्वाचक नामावली नष्ट कर दी गई। मतदान जारी नहीं रखा जा सका।
204—फतवा (अ०जा०) विधान सभा खंड	21	मतदान केन्द्रों में विघ्न डाला। मतपत्र फाड़ दिए। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
—यथोक्त—	85	मतपत्र फाड़े गए। मतपेटी छीन ली गई और गड़बड़ी की गई।
199—चांदी विधान सभा खंड	102	26 मतपत्र बलपूर्वक मतपेटी में डाले गए।
200—हरनौत विधान सभा खंड	102	बूथ पर कब्जा। पीठासीन आफिसर से मतपत्र छीने गए और बलपूर्वक मतपेटी में डाले गए। कुछ मतदान सामग्री को क्षति पहुंचाई गई। मतपेटी में गड़बड़ी की गई।
203—बख्तियारपुर विधान सभा खंड	85	शरारती लोगों ने मतपत्र अप्राधिकृत रूप से मतपेटी में ठूंस दिए।
21 मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
115—कुमारखंड विधान सभा क्षेत्र	5	दो समूहों के बीच झगड़े के कारण मतदान में विघ्न पड़ा।
	50, 50 ट 51	मतदान बूथों से लगभग 500 गज की दूरी पर दो समूहों के बीच गोली चली।
	84	लगभग 25 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा, जिसने कुछ समय के लिए बूथ पर कब्जा कर लिया था, लगभग 150 मतपत्र बलपूर्वक मोहर लगाकर मतपेटियों में डाल दिए गए। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।

1	2	3
	85	बाहर के लगभग 25 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लगभग 400 मतपत्र पर मोहर लगा कर मतपेटी में बलपूर्वक डाल दिए गए। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
116—सिंघेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	59, 60 61, 68 69	बूथ पर कब्जा हो जाने के कारण मतदान दूषित हो गया। (केन्द्रीय प्रेक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)।
	65	कुछ व्यक्ति मतपत्र, पेपर सील बलपूर्वक ले गए और हरिजनों को मतदान करने से रोका।
	73	कुछ व्यक्तियों ने कुछ मतपत्र नष्ट किए और बलपूर्वक पत्रों पर मोहर लगाई तथा उन्हें मतपेटी में डाला। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
	165	बाहर के कुछ व्यक्तियों ने मतपत्र नष्ट कर दिए और बलपूर्वक मतदान करके मतपेटी में डाल दिए। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
	166	मतदान कर्मियों को धमकाना, मतपत्रों को नष्ट करना, और कुछ मतों पर बलपूर्वक मोहर लगाना तथा मतपेटी में डालना। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
	177	बूथ के पीठासीन आफिसर द्वारा गश्ती तथा संग्रहण करने वाले दल को केवल कुछ मत-पत्र दिए गए। बूथ की मतपेटी उपलब्ध नहीं थी।
	171	कुछ व्यक्तियों द्वारा 12.45 बजे अपराह्न मतों की बलपूर्वक गणना और मतपत्रों को नष्ट करना। पीठासीन आफिसर ने मतदान को शून्य घोषित कर दिया और मतदान रोक दिया।
	178	कुछ व्यक्तियों ने कुछ समय के लिए बूथ पर कब्जा कर लिया, और मतपत्र ले गए और

1	2	3
		दुर्व्यवहार किया और मतपत्र ले गए। मतदान रोक दिया गया और मतदान पार्टी वहां से चली गई।
	180	बूथ पर मतों की बलपूर्वक गणना। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
129—खगेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	19	कुछ मत बलपूर्वक डाले गए। कुछ मतपत्र छीन लिए गए और मोहर लगाकर बाहर छोड़ दिए गए। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
	30	बूथ पर बम फेंका गया। आशंका की जाती है कि अनेक व्यक्तियों ने मतदान से अपने आपको अलग रखा है। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
	65	गोली बारी से 4 व्यक्ति छर्रों से घायल हुए और एक व्यक्ति विरोधी पार्टियों में ईंटें चलने से घायल हुआ।
	66, 67	बूथ लूट लिए गए।
	178	एक सौ पचास मतपत्र लूटे गए।
	227	बूथ से 500 गज की दूरी पर दो समूहों में टकराव हुआ जिसमें तीन व्यक्तियों को चोटें आयीं।
123—आलमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	18, 107	कुछ व्यक्ति बलपूर्वक मतपत्र ले गए और उन पर मोहर लगाई।
	8	कुछ व्यक्तियों ने मतपत्र नष्ट कर दिए। मतदाता सूची लेकर भाग गए और मतपेटी को पानी में फेंक दिया। मतदान के निष्पक्ष होने में सन्देह है।
43—गया (अनु० जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	38	मतपत्रों और अन्य निर्वाचन कागज पत्रों का लूटा जाना।
247—बेलागंज विधान सभा खंड	85	बक्सों का लूटा जाना और उनमें स्याही डाल देना।
	105	मतपत्रों का लूटा जाना।

1	2	3
	195	बलपूर्वक मतपत्रों का छीना जाना और उनका मतपेटियों में डाला जाना ।
248—कौच विधान सभा खंड	196	मतपत्र लूट लिए गए ।
249—गया मोफस्सिल विधान	111, 112	मतपत्र बलपूर्वक पेटियों में डाल दिए गए ।
सभा खंड	और 159	मतपेटियां और मतपत्र लूट लिए गए ।
252—गुरुआ विधान सभा खंड	17	मतपेटियों में पानी डाल दिया गया ।
	89, 90	मतपत्र लूट लिए गए ।
	189	मतपत्र बलपूर्वक मतपेटियों में डाल दिए गए ।
253—बोध गया (अ० जा०) विधान सभा खंड	24	मतपत्र बलपूर्वक मतपेटियों में ठूंसे गए ।
	25	मतदान में रूकावट डाली गई और मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया ।
	85	मत पेटियों में मोबिल/पानी डाला गया ।
	98	बड़े पैमाने पर बोगस मतदान की रिपोर्ट मिली ।
	166	मतपत्र बलपूर्वक ठूंसे गए ।
250—गया टाउन विधान सभा खंड		रिटर्निंग आफिसर ने ऐसे 48 मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराए जाने की सिफारिश की जो उस विधान सभा खंड में असामाजिक लोगों से मिलकर मतदाओं द्वारा बूथ पर कब्जा किए जाने और मताधिकार के प्रयोग किए जाने में बड़े पैमाने पर व्यवधान डाले जाने के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुए थे ।
		(उपाबन्ध)
		उस विधान सभा खंड में 225 मतदान केन्द्र के उनमें से लगभग 48 मतदान केन्द्र बूथ पर कब्जा किए जाने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए बूथ पर कब्जा किए जाने वाले मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या, जैसी कि उपाबन्ध में उल्लिखित है, स्पष्ट रूप से

1	2	3
		दर्शाती है कि ऐसा जघन्यतम अपराध विधान सभा खंड के मात्र कुछ भागों तक ही सीमित नहीं था बल्कि सम्पूर्ण विधान सभा खंड में किया गया था। विधान सभा खंड के सभी भागों में इतने बड़े पैमाने पर बूथ पर कब्जा किए जाने का प्रभाव उन मतदान केन्द्रों पर ही नहीं पड़ा, जिनके बारे में रिपोर्ट की गई है, बल्कि इससे उस विधान सभा खंड के समस्त निर्वाचकगण प्रभावित हुए हैं। आयोग को अन्य स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस विधान सभा खंड में व्यवधान के कारण हुआ मतदान पूर्णतया दूषित था। राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में छपी प्रेस रिपोर्ट दर्शाती हैं कि गया शहर में निर्वाचन प्रक्रिया को किस प्रकार निष्क्रिय कर दिया गया था। इसलिए आयोग ने 250 गया टाउन विधान सभा खंड में पुनर्मतदान कराए जाने के आदेश दिए।
250 -गया टाउन विधान सभा खंड	2 और 3	मतपेटियां लूटना और मतपत्र छीनना।
--यथोक्त--	5	मतपत्र छीने गए।
--यथोक्त--	6, 7 और 8	मतपेटियों में पानी डाला गया।
--यथोक्त--	9	मतपेटियों में पानी डाला गया मतपत्र लूटे गए।
--यथोक्त--	17 और 18	मतपत्रों का लूटा और छीना जाना, उनका बलपूर्वक मुद्रांकन और मतपेटियों में डाला जाना।
--यथोक्त--	30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 50 और 51	मतपत्रों का छीना जाना, उनका बलपूर्वक मुद्रांकन और मतपेटियों में डाला जाना।
--यथोक्त--	95, 96, 99 100, 107, 108, 109	समस्त मतदान सामग्री और मतपेटियां लूट ली गई।

1	2	3
—यथोक्त—	110	मतपत्र छीने गए और पेटियों में तेजाब।
—यथोक्त—	111	मतपत्र छीने गए।
—यथोक्त—	127, 128, 129 और 129 (के)	मतपेटियां लूटी गई।
—यथोक्त—	136, 138, 139, 140, 141 और 155	मतपेटियां लूट ली गई और मतपेटियों में पानी डाल दिया गया।
—यथोक्त—	161	मतपेटियां लूट ली गई।
—यथोक्त—	171 (के)	शतप्रतिशत मतपत्र बलपूर्वक डाले गए।
—यथोक्त—	177	मतपत्र बलपूर्वक मतपेटियों में ठूंसे गए।
—यथोक्त—	182	मतपत्र नष्ट किए गए।
—यथोक्त—	184	मतपत्र नष्ट किए गए और मतपेटी में बलपूर्वक ठूंसे गए।
—यथोक्त—	195, 200, 200 और 203	पेड और क्रांस एरो चिन्ह छीन ले गए। मतदान में व्यवधान डाला गया।
—यथोक्त—	208 और 213	मतपत्र/मतपेटियां लूट ली गई।
	मध्य प्रदेश	
55—हटा विधान सभा क्षेत्र	70, 72 और 73 के ए	कुछ शरारती लोग मतदान बूथ सं० 70, 72 और 73 के में बलपूर्वक घुसे और कुछ मतपत्र छीन ले गए। इन बूथों के पीठासीन अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि इन मतपत्रों को मुद्राकित करने के पश्चात् शरारती लोग इनमें से कुछ मतपत्र मतपेटियों में डाल गए और शेष अपने साथ लेकर चले गए। छीने गए मतपत्रों की पहचान नहीं की जा सकी। आयोग ने इन तीन बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए।
89—प्रेमनगर (अ० जा०)	72	कुछ शरारती लोगों ने मतपत्र सं० 67507 से 67529 तक अर्थात् कुल 23 मतपत्र

1	2	3
		छीन कर गलत तरीके से मतपेटियों में डाले जिनकी गणना करते समय पहचान की जा सकती है और अस्वीकार किए जा सकते हैं। इस मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान आवश्यक नहीं समझा गया।

मध्य प्रदेश में सूत कताई मिलें

4913. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बहुत अधिक रूई का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां उत्पादित रूई के अधिकतम उपयोग के लिए राज्य में पर्याप्त संख्या में सूत कताई मिलें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में सूत कताई मिलें स्थापित करने का है; और

(ङ) ये मिलें कब तक स्थापित हो जायेंगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के कपास मौसम के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित कपास की मात्रा क्रमश: 2.03 लाख गांठ, 13.40 गांठ तथा 16.00 लाख गांठ थी। देश के विभिन्न राज्यों में कपास के मात्रा-वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का औसतन चौथा स्थान है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 82 एककों को मध्य प्रदेश राज्य में कताई तथा मिश्रित मिलों की स्थापना करने के लिए 19.44 लाख तकुओं और 31, 153 रोटरों की कुल क्षमता के लाइसेंस/पंजीकरण जारी किए गए। इन सभी 82 एककों की वार्षिक औसत कपास खपत 170 किलोग्राम वाली लगभग 8.39 लाख गांठें हैं मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष 13.81 लाख गांठों की औसत कपास प्रेसिंग को ध्यान में रखते हुए राज्य में उगाई गई कपास राज्य में लाइसेंस शुदा/पंजीकृत कताई क्षमता से भी अधिक है।

(घ) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में सूती कताई मिल स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों को रोजगार

4914. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बुनकरों को रोजगार देने के लिए कोई नई योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) रोजगार प्रदान करने की वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के निस्सहाय बुनकरों को निरन्तर और लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित कराने और हथकरघा प्रधान ग्रामों के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में दो नई योजनाएं तैयार की हैं और उनकी घोषणा की है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :—(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी और (2) एकीकृत हथकरघा ग्रामों का विकास।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन के लिए घोषित निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी नामक योजना में निस्सहाय बुनकरों को सहकारिता के माध्यम से वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान है। इस योजना में प्रत्येक निस्सहाय सदस्य को 2000 रुपये की दर से और प्रत्येक समिति को 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक सहायता दी जा सकती है। 1991-92 के दौरान ही कार्यान्वयन हेतु घोषित "एकीकृत हथकरघा ग्रामों का विकास" नामक योजना के अन्तर्गत देश में फैले कुछ चुनिंदा हथकरघा ग्रामों का विकास करने की योजना है जिसमें बुनाई शिल्प में कमजोर ग्रामों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उनकी निपुणता, उत्पादकता, अवस्थापना आदि में सुधार हेतु सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी।

अफीम उत्पादकों की समस्याएं

[अनुवाद]

4915. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अफीम उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या समान्यतया देश में तथा विशेष तौर पर राजस्थान के मालवाड़ जिले में अफीम के उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अफीम उत्पादकों को न मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, राजस्थान के झालवाड़ क्षेत्र सहित देश में अफीम के उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में मामूली-सी कमी हुई थी।

(ग) अफीम के उत्पादन में कमी "मोहिल्ला" नामक रोग और वर्षा आदि से पोस्त की फसल को क्षति पहुंचने के कारण हुई थी। अफीम के उत्पादकों की मुख्य समस्या यह है कि फसल खराब हो जाने के कारण कुछ कृषक अपने लाइसेंसों के नवीकरण के लिए अपेक्षित अर्हकारी न्यूनतम फसल पैदा नहीं कर पाते हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी से सम्बन्धित नीति-गत मार्गनिर्देशों को तैयार करते समय, सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान पोस्त की फसल को हुई क्षति को ध्यान में रखा है। लाइसेंस की मंजूरी के लिए न्यूनतम अर्हकारी पैदावार की मात्रा नहीं बढ़ाई गई

है, बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को कायम रखा गया है। इसके अलावा, जिन कृषकों के गांवों में वर्ष 1990-91 के दौरान कीड़े-मकोड़ों और वर्षा, आदि के कारण पोस्त की फसल को भारी/कुछ नुकसान हुआ था और जिन-जिन गांवों के सम्बन्ध में ऐसे नुकसान की रिपोर्ट की गई थी तथा जिसका विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया था, उन्हें वर्ष 1991-92 के लिए लाइसेंसों की मंजूरी का हकदार बना दिया गया है भले ही उन्होंने अहंकारी पैदावार की मात्रा से कम फसल दी हो। इन उपा ं अतिरिक्त और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषकों के लाइसेंस केवल इस आधार पर रद्द न किये जायें कि उनकी अहंकारी पैदावार में मामूली सी कमी हुई है, भारत के नारकोटिक्स आयुक्त को अनुदेश दिए गए हैं कि 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पैदावार में हुई कमी को माफ कर दिया जाये।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4916. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुदान राशि देने की निर्धारित शर्तों को राज्यों द्वारा पूरा किए जाने बिना ही किसी राज्य को केन्द्रीय सहायता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसा किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों को भी अनुदान दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) राज्यों को उनकी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता मासिक किस्तों में रिलीज की जाती है जिसे वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने वाले राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर प्रत्याशित व्यय के विवरण के आधार पर समायोजित किया जाना होता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बाह्य अभिकरणों द्वारा प्रति अदायगी के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाती है। दोनों मामलों में धनराशि रिलीज किए जाने के लिए कोई शर्तें निर्धारित नहीं की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को ऋण

[हिन्दी]

4917. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने महाराष्ट्र में बड़े औद्योगिक घरानों को कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया;

(ख) क्या स्वीकृत राशि सभी औद्योगिक घरानों को दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों के आंकड़े उसके

द्वारा राज्यवार इकट्ठे नहीं किए जाते ।

(ख) से (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त परियोजना-आकलन

4918. **श्री बिलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 19 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित और केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत परियोजना-आकलनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं और योजनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के 17 प्राक्कलनों में से 13 प्राक्कलनों को मंजूरी दे दी गई है और शेष चार के सम्बन्ध में राज्य लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसियों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

(क) मंजूर की गई परियोजनाएं

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)	टिप्पणी
1.	एन०एच०-6 के नागपुर-रायपुर खंड में 39/1 मील पर वान गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण	24.98	
2.	एन०एच०-4 के 655/0-669/0 कि०मी० में मौजूदा दोहरी लेन के खंडों को मजबूत बनाना	179.20	
3.	एन०एच०-9 के 316/370 कि०मी० में कमजोर पुलिया का पुनर्निर्माण	2.12	
4.	एन०एच०-4 पर पुणे-बंगलौर रोड पर कटराज घाट का सुधार, सड़क कार्य (826/0-833/0 कि०मी०)	24.42	

1	2	3	4
5.	699/0 से 824/0 कि०मी० में जी०आई० पाइपरेलिंग, एम० एस० चैनल पोस्ट सुलभ करा के सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार	23.55	
6.	पुणे-बंगलौर रोड 826/0-833/0 कि०मी० पर कटराज घाट का सुधार मौजूदा सी डी कार्यों को चौड़ा करना	11.85	
7.	पुणे-सोलापुर रोड एन०एच०-9 के 100/015 से 115/100 कि०मी० में एम०एस० चैनल पोस्ट और जी० आई० पाइप सुलभ कराके सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार	11.85	
8.	रायपुर-नागपुर पर 521/800 कि०मी० में कनहन नदी पर पुल एन० एच०-6	657.64	
9.	एन०एच०-6 के नागपुर-एदलाबाद खंड के 119.90 कि०मी० में पुल	20.74	
10.	एन०एच०-6 के 172.10 कि०मी० में पुल	24.75	
11.	नागपुर-एदलाबाद के 504/865 कि०मी० में पुल एन०एच०-6	14.20	
12.	नागपुर-हैदराबाद खंड के 48/5 कि०मी० में पुल, एन०एच०-7	9.93	
13.	नागपुर-हैदराबाद खंड के 43/7 कि०मी० में पुल एन०एच०-7	11.86	
		1017.09	

अर्थात् 10.17 करोड़ रु०

(ख) परियोजनाएं जिनके सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग/अन्य एजेंसियों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

1.	439 से 497 कि०मी० में एन०एच०-8 को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना	9300.00	विश्व बैंक परियोजना योजना आयोग से ई० एफ०सी० स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1	2	3	4
2.	पानवेल बाई पास का निर्माण, एन०एच०-4	5300.00	प्राक्कलनों को अद्यतन बनाने के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।
3.	एन०एच०-6 पर 33/409 कि०मी० में सी० डी० कार्यों का संवर्द्धन	1.99	राज्य लोक निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
4.	एन०एच०-4 के 592/241 से 833 कि०मी० एन०एच०-4 के कोल्हापुर-पुणे खंड को चौड़ा करने के लिए सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल कार्य	27.35	—वही—
		14629.34	

अर्थात् 146.29 करोड़ रुपये

आयरलैंड में भारतीय निवेश

[अनुवाद]

4919. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयरलैंड में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेश में भारतीय निवेश इस उद्देश्य के लिए बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की परिधि के अन्तर्गत किया जाता है और विशेष प्रस्तावों को इस आधार पर जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में और अधिक बैंक शाखाओं की स्थापना

4920. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :

श्री राम सागर :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बैंकवार उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में अलग-अलग जिलेवार बैंकों की शाखाएं खोले जाने के लिए कितने लाइसेंस लम्बित हैं; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन शाखाओं को खोलने जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बकाया लाइसेंसों की जिलावार स्थिति और शाखा खोलने के लिए प्रस्तावित स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं :—

उत्तर प्रदेश :

जिला	केन्द्र	बैंक
1. आजमगढ़	1. सिकरोरा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
	2. महेशपुर	—तदैव—
2. बहराईच	1. मच्छरियावन (इस केन्द्र को उसी खण्ड के मेमरी चक पिहानी में प्रतिस्थापित किया जाता है)	इलाहाबाद बैंक
3. बलिया	1. इब्राहिम पट्टी	न्यू बैंक आफ इंडिया
4. बाराबंकी	1. अयोध्यानगर बाबंकी	—तदैव—
5. बाली	1. बेलवा	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
	2. कन्नीजोत	भारतीय स्टेट बैंक
	3. चलिमारी बाजार	—तदैव—
	4. कोटिया बाजार	—तदैव—
6. देवरिया	1. शाहबाजपुर	भारतीय स्टेट बैंक
7. चमोली	1. केदारनाथ तीर्थस्थान	भारतीय स्टेट बैंक
	2. कौलसारी	—तदैव—
8. फर्रुखाबाद	1. कुसुमखेड़ा	बैंक आफ इंडिया
9. हरदोई	1. मलौथा	तदैव—
10. पौड़ी गढ़वाल	1. रीताखाल	—तदैव—
	2. शंकरपुर	भारतीय स्टेट बैंक
	3. किगोड़ीखाल	—तदैव—
	4. हल्दुखाल	—तदैव—
	5. खेड़ाखाल	—तदैव—
	6. खण्डसाई	पंजाब नेशनल बैंक
	7. नरौन	भारतीय स्टेट बैंक
	8. देबियोखाल	पंजाब नेशनल बैंक
	9. गैंडखाल	—तदैव—
	10. छैलूसाई	—तदैव—

1	2	3
11. पीलीभीत	1. खाकुमा	बैंक आफ बड़ोदा
12. पिथौरागढ़	1. बांसागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
13. टिहरी गढ़वाल	1. अखोरी	पंजाब नेशनल बैंक
	2. भरोरागढ़	यूनियन बैंक आफ इंडिया
	3. खमन्द	—तदैव—
14. रामपुर	1. लालपुर	बैंक आफ बड़ौदा
गुजरात		
1. भरूच	1. गान्धार	बैंक आफ बड़ौदा
	2. सामोद	देना बैंक
2. कच्छ	1. भीवनदियारा	देना बैंक
	2. राहपड़	भारतीय स्टेट बैंक
3. बड़ोदरा	1. जी०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र वघोडिया	भारतीय स्टेट बैंक
	2. अम्बाला	देना बैंक
	3. कुकरेला	—तदैव—

वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाओं की वृद्धि पर्याप्त आवश्यकता, कारोबार की क्षमता और प्रस्तावित शाखा की अर्थक्षमता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाओं का खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में लाइसेंस जारी कर नियंत्रित करता है। अतः उत्तर प्रदेश और गुजरात में खोली जाने वाली शाखाओं की जिलावार प्रस्तावित संख्या इस समय बता पाना सम्भव नहीं है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान और गुजरात को दिया गया ऋण

4921. **श्री महेश कनोडिया :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990 और 1991 के दौरान अब तक राजस्थान और गुजरात को बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितने लोग इससे लाभान्वित हुए ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह : (क) और (ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (अगस्त, 1991) की अवधि के दौरान गुजरात और राजस्थान राज्यों में समन्वित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत संवितरित बैंक ऋण की कुल राशि और लाभ प्राप्त हिताधिकारियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :

(हिताधिकारियों की संख्या लाखों में)

(करोड़ रुपये)

गुजरात

वर्ष	सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या	संवितरित ऋण की राशि
1989-90	1.02	33.92
1990-91	0.72	27.93
1991-92 (अगस्त 1991 तक)	0.18	7.94
राजस्थान		
1989-90	1.59	44.37
1990-91	1.36	47.38
1991-92	0.20	9.37

सितम्बर 1989 और सितम्बर 1990 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त अवधि के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों में नए 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में खातों की संख्या और उनके द्वारा दिए गए ऋण की बकाया राशि निम्नलिखित है :—

(खातों की संख्या)

(राशि करोड़ रुपये)

राज्य	सितम्बर 1989		सितम्बर 1990	
	खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि
गुजरात	12.85	558.30	12.22	613.77
राजस्थान	8.16	493.16	9.13	529.37

आंकड़ा सूचना प्रणाली से उपर्युक्त सूचना जिलावार प्राप्त नहीं होती है।

मन्नार की खाड़ी में आतंकवादी गतिविधियां

4922. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्नार की खाड़ी में आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा कितने मछुआरों को मार दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए नौसेना/तटरक्षक ने अपनी गश्त/हवाई सर्वेक्षण मन्नार की खाड़ी तक बढ़ा दी है ।

(ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मन्नार की खाड़ी में उग्रवादियों द्वारा 7 मछुआरों के मारे जाने की खबर है ।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । तथापि, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने छः मछुआरों के निकटतम सम्बन्धियों को मुख्यमंत्री लोक सहायता कोष से 12,000.00 रु० की राशि प्रदान की है । एक मछुआरे के निकटतम सम्बन्धी को राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी समिति संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 15,000.00 रु० दिए गए थे क्योंकि मृतक मछुआरा उक्त समिति का सदस्य था ।

जूट से विविध सामान बनाने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

4923. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का कलकत्ता में जूट से विविध सामान बनाने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि पटसन विविधीकरण के लिए कलकत्ता में एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जाए जिसका क्षेत्रीय केन्द्र नोएडा में हो।

(ख) केन्द्र अनुसधान विकास संस्थानों से उद्यमियों को प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सहायता प्रदान करेगा, उद्यम सम्बन्धी विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य एजेंसियों और उद्यमियों के बीच सम्बन्ध की व्यवस्था करेगा, अनुसंधान विकास संस्थानों, विनिर्माता फर्मों तथा अन्त-प्रयोक्ता उद्योगों के बीच विविधीकृत पटसन माल के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए पारस्परिक सम्बन्ध की व्यवस्था करेगा तथा प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में बाजार सर्वेक्षण, प्रचार तथा संवर्धनात्मक अभियान भी चलाएगा ।

(ग) केन्द्र के कुछ क्रियाकलाप वर्ष 1991-92 में शुरू हो जायेंगे ।

महिला निवेशकों हेतु जीवन बीमा निगम की म्यूचुअल फण्ड योजना

4924. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फण्ड ने महिला निवेशकों के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फण्ड की "धनलक्ष्मी" योजना के अन्तर्गत भारत की महिला निवासी नागरिकों के लिए 10-10 रुपये के अंकित मूल्य वाली यूनिटों की बिक्री की परिकल्पना की गई है। पुरुष निवासी केवल द्वितीय और/अथवा तृतीय आवेदनकर्ता के रूप में ही आवेदन कर सकते है। लेकिन, अयस्क महिला नागरिक अपने-अपने माता-पिता/सौतेले माता-पिता/अभिभावक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत लाभांश के भुगतान के लिए दो विकल्प रखे गए हैं—नम्य (फ्लेक्सिबल) लाभांश योजना (विकल्प 1) जिसमें प्रत्येक लेखा वर्ष के अन्त में घोषित लाभांश विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ एक ही किस्त में अथवा बराबर-बराबर की 2 या 3 या 4 किस्तों में देय होगा तथा लाभांश संचय योजना (विकल्प 2) जिसमें घोषित लाभांश की राशि का योजना में स्वत: पुनर्निवेश कर दिया जाएगा और उसके एवज में अतिरिक्त यूनिट उस समय प्रचलित बिक्री मूल्य पर दे दिए जायेंगे।

गुजरात के जामनगर और भावनगर जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

4925. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने के लिए क्या दिशा निर्देश है;

(ख) गुजरात के जामनगर और भावनगर जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर 1991 तक कहां-कहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली गयीं; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में उक्त जिलों में कहां-कहां पर इन बैंकों की शाखाएं खोलने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनके परिचालन के क्षेत्रों में नई शाखाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर, विशेष रूप से ऐसी शाखाओं की अर्थक्षमता, ग्रामीण ऋणों सम्बन्धी सेवा क्षेत्र योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यक विवरण सहित पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के अग्रणी बैंक को दी जानी होती है। सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद अग्रणी बैंक उसे सिफारिश एवं सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। अत: शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है और गुजरात के जामनगर और भावनगर जिलों मे अगले तीन वर्षों के दौरान खोली जाने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) जामनगर जिले के सम्बन्ध में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के वास्ते गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया था। भावनगर जिले मे

31 अक्तूबर, 1991 तक गत तीन वर्षों के दौरान सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक ने 8 शाखाएं खोली हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	केन्द्र
1.	बाजूद
2.	बोदाननेस
3.	हाजीपुर
4.	मांडवी
5.	मोटा सराना
6.	मारवा
7.	ताजपुर
8.	टाटम

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फटे फटे नोट स्वीकार करना

4926 **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनता से फटे-फटे नोट स्वीकार करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाओं को, जनता के मैले और कुछ प्रकार के फटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं को भी शक्तियां (भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमावली, 1975 के तहत) प्रदत्त की है जहां करेंसी चेस्ट हैं ताकि वे खराब नोटों के दावों का निपटान कर सकें। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों पर फटे-फटे और मैले नोटों को बदलने की सुविधा जनता को उपलब्ध करवा रहा है।

गैर-सरकारी बीमा तथा बैंकिंग कम्पनियां

[हिन्दी]

4927. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 नवम्बर, 1991 तक जीवन बीमा, सामान्य बीमा तथा बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या सरकार को इन कम्पनियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने किसी भी गैर सरकारी कम्पनी को जीवन बीमा या साधारण बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं दी है। बैंकिंग कारोबार करने के लिए जिन कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस जारी किए है उनके ब्यौरे एकक किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियां रद्द किया जाना

49 8. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम की पालिसियों का प्रीमियम मध्यावधि में ही बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप पालिसियां रद्द हो जाने के कारण जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी धन-राशि एकत्र की गयी;

(ख) क्या जिन पालिसी-धारकों की पालिसियां रद्द की जाती है उन्हें अनुपातिक भुगतान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) ऐसी जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत कोई भी राशि उपचित नहीं होती जो पालिसी के प्रथम 3 वर्षों के दौरान समय पर प्रीमियम अदा न करने के कारण कुछ भी चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना व्यपगत हो जाती है चूंकि पालिसी प्राप्त करने की लागत और उसके प्रारम्भिक खर्च पालिसी के अन्तर्गत वसूल किए गए प्रीमियम से अधिक होते हैं । यदि पालिसी चुकता मूल्य प्राप्त करने के बाद व्यपगत होती है तो पालिसी रद्द नहीं की जाती लेकिन जीवन बीमा कवच समानुपातिक रूप में घटे हुए मूल्य पर, जिसे चुकता मूल्य कहा जाता है, बना रहता है और उसकी अदायगी मृत्यु हो जाने पर या पालिसी के परिपक्व होने पर दावे के समय उपचित बोनस सहित, यदि कोई हो, पालिसी धारक अथवा उसके नामांकित व्यक्तियों या कानूनों उत्तरा-धिकारियों को कर दी जाती है ।

तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4929. **श्री बी० देवराजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार को पौष्टिक दोपहर भोजन योजना प्रारम्भ करने तथा स्कूल जाने वाले बच्चों और वृद्ध महिलाओं को जूते देने के प्रयासों में सहायता देने के लिए अभी तक कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने उक्त उद्देश्यों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) ये स्कीमें तमिलनाडु सरकार के दोनों-योजनागत तथा योजना भिन्न बजट में शामिल हैं। योजनागत स्कीमों के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता सकल ऋण और सकल अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी परियोजना विशेष से जुड़ी नहीं होती है। तमिलनाडु के चालू वर्ष के योजना परिव्यय की पूर्ण वित्त व्यवस्था राज्य के अपने संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता से की गई है। योजना-भिन्न के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों की वित्त-व्यवस्था राज्य के अपने संसाधनों में से की जाती है।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गयी है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर स्थित आयुद्ध कारखाना

[हिन्दी]

4930. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित आयुद्ध कारखाने में प्रमुख रूप से जिन शस्त्रों का निर्माण किया जाता है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस आयुद्ध कारखाने में निर्मित शस्त्रों की भी सप्लाई हेतु निजी कम्पनियों और कन्ट्रेक्टरों के साथ कोई समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शस्त्रों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस कारखाने के कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) आयुद्ध निर्माणी, कानपुर में किसी पूरे आयुध का निर्माण नहीं किया जाता है। इस निर्माणी में आयुद्धों के निर्माण में उपयोग में आने वाली एसेम्बलियों/संघटकों तथा विभिन्न किस्म के गोला बारूद के हार्डवेयर का निर्माण ही किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट में मछुआरों को नौकरियों में आरक्षण

[अनुवाद]

4931. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछुआरों को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट में नौकरियों में आरक्षण सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और फ्रांस के बीच व्यापार

4932. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत और फ्रांस के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार ने भारत-फ्रांस सहयोग बढ़ाने तथा भारत में फ्रांस से और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का पता भी लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत तथा फ्रांस के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं : (i) आधिकारिक एवं मंत्री स्तर पर नियमित द्विपक्षीय चर्चाएं, व्यापार तथा उद्योग सम्बन्धी शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान तथा (ii) व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना।

(ख) और (ग) भारत में फ्रांस का निवेश बढ़ाने के लिए अभिज्ञात कुछ सम्भावित क्षेत्र हैं; कम्प्यूटर सापटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण दूरसंचार, प्रदूषण नियन्त्रण, रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा आदि।

अन्तर्बन्दरगाह माल ढुलाई का नौवहन टन भार

4933. **श्री जीवन शर्मा** :

श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना नौवहन टन भार उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का अन्तर्बन्दरगाह माल ढुलाई के लिए नौवहन टन भार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 30-11-1991 की स्थिति के अनुसार 0.65 मिलियन डैडवेट टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) के तटीय और विदेश गामी दोनों प्रकार के 44 जहाज।

(ख) और (ग) कार्यों के अन्तर पत्तन संचलन के लिए नौवहन टन भार बढ़ाने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि ऐसे जहाजों के अधिग्रहण के लिए जब भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, इन पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

नए जहाजों को खरीदना

4934. **श्री जीवन शर्मा :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण नए जहाजों को खरीदने में रुकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जहाजों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप माल की ढुलाई के लिए विदेशी जहाजो पर निर्भरता बढ़ने से विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इन विदेशी नौवहन लाइनों को अदा किए जाने वाले माल भाड़े के कारण सरकार द्वारा कितनी धनराशि (विदेशी मुद्रा में) खर्च की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान मुक्त विदेशी मुद्रा की कमी ही भारतीय नौवहन उद्योग द्वारा जहाजों की कम खरीद का मुख्य कारण रही है ।

(ख) इसका सही-सही असर अभी स्पष्ट नहीं है ।

(ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय की कुल राशि को ठीक-ठीक आंका नही जा सकता । तथापि, 1990-91 के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार में भारतीय लाइनों का भाग अनन्तिम रूप से 35.6% आंका गया है और शेष कार्गो विदेशी लाइनों द्वारा ढोया जा रहा है जिसके लिए भाड़ा विदेशी मुद्रा में दिया जाता है ।

बैंकों में अप्रवासी भारतीय के लिए "सिंगल विंडो" सुविधा प्रदान करना

4935. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अप्रवासी भारतीयों को लेखा प्रबन्ध पूंजी निवेश, पोर्टफोलियो के प्रबन्ध, कराधान के लिए परामर्श प्रदान करने आदि जैसी सेवाओं के लिए "सिंगल विंडो" सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र खोले हैं;

(ख) ऐसी बैंक शाखाएं कहां-कहां है जहां ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इस पर अप्रवासी भारतीय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक इस प्रयोजन के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक ने बम्बई और नई दिल्ली में अपनी शाखाएं खोली है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बाईपीन में अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर उतारने-चढ़ाने का टर्मिनल

4936. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाईपीन, कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर उतारने-चढ़ाने का टर्मिनल शुरू करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) बाईपीन पर कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन बन्दरगाह और कोचीन उप-मार्ग के बीच सड़क का निर्माण

4937. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन उप-मार्ग को कोचीन बन्दरगाह से जोड़ने वाली संयोजक सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संयोजक सड़क के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-47ए की लिंक सड़क जो 5.92 कि० मी० लम्बी है और कोचीन बन्दरगाह को कोचीन बाईपास से जोड़ती है, का दो चरणों में निर्माण करने का प्रस्ताव है। परियोजना का प्रथम चरण जिसकी लम्बाई 3.75 कि० मी० है पर कार्य चालू है, तथा इसमें बेन्दुरुथी नदी पर एक पुल का निर्माण, एक छोटा पुल, भूमि सुधार, सड़क को तटबन्द करना इत्यादि शामिल है। बेन्दूरुथी पुल पूरा हो चुका है और प्रथम चरण के शेष कार्यों के दिसम्बर, 1992 तक पूरा होने की आशा है। चरण-II जिसकी लम्बाई 2.17 कि० मी० है, के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। चरण-II के निर्माण कार्य, जिनमें दो पुल, एक पुल पर रेल लाईन, पुलों सहित सम्पर्क मार्गों का निर्माण शामिल है, को 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है। चरण-II के पूरा होने का अन्तरिम लक्ष्य मार्च, 1996 है।

कोचीन पोत-कारखाने को राजसहायता

4938. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पोत कारखाने में बनाए गए जहाजों के लिए राजसहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोत कारखाने के आर्डर-बुक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस पोत-कारखाने के कार्य में विविधता लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धीब्यौरा क्या है;

(च) क्या पोत कारखाने में बनाए जाने वाले जहाजों के लिए किसी नए लागत मूल्य फार्मूले को अपनाए जाने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस पोत कारखाने को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां।

सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा निर्मित समुद्रगामी जहाजों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में 1987 में सब्सिडी को 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की गई थी और यह विचाराधीन है।

(ग) शिपयार्ड के पास इस समय दो क्रूड आयल टैंकरों के निर्माण के आर्डर हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 86000 डी० डब्ल्यू० टी० है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) कोचीन शिपयार्ड को 1990-91 के दौरान दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत और सोवियत रूस के बीच आयात-निर्यात

4939. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 से आज तक सोवियत रूस और भारत के बीच कुल कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात हुआ है;

(ख) क्या सोवियत रूस ने भारतीय निर्यातकों को निर्यात बिलों का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो 31 अक्तूबर, 1991 को कितनी राशि बकाया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या विचार है कि सोवियत रूस द्वारा भारतीय निर्यातकों को 1991 के व्यापार समझौते की समयावधि के अन्तर्गत भुगतान किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त नवीनतम अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी-सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान सोवियत संघ को 2849 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ तथा वहां से 1845 करोड़ रुपए का आयात हुआ।

(ख) से (घ) सरकार को ऐसे अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि सोवियत संघ को किए गए निर्यात का भुगतान करने में असाधारण देरी की गई है। यद्यपि देरी से भुगतान के मामले में सरकार को सूचित करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी 31 अक्तूबर, 1991 को बकाया राशि उपलब्ध नहीं है। जिन मामलों के बारे में सरकार को बताया गया था, उन मामलों को सोवियत अधिकारियों के साथ उठाया गया और तब से भुगतान कर दिए गए हैं या बकाया रशि के जल्दी भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है।

भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार परिषद

4940. **श्री सुधीर गिरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और वियतनाम द्वारा संयुक्त व्यापार परिषद का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वियतनाम में कुछ क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने वियतनाम में संयुक्त उद्यमों का कोई विशेष अध्ययन शुरू नहीं किया है। लेकिन सरकारी द्विपक्षीय वार्तालाप में इस क्षेत्र में सम्भावना व्यक्त की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न उद्योगों के लिए मशीनरी, औषध तथा भेषज और परियोजना मदें ऐसी अभिज्ञात मदें हैं जिनकी वियतनाम बाजार में बिक्री की अच्छी सम्भावना है। वाणिज्य उपमन्त्री की हाल की वियतनाम यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और प्रति-व्यापार सम्भावनाओं को बढ़ाने पर प्रकाश डाला गया। वियतनाम में भारतीय संयुक्त उद्यम की संभावना के लिए राक फास्फेट और साइकिल उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों का उल्लेख किया गया।

भवन निर्माण उद्योग के लिए विश्व बैंक की सहायता

4941. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में भवन निर्माण उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के नियम तथा शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों द्वारा अचल सम्पत्ति व्यापार क्षेत्र को ऋण

4942. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 9 अक्टूबर, 1991 की सभी स्तरों पर अचल सम्पत्ति के लिए ऋण देना बन्द करने के आदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता द्वारा इसके कारण आवासीय समस्याओं पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991-92 के उत्तरार्ध के लिए ऋण नीति के भाग के रूप में, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 9 अक्टूबर, 1991 से स्थावर सम्पदा ऋणों सहित किन्हीं क्षेत्रों के बकाया ऋण में वृद्धि न हो। इस उपाए का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किन्हीं क्षेत्रों, जिनमें स्थावर सम्पदा भी शामिल है, में चलने वाले सट्टे के कार्यकलापों में बैंकिंग उद्योग सहयोग प्रदान न करें ।

(ग) बैंकों द्वारा आवास वित्त के लिए लक्ष्य के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ऋणों पर, अर्थात् मार्च, 1990 के अन्तिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के मुकाबले में मार्च, 1991 के अन्तिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की तदनुरूप अवधि में बैंक के वृद्धिशील जमा के 1.5 प्रतिशत के बराबर ऋणों पर, ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ।

विदेशी पूंजी निवेश

4943. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक निर्यात संगठनों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि देश में विदेशी पूंजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निवेश-कर्त्ता के आवेदनों पर निर्णय को लघु समयावधि में उन्हें बनाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिनांक 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक की विदेशी भागीदारी में सीधे पूंजी निवेश हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का स्वत: अनुमोदन मिलने का प्रावधान है। अगर विदेशी भागीदारी से आयातित पूंजीगत माल की विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं पूरी होती हों और जिसमें प्लांट और मशीनरी निश्चित रूप से ऐसी हों जो नई हों और पुरानी नहीं हों। विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक 15 दिनों की अवधि के अन्दर स्वीकृति प्रदान कर देता है।

सिंथेटिक और रेयन कपड़ों का निर्यात

4944. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में सिंथेटिक और रेयन कपड़ों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल-सितम्बर 1991 के महीनों के दौरान कितने रुपए मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) भविष्य में इन जिसों के निर्यात की क्या सम्भावनायें हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल-सितम्बर, 1991 में सिंथेटिक और रैयन वस्त्रों के निर्यात 472 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1990 की इसी अवधि के दौरान इनके निर्यात 290 करोड़ रुपये मूल्य के हुए थे। निर्यात की मौजूदा दर से वर्ष 1991-92 के लिये निर्धारित 825 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात लक्ष्य को संभवत: पूरा कर लिया जाएगा।

नौवहन कम्पनियों को "एक्जिम स्क्रिप्स" की सुविधाएं देना

4945. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "एक्जिम स्क्रिप्स" की सुविधाएं नौवहन कम्पनियों को प्रदान करना चाहती हैं, ताकि वे नए जलपोत खरीद सकें और अपनी सेवाओं में सुधार कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस समय नौवहन उद्योग एक्जिम स्क्रिप्स का पात्र नहीं है। तथापि, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयात और निर्यात नीति की समीक्षा करते समय जोकि एक सतत प्रक्रिया है, इन पर विचार किया जाएगा।

उद्योगपतियों और कृषकों को ऋण देने के मापदण्ड

4946. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगपतियों और कृषकों को अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये है;

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि भूमि की लागत को सहकारी बैंकों और अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करते समय बहुत कम निर्धारित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने के मापदण्डों को उदार बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंकों द्वारा निम्नलिखित तीन मूल उद्देश्यों से ऋण और अग्रिम दिये जाते हैं :—

(I) स्वस्थ और वसूली योग्य आधार पर अग्रिम प्रदान करना, (II) विशेष क्षेत्रों को ऋण

देने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों और सलाह के तहत लाभप्रदता को बृहद राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संगत बनाते हुए बैंक निधियों का लाभप्रद रूप में निवेश करना, और (III) उत्पादक और अन्य वांछनीय प्रयोजनों के लिए अपने परिचालनों के क्षेत्रों में समुदाय की युक्तियुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक सौंपे गए कार्यों को सही प्रकार से करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40%, 10% और 18% क्रमशः प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, कमजोर वर्गों और प्रत्यक्ष कृषि के लिए उधार देने को कहा है। उन्हें विभेदी ब्याज दर के अन्तर्गत पूर्व वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार कुल बकाया अग्रिमों का कम से कम 1% प्रदान करने की भी सलाह दी है।

(ख) और (ग) सामान्यतया, भूमि आधारित क्रिया-कलापों के लिए, भूमि की लागत को कृषि से विकास के बाद निवल आय से 8 गुना आंकी जाती है (अर्थात निवेश पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिफल की धारणा पर)। उद्योगों के मामले में भूमि की लागत (अंकित मूल्य) उधारकर्ताओं द्वारा फौरी किस्त के लिए लायी अपेक्षित रकम तक आंका जाता है।

(घ) से (च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण समान मानदण्डों के तहत मंजूर किए जाते हैं जैसाकि ऋणकर्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. ऋण योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋण आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार किया जाए।

3. गहन ऋण संवितरण के लिए गांवों का चयन करते समय विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय बहुल गांवों को चुना जाए। विकल्प के रूप में, सम्बन्धित गांवों में उन स्थानों के चयन पर भी विचार किया जा सकता है जहां इस समुदायों की अधिकता है।

4. इन समुदायों के लिए उपयुक्त बैंकिंग योजनाएं तैयार करने के लिये विशेष प्रयास किए जाएं।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा तैयार की गई विशेष कार्यक्रमों में बैंक मांग लें।

6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के समान हैं। बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र के अपने अग्रिमों के अनुपात को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है और कमजोर वर्गों के लिए अग्रिमों को कुल बैंक ऋणों के 10 प्रतिशत स्तर तक लाना है।

7. विभेदी ब्याज दर अग्रिमों के 40 प्रतिशत भाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये देना है।

8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम 30 प्रतिशत परिवारों को सहायता दी जाए और कार्यक्रम के तहत कुल सहायता का कम से कम 30 प्रतिशत उन्हें दिया जाये। वित्त वर्ष 1990-91 से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मकान बनवाने के लिए 4 प्रतिशत की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों द्वारा 5000/- रुपए तक का ऋण दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-43 को चौड़ा करने के लिए धनराशि का नियतन

4947. **श्री के० प्रधानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-43 को चौड़ा करने के लिए 1991-92 में और धनराशि का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछली आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) मध्य-प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 1990-91 के दौरान रा० रा० 43 को चौड़ा करने से सम्बन्धित 8 कार्य प्रगति पर थे और इन कार्यों के लिये 57 लाख रु० की निधियां आवंटित की गई थीं। जिनको अब अमल में लाया जा रहा है, को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण आवंटन का पूर्ण उपयोग करना सम्भव हुआ। चालू वित्त वर्ष के दौरान रा० रा० 43 पर उपर्युक्त कार्यों के लिए 161.50 लाख रु० का आवंटन मौजूद है। 1991-92 में अब तक रा० रा० 43 को चौड़ा करने के किसी नए कार्य को संस्वीकृति नहीं दी गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की कमी

4948. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सामान्य रूप से कर्मचारियों की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात पुनर्वित्त पोषण फार्मूले का उदार बनाया जाना

4949. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सितम्बर, 1991 से निर्यात पुनर्वित्त पोषण फार्मूले को उदार बनाया है तथा चयनात्मक ऋण नियन्त्रण को सख्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके क्या परिणाम मिले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुकर बनाने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस क्षेत्र के लिये संसाधन रुकावट न हों और सामान्य रूप से निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात पुनर्वित्त फार्मूले को उदार बनाया था । यह आशा की जाती है कि चयनात्मक ऋण नियन्त्रण नियमों को सख्त बनाने से यह सट्टे के प्रयोजनों के लिए बैंक ऋण के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करेगा । भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये देश में निरन्तर आधार पर कीमत उत्पाद स्थिति का जायजा लेता है ।

हीरे निर्यात की पुनः पूर्ति योजना

4950. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हीरे निर्यात की पुनः पूर्ति योजना में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई योजना से हीरों के निर्यात में कैसे वृद्धि होगी; और

(घ) इस योजना के कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सरकार ने हीरा निर्यात के लिये प्रतिपूर्ति योजना को दिनांक 27 सितम्बर, 1991 को अधिसूचना द्वारा पुनः चालू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यातकों को हीरे तराशने और पालिश करने के लिये पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल रहा है । अब प्रतिपूर्ति की दरें यू० एस० डालर में प्रति कैरेट वसूली के आधार पर निर्धारित की गई हैं ताकि पूरा मूल्यवर्धन यू० एस० डालर में प्राप्त हो सके । सरकार प्रतिपूर्ति की दरों को मानीटर करती है और समय-समय पर दरों में संशोधन किया जाता है ।

महाराष्ट्र से कपास की तस्करी

4951. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र से कपास की भारी मात्रा में तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू मौसम में कितने मूल्य की कपास की तस्करी हुई है;

(घ) कपास की तस्करी के कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है या उठाने का विचार कर रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि महाराष्ट्र से पड़ोसी राज्यों में कुछ कपास की तस्करी हो रही है क्योंकि राज्य में कपास एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत गारण्टीशुदा कीमतें पड़ोसी राज्यों में बाजार कीमतों की तुलना में कम है।

(ग) और (घ) ऐसे प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तस्करी की कपास का मूल्य ज्ञात नहीं है तथा इस कारण सरकार को हुये घाटे का भी पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ङ) राज्य से कपास की तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं : उपजकर्ताओं को समर्थन कीमत से अधिक 35 प्रतिशत अग्रिम कीमत का भुगतान करना, सीमान्त क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाना तथा तस्करी की कपास को ले जाने वाले वाहनों के लाइसेंस रद्द करना आदि।

गोआ में मंडोवी नदी में "फेरी" (नाव) सेवा

4952. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्डोवी पुल के टूट जाने के पश्चात "फेरी" (नाव) खरीदने और डीजल तथा तेल की कीमत के भुगतान तथा कर्मचारियों के वेतन, पणजी से बेटिम तक आने जाने वाले यात्रियों के परिवहन के लिए गोआ सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, मद-वार कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या गोआ सरकार को भुगतान करने के लिए कोई बिल लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक इसका भुगतान किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मंडोवी पुल के स्थान पर प्रचालन के लिए 4 फेरियों को खरीदने हेतु 33.5 लाख रु० संस्वीकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त गत तीन वर्षों के दौरान डीजल तथा तेल प्रभारों, कर्मचारियों के वेतन और अन्य अनुरक्षण खर्चों के लिये संलग्न विवरण के अनुसार धनराशियां अनुमोदित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गोवा में मंडोवी पुल के स्थान पर फेरी प्रचालन के लिए संस्वीकृत प्राक्कलनों के मदवार ब्यौरे

क्रम सं०	मद	88-89	89-90	90-91
1.	पी० ओ० एल० (पेट्रोल आयल तथा लुब्रिकेंट्स	रु० 12,60,020	रु० 12,60,340	रु० 5,86,500
2.	कर्मचारियों का वेतन	23,91,700	27,67,200	16,15,200
3.	जहाजों का किराया प्रभार	30,00,000	30,00,000	52,51,200
4.	मरम्मत प्रभार	7,000,000	2,00,000	2,00,000
5.	फुटकर खर्च	2,15,694	2,11,216	2,29,587
	जोड़ :	57,67,414	74,38,756	78,82,487

बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी

[हिन्दी]

4953. **श्री ललित उराँव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दर्ज किए गए तस्करों के मामलों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान जब्त किए मादक पदार्थों की जिला-वार मात्रा तथा उनका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में जब्त किये गये तस्करी के इलैक्ट्रोनिक और अन्य माल का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

बोनस के लिए परिलब्धि सीमा

4954. **श्री ललित उराँव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय बोनस के लिए 2500 रुपए की परिलब्धि सीमा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोलजुवे) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं।

"सड़क बांड" जारी करने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्ताव

[अनुवाद]

4955. **श्री महाराजुपुरम राजेन्द्र रेड्डी** :

श्री रामकृष्ण कौंडाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सड़कों के विकास के लिए "सड़क बांड" जारी करने सम्बन्धी राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए बाण्डों की जारी करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था. परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता से काम करने वाली कम्प्यूटर प्रणाली का विकास

4956. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली का विकास अन्तिम चरण में है, जो दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता से कार्य करे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इस प्रणाली का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यह प्रणाली कब तक पूरी तरह से विकसित कर ली जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क और (ख) "रक्षा प्रयोज्यताओं के लिए प्रतिबिम्ब प्रक्रिया तकनीकियों" की विकास परियोजना पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है। इसमें सैटेलाईट द्वारा रिमोट सेंसिंग डाटा प्रक्रिया के लिए बनावटी आसूचना तकनीक के प्रयोग से कम्प्यूटरीकृत दृष्टिज्ञ प्रणाली का विकास भी शामिल है।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित जानकारी तथा प्रौद्योगिकी की सैटेलाईट प्रतिबिम्ब में भूमि-आधारित वस्तुओं का पता लगाने के लिए भावी प्रणाली में प्रयोग किया जा सकेगा।

(घ) उक्त तकनीकियां 1995 के अन्त तक विकसित हो जाने की आशा है।

उच्च विभेदन चित्रों का विकास

4957. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पृथ्वी की वस्तुओं को विस्तार से दर्शाने वाले उच्च विभेदन चित्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में विवरण प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे नारियल के पानी का निर्यात

4958. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे नारियल के पानी की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कच्चे नारियल के पानी के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

4959. **श्री बलराज पासी :**

डा० लाल बहादुर राबल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की अधिकांश बसें खराब हालत में है और इनके द्वारा निर्धारित मानदण्ड से अधिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कोई प्रदूषण जांच समय-समय पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इन वाहनों की उपयुक्तता प्रमाणित करने का प्राधिकार किसे है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कुछ प्रदूषण दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होता है। दिल्ली परिवहन निगम की बसों की जांच आवधिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये की जाती है कि वाहन धुआं छोड़ने सम्बन्धी निर्धारित मानकों को पूरा करें। इसके अलावा, दिल्ली परिवहन निगम और राज्य परिवहन प्राधिकरण के संयुक्त जांच स्क्वाड लाइन पर बसों की यादृच्छिक तौर पर (रंडम) जांच करते हैं।

(ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली, दिल्ली परिवहन निगम के वाहनो की फिटनेस प्रमाणित करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बलियापाल में नेशनल टैस्ट रेंज

[अनुवाद]

4960. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बलियापाल में नेशनल टैस्ट रेंज का निर्माण करने के विचार को क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) बलियापाल में राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र बनाने के सरकारी निर्णय को नहीं बदला गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमि के अर्जन के प्रारम्भिक कार्य के लिए तथा पुनर्वास/पुनर्स्थापन में प्रगति के लिये पहले ही उड़ीसा सरकार को 14.225 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। 1991-92 के दौरान कोई रकम खर्च होने की आशा नहीं है। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान खर्च, भूमि के अर्जन तथा पुनर्वास/पुनर्स्थापन की प्रगति पर निर्भर करता है ।

गरीबों के लिए कानूनी सहायता योजनाएं

4961. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानूनी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों के लिए राज्यवार 1990-91 के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य-वार उन पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) योजनाओं को कारगर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि गरीबों और जरूरतमन्द लोगों को समय पर इनको लाभ मिल सके ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निर्धनों को विधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कोई पृथक आबंटन निश्चित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा, वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और सामाजिक कार्य समूहों को, राज्यवार, दी गई रकम का दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) मुफ्त विधिक सहायता, मुंसिफ न्यायालय से भारत के उच्चतम न्यायालय तक ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है जिसकी उच्च न्यायालय तक के न्यायालयों के मामले में, वार्षिक आय 6,000 रु० और उच्चतम न्यायालय के मामले में, 9,000 रु० से अधिक नहीं है। किन्तु आय की यह सीमा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, के व्यक्तियों और महिलाओं तथा बच्चों, आदि के मामलों में लागू नहीं होती है।

निर्धनों को उनके द्वारा पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के विचार से, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, सुलह और मध्यकता केन्द्र स्थापित किए जाने और समय-समय पर विधिक सहायता और साक्षरता शिविर लगाए जाने को प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और सामाजिक कार्य समूहों को (राज्यवार) उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता की रकम
1.	आंध्र प्रदेश	90,000
2.	असम	2,00,000
3.	बिहार	35,000

1	2	3
4.	गुजरात	1,00,000
5.	हरियाणा	55,000
6.	हिमाचल प्रदेश	50,000
7.	कर्नाटक	2,00,000
8.	केरल	2,20,000
9.	मध्य प्रदेश	1,00,000
10.	महाराष्ट्र	46,000
11.	मणिपुर	17,000
12.	उड़ीसा	2,00,000
13.	पंजाब	50,000
14.	राजस्थान	1,10,000
15.	तमिलनाडु	4,00,000
16.	त्रिपुरा	50,000
17.	उत्तर प्रदेश	1,05,000
18.	पश्चिमी बंगाल	1,00,000
19.	दिल्ली	90,000
20.	लक्षद्वीप और मिनिकोय	1,00,000
21.	उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति	7,00,000
	योग	30,17,000

आंध्र प्रदेश सरकार की बकाया राशि

4962. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए केन्द्र सरकार की ओर आंध्र प्रदेश सरकार की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह राशि आंध्र प्रदेश को कब तक दे दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संयुक्त क्षेत्र शिपिंग कम्पनियां

4963. **श्री रवि राय** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त क्षेत्र शिपिंग कम्पनियां स्थापित करने को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी और गैर-सरकारी सहयोगियों के साथ पोत की मरम्मत और पोत निर्माण की सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रबन्ध मण्डल का भी दर्जा बढ़ाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आफ-शोर सेण्टर और शी-बैड माईनिंग जैसे क्षेत्रों में, जहां स्वदेशी तकनीकी उपलब्ध नहीं है, संयुक्त प्रयास किए जा सकते हैं और ऐसी प्रौद्योगिकी का अन्तरण सामान्य औद्योगिक नीति में दी गई शर्तों के अध्यधीन होना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालवा क्षेत्र में वायुसेना केन्द्र

[हिन्दी]

4964. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मालवा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां वायुसेना केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालेज आफ कम्बैट, मऊ

4965. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज आफ कम्बैट, मऊ (मध्य प्रदेश) में कोई नया उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) समाघात कालेज, मऊ में कोई नया उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कालेज के कार्यों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है।

मऊ छावनी

4966. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ छावनी क्षेत्र को नगर पालिका की सीमाओं के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) मऊ छावनी की लगभग 240.60 एकड़ भूमि को सिविल क्षेत्र को सौंपने का एक प्रस्ताव मध्य कमान मुख्यालय द्वारा जांच के प्रारम्भिक चरण में है।

जनता कपड़ा योजना

[अनुवाद]

4967. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़ा योजना संतोषजनक कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में उन्हीं खुदरा दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर कपड़ा और जनता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य विशेषताए क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना ने बुनकरों को निरन्तर रोजगार प्रदान किया है और निष्क्रिय करघों का सक्रिय बनाकर कई राज्यों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाए हैं। इस योजना ने निर्धन वर्ग के लोगों को उचित मूल्यों पर कपड़ा उपलब्ध करवाने में भी मदद की है। तथापि राज्य सरकारों द्वारा जनता कपड़े के वितरण की देख-रेख न कर पाने के कारण असन्तोषजनक वितरण व्यवस्था की शिकायतें मिली हैं।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा तैयार किया गया कन्ट्रोल कपड़ा राष्ट्रीय/राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, उचित दर की दुकानों, एन० टी० सी० के प्राधिकृत खुदरा विक्रय केन्द्रो और एन० टी० सी० के विक्रय केन्द्रों द्वारा वितरित किया जाता है लेकिन हथकरघा जनता कपड़ा राष्ट्रीय/राज्य/जिला/क्षेत्रीय/शीर्ष उपभोक्ता सहकारी समितियों, अथवा संघों, लोक वितरण प्रणाली की तरह अन्य अनुमोदित वितरण प्रणाली और राज्य हथकरघा कार्यान्वयन अभिकरणों के विक्रय केन्द्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

(ग) जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका में 1 जुलाई 1990 से व्यापक परिवर्तन किए गए है जिसमें वितरण व्यवस्था सहित अन्य कमियों को दूर किया गया है। इस संशोधित मार्गदर्शिका में निर्धारित किया गया है कि उत्पादन और वितरण व्यवस्था की देख-रेख करने के लिए प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य अपने-अपने राज्य में मुख्य सचिव/हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की कार्यान्वयन समिति का गठन करें जिसमें नागरिक आपूर्ति विभाग, ए० जी० ओ० एस० उपभोक्ता प्रतिनिधि व अन्य विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करें। जनता कपड़े की क्वालिटी में सुधार करने और बुनकरों को समय से भुगतान करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

काफी का निर्यात

4968. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक निर्यात हेतु काफी की कितनी मात्रा नियत की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा काफी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए 400 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 1,20,000 टन काफी के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ग) काफी फसल की वक्रीय और द्विवार्षिक प्रवृत्ति को देखते हुए काफी का उत्पादन स्थाई बनाना और उसमें वृद्धि करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । आठवीं योजनावधि (1992-97) के दौरान उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित थस्ट क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं :

(i) लघु ऊपजकर्त्ता क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना;

(ii) कम और आना/देर से वर्षा होना, जोकि उत्पादन बढ़ाने में प्रमुख बाधाओ में से एक हैं को दूर करने के लिए और अधिक क्षेत्र सिचाई के अन्तर्गत लाया जा रहा है; और

(iii) पुराने अलाभकर पौधों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से अधिक उपज देने वाले, रोग प्रतिरोधी, शीघ्र फसल देने वाली पादप सामग्री का पुनर्रोपण करना ।

रीवा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

[हिन्दी]

4969 **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के रीवा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यह खंडपीठ कब तक स्थापित की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नही ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सैनिक स्कूल

4970. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरप्रदेश बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में सैनिक स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर खोला जाता है, क्योंकि सैनिक स्कूल का सारा पूंजीगत व्यय तथा अनुवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग उन्हीं के द्वारा वहन किया जाना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों और -

अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4971. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) जे० एम० जी० एस० I, II, III और IV में प्रबन्धक के तौर पर कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों की क्रमशः संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार 1316 शाखाएं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक का ऋण-जमा अनुपात

4972. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक का प्रत्येक राज्य में वर्तमान ऋण-जमा अनुपात क्या है;

(ख) इन राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा औद्योगिक इकाईयों को दिए गए ऋण की राज्यवार बकाया राशि क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे एककों की संख्या कितनी है जिन्हें ऋण दिया गया और जो अब रुग्ण है और उनमें कितनी धनराशि फंसी हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जून, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों का राज्यवार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सितम्बर, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार औद्योगिक इकाइयों (बड़ी, मझोली और छोटी इकाइयों) को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों की अतिदेय राशियां 2267 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उक्त सूचना राज्य-वार प्राप्त नहीं होती है।

(ग) मार्च, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाइयों की संख्या, जो अब रुग्ण हो गयी हैं, और उनमें फंसी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

जून, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों में राज्यवार ऋण जमा अनुपात

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात
1.	हरियाणा	76.0
2.	हिमाचल प्रदेश	36.2
3.	जम्मू व कश्मीर	34.6
4.	पंजाब	53.1
5.	राजस्थान	57.1
6.	चण्डीगढ़	275.2
7.	दिल्ली	83.6
8.	अरुणाचल प्रदेश	15.9
9.	असम	49.3
10.	मणिपुर	58.6
11.	मेघालय	15.1
12.	मिजोरम	28.1
13.	नागालैंड	45.4
14.	त्रिपुरा	36.7
15.	बिहार	44.8
16.	उड़ीसा	87.7
17.	सिक्किम	21.9
18.	पश्चिमी बंगाल	45.7
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.6
20.	मध्य प्रदेश	95.9
21.	उत्तर प्रदेश	54.3
22.	गोवा	37.2
23.	गुजरात	96.8
24.	महाराष्ट्र	76.4
25.	दादरा नागर हवेली	149.6

1	2	3
26.	दमन और दीव	26.5
27.	आन्ध्र प्रदेश	89.8
28.	कर्नाटक	101.9
29.	केरल	61.6
30.	तमिलनाडु	130.7
31.	लक्षद्वीप	---
32.	पाण्डिचेरी	53.1
	अखिल भारत	74.0

विवरण-2

मार्च 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तपोषित रुग्ण एककों की राज्यवार स्थिति

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण लघु औद्योगिक एकक		रुग्ण गैर-लघु औद्योगिक एकक	
		एककों की सं०	बकाया राशि	एककों की सं०	बकाया राशि
1.	असम	350	10.97	2	0.61
2.	मेघालय	8	0.29	—	—
3.	बिहार	2798	25.26	19	47.75
4.	अरुणाचल प्रदेश	10	0.21	—	—
5.	पश्चिमी बंगाल	19079	83.83	45	126.59
6.	नागालैंड	5	0.30	—	—
7.	मणिपुर	3	0.07	—	—
8.	उड़ीसा	1556	24.69	16	39.77
9.	सिक्किम	70	0.48	1	2.42
10.	त्रिपुरा	6	0.15	—	—
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	0.03	1	2.33

1	2	3	4	5	6
12.	उत्तर प्रदेश	22964	95.97	14	29.33
13.	दिल्ली	1754	32.87	2	2.79
14.	पंजाब	2159	22.93	4	3.86
15,	हरियाणा	1304	22.00	6	4.52
16.	चण्डीगढ़	115	2.06	3	5.67
17.	जम्मू व कश्मीर	1710	4.80	—	—
18.	हिमाचल प्रदेश	700	1.90	—	—
19.	राजस्थान	929	13.81	10	26.37
20.	गुजरात	2643	65.36	38	148.21
21.	महाराष्ट्र	13370	155.76	40	250.96
22.	गोवा	998	6.99	3	13.13
23.	दादर नागर हवेली	—	—	1	0.25
24.	मध्य प्रदेश	13605	29.09	12	45.93
25.	आंध्र प्रदेश	16187	70.86	38	123.50
26.	कर्नाटक	2411	25.88	8	25.59
27.	तमिलनाडु	902	64.94	24	45.37
28.	केरल	494	18.24	5	5.02
29.	पाण्डिचेरी	25	1.50	1	2.13
	जोड़	109776	780.84	293	952.10

विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकों में आरक्षण

4973. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय बैंकों में विकलांग कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) इस विषय से सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संवर्गों की प्रत्यक्ष भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत की दर पर (नेत्रहीनों, बधिरों एवं विकलांगों प्रत्येक को 1 प्रतिशत) आरक्षण प्रदान करना होता है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-90 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संवर्गों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :

श्रेणी	नेत्रहीन	बधिर	विकलांग
लिपिकीय	357	507	3905
अधीनस्थ कर्मचारी	81	172	1650

पाकिस्तान को बी० सी० सी० आई० से वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4974. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (बी० सी० सी० आई०) ने पाकिस्तान को इसके चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम के लिए धन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैंक ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों, जो पाकिस्तानी भूमि में रहकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं; को हथियारों की सप्लाई के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) फिलहाल, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे प्रमाणित होता हो कि बी० सी० सी० आई०, बम्बई ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का वित्तपोषण किया था या पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों को हथियार की सप्लाई के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया था। बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 30 (आई० बी०) की शर्तों के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बी० सी० आई० को बम्बई शाखा के कार्यकरण के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष लेखापरीक्षा का आदेश दिया है।

निगमित क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा

4975. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निगमित क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा करने तथा नई सार्वजनिक इक्विटी/डिबेन्चर निर्गमों को नियमित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु किसी तन्त्र की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के उपबन्धों के तहत और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के माध्यम से प्रतिभूतियों के निर्गमों का नियमन किया जाता है ।

(ख) और (ग) निदेशकों के हितों की रक्षा कम्पनी अधिनियम पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के माध्यम से की जाती है । पूंजी बाजार का स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित विकास करने की दृष्टि से और साथ ही निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्डों की स्थापना की गयी है ।

पारिवारिक अदालतें

4976. **श्री पी० पी० कालिया पेरूमल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक कितनी परिवार अदालतें स्थापित की गई हैं; और ये अदालतें कहां-कहां हैं;

(ख) इस समय पारिवारिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या पारिवारिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो पारिवारिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की कुल संख्या में से महिला पीठासीन अधिकारियों का प्रतिशत कितना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक कुल 30 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, हां । सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक मार्गदर्शक-सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं कि वे कुटुम्ब न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय महिलाओं को यथा सम्भव अधिमान दें;

(ख) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अब तक स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वह स्थान, जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थित हैं	स्थापित की गई न्याया-लयों की सं०
1.	कर्नाटक	बंगलौर	2
2.	उड़ीसा	कटक	1
		राउरकेला	1

1	2	3	4
3.	महाराष्ट्र	पुणे	4
		मुम्बई	5
4.	राजस्थान	जयपुर	1
		जोधपुर	1
		अजमेर	1
		कोटा	1
		उदयपुर	1
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	2
		कानपुर	2
		गोरखपुर	1
		झांसी	1
		आगरा	1
		इलाहाबाद	1
		मेरठ	1
		बरेली	1
6.	तमिलनाडु	मद्रास	1
7.	पांडिचेरी	पाण्डिचेरी	1
	योग		30

टसर रेशम का उत्पादन

4977. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मिलियन हेक्टेयर में फैले "टसर फूड प्लान्ट्स" में से केवल 5 प्रतिशत "फूड प्लान्ट्स" को ही उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में भूमि का समुचित उपयोग करके रेशम उत्पादन में वृद्धि करने की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टसर रेशम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) ट्रापीकल बेल्ट में टसर की कृषि करने वाले राज्यों के लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर के वन क्षेत्रों में टसर खाद्य पादप उपलब्ध होने

का अनुमान है और उनका पूरा उपयोग करने से रेशम उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त सम्भाव्यता हो सकती है। तथापि इस समय इन पादपों का कम उपयोग हो रहा है क्योंकि वह कम मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जंगलों के बीच उनके उपलब्ध होने के कारण आर्थिक रूप से उनका उपयोग करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा टसर रेशम की वन्य प्रकृति जंगल के क्षेत्रों में अथवा उसके आस-पास के क्षेत्रों में ही कीट पालन को सीमित करती है।

(ङ) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन एककों का एक नेटवर्क स्थापित किया है तथा वह देश में ट्रापीकल/टैंपरेट टसर रेशम उत्पादन का विकास करने में अनुसंधान व विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए और टसर के मूल बीजों की सप्लाई करने के लिए तथा उसके उत्पादन का संचार करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

महंगाई भत्ते का राजकोष पर प्रभाव

4978. **श्री बी० बी० रामय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई, 1991 से हुई वृद्धि के कारण राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोलदुखे) : 1-7-1991 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 3500 रु० प्रतिमाह तक मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के मामले में स्वीकृत कर दी गई है। इस किस्त के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित वित्तीय प्रभाव 510 करोड़ रुपए का होगा।

औषधीय वनस्पतियों का निर्यात

4979. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औषधीय वनस्पतियों के निर्यात से वनस्पतिवार कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय वनस्पतियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के वनस्पतिवार ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

विवरण

औषधीय वनस्पतियों का निर्यात

(मूल्य लाख रु०)

क्रम सं०	मद	1988-89	1989-90	1990-91
1.	गलंगल प्रकन्द	9.90	5.50	0.30
2.	जदवेरी कन्द	5.81	1.95	1.00
3.	ईसबगोल की भूसी	4664.79	4:36.00	5792 31

1	2	3	4	5
4.	ईसबगोल के बीज	562.56	121.87	354.04
5.	सरसअप्रिला	0.33	0.05	—
6.	सनाय पत्ते, फलियां	348.48	153.37	345.22
7.	तुकमारिया	3.60	0.07	1.18
8.	पोस्त के बीज/भूसी	6.92	—	—
9.	सदाबहार रोजिया कन्द	66.23	5121	83.15
10.	अपरिष्कृत अफीम	319.69	2944.75	4829.04
11.	अपरिष्कृत औषधियां जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो	610.83	858.34	627.05
	जोड़ :	6599.14	8673.11	12033.29

मुद्रास्फीति दर

4980. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 से अब तक माह-वार प्रत्येक माह के शुरू में अंक-दर-अंक आधार पर मुद्रास्फीति की दर कितनी रही;

(ख) इन तिथियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था; और

(ग) सरकार द्वारा किए गए मुद्रास्फीतिरोधी उपायों से मुद्रास्फीति में वृद्धि कब तक रुक जाएगी तथा कम होनी शुरू हो जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वांछित नीचे सारणी में दी गई है :

महीने के आरम्भ में बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े (आधार : 1982=100)

महीना	मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत में)	
जनवरी, 1991	12.6	202
फरवरी, 1991	13.5	202
मार्च, 1991	13.2	201
अप्रैल, 1991	11.7	202

मई, 1991	11.6	204
जून, 1991	12.3	209
जुलाई, 1991	12.4	214
अगस्त, 1991	15.0	217
सितम्बर, 1991	16.5	221
अक्तूबर, 1991	15.8	223
नवम्बर, 1991	13.4	

(ग) मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई बहुकोणीय नीति में; कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन बरतना, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक प्रभावी प्रबन्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है। सरकार ने व्यापार, उद्योग और सरकारी क्षेत्रों में अनेक संरचनात्मक सुधार भी किए हैं। इन नीतियों से अल्पावधि में मुद्रास्फीतिकारी दबावों के कम होने और क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि करके और विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करके मध्यावधि में कीमतों में स्थिरता आने की सम्भावना है।

विनिषिद्ध वस्तुओं को अभिग्रहण करना

4981. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा-शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने चालू वर्ष के दौरान प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में और कितने कितने मूल्य की विनिषिद्ध वस्तुओं, सोना, चांदी और स्वापक औषधियों का अभिग्रहण किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सीमा-शुल्क तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान अभिगृहित सोने और चांदी की मात्रा और उसका मूल्य, अन्य निषिद्ध माल का मूल्य तथा विभिन्न नारकोटिक्स औषध द्रव्यों की मात्रा का महीने-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1991

(आंकड़े अनन्तिम)

महीना	सोना मात्रा और मूल्य (करोड़ रु० में)	सिल्वर मात्रा और मूल्य (करोड़ रुपयों में)	अन्य निषिद्ध मूल्य (करोड़ रुपयों में)	नार्कोटिक औषधियां* (मात्रा कि०ग्रा० में)					
				अफीम	मार्फीन	हेरोइन	गांजा	चरस	मेथाक्वालीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनवरी	रु० 12.52 (346 कि०ग्रा०)	रु० 17.38 (24767 कि०ग्रा०)	रु० 24.86	12	—	33	1639	509	61
फरवरी	रु० 14.33 (405 कि०ग्रा०)	रु० 14.02 (20251 कि०ग्रा०)	रु० 38.51	18	—	100	1102	185	—
मार्च	रु० 21.30 (632.5 कि०ग्रा०)	रु० 11.34 (16632 कि०ग्रा०)	रु० 97.46	115	—	64	513	777	110
अप्रैल	रु० 35.20 (1034 कि०ग्रा०)	रु० 19.43 (27536 कि०ग्रा०)	रु० 57.81	78	—	77	1486	492	213
मई	रु० 12.40 (349 कि०ग्रा०)	रु० 14.85 (21571 कि०ग्रा०)	रु० 25.99	267	3	20	121	196	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून	रु० 13.70 (368 कि०ग्रा०)	रु० 10.80 (17537 कि०ग्रा०)	रु० 25.44	950	2	127	35213	383	357
जुलाई	रु० 13.02 (337 कि०ग्रा०)	रु० 7.40 (10780 कि०ग्रा०)	रु० 17.15	6	—	21	3018	29	96
अगस्त	रु० 21.41 (502 कि०ग्रा०)	रु० 1.72 (2487 कि०ग्रा०)	रु० 27.03	96	—	76	771	291	1104
सितम्बर	रु० 4.89 (119 कि०ग्रा०)	रु० 16.62 (13456 कि०ग्रा०)	रु० 13.34	189	—	19	1171	284	2073
अक्तूबर	रु० 11.80 (269 कि०ग्रा०)	रु० 4.00 (5685 कि०ग्रा०)	रु० 22.20	121	—	35	991	1069	7
नवम्बर	रु० 7.91 (199 कि०ग्रा०)	रु० 3.19 (5284 कि०ग्रा०)	रु० 48.98	20	—	11	708	90	214

* पकड़े गये नार्कोटिक औषध द्रव्यों का मूल्य नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह शुद्धता, उद्गम स्थान आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

गैर-चुम्बकीय इस्पात वस्तुएं और बल्ब छड़ें

[हिन्दी]

4982. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना द्वारा गैर-चुम्बकीय इस्पात वस्तुओं और बल्ब छड़ियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इन वस्तुओं को देश में ही बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) ये मदें 1984 से आयात नहीं की गई हैं।

(ख) से (घ) गैर-चुम्बकीय इस्पात प्लेटों तथा इलेक्ट्रोडों का निर्माण अब देश में ही किया जा रहा है। परन्तु विकास में अधिक लागत आने के कारण गैर-चुम्बकीय बल्ब छड़ों का देश में विकास सम्भव नहीं हुआ है।

गैर-बासमती चावल का निर्यात कोटा

[अनुवाद]

4983. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल निर्यातकों ने गैर-बासमती चावल का निर्यात कोटा 270 डालर प्रतिटन के ऊंचे मूल्य पर प्राप्त किया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका वर्तमान मूल्य 230 डालर प्रतिटन के आसपास है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर कार्यवाही की है और अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ और "अपेडा" (ए०पी०ई०डी०ए०) के प्रतिनिधियों से तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) चावल निर्यातकों को 625.33 अमरीकी डालर से 245 अमरीकी डालर प्रति मी० टन के बीच कीमत पर गैर-बासमती चावल के लिए निर्यात कोटा प्राप्त हुए हैं। यह औसत 258.74 अमरीकी डालर प्रति मी० टन पड़ता है। चावल की कोई अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित कीमत नहीं है और अन्य वस्तुओं की तरह चावल की कीमतों में भी किस्म, गुणवत्ता, मिलिंग तथा टूटे चावल की प्रतिशतता पैकिंग तथा अन्य कारकों और अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति के आधार पर व्यापक उतार-चढ़ाव आता है।

कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सुस्पष्ट नीति के तहत कोटा आवंटित किए हैं। इसे देखते हुए, इन तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ तथा कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

छोटे तथा सीमान्त किसानों को जीवन बीमा का लाभ देना

4984. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :**

श्री रामकृष्ण कोंतालाः क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी छोटे तथा सीमान्त किसानों को जीवन बीमा का लाभ देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश में केवल छोटे और सीमान्त किसानों को जीवन बीमा कवच प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

काजू की गिरियों के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का हिस्सा

4985. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काजू की गिरियों के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : काजू गिरियों का भारत से होने वाला निर्यात विश्व निर्यात का लगभग 57 प्रतिशत है ।

देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा चुंगी की वसूली

[हिन्दी]

4986. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून छावनी बोर्ड इस क्षेत्र के लोगों से चुंगी ले रहा है जबकि उत्तर प्रदेश ने इसे समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता

[अनुवाद]

4987. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विश्व पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए भारतीय कम्पनियों की सहायता करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश करके अपनी शेयर-पूंजी बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या इसने भारत में विदेशी पूंजी-निवेश के कार्यान्वयन में भारत सरकार की सहायता करने का भी प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विदेशी पूंजी-निवेश परामर्श सेवा के माध्यम से सरकार को अपनी सेवाओं का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत की निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से धनराशियां जुटाने में इन कम्पनियों की सहायता करने की सम्भावना के बारे में बातचीत की थी ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपनी नीति के अनुसार, इक्विटी निवेश करने के लिए हमेशा अवसर की खोज में रहता है ।

(ग) से (ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सुविधाओं का उपयोग करने की सम्भावना पर प्रारम्भिक बातचीत हो गई है ।

ग्रेनाइट का उत्पादन और निर्यात

4988. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कच्चे ग्रेनाइट के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ग्रेनाइट संशोधनों का दोहन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होता है । इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी राज्यों के बारे में उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त म्यूच्युअल फण्ड

4989. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय आधार पर विशिष्ट प्रमुख उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त म्यूच्युअल फण्ड को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खनिजों का निर्यात

4990. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खनिजों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उनका खनिज-वार मूल्य क्या है; और

(ख) इन खनिजों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा किए गए लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, बाक्साईट, कोयला और बेराईट्टस के देश वार निर्यात संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5 और विवरण-6 में दिए गए हैं।

विवरण-1

एम० एम० टी० सी० द्वारा लौह अयस्क का देशवार निर्यात

(मात्रा : लाख मी० टन, मूल्य : करोड़ रु०)

	1988-89		1989-90		1990-91 (अं०)	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	1.49	5.12	0.00	0.00
चीन	1.51	3.82	2.51	7.98	5.72	18.82
जर्मनी	6.12	11.29	7.01	18.75	1.05	3.57
हंगरी	0.31	0.70	0.10	0.33	0.12	0.46
जापान	104.96	247.25	100.83	333.11	86.01	337.92
कोरिया, उ०	3.43	6 20	3.64	7.64	2.73	6.90
कोरिया, द०	31.12	71.53	29.15	71.31	30.73	119.14
मलयेशिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.30
नेपाल	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07
पाकिस्तान	3.38	6.93	3.91	10.12	4.08	13.52
रूमानिया	23.56	29.61	23.25	35.74	10.47	20.47
यू०ए०ई०	1.68	3.10	3.30	6.60	1.20	3.34
यूगोस्लाविया	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	176.46	381.27	175.21	496.73	142.26	524.51

(अं०) अनन्तिम।

विवरण-2

एम० एम० टी० सी० द्वारा मैंगनीज अयस्क का देशवार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन

मूल्य : करोड़ रु०

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	0.66	2.65	0.52	2.90	0.46	4.89
दक्षिण कोरिया	1.46	6.06	1.08	9.96	1.17	15.29
रूमानिया	0.26	1.62	0.82	10.97	0.00	0.00
पाकिस्तान	0.25	1.04	0.41	3.14	0.29	3.50
चैकोस्लोवाकिया	0.00	0.00	0.17	2.13	0.00	0.00
हालैण्ड	0.00	0.00	0.16	1.58	0.00	0.00
ताईवान	0.00	0.00	0.22	3.02	0.30	8.08
पश्चिम जर्मनी	0.00	0.00	0.14	1.58	0.00	0.00
पोलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	1.80
डी०पी०आर०के०	0.14	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
स्पेन	0.17	0.92	0.32	2.75	0.57	7.93
योग	2.94	13.11	3.84	38.03	2.95	41.55

विवरण-3

एम० एम० टी० सी० द्वारा क्रोम अयस्क का देशवार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन

मूल्य : (करोड़ रु०)

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अं०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	1.65	18.58	0.44	10.19	0.00	0.00
चीन	2.23	29.24	1.89	45.63	1.78	33.66
फिलीपीन	0.89	11.54	0.16	3.72	0.15	3.01
ताईवान	0.09	0.71	0.10	1.63	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
डी०पी०आर०के०	0.00	0.00	0.13	3.62	0.00	0.00
स्वीडन	0.27	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
रूमानिया	0.00	0.00	0.20	2.56	0.00	0.00
नार्वे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	6.43
कुल योग	5.13	62.71	2.92	67.35	2.28	43.10

विवरण-4

एम० एम० टी० सी० द्वारा बाक्साइट की देशवार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन
मूल्य : करोड़ रु०

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बंगलादेश	0.00	0.00	0.02	0.15	0.00	0.00
यू०ए०ई०	1.99	3.14	2.01	3.90	1.33	5.13
रूमानिया	0.22	0.37	1.35	2.33	0.00	0.00
नाइजीरिया	0.06	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
केन्या	0.00	0.00	0.05	0.14	0.00	0.00
स्विट्जरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.56
यू०एस०ए०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.23
योग	2.27	3.75	3.43	6.52	2.86	8.92

विवरण-5

एम० एम० टी० सी० द्वारा कोयला का देशवार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन
मूल्य : करोड़ रु०

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बंगलादेश	1.05	8.19	1.37	13.27	0.18	1.95
नेपाल	1.05	8.28	0.09	1.07	0.71	8.64
योग	2.10	16.47	1.47	14.34	0.89	10.59

विवरण-6

एम० एम० टी० सी० द्वारा ब्राइट्स का देशवार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन

मूल्य : करोड़ रु०

देश	1988-89		1989-90		1990-91 (अ०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
यू०एस०ए०	0.34	1.11	0.99	3.91	0.68	2.82
योग	0.34	1.11	0.99	3.91	0.68	2.82

अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीबद्ध करना

4991. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीबद्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीबद्ध करने का मामला विचाराधीन है।

रंगीन पाजीटिव फिल्मों का आयात

4992. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा फिल्म निर्माताओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से सीधे रंगीन पाजीटिव फिल्में आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रति वर्ग मीटर कितना मूल्य दिया गया है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्तमान आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत सिनेमेटोग्राफिक कलर (अनएक्सपोज्ड) फिल्म्स पोजीटिव के परिष्कृत रोलों का आयात वास्तविक प्रयोग/स्टाक और बिक्री के लिए कोई भी व्यक्ति खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कर सकता है। अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अदा की गई प्रति वर्ग मीटर कीमत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

ग्रेनाइट का निर्यात

4993. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा उसका उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए ग्रेनाइट की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा ("000 मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1988-89	543.2	1300.8
1989-90	544.0	1470.0
1990-91	732.6	2270.0

(ख) ग्रेनाइट का उत्पादन तथा उसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों में ग्रेनाइट को काटने और पालिश करने वाले एककों की स्थापना करने के लिए 100 प्रतिशत निर्यात-अभिमुख योजना के अन्तर्गत अनुमति पत्र प्रदान करना, निवल विदेशी मुद्रा आय के 30 प्रतिशत तक एक्विजम स्क्रिप्स मंजूर करना, तराशे और पालिश किए गए ग्रेनाइट के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत आयकर लाभ आदि शामिल हैं।

"ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम" का कार्यकरण

4994. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली संस्करण में "मैप्स आउटमोडेड बाई सैटेलाइट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमण्डलीय स्थिति प्रणाली (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) के कार्यकरण का रक्षा की दृष्टि से कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) भूमण्डलीय स्थिति प्रणाली का व्यवसायिक उपयोग किए जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। इस बारे में अधिक विवरण प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(घ) ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली अभी तक प्रयोगात्मक चरण में है अतः व्यापारिक प्रयोगों पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

12.00 म० पू०

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेकर आपके माध्यम से कार्य-मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय को इस सम्माननीय सभा के अनुमोदन के लिए रखना चाहूंगा। यह फैसला किया गया था कि हम यह संख्या 39 पर चर्चा करेंगे उस पर मतदान होगा और फिर प्रधानमंत्री

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में एक वक्तव्य देंगे। तत्पश्चात्, हम 'शून्य-काल' आरम्भ कर सकते हैं। अतः, मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि जब तक हम कार्यसूची की इन दो मदों पर विचार न कर लें तब तक वे 'शून्य-काल' के लिए अपने प्रश्न न उठाएं ?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सदस्य पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस प्रक्रिया पर भी सहमति हो गई है। इसलिए, हम संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा सुझाये गये विषय पर विचार करेंगे और उसके बाद, विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे पर प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। तत्पश्चात्, हम उन मामलों पर विचार करेंगे जो कार्य-सूची में नहीं है तथा इस सम्बन्ध में पीछे बैठे हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी और उसके बाद हम अन्य मामलों पर विचार करेंगे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : महोदय, आज शुक्रवार है इसलिए हमें भोजनावकाश अवश्य मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कम समय का भोजनावकाश भी होगा।

12.03 म० प०

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 239क और 239कख का अन्तःस्थापन)

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक संघ-राज्य-क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा की स्थापना और उस सभा के प्रति उत्तरदायी एक मंत्री-परिषद सहित प्रशासन की गई व्यवस्था किए जाने हेतु संविधान में विशेष प्रावधान करने के लिए लाया गया है।

जैसाकि सभा को जानकारी है कि दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है जिसका प्रशासन-संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार चलाया जाता है वर्तमान कानून अर्थात् दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन निर्वाचित सदस्यों की एक महानगर परिषद कार्यकारी परिषद सहित, एक प्रशासक को उन कार्यों के अलावा जिनमें वह विवेक से कार्य करता है, अपने कार्यों को पूर्ण करने में परामर्श और सहायता देती है। महानगर परिषद के पास विधान बनाने सम्बन्धी शक्तियां नहीं हैं, यह आज एक सलाहकर संस्था है। दिल्ली में आम आदमी की समस्याओं के हल के लिए या कार्य की अधिकता और अधिकारियों की बहुतायत तथा चुनी हुई सरकार के लिए लगातार मांग चली आ रही है। समस्याओं का स्थायी हल ढूंढने के लिए सरकार ने 24-12-1987 को पहले न्यायमूर्ति श्री आर० एस० सरकारिया तथा बाद में श्री एस० बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति, दिल्ली के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार कर उपाय सुझाने के लिए नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 दिसम्बर, 1989 को प्रस्तुत की थी।

समिति ने, विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों की जांच करके तथा संस्थानों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, गणमान्य नागरिकों, विशेषज्ञों से जिनका सार्वजनिक मामलों और प्रशासनिक कार्य में

लम्बा अनुभव है उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के पश्चात्, सारे मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और विभिन्न विषयों के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया।

इसने संघीय स्वरूप के साथ अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों के लिए की गई व्यवसस्थाओं की भी जांच की तथा विभिन्न अवसरों पर राजधानी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों और संविधान सभा में हुई चर्चा में दिए गए सुझावों पर भी ध्यान दिया गया। समिति ने पूर्व समितियों और आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का भी अध्ययन किया। समिति, राजधानी के लिए, सरकार के उचित स्वरूप की रचना और विशेषकर एक ऐसे देश की जिसका स्वरूप संघीय है, के बारे में आने वाली कठिनाइयों से सजग थी। दो विरोधी आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित होना चाहिये। पहली, राजधानी के नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को, जो इन पर संविधान की भावना के अनुरूप शासन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पूर्ण करने की आवश्यकता। दूसरी, जैसाकि सम्पूर्ण विश्व और साथ ही हमारा देश भी जानता है कि अपनी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करके और अपने निश्चयों को पूर्ण करने के लिए राजधानी तथा इसके प्रशासन पर पर्याप्त नियन्त्रण चाहिये इसके अलावा, राष्ट्रीय सरकार के लिये आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी पर प्रभावी रूप से प्रशासनिक पकड़ अत्यधिक महत्व का विषय है। इसके अतिरिक्त राजधानी का सर्वदेशीय स्वरूप सुनिश्चित रखने की आवश्यकता है। बालाकृष्णन समिति ने दिल्ली के लिए सरकार का ऐसा ढांचा बनाने का प्रयास किया है जो इन दोनों आवश्यकताओं के मध्य समुचित संतुलन सुनिश्चित कर सके।

सभी पहलुओं पर वस्तुपरक दृष्टि से विचार-विमर्श करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संघ तथा दिल्ली प्रशासन के बीच कार्यों व जिम्मेदारियों के संवैधानिक बंटवारे की किसी व्यवस्था से राष्ट्र-हितों को हानि पहुंचेगी और इसलिये इसे रहने दिया जाये। इस प्रकार दिल्ली को संघ शासित प्रदेश ही रहने दिया जाये जिसमें विधान सभा हो जिसके पास यथोचित शक्तियां हो। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जन-आदेश, पुलिस और भूमि सम्बन्धी विषय केन्द्र के पास ही रखे जायें क्योंकि ये अत्याधिक महत्व के विषय है जिसके बारे में जिम्मेदारी को बांटा नहीं जा सकता। यह—संसद के रूप बैठी—संविधान सभा द्वारा बनाये गये गवर्नमेंट साफपार्ट-सी स्टेट्स-एक्ट, 1951 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भी है। राष्ट्रीय राजधानी के बारे में नयी व्यवस्था के विस्तृत विवरणों का विधेयक के प्रावधानों से पता चलेगा और मैं उस पर बात नहीं करना चाहता।

बालकृष्णन समिति के प्रतिवेदन को भलि-भांति देखने और उसके सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि सामान्यतः समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप कानून बनाया जाए और विधेयक में इस बारे में यथोचित प्रावधान किये गये हैं। जैसाकि सभा को ज्ञात होगा, विगत अवसरों पर भी जब कभी दिल्ली के लिये लोकतांत्रिक ढांचे पर विचार किया गया, गवर्नमेंट आफ पार्ट सी स्टेट्स ऐक्ट 1951 तथा 1978 में पुरःस्थापित विधेयक के अन्तर्गत दिये गये लोकतन्त्रात्मक ढांचे के लिये ऐसे ही आवश्यक प्रावधानों का कानून में उल्लेख किया गया था जोकि अनुच्छेद 239(क) के अनुपालन में बनाया गया था। लेकिन किसी प्रकार दिल्ली, जोकि राष्ट्रीय राजधानी है, के मामले में समिति ने सिफारिश की है कि लोकतन्त्रात्मक ढांचे के प्रावधानों का संविधान में ही उल्लेख किया जाना चाहिये ताकि स्थिर और स्थायी मापदण्ड बना रहे और राष्ट्रीय राजधानी को एक विशेष दर्जा दिया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली का अद्वितीय दर्जा है और इसकी कुछ अलग ही विशेषतायें हैं। समूचे देश के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे सभी राज्यों से सम्बन्ध रखने की भावना

प्रेरित करनी चाहिये जोकि इसे किसी अकेले राज्य के भू-भाग पर अवस्थित करने अथवा किसी एक राज्य के नियन्त्रण में सम्भव नहीं हो सकता। दूसरे देशों में भी राष्ट्रीय राजधानियों के बारे में जो व्यवस्था है विशेषत: संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में, तथा इस विषय पर आज तक जो भी विचार मंथन हुआ है, यह सब इस हक में है कि राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय सरकार के पूर्ण नियन्त्रण में होनी चाहिये।

अतीत में कभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना सम्भव नहीं पाया गया। संविधान सभा ने इस मामले पर गहरायी से विचार किया था। चर्चा के दौरान यह पाया गया, "कि हमारे देश जैसे विशाल संघ की राजधानी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस क्षेत्र पर संघीय सरकार को प्रतिदिन काम करना हो, विशेषकर हर बारीकी में जाना हो, इस पर संघीय सरकार को निरंकुश अधिकार मिलने चाहियें, ऐसे अधिकार मिलनें चाहिये जोकि किसी अन्य व अधीनस्थ विधायिका से न टकराते है।" राज्य की पुनर्संगठन समिति तथा अन्य सभी समितियां भी इसी निष्कर्ष पर पहुची हों।

राष्ट्रपति, संसद उच्चतम न्यायालय आदि जैसे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, और साथ-साथ सभी विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि दिल्ली में ही स्थित है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां अन्य राष्ट्रों के गणमान्य व्यक्ति सरकारी दौरों पर प्राय: आते रपते हैं और यह राष्ट्रीय हित में ही है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में यथासभव ऊंचे से ऊंचा स्तर कायम रखा जाये। यह भी राष्ट्रीय हित में है कि सभी मामलों में राष्ट्रीय राजधानी पर केन्द्र का ही नियन्त्रण होना चाहिये भले ही वे राज्य क्षेत्र के हों अथवा संघ क्षेत्र के।

यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार के लिए राज्य सूची से संबंधित व्यवस्था बनाये रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनिवार्य आपूर्ति, नगर सेवाएं आदि किसी भी विषय में हस्तक्षेप करना संवैधानिक तौर पर असंभव ही होगा। यदि दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाता है तो यह पूर्ण संवैधानिक निषेध केन्द्रीय सरकार को राजधानी से सम्बन्धित अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाना असम्भव कर देगा।

बालकृष्णन समिति ने इस मामले पर गहराई में विचार किया है और कई तर्क दिये हैं कि क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसने खासतौर पर यह कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना राष्ट्र हितों के प्रतिकूल होगा।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि विधेयक से दिल्ली के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही आकांक्षा पूरी हो सकेगी जिससे उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में प्रशासन में उनका दबदबा रहेगा।

समिति ने अपने प्रतिवेदन के भाग 2 में दिल्ली से सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे में सिफारिशें की हैं जिनसे नगर निगम का पुनर्गठन जल व बिजली की आपूर्ति एजेंसियों आदि शामिल हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं। इन में से स्वीकार्य सिफारिशों को लागू करने हेतु, आवश्यक कानून बनाने के लिये आगे चलकर सरकार संसद के लिये विधेयक लाएगी।

मैं, इतने महत्व के विषय पर बालकृष्णन समिति द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा कार्य-वाही वृत्तांत में शामिल करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदन से इस विधेयक के अनुमोदन की पुरजोर सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं रक्षा मन्त्री महोदय का स्वागत करता हूं जिन्होंने संविधान में संशोधन के इस मुद्दे को उठाया है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे उन केन्द्र प्रशासित राज्यों के राज्यों के बारे में कुछ बतायें।

ये सभी भी उसी राह पर है। आप दिल्ली के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दे रहे है। क्या माननीय मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इन केन्द्र प्रशासित राज्यों के लोगों को भी कुछ और लोकतांत्रिक अधिकार दिये जाएगे ? यह मेरा उनुरोध है।

श्री एस० बी० चव्हाण : इस स्तर पर सरकार द्वारा माननीय सदस्य के प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना संभव नहीं होगा।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : जैसाकि श्री मनोरंजन भक्त ने कहा है हम दूर-दराज के क्षेत्रों से यहां आये हैं हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं जिनके लिये अभी तक अपना कोई कानून नहीं है। हम पूर्ण राज्य की मांग नहीं कर रहे है। कम से कम, हमारे बजट में तो सैकड़ों रुपये बढ़े हैं। अब समयाभाव के कारण गृह मन्त्री महोदय की मांग पर चर्चा नहीं हुई है। कई वर्षों तक वहां भी हमारे पास अपना कोई विधानमण्डल नहीं था। कार्यपालिका के कार्य के लिये वहां जिम्मेदारी तक नहीं है। यह तो न यहां है और न वहां। राजनीतिक भावनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिये। इस अवसर पर हम इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों का विधायिका के लिये स्वागत करते हैं। इसके साथ-साथ सरकार को भी सद्भावना दर्शानी चाहिये कि वर्तमान व्यवस्था से हमें भी कुछ न कुछ अधिकार मिलेंगे। माननीय मन्त्री महोदय से इस अवसर पर हम यही चाहते हैं। माननीय गृह मन्त्री महोदय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्णय यह हुआ है कि दिल्ली के राज्य बनने के मामले पर व्यापक विचार-विमर्श आज सायं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक पर चर्चा के दौरान होगा। हम इसका समर्थन करेंगे और इस समय व्यापक विचार विमर्श प्रारम्भ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मै विधेयक को समर्थन के विचारार्थ प्रस्तुत करू, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है जिस पर मत विभाजन होना चाहिये।

अब दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में

[मतविभाजन संख्या 1] [समय 12.20 म० प०]

अकबर पाशा, श्री बी० (वेल्लोर)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अम्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेनकासी)
अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
आचार्य, श्री वसुदेव (बांकुरा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
इम्बजीन, श्री (दार्जिलिंग)
इस्लाम, श्री मुरुल (धुबरी)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (नेजपुर)
उमा भारती, कुमारी (खुजराहो)
उमा रेड्डि वेंकटेश्वरलु, प्रो० (तेनाली)
उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्व)
उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)
उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेरे)
कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कश्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई-उत्तरपूर्व)
कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)
कालकादास, श्री (करोलबाग)

काले, श्री शंकरराव डी० (कोपरगांव)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बतुर)
कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (धमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्डिवाश)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)
केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खां, श्री अय्यूब (झूंझुनु)
खां, श्री सुलेमान (विजनुपुर)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)
गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गफूर, श्री अब्दुर (गोपालगंज)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गौड, श्री के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घनगोरे, श्री आर० एम० (वर्धा)
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (डमडम)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चेन्निथला, श्री रमेश (कोटटायम)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चोरे, श्री बापूहरि (धूले)
चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)
जटिया, श्री सत्यानारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम० आर० (तिरुनेलवेली)
जबाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपस्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी (कपडवंज)
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहन एम० (दादरा और नगर हवेली)
डोर, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)
तंगाबालू, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी, श्रीमती डी० के० (चिकमगलूर)
तोपदार, श्री तरित वरण (बैकरपुर)
तोमर, श्री रमेश चन्द्र (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंथा)
थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी० सी० (मुवतुपुजा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवड़ा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)
देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानुपुर)
धूमाल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)
नन्दी, श्री येलैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विथोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री मृत्युजंय (फूलबनी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़, उत्तर)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
नेताम, श्री अरविन्द (काकेर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)

पटेल, श्री रामपूजन (फुलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पद्मश्री, श्री कुडुमुला (नेल्लोर)
पांजा, श्री अजीत कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाटील, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाणिग्रही, श्री बल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (मामाराम)
पासवान, श्री राम बिलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिलचर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुरा)
प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
फर्नान्डीज, श्री आस्कर (उदीपी)
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारुक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा० असीम (नवद्वीप)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बैंठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
ब्रह्मो चौधरी, श्री, सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान-निकोबार)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंहराव (रामटेक)
भोंसले, श्री प्रताप राव बी० (सतारा)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मडल, श्री ब्रह्मनन्द (मुंगेर)
मडल, श्री सनतकुमार (जयनगर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)
महतो, श्री बीर सिंह (गिरिडीह)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री सुबर्त (रायगंज)
मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुण्डा, श्री कडिया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)
मुरुगेसन, डा० एन० (करुर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री रामशरण (खगरिया)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजुलु, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामेया, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरु)
राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगौड़)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाडा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, महासमुद्रम ज्ञानेन्द्र (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (करनूल)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कड़प्पा)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजन बाश एस० एम०, श्री (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, कु० विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मीर्जापुर)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (इटोहा)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शास्त्री, श्री आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सलीम, श्री मोहम्मद युनुस (कटिहार)
साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
साबे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूमराय)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंदनाल, श्री एम० बी० (बेलगांव)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री जगबीर (भिवानी)
सिंह, श्री दलबीर (शाहडोल)
सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री राजवीर (अंबाला)
सिंह, श्री राम (हरिद्वार)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह देव, श्री के० पी० (ढेकानाल)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुरेश, श्री कोडिकुनील (अदूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (पोन्नानी)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैयद, श्री शाहबुद्दीन (किशनगंज)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरुचेंगोड़)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

विपक्ष में

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन इस प्रकार है :—

पक्ष में : 289

विपक्ष में : 01

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया :—

श्री एडुआर्डो फैलीरो, डा० चिन्ता मोहन, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, सिद्दप्पा भीमप्पा न्यामगौड, श्रीमती कमला कुमारी करेद्दुला, सर्वश्री डामू बरकू शिगड़ा, एम० बागा रेड्डी, मानकूराम सोढ़ी, हरीलाल नागी पटेल, जी० माडे गौडा, गंगाधरा सानीपल्लो, अनन्त वेंकट रेड्डी, कोडाकनी गौडाना शिवप्पा, प्रवीन डेका, तारा सिंह, पी० सी० चाको, राव राम सिंह, सर्वश्री के० एम० पाला मैथ्यू, विश्वेश्वर भगत, डा० कार्तिकेश्वर पात्र, सर्वश्री शरत् चन्द्र पटनायक, बारे लाल जाटव, डा० (श्रीमती) पद्मा, सर्वश्री बाल्लिन कुन्नी, अंकुशराव टोपे, किरिप चालिहा, चिन्नास्वामी श्रीनिवासन, सतीश कुमार शर्मा, पी० पी० कालियापेरुमल, आनन्द अहिरवार, भेरु लाल मीणा, के० तुलसिऐया वांडायार, सुभास चन्द्र नायक, जी० एम० सी० बालयोगी, याइमा सिंह युमनाम, के० पी० रेड्डय्या यादव, डा० के० बी० आर० चौधरी, सर्वश्री धर्मभिक्षम, राम बदन, विलासराव नागनाथराव गूंडेवार, नरेश कुमार बालियान, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मानवेन्द्र शाह, श्रीमती रीता वर्मा, श्रीमती सुमित्रा महाजन, सर्वश्री वी० एन० शर्मा, मंगलराम प्रेमी, रामदेव राम, चिन्मयानन्द स्वामी, भुवन चन्द्र खंडूरी, दाऊ दयाल जोशी, राम टहल चौधरी, द्वारका नाथ धाम, योगानन्द सरस्वती, राम नारायण बैरवा, श्याम बिहारी मिश्र, डा० लाल बहादुर रावल, श्री पंकज चौधरी, डा० महावीर सिंह हीर सिंह जी गोहिल, डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी, कुमारी फिडा तोपनो, श्री शरद यादव और श्री नीतीश कुमार।

अध्यक्ष महोदय : अब, हम खण्डवार विचार करेंगे। हम खण्ड संख्या 2 को ले रहे हैं। खण्ड संख्या 2 में कुछ संशोधन सरकार की ओर से हैं और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन भी इसमें हैं। खण्ड 2 में नए अनुच्छेद 239 क क और 239 ख का शामिल करना।

खण्ड 2-- नए अनुच्छेद 239कक और 239कख का अन्तःस्थापन

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

1. पृष्ठ 3,— (2)

पंक्ति 25 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"239कख (1) यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239 कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगा जो उसे अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 कक के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"

(2) ऐसा कोई भी आदेश किसी उत्तरवर्ती आदेश के द्वारा प्रतिसंहृत या परिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा और वह, सिवाय तब के जब वह पिछले आदेश को प्रतिसंहृत करने वाला आदेश हो, दो मास की अवधि के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई आदेश उस समय जारी किया जाता है जब लोक सभा का विघटन हो जाता है या लोक सभा का विघटन उक्त खंड में उल्लिखित दो मास की अवधि के दौरान होता है और यदि ऐसे आदेश का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है किन्तु ऐसे आदेश के बारे में कोई संकल्प उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो ऐसा आदेश लोक सभा के पुनर्गठन के पश्चात् उसकी पहली बैठक के दिन से 30 दिन की अवधि के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा जब तक कि 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त आदेश का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित न कर दिया गया हो।

(4) इस प्रकार से अनुमोदित आदेश यदि प्रतिसंहित न किया जाए आदेश जारी करने की तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि यदि और प्रायः ऐसे आदेश लागू रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाये तो आदेश प्रतिसंहित होने तक उस तारीख से जिससे वह इस खंड के अन्तर्गत लागू नहीं रहता छह मास की और अवधि के लिए लागू रहेगा, परन्तु ऐसा कोई भी आदेश किसी भी मामले में 3 वर्ष से अधिक तक लागू नहीं रहेगा।

परन्तु यह और कि यदि छह मास की ऐसी अवधि में लोक सभा का विघटन हो जाता है तथा ऐसे आदेश के जारी रखने या अनुमोदन करने का संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किन्तु उक्त अवधि के दौरान लोक सभा द्वारा ऐसे आदेश को जारी रखने का संकल्प पारित नहीं किया जाता है तो लोक सभा के पुनर्गठन के पश्चात् उसकी पहली बैठक के दिन से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक ऐसा आदेश लागू नहीं रहेगा यदि उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लोक सभा द्वारा ऐसे आदेश को जारी रखने का संकल्प भी पारित नहीं कर दिया जाता।

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे आदेश के जारी रखने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए खंड 3 के अन्तर्गत अनुमोदित आदेश के लागू रखने के सम्बन्ध में ऐसे आदेश को संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय पूरे भारत में या देश के पूरे या किसी भी भाग में, जैसा कि मामला है, आपातकालीन स्थिति लागू हो; तथा

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि खंड (3) के अधीन अनुमोदित आदेश का ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान लागू रहना, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराये जाने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है।" (1)

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"चौहत्तर" के लिए

"उनहत्तर" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 14 से 19,—

"सिवाय उन विषयों के जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 के सम्बन्ध में है तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 के सम्बन्ध में,

वहां तक है जहां तक वे उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से सम्बन्धित हैं," **का लोप किया जाए।** (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44 और 45,—

"जो विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" **का लोप किया जाए।** (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 और 35,—

"ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे" **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए**—

"किसी समय छह मास से अनधिक की अवधि तक परन्तु कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं," (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 के **पश्चात** निम्नलिखित **जोड़ा जाए**—

"(2) ऐसा कोई आदेश, किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा प्रतिसंहित या परिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक आदेश, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और सिवाय तब के, जब वह आदेश पिछले आदेश को प्रतिसंहित करने वाला हो, दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया गया हो।" (8)

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" **के स्थान पर**

"राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र"

प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

"अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329" **के स्थान पर** "अनुच्छेद 54, 55, 324 से 327 और 329" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

श्री कालका दास (करोल बाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 20 से 22 का **लोप किया जाए।** (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 6 का **लोप किया जाए।** (12)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 7 से 9 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।**

"(5) मुख्य मंत्री विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।" (13)

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 14 संशोधन संख्या 6 से मिलता-जुलता है और संशोधन संख्या 15 संशोधन संख्या 7 जैसा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 3,

पंक्ति,—12 "(क)" **का लोप किया जाए।** (19)

पृष्ठ 3,

"पंक्ति 15 से 18 तक" **का लोप किया जाए।** (20)

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,—

"जो वह ठीक समझे" **के स्थान पर** "और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (21)

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22, 23, 24, 25, 26 और 27 अन्य संशोधनों से मिलते-जुलते हैं। अतः इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

अब मैं संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"चौहत्तर" के लिए

"उनहत्तर" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक-एक करके संशोधन प्रस्तुत करता हूं। अब मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 लोक सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 5 लोक सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 को लोक सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 और 7 लोक सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा सभा में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8, 9 और

10 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8, 9 और 10 लोक सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कालका दास द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 11 और 12 लोक सभा में मतदान के लिए रखे गए और वे अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ताराचन्द खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 13 लोक सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 14 और 15 को नहीं रखे गये क्योंकि ये संशोधन संख्या 6 और 7 से मिलते-जुलते थे। संशोधन संख्या 16, 17 और 18 भी नहीं रखे गए। संशोधन संख्या 19, 20 और 21 सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय सुन नहीं पाया। मैं अब मूव करता हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सज्जन कुमार जी, मैं समझता हूं कि अब इस बात का मौका नहीं है। वह चरण अब समाप्त हो चुका है। कृपया बात समझिए और सहयोग दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सहयोग देंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं शायद उन्होंने इसे नजरअन्दाज कर दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र होना चाहिए। यही वह संशोधन है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया है)" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही अमेंडमेंट दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से "नो" कर दिया गया। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह सुझाव स्वीकार किया था कि दिल्ली का नाम उसमें रहना चाहिए। यह धारणा थी, लेकिन अफिशियल अमेंडमेंट में नहीं आया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के अनुसार पूरी तरह से सही नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि इसमें इससे पूरी सभा सहमत है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए मैं श्री सज्जन कुमार को इसे रखने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारा अमेंडमेंट उसमें यही है और इसको सरकार ने पहले ही मूव कर दिया है। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट भी यही था। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइए, इस भ्रम को स्पष्ट कर लें। मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या 18 सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है और सत्ता पक्ष ने उसे प्रस्तावित किया है। इसलिए मैं संशोधन संख्या 18, 19, 20 और 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। श्री सज्जन कुमार इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैं उनका नाम नहीं पुकार रहा हूं। संशोधन संख्या 18 के समान ही एक संशोधन की सूचना श्री कालका दास और अन्यों द्वारा भी दी गई है। तो इस मामले में सर्वसम्मति है।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया है)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (18)

पृष्ठ 3,

पंक्ति,—12 "(क)" **का लोप किया जाए।** (19)

पृष्ठ 3,

"पंक्ति 15 से 18 तक" **का लोप किया जाए।** (20)

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,—

"जो वह ठीक समझे" के स्थान पर "और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (21)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : इस खंड के लिए अन्य संशोधन भी हैं। लेकिन वे सभा में मतदान के लिए

पहले ही रखे जा चुके संशोधनों के समान है। इसलिए मैं उन्हें पुनः सभा में मतदान के लिए नहीं रख रहा हूं। अब मैं यथा संशोधित खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

इससे पहले कि मैं यथा संशोधित खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए इस पर मत विभाजन होगा।

कृपया दीर्घा को खाली कर दिया जाए—

अध्यक्ष महोदय : दीर्घा पहले ही खाली हो गई हैं।

मैं समझता हूं कि सदस्य इस बात से सहमत हैं कि दीर्घाएं खाली हो चुकी हैं।

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

[मतविभाजन संख्या : 2] [समय 12.32 म० प०]

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अम्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेनकासी)
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)
आचार्य, श्री वसुदेव (बांकुरा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)
इस्लाम, श्री नुरुल (धूबरी)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)
उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्व)
उम्मारेड्डि, वेंकटेस्वरल, प्रो० (तेनाली)
उराव, श्री ललित (लोहरदगा)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगर)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेदबुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)
कछवां, श्री राम सिंह (चुरू)
कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई-उत्तरपूर्व)
कामसन, प्रो० एस० (बाह्य मणिपुर)
कालकदास, श्री (करोलबाग)
काले, श्री शंकरराव देव (कोपर गांव)
कुडुमुला, कुमारी पद्मणी (नेल्लोर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बतुर)
कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (विवलोन)
कृष्ण स्वमी, श्री एम० (वंडिवाश)
कृष्णणेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)
कैनियी, डा० विश्वनाथम (श्रीकाकुलम)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री अयूब (झुंझुन)
खां, श्री सुखेन्दु (विशनपुर)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)
गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री सन्तोष कुरार (बरेली)
गोगोई, श्री तरुण (कलिया बोर)
गजपति, श्री गोपी नाप (बरहामपुर)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गुडा डिम्मी, श्री बी० के० (बीजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी (भावनगर)

गोड, श्री के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (डमडम)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)

चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)

चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)

चौधरी, श्री रुद्रसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चोरे, श्री बापूहरि (धूले)

चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह)विदिशा)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जवाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए० (तिरुपस्तूर)

जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)
जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरीमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पूणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा-बूंदी)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)
ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी (कपडवंज)
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)
डामौर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेका, श्री प्रवीन (मंगलदाई)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)
तंक्काबाल, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती पी० के० (चिकमगलूर)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तोपदार, श्री तरित वरण (बेरकपुर)
तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, श्री रमेश चन्द्र (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
थामस, श्री पी० सी० (मुक्तुपूजा)
थुंगन, श्री पी० के (अरूणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री संदीपान भगवान (पंढरपुर)
दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवडा, श्री मुरली (मुम्बई, दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (नमिपुरम)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)
धूमाल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)
नंदी, श्री येलेला (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री मृत्युजंय (फूलबनी)
नायक, श्री गुवासचन्द्र (बालाहांडी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़, उत्तर)
नामायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)
पटनायक, श्री शरत् चन्द्र (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरि लाल ननजी (कच्छ)
डा० (श्रीमति) पद्मा (नागापट्टीनम)
पाटिल, श्री उत्तमराव देणराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री यशवन्तराव (अहमदनगर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नाराय (मन्दसौर)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (मासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुरा)
प्रभु झात्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
फर्नान्डीज, श्री आस्कर (उदीपी)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा० अमीम (नवद्वीप)
बालयोगी मी०एम०सी०, श्री (अमालापुरम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान-निकोबार)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भारद्वाज, श्री परशराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रायटेक)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनतकुमार (जयनगर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)
मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)
महतो, श्री बीर सिंह (गिरिडीह)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भेरू लाल (सलम्बर)
मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री सुबर्त (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)

मुरुगेसन, डा० एन० (करूर)

मुरमु, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)

मैथ्यू, श्री पाला के० एम० (इडुक्की)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

युमनाम, श्री यादमासिंह (आंतरिक मणिपुर)

राजनारायण, श्री (बासगांव)

राजराविवर्मा, श्री वी० (पोल्लाची)

राजुल, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव राम, श्री (पलामू)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरु)

राय, श्री एम० रमन्ना (कामरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (करनूल)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्रि (मुकुन्दपुरम)
लालजान बाशा एस० एम०, श्री (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, श्रीमती रीता (धनबाद)
वर्मा, कु० विमला (सिवनी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री सतीश कुमार (अमेठी)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (इटोहा)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)

शिगडा, श्री डामू बरक् (वहानू)
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना (शिमोगा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सलीम, श्री मोहम्मद युनुस (कटिहार)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री जगबीर, (भिवानी)
सिंह, श्री दलबीर (गाहडोल)
सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)
सिंह, श्री मोतीलाल (गोधी)
सिंह, श्री राम (हरिद्वार)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनन्दगांव)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री के०पी० (देंकानाल)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सैट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नानी)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैयद, श्री शाहबुद्दीन (किशनगंज)
सोड़ी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सौंद्रम, डा० (श्रीमति) के० एस० (तिरुचेंगोड़)
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी (डिन्डिगुल)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

विपक्ष में

पटेल, श्री भीम सिंह (रीवा)

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा है :

पक्ष में : 307

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

अध्यक्ष महोदय : संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

चौहत्तरवां के स्थान पर

उनहत्तरवां प्रतिस्थापित किया जाये । (3) (श्री एस० बी० चव्हाण)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :

पक्ष में :

सर्वश्री जी० माडे गौडा, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी, अनन्त वेंकट रेड्डी, डा० कार्तिकेश्वर पात्र, श्री भवानीलाल वर्मा, श्री बी० अकबर पाशा, प्रो० एम० कामसन, सर्वश्री पी० वी० कालियापेरूमल, श्री के० तुलसिया वान्डायार, शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, श्री नारायण भाई जभलाभाई राठवा, श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे, श्री के० पी० रेड्डया यादव, डा० के० बी० आर० चौधरी, श्री धर्ममिक्षम, श्री जायनल अबेदिन, श्री गोविन्द्र चन्द्र मुंडा, श्री सुकदेव पासवान, श्री अशोक आनन्दराव देशमुख, श्री रामनरेश सिंह राम शरण यादव, विलासराव नागनाथ राव, श्री नरेश कुमार बालियान, श्रीमती सरोज दूबे, श्री रामानंदोर राय, श्री रामपाल सिंह, श्री मदन लाल खुराना, कुमारी उमा भारती, श्री राजवीर सिंह, श्री एन० एन० शर्मा, श्री चिन्मयानन्द स्वामी, श्री विनय कटियार, रामटहल चौधरी, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, प्रो० के० बेंकटगिरि गौड, श्री योगानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण कुसमारिया, राम नारायण बैरवा, डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे, आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री, श्री छोटे लाल, श्री जीवन शर्मा, श्री शरद यादव और श्री नीतीश कुमार ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं। कि दीर्घाएं खाली हो गई हैं। इसलिए मैं खंड 1 को संशोधित रूप में सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (गांधीनगर) : महोदय, बोर्ड खाली नहीं हुआ है

अध्यक्ष महोदय : बोर्ड को खाली किया जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आज हम मशीन से भी अधिक तेज दौड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इन्सान का दिमाग विश्व की किसी भी मशीन से हमेशा तेज होता है।

अब, बोर्ड खाली हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 3] **[समय 12.35 म० प०]**

अकबर पाशा, श्री बी० (बैल्लोर)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अन्वारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अरुणाचलम, श्री ए० (टेनकासी)
अवैध नाथ, महनत (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)
इस्लाम, श्री नुरुल (घबरी)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (तिजपुर)
उमा भारती, कुमारी (खुजराहो)
जम्बे, श्री लाईता (अरुणाचलम पूर्व)
उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो० (तेनाली)
उराव, श्री ललित (लोहरदगा)

उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेरे)
ओवेसी, श्री सुलतान सलाउद्दीन (हैदराबाद)
कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कनोडिया, श्री महेश कुमार (पाटन)
कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)
करेंदला श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)
कहांडोले, श्री जे० एम० (मालेगांव)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई-उत्तरपूर्व)
काममन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)
कालकादास, श्री (करोलबाग)
कालियापेरुमल, श्री पी० पी० (कुड्डालोर)
काले, श्री शंकरराव (कोपरागांव)
कुड्डमुला, कुमारी पदमश्री (नेल्लोर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० (कोयम्बतुर)
कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन (सलेम)
करियम, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कली, श्री लालिन (लखीमपुर)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (त्रिवलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्दिवाश)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)
केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)
खनोरिया, श्री डी०डी० (कांगड़ा)
खण्डूरी, श्री भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री अय्यूब (झुंझुनू)
खां, श्री सुखेन्दु (विशनुपुर)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)
गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गुंडेवार, श्री विलास राव (हिंगोली)
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी (भावनगर)
गौड, श्री के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (डमडम)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)
चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)
चाल्मं, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अम्बाला)
चोरे, श्री बापूहरि (धूले)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम० आर० (तिरुनेलवेली)
जबाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरेना)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा-बूंदी)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ती (टिंडिवणाम)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)
ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी (कपडवंज)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेका, श्री प्रवीन (मंगलदाई)
डेनिम, श्री एन० (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० रामचन्द्र (बीरभुम)
तंगाबालू, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी, श्रीमती डी० के० (चिकमंगलूर)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तापेदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)
तोपनो, कुतारी फिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, श्री रमेश चन्द्र (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकथा)
थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी० सी० (मुवतुपुजा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री संदीपन भगवान (पंढ़रपुर)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवड़ा, श्री मुरली (मुम्बई, दक्षिण)
देब, श्री के० पी० सिंह
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानुपुर)
धर्मभिक्षम, श्री (नाल गोंडा)
धूपाल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)
नंदी, श्री येलेया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विथोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री मृत्युजंय (फूलबनी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ा उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
न्यामगौड़, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)
पटेल, श्री राजपूजन (फुलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पांजा, श्री अजीत कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाणिग्रही, श्री बल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसडा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (गिलचर)
पूगापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुरा)
प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रामणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मगलराम (बिजनौर)
फर्नान्डीज, श्री आस्कर (उदीपी)
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारुक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंसल, श्री पवन कुमार (चडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा० असीम (नवद्वीप)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बरुवा चौधरी, श्री सत्येन्द्र नाथ (कोकराझार)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान-निकोबार)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री सनतकुमार (जयनगर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)
मल्ल, डा० आर० (नगर कुरनूल)
महतो, श्री बिनोद बिहारी (गिरिडीह)
महतो, श्री बीर सिंह
माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री राम निवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पदरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भैरु लाल (सलम्बर)
मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुखर्जी, श्री सुबर्त (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)
मुरुगेसन, श्री एन० (करुर)
मुरमु, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)
मैथ्यू, श्री पाला के० एम० (इडुक्की)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन-चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री रामशरण (खगरिया)
युमनाम, श्री यादमासिंह (आंतरिक मणिपुर)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजू, श्री० बी० विजयकुमार (नरसापुर)
राजुलु, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एम० आर० (चिंगलपट्टू)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
रामेया, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरु)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डी, श्री इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री गट्टाम गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री मुहासमुदम ज्ञानेन्द्र (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी० एन० (भिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री विजय भास्कर (करनूल)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजन बाश एस०, एम०, श्री (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानी लाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रति लाल (धन्धुका)
वर्मा, श्रीमती रीता (धनबाद)
वर्मा, कु० विमला (सिवनी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शाक्य, डा० महादीक सिंह (इटोहा)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शास्त्री श्री विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शिगडा, श्री डामू बरकू (दहानू)
शिवप्पा, श्री के० जी० (शिमोगा)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सलीम, श्री मोहम्मद युनुस (कटिहार)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, ए० प्रताप (राजनपेट)
सावन्त, श्री मधीर (राजापुर)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (वेगूसराय)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधव राव (ग्वालियर)
सिद्धनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री बेलमाय (मरगुजा)
सिंह, श्री जगबीर (भिवानी)
सिंह, श्री दलबीर (शाहडोल)
सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री राजकीर (आंवला)
सिंह, श्री राम (हरिद्वार)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुरेश (श्री कोड्डीकुन्नील) (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैयद, श्री शाहबुद्दीन (किशनगंज)
सोढ़ी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा० (श्रीमति) के० एस० (तिरुचेंगोड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

विपक्ष में

पटेल, श्री भीम सिंह (रीवा)

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन इस प्रकार है :—

पक्ष में : 319
विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया :—

श्री तरुण गोगोई, श्री बी० के० गुडाडिन्नी, श्री अनन्त वेंकट रेड्डी, डा० कार्तिकेश्वर पात्र, श्री इब्राहिम सुलेमान सेट, श्री चिन्नासामी श्री निवासन, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री के० तुलसिऐया वांडायार, श्री सुबास चन्द्र नायक, श्री लोकनाथ चौधरी, श्री एम० रमन्ना राय, श्री रामश्रय प्रसाद सिंह, श्री जी० एम० सी० बालयोगी, श्री रामचन्द्र मगेतराव घंगारे, श्री के० पी० रेड्डय्या यादव, डा० के० वी० आर० चौधरी, श्री चेतन पी० एस० चौहान, श्री नरेश कुमार बालियान, श्रीमती स० ोज दूबे, श्री शिव राज सिंह चौहान, वीरेन्द्र सिंह, रामपाल सिंह, प्रभुदयाल कठेरिया, श्री रुद्रसेन चौधरी, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री द्वारका नाथ दास, डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे, श्री पंकज चौधरी, श्री जीवन शर्मा, श्री शरद यादव और श्री नीतीश कुमार।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० बी० चह्वाण : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कुछ सदस्य बाहर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वे सभी के अन्दर आएं ताकि वे इस विधेयक को पारित कराने में अपनी बात कह सकें।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में

[मतविभाजन संख्या : 4] [समय 12.42 म० प०]

अंसारी, श्री मुमताज (कोडरमा)
अकबर पाशा, श्री बी० (वैल्लोर)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अन्वारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेनकासी)
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)
इस्लाम, श्री नुरुल (धबरी)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)
उमा भारती, कुमारी (खुजराहो)
उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो० (तेनाली)
उम्बे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्व)
उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेरे)
कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कनोडिया, श्री महेश कुमार (पाटन)
कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)
करेंडुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)
कश्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई-उत्तरपूर्व)
कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)
कालकादास, श्री (करोलबाग)
कालियातेरुमल, श्री पी० पी० (कुड्डालोर)
काले, श्री शंकरराव बे० (कोपरगांव)
कुडुमुला, कु० पदमश्री (नेल्लोर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बतुर)
कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एम० (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्डिवाश)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)

कैनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खन्दूरी, श्री भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री अय्यूब (झुंझुनू)
खां, श्री सुलेमान (विशनपुर)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)
गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गोगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गुंडेवार, श्री विलास राव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गांमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी (भावनगर)
गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (डमडम)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)
चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)
चान्डी, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावडा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चेन्निथला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौरे, श्री बापूहरि (धुले)
चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बर (तिरुनेलवेली)
जाबाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरेना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल, अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा-बूंदी)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिण्डिवनम, श्री के० रामैमूर्ति (टिंडिवनाम)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपडवंज)

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभुम)
तंग्कावालू, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारादेवी, सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० (चिकमगलूर)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)
तोपदार, श्री तरित वरण (बैकरपुर)
तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, श्री रमेश चन्द्र (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकथा)
थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपुजा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)
देव, श्री के० पी० सिंह
देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)
धर्मभिक्षम, श्री (नाल गोंडा)
धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)
नन्दी, श्री येलैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा विथोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री मृत्युजंय (फूलबनी)
नायक, श्री गुबामचन्द्र (कालाहांडी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड, उत्तर)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
नेताम, श्री अरविन्द (काकेर)
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)
पटनायक, श्री शरत् चन्द्र (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)
पटेल, श्री बृगिण (सीवान)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
डा० (श्रीमति) पदमा (नागापट्टीनम)
पांजा, श्री अजीत कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री हीरालाल नंज
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाटील, श्री अनवरी समवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटिल, श्रीमती सूर्यकांता
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम बिलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरुमल, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)
प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
फर्नान्डीज, श्री आस्कर (उदीपी)
फारुक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बर्मन, श्री नकुल (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा० अमीम (नवद्वीप)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
ब्रह्मो चौधरी, श्री, सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान-निकोबार)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंहराव (रामटेक)
भोंसले, श्री प्रताप राव बी० (सतारा)
मडल, श्री ब्रह्मनन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री मनतकुमार (जयनगर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनया, श्री एस० (तुमकुर)
मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)
महतो, श्री बीर सिंह (गिरिडीह)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भैरू लाल (सलम्बर)
मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुण्डा, श्री कडिया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)
मुरुगेसन, श्री एन० (करुर)
मुरुमु, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० वी० बी० एस० (विशाखापटनम)
मैथ्यू, श्री पाला के० एम० (इदुक्की)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री रामशरण (खगरिया)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजुलु, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
रामेया, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरु)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)
रावत, श्री वी० कृष्ण (चिक्कल्लापर)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाडा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, महासमुद्रम ज्ञानेन्द्र (चित्तूर)
रेड्डी, श्री वी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (करनूल)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपरम)
लालजन बाश एस० एम०, श्री (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
वर्मा, श्री फूल चन्द (गाजापुर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, श्रीमती रीता (धनबाद)
वर्मा, कु० विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शर्मा, श्री सतीश कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (इटोहा)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शास्त्री, श्री आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शिगडा, श्री डामू बरकू (दहानू)
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना (शिमोगा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी (डिन्डिगुल)
संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री जगबीर (भिवानी)
सिंह, श्री दलबीर (शाहडोल)
सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री मनफूल (बीकानेर)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री राम (हरिद्वार)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)
मुल्लानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (पोन्नानी)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैयद, श्री शाहबुद्दीन (किशनगंज)
सोढ़ी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरुचेंगोड)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 349

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

विधेयक संशोधित रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मत दिया

डा० चिन्ता मोहन, श्री बी० एम० मुजाहिद, श्रीमती चन्द्रशेखर मारगथम, सर्वश्री भवानी लाल वर्मा, के० तुलसिऐया बान्डायार, सूर्यनारायण सिंह एम रमन्ना राय, जी० एम० सी० बालयोगी, याइका सिंह युमनाम, रामचन्द्र मरोतराव चंगारे (?), के० पी० रेड्डैया यादव, के० वी० आर० चौधरी, राम सुन्दर दास, प्रताप सिंह, मंजय लाल श्रीमती गिरिजा देवी, सर्वश्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह, सुशील चन्द्र वर्मा, राम टहल चौधरी, द्वारका नाथ दास, राम कृष्ण कुशमारिया, कुन्जी लाल, रामनारायण बैखा, छोटे लाल, मोहन सिंह, शरद यादव, नीतीश कुमार ।

12.44 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

हरारे में राष्ट्र मण्डल शिखर सम्मेलन, काराकस में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल के और चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब, जैसी कि हम लोगों में सहमति हुई थी, एक मैं माननीय प्रधानमन्त्री से आग्रह करूं कि वे अपनी विदेश यात्रा पर अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मर्यादा का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री महोदय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफी पहले गए थे, तभी उनको यह वक्तव्य देना चाहिए था। क्या कारण है कि सरकार विदेश नीति के सम्बन्ध में, के सम्बन्ध में संकोच कर रही है। पिछले सत्र में भी विदेश विभाग की मांगों पर चर्चा नहीं करवाई गई। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वक्तव्य बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वह आज प्रस्तुत किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 18 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर होने वाली बहस के बीच में जब मैं बोला था उसके बाद से संसार में हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस अवसर पर बोलते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र का, प्रतिस्पर्धाकारी गुटों से मुक्त संसार के विषय में जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण का जिक्र किया था—एक ऐसे संसार का जिसमें तनाव न हो और जो निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो। तथापि, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव कम हो और अंततः समाप्त हो जाने, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के लिए नये सिरे से प्रयास किए जाने के बावजूद अधिकांश देशों के विकास की बुनियादी और आधारभूत समस्याओं के समाधान हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं।

आज संसार उथल-पुथल और रूपान्तर-परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहा है। विकास की आश्चर्यजनक गति, तथा समाज संचालन की नीतियों का नवीकरण और पारम्परिक कार्य-कलाप अपने आप में समस्याएं भी हैं और चुनौतियां भी। मेरी सरकार परिवर्तन की ओर उन्मुख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढालने तथा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में अपनी विदेश नीति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है।

विगत तीन महीने घटना प्रधान रहे हैं। भारत की हमारी विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं—(i) भारत की एकता के लिए पैदा किसी खतरे को रोकना (ii) प्रादेशिक अखंडता को कायम रखना (iii) अपने क्षेत्र में स्थायित्व और शांति का एक स्थायी वातावरण तैयार करके भू-राजनीतिक सुरक्षा का सुनिश्चय करना और (iv) समूचे विश्व में राजनैतिक और आर्थिक नीतियां तैयार करने में विकास के महत्व को विश्व भर में बहाल करने की कोशिश। हमने दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों

को सावधानीपूर्वक पल्लवित और सुदृढ़ करके और बहुपक्षीय मंचों में जिनके कार्यों और जिनकी सफलताओं में हमारा प्रमुख योगदान रहा है, सजगता और प्रभावी ढंग से भाग लेकर इन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिया है। हमने अक्तूबर में हरारे में सम्पन्न राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक और नवम्बर में काराकस में जी-15 के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दिसम्बर में नेपाल और चीन के प्रधान मन्त्री भी भारत आए। मेरे विचार से इन घटना प्रधान कार्य-कलापों के सम्बन्ध में मुझे इस सदन के समक्ष विस्तार से एक बयान देना चाहिए।

हरारे में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि 1990 के दशाब्द में और उसके बाद राष्ट्रमण्डल की भूमिका क्या होगी। इसका मकसद राष्ट्रमण्डल की शक्ति का पता लगाना और संसार की बदलती परिस्थितियों में इसकी सार्थकता पर विचार करना और भावी प्राथमिकतायें निश्चित करना था। भावी दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के प्रश्न पर विकसित और विकासशील देशों में फर्क होना स्वाभाविक है। कुछ विकसित देश इस बारे में इस बात के लिए उत्सुक हैं कि बहुपक्षीय कार्य-सूची में राजनीतिक बहुवाद, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक व्यवहार जैसे विषयों पर ही बल दिया जाए। इस तरह के विषय "अच्छे प्रशासन" की छत्र-अवधारणा के अन्तर्गत समाहित किए जाते हैं। राजनीतिक बहुवाद और लोकतांत्रिक कार्य संचालन के क्षेत्र में भारत का कार्य ऐसा अच्छा रहा है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारा समाज इन्हीं बुनियादी मानवाधिकारों और मूल्यों को मानता है और इसीलिए इसी पर उसकी इमारत खड़ी है। इन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केन्द्रित हो, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा हम विकास और आर्थिक सहयोग जैसे बुनियादी विषयों की कीमत पर नहीं कर सकते। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत दशाब्दों में विश्व के एक भाग में वहां अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं, उनके मानदण्डों और स्तर में जो विकास हुआ है, उसे यों का यों ही दूसरे भाग के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह है भी देखना होगा कि इस तरह के मूल्यों को अपनाने की इच्छा की वजह से विकास सहायता पर गैर आर्थिक शर्तें न लादी जायें। हरारे घोषणा मे भारत का यह विचार निहित है जो अन्ततः राष्ट्रमण्डल में आम सहमति के रूप में उभरा।

इसी तरह काराकस में आयोजित जी-15 के शिखर सम्मेलन में भी हमारा उद्देश्य इस बात का सुनिश्चिय करना था कि बहुपक्षीय कार्य सूची में विकास सहयोग पर बल को बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति हो, कम से कम जी-15 के देशों में तो अवश्य ही। विकास के बारे में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के विषय पर मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा पारित संयुक्त विज्ञप्ति से यह आवश्यकता पूर्णतः प्रतिलक्षित होती है। जी-15 की दूसरी शिखर बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी की इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग की बहुत सी परियोजनाएं स्वीकार की गई और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तय किए गए। इसमें "जीन बैंकों" की स्थापना और गैर ऊर्जा के प्रयोग से सम्बद्ध दो भारतीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आर्थिक और प्रौद्योगिक आधार प्राप्त होगा जिसे व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक सभा से और आगे बढ़ाया जाएगा। काराकस में व्यापारियों की समानता बैठक से जी-15 के देशों के करीब 240 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को परस्पर मिलने का मौका मिला।

अतः जी-15 की शिखर बैठक के परिणामों से हमारा सन्तुष्ट होना अकारण नहीं है। 1993 में यह शिखर बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने का निमंत्रण भी दिया गया है। हमने इसे स्वीकार कर लिया।

इस महीने के शुरू में नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कोइराला की भारत यात्रा से भारत और नेपाल के बीच सहयोग के गुणात्मक रूप से एक नए युग का शुभारम्भ हुआ। उनके साथ जो बातचीत हुई और जो सहमति हुई उसमें हमारी आपस की बहुत-सी चिन्ताएं शामिल थीं और उनमें कई मसलों पर गलत-फहमी दूर हुई। उनके साथ सभी बैठकें अत्यन्त हार्दिकता, सौहार्द और सद्भाव के वातावरण में हुईं। इन बैठकों के फलस्वरूप ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका उद्देश्य नेपाल और भारत के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग को और अधिक विस्तार देना है।

एक भारत-नेपाल व्यापार संधि पर, एक भारत-नेपाल पारगमन संधि पर तथा अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण से सम्बद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापार विषयक संधि में कई नई सुविधायें और रियायतें शामिल हैं जिनसे, अगर नेपाल के व्यापार और उद्योग ने उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया तो, भारत के लिए नेपाल के निर्यात में बहुत वृद्धि होनी चाहिए। पारगमन संधि में नेपाल के मार्गस्थ माल के लिए सीमा-शुल्क और दूसरी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया गया है। दोनों पक्षों ने इस बात का वचन दिया है कि तस्करी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने में पूरी तरह एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर गम्भीर दुष्प्रभाव डाल रहा है।

जल संसाधन का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेपाल की अर्थ-व्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है और जिससे भारत को भी लाभ पहुंच सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि करनाली, पंचेश्वर तथा कोसी पनबिजली परियोजनाओं के बारे में तथा बूढ़ी गण्डक, बाढ़ की पूर्व सूचना और बाढ़ से रक्षा, विद्युत शक्ति का आदान-प्रदान करने से सम्बद्ध मझोली परियोजनाओं के बारे में हमने जो बहुत-से निर्णय लिए हैं, उनसे इस क्षेत्र में शीघ्र और बहुत प्रगति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परियोजनाएं नेपाल और भारत, दोनों ही के लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी होंगी।

अनुमोदित भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों के माल के लिए भारतीय मण्डी में विशेष रूप से अनुकूल प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इससे औद्योगिक सहयोग और नेपाल के औद्योगीकरण को बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, भारत-नेपाल के मौजूदा संयुक्त उद्यमों की निष्क्रियता अथवा उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

नेपाल की सरकार के अनुरोध के अनुसार हम अपने स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के भीतर, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और दूर-संचार के क्षेत्रों में अनेक नई भारतीय सहायता परियोजनायें हाथ में लेंगे। यह हमारी लम्बे अर्से से, चली आ रही परम्परा की निरन्तरता का ही प्रतीक है जिसके अन्तर्गत हम अपनी सामर्थ्य के अनुरूप नेपाल के आर्थिक विकास में उसकी भरसक मदद करते आए हैं।

नेपाल के अनुरोध पर ही कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, वाणिज्यिक फसलों का संसाधन, कृषि आधारित उद्योग आदि में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। इन कार्यक्रमों से नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के खास-खास उपाय भी तय किए गए।

नेपाल के महान देश भक्त, स्वतन्त्रता सेनानी और राजनेता, स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की स्मृति में, जो भारत की आजादी की लड़ाई में भी अत्यन्त निकट से जुड़े रहे थे, दोनों देशों ने बी० पी० कोइराला भारत-नेपाल फाउन्डेशन की संयुक्त स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह फाउन्डेशन न सिर्फ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए काम करेगा, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,

कृषि तथा विकासोन्मुखी अन्य क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने के लिए भी कार्य करेगा। नेपाल और भारत की सरकारें इस फाउन्डेशन के न्यासी-कोष में बराबर-बराबर दो करोड़ रुपये तक की राशि अपनी-अपनी ओर से देंगी।

इस तरह, दोनों देशों के बीच सहयोग का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक सम्बन्धों में एक सच्ची क्रांति आए। नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों के क्षेत्र में आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें अनन्त नई-नई सम्भावनायें हैं। अब यह हमारी दोनों सरकारों का काम है वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने देशवासियों को इस प्रकार के सहयोग से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित न होने दें क्योंकि इस पर उनका अधिकार है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी ओर से न प्रयत्नों में ढील आएगी और न हम अपनी प्रतिबद्धताओं से अलग हटेंगे। मुझे विश्वास है कि नेपाल की ओर से भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ऐसे ही प्रयास होंगे। यहां मैं पुनः यह बताना चाहूंगा कि विकास के क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करने के लिए सजग प्रयास किए गए हैं।

जैसा कि सदन को मालूम है, चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमन्त्री श्री ली फंग भारत आए थे और 11 से 16 दिसम्बर तक यहां ठहरे थे। चीन के किसी प्रधानमन्त्री की 31 वर्ष के दीर्घ अन्तराल के बाद होने वाली इस यात्रा से सदन में और पूरे देश में भी भारत-चीन सम्बन्धों पर और क्षेत्रीय घटनाचक्र पर इसके प्रभाव के संदर्भ में काफी जागृत होना बड़ा स्वभाविक है। एशिया के चीन और भारत जैसे दो महत्वपूर्ण एशियाई देशों के पारस्परिक कार्य-कलाप का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए भी बड़ा महत्व है। इस यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा।

प्रधानमन्त्री ली फंग के साथ उनके विदेश मन्त्री श्वान श्वीचेन तथा वैदेशिक व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री ली लाकिंग तथा चीन सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे।

श्री ली फंग द्वारा हमारे देश की यह यात्रा तथा पारस्परिक हित चिन्ता के मामलों पर उनके साथ सम्पन्न विस्तृत विचार-विनिमय इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि उनकी यह यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तीव्रगति से होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में हुई थी जिसमें पूर्वी यूरोप के राज्यों और समाजों का आधारभूत रूप परिवर्तन पश्चिमी यूरोप में होने वाले एकीकरण की प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों में बदलते समीकरण सभी कुछ शामिल हैं। हमने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर भी व्यापक बातचीत की।

श्री ली फंग ने इस यात्रा से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन और उप-राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा के साथ भी मुलाकात की। चीन के विदेश मन्त्री ने हमारे विदेश मन्त्री श्री माधवसिंह सोलंकी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच भी अलग से बैठकें हुईं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेपाल के प्रधानमन्त्री की भांति चीन के प्रधान मन्त्री भी हमारे राजनैतिक नेताओं और कई संसद सदस्यों से मिले।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श में प्रधानमन्त्री ली फंग और मैं इस बात पर सहमत हुए कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्त, जिनकी शुरूआत भारत और चीन ने मिलकर 1954 में की थी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन के अनिवार्य मानदण्ड हैं और सभी देशों को, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, कैसी भी उनकी शक्ति हो और वे विकास के किसी भी पायदान पर क्यों न हों, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समान सदस्य हैं। हम दोनों का यह भी समान विचार था कि विवादों को

निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग या उसका प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। विकसित और विकासशील विश्व के बीच आर्थिक सन्तुलन ने और अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। विकासशील देशों को उत्तर के साथ अपनी बातचीत में न केवल एक समान रवैया अपनाने की जरूरत है बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

दोनों देशों के बीच सीमा के शेष प्रश्न के बारे में चीन के प्रधानमन्त्री और मैं दोनों इस बात पर सहमत हुए कि इस प्रश्न का शीघ्र, निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। हमने इस बात पर अपना सन्तोष व्यक्त किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखा गया है। हमने इस बात पर जोर दिया कि सीमा के प्रश्न पर हमारे मतभेद कम किए जाने चाहिए और हमें एक-दूसरे के सा। अपने सम्पर्क बनाए रखने चाहिए ताकि संयुक्त कार्यदल को निर्देश दिए जा सकें जिसकी स्थापना 1988 में इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए की गई थी। मैंने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रश्न का समाधान दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि होगा और इससे शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों की पुष्टि होगी। संयुक्त कार्यदल की अगली बैठक 1992 में यथाशीघ्र बुलाई जाएगी और स्थानीय मसलों को सुलझाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक कामिकों के बीच नियमित बैठकें होंगी।

इस यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें शामिल है शंघाई और बम्बई में प्रमुख कौंसलावासो को पुनः खोलने से सम्बद्ध करार और सीमावर्ती व्यापार को पुनः शुरू करने और बाहरी अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी ज्ञापन। हम कृषि, जन-स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए। चीन में भारत महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति हुई। भारत में चीन महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा।

तिब्बत के मसले पर हमारी दीर्घकालिक और ठोस स्थिति को पुनः स्पष्ट तौर पर दोहराया गया। तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है और हम तिब्बतियों को भारत में चीन विरोधी राजनैतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देते। इससे तिब्बत के साथ हमारे सदियों से चले आ रहे धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात मैंने अपनी बातचीत में भी बताई थी। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में परम-पावन दलाई लामा के प्रति हमारा सम्मान यथावत है। इस प्रकार की स्थितियों के प्रति दृष्टिकोण राजनैतिक बातचीत के माध्यम से सर्वसम्मति बनाकर ही बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में चीन के प्रधानमन्त्री की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। चीन के प्रधान मन्त्री ने बताया कि तिब्बत की स्वतन्त्रता को छोड़कर शेष सभी मसलों पर परम-पावन दलाई लामा से बातचीत की जा सकती है।

हमने पाकिस्तान को अत्युन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों की सप्लाई तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद और विध्वंसकारी कार्यवाहियों में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में चीनी पक्ष को अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया। चीन की सरकार आतंकवाद के खिलाफ है क्योंकि इससे क्षेत्रवाद सुलझती नहीं बल्कि मौजूदा स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं देखना चाहते और वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। म्यानमार को चीन द्वारा शस्त्र सप्लाई किए जाने के बारे में भी अपनी चिन्ताओं से उन्हें अवगत कराया हमने इस बात का उल्लेख किया कि विश्व जनमत का बाहुल्य म्यानमार में ऐसा लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के पक्ष में है जो इसके लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

1.00 म० प०

हमारी बातचीत में मानवाधिकारों का मसला भी उठा। मैंने सभी मानवाधिकारों की अविभाज्यता की संकल्पना के प्रति अपने अनुपालन पर भी जोर दिया। साथ ही मैंने हरारे और काराकस में प्रस्तुत अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि किसी भी विकासशील देश को मानवाधिकारों के नाम पर सहायता देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। विकास के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीन के प्रधान मन्त्री का विचार था कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल देशों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ौसी है और हम इससे अनिवार्यतः भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक परस्पर क्रिया-कलापों की परम्परा से जुड़े हुए हैं। हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों में आशावान भविष्य की उम्मीद करते हैं। हमारी बातचीत से आपसी सूझबूझ सुदृढ़ होनी चाहिए और इससे अनसुलझे सभी मसलों का शान्तिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि चीन के प्रधानमन्त्री की यह यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जियांग जेमिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हमारे राष्ट्रपति को चीन यात्रा का निमंत्रण दिया गया है और प्रधान मन्त्री ली पेंग ने मुझे अपने देश की यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया है। आज अस्थिर और बदल रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देश जिनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की एक तिहाई है, विश्व में शान्ति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो कि उन्हें निभानी ही चाहिए।

इस यात्रा का उद्देश्य एक ओर सीमा पर विचार करना और दूसरी ओर आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार करना था। आपसी हित के इन अन्य क्षेत्रों में दो श्रेणियां हैं : एक द्विपक्षीय और दूसरी मानव जाति के आम हित में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र। दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और चीन काफी कुछ कर सकते हैं। विश्व के प्रति यह उनका कर्तव्य भी है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह अन्तर्राष्ट्रीय पहलू हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा-हमेशा रहेगा भी। किन्तु इस समय जब विश्व में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि मानव जाति के प्रति यह विशेष कर्तव्य भी तात्कालिक स्वरूप का है। इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अधिकांश मानव जाति का भविष्य, जो विकासशील देशों में रह रहे हैं और गरीबी और जरूरत की स्थिति में जी रहे हैं, इस समय इतने अधिक दांव पर लगा है जितना पहले कभी नहीं था। भारत और चीन मानव जाति के इस बड़े हिस्से के प्रति यह अपना कर्तव्य समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख उन कारणों और तार्किकता को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमारी विदेश नीति उन्नत हुई है, जैसाकि उन महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रतिलक्षित है जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। यह मुख्यतः हमारी धर्मनिरपेक्ष बहुवादी शासन प्रणाली की सैद्धान्तिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए है। यह उथल-पुथल वाले विश्व में अपनी राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिए और जातीय, धार्मिक, आर्थिक और पृथकतावादी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए है। यह समूचे विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमारे लोगों के बुनियादी हित कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए है। जैसा कि मैंने पाया है हमारी विदेश नीति का निहित उद्देश्य संकीर्ण राष्ट्रवादी भावना में एक आयाम वाला नहीं है। इसका निहित उद्देश्य एक ऐसी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो मेल-मिलाप, आम सहमति और शान्ति के लिए, संघर्ष करने की सर्व-

सम्मत इच्छा और बुनियादी मसलों तथा मानवजाति की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने पर आधारित हो। यह तथ्य इन चारों घटनाओं के प्रति समान है, इनमें से प्रत्येक के व्यावहारिक उपायों से जो परिणाम निकलेंगे उनसे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है।

यह मेरी दृढ़ धारणा है कि हरारे और काराकस में दो बहु-उद्देशीय आयोजनों में हमारी भागीदारी और नेपाल और चीन के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा से हमारे अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा दायित्वों की पूर्ति और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भी सार्थक और संरचनात्मक दृष्टिकोण है। विदेश मंत्री माननीय सदस्यों को समय-समय पर विदेश नीति मोर्चे पर चली घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम प्रमुख विदेश नीति मसलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाते रहेंगे। उनमें माननीय सदस्यों का योगदान हमेशा मिलता रहेगा। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं प्रधानमंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री एम० आर० काडम्बुर जनार्दनम (तिरुनलवेली) : मान्यवर, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि मिली है, को बधाई देने में तमिलनाडु के नागरिकों का साथ दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रधान मंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम सदस्यों को असूचीबद्ध मामलों पर विचार प्रकट करने का अवसर कुछ देर बाद में देंगे। किन्तु कार्य मंत्रणा समिति में किसी वरिष्ठ सदस्य ने इस तरह का विचार प्रकट किया था कि ज्यादा नहीं केवल एक या दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण हों, पूछे जाने चाहिएं ताकि और अधिक सूचना एकत्रित की जा सके। अब जबकि सदन की परिपाटी नहीं है फिर भी मैं अपवादस्वरूप इसकी आज्ञा दे रहा हूं जोकि उदाहरण नहीं बनना चाहिए। क्या मैं सदस्यों से निवेदन करूं कि वे लम्बे और बहुत अधिक प्रश्न न पूछें। और न ही प्रश्नों को दुहरायें और जहां तक संभव हो शांतिपूर्ण एवं सारगर्भित तरीके से मुद्दे को उठायें। अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एम० आर० काडम्बुर जनार्दनम : श्रीमन, मेरे आग्रह का हुआ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये विस्तृत वक्तव्य की प्रशंसा करते हुए जैसाकि आपके दिशानिर्देश के अनुसार मैं दो संक्षिप्त प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम यह संयुक्त कार्यकारी दल जोकि जिसे सीमा विवाद सम्बन्धी मामले की जांच करनी है एवं जिसका गठन दोनों पक्षों के अधिकारियों के द्वारा हुआ है और जैसाकि मैं समझता हूं इसका दर्जा बढ़ाया गया है, कि भविष्य के लिये इस संयुक्त कार्यकारी दल के अधिकारी कोई सार्थक

परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जब तक कि दोनों प्रधान मंत्री या दोनों सरकारें उन्हें कोई दिशानिदेश या सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए न कहें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों पक्षों के बीच इस तरह के दिशानिदेश अथवा सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया है, सहमति बनाई गई है। और वास्तव में कुछ मार्गदर्शन के तौर पर उन अधिकारियों को, जो संयुक्त कार्यकारिणी कार्यकारी दल में हैं मार्गनिदेश के लिए इस सम्बन्ध में बता दिया गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उद्धरण का क्या औचित्य है --दौरे के अन्त में जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति में यह सब बातें नहीं हैं किन्तु दौरे के दौरान समाचारपत्रों में यह बड़े शोर-सोर से प्रकाशित किया गया और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें इसका खण्डन भी नहीं किया गया। दोनों प्रधान-मंत्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अल्पमत सरकारों के खतरों के सन्दर्भ में इन उद्धरणों का क्या मतलब होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वाक्यांश का क्या मतलब है? क्या इसका तात्पर्य एक पक्षीय विश्व के खतरों से है जिसे कदाचित कुछ शक्तियां स्थापित करना चाहती हों? क्या यह इसी सन्दर्भ में है कि इस वाक्यांश "इन्टरनेशनल आसीगार्की" का प्रयोग करके चेतावनी दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, यदि आप चाहें, मेरे विचार से, मैं कुछ अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दूं और आप अन्त में उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाना चाहता हूं। हमें ऐसी आशा नहीं थी, मैंने सोचा था कि यह केवल वक्तव्य तक ही सीमित रहेगा। अतः मैंने इसी तरह का वक्तव्य दूसरे सदन में भी देना है और समय भी निर्धारित कर दिया गया, अब यदि नियम बदले जाने हैं, तो पद्धति को भी बदलना पड़ेगा, हमें इसके बारे में कुछ पहले ही बताया जाना था। स्पष्टतः मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज ही दोनों सदनों के बीच यह सब कैसे सम्भव होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है। मैं संक्षेप में एक या दो प्रश्नों की अनुमति देता हूं। प्रधानमन्त्री जी आप किस समय वहां होंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही विलम्ब कर रहा हूं। मुझे 20 मिनट पहले ही वहां होना चाहिए था। मैंने सूचना भेज दी है कि इसे स्थगित कर दिया जाए। किन्तु वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। (व्यवधान)...मैं पलायन नहीं कर रहा हूं और न ही प्रश्न से आंखें चुरा रहा हूं। यदि हम एक सदन में जवाब दे सकते है तो दूसरे में भी दे सकते हैं, लेकिन यही बात मेरी समझ में नहीं आई, सिर्फ यही बात है। (व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : खैर, हम इसे किसी और समय रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हमने प्रस्ताव रखा था कि इसे दो बजे से रखा जाए ताकि मैम्बर्स इतमिनान से पूछ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसको लंच से पहले किया जाये। राज्य सभा में तो आलरैडी लंच हो गया होगा। (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पौन्नानी) : यहां पर लंच आवर होगा।

श्री राम विलास पासवान : आप इसे लंच आवर के बाद रखिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार में हमें माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् दूसरे सदन में जाने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि दूसरे सदन में भी उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अगर आवश्यक हुई तो संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श के पश्चात हम यह निश्चित कर सकते हैं कि इसे कैसे किया जाये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह ठीक है कि कोई भी समिति जिसमें केवल अधिकारी ही सम्मिलित हो तो वह सीमा सम्बन्धी विवाद तथा दूसरे किसी विवाद को निपटाने में एक सीमा तक ही पहुंच सकती हैं। 1981 में हमने सरकारी समिति आरम्भ की। हमने बातचीत के सात दौर किए तथा सातवें दौर तक प्रत्येक दौर के साथ प्रगति हुई तथा मुझे दोनों सदनों में एक प्रगति के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अवसर मिला। सातवें दौर पर आ कर उनकी गति समाप्त हो गई। उन्हें राजनैतिक संकेत की आवश्यकता थी, जिसके बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए बातचीत के उन दौरों से अनुकूल परिणाम नहीं निकले। इस बार हम सावधान थे। संयुक्त कार्य दल के मन में कुछ विचार थे। इसके अतिरिक्त इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था जो कि पहले नहीं हुआ था। पहले केवल प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत होती थी। इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था तथा इसलिए जिस मुद्दे पर सहमति हो जाती थी, उसे नोट कर लिया जाता था। जिस मुद्दे पर सहमति नहीं होती थी, उसे नोट नहीं किया जाता था तथा इस प्रकार जहां तक दल का सम्बन्ध है तो इसकी सारी सिफारिशें, चाहे वे किसी भी मुद्दे पर रही हों, वे संयुक्त रूप से दी गई सिफारिशें थीं।

वर्तमान यात्रा के दौरान यह आशा थी कि किसी समय, शायद दूसरे या तीसरे दौर के पश्चात् हमें फिर से राजनैतिक संकेत देने पड़ेंगे। इस आवश्यकता को समझ लिया गया था। परन्तु मेरा विश्वास है कि संयुक्त कार्य दल की अगली बैठक में किसी नए संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस बात पर सहमत थे कि इस सम्बन्ध में सम्पर्क बनाये रखा जाये कि संयुक्त कार्य दल 1992 में दूसरी बैठक के पश्चात किस प्रकार प्रगति कर रहा है तथा किसी आसान तरीके द्वारा ये पता लगा सकें कि किसी राजनैतिक संकेत की आवश्यकता है, या नहीं। अगर इसकी आवश्यकता नहीं तथा कोई परिणाम सम्भावित हो तो वे बातचीत का एक और दौर कर सकते हैं तथा हम तीसरे दौर तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अन्यथा, हम में इस बात पर सहमति है कि प्रत्येक दौर के साथ सम्पर्क बनाये रखा जायेगा। यह पहले प्रश्न का उत्तर है।

'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' के सन्दर्भ में यह शब्दावली संभावित घटनाओं के लिए प्रयोग की जाती है—मैं यह नहीं जानता कि यह घटित हो चुका है अथवा घटित हो रहा है, परन्तु ऐसा होने की संभावना है—अगर कुछ लोगों का समूह अथवा कुछ देशों का समूह ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है कि उनकी इच्छा, चाहे वह ठीक हो या गलत, उसे अलोकतांत्रिक तरीके से बाकी देशों पर थोपा जा सकता है, तो हमें बड़े ही सावधान रहने की आवश्यकता है तथा में इस सन्दर्भ में मैं किसी देशों के समूह का नाम नहीं ले रहा तथा एक ध्रुवी विश्व में भी ऐसा हो सकता है तथा कुछ हालातों में ऐसा हो सकता है। और हमें आरम्भ से ही सावधान रहना है। शब्द 'चलो, से हमें ऐसी घटना की संभावना से सावधान रहना है। एक और सावधानी हमें यह बरतनी होगी कि हमें टकराव की स्थिति से बचना होगा। कई वर्षों से तथा कई दशकों से दोनों तरफ टकराव का दृष्टिकोण बना हुआ है। जो घटित हुआ, वह हम जब जानते हैं। परन्तु बातचीत द्वारा अर्थपूर्ण समाधान निकालना मुश्किल है तथा टकराव का दृष्टिकोण अपनाना आसान है। इसलिए कूटनीति का कार्य बहुत ही कठिन हो गया है। पहले, हमने

एक प्रस्ताव पारित किया, इसके पक्ष में मत दिया तथा वापिस आ गये। फिर हमने सोचा कि हमारा कर्त्तव्य समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है। हमें बातचीत का रास्ता अपनाते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहमति बनाते हुए इसे सर्वस्वीकार्य बनाना है तथा क्रियान्वित करना हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है तथा इसलिए आरम्भ से ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तथा देशों का एक बड़ा समूह स्वत: ही असहाय होकर दबाव के अन्दर थोड़े से देशों के कार्यक्रम अथवा दृष्टिकोण या नीति को न अपना लें।

मैं यह नहीं कहता कि यह बिल्कुल गलत है। यह ठीक भी हो सकती है। हम इसका अनुसरण कर सकते हैं परन्तु इसे हम पर थोपा नहीं जा सकता। यह एक राष्ट्रीय निर्णय होना चाहिए। भारत में अपनाई जाने वाली नीति का निर्धारण यह संसद करेगी तथा यह विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। इस शब्द 'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' का प्रयोग इसी सन्दर्भ में किया जाता है। इसे वर्णनात्मक होना था। परन्तु, वास्तव में जो विश्व में हो रहा है, उस घटनाक्रम का एक बड़ा भाग इसी दृष्टिकोण से प्रभावित है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। इसी सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा तत्पश्चात् भोजनावकाश के लिए सभा का स्थगन होगा।

(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : महोदय, 1.15 म० प० बज चुके हैं। सभा का भोजनावकाश के लिए स्थगन किया जाना चाहिए आज शुक्रवार है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पश्चात् हम सभा स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक माह के अन्दर भिण्ड में···**(व्यवधान)**···भिण्ड जिले के एक गांव में 82 हत्यायें हो चुकी हैं और वहां पर बैठी हुई अदालत के गुण्डों ने आकर वहां के जज को मारा, एक डाक्टर को वहां अस्पताल में आकर मारा। ज्यूडिशियरी यहां पर हड़ताल पर है, वहां पर अस्पताल के सारे कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। इन हत्याओं के बाद 12 दिसम्बर को लगभग दोपहर में एक परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से जनआक्रोश बढ़ा और तभी से भिण्ड नगर पूरी तरह से बन्द है, पूरा भय और आतंक वहां व्याप्त है। जब वहां की जन संघर्ष समिति के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया तो वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर डण्डे बरसाये और 200 से अधिक लोगों को जेल में बन्द कर दिया, पुलिस का आतंक वहां पूरी तरह से फैला हुआ है। **(व्यवधान)**

1.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

वहां पर बिना किसी मतलब के लोगों को जेलों में बन्द किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ है। **(व्यवधान)** अदालत बन्द, अस्पताल बन्द बाजार बन्द पूरी तरह से वहां अव्यवस्था फैली हुई है। इन्दौर के अन्दर जो पत्रकार थे, उनको मारा-पीटा गया, उनके ऊपर पथराव

किया गया और वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह हालत हो गई है कि पर हालत पूरी तरह से खराब है। हम वहां पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग करते हैं और इस भय और आतंक फैलाने वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे तीन नेताओं की पहले हत्या हो चुकी है। परसों नोएडा में श्री महेन्द्र सिंह भाटी, जो वहां के एम० एल० ए० हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने ले जाकर हत्या कर दी है···(**व्यवधान**)···वहां पर गोली चलाई गई। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पोलिटिकल हत्याओं का सिलसिला चला है और पोलिटिकल लीडरों को मारा जा रहा है ···(**व्यवधान**)···चाहे जनता दल के आदमी हो या किसी दूसरी पार्टी के आदमी हों, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बात की···(**व्यवधान**)···यह जो घटना हुई है, उसकी जुडिशियल एन्क्वायरी कराई जाए।···(**व्यवधान**)···जुडिशियल एन्क्वायरी द्वारा इसकी जांच करवाइए।···(**व्यवधान**)···

श्री रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह भाटी जनता दल का लीडर है, जिसने पूरे दादरी क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है। (**व्यवधान**)···अपहरण, हत्याएं, अवैध कब्जे, फैक्ट्रियों से चौथ वसूल करना—ये काम इनके लोग इनके संरक्षण में करते हैं। सब पर इनका हाथ है। इनके खिलाफ 24 मुकद्दमे दर्ज है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने 8-7-1991 को हाटज लि० कम्पनी के सिक्योरिटी आफिसर की गोली मार कर हत्या कर दी। ···(**व्यवधान**)···माननीय उपाध्यक्ष जी अभी यह 18 दिसम्बर 1991 की घटना है। सन्तराम अपने ड्राइवर के साथ थाना सैक्टर 39 के पुलिस बैरियर को ट्रक से तोड़ कर वहां पहुंचे, तो वहां के थाने के सब-इन्सपैक्टर राणा ने उसका विरोध किया। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूं और पास में से ही भंगेला गांव से श्री महेन्द्र भाटी विधायक के पास पहुंचे। विधायक अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचे और कहा कि सब को सीख दो। इन्होंने अपनी मौजूदगी में तीन एस० एच० ओ० एक सब-इन्सपैक्टर और 17 पुलिस सिपाहियों को बेदर्दी से पिटवाया।···(**व्यवधान**)···मैं उपाध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह भाटी की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि हमने जनता से वायदा किया है कि किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

1.25 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

छावनी बोर्ड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा भारत इलैक्ट्रोनिक्स का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : श्री शरद पवार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) छावनी बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1134/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत इलैक्ट्रोनिक्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक्स का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1135/91]

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखती हूं :—

(एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1136/91]

इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1137/91]

(ख) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1138/91]

(ग) (एक) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1139/91]

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1140/91]

(ङ) (एक) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1141/91]

(2) (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1142/91]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1143/91]

स्पान्ज आयरन इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्पान्ज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पान्ज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1144/91]

(ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1145/91]

(ग) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1146/91]

(घ) (एक) मेटाल्यूजिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैंट (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटाल्यूजिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैंट (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1147/91]

(ङ) (एक) मैंग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1148/91]

(च) (एक) विजयनगर स्टील लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विजयनगर स्टील लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1149/91]

(छ) (एक) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1150/91]

सिन्थेटिक्स एण्ड रेयन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसल, मुम्बई और नार्दन इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, श्री अशोक गहलोत की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सिन्थेटिक्स एण्ड रेयन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसल, मुम्बई वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक्स एण्ड रेयन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसल, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1151/91]

(2) (एक) नार्दन इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, गाजियाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1152/91]

(दो) अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1153/91]

(तीन) साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन,कोयम्बटूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1154/91]

(चार) मुम्बई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1155/91]

(3) अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, मुम्बई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, मुम्बई, साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन कोयम्बटूर तथा नार्दन इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, गाजियाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1156/91]

(4) (एक) काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1157/91]

(5) (एक) इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1158/91]

(6) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ;

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1159/91]

(7) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल आफ हैन्डीक्राफ्ट्स के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल आफ हैन्डीक्राफ्ट्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1160/91]

नेशनल फिल्म डेवलेपमेंट कारपोरेशन इण्डिया का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : महोदय, मैं श्री अजित कुमार पांजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं : —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन इण्डिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन इण्डिया का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1161/91]

(2) (एक) उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए योजनाएं बनाने के बारे में श्री अर्जुन सिंह यादव और श्री काशी राम राणा द्वारा पूछे गए अतरांकित प्रश्न संख्या 555 के 25 नवम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1162/91]

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, मैं **श्री जगदीश टाईटलर** की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 349(अ), जो 24 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डाक परिसर) (भर्ती, वरिष्ठता, और पदोन्नति) पहला संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 549(अ), जो 28 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डाक परिसर को छोड़कर) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) छठा संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 645(अ), जो 24 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगावो पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात अंशदायी सुविधाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 200(अ), जो 3 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 312(अ), जो 21 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात बाह्य तथा आंशिक चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा० का० नि० 313(अ), जो 21 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात बाह्य तथा आंतरिक आंशिक चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा० का नि० 593(अ), जो 18 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अध्यापन शुल्क भत्ते के लिए मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी नियम (संशोधन), 1991 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1163/91]

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत रेट-ए-केब (संशोधन) योजना, 1991, जो 28 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 808(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1164/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1165/91]

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1166/91]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1167/91]

(5) (एक) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1168/91]

(6) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1169/91]

(7) (एक) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1170/91]

(8) (एक) विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1999-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1171/91]

(9) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1172/91]

(10) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1173/91]

(11) (एक) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगान पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1174/91]

(12) (एक) तूतीकोरीन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरीन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1175/91]

(13) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1176/91]

भारत गोल्ड माइन्स लि० का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(14) हुगली डाक तथा पत्तन इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक

प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1177/91]

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1178/91]

(ख) (एक) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1179/91]

(ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1180/92]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1181/91]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1182/91]

इण्डियन एयरलाइन्स का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे आदि

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1183/91]

(4) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1184/91]

(5) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर, सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1185/91]

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और धनकर अधिनियम 1957 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 538(अ), जो 20 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन की संशोधित दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1991, जो 24 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1186/91]

(2) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (संशोधन) नियम, 1991, जो 26 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 550(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थाल में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1187/91]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1991, जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 782 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का० आ० 1910, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "विवेकानन्द राक मैमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र, मद्रास को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 1911, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनयम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आल इण्डिया पिंगलवारा सोसायटी (पंजीकृत)", अमृतसर को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 1912, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पाच) का० आ० 1913, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "क्राई चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का० आ० 1914, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

"मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद, भोपाल" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 1915, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अंतर्गत "कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इण्डिया, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 1916, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "सेवा ग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 1917, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "माइराडा' (मैसूर रिसेटलमेंट एण्ड डेवलपमेंट एजेंसी); बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का० आ० 1918, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "धर्मपुरी जिला विकास निगम लिमिटेड धर्मपुरी" को कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 1919, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ, महाराष्ट्र शाखा, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 1920, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "एक्जीबिशन सोसाइटी, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 1921, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "ब्लाइण्ड कर्नाटक ब्रांच, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 1922, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "ज्ञान प्रबोधनी समशोधन संस्था, पुणे" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 1923, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत इन्स्टिट्यूट आफ रूरल मेनेजमेंट, आनन्द" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 1924, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "हरिजन सेवक संघ, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 1925, जो 17 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "स्वामी रामानन्द तीर्थ मैमोरियल कमेटी, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का० आ० 1926, जो 25 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "गुरुदेव सिद्ध पीठ, गणेशपुरी जिला, ठाणा" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ 1927, जो 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(33 ग) के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी कन्या गुरुकुलम, वेदरिणयम, तंजावूर जिला" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 1928, जो 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 1935, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "भागवतुला चेरिटेबल ट्रस्ट, वेल्लामनचिली (विशाखापत्तम)" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में।

(बाईस) का० आ० 1936, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ दि फ्रेंसिजियन मिशनरीज आफ मैरी सोसाइटी नं० 8, इम्माकुलेट कनसेप्शन कानवेन्ट, कोयम्बतूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 2523, जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत

"सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी, पुणे" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का० आ० 3009, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ज्ञान प्रबोधनी, पुणे" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 3010, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग के अन्तर्गत "जर्मन लिपरोसी रिलीफ एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फण्ड, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 3011, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग)के अन्तर्गत "भारत सेवा संस्थान, लखनऊ" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का० आ० 3012, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "स्किल्स फार प्रोग्रेस, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का० आ० 3013, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंस्टिट्यूट आफ एनिमल हैल्थ एण्ड वेटरिनरी बायोलोजिकल, हेब्बल, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नतीस) का० आ० 3014, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि कांग्रेगेशन आफ क्रिश्चियन ब्रदर्स इन इंडिया, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का० आ० 3015, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कतीस) का० आ० 3016, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "लिटल सिसटर्स आफ दि पूअर, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 के 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का० आ० 3017, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि रामकृष्ण मिशन, पो० ओ० बलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल" को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेतीस) का० आ० 3018, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "केरल फिशरमैन्स वेलफेयर फण्ड बोर्ड" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौतीस) का० आ० 3019, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का० आ० 3020, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का० आ० 3021, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मिशनरीज आफ चेरिटेरी, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का० आ० 3022, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल फण्ड, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का० आ० 3023, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ऐनी बेसेंट ट्रस्ट, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का० आ० 3024, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि थियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का० आ० 3025, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

"नेच्यूरल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का० आ० 3026, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि मुम्बई ह्यूमेनीटेरियन लीग, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का० आ० 3027, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मोतीलाल मैमोरियल सोसाइटी, लखनऊ" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तितालीस) का० आ० 3028, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का० आ० 3122, जो 24 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री सत्य साई सेन्ट्रल ट्रस्ट, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का० आ० 3124, जो 24 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मराठा मन्दिर, मुम्बई" की कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का० आ० 3276, जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का० आ० 3277, जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आउथ सेन्ट्रल जोन कलचरल सेन्टर, नागपुर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का० आ० 3321, जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, इन्दौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का० आ० 3322, जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बालामन्दिर कामराज न्यास, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का० आ० 2, जो 5 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का० आ० 72, जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक न्यास, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का० आ० 75, जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का० आ० 79, जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवन) का० आ० 195, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत सिफेयरर्स वैलफेयर फण्ड सोसाइटी, मुम्बई को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचपन) का० आ० 198, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत रमण महर्षि सेन्टर फार लर्निंग, बंगलौर को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छप्पन) का० आ० 199, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत पीपल्स एक्शन फार डवलपमेंट (महाराष्ट्र), मुम्बई को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तावन) का० आ० 200, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मुम्बई ह्यूमेनटेरियन लीग, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठावन) का० आ० 239, जो 2 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दिल्ली सोसाइटी फार वैलफेयर आफ मैंटली रिटारडिड चिल्ड्रन, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनसठ) का० आ० 240, जो 2 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि थियोसोफिकल सोसाइटी, वाराणसी के भारतीय अनुभाग" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(साठ) का० आ० 465, जो 16 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "केरल लेबर वैलफेयर फण्ड बोर्ड, त्रिवेन्द्रम" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकसठ) का० आ० 522, जो 23 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बासठ) का० आ० 523, जो 23 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मुख्य मंत्री राहत कोष, महाराष्ट्र, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरसठ) का० आ० 524, जो 23 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों सम्बन्धी भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौसठ) का० आ० 527, जो 23 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा तथा अनुसंधान फाउण्डेशन, गांधीनगर को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंसठ) का० आ० 945, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत संजीवनी ट्रस्ट, "एवरेस्ट", मुम्बई को कर निधारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियासठ) का० आ० 946, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत आर्य वैद्यशाला कोट्टाकल को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सड़सठ) का० आ० 947, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार द बिलाइन्ड, बंगलौर को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़सठ) का० आ० 1032, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत रेल परिवहन, नई दिल्ली को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनहत्तर) का० आ० 1035, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत कलकत्ता जोराष्ट्रीयन स्त्री मण्डल को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तर) का० आ० 1037, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकहत्तर) का० आ० 1038, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत चीफ मिनिस्ट्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड, केरल को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बहत्तर) का० आ० 1125, जो 20 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "पोपूलेशन सर्विसिज इन्टरनेशनल, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिहत्तर) का० आ० 1127, जो अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "यूसूफ महारैली सेंटर, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौहत्तर) का० आ० 1128, जो 20 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "टैगोर सोसाइटी फार रूरल डवलपमेंट, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचहत्तर) का० आ० 1299, जो 11 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री रामकृष्ण आश्रम, निम्मपीठ पश्चिम बंगाल" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छिहत्तर) का० आ० 1300, जो 11 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इण्डियन पीपल्स नेचुरल कलेमिटीज ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सतहत्तर) का० आ० 1343, जो 18 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राष्ट्रोत्थान परिषद, बंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठहत्तर) का० आ० 1344, जो 18 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "वाइल्डलाइफ एसोसियेशन आफ साउथ इण्डिया, बंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नासी) का० आ० 1420, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत भारत सेवाश्रम संघ कलकत्ता को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अस्सी) का० आ० 1421, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष, गांधी-नगर को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कासी) का० आ० 1423, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत संगीत अकादमी, मद्रास को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयासी) का० आ० 2022, जो 27 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत स्वामी रामानन्द तीर्थ मैमोरियल कमेटी, हैदराबाद को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरासी) का० आ० 2053, जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत संयुक्त संयंत्र समिति को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौरासी) का० आ० 2054, जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत वित्त प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, मद्रास को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पिचासी) का० आ० 2057, जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत कैथेड्रल राहत सेवा, कलकत्ता को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियासी) का० आ० 2059, जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत स्लेशियन प्रोविन्स आफ कलकत्ता को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सतासी) का० आ० 2061, जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो धारा 10(23ग) के अन्तर्गत जहांगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1188/91]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) की अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सामान्य बीमा निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय सामान्य बीमा निगम का वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1189/91]

(6) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1190/91]

की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आठवीं, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न

आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गईं :—

(1) (एक) विवरण संख्या 30—आठवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1191/91]

(दो) विवरण संख्या 27—आठवें सत्र का दूसरा भाग 1987
[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1192/91]

(तीन) विवरण संख्या 25—दसवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1193/91]

(चार) विवरण संख्या 21—ग्यारहवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा
[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1194/91]

(पांच) विवरण संख्या 18—बारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1195/91]

(छः) विवरण संख्या 17—तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1196/91]

(सात) विवरण संख्या 14—चौदहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1197/91]

(2) (एक) विवरण संख्या 11—पहला सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1198/91]

(दो) विवरण संख्या 11—दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1199/91]

(तीन) विवरण संख्या 7—तीसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1200/91]

(चार) विवरण संख्या 5—छठा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1201/91]

(पांच) विवरण संख्या 4—सातवां सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1202/91]

(3) विवरण संख्या 3—पहला सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1203/91]

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सा उपस्थिति) संशोधन नियम, 1991, जो 12 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1204/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1205/91]

(ख) (एक) बिक्को लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिक्को लारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1206/91]

(ग) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1207/91]

(घ) (एक) बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1208/92]

(ङ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1209/91]

(च) (एक) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1210/91]

(छ) (एक) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई० बी० पी० कम्पनी का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1211/91]

(ज) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1212/91]

(झ) (एक) लूबरीजोर इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लूबरीजोर इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1213/91]

(ञ) (एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1214/91]

(ट) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1215/91]

सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना, सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1216/91]

(2) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1217/91]

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1218/91]

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1219/91]

(5) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1220/91]

(6) (एक) प्रोसैस एण्ड प्रोडैक्ट डवलपमेंट सेन्टर, आगरा के 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रोसैस एण्ड प्रोडैक्ट डवलेपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1221/91]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट एंट्रीप्रिन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेंस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार एंट्रीप्रिन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेंस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1222/91]

(8) (एक) इलैक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1223/91]

नेशनल कोपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेशनल कोपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल कोपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) नेशनल कोपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए ।देखिए संख्या एल० टी० 1242/91]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोपरेटिव बैंकस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोपरेटिव बैंकस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1225/91]

(3) (एक) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1226/91]

(4) (एक) नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1227/91]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ कोपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ कोपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1228/91]

(6) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1229/91]

(7) नेशनल सीड्स कारपोरेशन नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित

अवधि के भीतर सभा पटल पर रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1230/91]

सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन अधिसूचना, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का निर्माण (राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 1991 की स्मृति में निर्मित 75 प्रतिशत तांबा तथा 25 प्रतिशत निकल वाले दस रुपये पांच रुपये तथा एक रुपये के स्मारक सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1991 जो 16 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 527(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1231/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1232/91]

(ख) (क) नेशनल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1233/91]

(ग) (एक) ओरिएन्टल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ओरिएन्टल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1234/91]

(घ) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1235/91**]

(3) सितम्बर, अक्तूबर और दिसम्बर, 1991 में चालू किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1336/91**]

आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचनाएं और भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(एक) आयात (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1991, जो 31 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 592(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० आ० 593(अ), जो 13 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 25/90—93 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) का० आ० 594(अ), जो 13 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 24/90—93 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1237/91**]

(2) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1238/91**]

(3) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1239/91]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकिंग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकिंग के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1240/91]

(5) (एक) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1241/91]

(6) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1242/91]

(7) (एक) रसायन तथा समवर्गी उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रसायन तथा समवर्गी उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1243/91]

(8) (एक) शैलक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शैलक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1244/91]

(9) (एक) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोल्यम्स निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एण्ड लिनोल्यूम्स निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1245/91]

विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :—

(1) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1246/91]

1.29 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

1.29½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 13 दिसम्बर, 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

3. पंजाब विनियोजन (संख्या-2) विधेयक, 1991

2. जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1991

1.30 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सात सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने के बारे में जैसा कि 18 दिसम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन की सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक निम्न सदस्यों के नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए :

1. श्री बी० अकबर पाशा —9-7-91 से 14-8-91
2. डा० कृपासिन्धु भोई 13-8-91 से 30-8-91
3. श्री गोविन्दराव निकम— 20-11-91 से 20-12-91
4. श्री छोटे लाल—3-12-91 से 18-12-91
5. श्रीमती दीपिका—27-11-91 से 20-12-91
6. श्री नानी भट्टाचार्य— 20-11-91 से 20-12-91
7. श्री भागेय गोवर्धन —20-11-91 से 20-12-91

क्या यह सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी गई। सदस्यों को उसी के अनुरूप सूचना दे ही जाएगी।

अब सभा 2 बजे मध्याह्न भोजन तक के लिए स्थगित होती है।

1.30 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन पश्चात् 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। मैं सदस्यों द्वारा कुछ मामले उठाने की उत्सुकता को समझ सकता हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे एक साथी का निधन हो जाने के कारण हम कल कार्य नहीं कर सके थे। अतः काम का बोझ भी बढ़ गया है और इसी बीच हमने कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की है। हम मामले पर सदस्यों द्वारा भरपूर सहयोग देने के लिए हम वास्तव में अत्यधिक प्रसन्न हैं और उनके प्रति आभारी है। मैंने निर्णय किया है कि सदस्यों को सूची से अलग अन्य मामलों पर भी अपने विचार खुले रूप से सामने रखने की अनुमति दी जाए। परन्तु मेरा अनुरोध है कि वे बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि हम अन्य सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दे सकें और उसके पश्चात् हम अन्य मामलों को भी ले सकते है।

मेरे विचार में आज सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण हमारे लिए थोड़ा देर तक बैठना अत्यधिक अनिवार्य हो गया है और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात् हम अपना कार्य निपटायेंगे संभवत: इसके बाद श्री कुमारमंगलम द्वारा शानदार रात्रि भोज दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभी सदस्यों और प्रैस के व्यक्तियों के लिए भी 8 बजे के बाद कमरा सं० 70 में रात्रि भोजन की व्यवस्था होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रैस, अधिकारियों और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि आज अन्तिम दिन है और सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मेरा निवेदन इतना ही है कि अगर किसी राज्य सरकार के बारे में यहां कुछ कहा जाता है तो उस सरकार में जो शामिल हैं यहां अगर उपस्थित हैं तो उन्हें भी तस्वीर का दूसरा पहलू रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। क्योंकि वह आयेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमों में इन सभी कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे इस बात से अत्याधिक प्रसन्नता होगी कि यदि जिन मामलों को नहीं उठाया जा सकता है हम उन्हें न उठाएं। अगर सब कुछ सहयोगपूर्ण ढंग से ठीक-ठाक चलता रहा तो हम उन मामलों को भी उठायेंगे।

एक माननीय सदस्य : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री अपना काम करके जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। नियमों में इस बात का उपबन्ध है कि संसदीय कार्य मन्त्री इसे कर सकता है। मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी को सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दे दूंगा। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यदि यह शुरू हो गई है तो मैं इसे पूरा करूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कुछ सीमा तक पत्र सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। अब केवल कार्यवाही सारांश और प्रतिवेदन ही सभा पटल पर रखे जाने हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद मैं इसे पूरा करूंगा इसमें अधिक समय नहीं लगता है। हमें वास्तव में अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज हर कोई सहयोग करने को इच्छुक है।

2.08 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश। (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.08 म० प०

लोक लेखा समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्न लिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) मद्रास पत्तन न्यास के सम्बन्ध में छठा प्रतिवेदन ।

(2) व्यापार विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में सातवां प्रतिवेदन ।

2.09 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

और

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन, ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग) के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अक्तूबर, 1991 के दौरान समिति के अध्ययन दल-एक द्वारा हैदराबाद, मद्रास तिरुचिरापल्ली और मदुरै के अपने अध्ययन के दौरे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन;

(दो) अक्तूबर, 1991 के दौरान समिति के अध्ययन दल दो द्वारा मुम्बई, राजकोट, वेरावल, अहमदाबाद, गांधीनगर, जोधपुर तथा जयपुर के अपने अध्ययन दौरों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन;

(तीन) एअर इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में उनतालीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण; और

(चार) भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में पहले प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय —एक और पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

2.10 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री चिरन्जी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.10½ म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 29। श्री बोल्ला बुल्ली रामैया, श्री प्रवीन देका संभवतः उन्हें इस बात की जानकारी न हो। मैं इसे प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आज देश में प्रत्येक राज्य में विभिन्न पार्टियों की सरकारें काम कर रही है और यदि प्रत्येक पालिटिकल पार्टी के लोग अपने-अपने राज्य में पालिटिकल लाईन पर कार्य करना शुरू कर दें तो यह बदला लेने की बात होगी मगर यह डैमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज होगी। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उ० प्र० में जो सरकार काम कर रही है, वह राजनैतिक द्वेष के आधार पर और पालिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ में काम करने की कार्यवाही कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने पिछले लोकसभा सैशन में उठाया था जो छोटे लाल यादव, और मोहन लाल पिप्पल शारदा प्रसाद से सम्बन्धित था।

अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के एम० एल० ए० श्री महेन्द्र सिंह भाटी जिनकी कांस्टीट्यूयेंसी नोएडा में है। उनको मालूम हुआ कि वहां के थाने में एक निर्दोष आदमी को पुलिस ने गोली मार दी है जिसका नाम संतराम था। इतना ही नही, जुलाई में भी तीन व्यक्तियों को पुलिस कस्टडी में गोली से मार दिया गया था जिनका राम सिंह देवी सिंह और एक दूसरा व्यक्ति था। उसके पास एक फंक्शन था, जहां ये पहुंच गये और उसके बाद जब थाने में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि गोली क्यों मारी गयी तो उनके तीन लड़कों को एन० एस० ए० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं आपकी पार्टी के एक्स मैम्बर श्री जगपाल सिंह के खिलाफ भी एन० एस० ए० के अन्तर्गत वारंट जारी किये गये हैं। इसलिए

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाडा और एन० एस० ए० का जो प्रावधान संसद ने बनाया था, उसका मतलब यह नहीं था कि राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के आधार पर पार्टी के लीडरों या कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है।

अध्यक्ष जी, अभी श्री शरद यादव, श्री जैना जी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद और श्री नीतीश कुमार घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिये गये थे। उन्होंने इस चीज को गम्भीरता से लिया है। मैं कोई पार्टी का मामला नहीं बनाना चाहता हूं लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके लिए विपक्ष और पक्ष के सभी लोगों को उसकी निन्दा करनी चाहिये और ऐसा कोई हथियार नहीं बनाना चाहिये जिससे मालूम पड़े कि राजनैतिक आधार पर, प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष जी, मैं श्री शरद जी और भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद साहब उस क्षेत्र में गये थे। हम उस गांव में गये जहां का संतराम नाम का आदमी पुलिस की गोली से मारा गया। उसके पिता से मिले तो उन्होंने बताया कि जब संतराम ड्राइवर को पीटा जा रहा था तो संतराम थाने में गये और उनसे पूछा कि इसको क्यों पीटा जा रहा है?

इतना कहने पर ही वहां के थानेदार एस० एम० राणा ने सीधे कनपटी में रिवाल्वर सटाकर गोली से मार दिया और वहां के स्थानीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह भाटी जो निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण वहां एक साइकिल की दुकान एक स्कूल की जमीन का उद्घाटन करने गए थे। उनको मालूम हुआ और जब वे वहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। लोग जब इकट्ठा हुए और मालूम हुआ कि ब्राड डे लाइट में पुलिस के दारोगा ने गोली मार दी तो इकट्ठा लोगों ने कुछ पथराव किया। उन पर सीधे पोजीशन ले कर, बगैर लाठीचार्ज किए, बगैर आंसू गैस छोड़े पुलिस ने गोली चलाई और 34 लोग घायल हो गए। सन्तराम के भाई को भी गोली लगी है। अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार की महिलाएं लाश के पास गई तो उन महिलाओं को लाठी से मार-मारकर ठीक कर दिया गया। हम लोग उनके टूटे हुए पैरों को जो नौएडा के पास बूडा गांव है वहां देखकर आए हैं। यह जघन्य अपराध एक पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया है और इसकी हर किसी को निन्दा करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी और···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी खत्म कीजिए, अभी बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन यह घटना एक दारोगा के द्वारा एक निर्दोष आदमी को गोली मारे जाने की है। घटना पर पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर इस घटना को पार्टी के आधार पर लेंगे तो यह माना जाएगा कि कल्याण सिंह की सरकार इस घटना के लिए जवाबदेह है। हम यह मांग करते हैं कि उस दारोगा पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। हम यह मांग करते हैं कि जिस एस० एस० पी० के मार्फत इतनी आतंक की घटनाएं हो रही हैं, उसका तबादला किया जाए, लेकिन अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा और सदन में हम इसे उठाते रहेंगे तो हम कहेंगे कि कल्याण सिंह की सरकार इसके लिए दोषी है। हम अपील करेंगे कि इस घटना की निन्दा करें और स्वयं जांच करके देख लें कि महेन्द्र सिंह भाटी का कोई कुसूर नहीं है। उसके क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाए और उनके लड़कों को गिरफ्तार किया और उनके लोगों को गिरफ्तार किया। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर पुलिस कानून तोड़कर व्यवहार की मर्यादाओं का उल्लंघन करके आचरण करती है तो किसी भी राज्य

की पुलिस हो, उससे जवाबतलब होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न को राजनीतिक रंग से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अगर राजनीति इस सवाल पर लाई जाएगी तो वह दुधारी तलवार की तरह से होगी और वह घाव करेगी, वह स्थिति को सुलझाने में मदद नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय, नौएडा एक ऐसा क्षेत्र था जो चुनाव के पहले अपराधियों का अड्डा था, जहां आए दिन हत्याएं होती थीं, लूटमार होती थी, जहां जीवन सुरक्षित नहीं था, लोग नौएडा छोड़कर भाग रहे थे। चुनाव हुआ, सरकार बनी, उसने नौएडा में स्थिति को नियंत्रित किया और वह मामला भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। उन्होंने भी उस नौएडा में जो स्थिति सुधरी थी, उसकी तारीफ की। अब मैं नहीं जानता, अगर हमारे मित्र कह रहे हैं कि वह स्वयं होकर आए हैं···(**व्यवधान**) पुलिस के आचरण की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात अपने जनता दल के मित्रों से कहना चाहूंगा कि अगर अपराधियों को राजनीति में लाया जाएगा और अगर फिर उनके संरक्षण की मांग की जाएगी तो फिर स्थिति को काबू में नहीं रखा जा सकता। अब जिस एम० एल० ए० का बार-बार नाम ले रहे हैं, क्षमा कीजिए, अगर मैं उनके खिलाफ आरोप लगाने शुरू कर दूं, यह मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन अगर एक एम० एल० ए० का नाम लिया आएगा तो उस एम० एल० ए० का इतिहास भी देखने की जरूरत है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मैं मांफी मांगकर सारी चीज वापस कर लूंगा।

श्री राम विलास पासवान : जरूर देखना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विधायकों को सुरक्षा कानून में बन्दी किया है। ये विधायक हिस्ट्री शीटर थे जिन्हें चुनाव लड़ने के टिकट दिए गए और जो जीतकर आए। क्या उन्हें खुली छूट दे दी जाए? (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : लेकिन सबको उसी लाइन में मत लाइए। बिहार की सरकार भी अगर किसी को पकड़ ले तो क्या होगा?···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह गलत होगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली मारी है···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब मैं बोल रहा हूं तो आप टोकिए मत। (**व्यवधान**)

जब आप बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल नहीं टोका।

एक माननीय सदस्य : पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। (**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : क्या थाने में गोली मारने का आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गोली मारने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अगर थानेदार ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, जो आप बता रहे हैं···(**व्यवधान**)

मतलब यह है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। यह इनकी मनोवृत्ति है। आप बोलते रहे, हमने नहीं टोका। हमारे साथी टोकने के लिए तैयार थे, हमने उनको रोका। यह चर्चा करने की जगह

है, हाथापाई करने की नहीं। आप वहां होकर आये हैं, इसलिये आप सर्वज्ञ नहीं हो गये। नौएडा कोई बहुत दूर नहीं है। नौएडा से हमारा भी सम्पर्क है और हम जांच के लिये तैयार हैं।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आप सब एम० एल० एज० को हिस्ट्रीशीटर मत बनाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सब को नहीं बना रहा हूं। मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं सब को नहीं बना रहा हूं। इस घटना के आधार पर अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करें तो वह भी ठीक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : हमने किसी को मांग नहीं किया है। हम लोगों ने मांग की है···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यदि आप इन सब लोगों को बोलने की इजाजत दे रहे हैं तो हमारी तरफ के माननीय सदस्यों को भी बोलने की इजाजत दीजिये।

यह घटना हमारे तोमर साहब के क्षेत्र की है, आप उन्हें भी इजाजत दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो दूसरे मैम्बर्स बोलना चाहते हैं, आप सुनिये।

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष जी, यह मेरे जिले का मामला है और मैं इस घटना के बारे में सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठिये। कृपया बीच में न बोलिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तोमर साहब तो उस क्षेत्र के सांसद हैं, इन्हें तो बोलने दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अन्तिम दिन है। हम सभी को सहयोग करना चाहिए। मैंने दो अथवा तीन व्यक्तियों को बोलने की अनुमति दी है। अन्य सदस्यों के भी अपने विचार हैं। तीन सदस्य इस ओर से और···

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : भोजनावकाश से पहले उन्होंने इस मामले पर दो बार अपने विचार प्रकट किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैं उनसे अपनी बात संक्षेप में कहने का अनुरोध करता हूं। आप मुझे भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे है। उस पक्ष के माननीय सदस्यों को भी मैं बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया धैर्य रखिए और कुछ समय बाद जब आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा तो आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

बहुत संक्षेप में वाजपेयी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, जो कहना था, वह कह दिया है अब और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष जी, यह मेरे जिले का मामला है और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। जो जनता दल के एम० एल० ए० हैं, वे माफिया गैंग के लीडर है, श्री महेन्द्र सिंह भाटी माफिया गैंग के लीडर हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखिये ।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर : आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं । मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ इतने सारे मुकदमे कोर्ट में पैंडिंग हैं, जिनकी लिस्ट यह मेरे पास है इसलिए वे कोई साधारण आदमी नहीं है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं ।

सन्त राम भाटी, जो एक ट्रक का मालिक था, उसने सैक्टर 39 में थाने के अन्तर्गत एक पुलिस बैरियर को टक्कर मारी और उसे तोड़ दिया । जब थानेदार ने पूछा कि क्या आपके पास कागज हैं तो वह बोला कि मैं अभी जाता हूं और तुझे कागज दिखलाता हूं । इसके बाद वह निकट के गांव भंगेल में गया उसके विधायक, दूर उस गांव में, एक साईकल की दुकान का उद्घाटन कर रहे थे । जब सन्त राम उस गांव में पहुंचा और सारी कहानी विधायक को बतायी तो विधायक बोला कि चलो मेरे साथ, आज थाने को देख लिया जाये, थाने वाले को सबक सिखा दिया जाये ।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे दरोगा को दरोगी कहते हैं, वहां के विधायक, अपने कुछ आदमियों को लेकर थाने में आये और थानेदार पर चढ़ गये । तीन एस० एच० ओ०, एक सब-इंसपैक्टर एक सी० ओ० सर्किल और 17 पुलिस वालों को उन्होंने बुरी तरह पीटा । उन्हें उठा-उठाकर जमीन में पटका गया, मारा गया । जब वे अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में घुस गये तो वहां पर भी पानी के टैंकर से, टक्कर मार-मारकर दीवार को तोड़ दिया गया । थाने में आग लगा दी गयी । तीन पुलिस जीप में आग लगा दी गयी । **(व्यवधान)**

आग बुझाने की सारी कोशिशें जब बेकार हो गयीं तो पुलिस को फायर करना पड़ा । **(व्यवधान)** मैं अपने साथी श्री शरद यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब मृतक संतराम के गांव गए तो क्या उन्होंने घायलों को देखा, अस्पताल में गए ? मैं भी उनके पीछे गया था । वहां श्री महेन्द्र सिंह भाटी के लोगों ने फायरिंग की और जिसको आप सन्तराम का भाई···**(व्यवधान)**···जिसको आप भाई बता रहे हैं, उसके छर्रे लगे हैं, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं । वहां पर नोएडा में अस्पताल में दाखिल है···**(व्यवधान)**··· वे चौथ वसूल कराते रहते हैं । वहां एक हाट्ज लि० फैक्ट्री के मैनेजर को मारा । वहां ए० पी० जे० स्कूल के प्रिंसिपल को पिटवाया । थाने में आग लगा दी । थाने को फूंक दिया गया । 24 मुकद्दमों में से ग्यारह हत्याओं के हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, केवल पिछले सप्ताह ही···

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, हमें इस मामले को इसलिए उठा रहे है ताकि सरकार इसका उत्तर दे सके । **(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं की जा सकती । यह कानून न्यायालय नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप में से कितने सदस्य इस मामले पर बोलना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हम बहुत ही संक्षेप में कह सकते हैं । यह सर्वविदित तथ्य है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । हम केवल यह कह सकते हैं कि हम राज्य सरकार से जानकारी देने को कहेंगे और इसके बाद हम मामले की जांच करेंगे ।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, यह पिछले सप्ताह की ही बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी । जैसाकि आपने ठीक ही कहा है कि आज सदन का अन्तिम दिन होने के कारण मैं इस मामले को उठा रहा हूं ।

उड़ीसा में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । जहां कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पार्टियों को बेचा जा रहा है, विशेषरूप से क्रोमाइट खानों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने निजी पार्टियों को पट्टे पर देना बन्द कर रखा है । वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम चार्ज क्रोमो प्लांट को राज्य सरकार ने लगभग 7 वर्ष पहले ही 70 करोड़ रु० की लागत से स्थापित किया था केन्द्रीय सरकार के निदेश के बावजूद भी इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक निजी क्षेत्र को बेच दिया गया है और इसके अलावा क्रोमाइट खान को 30 वर्ष का पट्टा दिया गया है जोकि केन्द्रीय सरकार के मार्गनिर्देशों और केन्द्रीय सरकार के आदेश का पूर्णतः उल्लंघन है इसके साथ ही चीनी की दो मिलों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संयुक्त क्षेत्र को बेच दिया गया है और इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है । और अब एक अकेले तालचेर तापीय विद्युत संयंत्र को भी बेचने की चेष्टा जारी है जो श्री पाणिग्रही जी के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है । दो वर्ष पहले इब घाटी, जो निर्माणाधीन है, को भी बेचा जा रहा है । कल के समाचार में खबर थी कि श्री पी० ए० संगमा, कोयला राज्य मन्त्री ने अपनी बात वापिस ले ली है अन्यथा, उड़ीसा सरकार चाहती है कि कोयला खान को भी पट्टे पर किन्हीं विदेशी पार्टियों के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए । इस गति से तो मेरा विचार है कि वर्तमान सरकार सचिवालय और उड़ीसा सरकार सहित समस्त उड़ीसा को बेच देगी ।

मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करे । यह उड़ीसा का न केवल निजी क्षेत्र के हाथों बिकते देखकर मूक एवं अन्ध दर्शक बनी रह सकती है बल्कि उन बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों के हाथों भी जिनके संसद सत्र के समाप्त होते ही जनवरी के अन्त में आने की संभावना है । महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके संरक्षण की मांग करता हूं ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय, चूंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बधित है, मैं कुछेक शब्द कहना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने अभी-अभी जो कुछ बताया है उसमें मैं भी उसके साथ हूं ।

महोदय, मन्त्री महोदय यहां हैं । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे तालचेर में एक विशेषज्ञ दल भेजें । वहां काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव है । और यह तालचेर में आतंक को भी बढ़ावा दे रहा है । मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रकार के विक्रय को रोकने हेतु हस्तक्षेप करे ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : कल उड़ीसा के सदर ब्लाक (बालासोर) में बाराधमपुर (चांदीपुर) में एक भारी बम्ब विस्फोट हुआ था।

तीन मछुआरे बुरी तरह घायल हुये थे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही, एक मछुआरे की मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार 12 दिसम्बर को बसुदेवपुर (बालासोर जिले में) के ब्लाक में कौरपुर में हवा में एक शक्तिशाली बम्ब-विस्फोट हुआ था और नौ व्यक्ति घायल हुए। उनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक है। लेकिन आज तक उन पीड़ितों और उनके परिवारों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। रक्षा विभाग ने ऐसी कोई जांच नहीं की कि ये बम्ब कहां से गिरे। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जिले के लोग आतंकित हैं वे पूरी तरह से टूटे हुए और डरे हुए हैं।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय, श्री पासवान ने हमारी मुख्य मन्त्री श्रीमती जयललिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 'टाडा' आदि का प्रयोग किया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं जी०एन०एल०एफ० नेता श्री सुभाष घीसिंह द्वारा भ्रमण पर गए पत्रकारों के समक्ष उठाये गये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया और अन्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। श्री घीसिंह ने दार्जिलिंग का "दर्जा" स्पष्ट करने और इसे "कानूनी तौर पर और संविधानिक तौर पर" भारत का एक हिस्सा बनाने हेतु तुरन्त कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। श्री घीसिंह के अनुसार, 1950 के भारत-नेपाल समझौते में दार्जिलिंग के दर्जे के सम्बन्ध में गोरखा नेता के अनुसार जो अनेकार्थता पैदा की गई है नेपाल और भारत के कुछ राजनैतिक दल उसका फायदा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे।

कहा जाता है कि दार्जिलिंग का दर्जा अस्पष्ट हो गया है क्योंकि भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद आठ ने नेपाल के साथ भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सभी "पूर्ववर्ती संधियों, समझौतों और कार्यक्रमों को" रद्द कर दिया था। महत्वपूर्ण रूप से, 1923 में ब्रिटिश सरकार ने नेपाल से एक समझौता किया और दो देशों के बीच पहले की सभी संधियों की 'पुष्टि की'। इसी के समान महत्वपूर्ण, भूटान और भारत के बीच हुई 1949 की शांति एवं मैत्री संधि की भी पुष्टि की गई और 1865 की सिनचुला संधि, जिसके द्वारा कालिमपोंग और दूआर्स ब्रिटिश भारत में सत्तान्तरित हुए थे, के सहित पहले की गई संधियों में संशोधन किया गया। श्री घीसिंह ने आगे और यह भी बताया कि दार्जिलिंग की पूर्व यथास्थिति का दावा करने के लिए भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद आठ में पहले की गई सभी संधियों के रद्द किये जाने का स्वार्थी लोग प्रयोग कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय, श्री घीसिंह ने पिछली 26 जुलाई को प्रधानमंत्री जी को जो पत्र भेजा था मैं उसकी विषयवस्तु और सार से पूरी तरह सम्बन्धित हूं। वास्तव में प्रधानमन्त्री जी से श्री घीसिंह और मैं दोनों एक साथ मिलने गये थे और उनके साथ 40 मिनट तक बात की। प्रधानमन्त्री जी के सुझाव पर कुछ दिनों के बाद हम उनसे पुनः मिले।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होता अगर आप प्रधान मंत्री जी से भी उस विषय पर बात करते।

श्री इन्द्र जीत : श्री घीसिंह ने आगे यह भी बताया है कि उन्होंने यह आशा करते हुए प्रधान मन्त्री को इन महीनों में अपने पत्र के विषय के बारे में नहीं बताया कि नई दिल्ली आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मामले की तत्कालिकता को मान लेगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जनता के समक्ष इस मुद्दे को रखने का निर्णय लिया। श्री घीसिंह ने टेलीफोन पर अपने निर्णय की पुष्टि की जो उन्होंने मुझे दार्जिलिंग मसले पर मध्यस्थ के रूप में और दार्जिलिंग के कांग्रेस आई के संसद सदस्य होने के नाते कुछ दिन पहले किया था।

निष्कर्षतः, मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि वह तत्काल एवं गम्भीरता से मामले की गहराई तक पहुंचे और श्री घीसिंह द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों को आम समझकर छोड़ नहीं दिया जाये जैसाकि कुछ टीकाकारों ने इन्हें उनकी चालाकियां बताया है। दार्जिलिंग से संसद सदस्य होने के रूप में, मैं प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दार्जिलिंग को "वैधरूप से और संविधानिक रूप से भारत का एक आंतरिक हिस्सा" बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये। इसके स्तर से सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए।...(**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, दार्जिलिंग के माननीय सदस्य को आग को और भड़काने से रोका जाना चाहिए।...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से शून्यकाल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पहले भी हरिजनों की मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाया था, जिसमें अभी आज तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान का सफाई कर्मचारी बहुत ही बुरी दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि इस जाति के ज्यादातर लोग नगरपालिका, नाटीफाई एरिया और टाउन एरिया में कार्यरत है, उस पर भी इन लोगों को 10-10 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, वर्दी नहीं मिलती है, तथा जो कुछ भी इनको मिलना चाहिए, वह कुछ भी नहीं मिलता है। जैसाकि कभी मलकानी रिपोर्ट में दिखाया गया था, इनके फंड का पैसा कहां जमा होता है, कितना जमा होता है, होता है या नहीं, इनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। इस कारण से इनकी हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इनको कर्ज मिलना भी लगभग बन्द हो गया है। कैसे ये अपने बच्चों का पालन-पोषण करें? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, इनका जीवन अंधकारमय होकर रह गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि ब्लाक, जिला परिषद तथा कालेजों में काम करने वाले वाल्मीकि कर्मचारियों की हालत तो और भी खराब है। यहां पर इनकी नियुक्ति स्वीपर कम चौकीदार के पद पर होती है। न तो दिन में इनको चैन है न रात को चैन मिलता है। फिर अधिकारियों की भैंस के लिए घास काटना, यह भी इसके साथ जुड़ा है जो जूनियर हाई स्कूल खुले हैं, उनमें ये कर्मचारी 10-15 रुपया अधिकतम 50 रुपए पर 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने सभी प्रदेशों की सरकारों को पत्र भी लिखे थे, किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी हालत सुधारने के लिए एक कमीशन बिठाया जाए, जिसमें एक चेयरमैन तथा कम से कम दो सदस्य हों। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार समस्त

देश में इन कर्मचारियों की हालत सुधारने हेतु इनको जिन प्रतिष्ठानों में ये कार्यरत हैं, जैसे कालेज, बैंक, स्कूल, नगरपालिका इत्यादि, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : तब आपको संक्षेप में बोलना चाहिये ताकि दूसरों को भी अवसर दिया जा सके।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं हमेशा संक्षेप में कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि उन करीब 700 रेलवे कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर ले लिया जायेगा जिन्हें वर्ष 1981 में निकाल दिया गया था। जब इस सदन के हम सभी सदस्यों ने 26 नवम्बर को यह मुद्दा उठाया, तो सदन के तत्कालीन नेता श्री अर्जुन सिंह ने आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री के विदेश यात्रा से वापस लौटने पर यह मसला उनके ध्यान में लाया जायेगा।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पूरा इतिहास बताने की बजाय यह बताइये कि अब तक क्या हुआ है।

श्री वसुदेव आचार्य : और हमें कई बार यह बताया गया था कि बहाली सम्बन्धी मुद्दा मंत्रिमंडल में लम्बित पड़ा है। रेलवे मंत्री द्वारा सभा में यह बताये हुए दो महीने से ऊपर समय बीत चुका है। मंत्रिमंडल ने अभी तक इस मसले को स्पष्ट नहीं किया है। हमें आश्चर्य है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने में इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है। महोदय, वे 700 रेलवे कर्मचारी, जिन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया गया था, अब भूखे मर रहे हैं, और उनके परिवार भी भूखे मर रहे हैं।

ऐसा क्यों है कि मंत्रिपरिषद उनके फिर से नियुक्त करने सम्बन्धी मामले का निपटान अथवा अनुमोदन नहीं कर रही है? सभा में आश्वासन दिये जाने के बावजूद, इसे अभी तक नहीं किया गया है। कल मैं इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री महोदय से भी मिला। उन्होंने मुझे पत्र लिखने को कहा। उन्हें याद दिलाने के लिए मैंने तत्काल एक पत्र भेजा। इसके बावजूद भी, इसे नहीं किया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि इस सभा के सभी दलों, समस्त सभा द्वारा सर्वसम्मति से उनकी बहाली की मांग के बावजूद उन्हें बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है।

इसमें दो राय नहीं है। और इस सभा के नेता और महोदय आपने भी व्यक्त किया था। मैं मांग करता हूं कि इसे तत्काल किया जाना चाहिये। मंत्रिपरिषद को इस मामले को निपटाना चाहिये और जिन कर्मचारियों को वर्ष 1981 में बरखास्त किया गया था उन्हें तत्काल बहाल किया जाना चाहिये।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं, जोकि कोंकण के लोगों की चिन्ता का विषय है और वह है कोंकण रेलवे परियोजना। इस परियोजना पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लाखों लोगों का भविष्य निर्भर करता है। आज यह परियोजना धन की कमी के कारण संकट में है।

जुलाई में, वित्त मंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह परियोजना

समय पर पूरी हो जायेगी और धन की कमी के कारण इस परियोजना को रोका नहीं जायेगा। तदनुसार 22 जुलाई को रेलवे बांड जारी करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु मुझे तीन अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर धक्का लगा था···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको वह सब बातें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको संक्षिप्त में कहना होगा।

श्री सुधीर सावंत : एक प्रश्न का उत्तर था कि बांडों को जारी के मानदण्ड का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और दूसरा उत्तर था कि यदि धन उपलब्ध हो जाता है तो परियोजना पूरी हो जायेगी। अतः, जुलाई की स्थिति और आज की स्थिति में एकदम भिन्नता है। इसलिए रेल मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय के बीच लड़ाई चल रही है। वित्त मंत्री महोदय ने रेलवे निवेश वित्त निगम को बांड जारी करने के लिए कहा है। रेलवे निवेश वित्त निगम ने मना कर दिया है। कोंकण रेलवे निगम बांड जारी करने के लिए तत्पर है परन्तु अभी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, जो इस सभा में उपस्थित हैं, कि इस बात पर वक्तव्य दें और स्थिति को स्पष्ट करें क्योंकि वहां मेरे क्षेत्र में लोगों में उत्तेजना फैल रही है। मैं उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध करूंगा (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के सारे मंत्री, वहां के विधायक और सांसद इस बात पर धरने पर हैं कि राशन की कटौती कर दी गई है। वहां पर गेहूं और चावल का अकाल पड़ा हुआ है और बरसात नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब से पानी मिलता था लेकिन हैड्स के ऊपर पानी रोक दिया गया है, इस कारण से राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस वजह से संसद के बाहर धरना दिया गया और हमने मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री इस ओर ध्यान दें नहीं तो राजस्थान की और अधिक स्थिति खराब होगी। राजस्थान में बन्द किया जायेगा और राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं यहां आकर प्रधान मंत्री के यहां धरना देंगे। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। 20-25 वर्ष पहले अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गाय पशुधन खरीदने और कृषि सम्बन्धी उत्पादन के लिए कृषकों को तीसरे पक्ष के ऋण के रूप में तकावी ऋण दिया गया था। इन 20-25 वर्षों के दौरान इस धन को एकत्र करने के लिए विभाग ने कोई मांग नहीं की, परन्तु अब अचानक बलपूर्वक कार्यवाही की जा रही है और हजारों कृषकों को उनकी चल और अचल सम्पत्ति के बारे में कुर्की के नोटिस प्राप्त हुए हैं। अब सभी गांवों में हाय-तौबा मची है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, विशेष रूप से गृह मंत्रालय से कि वह अण्डमान और निकोबार प्रशासन को आवश्यक निदेश दे कि कृषकों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाये क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। पिछले 20-25 वर्षों के दौरान कोई मांग नहीं की गई और अचानक बल के आधार पर ऐसी मांग की जा रही है। यह केवल कृषकों के हितों के विरुद्ध ही नहीं वरन् जन विरोधी भी है। वित्त मंत्री महोदय यहां हैं। वह अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के गरीब कृषकों के लिए इस सभा में आश्वासन दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्य और जो सदस्य, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें आखिरी बैन्चों पर बैठे हुए अपने साथियों की प्रति शालीनता दिखानी चाहिए ताकि हम उन्हें भी बोलने के लिए समय दे सकें।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने लोकहित में इस सम्मानित सभा में इस गम्भीर मामले को उठाने का अवसर दिया।

दक्षिण राज्यों में तटीय क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा आते हैं अभी तक समुचित रूप से विकसित नहीं हुए हैं। प्रत्येक वर्ष चक्रवातों के कारण इस क्षेत्र के लोगों को जान-माल के नुकसान के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तटीय क्षेत्र के साथ-साथ काफी असिंचित भूमि उपलब्ध है। मछुआरों को जीविका प्रदान करने और साथ-साथ मछली निर्यात के द्वारा आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इस क्षेत्र को मछली पालन के अधीन लाया जा सकता है। यदि इस तटीय क्षेत्र के साथ समुचित वनरोपण के लिए कदम उठाये जायें तो चक्रवातों के प्रभाव की व्यापकता को कम किया जा सकता है और जान-माल की हानि से बचा जा सकता है, तथा उसे कम से कम किया जा सकता है। टाडा से इच्छापुरम तक तटीय सड़क निर्माणाधीन है और यदि यह सड़क शीघ्रता से पूरी हो जाती है तो इस क्षेत्र के लोगों के पास उचित संचार सुविधाएं होंगी।

अतः, मैं प्रधानमंत्री महोदय माननीय कृषि और जल तथा भूतल मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे मत्स्यपालन/वनरोपण के जरिए असिंचित भूमि के द्वारा तटीय क्षेत्र के शीघ्र विकास की पहल के लिए कदम उठायें और तटीय सड़क का निर्माण शीघ्रता से किया जाये।

श्री बालिन कुली (लखिमपुर) : अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और असम में हाथी पकड़ने पर प्रतिबन्ध के कारण वहां हाथियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप पहाड़ी स्थलों और जंगलों से हाथी निकटतम क्षेत्रों में आ जाते हैं जहां फसलें उगाई जाती हैं और लोग रहते हैं। ऊपरी असम में बिना रोक-टोक हाथियों का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मुख्य रूप से सुनितपुर, दारंग, लखिमपुर और गुलाघाट जिलों में। इन जिलों में हाथियों ने अब तक 100 लोगों को मार गिराया है। हमने पहले ही इस मामले पर वन और पर्यावरण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जो लोग हथियों के आतंक से प्रभावित हुए हैं उन्हें सहायता और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किया जाये। सरकार को आरक्षित वन और पहाड़ी क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों की जान और माल के संरक्षण के लिए भी नीति बनानी चाहिये। अन्यथा यह हाथी संकट निरन्तर फसलों, मुख्य रूप से धान की फसल को बर्बाद करता रहेगा और लोगों को मारता रहेगा। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से ध्यान देगी और इन क्षेत्रों के लोगों और फसलों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक और तार विभाग की हड़ताल दूसरे महीने में पहुंच गई है। डाक और तार विभाग के कर्मचारी विशेष ड्यूटी भत्ते की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार प्रणाली पूर्ण रूप से ठप्प हो गई है। हड़ताल, विशेष ड्यूटी भत्ते के भुगतान में पक्षपात के विरोध में है। अतः, मैं सरकार और वित्त मंत्री महोदय से, जोकि यहां उपस्थित हैं, आग्रह करता हूं कि डाक और तार विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को धन जारी किया जाये ताकि हड़ताल समाप्त हो और सामान्य स्थिति बहाल हो।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में करीब 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं और उनमें से करीब 30 प्रतिशत ऐसे गरीब हैं जो बेरोजगार और बेघर । आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है। मुझे दुःख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि ये लोग फुटपाथ और हिन्दुस्तान के रेलवे स्टेशंस पर रैन बसेरा करते हैं, इन गरीबों की मजबूरी को देखते हुए कम्बलों की व्यवस्था की जाये। जिससे ये लोग इस भीषण सर्दी से मुकाबला कर सकें।

मैं जोरदार शब्दों में भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप तीन सौ करोड़ का अनुदान देते हैं कल्याण के लिए, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इन गरीबों को कम्बलों की व्यवस्था कराई जाये। भारत सरकार राज्य सरकारों से कहे कि हर जिले में और नगरपालिकाओं तथा तहसीलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले का निवासी हूं जो कि एक पिछड़ा जिला है। जैसा कि आप जानते हैं, कि फूलबनी राज्य और देश की वन सम्पदा में मुख्य योगदान देता है। हमारे पास ग्रेफाइट जैसे खनिजों का विशाल भण्डार है जोकि हमारे देश के किसी अन्य भाग में अनुपलब्ध है और न ही एशिया एवं विश्व भर में कहीं उपलब्ध है। (**व्यवधान**)

खुर्दा-फूलबनी-बोलनगीर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग हमारे क्षेत्र के लोगों ने अनेक बार उठाई है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वे रेल मंत्री महोदय को इस परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसे पूरा करवाने के निदेश दें जिससे मेरे जिले की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उसके साथ न्याय हो सके।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में इ० सी० एल० के कांपासेड़ा एरिया में करमपुरा कोलियरी और चम्पापुर कोलियरी है जहां पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लगभग 300 मजदूर लोडिंग का काम कर रहे थे। दो महीने पहले उन लोगों को बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसी मुझे खबर मिली है। उनके बाद उन लोगों के स्थान पर 100 मजदूरों की नयी बहाली हुई है जो लोडिंग का काम कर रहे हैं। अब मुझे खबर मिली है कि उन 100 मजदूरों को भी बंगाल में भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारे इलाके के जो भी उद्योग हैं, वहां ऐसी हलचल मची हुई है। इसी संदर्भ में पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि कोई भी खदान या उद्योग हो, मजदूरों को ट्रांसफर नहीं किया जायेगा लेकिन उसके पहले ट्रेड यूनियन्स से यूनिट वाईज बातचीत कर ली जायेगी। साथ ही यह भी वचन दिया था कि कोई भी कारखाना बन्द करने से पहले उनसे यूनिट वाईज बातचीत की जायेगी : इसलिए कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये और इस हरकत को रोका जाना चाहिये।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के अन्दर शिक्षा और शिक्षकों का हमेशा महत्व रहा है लेकिन दिन-प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। गुजरात के अन्दर

जो प्राथमिक स्कूल हैं, वहां के शिक्षकों को सही पगार नहीं मिलता है। उनको केवल 60 से 100 रु० तक का पगार दिया जाता है। उनसे अधिक मेहनत कराई जाती है। इतना ही नहीं शिक्षकों के हस्ताक्षर तो पूरे पगार पर कराये जाते हैं लेकिन उनको कम पगार दिया जाता है और उनका जीविकोपार्जन का साधन पूरा नहीं होता है। इसके साथ ही उन शिक्षकों को सरकार की ओर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षक, जो समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका पगार निर्धारित किया जाये और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया समझ लें कि 3 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारम्भ होने वाला है। हमारे पास एक या दो विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए हैं और उसके बाद मुझे कुछ पत्र सभा पटल पर रखने हैं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले भी हैं।

आज सत्र का अन्तिम दिन है। आज गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है और यह दिन अन्य कार्यों को भी सम्पादित करने के लिए है।

आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया है। कृपया समय की कमी को समझें और इसकी अच्छाइयों तथा जटिलताओं को समझें।

माननीय मंत्री महोदय मद संख्या 32।

2.53 म० प०

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, अनुभाग-2 में प्रकाशित।

2.54 म० पू०

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 332 का संशोधन)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से भारतीय संविधान में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय संविधान में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

2.54½ म० प०

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें अधिनियम 1958 में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1958 में आगे और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

2.55 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु) : महोदय, मैं दिनांक 17 दिसम्बर 1991 को सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

---

* दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो अनुभाग-2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए अभी हमारे पास कुछ मिनट बच गये हैं। हमारे पास 4-5 मिनट हैं। अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेंगे। इसके लिए उन्होंने सूचना भेजी है। मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (कुशीनगर) : अध्यक्ष जी, चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन है, मैं कुमारमंगलम जी को व्यक्तिगत रूप से याद दिलाना चाहूंगा कि इस सदन में बहुत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का सवाल उठाया गया था। आपको भी बताया था कि बर्मा की श्रीमती आंग सान सूकी की रिलीज के बारे में यहां सदन में बात उठाई थी और कुमारमंगलम जी का वादा था कि सरकार इनकी रिलीज के बारे में यहां बयान रखेगी। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे कि श्रीमती आंग सान सूकी को ओस्लो नहीं जाने दिया गया और वहां उनके लड़के ने जाकर नोबल पुरस्कार लिया और दुनिया के जितने नोबल पुरस्कार विजेता थे, सबने उनकी रिहाई के लिए आग्रह किया। मैं आपके जरिए कुमारमंगलम जी से आग्रह करूंगा कि आज आखिरी दिन है और यह ज्वलंत सवाल है। हो सकता है कि सरकार की कोई दिक्कत हो और मैं नहीं समझता कि उन्होंने आपके साथ वार्तालाप नहीं किया होगा। मैं सिर्फ आपके जरिए कुमारमंगलम जी से कहना चाहता हूं कि इससे देश की तस्वीर दुनिया के सामने बहुत ज्वलंत रूप से आ जायेगी, इसलिए हमारे सदन की राय इस पर जाहिर करनी चाहिए। खास तौर से जब उनको ओस्लो नहीं जाने दिया गया और उनका लड़का जाकर पुरस्कार लेता है और दुनिया के सब नोबल पुरस्कार विजेता उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारा फर्ज होना चाहिए कि इस पर कुछ करें। मैं आपसे आखिरी दिन होने के नाते अनुरोध कर रहा हूं।

कुमारमंगलम जी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, यह मामला वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। सरकार निश्चित तौर पर इस मामले पर विचार करने के लिए उद्यम थी। परन्तु दुर्भाग्य से हमने इस मामले पर वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के समय विचार करने का निश्चय किया। मैं एक बार पुनः शीघ्र ही इस पर विदेश मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा।

2.59 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैथन स्थित औरंगाबाद पेपर मिल्स और नाथ पेपर मिल्स के गोदावरी नदी में बहिस्रोव को रोकने की आवश्यकता—

श्री अंकुशराव आर० टोपे (जालना) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैथन नामक स्थान में स्थित औरंगाबाद पेपर मिल्स एवं मैसर्स नाथ पेपर मिल्स का बहिःस्राव सीधे गोदावरी नदी में गिरा दिया जाता है जिसके परिणाम उसका पानी मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है।

इसके बावजूद भी, नदी के दोनों तटों पर स्थित 100 गांवों के लोग वैकल्पिक साधन के अभाव में उसके पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। फलतः, कई लोग बीमार पड़ गये हैं तथा चर्म और अन्य रोगों से पीड़ित हैं।

सम्बद्ध अधिकारियों को कई मौखिक और लिखित निर्देश दिए जाने पर भी इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोदावरी नदी को प्रदूषित करने के लिये जिम्मेदार कारखानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या उन्हें बन्दकर दिया जाये तथा ऐसे कारखानों को ही अनुमति प्रदान की जाए जिनके पास बहिःस्राव शोधक संयन्त्र हों।

3.00 म० प०

(दो) **उड़ीसा में खालेबेडिया घाट पर सुवर्ण रेखा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता**—

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : सरकार के सुवर्ण रेखा नदी के खलबाडिया घाट पर पुल निर्माण के प्रस्ताव पर तुरन्त ध्यान देने आवश्यकता है। प्रस्तावित पुल उड़ीसा के भाग को जोड़ेगा अर्थात भोगराय को बलियापाल से सीधे जोड़ेगा। भोगराय से बलियापाल की दूरी वर्तमान सड़क मार्गों से एक सौ किलोमीटर से अधिक है। उड़ीसा के बालासोर जिले में भोगराय और बलियापाल के निवासियों की इस पुल के लिए मांग विभिन्न कार्यों के लिए विशेषतया व्यापार एवं वाणिज्य के लिए उचित है, जिससे इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। चूंकि सुवर्णरेखा नदी बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए मैं सरकार से पुल निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

3.01 म० प०

[रावराम सिंह पीठासीन]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : यदि हमें 377 पूरा करना है तो उसे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में, गैर-सरकारी कार्य के प्रारम्भ होने से पहले, 377 को पूरा करने की सभायें स्वीकृति ले लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मगर स्पीकर साहब ने मुझ से कहा है कि 3 बजे से प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : परन्तु सभा को अन्तिम निर्णय मिल गया है।

श्री राम नाइक (मुम्बई-उत्तर) : हम यह सुझाव दे सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमत पांच या छह सदस्यों को नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को प्रस्तुत करने का कार्य सम्पन्न करने दें। सभा इस पर एकमत है।

सभापति महोदय : सभा क्या चाहती है?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के सम्पन्न होने तक हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का प्रारम्भ स्थगित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हाउस की क्या ओपीनियन है, क्या इसके लिए दस मिनट का समय बढ़ा दिया जाये। मिस्टर राय के सहित, 4-5 मेम्बर्स और हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : नहीं सर, हमें जिन लोगों को यह पेपर्स मिले हैं, जब वे कम्पलीट कर लें, फिर पी० एम० बी० शुरू किये जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक हैं, हम इसे पूरा कर लेंगे। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा।

[हिन्दी]

अगर आप कहते हैं कि सारा कम्पलीट करें तो सारा करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : (राव रामसिंह) : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य, यह आरम्भ करने के समय से 2_2 घण्टे का होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ऐसा होता है सर, कि जिन माननीय सदस्यों के नाम आ जाते हैं, उन्हें 377 के पेपर्स पहले से दे दिये जाते हैं, और उन माननीय सदस्यों के नाम ही यहां पुकारे जाते हैं। वे क्रम से अपने-अपने विषय को सदन में उठाते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, ऐसा कभी नहीं होता है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय काटा जाये।

सभापति महोदय : इसमें टू मच टाइम नहीं लगेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय इस तरह से नहीं काटा जाता। अगर कोई अपवाद करना हो तो फिर जितने मिनट 377 के अधीन चर्चा में जायें, उतने समय को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस का समय निश्चित ढ़ाई घण्टे का होना चाहिए, काटा नहीं जाना चाहिये। इसीलिये आज पी० एम० बी० 3.00 बजे रखा गया है क्योंकि उसके बाद आधे घण्टे की चर्चा है। इसलिए जो समय इसका काटा जाये, उतना समय 5.30 बजे के बाद जोड़ दिया जाये, यही मैं चाहता हूं।

सभापति महोदय : जिस वक्त से हम प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस आरम्भ करेंगे, उस समय से काउन्ट करके ढ़ाई घण्टे इसके लिए दिये जायेंगे। अगर बीच में कोई इन्टरप्शन होगी तो वह टाइम भी फालतू लगा दिया जायेगा।

(तीन) **पटना-सीतामढ़ी-सोनबसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की आवश्यकता**—

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना

चाहता हूं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं राज्य में संसाधनों की काफी कमी है। उत्तरी बिहार में आवागमन की स्थिति बहुत ही खराब है। कई बार केन्द्रीय मंत्री राष्ट्रीय उच्च पथ बनाने के लिए घोषणा भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय यातायात विकास कौंसिल ने पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा एवं भीठामोड़ को राष्ट्रीय उच्च पथ बनाने की अनुशंसा आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ की सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाए तो काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक सीतामढ़ी, जनकपुर धाम के लिए आएंगे जिससे रोजगार की उपलब्धता के साथ-साथ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

अतः केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े प्राप्त के लिये व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर बिहार को विकास की ओर बढ़ायें।

(चार) असम में गैस विल्फोटक परिसर शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : महोदया, भारत सरकार ने ऊपरी असम क्षेत्र में तेल और गैस में क्षेत्रों उपलब्ध एसोसिएसिड/फ्री गैस और एन० जी० एल० के प्रयोग से एक गैस क्रेकर काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए असम औद्योगिक विकास निगम को एक आशय-पत्र जारी किया है। निःसन्देह, असम के औद्योगिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। प्रस्तावित काम्पलैक्स में प्रतिवर्ष तीन लाख टन इथिलीन के उत्पादन और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण के लिये विभिन्न डाऊनस्ट्रीम यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस लिये मेगा प्रोजैक्ट के चालू होने के साथ यह आशा है कि इस अर्ध-विकसित क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जायेगा। इसमें काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकती है। प्रस्तावित गैस प्रस्तावित नेप्था क्रेकर परियोजना से न केवल दो लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवरुद्ध उपलब्ध होंगे, बल्कि इससे प्रौद्योगिकीय और आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से न्यूनतम पूंजी निवेश और इस समय सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ प्रस्तावित परियोजना के शीघ्र और सफल क्रियान्वयन के लिये आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) देश में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र का पहले से ही पता लग जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिये 9 नवम्बर को लिखित परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के 27 हजार से ज्यादा प्रत्यक्षी बैठे थे। आरोप यह है कि परीक्षा से पहले ही लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक आऊट होने के अलावा 15-20 हजार रुपये में पहले से ही प्रश्न पत्र बेचे गये, की शिकायत मिली है। इसी बीच दिल्ली पुलिस बल की प्रशिक्षण शाखा से सूत्रों के अनुसार सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं में हुई कथित धांधलियों की सूचनाएं मिलने के कारण पुलिस आयुक्त ने परीक्षा परिणाम स्थगित कर दिये हैं।

इससे पूर्व भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक आउट होने, खुलेआम बिकने की शिकायतों पर परीक्षायें रद्द हो चुकी हैं।

यह बहुत गम्भीर और खतरनाक प्रवृत्ति देश में चल रही है। इसके कारण योग्य उम्मीदवारों का मनोबल गिर रहा है।

मेरा केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों को दण्ड दिलायें।

(छः) मदुरै और तूतीकोरिन के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय, तमिलनाडु में करूर और डिन्डिगुल के बीच ब्रांडगेज रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और डिन्डिगुल और मदुराई के बीच ब्रांडगेज रेल लाइन बिछाने का कार्य भी हाथ किया गया है और कार्य प्रगति पर है। तथापि, तमिलनाडु के दो महत्वपूर्ण व्यापारिक और उत्पादन केन्द्रों अर्थात मदुराई और तुतीकरिन के बीच कोई ब्रांडगेड रेल लाइन नहीं है।

इस समय, मदुराई और बोडिनाया कानूर के बीच केवल मीटर गेज रेल लाइन है। लेकिन बोडिनायाकानूर और कोचीन, केरल के बीच ब्रांडगेज रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य और अन्य औपचारिकताएं पहले ही पूरीकर ली गई है।

अतः मैं सरकार (रेल मंत्रालय) से अनुरोध करता हूं कि वह मदुराई और बोडिनायाकानूर के बीच वर्तमान रेल लाइन को ब्रांडगेज रेल लाइन में बदलने के प्रस्ताव पर विचार करे और उसे स्वीकार किया जाये और इसके साथ ही बोडिनायाकानूर और कोचीन, केरल के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्य को प्रारम्भ किया जाये। इसके अलावा, मदुराई और तुतीकोरिन के बीच ब्रांडगेज रेल लाइन बिछाने के कार्य पर भी विचार किया जायें, जिसके लिए आवश्यक स्वीकृति यथा शीघ्र प्रदान की जायें।

(सात) डी० जी० एस० एण्ड डी० की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय, पूर्ति विभाग ने अगस्त, 1990 में यह निर्णय लिया कि भण्डारों तथा उपकरणों की खरीद के कार्य विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाए और पैट्रोलियम, तेलों तथा स्नेहकों के लिए तदर्थ मांग पत्रों के सम्बन्ध में खरीद के कार्य को मांगकर्त्ता विभागों को स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा साथ ही पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में इस कार्य को करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी स्थानांतरित कर दिया जाए और केवल दर/चल ठेकों में शामिल मदों की खरीद का काम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में किया जाता रहे। यह समझा जाता है कि पहले विद्यालंकर समिति, 1965, मिर्धा समिति, 1976, संसद की प्राक्कलन समिति (72वीं रिपोर्ट-7वीं लोक सभा) ने 1983-84 में इस संगठन के कार्य की काफी सराहना की है। राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खरीदों का काम इस संगठन को सौंप कर इस संगठन को मजबूत बनाए जाने की सिफारिश के बावजूद सरकार ने व्यवसायिक परामर्श तथा गहराई से अध्ययन किये बिना ही खरीद के काम को विकेन्द्रित करने का निर्णय लिया।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय बहुत पुराना तथा परखा हुआ संगठन है तथा इसमें भारतीय पूर्ति सेवा भारतीय निरीक्षण सेवा के मुख्यापित इंजीनियर काडर हैं। क्रय कार्य के विकेन्द्रीकरण से इस संगठन द्वारा सृजित की गई विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग नहीं हो सकेगा। विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप क्रय कार्य में खर्च बढ़ेगा, जिससे इस पर होने वाले सरकारी खर्च में वृद्धि होगी जो देश में वर्तमान आर्थिक दबाव को देखते हुए वांछनीय नहीं है। इसलिए यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और इसके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। उपभोक्ता विभागों पर खरीद की जिम्मेदारी डालना एक पीछे की ओर से आने वाला कदम है और इससे उद्योग के विशेषकर लघु उद्योग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों तथा उन उद्योगों की प्रगति में रुकावट आएगी जो दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में लगे हैं।

अब विदित हुआ है कि वर्तमान सरकार इस मामले की पुनः जांच नहीं करना चाहती और खरीदों का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लिया जाए क्योंकि इस देखे-भाले संगठन द्वारा जो विशेषज्ञ सेवाएं स्थापित की गई हैं, उन्हें इनके बाद में जरूरत पड़ने पर रातों-रात तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण कदम यह होगा कि व्यवसायिक परामर्श के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए, जिससे कि उपयुक्त लागत लाभ विश्लेषण, कर्मचारियों के हितों तथा अन्य सरकारी विभागों में कार्यों के सम्बन्ध में ठीक तरह से जायजा लिया जा सके और एक सही कदम उठाया जा सके।

(आठ) **हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता**

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (गिरिजा) : सभापति महोदय, देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के सारे राज्यों को समान एवं न्याय की दृष्टि से देखा जाता है। बार एसोसियेशन द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से न्यायाधीशों का चयन किया जाता है और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राज्यों के मुख्यमन्त्रियों एवं राज्यपालों द्वारा भारत सरकार को सिफारिश किया जाता है और भारत सरकार द्वारा इन सिफारिशों में से न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। परन्तु मुझे बहुत खेद है कि हिमाचल प्रदेश राज्य से अभी तक कोई भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करने हेतु ध्यान नहीं दिया गया है। यह पिछड़े हुए क्षेत्र भारत सरकार से यह आशा रखते थे कि उनके साथ न्याय होगा और उनके राज्यों को यह सौभाग्य स्वतन्त्रता के बाद प्राप्त होता रहेगा, परन्तु आज तक ऐसा नहीं हो पाया। लोगों में इस बात से बड़ी निराशा है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उच्चतम न्यायालय में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(नौ) **पुलिस की और अधिक बटालियन बनाने और आतंकवाद के खतरे से निपटने हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यक**

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की सीमा पंजाब तथा जम्मू-काश्मीर राज्यों के साथ लगती है। दोनों ही राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण हिमाचल प्रदेश में भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस बलों की आवश्यकता है। पंजाब में सेना की तैनाती के पश्चात पड़ोसी राज्यों में गड़बड़ी की आशंका और बढ़

गई है। हिमाचल प्रदेश के अपने साधन सीमित हैं और पुलिस बल भी कम है। काफी समय से घुसपैठ और आधुनिक शस्त्रों को लेकर घुसपैठ के चिन्ताजनक समाचार हैं।

ऐसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार का दायित्व इस क्षेत्र के सभी प्रदेशों में समुचित प्रबन्ध करने का और भी बढ़ जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित पग तुरन्त उठाये जायें

1. हिमाचल प्रदेश को कम से कम छः बटालियन और पुलिस की भर्ती करने और प्रशिक्षित करने के लिये आर्थिक सहायता तुरन्त प्रदान की जाये।

2. वर्तमान पुलिस बल को आधुनिक शस्त्रों आदि का प्रशिक्षण दिया जाए और पर्याप्त आधुनिक शस्त्र भी उपलब्ध कराये जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिक धन दिया जाये।

(दस) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र के अस्तित्व को 'ग्रीनहाउस' के प्रभाव से उत्पन्न खतरे से बचाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, वनस्पति और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन मेनग्रोव वन, जो विश्व के सबसे सघन वनों में से एक हैं, धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और यदि विश्व में गर्मी का यही रुख जारी रहा तो ये अन्ततः समाप्त हो सकते हैं।

गंगा डेल्टा के दक्षिण में स्थित इन विशिष्ट वनों के विनाश का एक अन्य कारक कलकत्ता में मल-मूत्र को बंगाल की खाड़ी में ले जाने के लिये गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मार्ग बदलकर एक नहर का निर्माण करना है।

नदी के साथ की भूमि में कुछ कृषि-रसायन वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गये अध्ययनों में गंगा में भारी धातुओं कोलोरी ने विड क्लीटनाशियों का पाया जाने और इस क्षेत्र में समष्टि और व्यष्टि वनस्पति के आकलन से कुछ अत्यधिक चिन्ताजनक सम्भावनाओं का पता चला है, अर्थात डेल्टा क्षेत्र का धीरे-धीरे नीचे जाना और क्षेत्र में वनों का विनाश होना। इन वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि वर्तमान ग्रीनहाउस प्रभाव जारी रहा तो समुद्र तल ऊपर उठ जायेगा और उससे लेने वाली जड़े वायु से सांस जो सुन्दरवन वनस्पति की विशेषता है, जलमग्न हो जायेंगी और इससे ये वन नष्ट हो जायेंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से विश्वव्यापी ताप खतरे से सुन्दरवनों को बचाने के लिए तुरन्त उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

इसमें अतिरिक्त, मानसून के दौरान बाढ़ों द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचाव के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को 'बाढ़ की सम्भावना वाले क्षेत्र' घोषित किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) महाराष्ट्र में कोंकण तट पर उद्योगों की स्थापना को रोकने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री अन्ना जोशी (पूणे) : भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन जीव विभाग ने

पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के नियम 5 (iii) के साथ पठित, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 3(2) (5) के अधीन दिनांक 6-1-89 को एक अन्तिम अधिसूचना जारी की है, जिसमें रेवडांडा क्रीक से देवधर प्वाइंट तक की एक किलोमीटर की पट्टी में और महासाला तक राजपुरी शैवालों के तट से लगी एक किलोमीटर की पट्टी को छोड़कर सरकारी उद्योगों के सभी प्रचालनों और प्रक्रियाओं के लिए कोई भी उद्योग स्थापित करना निषेध किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें की हैं।

इस अधिसूचना से मैसर्स मझगांव डाक लि०, मैसर्स कोकड़ शिपयार्ड और इंजीनियरिंग लि० की तुरुमबाडी में पोत निर्माण और पोत मरम्मत करने की स्थापित की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह अन्तिम अधिसूचना अपनी किस्म की अकेली अधिसूचना है, जिसमें केवल कोंकण तट का ही उल्लेख किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में काफी समुद्र तट क्षेत्र हैं, लेकिन इन राज्यों में से किसी भी राज्य के तटीय क्षेत्र के लिए ऐसी निषेधात्मक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अतः केवल कोंकण क्षेत्र का औद्योगिक विकास ही खतरें में पड़ा है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण, और वन और वन्यजीव विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर पुनःविचार किया जाये।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। अब 3.20 म० प० बजे है। आबंटित समय अब से साढ़े तीन घंटे हैं अर्थात 3.20 और साढ़े तीन घंटे। कृपया श्री रतिलाल वर्मा।

3.18½ म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : मैं प्रस्ताव करता हूं —

"कि यह सभा 18 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.20 म० प०

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक*

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफ्फर पुर) : मैं भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता,

*दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—दो खण्ड—2 में प्रकाशित।

1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.20 म० प०

विधवा कल्याण विधेयक*

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधवाओं को पैंशन के भुगतान और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रस्ताव दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधवाओं को पेंशन का भुगतान करने और अन्य सुविधा का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.21 म० प०

आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था विधेयक*

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सभी छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : श्रीमान जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

*दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड—2 में प्रकाशित।

3.21½ म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 29क आदि में संशोधन)

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.22 म० प०

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 4 में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.22½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 30 का संशोधन)

श्री जे० चोक्का राव (करीम नगर) : मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो खण्ड—2 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे० चोक्क राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.23 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 107, आदि में संशोधन)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.24 म० प०

रोजगार गारन्टी विधेयक—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम श्री भोगेन्द्र झा 13 सितम्बर, 1991 को किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करेंगे। इसके लिए 5 घण्टे और दो मिनट का समय आवंटित किया गया था। इस विधेयक पर पहले ही चार घण्टे छियालिस मिनट की चर्चा हो चुकी है। इसलिए, तकनीकी रूप से केवल छत्तीस मिनट का समय शेष है। श्री सूर्यनारायण यादव बोल रहे थे। वह पहले ही नौ मिनट तक बोल चुके हैं। क्या वह यहां पर हैं? नहीं, वह यहां पर नहीं है। श्री सत्यनारायण जटिया। वह भी यहां पर उपस्थित नहीं है। कुमारी फ्रिडा तोपनो।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं उड़िया में बोलूंगी।

सभापति महोदय : मुझे जानकारी नहीं है कि क्या उड़िया से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए व्यवस्था की गई है, क्या कोई व्यवस्था की गई हैं? ठीक है, आप बोल सकती है।

***कुमारी फ्रिडा तोपनो** : सभापति महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए रोजगार गारन्टी विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विधेयक

---

*दिनांक 20-12-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, में प्रकाशित।

* मूलतः उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। श्रीमान अपने विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य श्री झा, इस देश में प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति के लिए रोजगार गारण्टी का प्रावधान कराना चाहते है। चूंकि श्री झा ने इस देश की एक गम्भीर समस्या का उल्लेख किया है अत: मैं यह महसूस करती हूं कि इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है। बेरोजगारी की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अपना विधेयक प्रस्तुत करते हुए श्री झा ने बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस चर्चा में भाग लेते हुए, कई माननीय सदस्यों ने भी इसी तरह अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस बढ़ती हुई गम्भीर समस्या पर अपनी गहन चिन्ता व्यक्त करने में उनके साथ हूं और मैं कतिपय सुझाव भी देना चाहूंगी।

महोदय, विगत में भी, इस देश में बेरोजगारी की समस्या थी। स्वतन्त्रता से पूर्व भी यह समस्या थी। पश्चिमी देशों में भी यह समस्या विद्यमान है। लेकिन वहां पर यह समस्या उतनी गम्भीर नहीं है जितनी भारत में है। स्वतन्त्रता के समय बेरोजगार लोगों की संख्या काफी कम थी। सभी शिक्षित व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि संख्या बहुत कम थी। किसी परिवार में यदि एक व्यक्ति सरकारी सेवा में चला जाता था तो अन्य लोग कृषि या कोई अन्य छोटे व्यवस्था करते थे। इस प्रकार सरकारी सेवा में रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर लेता था क्योंकि उसे परिवार के खानपान आदि के लिए सहायता मिल जाती थी। वास्तव में वह आराम की जिन्दगी जीने में समर्थ था क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी इस तरह से समाज के बाकी लोग यह सोचते थे कि सेवारत व्यक्ति वास्तव में सुखी हैं और जिस व्यक्ति को भी नौकरी मिल जाती है वह आराम की जिन्दगी बितायेगा। उसके बाद हर एक ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। यहां तक कि किसानों ने भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। जनसंख्या में भी वृद्धि होने के साथ-साथ शिक्षित युवाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। उन्होंने रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए अपना नाम दर्ज करवाया। दूसरी तरफ हम बढ़ते हुए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। मैं नहीं कहती कि हमारी सरकार ने उन युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया है। काफी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किये गये हैं। लेकिन यह संख्या नौकरी के रोजगार कार्यालयों में दर्ज युवाओं की वास्तविक संख्या के समानुपात में नहीं है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर पैदा किए गए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों का काफी बकाया छूटता रहा। इस प्रक्रिया में बढ़ती बेरोजगारी ने राष्ट्र के समक्ष आज एक गम्भीर समस्या खड़ी कर दी है। अब हमें सोचना है कि हमें इस समस्या को कैसे दूर करना है। अब हमें उन लोगों के लिए कोई न कोई कार्य प्रदान करने वाली योजना बनानी है जो घर पर खाली बैठे है।

महोदय, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पश्चिमी देश उन्नत है। उन्होंने नई नई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण किया है और उनका विस्तार किया है। यह भी सच है कि उन्होंने अपने स्कूलों और कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है। यही कारण है कि उन्होंने अपने युवाओं को योग और कृषि के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया है। लेकिन उन देशों की तुलना में भारत में उद्योगों की संख्या काफी कम है। हमने अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण और विस्तार नहीं किया है जैसाकि उन देशों में किया जा रहा है। हम उनकी तरह उन्नत नहीं है। महोदय, हमारी कृषि विकास की काफी गुंजाइश है और हम अपने ग्रामीण लोगों को खेतों में काम देने की भी काफी गुंजाइश है। हमारे शिक्षित युवाओं को भी कृषि को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। परन्तु त्रासदी यह है कि हमारे ग्रामीण शिक्षित युवक कृषि क्षेत्र में अपना समय देना नहीं चाहते हैं।

[कुमारी फिडा तोपनो]

उन लोगों ने यह प्रवृत्ति बना ली है कि वे लोग सरकारी कार्यालयों में काम करेंगे। हमारी शिक्षा नीति भी दोषपूर्ण है। यह कुछ बाबूओं तथा कथित लिपिकों को पैदा करने के लिये है। परन्तु आज कल तो यह भी संभव नहीं है। अतः, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता हैं। हमें स्कूल तथा कालिजों में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम चलाने होंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग संस्थान खोलने होंगे तथा इन संस्थानों में नये डिपोलोमा पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये। प्रत्येक राज्य में ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक संस्थान खोले जाने चाहिये। तकनीकी शिक्षा की उन्नति हेतु उस पर ज्यादा जोर देना होंगा। प्रत्येक राज्य को तकनीकी संस्थान खोलने हेतु समुचित धन दिया जाना चाहिए। यदि हमारे युवकों को उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण मिलता हैं तो उन्हें नौकरी मिल सकती है, वे कोई व्यवसाय खोल सकते है या फिर और कोई काम कर सकते है।

महोदय, हमारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी गुंजाइश है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काफी लोगों को नौकरी मिल सकती हैं। उन लोगों को ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में रोजगार दिया जा सकता है। परन्तु यह दुःख की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये। जिला स्तरीय औद्योगिक केन्द्रों का नवीकरण किया जाये तहां एक गांव में लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये। औरतों को, खासकर उन गृहणियों को जो अपने गृह कार्य खत्म करने के बाद खाली बैठी रहती हैं, उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कुटीर उद्योगों में काम कर सकें। वे अपने पतियों की आय में पूरक योगदान दे सकती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक भुलझाया जा सकता है। यदि गृहणियों को प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे अपनी बच्चों को घर पर ही पढ़ा सकती हैं।

महोदय, मैं अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रहूंगा, यदि में अनुसूचित जातियों था जन-जातियों की समस्याओं का यहां जिक्र नहीं करता हूं। वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर ही नहीं रहते हैं। अधिकतर अनुसूचित जनजातियों के लोग जंगलों में रहते हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है। हम उन लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो उनके गांवों को सड़कों से जोड़ना होगा। नयी सड़कें बनाई जानी चाहिये। उन लोगों को निर्माण कार्य में भी लगाया जा सकता है। चूंकि ये लोग अशिक्षित होते है अतः उनके रोजगार हेतु हमें कुछ कार्यक्रम बनाने होंगे। जनजातियों के लोग आमतौर से होते हैं। उनके पास कोई काम नहीं होना है अतः, इनकी परिस्थिति बड़ी दयनीय है। आपको उन्हें काम देना होगा। ये गरीब आदिवासी लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते है। उन लोगों को जो वृतिका दी जाती है वह उनकी पढ़ाई के खर्चे के लिए यथेष्ट नहीं हैं अतः, उनकी वृतिका राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। उन लोगों को उच्च शिक्षा हेतु भी यथेष्ट अनुदान दिया जाना चाहिए विशेषतया उन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं। ऐसे छात्रों की उच्च शिक्षा का सारा खर्चा चाहे वह तकनीकी हो या गैर-तकनीकी, सरकार को वहन करना चाहिए। जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, तत्काल आरक्षित पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। यदि इनमें से कुछ छात्र साधारण वर्ग के साथ स्पर्धा करते हैं तो उन्हें भी रोजगार देने हेतु विचार करना चाहिए।

महोदय, दुग्ध उत्पाद, कुक्कुट पालन मत्स्य पालन के विकास की भी आवश्यकता है। यदि हम लोग ऐसा है, तो इन क्षेत्रों में काफी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। बेकार युवकों को इस

क्षेत्र में रोजगार प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार को इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। यदि कुछ ऐसी नई योजनाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कुछ प्रवर्तनशील नवीनता हो, तो शिक्षित बेरोजगार युवक इन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु रुचि दिखायेंगे उन्हें रोजगार मिल सकेगा तथा साथ ही साथ हमारे डेयरी, कुक्कुट पालन उद्योगों का विकास हो सकता है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी ने इस क्षेत्र में कई रोजगारोन्मुख योजनायें चालू की थी। इन योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। परन्तु यह खेद की बात है कि जब विपक्षी दलों ने सरकार का गठन किया तो उन्होंने कई योजनाओं को रोक दिया। महोदय, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर काफी बड़ी धनराशि खर्च की गई थी। परन्तु यह बड़े ही खेद की बात है कि इन योजनाओं के लिए दिये गये धन का अनेक स्थानों पर दुरुपयोग किया गया है। कई जगहों पर, जो धन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हेतु निश्चित किया गया था, उसे अन्य कार्यों पर लगा दिया गया। इन तमाम अनियमितताओं के बावजूद भी ग्रामीण लोगों को फायदा हुआ था। उन्हें काम मिल रहा था। उन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या थी। मैं, अब केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम उन कार्यक्रमों के बारे में तो बताएं जिनको केन्द्रीय सरकार प्रायोजित कर रही है।

महोदय, माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या पर प्रकाश डालने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक देश के प्रत्येक वयस्क को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान में रखा गया है जोकि किसी भी सरकार द्वारा किया जाना संभव नहीं है। यहां तक कि उसका दल भी जिस ने सरकार बनायी है, वह भी इस समस्या को हल करने में सफल नहीं रहा। परन्तु उन्होंने एक बहुत अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया है। अतः, मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनसे इस विधेयक को वापिस लेने का भी अनुरोध करता हूं।

अन्त में, महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिये अवसर दिया और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति महोदय, गैर-सरकारी कोई भी विधेयक हो या प्रस्ताव हो, वह हमारे संसदीय जीवन में बहुत महत्व रखता है। खासकर भोगेन्द्र झा जी इस सदन में जो बिल लाये हैं, उसका हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्व है।

सभापति जी, जब हमने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने के बारे में तय किया तो हमें बहुत तकलीफ होती है। सभापति जी, जिस पृष्ठभूमि में आप और हम आये हैं, आपको भी तकलीफ हुई होगी कि आजादी के बाद, खासकर संविधान के लागू होने के बाद, संविधान में जितनी धाराएं हैं, जिनके जरिए हम अपने देश की दौलत का आबंटन करते हैं, इस देश में जितने दरिद्र लोग हैं, उनके प्रति किस तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाये, इस सम्बन्ध में हमारे संविधान में जितनी धाराएं हैं, आप मुझसे सहमत होंगे कि एक-एक धारा को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार कोई योजना बनाकर, गरीबों के लिये, बेरोजगारों के लिये, संविधान में जो व्यवस्था है, प्रावधान हैं, उसके खिलाफ काम करती रही है।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ खींचना चाहता हूं। खासकर महात्मा गांधी के बारे में एक बात यहां कहना चाहूंगा। यदि महात्मा गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे, अभी तक उन्हें, हमारे देश के जो प्लानर्स हैं, वे विशिष्ट अर्थ नीतिज्ञ नहीं मानते हैं, जिससे मुझे

[श्री रवि राय]

बहुत तकलीफ होती है। असल में, उनकी जिन्दगी में, वैसे तो 98 किताबें उनकी छप चुकी हैं भारत सरकार की ओर से, लेकिन उनकी जिन्दगी में, जो किताब लिखी गई थी, उसका नाम था "हिन्दु स्वराज्य"। वह किताब आज से 60-70 साल पहले लिखी गई थी। परन्तु मैं आज उसी के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि यदि एक वाक्य में उसका सार कहा जाये कि उनकी आर्थिक दृष्टि क्या थी—वे मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन फार द मासेज के हिमायती थे। आज संविधान की तरफ जब मैं ध्यान देता हूं तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि कुछ मुट्ठीभर लोगों के बीच इस देश का धन केन्द्रीकृत नहीं होना चाहिये—कुछ हैन्ड्स में इस देश की वैल्थ कन्सैन्ट्रेड नहीं होनी चाहिये परन्तु आप जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद, पिछले करीब 39 सालों के दरम्यान, जो हमारे संविधान में धारा है कि कन्सैन्ट्रेशन आफ वैल्थ न हो, इस देश के धन का ठीक ढंग से वितरण हो, समानता के आधार पर हो, मैं आपको अगल में इतना ही कहना चाहता हूं कि 1972 से 1988 तक, भारत सरकार के पास जो आंकड़ा उपलब्ध है, उसके अनुसार, मैं यहां आपके सामने मात्र तीन व्यापारिक घरानों का नाम लेना चाहूंगा, जो इस देश के प्रमुख घराने हैं।

इसमें मैं तीन घरानों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, बिजनेस घरानों का, क्योंकि बिड़ला, टाटा के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन मैं दूसरे घरानों का नाम लेना चाहता हूं, उनका वर्तमान नाम नहीं लूंगा लेकिन उनकी कम्पनी का नाम लेता हूं रिलायन और सदन के सदस्य जानते हैं कि उसका मालिक कौन है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़े हैं, 1972 में उनका ऐसेट 30 करोड़ था और 88 में छलांग मार कर चला गया, करीब साढ़े तीन हजार करोड़ तक। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के 78 घरानों का आंकड़ा है। मैं उसे पढ़कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि आज इस सदन को सोचना है, खास कर पिछले जून, जुलाई से जब से उदारवादी अर्थ नीति इस सरकार की बन गई। आप जानते हैं कि 1991-92 का बजट और नयी औद्योगिक नीति के चलते, सरकार के इस काम के चलने इस नीति में परिवर्तन हुआ, औद्योगिक नीति में, आप देखेंगे कि औद्योगिक नीति के कुपरिणाम निकलेंगे।

आप और हम जैसे लोग जो गांवों में रहते हैं उन करोड़ों लोगों का रोजगार छीना है। आप जानते हैं कि सरकार की जो-जो नीतियां इस सदन में पारित हुई हैं, इसका मतलब है मौजूदा बेरोजगारी को खत्म करना, नया रोजगार इस सरकार के पास नहीं है।

और पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वित्त मंत्री बैंकाक चले गए और सदन के पीछे जा करके, यहां से हजार मील दूर विदेश में, हिन्दुस्तान के बाहर जाकर ऐलान कर दिया कि जितने रुग्ण पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग हैं उनका हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसका मतलब करीब 98 पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग को सरकार ने तय किया, उनको बी० आई० एफ० आर० को दे दिया जाये, इसका मतलब है कि लाखों की तादाद में जो मजदूर काम करते हैं वे बेरोजगार हो जायें और मेरे पास इसकी खबर है कि आई० एम० एफ० के चलते 10 प्रतिशत डीजल बढ़ जायेगा, अगले दो महीने में और डी० ए० भी फ्रिज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो भी मौजूदा नौकरी में है उनकी भी आय घटती चली जाएगी। मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और जो निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग रोजगार में हैं उनकी भी आय घटती चली जाएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस सवाल को कैसे हल करना है, किस तरीके से करना है। भोगेन्द्र झा जी का जो नजरिया है उसको हासिल करने के

लिए क्या किया जाए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस देशवासियों का, हिन्दुस्तान का 80 करोड़ लोग दुश्मन हैं और जिनमें से दो दुश्मन तो वह हैं एक तो केन्द्रीकरण, सारा पोलिटीकल पावर, इकनोमिक पावर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रीकरण होकर चला गया। दूसरा है कंज्यूमरिस्ट कल्चर, ये दो दुश्मन हैं, हिन्दुस्तान की जनता के, ये दो दुश्मन रोजगार को खत्म करने वाले हैं और दुनिया में सेंटरलाइज प्लानिंग का खतरनाक परिणाम निकल चुका है और यह प्लानिंग असफल रहा है। सेंटरलाइज प्लानिंग एम्प्लायमेंट नहीं दे सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सेंटरलाइज प्लानिंग के चलते, कंज्यूमरिस्ट कल्चर के चलते, जो मौजूदा रोजगार है वह खत्म हो जायेगा और नया रोजगार सामने नहीं आ पायेगा।

सभापति जी, यहां मंत्री लोग बैठे हैं मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि कपड़ा उद्योग में, एक उदाहरण मैं कपड़ा उद्योग का दूंगा कि कपड़ा उद्योग में सरकार मान चुकी है और सरकार आर्थिक सर्वे में मान चुकी है कि हिन्दुस्तान में कपड़े उद्योग में मिल सैक्टर लोगों को कपड़े का इतना इन्तजाम नहीं करता, डिसेंटरलाइज सैक्टर ज्यादा करता है।

वह है हैंडलूम और पावरलूम और मैं सरकार का ध्यान एक क्रांतिकारी कदम उठाने की ओर दिलाना चाहता हूं, सरकार यदि मन में ठान ले तो रोजगार बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार को संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। भारत सरकार सारे मिलसेक्टर से कह दे कि वह अपना सारा का सारा कपड़ा निर्यात करे, एक भी कपड़ा हिन्दुस्तान में न बेचे और हैंडलूम और पावरलूम घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करें। इसमें रोजगार है। यदि यह हो जाए तो मेरे ख्याल से डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इस बारे में सरकार की मनःस्थिति नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। जहां रोजगार पैदा हो सकता है, वहां पर रोजगार पैदा करने के लिए सरकार कृतसंकल्प नहीं है।

आज सेल्फ-अंप्लायमेंट की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिशिंग के क्षेत्र में उदारवादी अर्थनीति के चलते बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इजाजत दी जा रही है और सदियों से मछली पकड़ने का काम करने वाला फिशरमैन 50 लाख की संख्या में बेकार हो जाएगा। फिशरमैन मछलियां पकड़ते हैं और रात में महिलाएं मछलियां बेचने का काम करती हैं, लेकिन ये सब लोग बेरोजगार होने वाले हैं। इसी तरह से भारत सरकार के रेलवे विभाग ने जो सर्वे किया है, उसके अनुसार मौजूदा 14 लाख जो कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से 7 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में श्री भोगेन्द्र झा जो सोच रहे हैं रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में, वह कैसे हो पाएगा। सरकार के इस तरह के चिन्तन और कर्म के चलते, सेंट्रलाइज प्लानिंग और उपभोक्ता संस्कृति के चलते यह कैसे हो सकेगा। पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से उदारवादी सरकार की आर्थिक नीति चली है, उसके चलते अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक हमारी नीतियां तय करते हैं। आज संसद सर्वोच्च नहीं रह गई है। आज सारे आर्थिक मामलों के निर्णय वाशिंगटन में हो रहे हैं। जब यह सब हो रहा है तो श्री भोगेन्द्र झा का मकसद कैसे पूरा हो सकता है। सरकार की इस नीति के चलते तो सैल्फ एम्प्लायमेंट के बजाए बेरोजगार ज्यादा पैदा हो रहे हैं।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि रोजगार कहां पैदा हो सकते हैं। रोजगार खेती में है, रोजगार एग्रो-इंडस्ट्री में है, रोजगार छोटे उद्योगों में है, रोजगार स्मालस्केल सेक्टर्स में है। अर्थनीति क्षेत्र में एक ग्रेसम्स इकनामिक ला है कि बैड काइम ड्राइवआउट दुड काइंस। आप देखिए कि आजादी के 45 वर्ष के दरमियान काल से लेकर हमारे यहां बड़े उद्योगों को ही प्राथमिकता दी गई है, लेकिन

[श्री रवि राय]

उसमें रोजगार नहीं है। इस बारे में सारे अर्थशास्त्रि विशेषज्ञों की यही राय है, लेकिन सरकार फिर भी 40 वर्षों से हजारों करोड़ रुपया बड़े उद्योगों पर लगायी जा रही है। उसका नतीजा है कि जितना रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। बड़े उद्योगों की मृग-मरीचिका के पीछे सरकार चल रही है, जिसके कारण रोजगार के अवसरों का निर्माण नहीं हो पाता है। पूंजी प्रधान उद्योगों के रोजगार पर बड़ा प्रतिकूल असर डाला है। पूंजी प्रधान आर्थिक नीतियों ने भी रोजगार पर बड़ा ही प्रतिकूल असर डाला है हमें हमारे मानसिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे। हमें श्रम प्रधान आर्थिक नीतियां अपनानी चाहिए।

लेबर इन्टेन्सीव पालिसी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। श्री भोगेन्द्र झा जी का मकसद तब पूरा होगा जब हम लोग एक इंटीग्रेटेड आर्थिक नीति, जिसका पहला कम्पोनेन्ट मास प्रोडक्शन नहीं और उपभोक्ता संस्कृति के खिलाफ मन बना लेना चाहिए और लेबर इन्टेन्सीव इकोनोमिक पालिसी और लेबर इन्टेन्सीव टैक्नोलोजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। मौजूदा लोगों की स्थिति यह है कि वे लोग रोजगार चाहते हैं। लेकिन रोजगार प्रदान करना सरकार का काम है। सरकार की मानसिकता करोड़ों रुपए की मानसिकता है। श्री झा जी ने लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि रोजगार बढ़ाने के लिए संसद सोचेगी और लेबर इन्टेन्सीव पालिसी की तरफ संसद को ध्यान देना पड़ेगा। आजकल तथाकथित आर्थिक नीति के चलते देश के रोजगार में कमी हुई है। मैं, आपके जरिये सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि श्री भोगेन्द्र झा जी के बिल को समर्थन देना चाहिए और सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार पर दबाव डाले। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस बिल के डिबेट का समय चार बजे पूरा हो जाता है। अगर हाऊस की मंजूरी हो कुछ आगे बढ़ाने की तो कितना समय बढ़ाना चाहिए या इसको यहीं खत्म करना है, जैसी आपकी मर्जी हो।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : हम पिछले दो सत्रों से इस विधेयक पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अगला विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। अतः, यदि उसे आज पुरःस्थापित कर दिया जाता है, तो वह रद्द नहीं होगा।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए हमें कितना समय बढ़ाना होगा ?

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : कृपया एक घन्टे का समय बढ़ाइये।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप डेढ़ घन्टे का समय बढ़ा दीजिये और उसके बाद दूसरा विधेयक आज पुरःस्थापित किया जा सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि डेढ़ घन्टे का समय बढ़ाया जाता है, तो फिर आज दूसरा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम एक घन्टे का समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से समय एक घन्टे के लिए, पांच बजे तक बढ़ाया जाता है। मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग अपने भाषण को 7 से 8 मिनट तक ही सीमित रखें।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह जो काम को संवैधानिक अधिकार देने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से, यह काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार का होना जरूरी है। बिना रोजगार के यदि मनुष्य बेकार होगा तो उसकी जिन्दगी और उसके परिवार की जिन्दगी का कोई गुजर-बसर का साधन नहीं रहेगा। इसलिए जो बात कही है रोटी, कपड़ा और मकान, यह इन्सान को जरूर मुहैया होनी चाहिए। इसका भी जो माध्यम है वह रोजगार है। इस दृष्टि से हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो स्वदेशी आनी चाहिए थी, जो स्वरोजगार आना चाहिए था वह नहीं आया। चार दशक बीत गये हैं, किन्तु हम लोगों को रोजगार देने के लिए समर्थ नहीं हो सके। हमारी आर्थिक नीति इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे हम बेकारों को और बेरोजगारों को काम दे सकें। इस दृष्टि से जो जन-शक्ति है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा। किन्तु हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारों की समस्या है, अर्द्धबेकारी की समस्या है। इस प्रकार हम लोगों को उनकी जीविका चलाने के लिए जो आवश्यक साधन हैं वे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम देश की जनसंख्या के बारे में विचार करें तो 35 वर्ष के लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत हो जाती है और ऐसे 70 प्रतिशत लोग जिनको रोजगार मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो उनका असन्तोष बढ़ेगा, उनका आक्रोश बढ़ेगा और उसके कारण समाज के अन्दर जो शांति होनी चाहिए, विकास की दिशा होनी चाहिए वह विकास की दिशा अवरुद्ध हो जायेगी। देश को विकास की दिशा देने के लिए हमारी नीतियां इस प्रकार से बनें जिससे हम बेकार लोगों को काम दे सकें।

आज की शिक्षा पद्धति इस प्रकार से हो गई है कि लोगों को डिग्रीयां मिल जाती हैं और एक के बाद एक कई प्रकार की डिग्रीयां लेकर वह और उसके परिवार के लोग महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वह समझदार हो जायेगा, किन्तु उसको कहीं काम नहीं मिलता है। उसकी जो कुछ स्किल है, शिक्षा है वह बेकार हो जाती है। इसलिए विचार करना होगा कि हम किस प्रकार अपनी शिक्षा पद्धति को दिशा दें। जिससे बेकारों की समस्या, नौजवानों को काम देने की समस्या दूर हो सके और उनको काम मिल सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में जब मधु दण्डवते जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में वित्त मंत्री थे तो काम को मौलिक अधिकार में लेने के लिए जो असेसमेंट किया गया रोजगार गारन्टी के लिए जो खर्च की व्यवस्था की गई, उसके हिसाब से 65 हजार करोड़ रुपये चाहिए थे। इतनी बड़ी राशि की भी एक समस्या है, लोगों को बेरोजगारी की समस्या है, इन दोनों में हमें कुछ सामंजस्य खड़ा करना होगा।

देश में नई औद्योगिक नीति की चर्चा हो रही है, देश में नई औद्योगिक नीति आनी चाहिए। लोगों को तकनीकी के आधार पर काम मिले और विकास होना चाहिए, इसमें आपत्ति नहीं है। किन्तु लोगों को काम मिल सके, श्रम पर आधारित उद्योग स्थापित होने चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए।

[श्री सत्य नारायण जटिया]

गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी आनी चाहिए और इसीलिए चरखा चलाने के पीछे और श्रमदान करने के पीछे उनकी जो भावना थी वह यह थी कि हमारे यहां श्रम वाले उद्योग स्थापित हों। इससे मनुष्य श्रम भी करेगा और दूसरी तरफ रोजगार भी मुहैया होगा। आज हम गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धान्तों के मामले में भ्रमित हो गये हैं। हम आजादी के पहले स्वदेशी की बात किया करते थे तो यह जो पेंडुलम है दूसरे सिरे पर चला गया। आज पसीने का महत्व और श्रम का महत्व खत्म हो रहा है और पसीना और श्रम का हक मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। श्रम और पसीने के बारे में हमारी जो मान्यता थी उसको हम गलत साबित करते जा रहे हैं। जब तक पूंजी और शासन का बराबर बराबर का हकदार नहीं रहेगा, तब तक इस प्रकार का सारे समाज के अन्दर असन्तुलना बना रहेगा, देश ठीक दिशा में नहीं जा पायेगा। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष बता रहे थे कि कपड़ा उद्योग में तो हजारों-हजार लोग बेकार होने के कगार पर खड़े हुए हैं। सारा कपड़ा उद्योग चरमरा गया है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार लोगों को काम कैसे मिलेगा। मैं इस बात को खुद भुगत रहा हूं। मेरे उज्जैन के अन्दर व मिल बन्द हो गई। उसमें लगे हुए पांच हजार मजदूर बेकार हो गये हैं लेकिन उस पर आश्रित परिवार के लोगों की संख्या 50 हजार से ज्यादा हो गई और इन लोगों को काम देने की बात उज्जैन जैसे छोटे स्थान पर कैसे कर सकते हैं। यहां तो देश की, राष्ट्र की बात हो रही है जो कैसे पूरी होगी? इस दृष्टि से इस विकराल समस्या के समाधान के लिए कोई सार्थक उपाय सोचने चाहिये जिससे इस सारी समस्या का हल निकल सके।

सभापति महोदय, हमने संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया है कि हम अनिवार्य शिक्षा देंगे लेकिन शिक्षा देंगे लेकिन शिक्षा देने की दृष्टि से रोजगार देने की बात तो दूर रही, जो आज उपाय करने चाहिये थे, वह अब तक नहीं कर पाये हैं और आज ऐसी हालत हो गई है कि देश के नौजवान आज सड़क पर आ गये हैं। जहां मनुष्य जन्म लेता है, विवशता के अन्दर उसे जीना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य है, उसको मनुष्य का गौरव मिले।

मनुष्य तो वही जो निर्जन में सृजन कर दे,
थे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे,
निर्जन के सृजन में निराशा की आशा है,
विवश के सामर्थ्य में वरण मृत्यु का है,
इसलिए और इसीलिए मनुष्य और मनुष्यता में अन्तर है,
यदि मनुष्य जड़ है तो चेतन मनुष्यता है।

इसलिए मनुष्य को सार्थक बनाने के लिए सब साधन उपलब्ध कराने चाहिये जिससे मनुष्य आगे इस प्रवृत्ति का शिकार न हो और आजादी के बाद यदि मनुष्य को रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें तो निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : सभापति महोदय, श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत किए

गये गैर-सरकारी विधेयक नामशः रोजगार गारन्टी विधेयक 1991 में भाग लेते हुए मैं माननीय सदस्य जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि मैं विधेयक के कुछ खण्डों से सहमत नहीं हूं।

महोदय, इस विधेयक ने हमें भारत की उसकी महन आर्थिक समस्या पर ध्यान केन्द्रित का अवसर प्रदान किया है जिनका आज उसे सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, चाहे वह असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम क्यों न हो यह समस्या बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है तथा सभी जगह है। परन्तु मैं सभा का ध्यान विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से तथा खनिज सम्पदाओं से काफी सम्पन्न है, परन्तु रोजगार अवसर के अवसर जुटाने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं गम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। जब युवक और युवतियों को नौकरी नहीं मिलती है, तो उससे उनके मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अपहरण करके फिरौती लेना, मांगना। अतः, महोदय, अब समय आ गया है कि इस सम्बन्ध में हम कुछ करें।

आज हम असम में देख रहे हैं कि विभिन्न रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में एक लाख से भी अधिक ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो बेरोजगार हैं। आप मणिपुर की तरफ देखिये और वहां आप 80 से 90 हजार लोगों को बेरोजगार पायेंगे। मेघालय में यह संख्या आपको 50 से 60 हजार के बीच मिलेगी। त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी।

अब मैं मानता हूं कि यह विधेयक बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस सम्मानीय सदन में चर्चा करने के लिए हमारे सामने कई अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि हमारी शिक्षा प्रणाली। जहां तक हमारी शिक्षा पद्धति का सवाल है उसे पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिसमें सामान्य शिक्षा सातवीं कक्षा तक होनी चाहिए और उसके पश्चात् बच्चों को व्यवस्थापित शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे लोग स्व-रोजगार अपनाने में समर्थ होंगे। बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा ऋण देने और अन्य ऋण देने में कोई रोक नहीं है यदि ये युवा नहीं जानते कि उन्हें अपनी कला और शैक्षिक पृष्ठभूमि का उपयोग किस प्रकार करना है। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए अब समय आ गया है, खासकर भारत सरकार को अपना ध्यान अब पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत के सन्तुलित विकास में हमारा भी योगदान होना चाहिए। मैंने हमेशा इस तथ्य पर जोर दिया है कि जब देश की अर्थव्यवस्था में असन्तुलित विकास होगा तो इससे अर्थव्यवस्था में हुई सारी प्रगति बेकार होगी।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकांश राज्यों का जन्म कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास हेतु खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो रोजगार के अवसरों के साथ-साथ खासकर शिल्प कला, हस्तशिल्प, हथकरघा और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम है। लोग बाजारों में इन वस्तुओं को यादगार की तरह बेच सकते हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा पर पाबन्दी है और यह

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग]

अभी भी लागू है। विदेशी पर्यटक कुछ स्थानों पर नहीं घूम सकते हैं। इतना ही नहीं यह पाबन्दी भारतीयों पर भी लागू है। यही सब बातें हैं जिन पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए उपचारात्मक कार्यवाही करनी है। निषेध क्षेत्र परमिट को समाप्त किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास हेतु और आय सृजित करने में सहायक होंगे। हमें इस सम्बन्ध में कार्य करना है।

इस विधेयक पर बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक स्वतः विरोधाभासी विधेयक है क्योंकि श्री भोगेन्द्र झा ने इसे धारा 4 तक ही सीमित रखा है, जहां वह अध्यापकों वकीलों और अन्यों के बारे में बता रहे हैं। कालेजों और स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक ट्यूशन भी करते हैं। आप उन्हें ट्यूशन करने से कैसे रोक सकते हैं?

श्री भोगेन्द्र झा : कानून इसे रोकता है। ट्यूशन लेकर वह एक तरह से अपराध करते हैं।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : वकीलों के साथ भी यही बात है। न्यायालयों में उनकी प्रैक्टिस चलती है और इसके साथ-साथ उनका धन्धा भी चलता है।

हम यह भी जानते हैं कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह सबको रोजगार उपलब्ध करा सके। कुछ न कुछ बेरोजगारी रह ही जाती है। भारत में हम देखते हैं कि यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू बहुरूपी बेरोजगारी है। आप इस बहुरूपी बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार हल करते हैं। एक किसान फैक्टरी में भी काम कर सकता है। हो सकता है उसके बच्चे उसे अन्य कार्यों में मदद करते हों। इसलिए यह उसके आप में विरोधाभास है।

तत्पश्चात् एक प्रावधान में आपने कहा है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी ऋण देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि सेवानिवृत्त व्यक्ति को तो पेंशन मिलती है। जब आप उन्हें दोहरा रोजगार करने से रोकते हैं तो सेवानिवृत्त व्यक्तियों को ऋण आदि देकर आप कैसे उन्हें प्रोत्साहित करेंगे?

यही कुछ बातें हैं जिसके आधार पर मैं समझता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव। आप पहले 9 मिनट बोल चुके हैं। पांच मिनट और ले लीजिये। कृपया 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश कीजिये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, देश की बेरोजगारी समस्या पर हमारे आदरणीय साथी, श्री भोगेन्द्र झा, जो बिल लाये हैं, उस पर बोलते हुए मैंने सुझाव दिया था कि इस देश में कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाये। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, तब तक इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज को आप रोक नहीं पायेंगे क्योंकि कोई साधन नहीं हैं। हमारे देश में बेरोजगारों की फौज इतनी बड़ी तादाद में खड़ी है कि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। उसका कोई ठोस हल, हम और आप मिलकर, करना भी नहीं चाहते।

मेरा दूसरा सुझाव था कि हमारे देश में शिक्षा की जो पद्धति आज है, आप जिस तरह से पढ़ाई का कार्य करा रहे हैं इस देश में, उससे आप रोज अनेक बेरोजगारों को पैदा करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, जिसके माध्यम से, शिक्षा का स्तर समान किया जा सके, यही आप कहेंगे,

लेकिन जब तक आप शिक्षा के मामले में ठीक समानता नहीं करेंगे, पढ़ाई के स्तर में बराबरी नहीं करेंगे, चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमन्त्री का बच्चा हो या हमारे गांवों में रहने वाले किसी गरीब, किसान, मजदूर का बेटा हो, जब तक वे सब समान रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, समान शिक्षा उन्हें नहीं दी जायेगी, इस देश में यह समस्या हल नहीं हो सकती। तभी सम्भव है कि देश से बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हम कर सकें।

ऐसा मैं इसलिये कहने के लिये बाध्य हूं क्योंकि अभी हमारे बगल से कहा जा रहा है कि यह समस्या कैसे दूर हो जायेगी, मैं भी कहता हूं कि दूर कैसे होगी क्योंकि एक तरफ जो शिक्षा आप दे रहे हैं, उस विद्यालय में आप दे रहे हैं जो एअर-कंडीशन्ड है और दूसरी तरफ आप उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जहां बैठने के लिये स्कूल का भवन भी नहीं है। उस बच्चे को आप कहते हैं कि कम्पटीशन में जाओ। सर्टिफिकेट तो आप देते हैं—मैट्रिक का, आई० ए० का या बी० ए० का, लेकिन उतना अच्छा एजूकेशन उस बच्चे के पास कहां है कि किसी कम्पटीशन में बैठकर, वह मुकाबला कर सके और कोई नौकरी प्राप्त कर सके।

इस देश में बेरोजगारों की जो लम्बी फौज खड़ी है, वहीं आप को दिशाहीन करेगी, आगे आने वाले दिनों में। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति में पहले आपको समानता लानी होगी।

फिर "एक व्यक्ति एक काम" की योजना आपको लागू करनी होगी। अभी क्या हालत है कि जो बड़े बाप का लड़का है, उसके पिता भी नौकरी में हैं, यदि उसके घर में 4 बच्चे हैं तो एक नौकरी में है, दूसरा व्यापार में है और तीसरा खेती करता है। इसलिये कैसे आप उन्मूलन कर पायेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : खेती करता नहीं है, कराता है।

श्री सूर्य नारायण यादव : हां, वही मेरा कहने का मतलब है। यदि एक परिवार में, कोई नौकरी करता है, दूसरा व्यापार करता है तो पहले आप उसका व्यापार बन्द करवाओ। यदि एक सदस्य उसके परिवार में व्यापार करता है, दूसरा खेती करता है, तो दूसरे सदस्य की खेती बन्द कराओ। "एक परिवार एक रोजगार" वाली योजना आपको इस देश में लागू करनी होगी। तभी सम्भव है कि कुछ हद तक अपने उद्देश्य की पूर्ति में हम आगे जा सकें। (व्यवधान)

समय कम है, इसलिए मेरा निवेदन है, चूंकि यह गैर सरकारी संकल्प है, सरकार तो ऐसे संकल्प लाती नहीं क्योंकि सरकार की मानसिकताएं नहीं हैं। हम लोगों को गद्दी भी पानी है और यह गद्दी का मोह हम लोगों को छोड़ता नहीं है और बेरोजगार को दिशाहीन कराने का काम हम गद्दी से कराया करते हैं, इसी का नतीजा है कि आज देश में इस प्रकार की स्थिति है। मैं भी एम० पी० हूं और अपने क्षेत्र में जाऊं तो मुझे रायफल चाहिए क्योंकि मेरे जीवन को खतरा है, क्यों है, इसका आपने और हमने मिल कर कोई चिन्तन नहीं किया। अगर आप और हमने मिल कर इसका चिंतन किया होता तो आज देश की यह हालत न होती, लेकिन अभी भी समय है, मौका है, अगर आप और हम चाहें तो इस कलंक को धो सकते हैं।

मान्यवर, मैंने बिहार विधान सभा की असेम्बली में कहा था कि ऐसा समय आ रहा है कि जब पोलिटीकल आदमी को घेर करके 6 इंच छोटा हम लोग किया करते हैं। आज जो गांवों में बेरोजगार नौजवान हैं, जिनके मां बाप या उसके अभिभावक उसे कहीं जाने के लिए रोकते हैं, वह अपना काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको हम लोगों ने वैसी शिक्षा देने का काम नहीं किया है। यही वजह है कि उसका गुस्सा बढ़ता है और इस गुस्से को वह आप और हम पर उतारेगा, इससे वह बाज नहीं आ सकता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप अभी 5-6 महीने पहले आए हैं, अभी आपको रहना भी है, इसलिए यह जो बेरोजगारी के लिए ठोस मांग है, जिसको भोगेन्द्र झा जी ने उठाया है, इसको आप स्वीकार करें और पास करें और पास करने के बाद इस पर विशेष ध्यान दें। आज हमारे देश में बेरोजगारों की फौज सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा बेरोजगारी की केटेगरी बनाई है, केटेगरी 1, 2 और 3 क्या आपकी यही परिभाषा है। हम लोगों को केटेगरी में बंटवारा नहीं करना है, हम लोगों को चाहिए कि उनको समानता देकर, रोजगार में उनके लिए स्थाई व्यवस्था करें, तभी यह बेरोजगारी दूर हो सकती है।

आपकी घंटी तो बराबर बजती रहती है, गाड़ी छूटने के बाद भी आपने समय दिया है, उस गाड़ी पर चढ़ाया है इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० लाल बहादुर राजल (हाथरस) : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी भोगेन्द्र झा जी ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। वास्तव में इसके सम्बन्ध में 40-45 साल से इसे ज्यादा ही सीरियल रूप में नहीं लिया गया, आज की सदन की उपस्थिति यही कहती है कि इस सम्बन्ध में हम अभी भी सीरियस नहीं हुए। जिस तरह से अन्य समस्याएं देश के अन्तर्गत हैं, महंगाई की समस्या है उसी तरह से बेरोजगारी की समस्या भी उतनी ही जटिल है, इस बारे में भी हमको चिन्ता करनी है।

आज जब नौजवान शिक्षित हो जाता है तो दर-दर की ठोकरें रोजगार के लिए खाता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो परिणामस्वरूप वह अग्निदाह करता है, आत्महत्या करता है। इससे देश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। हमने समय-समय पर इसके सम्बन्ध में चर्चाएं की हैं, भाषण भी दिए हैं लेकिन कोई ठोस नीति नहीं बनाई।

एक शेर मुझे याद आता है—

साहिल के तमाशाई, हर डूबने वाले का,

अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते।

यह बात सही है कि बेरोजगारी की समस्या बड़ी जटिल है, इसको समाप्त करना चाहिए और उसी तरह से सरकार को अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करना नहीं चाहती है। बापू, नेहरू, इंदिरा जी और हमारे अन्य कर्णधारों ने इसकी तरफ चिंता प्रकट की है, लेकिन इस समस्या को समाप्त करने के लिए शासन कदम नहीं उठा पाया है। हमारी पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समय-समय पर इस समस्या को समाप्त करने की मांग की है, रैलियां निकाली हैं, लेकिन विपक्ष में होने के कारण हम केवल रैलियां निकाल सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नीति-निर्धारित नहीं कर सकते, नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कहीं और हमारे वरिष्ठतम श्री रवि राय जी ने बहुत सारी बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनसे अपनी पूरी तरह से सहमति व्यक्त करता हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने शिक्षा की असमानता के बारे में कहा कि इससे भी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं। 45 साल से हम मेकाले की शिक्षा पद्धति पर चलते आ रहे हैं, जो पूर्णतः दोषपूर्ण है और इससे बेरोजगारी को हम बढ़ाते रहे हैं। हमारे यहां जो

ब्रेन है, उसका उपयोग भी विदेशों में अधिक हो रहा है, अपने यहां पर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में हमको गम्भीरता से सोचना होगा, चिंता करनी होगी।

सभापति महोदय, आज हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात जो बेरोजगारी थी, वह आज निरन्तर बढ़ती जा रही है और जैसाकि बताया गया कि लगभग 12 करोड़ लोग हमारे यहां बेरोजगार हैं, यदि इस समस्या के समाधान के लिये संविधान में कोई संशोधन नहीं करेंगे तो यह समस्या और जटिल होती जाएगी। मेरा शासन पक्ष से सुझाव है कि इसमें सुधार लाने के लिए ठोस योजनाएं बनानी चाहिये। जैसा रवि राय जी ने बताया है कि कुटीर उद्योग, हथ-करघा उद्योग आदि के जरिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए।

एक और चीज की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनके पास कृषि भी है और अन्य रोजगार भी है, वे लोग दोनों तरफ से लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों को एक ही रोजगार तक सीमित रखना चाहिए, इसे बेरोजगारों और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

सभापति महोदय, मेरे पूर्व-वक्ताओं ने काफी सुझाव दे दिए हैं, मैं और अधिक कुछ न कहते अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे विद्वान सहयोगी श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत इस गैर-सरकारी सदस्य के महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं उन्हें इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यद्यपि मैं इस विधेयक के कुछ अंशों से सहमत नहीं हूं, फिर भी इस विधेयक के पीछे जो लक्ष्य है उससे पूरी तरह सहमत हूं।

मैं आशा करता हूं कि सरकार बेरोजगारी की इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर इसके निराकरण ढूंढने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समस्या का सुरूचीपूर्ण ढंग से सम्भव हो सके।

आपको जानकारी है कि आरम्भ से ही सातों पंचवर्षीय योजनाओं और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लक्ष्य के बावजूद, यह समस्या हर पांच-वर्षीय योजना के बाद और भी विकराल रूप लेती रही है। दर असल, प्रत्येक योजना में रोजगार की जितनी सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकीं, वे उन बेरोजगार की संख्या की तुलना में बहुत कम थीं जो इस योजना के तहत आंकड़े में शामिल किए गए थे।

मेरे विचार से इसकी भूल वजह तो केन्द्रीय सरकारें रही है। यद्यपि ये सभी कांग्रेस दल की सरकार रही है, दुर्भाग्यवश इन्होंने महात्मा जी की सलाह को ठुकरा दिया है। महात्मा जी ने कहा था कि यद्यपि वह औद्योगीकरण अथवा, उद्योग या मशीन के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हैं, वह अन्धाधुंध मशीनीकरण के खिलाफ हैं जिससे अनगिनत लोग बेरोजगार हो जाते हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू के समय से ही ऐसी नीतियां अमल में लाई जाती रही हैं कि आज दुःखद स्थिति आई हैं और आज 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार है। जिनमें से 2 करोड़ से ज्यादा

[श्री वेंकटस्वामीश्वर राव वाड्डे]

शिक्षित बेरोजगार हैं। एक करोड़ से ज्यादा मेट्रीकुलेट बेरोजगार हैं, 44 लाख तो उच्चतर माध्यमिक स्तर के बेरोजगार हैं और 30 लाख से भी ज्यादा स्नातक बेरोजगार हैं। बेरोजगार अभियन्ताओं की संख्या 65 हजार है।

श्रीमान आपको जानकारी होगी कि हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता वाला देश है। और यदि देश इस स्थिति में नहीं है कि इसकी सेवा प्राप्त की जा सके तो प्रतिभा, कौशल और ज्ञान, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था अर्थात युवावस्था में कठोर परिश्रम करके अर्जित किया है, का इस्तेमाय नहीं हो सकता जब इस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि राष्ट्र की तरक्की पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। इसलिए, हमारी नीतियों में निश्चय ही कुछ कमियां हैं। हमारी नीतियां असन्तुलित हैं। बेरोजगारी कम करने में ये सहायक नहीं हुई हैं। परिणामस्वरूप, देश के जिस भी हिस्से में अलगाववादी संगठन अथवा संस्थाएं कार्यशील हैं वे इन बेरोजगार युवकों को गुमराह कर रहे हैं। युवक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पास करके एक भी नियुक्ति-पत्र प्राप्त नहीं कर पाते और इसी बीच वे निर्धारित आयु सीमा को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनमें समाज के प्रति इर्ष्या, पूर्वाग्रह आदि पैदा हो गए हैं। गांव के लोग खासकर कमजोर वर्ग के लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है जब इस तरह की स्थितियां पूरे देश में फैल जाएगी। उत्तर भारत में पहले से ही यह फैल चुकी है और हमें सामाजिक तनाव का सामना विभिन्न राज्यों में करना पड़ रहा है। आन्ध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहां तक कि शान्तिप्रिय राज्य कर्नाटक में भी नक्सलवादियों का वर्चस्व फैल चुका है।

अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया नीतियों में परिवर्तन लायें और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उतनी ही पूंजी में ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर सकें, बजाए इसके कि अधिक पूंजी वाले उद्योग को महत्व दिया जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों सेवायें और उद्योग क्षेत्रों के लिए जहां लोगों को उपभोक्तावादी वस्तुओं की जरूरत है, वे वस्तुयें लघु उद्योगों द्वारा निश्चित ही उत्पादित हो सकती हैं। साथ ही ये वस्तुयें हथकरघे तथा मध्यम दर्जे को उद्योगों द्वारा उत्पादित हो सकती हैं। अतः इन वस्तुओं के उत्पादन की जिम्मेदारी टाटा, बिरला, गोयनका, डालमियां, मफतलाल, सिंघानिया, अम्बानी और अन्य इन सभी लोगों को सौंपने की बजाए उक्त उद्योगों को ही सौंपना चाहिए पूरे देश में इन लघु इकाइयों की सहायता प्रदान कर हम लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

आपको मालूम है कि जब श्री० राजीव गांधी थे, उन्होंने इस सदन के पटल पर यह स्वीकार किया था कि विकास सम्बन्धी इन मामलों में खासकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में, 20 पैसे भी जरूरतमन्द लोगों को नहीं पहुंच पाते। यह उन्होंने पंचायती राज विधेयक को पारित करते समय व्यक्त किया था। आपको तो मालूम ही है। अब, क्या हो रहा है? जो व्यक्ति कर्ज लेकर स्वावलम्बी होना चाहते हैं उन्हें कर्ज नहीं मिलता और आप आई० आर० डी० पी० या एन० आर० ई० पी० या आर० एल० ई० जी० पी० कर्ज जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं वह इच्छुक नहीं होते हुए भी ले लेता है। यह महज इसलिए कि आप उसे यह लोन दे रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमारी योजनायें सफल नहीं हो पा रही हैं। कुछ भ्रष्ट राजनेता दिवालिये लोग, पंचायत समिति के लोग रुपए लूट रहे हैं। इसलिए, उस योजना का फायदा अपेक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और इस प्रकार राष्ट्र का विकास हो रहा

है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आप उन लोगों को मदद दे सकते हैं जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहते है। तो यह बहुत ही अच्छा होगा और श्रीमान, वर्तमान शिक्षा नीति में व्यावहारिक अनुमूलन का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि स्नातक अभियन्ता, डिप्लोनाधारी तथा आई० टी० आई० प्रशिक्षित नवयुवकों में इतना आत्म-विश्वास नहीं होता कि वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें और अपने नेतृत्व में एक कार्यशाला की स्थापना कर सकें, या किसी प्रकार की मशीन की स्थापना कर मरम्मती कार्य आरम्भ कर दें या फिर बिजली मिस्त्री का कार्य करें या रेडियो मरम्मत का। वे इसे करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए ध्यान दिया जाए कि उन तकनीशियनों को व्यावहारिक अनुरूपता प्रदान की जा सके, जो इन संस्थानों की देन हैं और इनसे बेरोजगारी दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। स्वनियोजन में भी इससे मदद मिलेगी। यह भी एक सत्य है कि किसी भी देश के लिए पूर्णतः रोजगार प्रदान करना एकदम असम्भव है। चाहे वह साम्यवादी देश हो या समाजवादी देश, प्रत्येक देश में यही हालत है। वास्तव में, सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए की बेरोजगारी की समस्या का अधिक से अधिक से समाधान हो और लोगों को स्व-नियोजन के अवसर मिले। यह ठीक है कि कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के अवसर भी मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के अवसर दिए।

[हिन्दी]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : माननीय सभापति जी, आपने जो आज मुझे रोजगार पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 40 साल हो गये, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर रोशनी डाली है। मैं इसके बारे में चार-पांच बातें कहना चाहता हूं। सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार की तरफ से शुरू होना चाहिए। जो आयु सीमा 25 साल है उसको 35 साल तक बढ़ाना चाहिए। केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए जो पोस्टल आर्डर लेते हैं उसको एबोलिश करना चाहिए।

हमारे देश में नये उद्योग पब्लिक सेक्टर में खोले जायें इससे जितने बेरोजगार हैं वे काम में लग सकते हैं। जो लोग काम के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनको डी० आई० सी० में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद वहां से रिपोर्ट मिलने में एकाध महीना लग जाता है, फिर उनको उद्योग लगाने के लिए जमीन की जरूरत होती है तो उनको तहसीलदार के पास भेजा जाता है, फिर एक महीना लग जाता है। तहसीलदार को भी जमीन ढूंढने में 6 महीने लग जाते हैं और यदि जमीन मिल भी जाये, उनका एप्लीकेशन वापिस आ जाये तो डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सैन्टर व बैंक को जाता है तो वहां भी 6 महीने लग जाता है लेकिन बैंक की जो रिजिड शर्तें हैं, उसमें कुछ परसंटेज डिपाजिट करना जरूरी हो जाता है, इसलिए इस कानून को फ्लैक्सिबल करना जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि डी० आई० सी० और बैंक एवं तहसीलदार को इंडस्ट्री बैठाने से अफसरों के बीच में जो तकरार होती है, उनको एक साथ बैठाकर इंटरव्यु करके एक महीने के अन्दर इंडस्ट्री बैठने की कोशिश करनी चाहिये और यह कोशिश जरूरी है। सैल्फ एम्प्लायमेंट ट्रेनिंग सरकार की तरफ से शुरू होना जरूरी है। अगर यह नहीं होगा, जैसाकि मेरे दूसरी साथी यहां बोल रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में इसको पहले से ही शुरू करना चाहिये और उसका एक चैप्टर शिक्षा में रखना चाहिये ताकि आगे चलकर इसी हिसाब से आगे जाकर ट्रेनिंग के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने की शिक्षा दी जाये तो आगे देश के बेरोजगार नौजवानों को फायदा मिल सकता है और वे इंडस्ट्री बैठा सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एम्प्लायमेंट गारंटी बिल लाकर सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। जहां तक मेरा विचार है इस बिल का सारे देश में शायद ही कोई व्यक्ति विरोध करेगा। एम्प्लायमेंट गारंटी बिल में रोजगार कैसे मिल सकता है, इस उद्देश्य को लेकर चर्चा की है।

सभापति जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस मुल्क के अन्दर रोजगार के अवसर सिमटते चले जा रहे है, इसका कारण यह है कि इस देश में पूंजी प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इस देश में आबादी ज्यादा है और साधन कम हैं। जब तक इस देश में इस प्रकार के उद्यम नहीं लगेंगे जिसमें आदमी की जरूरत होती है, पूंजी की कम, तब तक देश के बेरोजगार युवकों को कहीं भी खपाया नहीं जा सकता है। देश के अन्दर जो बड़े उद्यमों को विकसित करने की जो योजना चली है जिसे कांग्रेस शासन-काल में चलाया गया है, उससे बेरोजगारी का यह आलम है कि रोजगार के अवसर सिमटते चले जा रहे हैं। अभी रोजगार दफ्तरों में 3-4 करोड़ से भी ज्यादा नाम दर्ज हैं जो मैट्रिक पास हैं लेकिन इनमें ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

यदि ग्रामीण और शहरी दोनों बेरोजगार लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाये तो कम से कम 20 करोड़ लोग बिना काम के इस देश में है। ऐसी हालत में मुल्क की प्रगति नहीं हो सकती है और न मुल्क में शान्ति रह सकती है। अभी हमारे कई साथियों ने चर्चा की है कि अमन चैन कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को रोजगार में खपाया जाये। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो रोजगार के अवसर सिमटते चले जा रहे हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के पास नौकरी भी है, खेती भी और किसी अन्य व्यवसाय में भी कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार से लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही रोजगार मिले, इस तरह का निश्चित रूप से कोई कानून बनाना चाहिये और इसका जो उल्लंघन करे, उसके खिलाफ क्रिमिनल आफेंस बनाना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा, तब तक रोजगार के नये अवसर पैदा नहीं होंगे। इस-लिए जो लोग परम्परागत तरीके से परिवार के हिसाब से खेती कर रहे हैं, वे बरकरार रहें और जो नौकरी कर रहे हैं, वे वहीं रहें लेकिन उद्योगों में हिस्सेदारी के लिए उन बेरोजगारों को जगह दी जाये, इस प्रकार का कानून अपनाया जाये।

दूसरी बात यह है कि छोटे उद्योगों के जरिये छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों के जरिये इसका जाल बिछाया जाये और उन लोगों को खपाया जाये।

तीसरी बात है कि लोगों को स्वनियोजन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक खपाया जा सकता है। आज जो सरकार का प्रयास है, तीन प्रकार के स्वनियोजन कार्यक्रम चल रहे हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं, उस हिसाब से तकरीबन ढाई-तीन लाख पढ़े-लिखे आदमियों को हम इससे मदद दे पाए हैं। लेकिन इसमें भी तीन प्रकार की कैटागरी है। कहीं 15 हजार की मदद दे रहे हैं, कहीं 20 हजार की मदद दे रहे हैं और कहीं 35 हजार की मदद दे रहे हैं। डा० मनमोहन सिंह जी की मदद से 35 हजार रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई है और यह पहले से ही चला आ रहा है। इसमें फिर से रूपी डवैल्यू-एशन तो कर दिया, लेकिन इन कार्यक्रमों में जो मदद की राशि थी, उसकी डीवैल्यूएशन नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो 35 हजार रुपए की कीमत इनके शासन में आने से पहले थी, उसकी कीमत उससे

भी घट गई है। मतलब यह कि उससे कुछ होने वाला नहीं है और उसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

हम सभी लोग जो गांव के क्षेत्र से आए हुए हैं, आंख खोलकर देखें और दिल पर हाथ रखकर अपनी बात कहें तो पता चलेगा कि जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है और एक व्यक्ति को इस प्रकार के सेल्फ इम्प्लायमेंट कार्यक्रम से मदद लेने में कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके प्रतिवर्ष रोजगार दफ्तर में जिसमें मात्र 4 करोड़ का नाम दर्ज है, ग्रामीण रोजगारों का नाम दर्ज नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों का नाम दर्ज नहीं है। बावजूद इसके शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और अब जो संख्या है उसमें प्रतिवर्ष 10.9 लाख की वृद्धि होती है और हम सिर्फ दो तीन लाख लोगों को मदद दे पा रहे हैं। इस प्रकार से इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसमें पान बेचने वाले भी हैं और हल्के-हल्के काम वाले भी हैं। इसका समाधान होगा एक व्यक्ति को एक रोजगार का सख्ती से पालन और दूसरा है छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और तीसरी बात है कि मानव प्रधान उद्योगों और उद्यमों को बढ़ावा देना, पूंजी प्रधान जो हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है, उसको समाप्त करना और चौथी बात है खेती की तरक्की करना और खेती पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना। ये चार काम करेंगे तो बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और जो करोड़ों हाथ बेकार पड़े हुए हैं, उनको इस प्रकार का काम दे सकते हैं वरना इस मुल्क में तबाही मच जाएगी। इस मुल्क में यही होना चाहिए वरना असमानता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हिंसा को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंसा का कीड़ा असमानता के चलते, गरीबी के चलते और बेरोजगारी के चलने पनपता और बढ़ता है।

हम ला एण्ड आर्डर एनफोर्स करने के लिए पैसा खर्च दें लेकिन अगर आदमी के हाथ में काम न होगा तो उसको बम लेकर चलने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कितनी ही बहस और कितने उपदेश हम यहां लोक सभा और विधान सभा में दें। उसका रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए इस बात के लिए सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये और सख्ती से इसका पालन करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, इस बिल के पीछे जो भावना है, उसका हर कोई स्वागत करेगा और विशेषकर आज जो हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति है, जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए जब भी कोई बात करता है कि उसको रोजगार कैसे मिल सकता है तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति उस प्रस्ताव का, उस बिल का समर्थन करेगा।

भोगेन्द्र झा जी ने उद्देश्यों और कारणों में जो बताया है कि कुछ व्यक्ति भूमिपति हैं, वह रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी उनको मिल जाती है, लेकिन सुरक्षा की भावना से वह उस जमीन-जायदाद को अपने पास रखना चाहते हैं। वास्तव में वह किसान नहीं हैं, वह खेती बाड़ी नहीं करते और जो उस भूमि पर खेती बाड़ी करते हैं, उन के पास स्वामित्व नहीं है। तो जो भूमि के मालिक बने हुए हैं उन का कोई इंटरस्ट नहीं होता है, कोई रुचि नहीं होती है उस भूमि में। उसके कारण न उत्पादन हो सकता है और जिस व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, वे केवल लेबर के तौर पर काम करने हैं, कृषि करते हैं तो कृषि उत्पादन में उसको प्रभाव पड़ता है, वह काम करता है, यह बात सही है।

इस बिल के साथ जो इन्होंने सुझाव दिए हुए हैं, मैं काफी देर से उनको पढ़ रहा था और उससे अपने आपको सहमत नहीं कर पाया हूं। जो उन्होंने उसका हल बताया है। जैसे कि जिस व्यक्ति को

[प्रो० प्रेम कुमार]

नौकरी मिलती है और एक हजार रुपए तक की मासिक आय वाली नौकरी मिल जाए···(व्यवधान) चाहे दस हजार की हो, मैं धन की लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं।

मेरे कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति, जैसा आप उद्देश्य में कहते हैं कि यदि नौकरी करता है तो अपनी सभी चल और अचल सम्पत्ति को छोड़ दे, लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास सम्पत्ति इसलिये रखता है ताकि उसके पास सुरक्षा रहे, सैन्स आफ सिक्योरिटी हो। एक व्यक्ति के परिवार में मान लीजिए किसी को नौकरी मिल गयी, जैसा आप कहते हो, वेतन भी अपनी मर्जी से निश्चित कर लीजिये, यदि वह दो वर्ष में नौकरी में स्थायी हो जाये, फिर निवास स्थान के अलावा, जितनी उसके पास चल या अचल सम्पत्ति है, उसे छोड़ दे, एक बार नौकरी मिलने के बाद, क्या आप उसे पक्का आश्वस्त कर सकते हैं कि परिवार में उस व्यक्ति को लगातार नौकरी मिलती रहेगी और उसका काम चलता रहेगा। इस बिल के माने क्या हैं···(व्यवधान)···जब आपको मौका मिले तो आप उसका जवाब दे दीजियेगा परन्तु मेरे मन में जो शंका पैदा हो रहीं है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक और शंका मेरे मन में यहां पैदा हो रही है, जैसा एक दल के नेता ने कहा, मैं अमुक दल का नेता इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरी सम्पत्ति और अन्य उस सीमा से अधिक है जो सीमा मैं दल के अन्य सदस्यों के लिए निश्चित करना चाहता हूं। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप दल का नेतृत्व क्यों छोड़ते हो, जितनी आपके पास फालतू सम्पत्ति है, धन है, उसे ही क्यों नहीं छोड़ देते। परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। (व्यवधान)

मैंने उनसे धन अपने लिये नहीं मांगा और वह दल भी मेरा नहीं है, इसलिए नेतृत्व मिलेगा तो उसी दल के किसी सदस्य को मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर भाषण तो होते है, कहते भी सब हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सम्भव है, क्रियात्मक तौर पर हम क्या कर सकते हैं, क्या उसकी संभावनाएं है, नीतीश जी, आपके दल के नेता की बात ही मैं कर रहा हूं, उनकी चल और अचल सम्पत्ति इतनी ज्यादा है, उन्होंने ही कहा था कि मेरी सम्पत्ति और आय इतनी ज्यादा है कि मैं दल का नेता नहीं रहना चाहता। मैंने उन्हें यही सुझाव दिया था कि आप नेतृत्व मत छोड़िये बल्कि अपनी सम्पत्ति और फालतू आय को ही छोड़ दीजिए।

कोई भी व्यक्ति ऐसे अपनी सम्पत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए, बिल को लाने के पीछे जो आशय है, वह उत्तम है, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन प्रैक्टिकली क्रियात्मक तौर पर क्या मुश्किलात आती हैं, मैं उन्हीं की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाया हूं ठीक से, वह अलग बात है।

इस बिल में मूवर महोदय ने कहा है कि जो व्यक्ति पहले से सेवा में है, यदि उससे बेहतर नौकरी के लिये वह आवेदन करे तो पहले उसे अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना चाहिए तभी वह आवेदन कर सकता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसे दूसरी अच्छी नौकरी मिल ही जायेगी। सेवा में लगा व्यक्ति मान लीजिये। कालेज में लैक्चरार है और रीडर के पद के लिये आवेदन करता है तो आपके बिल के अनुसार उसे पहले लैक्चरार के पद से इस्तीफा देना होगा। यदि रीडर के पद के लिए वह सलैक्ट नहीं हुआ तो उनकी लैक्चरार की पोस्ट भी चली गयी, वहां से भी छुट्टी हो गयी। इसलिए सारी बातें आपको देखनी होंगी।

मेरा नम्र निवेदन है कि इस बिल के पीछे आपकी भावना अच्छी है क्योंकि देश में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप में विद्यमान है लेकिन उस समस्या का हल करने के लिए आप कम से कम व्यावहारिक सुझाव दीजिए, जो क्रियात्मक हों।

सभापति जी, आप भी सेना में रहे हैं, हमारे प्रदेश में, आपके प्रदेश में और पंजाब में अधिकतर लोग सेना में भर्ती होते है। उनकी 15 साल की नौकरी यदि हो जाये, प्रोमोशन न मिले तो उन्हें पेंशन मिल जाती है। भर्ती की उम्र 18 साल होती है, 33 साल की उम्र में यदि उसकी पेंशन हो गयी, और नौकरी मिल जाने पर उसे अपनी सभी चल-अचल सम्पत्ति छोड़नी होगी, उसने अपनी सम्पत्ति छोड़ दी, तो उसके बाद, उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, यह प्रश्न ऐसा है, जिसे अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता। ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जो मेरे मन में उठी हैं और जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं चाहूंगा कि जिन मुद्दों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, माननीय भोगेन्द्र झा जी, उनका उत्तर अपने भाषण में अवश्य देंगे।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बहरामपुर) : सभापीठ महोदय, मैं इस विचारोत्तेजक रोजगार गारन्टी विधेयक पर बहस में भाग लेने लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसे 31 सितम्बर, 1991 को श्री भोगेन्द्र झा ने प्रस्तुत किया है। यह फैसला करपाना मुश्किल है कि इस विधेयक को समर्थन दिया जाए अथवा इसका विरोध किया जाए। जहां तक इस विधेयक के पीछे भावना की सम्बन्ध है मैं इस जोरदार प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं संसद के माननीय सदस्यों की भावना से भी सहमत हूं। लेकिन इस विधेयक के जो मेथड हैं उस पर असहमति की काफी गुंजाईश है।

अब इस विधेयक के गुण-दोषों की चर्चा कर ली जाए। आरम्भ में ही हम पूरे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या से चिन्तित है। कदाचित बेरोजगार लोग ही बेरोजगारी की दुःखद समस्या को महसूस कर सकते हैं। मेरी उन लोगों से पूरी सहानुभूति है जो कभी हारकर आत्महत्या भी कर बैठते हैं। फिर, लोगों में हताशा इस तरह समा गई है कि आज सामाजिक तनाव और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कुछ मूल-अधिकार है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और जीवन का अधिकार हमारे जीवन के मूलाधिकार हैं। हमारा संविधान इस अधिकार के पालन को सुनिश्चित करता है और इस प्रकार विश्व पैमाने पर हमारे संविधान को प्रसिद्धि मिली है।

यह सत्य है कि जितना बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है जब हम इस भावना के तहत विधेयक को तैयार करते हैं तो हमें यह सुनिश्चय करना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर मिल सकें। उदाहरण के तौर पर क्लर्क के पद के लिए दिया गया विज्ञापन का मामला लीजिए। जहां लाखों लोग बेरोजगार होंगे, वहां तो हजारों आवेदन प्रतिदिन सुबह से ही वे ही तैयार होने लगते हैं। इस संदर्भ में बाईबल का एक दृष्टान्त है कि बहुत से लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन चयन कुछ लोगों का ही हो पाता है सत्य साबित नहीं हो पाता। यह ज्ञात करना कि 75 लाख लोग बेरोजगार है, अपने आप में दुःखद है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह आंकड़ा 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंच गया है। प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। बावजूद इसके बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही

[श्री गोपी नाथ गजपति]

जा रही है। इसलिए यह एक सत्य है कि नौकरियों के अवसर का सृजन अंकगणितीय ढंग से होता है तो बेरोजगारी की समस्या चौगुनी हो गई है। पूरे देश से खासकर मेरे बेरहमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अनगिनत लोग नौकरियां प्राप्त करने के लिए मदद की अपेक्षा मेरे पास आते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है और यह स्थिति कल्पना से बाहर की बात है। इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जनसंख्या को नियन्त्रित करने की आज भारी आवश्यकता है। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। अब कदाचित वह दिन भी दूर नहीं है जब हमें यह डिग्री मिलेगी कि हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए जोरदार राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। इसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए जो जनशक्ति की व्यवस्थित योजना पर अपना विचार प्रकट कर सके। आज व्यावसायिक, तकनीकि, स्वास्थ्य और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के समृद्ध विकास की जरूरत है जो अधिवक्ताओं, अभियन्ताओं वास्तुशिल्पियों और चिकित्सकों और तकनीशियनों आदि हर वर्ष तैयार करते है।

[अनुवाद]

पेशेवर व्यवसाय के सीमित अवसर होने के कारण इन पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार पेशेवरों के मन में निःसंदेह कुण्ठा उत्पन्न होगी।

अब, आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर पूरा जोर दिया है और इसके लिए सरकार की नीतियां पहले ही बनाई जा चुकी है।

5·00 अ० प०

जनप्रिय 20-सूत्री कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि को सरकार ने अपनाया है जो एक अच्छी बात है। यह समय की मांग है कि हमें शैक्षिक, औद्योगिक, वित्तीय और भूमि सुधार आदि कार्य जो आवश्यक रोजगार के अवसर पैदाकर सकते हैं, उन कार्यों को देशव्यापी आधार पर करने की आवश्यकता है न कि विधेयक को पुर स्थापित करना जोकि ऊपरी तौर पर अच्छी लगती है लेकिन व्यवहारिक रूप से एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ, विधेयक में कतिपय अस्वीकृत खण्डों का निरुपण किया गया है जिस पर मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा।

प्रथमतः जब किसी अनुच्छेद में केवल रोजगार का जिक्र आता है तो यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि रोजगार किस तरह का है। अन्यथा एक कारीगर जो मूलतः हाथ से कार्य करता है शीघ्र ही कार्यालय की नौकरी की मांग करेगा जिसके अनर्थकारी परिणाम होंग।

दूसरा, विधेयक के अन्य अनुच्छेद में जिसमें एक नागरिक को नौकरी के साथ-साथ किसी अन्य लाभकारी कार्य करने पर प्रतिबंध लगाती है, अनियमित और अनैतिक है। क्या एक समझदार व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए एक न्यायिक तरीके से अपना धन लगाने से इंकार किया जाना चाहिए।

तीसरा, यदि राज्य सरकार की इस जिम्मेदारी को कि वह रोजगार चाहने वाले सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगी, अधिनियमित किया जाता है तो वह कल्पना कर सकता हूं कि इसकी भी वही दुर्दशा होगी जैसी अनिश्चयकालीन हड़तालों के मामलों में होती है। फिर भी, कानूनी पेशे में

बेरोजगारी दूर करने में काफी समय लगेगा। केवल विधेयक के प्रस्तुत करने मात्र से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता रोजगार उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है।

अतः इन सबको प्राप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह भूमि सुधार कार्यों में अत्याधिक वृद्धि करें; औद्योगिक नीति को उदार बनाये, निरक्षरता को दूर करें, लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, तकनीकी खोजों के बारे में लोगों को शिक्षित करें, वनारोपण योजनाएं शुरू करें और कृषि सम्बन्धी व्यवसाय पर अधिक बल दें। अन्य मूल आवश्यकता युवाओं के मन में विश्वास उत्पन्न करना कि वे हमारे समाज और राष्ट्र की भविष्य की आशाएं है। तभी और केवल तभी, हम बेरोजगारी की दलदल में से निकलने में सक्षम हो पायेंगे।

संक्षेप में, इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा को अपना विधेयक भारतीय संविधान तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप सुव्यवस्थित करने हेतु व्यापक और व्यवहारिक विधेयक लाये जाने के बदले इसे अधिनियम करवाने के बजाय वापिस लेने की अपील करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं (व्यवधान)

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : मैं श्री भोगेन्द्र झा का आभारी हूं कि उन्होंने अपने रोजगार गारन्टी विधेयक के माध्यम से बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन सभी सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सुझाव दिये।

श्रीमान्, अपने विधेयक में श्री भोगेन्द्र झा ने सभी युवा नागरिकों को रोजगार देने कर्मचारियों को आवधिक पदोन्नति देने, स्वरोजगार की सुविधाएं आदि दिए जाने की सिफारिश की हैं। दूसरे शब्दों में, काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का सुझाव दिया है जैसाकि माननीय सदस्य जानते है कि इस समय संविधान में यह प्रावधान है कि काम का अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है जो कि बाध्य नहीं है। संविधान अपने नीति-निदेशक तत्वों के माध्यम से काम के अधिकार को आर्थिक, सामाजिक विकास तथा उपलब्ध स्रोत के स्तर तक; उपलब्ध कराने के प्रश्न को जोड़ता है। यद्यपि पिछले 40 वर्षों के योजना विकास के दौरान कई नीतियों और योजनाएं उपलब्ध स्रोत के अन्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की थी फिर भी वे प्राप्त नहीं रही और हमें अभी भी शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार प्रदान करने से बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगार लोगों को काम के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि इन सभी को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी देनी होगी यद्यपि ऐसा वातावरण पैदा करना आवश्यक होगा, जिसमें काम करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को कार्य उपलब्ध कराया जा सके।

श्रीमान्, प्रत्येक व्यक्ति को काम के अधिकार के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है लेकिन आर्थिक नीतियों का पूर्णतया पूर्णविन्यास श्रम उन्मुखी परियोजना को हाथ में लेकर और योजना का विकेन्द्रीकरण करके पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः काम के अधिकार के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कई प्रारंभिक कार्य करने होंगे जैसे निचले स्तर पर माइक्रो-लेवलां योजना, प्राकृतिक और मानव संसाधन के प्रबन्ध को शामिल करना स्वरोजगार का विकास और अन्य आर्थिक नीति के निर्णयों को लेना योजना आयोग

[श्री पवन सिंह चाटोवर]

ने सभी के लिए रोजगार के अवसरों को और अधिक बढ़ाने के सन्दर्भ में इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया है।

श्रीमान, इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने आर्थिक नीति, शैक्षिक प्रणाली, स्वरोजगार संवर्धन, भूमि सुधार और कृषि विकास, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों का विकास, स्वदेशी तकनीक आदि के विकास उन्नति के बारे में सुझाव दिये हैं। इस थोड़े से समय के दौरान सभी विषयों का उत्तर दे पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। वास्तव में सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक विषय की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय को व्यापक दृष्टिकोण से लेना चाहता हूं। इसका उल्लेख करना न्याय संगत होगा कि सरकार ने रोजगार की समस्या को अपने हाथ में लिया है और इसका समाधान करने के लिए सभी संभव कदम उठाने पर विचार कर रही है। वास्तव में, आठवीं योजना जिसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने का प्रस्ताव है का मुख्य उद्देश्य रोजगार होगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने की गति को तेज करने की नीति सम्बन्धी विवरण तैयार किये जा रहे हैं। और इनको योजना दस्तावेज में सम्मलित किया जायेगा।

इस चरण पर, मैं सदन का ध्यान केवल 11 जुलाई, 1991 को राष्ट्रपति के अभिभाषण की संयुक्त बैठक की ओर, आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीति के बारे में स्पष्ट किया गया था। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हमारी योजना और आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य उत्पादित रोजगार के अवसरों का तेजी से विकास करना है। अभिभाषण में जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है उनमें प्रमुख है उद्योग और व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीयकरण; लघु तथा कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों का विकास, तकनीकी केन्द्र आदि स्थापित करके इलैक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देना। कपड़ा उद्योग में रुग्णता पर नियन्त्रण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समस्याओं का समाधान खोजना, विद्युत निर्माण में वृद्धि करना; दूरसंचार और डाकतार सेवाओं में उन्नति करना और इन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदान करना, विज्ञान तथा तकनीक, कृषि सम्बन्धी अनुसंधान और हमारे किसानों द्वारा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल में वृद्धि करना, पशु पालन, महिला तथा बच्चों का एकीकृत विकास, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के वैकल्पिक मार्गों को प्रदान करके भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों का दबाव कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम आदि। ये सभी क्षेत्र रोजगार को बढ़ाने के लिए उचित है। इस बात का भी उल्लेख है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार-अवसरों को उत्पन्न करने का एक प्रमुख तरीका होगा। इसी तरह जवाहर रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा किये जा सकेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिससे कि विश्व स्तर के काम और उसकी जानकारी के बीच में विद्यमान दूरी को खत्म किया जा सके श्रमिक वर्ग के हितों को विकास और संरक्षण देने के लिए सरकार के प्रयासों और श्रम विवादों को निपटाने के लिए मशीनरी में सुधार करके स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने पर भी प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 1991-92 के बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रोजगार कार्यक्रमों के वास्तविक संवर्धन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है और यह भी कहा गया था कि ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी दूर करने के लिए उच्च प्राथमिकता देना जारी रहेगा।

यह भी वास्तविकता रही है कि देश में बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक रोजगार उत्पादन के प्रयासों की कुंजी स्वरोजगार ही है। जिसके फलस्वरूप सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के परम्परागत तथा गैर-कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में सोच समझकर उपाय कर रही है। जैसाकि मैंने अभी कहा था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाला बड़ा साधन रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम, विज्ञान तथा तकनीक 'एन्टरप्रिनेटरशिप' विकास कार्यक्रम (एस० टी० ई० डी०), नेहरू रोजगार योजना तथा विभेदक ब्याज दर योजना डी० आर० आई० को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये लागू किया जा रहा है। ग्रामीण भारत में कृषि स्वरोजगार का प्रमुख साधन है। हमारे देश में कला और शिल्प की प्रमुखता रही है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हथकरघा, रेशम, उत्पादन (कीट पालन) हस्तशिल्प, जूट उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, हीरे-जवाहरात, धातु कार्य आदि जैसे उद्योगों द्वारा स्वरोजगार मिला है। इस उद्देश्य के लिए सरकार विपणन वित्त, उद्यमियता तथा निपुणता आदि की सुविधाएं प्रदान करती है। यह भी देखने की बात है कि सरकार ने अधिक से अधिक 836 वस्तुओं के उत्पादन का कार्य क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा है। कुछ राज्य सरकारें अपने तरीके से भी स्वरोजगार कार्यक्रम लागू कर रहीं हैं।

सरकार के रोजगार के लक्ष्य में, (1) प्रतिवर्ष 10 लाख नये रोजगार अवसर पैदा करना जिससे वर्ष 2000 ई० तक रोजगार के एक करोड़ अवसर उपलब्ध हो सके, और (2) प्रतिवर्ष 10,000 लाख कार्य दिवस की ग्रामीण रोजगार की गारन्टी प्रदान की जा सके। यद्यपि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी होगा कि जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाये। परिवार परियोजन के तीन दशक के कार्यक्रमों के बावजूद आज हमारी जनसंख्या लगभग 85.20 करोड़ है और प्रतिदिन 44,685 नये बच्चे पैदा होने से इसकी संख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि-दर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत से अधिक है। श्रमशक्ति की वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत से भी अधिक है। जन्मदर भी लक्ष्य से कम है। नये अनुमानों के अनुसार 1981-86 में जन्मदर में गिरावट लगभग 33 प्रति 1000 थी और 2001 —2006 ईस्वी तक यह 25 प्रति 1000 होगी। देश की जनसंख्या 2000 ईस्वी सन् तक एक 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी विकास दर इतनी ऊंची होने का मामला शहरी चिन्ता का विषय है इसमें रोजगार के अवसरो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और गरीब लोगों के कल्याण में सुधार की गति भी कम होगी और प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ेगी।

इसलिए, तथ्यों का सच्चाई से सामना करने का समय आ गया है कि बेरोजगारी की समस्या को जनसंख्या विकास की दर को कम करके प्रभावकारी और दीर्घकालीन आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उत्तरोत्तर उत्पादन और आय के उच्च स्तरों पर श्रम बल के कुल योग और योजना विकास की प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अवसरों के बीच यथासमय सन्तुलन लाया जा सकेगा।

सभापति महोदय : सभी सदस्य एक घंटे का समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए, इस विधेयक के लिए दिया गया समय पांच बजे समाप्त हो गया है। अब मंत्री महोदय बोलेंगे और फिर श्री भोगेन्द्र झा उसका उत्तर देंगे।

आज यह भी सहमति हुई है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य समाप्त होने से पहले हम अगले विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए, मैं सभा से पैंतीस मिनट का समय और बढ़ाने का अनुरोध करूंगा

और मुझे आशा है, हम उस समय तक इस विधेयक पर चर्चा को समाप्त कर लेंगे। क्या यह व्यवस्था सही है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : एक समस्या यह है। सूची में 5.30 बजे तक आधे घंटे की चर्चा की जायेगी। इसलिए उसे आराम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम इसे पांच या छः मिनट तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने नियम 377 के अधीन मामलों के दौरान पांच या छह मिनट ज्यादा लिये थे मैं मंत्री जी से यदि सम्भव है तो पांच या छह मिनट में इसे समाप्त करने का अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही 20 मिनट पश्चात् 3.20 बजे शुरू हुई थी। मैंने इसका वर्णन किया था।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उसकी प्रतिपूर्ति अवश्य होनी चाहिए।

सभापति महोदय : हम इसे 20 मिनट बढ़ा सकते है लेकिन इसे समाप्त नहीं कर सकते।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं दो तीन मिनट और लूंगा।

सदन के सभी वर्गों के पूर्ण समर्थन के बिना और वास्तव में पूरे देश के बिना इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए समय की मांग है कि एकजुट होकर और निरन्तर प्रयास से ही इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।

महोदय, मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि 15 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में युवकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करने और मंत्रिमण्डल के विचारार्थ तीन महीने के भीतर उनकी उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की थी।

महोदय, जैसाकि मैंने अभी बताया, इससे लगता है कि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या और उससे सम्बन्धित मामलों से पूर्णतः अवगत है और इससे निपटने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है, मैंने सरकार द्वारा 2000 ई० तक रोजगार के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर भी संकेत किया कि इस समय तक स्थिति में काफी सुधार होने की सम्भावना है। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विधेयक को वापस लेने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है, अपने सुझाव दिये हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विभिन्न पहलुओं को रखने का प्रयास किया है।

सभापति जी, जिस चीज को इस विधेयक के उद्देश्य में रखा गया है एक तो जिस समूह को काम दें उनको फायदा होगा, उनके परिवार को फायदा होगा, मगर सिर्फ इसके लिए नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है मानव शक्ति उसका देश के विकास के लिए, धनोत्पादन के लिए, वस्तु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाये, यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे देश में जो 85 करोड़ मस्तिष्क हैं, एक अरब सत्तर करोड़ हाथ हैं और ये हमारे धन उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है। यह नहीं कि उनके

लिए कुछ राहत दे दें, दान दे दें, भिक्षा दे दें, बल्कि उनकी शक्ति का उपयोग देश के पुनर्निर्माण के लिए हो। सभी के द्वारा निर्मित सभी के लिए एक भारत बने। हमारे कई मित्रों ने जिक्र किया है कि अभी जो ग्रामीण श्रमिकों के वास्ते राष्ट्रीय आयोग था उसने इस साल प्रतिवेदन दिया है कि 11 करोड़ 10 लाख लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार हैं। लगभग 4 करोड़ शिक्षित हैं, जो मेट्रिक और उसके ऊपर के बेरोजगार हैं। अभी तक देश के जागृत आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन जो काम में हैं उन्हीं के लिए आन्दोलन करते रहे हैं। उनके लिए आन्दोलन बहुत सही है, मगर सिर्फ उन्हीं के लिए यह सही नहीं है। इसलिए मैं इस विचार का नहीं हूं न मेरे जीवन का अनुभव है जो यह कहें कि गरीबी के चलते लोग जुर्म करते हैं। जितने जुर्म फाजिल दौलत वाले करते हैं, गरीब उतना नहीं करता है। चूंकि हमारा पूंजीवादी समाज है, यहां धन ही मापदण्ड है इसलिए जो दो पैसे की चोरी करने वाला है वह पाकेटमार है और जो दो करोड़ की चोरी करने वाला है वह धनी है। उसकी चोरी चोरी नहीं कही जाती है। वह अखबार को, संसद को खरीद सकता है, सांसदों को खरीद सकता है और मन्दिर-मस्जिद बनाकर अपने पापों का प्रायश्चित भी कर लेता है। इसलिए मेरे जीवन का यह अनुभव नहीं है कि जो निर्धन है वही जुर्म की ओर जाता है। यह सही नहीं है। इतनी बड़ी फौज चुपचाप नहीं बैठेगी। मैं चाहूंगा कि संसद की ओर से यह आवाज जाये सभी की ओर से यह आवाज जाये जो सचेत हैं उनकी ओर से आवाज जाये कि हम बेकार नहीं रहेंगे, देश के निर्माण में हम अपना हिस्सा लेंगे। हमारा यह अधिकार है इस अधिकार को सरकार ने नहीं दिया, संसद ने नहीं दिया तो हम छीनकर लेंगे। एक दिन भारत में यह दंगल भी होगा। हमें मजहब के नाम पर, जात-पात के नाम पर भड़काने की कोशिश की जाती है हम लड़ेंगे देश के पुनर्निर्माण के लिए, हमारे पास हाथ हैं, मस्तिष्क है हम मिलकर काम कर सकते हैं।

पूंजी की बात उठती है। मैं पूंजी के लिए नहीं कह रहा हूं, पूंजी पैदा करने के लिए कह रहा हूं। ये हाथ पूंजी पैदा करते हैं। जिस समय हमारे देश में अमीर-गरीब का फर्क नहीं था, राजनीति नहीं थी, जाति-विहीन और धर्महीन समाज था जिसे ग्रंथों में सतयुग कहा गया है। श्रम की महत्ता है। पहला व्यक्ति, जिसने थोड़ी जमीन को समतल बनाकर खेती की, अन्न पैदा किया, वह था पृथु। उसके श्रम की महत्ता थी, इसलिए उसके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। मेरे विचार में विश्व के इतिहास में नामधारी ही वह पहला व्यक्ति है जिसके नाम पर इस पृथ्वी का नाम पड़ गया। पृथ्वी भार्या पृथ्वी। यहां तक कि पृथ्वी पृथु की भार्या हुई जिससे वह अन्न रूपी सन्तान पैदा करती है। जो श्रम करते हैं, उसकी महत्ता है लेकिन आज क्या है? जो श्रम करते हैं, वे नीचे हैं, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिये और जो बैठे हुए हैं लकवा मारकर वे अरब से खरबों के मालिक बनते जा रहे हैं। उनके लिए देश में उदारवाद लाया जा रहा है। करोड़पति को अरबपति बनाओ और अरबपति को खरबपति बनाओ। इसलिए आई० एम० एफ० से लेकर सारा पांडित्य झाड़ा जा रहा है और जब यह बात उठती है कि अपनी सबसे बड़ी सम्पत्ति मानव सम्पत्ति है, उसको उपयोग करें तो सरकार को बुखार लग जाता है।

सभापति जी, अभी हमारे कुछ साथियों ने एक उलझन की बात उठाई जो उनके दिमाग के लिए स्वाभाविक है। अगर कोई शिक्षक है तो प्राइवेट ट्यूशन क्यों नहीं करे? हमने कहा शिक्षक महोदय इस्तीफा दे दीजिये, फिर प्राइवेट ट्यूशन कीजिये। नहीं, नौकरी लगेगी यहां, पैसा पैदा करेंगे वहां, डाक्टरी करेंगे यहां, क्लीनिक खोलेंगे वहां। यह खुली और बाजारी नहीं है तो और क्या है जिस पर किसी का बस नहीं है। उसके समर्थन में इस संसद में कोई आवाज उठी तो कहा जायेगा कि चोरी के समर्थन में आवाज है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चिल्ला रहा है कि साल में कम से कम 180 दिन

[श्री भोगेन्द्र झा]

पढ़ाना निश्चित है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रतिदिन कम से कम चार घण्टे पढ़ाना निश्चित है। प्राइवेट ट्यूशन बन्द कीजिये मगर हमारे सचेत तबका मौलिक अधिकारों को लेकर लड़ रहा है कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार हो, प्राइवेट ट्यूशन का अधिकार हो। करो। इस विधेयक में दिया है कि आप मत जाइये नौकरी में। सरकार सहायता दे, ऋण दे, अनुदान दे। लेकिन होता क्या है, नौकरी मिलनी चाहिये, ब्लैक दूसरी जगह करेंगे, तो क्या हम इसका समर्थन करेंगे? इससे क्या होता है जो शिक्षक हैं, वे पढ़ाना छोड़कर दूसरा काम करते हैं और केवल साक्षात्कार के लिए देश में घूमते रहते हैं। एक शिक्षक के प्रति न्याय नहीं कर पाते हैं। शिक्षक को बिना लालन पालन का भार पड़े हुए दूसरे की बेटी-बेटे को बढ़ाने का मौका मिलता है लेकिन उसका यह अरमान नहीं है कि इसको हम अपने सांचे में ढालें, बिना पैदा की हुई सन्तान हमें मिल जाती है। नहीं, वह भटकता है। इसलिए इसमें दिया गया है कि आप जीवन में चुन लीजिये कि किस क्षेत्र में जाना है रूचि किस में है। आप रूचि, योग्यता और क्षमता को लेकर चुनिये और उसके ाद उसी की प्रोन्नति के लिए कोशिश कीजिये। प्रोन्नति सिर्फ समय पर नहीं अपितु काम को देखकर, योग्यता को देख कर हो। इसलिए, सभापति जी, मेरी समझ में जो सारी जिन्दगी की समझ है, बहस की समझ है, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं सूझता है और मैं समझता हूं कि पूंजीवादी भारत में भी बेकारी की समस्या का पूरा समाधान इससे हो सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि अवकाश प्राप्ति के बाद उद्योग कर लें। मैं समझता हूं अवकाश प्राप्ति के बाद लोग काम के लायक रहते हैं क्योंकि गांव में रहते हैं और कहावत है कि जब लोग जीने लायक होते हैं तो मर जाते हैं और जब वह अनुभव हासिल करता है तो वह मर जाता है। अभी देश के पूरी नौकरी पेशा लोग क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अवकाश प्राप्ति की अवधि बढ़ायी जाये, वह 55 हो या उससे बढ़कर 58 हो। अभी बिहार में शिक्षकों और कर्मचारियों की सबसे बड़ी हड़ताल चल रही है कि सेवा-निवृत्ति की उम्र 63 साल हो। यही सबसे बड़ी मांग है। इसलिए इस विधेयक में दिया गया है कि आपको अनुभव है, आप खेती नहीं करते हैं, आप जमीन खरीदते हैं, 5-10 एकड़ की जमींदारी है, आप कारखाने के लिए निदेशक बनकर बैठ सकते हैं, प्रबन्धक बनकर बैठ सकते हैं। आपने रोजी-रोटी कमाई, सरकार की तरफ से पेंशन अनुदान के रूप में मिल गई, आप खुशहाल हों, देश खुशहाल हो। आपका स्वार्थ परमार्थ भी बने।

सभापति जी, स्वार्थ का मतलब सु-अर्थ है, कुअर्थ नहीं है। तो वह स्वार्थ जो व्यक्ति का भी लाभ करे, समाज के लिए भी लाभप्रद हो, देश के लिए भी लाभप्रद हो, उसके लिए भी समाधान किया गया है ताकि जो नौकरी पेशा में है, वे अपनी विशेषज्ञता को बढ़ावें, अपने लिए बढ़ावें, समाज के लिए बढ़ायें, देश के लिए बढ़ावें और भविष्य के लिए बढ़ावें। इस माने में थोड़ी ही व्यावहारिक चीजें हैं और यही चीजें हैं, दूसरी कोई चीज जो सदस्य बोले हैं विकल्प के रूप में नहीं बोल सके हैं। इसलिए मैं ध्यान से सुनता था तो मैं समझता हूं कि कोई भी नई चीज आप रखेंगे तो उसके लिए बड़े कठोर कदम उठाने होंगे।

सभापति जी, कोई कुंवारी चाहे कि मैं बांझ नहीं रहूं और माता बनूं, लेकिन 9 महीने बच्चा पेट में नहीं ढोना पड़े, प्रसव पीड़ा नहीं हो मगर माता बन जाऊं, यह बात आज तक सम्भव नहीं हुई है और न होगी। इसलिए जो रोजगार हम दें स्वनियोजन के जरिए से दें। किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी। जो साक्षात्कार के लिए दौड़ता रहता है, फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर, उसको थोड़ी भी असुविधा न हो, हालांकि मैं समझता हूं कि असुविधा नहीं होती है। एक नन्हें से जेम्स वॉट के भाप के इंजन के

आविष्कार से इंग्लैंड इतनी बड़ी दुनिया का मालिक बन सकता है। हमारे यहां हुनर की कमी नहीं है, हुनर वालों की कमी नहीं है। उनको विशेषज्ञ बनने के लिए चाहे वह डिग्रीधारी हो या बिना डिग्रीधारी, उनको विशेषज्ञ बनने के लिए हमारे राज्य, हमारी संसद, हमारी सरकार उसमें सहायक हो कि तुम उस काम को करो, स्वनियोजन में करो और उत्पादक स्वनियोजन में करो। इसलिए सभापति जी, एक झकझोर की जरूरत है। हमने बहुत धीमी गति से इस पर विचार किया है। मैं सोच रहा था लोग सुझाव लायेंगे, आखिर किस बात के लिए हम आप सुझाव दे रहे हैं। हम कोई व्यक्तिगत सुख-आराम के लिए संसद में नहीं आये हैं जिनके सामने कुछ अरमान हैं, कुछ उद्देश्य हैं। हमारे मित्र चित्त बसु कह रहे थे, ये आदर्शवादी हैं। नहीं हैं तो आये किसलिये। माल कमाने का तो बहुत रास्ता है। जिसके मुंह-कान नहीं है उसके पास करोड़ों का माल है। उसके लिए यहां आने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं अगर सब नहीं तो बहुतों के सामने यह उद्देश्य जरूर हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहां आये हैं और बहुतों में तो हम झगड़ते है, लड़ते है और वह लड़ाई, मैं खराब शब्द नहीं निकालूंगा, प्रिय लड़ाई तो नहीं होती है। यह मामला जिसका हम समाधान कर सकें देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, उसके नाम पर अगर ठण्डापन आये, जैसा मंत्री जी ने कहा है, मैं इतना कहता हूं मंत्री जी की कठिनाई, सरकार की दिक्कत क्या है। वे सरकार के प्रतिनिधि होकर···।

सभापति महोदय : आप डिबेट के जवाब में ज्यादा बोलना चाहें तो हाउस से टाइम एक्स्टेंड करवाना पड़ेगा। कितना और बोलेंगे? क्योंकि इस वक्त 5.35 बजे यह डिबेट खत्म हो जानी चाहिए थी। सदन जो कुछ भी चाहेगा, मुझे करना होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, अभी जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि 20 मिनट देर से शुरू हुआ है तो जिसे 5.30 बजे खत्म होना चाहिए था उसे 5.50 बजे खत्म करें।

सभापति महोदय : यह भी एग्रीमेंट हुआ था कि अगला रिसाल्यूशन भी सभा में शुरू कर दिया जायेगा तो उससे पहले हमें इसे खत्म करना है।

श्री भोगेन्द्र झा : 5.50 से दो मिनट पहले भी होगा तो ठीक है। नया विधेयक पेश हो जाये तो भी ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या इस चर्चा को दस मिनट तक और बढ़ाने के लिए सदन सहमत है?

(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आज बहुत काम है।

सभापति महोदय : जी हां, आज काफी काम हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं एक मिनट भी नहीं लूंगा, मंत्री जी से कहिए कि इसको स्वीकार कर लीजिये।

सभापति महोदय : उन्होंने कहा है कि आपकी हर बात से सहमत हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, हर बात से सहमत है और कुछ नहीं करेंगे, इससे बेहतर है, सहमत नहीं हों और कुछ कर दें। कुछ हो जाये तो वह सहमत होने से बेहतर है।

सभापति महोदय : उन्होंने तो आपको बहुत धन्यवाद किया, हर सदस्य ने बहुत धन्यवाद किया है कि बढ़िया विधेयक लाये हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, यह हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता के लिए मुझे गौरव है कि हम मरने पर भी स्वर्गीय कहते हैं, कुछ अन्य देशों के समान मरने के बाद लात-जूता नहीं करते हैं। इसलिए धन्यवाद किया, यह मुनासिब किया, अपनी सभ्यता के मुताबिक किया।

सभापति जी, जो बात मैं कह रहा हूं, उसका कारण है कि जब कभी विज्ञापन होते हैं नये कामों के लिये, कभी सौ गुने से ज्यादा लोग, कहीं हजार गुना ज्यादा व्यक्ति आवेदन देते हैं। बिहार में हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, शायद सिंचाई विभाग में कुछ पद रिक्त थे। ऐसी हालत हुई कि लाठियां खा-खाकर, सिर तुड़वा कर, लोगों ने आवेदन पत्र दिये। कुल 33 लाख आवेदग पत्र प्राप्त हुए जबकि हजार के लगभग वैकेन्सीज थीं। उन्हें छांटना भी सम्भव नहीं हुआ। उन 33 लाख में से 33 का नम्बर भी नहीं आया। आज भी बिहार में वैसी ही हालत चल रही है।

अभी बिहार सरकार ने तय किया है कि एक पद के लिये सभी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक मिलकर आवेदन दे सकते हैं। कई प्रशिक्षित टीचर्स मेरे पास आये और कहने लगे, हम 15 साल से प्रशिक्षित घूम रहे हैं, कोई 10 साल से है, फिर क्यों नये लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया। मैंने कहा कि आन्दोलन कीजिये। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित सिर तोड़ देंगे—जो अनट्रेंड हैं। कई अप्रशिक्षित शिक्षक भी मेरे पास आये। उन्होंने शंका प्रकट की कि यदि हम आवेदन दें तो क्या हमें नौकरी मिलेगी। मैंने कहा कि नौकरी मिलनी होती तो प्रशिक्षित को ही मिलनी चाहिये। कितने आवेदन आयेंगे। सभी चाहते हैं कि मैं भर्ती हो जाऊं। फिर पूछने लगे कि यह सब किसलिए है। मैंने कहा कि पागलखाने में भर्ती हो जाओ तब मैं कहूंगा कि तुमको नौकरी मिल जायेगी। अब 63 वर्ष आयु करने के लिए आई० ए० एस० लोगों की हड़ताल चल रही है। ऐसी समस्या सबके सामने आती होगी। इसीलिए मैंने स्व-रोजगार योजना के बारे में बिल में जिक्र किया है। ऐसा भी नहीं कि किसी कारखाने में 100 की जरूरत है तो वह 50 ही को भर्ती करे।

मेरा विचार है कि सभी को अपने लिए स्व-रोजगार चुनना चाहिए, जो उसकी क्षमता के मुताबिक हो, सामर्थ्य के मुताबिक हो और उत्पादकता के मुताबिक भी हो। वही स्वरोजगार वह चुने। जितनी योजनाएं हमने हमने देश में चलायीं, लागू की, कुछ प्रदेशों में अगर 50 फीसदी भी व्यवहार में आई होतीं तो देश में कुछ देखने को मिलता लेकिन वैसा नहीं हुआ। उनका पैसा बंट जाता है बैंक, प्रखण्ड और दूसरे लेने वालों के बीच में। अब कौन मुजरिम है, मैं नहीं उसमें जाना चाहता। मैंने 1982-83 में मधुबनी जिले को नलकूप के मामले में, बिहार में ही नहीं, देश में प्रथम कराया था लेकिन इसके लिए प्रखण्ड, विकास प्राधिकारी और अपने प्रमुख समर्थक तक को जेल भिजवाना पड़ा, जिसके कारण मुझे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। मिदनापुर के एक प्रखण्ड में, 13 में से 11 को मुअत्तल करवाना पड़ा जो बिना काम में लिए, पैसे को बांटकर साफ कर चुके थे। उन सबसे पैसे को वापस करवाया लेकिन चुनाव में मुझे सारी ताकत लगानी पड़ी।

इस बिल को लाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य यह भी था कि मैं खुले दिमाग से सभी माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहता था, कोई मुझसे बेहतर सुझाव अगर दे सके। सोवियत रूस में जहां लगभग 100 फीसदी लोग कार्यरत हो गये हैं, जहां एक भी बेकार नहीं रह गया है, उनमें से कुछ की इच्छा हुई कि निम्नतम आवश्यकताएं तो सबकी पूरी हो गयीं इसलिये अब हमें अधिकतम आवश्यकताएं

चाहिए। अधिकतम पाने के लिये, वे अब निम्नतम पर प्रहार कर रहे हैं। मैं यहां उस बहस में जाना नहीं चाहूंगा। वहां हर आदमी अधिकतम चाहता है।

बचपन में मेरा एक साथी था जो पढ़ने में काफी तेज था, मगर निर्धन था। उसने कहा कि मैं आपके समाजवाद में विश्वास नहीं करता, मैं आपके समाजवाद से सहमत नहीं हूं। उसका कारण है कि आपका समाजवाद मुझे चार शादियां करने की इजाजत नहीं देगा। मैंने कहा कि मैं आपको ऐसा करने दूंगा मगर उसकी एक शर्त है कि आप अपनी बीबी को भी चार शौहर रखने दीजियेगा। वह बोला कि ऐसा कैसे होगा। मैंने उत्तर दिया कि जब आपको आजादी मिलेगी तो आपकी बीबी को भी आजादी मिलनी चाहिये। (**व्यवधान**) यहां एक बुद्धीन नहीं, कई लोग ऐसे हैं। एक हमारे दशरथ जी थे और इसीलिए राम को वनवास देना पड़ा। यदि उनकी भी एक पत्नी होती तो शायद वनवास की नौबत नहीं आती। ऐसी परम्पराएं हमारी हैं।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसा उन्होंने कहा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पास सुझाव भेजेंगे, इस विधेयक को भी आप उनके पास भिजवा दीजिये। मैं भी उन्हें लिखूंगा। आप भी भेज दीजिये कि व्यावहारिक दृष्टि से वे इसकी जांच करें और जो भी व्यावहारिक लगे, सम्भव हो, मैं यहां असम्भव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी धोखे में हम न पड़ें लेकिन अपने साधनों को दृष्टि में रखते हुए, सभी पृष्ठभूमियों को देखकर, इस विधेयक की वे जांच कर लें कि किस हद तक इसे अमल में लाया जा सकता है और राज्य सरकारें किस हद तक इसे अमल में ला सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई बड़ी मांग नहीं है। अब सदन में बहुत से लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बाद में यह विधेयक वापस हो जायेगा। कुछ साथियों ने कहा है कि इसे मैं वापस न लूं परन्तु मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मंत्रिमण्डल के कई साथी यहां मौजूद हैं, जरूरत हो तो वे सब विचार कर लें। अगर यह विधेयक वापिस हो तो संसद की ओर से समर्थ के साथ कि इस विधेयक को योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जिनको काम के लिए भार सौंपा गया है, उसकी जांच कर लें, देखें। अन्यथा संकट गहरा हो जाता है।

अभी वित्त मंत्री जी नहीं हैं, मैं कहता। बिहार के कम्युनिस्ट सांसद और विधायक वित्त मंत्री से मिले थे। अभी बिहार सरकार के पास वह पैसा नहीं है जो नौकरी में उनको मुणाहिरा दे, वह पैसा नहीं है कि नहर जिसका ७० फीसदी काम पूरा है, 10 फीसदी के लिए डिले हो रहा है। भारत सरकार कोयले को वजन के आधार पर रायल्टी दे दाम पर नहीं। वित्त मंत्री ने भी कहा, बात मुनासिब है। प्रधानमंत्री को मिला, पत्र दिया। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि सम्बद्ध मंत्रालय को हमने लिख दिया है कि इसको अति आवश्यक समझकर परीक्षण के लिए कार्य किया जाये। अभी तक जवाब नहीं आया। अगर अवसर बढ़ाने के लिए मौका है, मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि बिहार सरकार हर बात सही कर रही है, लेकिन मजदूर की बातों को भी हल करने का सवाल होगा। मैं यही आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इसे देखें। इस विधेयक को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पास भिजवा दें कि व्यवहारिकता को देखकर, समझकर जांच करें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो मैं भी चाहता हूं कि नया विधेयक पेश हो जाये। मैं यही कहकर बैठता हूं मंत्री जी को सुनने के लिये।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने जो बोलना है पहले ही बोल चुके हैं। क्या आप बिल को विदड्रा कर रहे हैं? मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा के सुझाव का स्वागत करता हूं। हमें उनके सुझाव पर विचार करना होगा। मैं उनसे विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने अथवा स्वरोजगार हेतु साधन और संसाधनों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने अथवा स्वरोजगार हेतु साधन और संसाधनों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.34 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

सभापति महोदय : सदन में अब श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 1991 (अनुच्छेद 356 का संशोधन) पर विचार किया जाएगा। विधेयक पर विचार करने से पहले, हमें इस विधेयक के लिए समय निश्चित करना होगा। क्या इस विधेयक के लिए समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में किसी के पास कोई सुझाव है ?

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : किसी भी स्थिति में यह अगले सत्र तक चलेगा। उस स्थिति में उन्हें और बोलने दीजिए और अगले सत्र में हम समय तय कर लेंगे।

सभापति महोदय : प्रक्रियानुसार, हमें कोई समय तय करना होगा। बाद में, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या हम इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित करें ?

अनेक माननीय सदस्य : तीन घंटे।

सभापति महोदय : ठीक है। तीन घंटे ठीक हैं। अब मैं श्री सुधीर गिरि को बोलने के लिए कहता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोल्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वामपंथी ताकतें स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-2 बूर्जुआ जमींदारों द्वारा मेहनतकश जनता पर किए जा रहे शोषण से आजादी पाने के लिए लड़ीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी

स्वततंत्रा के लिए लड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है जो उद्योगपतियों और भू-स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पहले भी थी और अब भी है। अत: जब ब्रिटिश राज को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया तो साम्राज्यवादियों, उद्योगपतियों, भू-स्वामियों और कांग्रेस के बीच समझौते के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने विरासत में सत्ता की बागडोर संभाली। इस प्रकार बूर्जुआ भू-स्वामियों के हितों की रक्षा हेतु, कांग्रेस पार्टी ने देश में कई बार अनुच्छेद 356 के लिए निवेदन किया।

भारत के संविधानिक इतिहास में अनुच्छेद 356 की महत्ता आजादी के बाद से जवाहर नेहरू से लेकर राजीव गांधी और चन्द्रशेखर तक के शासकों के राजनैतिक व्यवहार का महत्वपूर्ण भाग गठित करता है। अनुच्छेद 356 के लागू होने से राज्य के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में राजनैतिक दखलंदाजी ने हमारी राजनैतिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को काफी खुलकर प्रकट किया है जिसे यद्यपि लोकतंत्र कहा जाता है किन्तु जो हमारे समाज के उद्योगपतियों एवं भूमिपतियों द्वारा भारतीय श्रमिक वर्ग पर किए जा रहे शोषण रूपी तंत्र के सिवाय कुछ नहीं है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट है कि हम भारतीयों ने भारत को एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में बदलने का दृढ़तापूर्वक कृतसंकल्प किया है। मैं प्रस्तावना में लिए गए लोकतन्त्रात्मक शब्द को रेखांकित करता हूं।

केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों में हमारे संविधान की मूलभूत संरचना विनिर्दिष्ट है। तदनुसार, हमारे देश, भारत का मूलभूत ढांचा लोकतांत्रिक है।

मैं इस तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि लोकतंत्र व्यक्तियों और सरकार के बीच तथा राज्यों एवं केन्द्र के बीच सम्बन्धों के मामले में दिशा निर्देशक है। तथापि, मैं अपने वर्गीकृत समाज में व्यक्तियों के बीच लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के निरीक्षण हेतु दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, जैसाकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिपादित है, राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों को सावधान ईमानदार होना अपेक्षित है और वे सभी पहलुओं से उन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को अपनाने के लिए वचनबद्ध हों। संघ एवं राज्य एक दूसरे पर निर्भर है। संघ सरकार को अपने संरक्षण के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है और राज्य सरकारों को अपनी सुरक्षा बहुमुखी विकास, वित्तीय निर्भरता और एकीकरण के लिए संघ सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए यह सब अनिवार्य है जो हमारे समाज के प्रमुख एवं जीवंत ईकाइयों का गठन करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 355 प्रतिपादित किया जिसमें यह प्रावधान है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य होगा और यह सुनिश्चित करना कि इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की सरकार कार्य करती है।

इस उपबन्ध के गहरे अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संघ सरकार को बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि वह संघ ही है जो देश के सैन्य बल के पूरी तरह नियंत्रणाधीन है। इसी प्रकार वह संघ ही है जो आंतरिक विद्रोह अथवा अशांति से सैन्य बल द्वारा प्रत्येक राज्य की रक्षा करने में समर्थ है। उपरोक्त दो मामलों में कोई भी व्यक्ति यह नहीं मान सकता कि यदि राज्य की प्रशासनिक सत्ता संघ ले लेता है तो राज्य को बचाया जा सकता है। इसी तरह संघ सरकार भी यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधो के अनुसार कार्य करती। राज्य सरकार की प्रशासनिक शक्ति हाथ-में लेने की सोच भी नहीं सकती। इसके विपरीत संघ सरकार

से यह अपेक्षा होती है कि वह देश के कानून के अनुसार प्रशासन चलाने में राज्य सरकार की हर दृष्टि से सहायता करें इस तथ्य के कारण के इस प्रकार के अनुमान बैध हैं कि राज्य सरकार जनता के निर्णय द्वारा एक निर्धारित अवधि के लिए सत्ता में आई है। यह समयावधि पूरी होने तक राज्य सरकार को जनता के निर्णय के अनुसार शासन चलाने के लिए सभी संभव माध्यमों द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। सरकार को शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यही मूलभूत आवश्यकता और आपसी समझ है। किन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्र से सहायता मांगने पर कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई अपितु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

सभापति महोदय : सुधीर गिरि जी गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय समाप्त हो गया है। अब मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पालघाट, केरल में 13-15 दिसम्बर, 1991 के दौरान हुई साम्प्रदायिक गड़बड़ी के बारे में वक्तव्य दें।

5.51 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

केरल में पालघाट में 13 से 15 दिसम्बर, 1991 तक हुए सांप्रदायिक उपद्रव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 दिसम्बर, 1991 को पथराव करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के घायल होने के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी, 14 दिसम्बर, 1991 को पालघाट, कस्बा उत्तर पुलिस थाना लिमिटस के अन्तर्गत मेप्पारम्बा में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए एक सार्वजनिक सभा करना चाहती थी। पुलिस ने मेप्पारम्बा में, सदाम रोड जंक्शन में बैठक करने की अनुमति दी। लगभग 5.00 बजे अपराह्न भारतीय जनता पार्टी का जत्था, जिसमें 300 व्यक्ति थे, मेलमुरी पहुंचा। इसी बीच अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 300 व्यक्तियों का एक ग्रुप छड़ें, फरसे आदि हथियार लेकर मेप्पारम्बा मस्जिद पर एकत्र हो गया और मेलमुरी जंक्शन की ओर चल दिया। कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मेप्पारम्बा में पहले से सख्त पुलिस बन्दोबस्त की व्यवस्था की जा चुकी थी। पुलिस ने दोनों जुलूसों को काफी दूरी पर रोक दिया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तितर-बितर होने के लिए मनाने का प्रयास किया, परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और शोरनूर की तरफ से आने वाले सम्पूर्ण यातायात को रोक दिया। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करने और वहां से हटाने की कोशिश की परन्तु वह असफल रही तथा पुलिस उपाधीक्षक, पालघाट ने अल्पसंख्यक भीड को, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी, तितर-बितर करने के लिए हवा में तीन राउन्ड गोलियां चलाई। जिला समाहर्ता तथा पुलिस अधीक्षक, पालघाट घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने दोनों ग्रुपों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप को कुछ मीटर आगे जाने की अनुमति दे दी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी/बी० एम० एस०/आर० एस० एस० के नेताओं ने भाषण दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़कर लगभग 1000 तक हो गए थे। उन्हें पुलिस द्वारा शाम को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया तथा उसके बाद दोनों ग्रुप तितर-बितर हो

गए । 14 दिसम्बर, 1991 की रात को मेप्पारम्बा तथा मेलमुरी में कड़ी पुलिस गश्त लगाने की व्यवस्था की गई थी ।

2. 15 दिसम्बर, 1991 को प्रातः जब भा० जा० पा०/आर० एस० एस० के समर्थक जेनमेडू के नजदीक कल्पथी नदी पर स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने यह आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के एक ग्रुप द्वारा उन पर आक्रमण किया गया । इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अल्पसंख्यक के एक व्यक्ति पर हमला किया । उसके बाद पूरे दिन प्रतिद्वन्द्वी ग्रुपों के बीच सांप्रदायिक की छूट-पुट घटनाएं होती रही, जिससे, विशेष रूप से मेलमुरी, मेप्पारम्बा, वेन्नाकाड़ा, पीरायीरी, आदि स्थानों में कई घर/दुकानें क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई । कुछ वाहनों को भी आग लगा दी गई । जब स्थिति को काबू नहीं किया जा सका तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे तीन व्यक्ति घायल हो गए जिन्हें बाद में जल्द ही अस्पताल ले जाया गया । पुलिस को उत्तरी शहर के थाने के अन्तर्गत पूर्वी वेन्नाकाड़ा को पुड्डुपल्ली स्ट्रीट में करीब 3.00 बजे अपराह्न भी भीड़ पर दो राउण्ड गोली चलानी पड़ी । गोली चलाने के परिणामस्वरूप एक 11 वर्ष की लड़की की पालघाट के जिला हस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई । पुलिस को कुल मिला कर छह बार गोली चलानी पड़ी ।

3. भीड़ द्वारा हिंसा की गतिविधियों और पत्थराव करने की अन्य घटनाओं के परिणामस्वरूप 7 पुलिस कार्मिकों को चोटें लगीं, जिन्हें पालघाट के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया । झड़पों में 12 नागरिकों को भी चोटें लगीं ।

4. पुलिस ने आगे बताया है कि केरल सरकार के माननीय मन्त्री, श्री टी० एम० जैकब द्वारा एक शान्ति सम्मेलन आयोजित किया गया था । पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिदेशक और उत्तरी रेंज, कोजीकोड के पुलिस उप-महानिदेशक, पालघाट में रुके हुए हैं । राज्य सरकार ने आगे बताया है कि स्थिति अब नियन्त्रण में हैं । तथा साम्प्रदायिक झगड़ों से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई हैं और स्थिति पर अत्याधिक निगरानी रखी जा रही हैं ।

5. केन्द्र सरकार देश में साम्प्रदायिक शांति और सौहार्दता बनाए रखने के लिए दृढ़-संकल्प हैं । यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय हैं, फिर भी, केन्द्र सरकार ने साम्प्रायिक सौहार्दता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं । केन्द्र सरकार राज्यों को आसूचना उपलब्ध कराती है तथा जब कभी अनिवार्य होता है केन्द्रीय बल भी उपलब्ध कराती हैं । विभिन्न स्थानों में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा की संभावना के बारे में केन्द्र-राज्यों को सचेत भी करता आ रहा है । भारतीय जनता पार्टी को 11 दिसम्बर, 1991 को शुरू हुई "एकता यात्रा" के पहले ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित प्राधिकारियों को अधिक सतर्क रहने और सभी सांप्रदायिक और समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखने के अनुदेश जारी करने की सलाह दे दी हैं । प्रधानमन्त्री ने 10 दिसम्बर, 1991 को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ "एकता यात्रा" के सम्बन्ध में उनके विचार जानने के उद्देश्य से एक बैठक बुलाई थी । उसके बाद मैंने भी संबंधित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और राज्यपालों तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल को यह बताते हुए लिखा था कि कानून और व्यवस्था की समस्या सहित यात्रा से कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है तथा आशा की जाती है कि यात्रा से पैदा होने वाली स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमारी आशंका न्यायसंगत है। इसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या किया जाना है। क्या केन्द्रीय सरकार केवल दर्शक बनी रहेगी ? **(व्यवधान)**

श्री कोडिकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० वेंकट स्वामी।

5.56 म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(नये भाग 9 का अंत: स्थापन तथा ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (बहत्तरवां) संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9 का अन्तःस्थापना तथा ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) को 30 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य इस सभा से होंगे, अर्थात :—

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्री एम० एम० लालजान बाशा
3. श्री एच० डी० देवगौड़ा
4. श्री दिग्विजय सिंह
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री डी० डी० खनोरिया
7. श्री एम० कृष्णा स्वामी
8. श्री नाथू राम मिर्धा
9. श्री नीतीश कुमार
10. श्री रामेश्वर पाटीदार
11. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल
12. श्री आर० रामासामी
13. डा० सुधीर राय
14. डा० लक्ष्मीजी महाराज स्वामी
15. श्री पी० एम० सईद
16. श्री राम पाल सिंह

17. श्री सत्य देव सिंह

18. श्री शिव शरण सिंहा

19. प्रो० के० वी० थामस

20. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के कार्यसंचालन नियम अन्य मामलों में उन रूप-भेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष कहें; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9 का अन्तःस्थापना तथा ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) को 30 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य इस सभा से होंगे अर्थात :—

1. श्री मणि शंकर अय्यर

2. श्री एस० एम० लालजान बाशा

3. श्री एच० डी० देवगौडा

4. श्री दिग्विजय सिंह

5. श्री भोगेन्द्र झा

6. श्री डी०डी० खनोरिया

7. श्री एम० कृष्णा स्वामी

8. श्री नाथू राम मिर्धा

9. श्री नीतीश कुमार

10. श्री रामेश्वर पाटीदार

11. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल

12. श्री आर० रामासामी

13. डा० सुधीर राय

14. डा० सक्षी जी महाराज स्वामी

15. श्री पी० एम० सईद

16. श्री राम पाल सिंह

17. श्री सत्य देव सिंह

18. श्री शिव शरण सिंहा

19. प्रो० के० वी० थामस

20. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन उपबंधों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहें; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.00 म० प०

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(नए भाग 9क का अंतःस्थापन तथा बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9क का अंतःस्थापित तथा बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) को 30 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य इस सभा से होंगे अर्थात् :—

1. श्री पवन कुमार बंसल

2. श्री चित्त बसु

3. श्री गिरधारी लाल भार्गव

4. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य

5. श्री प्रबीन बेका

6. श्री के० पी० सिंह देव

7. प्रो० अशोकराव आनन्द राव देशमुख

8. श्री दाऊ दयाल जोशी

9. श्री शंकरराव डी० काले

10. श्री ताराचन्द खंडेलवाल

11. कुमारी पद्मश्री कुडुमुला

12. श्रीमती सुमित्रा महाजन

13. श्री सूरज मण्डल

14. श्री येल्लैया नन्दी

15. डा० देवी प्रसाद पाल

16. श्री हरि केवल प्रसाद

17. श्री इब्राहिम सुलेमान मेठ

18. कुमारी शैलजा

19. श्री हरि किशोर सिंह

20. श्री पी० सी० थामस

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के कार्यसंचालन नियम, अन्य मामलों में उन रूपभेदों और संशोधनों के साथ, लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9क का अंत:स्थापन तथा बारहवीं अनुसूची का जोड़ा

जाना) को 30 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य इस सभा से होंगे, अर्थात :

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री चित्त बसु
3. श्री गिरधारी लाल भार्गव
4. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य
5. श्री प्रवीन डेका
6. श्री के० पी० सिंह देव
7. प्रो० अशोकराव आनन्दराव देशमुख
8. श्री दाऊ दयाल जोशी
9. श्री शंकरराव दे० काले
10. श्री ताराचन्द खंडेलवाल
11. कुमारी पद्मश्री कुडुमुला
12. श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. श्री सूरज मण्डल
14. श्री येल्लैया नन्दी
15. डा० देवी प्रसाद पाल
16. श्री हरि केवल प्रसाद
17. श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ
18. कुमारी शैलजा
19. श्री हरि किशोर सिंह
20. पी० सी० थामस

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति का बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के कार्यसंचालन नियम अन्य मामलों में उन रूप-भेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहें; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.02½ म० प०

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा श्री के० आर० नारायणन् ने स्थान पर, जिन्होंने अनुवांशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर डा० (श्रीमती) पद्मा देवी को नियुक्त करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री के० आर० नारायणन् के स्थान पर, जिन्होंने अनुवांशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर नियुक्त करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बाधा डालने के लिए मुझे बहुत खेद है। परन्तु आपकी अनुमति से मैं डाक्टरों से सम्बन्धित मामला उठाना चाहता हूं। कृपया याद करें कि संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट वक्तव्य दिया था और हमने उसे स्वीकार किया था। हमने सोचा कि कम से कम एक बार तो उनमें कुछ अच्छी भावना का उदय हुआ है, जब उन्होंने कहा कि इसे उच्चतम स्तर पर पास किया गया है···(व्यवधान) परन्तु किसी और स्थान पर स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डाक्टर लोग भूख हड़ताल पर बैठ गये है। आज सत्र का अन्तिम दिन है। स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि सत्र की समाप्ति से पूर्व, निर्णय ले लिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि संसद सदस्यों को भी गुमराह किया गया है।

हमें उस दिन हड़ताली डाक्टरों को हड़ताल वापस लेने के उद्देश्य से समझाने के लिए क्यों साथ लिया गया था? सभी दलों के सदस्य-कांग्रेस के सदस्य, हमारे दल के सदस्य, भाजपा के सदस्य, जनता दल, मुस्लिम लीग के सदस्य सभी वहां थे। इस तथ्य को देखते हुए कि मरीजों को कष्ट हो रहा है

हमने डाक्टरों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया और इस तथ्य को देखते हुए भी कि स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने स्पष्टरूप से आश्वासन दिया था कि वह उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक और खुले दिमाग से विचार करेंगे। महोदय, स्पष्टरूप से यह आश्वासन दिया गया था कि सत्र की समाप्ति से पूर्व, जो आज समाप्त हो रहा है, मंत्री महोदय निर्णय ले लेंगे। लेकिन अभी तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है कि हड़ताल अवधि को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा।

एक भी मामला तय नहीं किया गया है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या श्री कुमारमंगलम अपनी बात से मुकर रहे हैं, जो उन्होंने सभा में कही थी? अथवा उन्हें किसी न और ने गुमराह किया है। यह एक ऐसा मामला है जहां कैबिनेट मंत्री ने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित सभी राजनैतिक दलों के सांसदों को, उन डाक्टरों को आश्वासन के उद्देश्यार्थ, यह कहते हुए शामिल किया था "आप चिंता न करें। आपके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। हम सब आपके साथ हैं।" इस आधार पर हमने उनसे अनुरोध किया कि कृपया यह हड़ताल समाप्त कर दें। यह दूरदर्शन पर भी दिया गया था। परन्तु अब क्या हुआ है?

ये डाक्टर हमारे पास आ रहे है। दो डाक्टर पहले से ही भूख हड़ताल पर है। मेरा विचार है कि इनकी संख्या बढ़ेगी। अब क्या सरकार संसद की बैठकों के न होने का फायदा उठाएगी। चूंकि यह मुद्दा उठाने के लिए इस सभा में कोई नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि श्री कुमारमंगलम क्या करेंगे। मेरे विचार से वह अच्छी तरह सोएंगे। यह येक बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपसे विनती करता हूं। हम जानते हैं कि इस सरकार की विश्वसनीयता शून्य है परन्तु कृपया देखें कि इस सभा कि विश्वसनीयता क्या है। कम से कम हमारी कुछ विश्वसनीयता है और उनसे जुड़कर हम उसे खोना नहीं चाहते है। अतः, यदि सरकार का हमारे साथ यही रवैया रहा तो, भविष्य में उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया जाएगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कुछ दिन पहले कुमारमंगलम साहब ने कहा था, उसका क्या हुआ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत काम है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिये जाने के आधार पर हमने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपनी हड़ताल वापस ले लें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : क्या उन्होंने कहा था अथवा नहीं कहा था कि मामले पर सर्वोच्च स्तर निर्णय लिया जायेगा? हमें उस दिन की कार्यवाही को देना चाहिए।...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा शिक्षा, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, श्री मदन लाल खुराना सहित विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों तथा दूसरी ओर बैठे मेरे प्रिय सहकर्मियों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उनको ध्यान में धर लिया गया है। मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसे उतने ही जोरदार ढंग से स्वास्थ्य मन्त्री को बता

सकूंगा तथा यह बात उनके ध्यान में ला सकूंगा कि सदस्यों को जब यह लगता है कि उनके अनुसार आश्वासन दिया गया था.....तो वे बहुत उद्विग्न महसूस करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहा था कि इस पर खुले दिमाग से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वह अपने खुले दिमाग से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन से पीछे नहीं मुड़े हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब हमें यह निर्णय करना होगा कि उनके पास दिमाग है अथवा नहीं। अथवा, उनका दिमाग खाली है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उनका दिमाग खाली नहीं है। अभी भी उनका खुला दिमाग है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर दिए गए अपने बयान से पीछे हट रहे हैं?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : नहीं, श्रीमन्।

6.10 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् के इतिहास को शैक्षिक पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अब से कुछ वर्ष बाद राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती मनायेगा। ये वर्ष मुसीबतों, संकटग्रस्त उपद्रवों और कभी-कभी अशांतिपूर्ण भी रहे हैं, परन्तु इस कठिन समय में, इस आधुनिक देश के भाग्य के निर्माण में सभी क्षेत्रों के लोगों का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है जिसके लिए हम सब को गर्व है। यह समय उत्तेजनापूर्ण रहा है और कभी-कभी इस प्राचीन, परन्तु युवा राष्ट्र को दुश्चान्त अनुभव हुआ। हमारी स्वतन्त्रता की बेला पर जो चुनौतियां हमारे सामने आई और इन चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए जिस ढंग से हम अपने सीमित साधनों को सुव्यवस्थित ढंग से जुटा सके और अनेक असफलताओं के बावजूद हम एक ऐसे सामाजिक ढांचे का निर्माण करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ते गये, जिसमें जाति, मत, धर्म अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी नागरिकों के लिए स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और समानता के अवसर होंगे। निस्संदेह यह मानव इतिहास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण युग रहेगा। इस युग की इस पीढ़ी के हम लोग कुछ हद तक इस अनुभव के भागीदार हैं और इस अनुभव से हमें पर्याप्त लाभ हुआ है। तथापि, इस शताब्दी के बाद जो नयी पीढ़ी आयेगी, उसे इस प्रकार का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा। अतः यह जरूरी है कि एक उद्देश्यात्मक और निष्पक्ष इतिहास तैयार किया जाए इसे इस शताब्दी के अन्त तक स्कूल तथा कालेज स्तर के पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। अपनी स्वतन्त्रता के पहले पांच दशकों के इतिहास से अवगत होने के कारण यह नयी पीढ़ी अपेक्षाकृत व्यापक परिप्रेक्ष्य और रूचि से राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाने में प्रवृत्त होगी।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम स्वातन्त्र्योत्तर भारत के इस समसामयिक इतिहास की तैयार करने के काम में और इसे उपयुक्त पाठयचर्या में रूपान्तरित करने में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कर रहे हैं। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

डा० एस० गोपाल	अध्यक्ष
प्रोफे० सव्यसाची भट्टाचार्य	सदस्य
प्रोफे० रवीन्द्र कुमार	सदस्य
डा० विपन चन्दा	सदस्य
डा० (श्रीमती) धर्मा कुमार	सदस्य
प्रोफे० राम गुहा	सदस्य
प्रोफे० सुमीत सरकार	सदस्य
प्रोफे० नीलाद्रि भट्टाचार्य	सदस्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के मनोनीत व्यक्ति इस समिति के स्थायी अतिथि होंगे। समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस समिति का कार्यकाल 15 अगस्त, 1997 तक होगा, जब हम स्वतन्त्रता के 50 वर्ष पूरे कर लेंगे।

6.12½ म० प०

सरकार द्वारा एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए सीमा शुल्क का सत्यापन और मूल्यांकन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार का विश्व बैंक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर स्विटजरलैंड की एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी को सीमाशुल्क मूल्यांकन का काम सौंपने का प्रस्ताव है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन करता हूं कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है।

2 जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हमारे आयात-निर्यात में न्यून-बीजकांकन और अधिक-बीजकांकन किया जाता हैं। इससे राजस्व और विदेशी मुद्रा की हानि होती है। बीजक में हेरा-फेरी निर्यात के देश में की जाती है। अतः, भारत में बैठे हमारे सीमाशुल्क प्राधिकारियों के लिए इसका पता लगाना एवं इसे प्रमाणित करना प्रायः कठिन हो जाता है।

3. ऐसी व्यावसायिक सेवाएं हैं जो निर्यात के देश में ही इन कदाचारों का पता लगाने में दक्ष हैं। वे यह काम, निर्यात के देश में माल के प्रेषक से पहले माल का पोतलदान-पूर्व निरीक्षण करके करते हैं। एस० जी० एस० लायड रजिस्टर, आदि ऐसी विशेषज्ञ सेवाएं मुहैया कराते हैं।

4. एस० जी० एस० ने अपनी सेवाएं हाल ही में पेश की हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समन्वेषी विचार-विमर्श भी किया। प्रवृत्त प्रणाली का मौके पर ही अध्ययन करने के लिए दो अधिकारियों की एक टीम ने सिंगापुर और इंडोनेशिया का दौरा किया। इस शिष्ट मंडल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

5. महोदय, पोतलदान-पूर्व निरीक्षण का तात्पर्य, जैसाकि इस वाक्यांश से भी स्पष्ट है, भारत में आयात किए जाने के लिए आर्डायत माल के वास्तविक लदान से पूर्व विदेशी पत्तनों में किये जाने वाले निरीक्षण से है। ऐसा निरीक्षण हमारे सीमाशुल्क विभाग द्वारा अथवा उस उद्देश्य के लिए, आज की तारीख में किसी भी भारतीय प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें एस० जी० एस० ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त होने का दावा किया है तथा अपनी सेवाएं पेश की हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कम्पनी ने हमारे सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है वह उनके द्वारा पेश की जाने वाली सेवाओं के पैकेज के रूप में है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वे पेश की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले अपने प्रभारों को बता सकें। इस प्रकार, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए न तो कोई निर्णय ही लिया गया है अथवा न ही कोई वचन दिया गया है।

6. मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एस० जी० एस० के प्रस्ताव के बारे में विश्व बैंक अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सी का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। एस० जी० एस० ने जो कुछ कहा था उससे उनका यह आशय था कि वे सरकार द्वारा आरम्भ किए गए औद्योगिक उदारीकरण सम्बन्धी उपायों से प्रोत्साहित हुए हैं।

7. मैं माननीय सदन को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीमाशुल्क प्राधिकार के अधित्याग का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व-लदान कार्य से केवल न्यून-बीजकांकन और अधिक-बीजकांकन के मामलों की जांच करने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सहायता ही मिलेगी। मैं माननीय सदन को फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी निर्णय किया जायेगा वह देश के सर्वोच्च हितों और माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही लिया जायेगा।

6.15 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: विधायी कार्यों को पूरा करने के बाद हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

अब हम, यह संख्या 40 और 41 को एक साथ लेते हैं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि इस चर्चा हेतु आवंटित किया गया समय चार घंटे का था और लिया गया समय 2 घण्टे तथा 39 मिनट का है। कांग्रेस पार्टी ने एक घण्टे तथा 14 मिनट का समय लिया है; भाजपा ने 12 मिनट लिए हैं; जनता दल द्वारा 28 मिनट का समय लिया गया है; सी० पी० आई० ने 14 मिनट का तथा अन्य छोटी पार्टियों ने छः मिनट, पांच मिनट और लगभग इतनी ही अवधि का

समय लिया है। जैसाकि अन्य विधेयक भी पारित किए जाने है, मैं माननीय सदस्यों से अपनी बात संक्षेप में कहने, विषय को न दोहराने तथा मुख्य विषय पर ही बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री आर० रामास्वामी।

श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी (पेरियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना-द्रमुक भूनेत्र कषगम की ओर से एम० आर० टी० पी० संशोधन विधेयक पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूं।

इस उपाय का समर्थन करते हुए मैं इस पर अपनी कुछ आपत्तियों को भी प्रकट करना चाहता हूं। सरकार का यह कहना ठीक है कि अधिनियम औद्योगिक विकास रोकने के लिए नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि अधिनियम को कुछ विशेष क्षेत्रों में सामान्य हित के लिए बनाया गया था। अधिनियम ने समाज की सेवा अच्छी तरह से की है। यह उन कुछ माध्यमों में से एक था जिसके जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सामान्य अहित के लिए आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में केन्द्रित नहीं है। लेकिन अधिनियम का संविधिक पुस्तिका में 44 वर्षों तक रहने के बावजूद हम अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति वांछित स्तर तक नहीं कर सके।

तदनुसार, यह तर्क देना कि अधिनियम ने कोई वास्तविक कार्य नहीं किया है उल्टे इसने उदारीकरण प्रयासों के मार्ग में बाधा खड़ी की है तो यह बात हास्यास्पद लगती है। विस्तार कार्य, नए उपक्रमों की स्थापना, विलयन, एक करने की प्रक्रिया उपक्रमों को अपने हाथ में लेना तथा निदेशकों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेने की अपेक्षा को समाप्त करने की बात कही गई है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार सरकार की पूर्व मंजूरी औद्योगिक विकास में बाधा बनेगी। यह तो पूर्व मंजूरी देने में होने वाला विलम्ब है जो औद्योगिक विकास को प्रभावित करता है। अतः औद्योगिक कार्यकलापों को शीघ्रता से पूर्व मंजूरी प्रदान करने की बजाए आप पूर्व मंजूरी प्रदान किए जाने की स्वस्थ परम्परा को समाप्त करना चाहते हैं। यह बिल्कुल अजीब-सा लगता है। अतः, मैं सरकार से जोरदार शब्दों में आग्रह करना हूं कि वह इस विशेष उपबन्ध को कायम रखे जो सामान्य हित की सुरक्षा करता है तथा पूर्व मंजूरी प्रदान करने के लिए शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही करता है।

आपको एक समय सीमा विनिर्दिष्ट करनी चाहिए जिसके भीतर सभी मामलों में पूर्व मंजूरी प्रदान की जानी हो। विलम्ब होने की स्थिति में, गड़बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाना चाहिए। यह सेवा की सुरक्षा है जो भ्रष्ट अधिकारियों तथा अकुशल कर्मचारियों को हटाने के मार्ग में रोड़ा है। यह इन्हीं अधिकारियों का समूह है जो सरकार के महान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को छिन्न-भिन्न करने तथा औद्योगिक विकास को बाधित करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। आप भ्रष्ट अफसरशाही के इसी ढांचे को बनाए रखने के साथ लाइसेंस प्रक्रिया का उदारीकरण नहीं कर सकते। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस सुझाव को गम्भीरता से लें।

महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रभुत्व निर्धारित करने के लिए शेयरों तथा चिट फन्ड को शामिल करके 'वस्तु और सेवा' की परिभाषा को विस्तृत करने हेतु की जा रही पहल का स्वागत करता हूं।

महोदय, नई औद्योगिक नीति के रास्ते पर चलते हुए, सरकार उद्योगों पर लगे प्रतिबन्धों तथा

नियन्त्रणों को हटाना चाहती है जिससे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त छूट को भी समाप्त किया जा रहा है जिससे कि इन्हें गैर-सरकारी कम्पनियों के बराबर लाया जा सके।

ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता हूं वह है समाज का कल्याणी सरकार प्रतिबन्धों को समाप्त करने के बाद यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक सत्ता कुछेक लोगों के हाथों में केन्द्रित नहीं है। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सरकार कराधान कानूनों के उपबन्धों को भी साथ-साथ सख्त बनाए। इसके लिए, आपको उन लोगों की काली सूची बनानी होगी जिन्होंने पहले से ही एक निश्चित स्तर तक सम्पत्ति प्राप्त कर ली है तथा जिनके पास नियमित पूंजी की एक निश्चित राशि इकट्ठा हो गई है, और वे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि वे भी उनके स्तर तक आ सकें। अन्यथा, इस उदारीकरण के साथ आप देखेंगे कि नियमित पूंजी इकट्ठा करने वाले बड़े लोग, जो आज समानान्तर अर्थव्यवस्था स्थापित किए हुए हैं, शीघ्र ही समानान्तर सरकार चला रहे होंगे। अतः नियमित क्षेत्र का विकास ऊर्ध्वगामी न होकर, समस्तरीय होना चाहिए। इससे मजदूर वर्ग के पास पसन्द का विकल्प होने और मजदूरी का भुगतान प्रतियोगी दरों पर किए जाने की बात सुनिश्चित हो जाएगी।

एक दूसरा पहलू भी है। आज आप अधिक उत्पादकता तथा अधिक सरकारी उपार्जन के लिए निजीकरण की बात करते है। लेकिन कराधान कानून खामियों से भरा पड़ा है। हमारे सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क विभागों में कदाचार व्याप्त है। मुझे बम्बई, गोआ और दमन में ऐसे सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकारियों के बारे में पता है जो आर्थिक अपराधियों से सांठ-गांठ करते है तथा उन्हें कानून के शिकंजे से बचाते हैं दमन के सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की है। ये गलत संकेत सरकार को राजस्व नहीं लाने जा रहे हैं। जब तक आप, कराधान नियमों में खामियों को प्रभावशाली ढंग से दूर नहीं करते हैं तब तक इस निजीकरण से काले धन की आगे और ही उत्पत्ति सुनिश्चित होगी। उदारीकरण का कार्य तथा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मुहिम साथ-ही-साथ बहुत मजबूती से छेड़ी जानी चाहिए। केवल दो दिन पूर्व ही सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस प्रकार की कई अन्य खामियां हैं जिन्हें हम, संसद सदस्य, तथा गरीब जनता सरकार के ध्यान में लाए हैं। सरकार को उस पर अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए। कराधान कानून सहित संपूर्ण कराधान तंत्र को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, अभी हमारे वित्त मंत्री जी, हमारी सरकार जी और वातावरण बनाने वाले हमारे

[श्री भोगेन्द्र झा]

अखबारों को एक हवा लग गई है कि उदार बात के माने उदारता सिर्फ करोड़पतियों के लिए है। जब हमारे वित्त मंत्री कहते है कि हम सबको खुले मुकाबले के लिए छोड़ देते तो वही बात है कि बाघ बकरी को बराबरी में मुकाबले के लिए छोड़ दीजिए। वैसी ही बराबरी के मुकाबले की ये बात करते है। जब से एकाधिकार पैदा हुआ, वह समाजवादी जगत में पैदा नहीं हुआ बल्कि पूंजीवादी जगत में पैदा हुआ। छोटे पूंजीपतियों और मंझोले पूंजीपतियों का गला दबाकर ही एकाधिकार पैदा हुआ। इसलिए एकाधिकार में बड़ा गुण या दुर्गुण यही है कि वह उत्पादन में बाधक हो। आज बड़े विकसित मुल्कों में, जापान में भूमि-सुधार कड़ाई से लागू हुआ, खुदजोत की खेती का विकास किया गया। बड़े भू-स्वामियों के हाथ से जमीन छीनी गयी। इतना ही नहीं, खेती कराने वालों के हाथ में भी जमीन नहीं रही। पूंजीवादी संसार में जापान ही एक ऐसा देश है जहां 5 एकड़ की हदबन्दी की गयी है, सिर्फ एक टापू में ही 7 एकड़ की हदबन्दी है। उन्होंने सुनियोजित उत्पादन को बढ़ावा दिया, उसके बाद ही एकाधिकार वहां आगे बढ़ा है। जापान जिस तीव्र गति से इस दिशा में आगे बढ़ा, हमारे जैसे देश में एकाधिकार पर लगाम लगाने की जरूरत है, रोक लगाने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, जो विधेयक हमारे सामने लाया गया है, उसमें "कर्ब" शब्द को हटा दिया गया है, भूमि का कर्ब हटा दिया गया है। ये सिर्फ एकाधिकार को रैगुलेट करना चाहते हैं, नियन्त्रित नहीं करेंगे, लगाम भी नहीं लगायेंगे। इसमें एक विशेषता है कि जितना आप इस पर लगाम लगायेंगे, उतना ही छलांग लगाकर यह बढ़ता है।

हमारे समाज में जो साधन हैं, जहां पैसे के आधार पर न्याय बिकता है, मैं यहां रिश्वतखोरी की बात नहीं कहता हूं, अगर 100 फीसदी ईमानदार कोई न्यायालय हो जाये, जो असम्भव है, तब भी न्याय बिकता है। यदि कोई घायल हो जाये, किसी के घर को लूट लिया जाये और कोई कचहरी जाये तो उसे स्टाम्प के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। घर लुटता है तो लुटे, स्टाम्प के लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा, नकल के लिये कर्ज लेना पड़ेगा और वकील के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। यदि उसका मामला कोर्ट में 5-10 साल तक लटकता रहा तो उसके पास जो अन्य सम्पत्ति है, साधन हैं, उसे भी बेचकर स्वाहा करना होगा। क्या यही समाजवाद है। जिस समाज में न्याय बिकता हो, किसी का कितना भी भौंदू बच्चा क्यों न हो, अगर उसके पास पैसा है, तो वह उसे ट्यूशन पढ़ा लेगा, कापियां बदलवाकर नम्बर बढ़वा लेगा, खेल खेलकर, गाव से दिल्ली और दिल्ली से लंदन या वाशिंगटन बच्चे को भिजवा देगा।

वहां से वह बच्चा पतलून पहनकर वापस चला आयेगा और तब हमारे मौलवी पंडित भी कहने लगेंगे कि इसकी तो किस्मत में पहले से ही लिखा है कि बड़ा साहब बनकर रहेगा। दूसरी ओर निर्धन परिवार का बुद्धिमान बच्चा, बुद्धिमति बच्ची हो, यदि उसके मां-बाप ईमानदारी का पेशा करते हैं, दो चार साल में, अपनी मां के जेवरात को बेचकर, बाप के पास जो भी साधन हैं, घर-जमीन को बेचकर, यदि उसका लड़का पढ़ेगा तो उसका नाम काट दिया जायेगा। हमारे यहां ऐसे पण्डित मिल जायेंगे जो कहेंगे कि विद्या की रेखा तो इसके हाथ में चली है परन्तु आगे जाकर कट गयी। यदि सरस्वती माता को हमने रुपये के फाटक में कैदकर दिया, न्याय को रुपये के फाटक में कैद कर दिया, इलाज को

रुपये के फाटक में कैद कर दिया, कितने भी भ्रष्ट हम हों, कितनी भी गन्दी बीमारी हमारे अन्दर हो, बड़े से बड़े डाक्टर को घर में बुलाकर इलाज करा लेंगे। यदि इलाज को खरीदने की ताकत हममें नहीं है, दवा खरीदने की ताकत नहीं है तो बच्चा मरेगा और फिर कहा जायेगा कि इसकी आयु ही इतनी थी, उसकी उम्र ही इतनी थी। ऊपर से बुलावा आ गया। इसलिए जहां हर माल मिलेगा 6 आना, विद्या बिकेगी न्याय बिकेगा, इलाज बिकेगा, मैं यहां संविधान के मुताबिक कह रहा हूं, मैं किसी भ्रष्टाचार की बात अभी नहीं कह रहा हूं। एक तरफ जहां हमारे यहां इजारेदारी है, दूसरी तरफ करोड़ों इंसान हैं। यदि आप कहें कि उन्हें हम बराबरी के मुकाबले के लिए छोड़ देते हैं तो कहां से वह बात आयेगी। फिर उसकी बहस हम इस सदन में करें, बड़ी हैरत की बात है। उसकी चर्चा अखबारों में हो, यह भी हैरत की बात है।

यह कैसा न्याय होगा। एकाधिकारियों को ज्यादा छूट देने का मतलब उनकी पूंजी भले ही बढ़ जाए लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उत्पादन पूंजी बढ़े। वे देश का धन बढ़ाकर धनी बनें हमें एतराज नहीं है। लेकिन वे छोटे उत्पादकों को मारकर धनी बनते हैं। छोटा उत्पादक बड़े का मुकाबला नहीं कर सकता है। जितने बड़े-बड़े उत्पादक होते है वे कुछ माल सस्ता करके छोटे उत्पादक, जिनकी लागत ज्यादा बढ़ेगी, का दिवाला निकालकर अपनी कीमत को दुगना करेंगे। पूंजीवादी संसार में वैसे ही गला काट मुकाबला हुआ है और उसी चीज को हमारे सदन के जरिए हमारी सरकार देश के सामने करने जा रही है कि हम सबको बराबर का मुकाबला दे रहे हैं। यह ठीक है कि बिरला, टाटा को बड़ी छूट दी गई। जहां 5-6 सौ करोड़ की पूंजी 1970-71 में थी अब 7-8 हजार करोड़ की पूंजी हो गई है। कितने प्रतिशत मुनाफे की बात है। कोई हिसाब जोड़ने वाला नहीं है कि यह धन कहां से आया। अगर यह धन बढ़ा तो आपके इस कानून के बावजूद बढ़ा, आप उसमें ढील दे रहे हैं। मुझे शक है कि उनका मुकाबला हमारे लघु उद्योग नहीं कर सकेंगे। वे कुण्ठित हो जाएंगे। निजी क्षेत्र के उद्योग ज्यादा मारे जाएंगे, मरने वालों की संख्या कम नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सरकार को आप आदेश दें। निजी उद्योग के मातहत राजकीय क्षेत्र का कितना पैसा डूबा है, आजादी के बाद से या 10-20 वर्षों से। हम राजकीय क्षेत्र का हिसाब करते हैं, करना गलत नहीं है, सही है, निजी क्षेत्रों ने कितना दिवाला दिया हैं उसका एक बार श्वेत पत्र सदन के सामने पेश किया जाए। निजी क्षेत्र ने बैंकों का कितना पैसा लूटा है। हमारे पैसे से हमारे घर में आग लगे और हम पर ही चोट करें कि राजकीय क्षेत्र निकम्मा है। यह आर्थिक दर्शन कितना खतरनाक हमारे उत्पादन के लिए होगा। निजी क्षेत्र का मुनाफा शान-शौकत के सामान में होगा, वे वही सामान पैदा करेंगे, आवश्यकता का सामान पैदा नहीं करेंगे। इसलिए उसके नियन्त्रण की जरूरत है।

अभी देश में जो होने जा रहा है, निदेश के लिए हमारे वित्त मंत्री, हमारी सरकार दरवाजे खोलने जा रही है। इसी दरवाजे से हमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने गुलाम बनाया था। जो इतिहास में गहराई से जाते हैं वे जानते हैं कि मीर जाफर से जान-बूझकर गुलामी के लिए अंग्रेजों से समझौता किया था।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, आप हिस्ट्री, कामर्स, इकनौमिक्स, सब बोल रहे है। आज बहुत बिल पास करने हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : उसने भी समझा था कि यह व्यापारिक कम्पनी है, व्यापार करती है। अन्त में मीर आफर भी गए और उनका पुत्र मीरन भी गया। दो सौ वर्षों के लिए हम गुलाम बन गये। क्या बिरला, टाटा की ताकत है कि मुकाबला कर सकें। कुछ दिन दलाली में जिन्दा रह सकते हैं। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि समाजवादी जगत में क्या हुआ। जिनको फायदा था वे कालीदास की तरह डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहे हैं। यह उनकी मरजी है कि वे कालीदास बन रहे हैं। मगर हमारे लिए यह दोहरी मुसीबत है। एक समय था जब सुरक्षा के लिए अमरीका गला दबा रहा था। हम मिग लाने के लिए सोवियत गए और मिग का कारखाना उनको मिल गया। जब बोकारो ने इन्कार कर दिया था, हम सोवियत गए बोकारो ले आए, भिलाई ले आए। अब वह भी नहीं है। इसलिए आज जरूरी है कि स्वावलंबन के रास्ते पर ज्यादा जोर दें, अपने इजारेदारों पर लगाम लगाएं। बड़े उद्योग, लघु उद्योग, मझले उद्योग, सबको पूरी शक्ति से, क्षमता से बढ़ावा दें कि हमारे देश में जो भी धन, साधन, मानव शक्ति है, उसके पूरे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एकाधिकार को राजकीय क्षेत्र के मुकाबले में लाकर, राजकीय क्षेत्र को कुण्ठित करने में जो मुझे जानकारी मिली है, समय नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ बता सकूं। मेरे जीवन का अनुभव यह है कि एक ही क्षेत्र में, एक ही वस्तु के उत्पादन में अगर राजकीय क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो तो निजी क्षेत्र बिना उत्पादन के मुनाफा कमायेगा और राजकीय क्षेत्र उत्पादन करके भी घाटा दिखायेगा। वह जिस अधिकारी को दस हजार रुपये महीना देगा, उसको एक करोड़ एक साल में मिलेगा, यहां का माल वहां पहुंच जायेगा और वह पहुंचा भी है, इसकी जांच हुई है। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी में चौथी और पांचवीं लोक सभा में मुझे जाने का मौका मिला है और मैंने ये सब देखा है। अफसर जिनका एक बेटा टाटा के यहां है, एक बेटा बिड़ला के यहां है, उसी के जरिये लगाम करके वे राजकीय क्षेत्र में आते हैं, कौन रक्षा करेगा उसकी, उसका दर्शन आज 85 करोड़ पर सवार हो रहा है। बहुत ही खतरनाक चाल उसने चली है। जो आज खुशी से समझा रहे हैं कि हम उदारवार हो रहे हैं, उससे पीछे पछाड़ने का मौका मिलेगा। देश के उत्पादन को हमने कुण्ठित कर दिया है, उत्पादन शक्ति को कुण्ठित कर दिया और अपने को उनके हाथों बेच दिय दिया है। आप इससे आर्थिक स्थिति की रक्षा नहीं कर सकेंगे। मुनाफे के लिये किसी तरह कुछ दिन जी लेंगे, फिर नहीं बचेंगे।

अध्यक्ष जी, आपके हुक्म को मानते हुए मैं बैठता हूं यही कहकर कि अपने हाथ से अपने घर में आग मत लगाइये। साहस हो तो कुछ और लगाम लगाइये, सदन से विश्वास लीजिये, देश से विश्वास लीजिये। देश की उत्पादक क्षमता का उपयोग थोड़ा भी नहीं हो रहा है। अन्त में आपको धन्यवाद देकर बैठता हूं।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आज मेरे "आधे घंटे की चर्चा" पर डिसकसन है। उसे अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाये क्योंकि सदन के बाहर बहुत मजबूत आश्वासन मुझे मिला है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूरे टाइम के लिए स्थगित हो गई है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : महोदय, जहां तक एक विशेष

टी० वी० स्टेशन के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम एक साथ बैठकर इस पर अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं। सदन का समय क्यों लें ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, हम इसकी सराहना करेंगे।

श्री अजीत पांजा : माननीय सदस्य हमारे पास आ सकते हैं। कतिपय बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं उनका आभारी हूं। **(व्यवधान)** वह अभी तुरन्त बोल सकते हैं, हम पन्द्रह मिनट में इसे समाप्त कर देंगे। जी हां, सन्तोष जी कृपया आइये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय, इस अवसर पर सदन को गुमराह न करने के लिए उन्हें बधाई दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु उत्तर देंगे। श्री चित्त बसु, आपने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है, आप ही को उत्तर देना होगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : ठीक है, परन्तु मंत्री जी ने अपना उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके बाद उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु वह उत्तर देंगे अथवा हस्तक्षेप करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम इन दो मदों को एक साथ ले रहे हैं। अतः आप उत्तर देंगे उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे और मैं इसे सदन में रखूंगा।

श्री चित्त बसु : मंत्री जी द्वारा दिये गये तर्कों का उत्तर देने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री श्री फोनेदार यहां उपस्थित हैं और सेवारत डाक्टरों की शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों के बारे में उन्हें सदन को बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप कोई और मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री चित्त बसु : हम सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं, श्री चित्त बसु।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मद को समाप्त हो जाने दीजिये, उसके बाद देखेंगे, लेकिन कृपया कर इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी भी समय जब चाहें मुद्दा उठा सकते है ? आप कार्यवाही कैसे चलायेंगे ? मैंने आपको उत्तर देने के लिए कहा है। आप उत्तर दे रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री चित्त बसु : उत्तर देने के लिए वह यहां उपस्थित होंगे। यदि वह उत्तर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको नहीं होना चाहिये। हां, श्री कुमारमंगलम।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वह इच्छुक हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार इस तरह कार्यवाही में व्यवधान नहीं होने दूंगा। कभी-कभी ऐसा करना ठीक है। आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये और उसके बाद वह उत्तर देंगे।

(**व्यवधान**)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं अध्यक्ष के अधीन हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपको विश्वास है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप इस तरह मत कीजिये। श्री चित्त बसु, आपने कितना समय ले लिया है? आप जानते हैं पहले ही···

(**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : मैं चाहूंगा कि वह सदन को अवगत करायें और हमें आज ही अभी जानकारी दें। वह हमें बाद में सदन के स्थगित होने से पूर्व बता सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिए नहीं कह रहा हूं, परन्तु यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो बाद में दे सकते हैं। मैं उन्हें कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं, यह उन पर निर्भर है।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा; परन्तु मैं भागने वालों में से नहीं हूं। हमने यहां जो कुछ भी यहां चर्चा की है और हम जो कुछ चर्चा करना चाहते हैं अथवा जो चर्चा कर रहे हैं उसे खुले दिल से करनी चाहिए। जब भी आप कुछ पूछेंगे मैं उनका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दो या तीन बार हमने इस मसले पर चर्चा की है। अतः इस मुद्दे को पुनः उठाना अच्छा नहीं लगता।

श्री चित्त बसु : महोदय, कम से कम वह तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं वक्तव्य नहीं दूंगा, परन्तु मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, एम० आर० टी० पी० (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय 4 घन्टों में से आप 29 मिनट पहले ही ले चुके हैं। कृपया इस बात को ध्यान में रखिये।

श्री चित्त बसु : महोदय, मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अधिकार है परन्तु सीमित। कृपया इसे जल्दी समाप्त करिये।

श्री चित्त बसु : महोदय, संशोधित विधेयक में अब बैंकों और सहकारी समितियों सहित सरकारी वित्तीय संस्थाएं शामिल होंगी। वित्तीय क्षेत्र में इस अधिनियम के विस्तार से देश की वित्तीय प्रणाली में गम्भीर जटिलताएं आयेंगी। उदाहरण के लिए, क्या इस संशोधित अधिनियम से देश की अन्य एजेंसियां जीवन बीमा सेवाओं में प्रवेश हो सकेंगी ? इस समय, जीवन बीमा सेवाएं सरकार के नियंत्रण में हैं, आप कह सकते हैं कि सरकार के एकाधिकार में। मैं इस बारे में अत्यधिक चिन्तित हूं।

महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार अधिनियम के अनुसार सेवा क्षेत्रों में विदेशी एजेंसियों के प्रवेश पर भारत को सहमत होना चाहिए। हमने इसके प्रति दृढ़ स्थिति अपनाई है। परन्तु हमारी स्वदेशी सेवाओं में यदि हम अपनी वित्तीय संस्थाओं में अन्य एजेंसियों को आने दें तो मेरे विचार से इससे हमारी वित्तीय व्यवस्था में गम्भीर जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी। इस मामले में, मैं पुनः दोहराऊंगा कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय विश्व बैंक के दबाव में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश की आड़ में लिया गया है। महोदय, अधिनियम के क्षेत्राधिकार में वित्तीय संस्थाओं को ज्यादा अधिकार देने के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विश्व बैंक की कतिपय रिपोर्टों की ओर दिलाना चाहता हूं।

विश्व बैंक रिपोर्ट ने दर्शाया है कि वित्तीय संस्थाओं ने आपस में सांठ-गांठ करके काम किया जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में स्पर्धा का अभाव रहा। इसलिए हमारे वित्तीय क्षेत्र में अन्य एजेंसियों के प्रवेश की अनुमति के लिए उनके सुझाव पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे हमारी वित्तीय प्रणाली में कुछ गम्भीर उलझनें पैदा हुई। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि यह अधिनियम, संशोधन के पश्चात् अनुचित व्यापार व्यवहार पर प्रकाश डालेगा। इसका उद्देश्य कुछेक व्यक्तियों के पास सम्पत्ति के संग्रहण को रोकने, जो कि मूल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था, के बजाय अनुचित और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। अभिलेख को देखते हुए मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि ऐसे उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से नकारा गया और नजरअन्दाज किया गया था।

इससे पूर्व एम०आर०टी०पी० आयोग प्रतिबन्धित कार्यों और अनुचित व्यापार कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ समुचित कार्यवाही और कभी-कभी दण्डात्मक कार्यवाही भी न कर सका। सदन यह जानने की वैधतापूर्वक मांग कर सकता है कि उन निगमों और उपक्रमों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जो अनुचित व्यापार और व्यवहार और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार में शामिल हैं।

आयोग पर एम० आर० टी० पी० अधिनियम के बढ़े हुए क्षेत्र के साथ आयोग को और अधिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब यह सुनिश्चित करना है कि उद्यम जनहित की हानि के लिए कार्य न करे और अनुचित व्यापार कार्यों को रोकने की कार्यवाही करते हुए अपने को कार्य में लगाए।

संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० आयोग को चाहिए कि वह टेलिफोन, रेल इत्यादि सेवाओं सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान दे। यह हमारा अनुभव है कि एम० आर० टी० पी० आयोग जैसाकि वह आज गठित है, इस प्रकार के बढ़े हुए कार्य को सम्पादित कर पाने में सक्षम नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना

[श्री चित्त बसु]

चाहता हूं कि क्या वे इस संशोधित अधिनियम द्वारा प्रदत्त नई भूमिका के निभाने हेतु एम०आर०टी० पी० आयोग को पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। जब तक वे इन मुद्दों पर आश्वासन नहीं देंगे एवं उन्हें स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि वे सदन के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि वे हमारे द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय विधि मंत्री अस्वस्थ हैं और वे चले गये हैं। मैं आशा करता हूं श्री कुमारमंगलम उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं उनकी इस दृष्टिकोण से सराहना करता हूं कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर आदर्शों और धारणाओं पर अपना मन्तव्य व्यक्त किया है।

परन्तु मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि स्पर्धा मात्र पूंजीवादी समाज से सम्बन्धित है। स्पर्धा और स्वस्थ स्पर्धा वह मूल्य है जिसकी किसी भी समाज, जो बढ़ना और समृद्ध होना चाहता है, को आवश्यकता है। यहां तक कि समाजवादी देश पहले भी, और अब भी इसमें विश्वास करते हैं। इस समय मैं आदर्शवाद के वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं। मेरी समझ से यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है।

परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनसे इस वास्तविकता पर असहमत नहीं हूं कि सरकारी क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है और आगे भी देता रहेगा। उसकी ऊंची उपलब्धियों को किसी तरह कम नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र को अधिक अर्थक्षम और मजबूत बनाना चाहते है। हमारा विश्वास है और महसूस करते हैं कि हमें उन मामलों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे सरकारी मोर्चे पर प्रभाव नहीं डाल पाता था और न ही जहां सरकारी क्षेत्र विभिन्न कारणों से वैसा प्रभाव डालने में वास्तव में समर्थ नहीं है, जैसाकि आर्थिक मोर्चे पर उसका प्रभाव होना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : चालीस लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा हैं। हम किन्हीं मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तार के लिए निधि प्राप्त करने का भरसक यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में जब हम निवेश की गई पूंजी को बाहर निकालने या अतिरिक्त निधि संग्रहण की बात करेंगे तो वह निजीकरण नहीं है। हमें उस पर सही दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। आपको किसी बर्तन को अर्धरिक्त या अर्धपूर्ण देखना चाहिए। यदि आप सिर्फ अर्धरिक्त को ही देखना चाहते है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको नई बात बतानी चाहिए न कि पुरानी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : दुर्भाग्य से आप पुरानी आदर्शवादी धारणाओं से प्रभावित हैं। मैं सिर्फ एक पहलू की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें तर्क दिया जाता है कि हमें भारत में आपकी कम्पनियों की स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। तो हम अपनी कम्पनियों की प्रगति से इन्कार क्यों करें? जब हम आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की बात करते हैं तो क्या हम स्वत: ही आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं? हम इसे सम्पत्ति कर के माध्यम से करेंगे। सम्पत्ति से सम्बन्धित कानून हैं जिन्हें इसी कार्य के लिए बनाना चाहिए। एकाधिकार निर्बन्धकारी व्यापार व्यवहार का उपयोग क्यों करें, यह निर्बन्धकारी व्यापार व्यवहार के लिए है, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए है। इसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए यह था। इसीलिए यह कभी भी प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य न कर सका। यदि आप वास्तव में स्वत: ही आर्थिक केन्द्रीकरण कम करना चाहते हैं तो सम्पत्ति से सम्बन्धित नये कानून लायें। ऐसा न कहें कि हम उनकी सिफारिशें मानने हेतु एकाधिकार जांच आयोग के एक अंग के रूप में इसे ला रहे हैं। कृपया रिपोर्ट को देखें। रिपोर्ट सुस्पष्टतया स्पष्ट रूप से यह कहती है कि आर्थिक शक्ति का स्वत: केन्द्रीकरण गलत नहीं है। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण आम आदमी को हानि पहुंचाकर करना गलत है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री गोरबाचोब ने लेनिन और जवाहरलाल नेहरू की स्थिति समाप्त कर दी है। आप नेहरू का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप श्री गोरबचोब की बात क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानता कि क्या श्री गोरबाचोब एम० आर० टी० पी० से सम्बन्धित है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वित्तीय संस्थाओं सहित सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं पर अधिनियम को लागू करके किसी भी तरह जीवन बीमा के क्षेत्र अन्य संस्थाओं के बढ़ने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, जैसाकि माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने उल्लेख किया है। जीवन बीमा पर एक कानून है जो इससे सम्बन्धित है कि कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं। हमने मात्र यह किया है कि जनहित वाली सभी कम्पनियों को इस कानून के अन्तर्गत लाये हैं। केवल उनको छोड़ा है जो आणविक ऊर्जा, कक्षा आदि विशिष्ट क्षेत्र में आते है, जहां हमने कहा है कि आप एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार से बंधे होंगे, हम अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और अनुचित व्यापार व्यवहार को अनुमति नहीं देंगे। उनको इस कानून के अन्तर्गत लाकर हमने उनके हितों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ, हम इस आरोप को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र केवल इसलिए सफल है क्योंकि यह एकाधिकारी है। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि एकाधिकारी नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह न कहें कि आपने कभी भी विश्वास नहीं किया। आपने अपने विश्वास को बदल दिया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने यह कभी नहीं कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र एकाधिकारी है। मैं यह फिर कहता हूं कि हमने कभी यह नहीं कहा कि यह एकाधिकारी है। हमने यह कहा कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां इसे कार्य करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपना विचार बदल दिया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आखिरकार परिवर्तन जीवन का आधार है। प्रगतिरोध के कारण मनुष्य मृत्यु की ओर जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रत्येक दो सैकेंड में बदल रहे हैं।

मुझे विश्वास है आपको खुशी होगी कि यदि इस समय मैं अपना भाषण प्रारम्भ करता हूं, तो यह एक लम्बी वैचारिक बहस होगी। आपके पास इसे सुनने के लिए समय नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात की सराहना करता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं अपनी बात को यथासम्भव संक्षिप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को सुदृढ़ करने की बात हम निश्चय ही ध्यान में रखेंगे ? वह हमारे दिमाग में सबसे आगे है। हम यह देखेंगे कि यह अब कैसे कार्य करता है, और आज नये कानून के साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अपना कार्य कैसे करता है।

श्री खिस बसु : इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें तो यह अधिनियम भी याद नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग दण्ड नहीं द सकता। अभी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को केवल अपने आदेशों का पालन न किये जाने पर अवमानना की शक्ति प्रदान की गई है। आपको कानून के बारे में जानना चाहिये। वे समझते हैं कि कानून सभी बुराइयों की अचूक दवा है। ऐसा नहीं है। यह एक साधारण कानून है जो एकाधिकारी और अवरोधक अनुचित व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में है। वे ऐसा समझते हैं जैसे यह सभी बुराइयों की अचूक दवा हो। मैं ठीक इसके विरुद्ध हूं। हमें कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि हम कागजी शेर हैं। उत्तर यह नहीं है। हम न तो शेर हैं और न ही कागजी शेर और न ही कागज का एक टुकड़ा। मैं यह बता दूं कि हम निश्चय ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को सुदृढ़ करेंगे और हम उस दिशा में जायेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आर० सी० दत्त आयोग ने एकाधिकार घरानों के अस्तित्व के प्रश्न की जांच की थी। यह संशोधन किसी भी एकाधिकार घरानों के अस्तित्व की पहचान न करने के सम्बन्ध में है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : माफ कीजियेगा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं (व्यवधान) क्या आप

मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ? आप शोर नहीं कर सकते। सोवियत विश्व और अन्य समाजवादी देशों में जो कुछ हुआ है, वह वरिष्ठ समाजवादी नेताओं द्वारा युवाओं की आवाज दबाने के इस दृष्टिकोण के कारण ही हुआ है। वही एकमात्र कारण है। मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण यह है कि एकाधिकार जांच आयोग रिपोर्ट के दो भाग हैं। एक बहुमत का भाग है और दूसरा एकल सदस्य अल्पमत आयोग की रिपोर्ट अर्थात आर० सी० दत्त आयोग की रिपोर्ट है। यह अलग कोई रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट का ही भाग हैं। यह एक भिन्न मत है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसे निश्चय ही एकाधिकार जांच आयोग रिपोर्ट के क्षेत्र के अन्तर्गत रखा है। हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार को यह देखने के लिए सुदृढ़ करेंगे कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम वास्तव में क्रियान्वित हो गया है।

इसलिए क्या मैं सभा से यह सिफारिश कर सकता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 1991 को उद्घोषित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 8) का निरनुमोदन करती है।"

जो पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से विपक्ष में अधिक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पक्ष में अधिक है।

6.57 म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घा को खाली किया जाये।

7.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। अब मैं श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 1991 को उद्घोषित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 8) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 5] [समय 7.04 म० प०

डा० असीम बाला
श्री उद्धव बर्मन
श्री चित्त बसु
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री सुधीर गिरि
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री भोगेन्द्र झा
श्री सुझेन्दु खां
श्री सुव्रत मुखर्जी
श्री अजय मुखोपाध्याय
श्री राम विलास पासवान
श्री शिवाजी पटनायक
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
श्री वीरेन्द्र सिंह

विपक्ष में

मत विभाजन संख्या 5] [समय.....

अम्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेरे)
इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इस्लाम, श्री नुरूल (धबरी)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरूणाचल पूर्व)

करेंडुला, कमला कुमारी (भद्राचलम)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

कालियापेरुमल, श्री पी० पी० (कुड्डालोर)

कुडुमुला, कुमारी पदमश्री (नेल्लोर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्डिवाश)

कृष्णणेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)

केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

खां, श्री अय्यूब (झुन्झुनू)

गंगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)

चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

जनार्दनन, श्री एम० आर० (तिरूनेलवेली)

जवाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठाकुर, महेन्द कुमार सिंह (खंडवा)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)
थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
देव, श्री सन्तोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)
देवड़ा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)
डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पांजा, श्री अजीत कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाणिग्रही, श्री बल्लभ (देवगढ़)
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजानगर)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान निकोबार)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)
मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)

राम सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री जे० चोक्का (करीम नगर)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री मुहासमुदम ज्ञानेन्द्र (चित्तूर)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (वुलढाना)

विजयराघवन, श्री बी० एस० (पालघाट)

व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी (डिन्डिगुल)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री दलबीर (शाहडोल)

सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सोड़ी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

सौंद्रम, डा० (श्रीमति) के० एस० (तिरुचेंगोड़)

स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 017

विपक्ष में : 085

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भा०ज०पा० ने मतदान में भाग न लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ अपने हाथ मिला लिए हैं। भा० ज० पा० तथा कांग्रेस पार्टी के बीच कोई संधि है जिसके कारण देश बिक रहा है। इस देश के सभी मूलभूत सिद्धान्तों को त्याग दिया गया है। हम अब इस देश के सिद्धान्तों की हत्या में और ज्यादा भागीदार नहीं होना चाहते हैं।

7.04 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन सदन की सहमति से वापस ले लिया गया

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विचाराधीन प्रस्ताव को सदन में मतदान हेतु पेश करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 तथा कम्पनी अधिनियम 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत विपक्ष में दिया। सर्वश्री रमेश चेन्नित्तला, फ्रैंक एनथनी, सुधीर सावन्त और आर० जी० विलियम्स ।

अध्यक्ष महोदय : अब, सदन विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। मैं नहीं समझता कि इन खण्डों के संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव पेश किये गये हैं। अत: मैं अब सदन में मतदान हेतु इन्हें रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 30 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.06 म० प०

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1991 पर विचार करने तथा पारित करने के प्रस्तावों पर लागू करने के मामले में उतना निलम्बित करती है जितना कि यह संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 पर निर्भर हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1991 पर विचार करने तथा पारित करने के प्रस्तावों पर लागू करने के मामले में उतना निलम्बित करती है जितना कि यह संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 पर निर्भर हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.07 म० प०

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद् से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 के उपबन्धों के अनुसार वर्तमान विधेयक में सभा द्वारा अनुमोदित संविधान के संशोधनों को प्रभावी बनाने की व्यवस्था है। इस विधेयक के सभी उपबन्ध संविधान में किये गये संशोधनों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों और आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों को प्रभावी बनाने अथवा उनकी अनुपूर्ति के लिए हैं।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक का इस अवस्था में, विस्तार से ब्यौरा देकर मैं माननीय सदस्यों को परेशानी में डालूं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की सम्मानित सभा में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत है :

"कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद् से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव में विचार के लिए एक संशोधन है। श्री मोहन सिंह उपस्थित नहीं हैं। श्री मनोरंजन भक्त।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद् से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 15 सदस्य होंगे, 10 सदस्य इस सभा से होंगे, अर्थात्—

(1) श्री एब्राहिम चार्ल्स

(2) श्री दिग्विजय सिंह

(3) श्री श्रीकान्त जेना

(4) प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन

(5) श्री हन्नान मोल्लाह

(6) श्री विलास मुत्तेमवार

(7) श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही

(8) श्री रामलाल राही

(9) श्री पी० एम० सईद

(10) श्री मनोरंजन भक्त

और राज्य सभा के 5 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ।

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन रूप-भेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसाकि अध्यक्ष कहे;

और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, काफी समय और संघर्ष के बाद दिल्ली को एक निर्वाचित ढांचा मिल रहा है। दिल्ली वासियों के जो प्रजातांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे वे पुनः बहाल हो रहे हैं । उसके लिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं। परन्तु इस बिल का समर्थन आधे मन से कर रहे हैं । क्योंकि इस प्रस्तावित ढांचे को जो सीमित अधिकार दिए जा रहे है और एक लूली-लंगड़ी असेम्बली दी जा रही है जिस पर अनेक बन्धन, बेड़ियां डाल दी गई हैं, वे दिल्ली वालों की आशाओं और आकांक्षाओं को कितना पूरा कर पायेंगी इस बारे में हमें अनेक शंकायें हैं। अगर मैं एक एक वाक्य में कहूं तो इस बिल का हम समर्थन अण्डर प्रोटेस्ट और आधे मन से कर रहे हैं । पिछली बार दिल्ली के महानगर परिषद और नगर निगम के चुनाव 5 फरवरी, 1983 को हुए थे । कार्पोरेशन के लिए चार साल और महानगर परिषद के लिए पांच साल का समय था । फरवरी 1987 में जो नगर निगम के चुनाव होने थे वे एक वर्ष इसलिए यह कहकर टाल दिए गए कि महानगर परिषद और नगर निगम के चुनाव इकट्ठे करायेंगे । लेकिन उसके बाद एक साल के बाद जबकि मेघालय और दिल्ली के चुनावों की घोषणा को पांच दिन रह गए थे। उस समय यह घोषणा की गयी थी कि दिल्ली के अन्दर उसके भावी ढांचे को तय करने के लिए एक सरकारी कमेटी गठित की जाएगी परन्तु उन चुनावों को टाला गया । पहले यह कहा गया कि 6 महीने के अन्दर दिल्ली का नया ढांचा दे दिया जाएगा । उसके बाद दो साल तक कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी। यह सरकार चली गयी और नई सरकार आई श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार । उस समय कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में पेश की गयी । तब वी० पी० सिंह ने उस समय हमें यह आश्वासन दिया कि हम दिल्ली को स्टेटहुड देंगे लेकिन नहीं दिया । इसलिए हम कहा करते हैं कि कांग्रेस के शासन ने तो दिल्ली के साथ विश्वासघात किया, वी० पी० सिंह की सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया ।

अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में अफसरशाही का राज है। दिल्ली की हालत बद से बदतर हो रही

[श्री मदन लाल खुराना]

है। उसका कारण यह है कि जो अफसरशाही दिल्ली में राज करती है, वह दिल्ली के प्रति जवाबदेह नहीं है, दिल्ली से उनका कोई लगाव नहीं है, जो दिल्ली की ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स नहीं जानते हैं, वे दिल्ली पर राज कर रहे हैं। दिल्ली आज लावारिस है, उसका कोई मां-बाप नहीं है। दिल्ली अपना दुख-दर्द किससे कहे ? अपनी समस्या किस को बताये क्योंकि इसका कोई ढांचा नहीं है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वर्ष 1992-93 का जो पांच साल का बजट प्रस्तावित है वह 9034.36 करोड़ रुपया है। उसमें से केवल 2596.03 करोड़ रुपया अर्थात् 28 फीसदी नई योजना पर खर्च होगा, बाकी 72 प्रतिशत दिल्ली की पिछली योजनायें जो पूरी नहीं हुई हैं उन पर होगा। अगले साल का जो बजट 1992-93 का प्रस्तावित बजट है वह 1259.18 करोड़ रु०

7.13 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

में से केवल 138.23 करोड़ अर्थात 11 फीसदी नए साल की नई योजनाओं पर खर्च होगा और बाकी रुपया पैंडिंग स्कीम पर होगा।

उपाध्यक्ष जी, तीन वर्ष पूर्व दिल्ली में 5500 बसें डी० टी० सी० और प्राईवेट मिलाकर थीं जो आज 48-49 सौ रह गयी हैं। इस प्रकार 700 बसें कम हो गई हैं।

एक माननीय सदस्य : डी० टी० सी० को कितना लास हुआ है ?

श्री मदन लाल खुराना : उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप हैं आप।

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : बम्बई में तो आपको यात्रा करा सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं बम्बई की बात नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि गत तीन साल में दिल्ली की आबादी 15 लाख और बढ़ गई लेकिन बसें 700 कम हो गयीं और आज सड़कों पर सर्टिफाईड बसों की संख्या और कम है। अब तीन हजार नई बसें दिल्ली के लिए दिए जाने के लिए चार माह पूर्व श्री टाईटलर साहब ने घोषणा की थी लेकिन वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यदि ये तीन हजार बसें आ भी गयीं तो दिल्ली के ट्रैफिक का क्या हाल होगा और उसके लिए एक योजना बनी थी—रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम—जो होना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ है। इस सिस्टम के न होने से दिल्ली का भला नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह योजना 1949 में चली थी। इसके बारे में यह खर्चा 15 करोड़ रुपया होता, आज पांच हजार करोड़ होगा।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : उन्हें आंकड़ों की जांच करने दो (व्यवधान) मैं आपके सपनों के विरुद्ध नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप दिल्ली के बारे में जानते नहीं हैं तो बैठ जाइए।

श्री मुरली देवरा : आप सपना देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन फिगर तो सही दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की हालत इनको मालूम नहीं है । ये बम्बई के एयर-कन्डीशंड कमरों में बैठकर दिल्ली की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि आज दिल्ली पर वही राज करते हैं जिनको दिल्ली का एबीसी तक मालूम नहीं है । **(व्यवधान)**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप बोलते वक्त ऊपर क्यों देखते हैं ? सामने देखकर बोलिए, हमारी तरफ देखें ।

श्री मदन लाल खुराना : आपकी शक्ल इतनी बढ़िया है कि···**(व्यवधान)**···अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि 8वीं योजना के अन्दर दिल्ली में मैट्रो रेलवे के लिए 5000 करोड़ रुपए की योजना है, 5वीं योजना के अन्दर केवल 200 करोड रुपए रखा गया और वह भी कहा गया है कि लैंड खरीदेंगे अभी 5 साल में लैंड खरीदना है, उसके बाद 000 से बढ़कर 10000 करोड़ रुपया होगा । कलकत्ता के अन्दर जहां पर राज्य था, 67 में शुरू हुई और आधी से ज्यादा बनकर लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अन्दर क्योंकि यह बेचारी दिल्ली लावारिस है, इसका माई-बाप नहीं है, यहां पर अभी योजनायें बन रही हैं । यहां पर अभी केवल सर्वे किया जा रहा है, यह मेरा कहना है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सन 2000 तक देश में पूर्ण रोजगार देंगे । लेकिन दिल्ली के अफसरशाहियों ने क्या किया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक करोड़ रुपया रखा है । 91-92 के बजट में 1 करोड़ रुपए में से पिछले 8 महीनों में एक पैसा खर्च नहीं हुआ । सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सन 2000 तक हम देश में पूर्ण रोजगार कर देंगे, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने एक करोड़ रुपया रखा है रोजगार के अवसर दिलाने के लिए और आठ महीनों में एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ है । मकान बनाने की हालत यह है कि डी० डी० ए० टोटल फेलियर हुआ है । खुद उनका कहना है कि 5-6 लाख मकानों की कमी है । पिछले साल केवल 8000 बने, इस साल एक भी नहीं बना है । उसका कारण, उसका परिणाम यह हो रहा है कि दिल्ली के अन्दर अनाधराइज्ड कलोनियां और झुग्गी-झोंपड़ियां बस रही हैं । पानी की हालत यह है कि कच्चा पानी कहां से आ रहा है, किसी ने समझौता नहीं किया । अगर दिल्ली की हालत यही रही तो अगले एक दो सालों में दिल्ली में पानी का राशन होने वाला है । बिजली की हमारी डिमाण्ड 1437 मैगावाट की है, पूर्ति 1310 मैगावाट की हुई और 127 मेगावाट की कमी हैं । 1997 तक ये टोटल डिमाण्ड 2532 मैगावाट होगी, कोई इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है ।

अध्यक्ष जी, सीवर की हालत दिल्ली में यह है कि आज दिल्ली में रहने वाले लोग 60 प्रतिशत बिना सीवर के रह रहे हैं । इस समय 675 झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर हैं जहां पर 15 लाख लोग रहते हैं, एक भी सफाई कर्मचारी वहां नहीं है । आज दिल्ली की आबादी 95 लाख है, उसमें से 70 लाख लोग दिल्ली में सब स्टेण्डर्ड एरिया में रह रहे हैं । ये सरकारी आंकड़े हैं, चाहे वह झुग्गी झोंपड़ी, पुनर्वास बस्तियां, शहरीकृत गांव, अनाधराइज्ड कालोनियां स्लम एरियाज ये सब मिलाकर आज राजधानी की दो दिल्ली हैं । एक पार्लियामेंट के आसपास का कनाट प्लेस है और एक यमुना पार, पश्चिम दिल्ली, यहां पर दूसरी दिल्ली है । मेरे पास 300 से ज्यादा नाम हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि जो 200 नाम दिये हैं होम मिनिस्टर ने, उसमें 300 से ज्यादा लोग मुरा से मरे हैं, 50 से ज्यादा अन्धे हुए हैं वे उसकी चर्चा नहीं करते । कोई ऐसा मंच नहीं था कि हम दिल्ली की समस्याओं को लेजाकर वहां रखें । अध्यक्ष जी, मैं और उदाहरण नहीं देना चाहता था लेकिन आज एक सूत्र कहना चाहता हूं दिल्ली के बारे

[श्री मदन लाल खुराना]

में कि दिल्ली को एक यूनीफाइड अथारिटी चाहिये थी, एक शक्तिशाली बाडी इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिये। दिल्लीवासी ऐसे ढांचे की कल्पना कर रहे थे जो शक्तिशाली प्रभावी और यूनीफाइड अथारिटी होती, उसका दिल्लीवासी सपना देख रहे थे। दिल्लीवासी उसके सपने देख रहे थे परन्तु इस प्रस्तावित बिल ने उन सपनों को तोड़ा है, यह मैं कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि यहां मल्टीप्लीसिटी आफ ओथोरिथी हैं—डी० डी० ए० है, डी० टी० सी० है, डी० एम० एस० है और अन्य कई महकमे हैं। सभी दिल्ली में हैं लेकिन दिल्ली के लोग उनमें से किसी के जवाबदेह नहीं हैं। समस्या भले ही डी० टी० सी० की हो लेकिन उसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हल करेगी और टाईटलर साहब दिल्ली वालों से बात नहीं करेंगे। डी० एम० एस० में घाटा हो रहा है लेकिन दिल्ली वाले उसे भुगत रहे हैं। सरकार किसी दिल्ली वाले से उसके बारे में बात नहीं करेगी।

सरकारिया कमेटी ने दिल्ली के बारे में जो सिफारिशें की हैं, उसमें जलमल अधिकरण, बिजली बोर्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, आदि स्वायत्त बोर्ड बनाकर, इलेक्ट्रिक मैम्बर्स के हाथ से निकालने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इन सब के बारे में यह बिल साइलैंट है। यह पता नहीं है कि ये बोर्ड किस के अन्डर में बनेंगे। दिल्ली की प्राब्लम्स की जवाबदेही किस की होगी। दिल्ली की जितनी समस्यायें हैं, उनको हल करने के लिये, कौन सामने आयेगा। क्या उन्हें दिल्ली की असैम्बली में हल किया जायेगा या नहीं किया जायेगा, इस बारे में आपका बिल साइलैंट है।

मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 में जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बना था, उस समय वाई० बी० चव्हाण साहब ने यहां आश्वासन दिया था। यहां बहुत सी चीजें उस बिल में भी नहीं थीं लेकिन उस समय कहा गया था कि दिल्ली की मैट्रोपोलिटन कौंसिल को असैम्बली के एट-पार लाया जायेगा और कई चीजों में लाया भी गया, जैसे चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में हमें बुलाया जाता था, चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में दिल्ली के एक्जीक्यूटिव कौंसलर को बुलाया जाता था। उसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चीजों के बारे में, वर्तमान होम मिनिस्टर साहब भी कुछ घोषणाएं यहां करें, कुछ सदन में आश्वासन दें। उन चीजों के बारे में चूंकि हमें आशंकायें बढ़ रही हैं और आपने कहा है कि सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जायेगा, उस सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सब संस्थानों के बोर्ड बनेंगे, स्वायत्त शासन जिनका सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। उनको लेकर हमारे मन में काफी आशंकायें हैं। मैं चाहूंगा कि उन आशंकाओं के संबंध में, आप अपने भाषण में स्पष्टीकरण करें। दिल्लीवासियों को आश्वासन आप दें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

अब मैं इस बिल पर आना चाहता हूं जिसमें मुझे कई कमियां दिखाई दे रही हैं। पहली कमी है कि यहां का ला एण्ड आर्डर, पुलिस, भूमि सम्बन्धी कई अधिकार, दिल्ली संघराज्य से सम्बन्धित प्रस्तावित बिल में स्पष्ट नहीं किये गये है। यह एक लम्बी बहस हो सकती है, जिसमें मैं यहां पड़ना नहीं चाहता लेकिन आप कम से कम यह तो करिये कि जो दिल्ली का इलैक्टिड लीडर होगा, जो चुना हुआ मुख्यमन्त्री होगा, ला एण्ड आर्डर दिल्ली की मुख्य समस्या है, और जैसा मैंने आपको उदाहरण भी दिया, सुरा से लोग दिल्ली में मरे लेकिन उसके सम्बन्ध में फैसला कौन करेगा। जब यहां के लोग हाहाकार करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जो यहां का इलैक्टिड हैड होगा, चीफ मिनिस्टर होगा कि उनकी समस्या को सुनकर फैसला करे लेकिन उसके हाथ में यदि अधिकार नहीं होगा तो वह कोई

कार्यवाही नहीं कर पायेगा । उसके अण्डर यह महकमा नहीं होगा तो कैसे वह यहां की समस्याओं का हल निकल पायेगा।

दूसरी समस्या भूमि के बारे में आयेगी। आखिर दिल्ली की धरती पर यह कैसी असेम्बली बनने जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अन्य विषयों के बारे में भी आप स्पष्ट करें। दिल्ली के एल० जी० और दिल्ली की केबिनेट के बीच, किसी समस्या को लेकर यदि मतभेद हो जाता है, तो फाईनल फैसले के लिए वह मामला केन्द्रीय सरकार के पास जायेगा। इस दौरान, लैफ्टीनैंट गवर्नर का जो निर्णय होगा क्या वह लागू होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। मेरा कहना है कि कई व्यवस्थायें इसमें ठीक नहीं हैं।

मेरा पहला निवेदन है कि उन मामलों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार, जो राज्य के अन्तर्गत आते हैं, यहां के मन्त्रिमण्डल को दिया जाना चाहिये। उस मामले में यदि कोई बात कहनी है तो मिनिस्टर कहें और जब तक वे मिनिस्टर न हों, तब तक चीफ मिनिस्टर की बात को माना जाना चाहिये, जो दिल्ली का रहनुमा होगा, दिल्ली का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। इन सारी चीजों की व्यवस्था आप डेमोक्रेटिक तरीके से करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

तीसरे, मुझे बिल के बारे में यह ऐतराज है कि प्रस्तावित विधान सभा को राज्य सूची में कुछ विषयों पर एन० जी० ओज० पर कानून बनाने का अधिकार तो है लेकिन वे विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी हैं और केन्द्र सरकार भी उनके सम्बन्ध में कानून बना सकती है। जो केन्द्र सरकार करेगी वही कानून लागू होगा। दिल्ली वाले अगर अपने भाग्य का निर्णय करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। यह भी अनडैमोक्रेटिक है। इसका मतलब है कि आपको दिल्ली वालों पर विश्वास नहीं है।

राष्ट्रपति को अधिकार है कि दिल्ली की मन्त्रिपरिषद को निर्देश दे सकते हैं, यह इस प्रस्तावित बिल में है। दिल्ली का केबिनेट मानने को बाध्य होगा। कोई भी केन्द्रीय मन्त्री, जैसे हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, उनके पहले श्री पायलट थे, उन्होंने निर्देश दिया था कि हम तीन हजार बसें लगायेंगे लेकिन उस समय आप ही के श्री जगप्रवेश चन्द्र के नेतृत्व में रिफयूज हो गया। मेरा कहना है कि इस तरह से कोई भी मिनिस्टर राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है इसलिए अपनी राय देकर कोई भी मन्त्री दिल्ली राज्य पर अपना आर्डर कर सकता है जो उचित नहीं है। इसलिए इस प्रावधान को भी समाप्त किया जाये।

बजट सम्बन्धी अधिकार केन्द्र सरकार के पास रहें। विधान सभा में कोई भी विधेयक, जिसमें वित्तीय उपबंध होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश के बिना पास नहीं किया जा सकता है। कोई भी बिल लायेंगे उसमें कोई न कोई कमी तो होगी। इसलिन दिल्ली के लगभग हर बिल पर पहले लैफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद पास कर सकते हैं। यह ठीक नहीं है क्योंकि फाइनल मंजूरी राष्ट्रपति की है। हमें इस पर भी आपत्ति है।

राष्ट्रपति मुख्यमन्त्री को नियुक्त करेंगे, इस तरह की भाषा क्यों लिखी गई है। आपने जो वाक्य लिखा है वह मन में संदेह पैदा करता है। इसलिए यह लिखिए कि बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा जैसाकि अन्य राज्यों में है। ऐसा हो चुका है। जब मेट्रोपोलीटन काऊंसिल बनी थी तो किसी और को काऊंसिल बनाया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप समझकर बोल रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : जी, हां।

श्री एस० बी० चव्हाण : तब ठीक है।

श्री मदन लाल खुराना : आपको बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।...(**व्यवधान**) असैम्बली भंग करने का उस दिन की बैठक में आपने स्वीकार किया। उसमें तीन वर्ष के लिए कहा गया लेकिन अभी संशोधन दिया है उसमें यह है कि पिछले साल के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अगले दो वर्षों के लिए पार्लियामेंट में आना चाहिए। साल-साल के बजाए छः-छः महीने करके दो साल करेंगे तो बैटर रहेगा।

अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाता तो असैम्बली का बिल दिल्लीवासियों की समस्या को हल करने में और कारगर और प्रभावी होता परन्तु आज चूंकि दिल्ली में कोई निर्वाचित ढांचा नहीं है। अफसरशाही का राज है। अतः आज हमारी प्राथमिकता दिल्ली के चुनाव हैं। दिल्ली के चुनाव शीघ्र हों ताकि दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्लीवासियों की समस्यायें हल कर सकें। इस उद्देश्य से हम अनेक कमियों वाली इस अधिकारहीन और लूली-लंगड़ी असेम्बली के बिल का समर्थन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अभी भी पूर्ण राज्य के दर्जे वाली स्टेटहुड से है जिस छाते के अन्दर सभी विभाग आयें और दिल्ली-वासी अपनी समस्याओं के हल के लिए स्वयं फैसला कर सकें। जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तब तक हम इस बिल का स्वीकार कर दिल्लीवासियों के छीने गये जन-तांत्रिक अधिकारों की बहाली वाले इस बिल का का समर्थन करते हैं। इसे आज ही पारित कर दिल्ली में 6 माह के अन्दर चुनाव कराने के वायदे को सरकार पूरा करे।

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन दिल्ली के लोगों के लिये एक ऐतिहासिक दिन है। अभी चन्द घंटे पहले हमने संविधान में संशोधन करके दिल्ली का विधान सभा मंत्रिपरिषद के साथ देने का जो फैसला किया है, मैं ही नहीं, सारी दिल्ली के लोग जिन की बहुत पुरानी यह मांग थी, आदरणीय प्रधानमन्त्री जी को और कांग्रेस को न सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं, बल्कि इसके फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कांग्रेस और प्रधानमन्त्री अलग-अलग हैं। (**व्यवधान**)

श्री सज्जन कुमार : मुझे याद आ रहा है 1952 में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने दिल्ली को विधान सभा दी थी और मंत्रिपरिषद के साथ दी थी। उस समय इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उस समय जनसंघ के नाम से जाने जाते थे, इसी हाउस में आज जो विधान सभा की बात कर रहे हैं, उस वक्त विधान सभा को सफेद हाथी कहा था। यह बात रिकार्ड में मौजूद है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद आज पी० वी० नरसिंह राव की सरकार ने 1952 के बाद आज 1991 में हमें विधान सभा मंत्रिपरिषद के साथ देकर न सिर्फ कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को पूरा किया है बल्कि 1988 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने...(**व्यवधान**)...आप दो मिनट तसल्ली तो करो। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को बदलने का जो स्वप्न देखा था उसे पूरा किया है। विधान सभा को भंग करके महानगर परिषद इस उम्मीद के साथ बनाया था कि वह परिषद दिल्ली के लोगों की आशाओं को पूरा करेगी, लेकिन जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस बात को देखा कि महानगर परिषद दिल्ली के लोगों की सेवा पूरी नहीं कर पा रही है तो उन्होंने उसी वक्त एक कमेटी नियुक्त कर दी और सोचा कि हम दिल्ली के लोगों को कोई ढांचा देंगे। आज दिल्ली को विधान सभा देकर कांग्रेस ने सिर्फ दिल्ली के लोगों की ही आशायें ही पूरी तथा और कारगर नहीं की, सिर्फ चुनाव घोषणा-पत्र को ही पूरा नहीं किया बल्कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के सपनों को भी साकार किया है। मैं माननीय

श्री खुराना जी से पूछना चाहता हूं जो वह अभी कह रहे थे कि हमने महानगर परिषद और नगर निगम के चुनाव से थोड़े समय पहले ही यानी कि पांच दिन पहले कमेटी बनाकर दिल्ली को नया ढांचा देने की बात कही थी खुराना जी, आपको और आपकी पार्टी को यदि कोई एतराज था, आप उस वक्त महानगर परिषद में दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के, नेता थे तो महानगर परिषद और नगर निगम को छोड़कर आपको बाहर आना चाहिए था लेकिन आप लगातार···(व्यवधान)···दो साल तक महानगर परिषद और नगर निगम में बैठे रहे इसलिए कि आप इस फैसले से सहमत थे।

1989 में बालाकृष्णन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। यदि आपका इरादा साफ होता और आप दिल्ली को विधान सभा देना चाहते तो दे सकते थे। मैं पीछे 1977 में जाना चाहता हूं, जब मोरारजी देसाई की इस देश में सरकार थी, माननीय आडवाणी जी उनके साथ मन्त्री थे, आजू-बाजू में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठा करते थे, उस वक्त भी आप बिल लायें। खुराना जी, वह बिल पता है किसलिए इसलिए पास नहीं हो सका कि आपकी पार्टी के लोग उस दिन संसद की सभा में उपस्थित नहीं रहे, कोरम पूरा नहीं था। आप दिल्ली को विधान सभा देना ही नहीं चाहते हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सज्जन उनके भेद खोल रहे हैं। उनका भेद खोलना ही चाहिये।

श्री सज्जन कुमार : 1989 में वी० पी० सिंह की सरकार बनने के बाद आप वी० पी० सिंह की सरकार के सहयोगी थे···

श्री मदन लाल खुराना : 30 साल तक किसने नहीं दी ?

श्री सज्जन कुमार : उनकी सरकार में आप सहयोगी थे, आपसे पूछकर ही वी० पी० सिंह जी फैसले किया करते थे। आज उन्हें आप धोखेबाज कह रहे थे, माननीय श्री खुराना जी, दिल्ली के लोग आपको धोखेबाज कह रहे हैं इसलिए कि आप विधान सभा नहीं देना चाहते थे···(व्यवधान)···आप तो इसका राजनैतिक फायदा उठाने के लिए, दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए आप विधान सभा की बात करते रहे।

श्री खुराना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वह बन्द कमरे की बात। जगदीश टाईटलर जी भी उस वक्त मौजूद थे, गृह मन्त्री जी ने जब दिल्ली के संसद सदस्यों की मीटिंग बुलाई थी आप भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था···(व्यवधान)···मैं चाहता हूं कि आप जरा ध्यान से सुनें, आपने उस वक्त कहा कि महानगर परिषद और नगर निगम के चुनाव ही करा दीजिए। उस वक्त मैंने अपनी पार्टी की तरफ से कहा था कि यदि आपने दिल्ली के लोगों को विधान सभा नहीं दी तो हम राजीव जी की आत्मा के साथ भी धोखा करेंगे और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के साथ भी धोखा करेंगे। आप कमरे में बैठकर महानगर परिषद और नगर निगम की बात करते हो और बाहर आकर कहते हो कि हम स्टेटहुड चाहते हैं। आप स्टेटहुड नहीं चाहते, यदि आप चाहते तो वी० पी० सिंह की सरकार में दिल्ली के लोगों को विधान सभा दे सकते थे लेकिन आपने उनको विधान सभा नहीं दी। आज माननीय नरसिंह राव की सरकार ने न सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र के दिल्ली को विधान सभा देने का वायदा पूरा किया है। बल्कि जो भी एक-एक वायदा किया था, आज उन सभी वायदों को पूरा किया है।

आज दिल्ली की सारी बातों का चर्चा कर रहे थे, मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता लेकिन जिस वक्त हमारी सरकार बनी। अनिश्चितता और अस्थिरता का वातावरण था, जो देश की इकोनोमिक हालत थी, वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। आज इस 6 महीनों के अन्दर कांग्रेस सरकार ने देश को

[श्री सज्जन कुमार]

आर्थिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर जिस तरह से मजबूत किया है उससे आज सिर्फ देश में नहीं, दुनिया के तमाम देश हमसे फिर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हमसे फिर व्यापारिक सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। क्या हालत था उस समय कि हम को सोना गिरवी रखना पड़ा, इसलिए कि विदेशी कर्जा उतारें लेकिन अभी तो हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उसमें हमें सोना भी वापस ले आये और सोने के साथ-साथ आज हमारे पास हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा भी मौजूद है अभी जो उप-चुनाव हुए हैं, उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई है। उपचुनाव में सारे देश के लोगों ने जो फैसला दिया है, वह आप भी जानते हैं। आप चालीस साल का इतिहास उठा कर देख लीजिए, जो भी रुलिंग पार्टी होता है, वह उपचुनाव अक्सर हारता है, उसके खिलाफ जनता द्वारा वोट दिए जाते हैं। इतिहास में पहली बार श्री नरसिंह राव जी के पक्ष में जनता ने वोट दिए हैं।···(व्यवधान)···मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से माननीय गृह मन्त्री जी को मुबारक बाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल में जो कमी रह गई थी, उसको दूर करके संविधान में संशोधन करके दिल्ली के लोगों को दिल्ली का नाम दे दिया।

माननीय खुराना जी, आप अभी दूध की बात कह रहे थे, डी० टी० सी० की बात कह रहे थे, डेसू की बात कह रहे थे। आपने डी० टी० सी० की बात मुख्य रूप से कही कि इतने वर्षों में बस इतना कम हो गया, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि कितने करोड़ रुपयों का घाटा केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है।···(व्यवधान)···मैं आपको बताना चाहता हूं आप उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाइए, जितने किलोमीटर का दिल्ली में एक रुपया में हम सफर करते हैं, वहां हम पांच रुपए में सफर करते हैं। हमने दिल्ली के लोगों को सुविधायें दे रखी हैं। आपने दिल्ली को स्टेटहुड देने की बात कही है दिल्ली के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उन्हें अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़े (व्यवधान)···यदि आज पूरे तरीके से दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया गया होता तो दिल्ली के लोगों पर करोड़ों रुपयों का बोझ पड़ गया होता। यहां आपके एम्बेसीज और एम्बैसडर्स है, बाहर से लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, यह हमें उन लोगों का आदर-सत्कार करना होता है, केन्द्रीय सरकार के दफ्तर यहां मौजूद हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम राज्य का दर्जा विधान सभा और मंत्रिपरिषद के साथ चाहते हैं। गृह मन्त्री जी आपने मंत्रिपरिषद के साथ यह व्यवस्था की हैं, हम उसका स्वागत करते हैं।

अब मैं कुछ अन्य बातों की ओर भी गृह मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले महानगर परिषद में पहले तीन निर्वाचन सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकारण के मनोनीत हुआ करते थे, यह व्यवस्था अब भी कायम रहनी चाहिए। इसी प्रकार खुद मुख्तियार संस्थाओं जैसे डी० डी० ए०, डी० टी० सी० और डी० एम० एस० और डेसू में भी विधान के नुमाइंदे रखे जाएंगे के नुमाइन्दे भी इसमें रखे जायेंगे, ऐसा विश्वास हम माननीय गृह मंत्री जी आपसे चाहते हैं, ताकि दिल्ली के लोगों की बातों को वहां रखा जा सके और उनको पूरा कराया जा सके। इसके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, बालाकृष्णन की रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम के बारे में नौ निगम बनाने की बात कही गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। नगर निगम का गठन अधिक अधिकार देकर 1958 में इस लिए किया गया था, ताकि दिल्ली के लोगों आर्थिक सुविधायें मिल सकें। मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की जोनल कमेटीज को अधिक अधिकार दिए जायें, स्टैंचुटरी बाडीज जैसी दी जायें लेकिन नगर निगम एक ही रखा जाए।

महानगर परिषद की जगह विधान सभा बनने का स्वागत करते हुए मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी विधान सभा के चुनाव कराए जाएं दिल्ली नगर निगम के बारे में भी आप जल्दी से विचार करें, जिस तरह से आप विधान सभा का डिलिमिटेशन कर रहे हैं उसी तरह से आप कारपोरेशन चुनाव क्षेत्रों का भी डिलिमिटेशन करा कर जल्दी से जल्दी नगर-निगम के चुनाव कराएं।

मैं तो चाहता हूं कि विधान सभा के साथ ही नगर-निगम के चुनाव कराएं, जिससे हम दिल्ली के अन्दर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार दे सकें और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। (व्यवधान)

मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने कहा है कि भा० ज० पा० के लोग एक सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हैं और कांग्रेस को भी जानते हैं। हमने 1983 में भी आपको देखा था, कर्नाटक और आंध्रा में हारने के बाद भा०ज०पा० ने आपने कहा था "कर्नाटक और आंध्रा में हारी है और अब दिल्ली की बारी ने भा०ज०पा० को याद होगा कि हमने 1983 के चुनाव में महानगर परिषद और नगर-निगम के अन्दर भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था। आज भी दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आ रहे हैं जिस दिन दिल्ली में चुनाव होंगे, दिल्ली के लोग फिर हमको चुनेंगे, (व्यवधान) और इस उम्मीद के साथ चुनेंगे कि दिल्ली का हमने विकास किया है और भविष्य में भी करेंगे।

आपने कहा कि इतना खर्च हो रहा है लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा रुपया खर्च हुआ है, हमारे इन 6-7 साल के शासन में, हमारी जो सरकार थी, दिल्ली के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक पैसा खर्च हुआ। 7 साल में हमने जितना पैसा खर्च किया है, जिस तरह से दिल्ली को सुन्दर और खूबसूरत बनाया है उसी तरह से हम भविष्य में भी दिल्ली को खूबसूरत और सुन्दर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री ताराचन्द खंडेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो दिल्ली के सांसद यहां पर हैं, हम यहां पर दिल्ली के निवासियों के हित के लिए बैठे हैं, हम यहां पर एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। सज्जन कुमार जी ने अपनी बात कहने के साथ-साथ दिल्ली के निवासियों के साथ न्याय नहीं किया, दिल्ली निवासियों की बजाए उन्होंने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं, जैसे कि खुराना जी ने कहा कि 1983 से दिल्ली में चुनाव नहीं हुए और 3-4 वर्षों से तो दिल्ली में नगर-निगम और महानगर परिषद भी नहीं थी। भारत की राजधानी में अगर प्रजातांत्रिक ढांचा न हो दिल्ली वालों की समस्याएं जितनी पिछले 3-2 साल में बढ़ी हैं, उसका अन्दाजा केन्द्र में बैठे हुए लोगों को नहीं हो सकता। जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के मौहल्लों में रहते हैं, दिल्ली की गलियों में रहते हैं और दिल्ली के जीवन से वाबस्ता हैं, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या हो।

इसलिए दिल्ली के लोग चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसके लिए पिछले 3-4 वर्षों से दिल्ली के नागरिकों ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, न्याय यात्रा निकाली प्रदर्शन किए, धरना दिया और उन सब का नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार को यह विधेयक लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों के ध्यान में यह बात थी कि कांग्रेस सरकार दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, इसलिए नहीं कराना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को शंका थी कि अगर दिल्ली में चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कोई चीज आखिर कब तक रोकी जा सकती है। दिल्ली ने जब संघर्ष किया, उस संघर्ष का यह फल है कि यह विधेयक यहां पर आया। लेकिन लोगों को आशा थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जो विधान सभा दी जाएगी, वह दिल्ली वालों के अनुरूप होगी, उसको सशक्त अधिकार मिलेंगे, परन्तु यह जो विधेयक दिल्ली विधान सभा का आया है, यह लंगड़ा-लूला तो है ही, यह एक प्रकार से दिल्ली वालों को झुंझुना दे दिया गया है। यह उसी प्रकार का विधेयक है जैसे बाप तिजोरी में 12 लाख रुपया रख कर उस तिजोरी को बेटे के कमरे में रख कर कहे कि लो मैंने तिजोरी तुम्हारे कमरे में रख दी है, लेकिन चाबी मेरे पास रहेगी। असेंबली तो दे दी गई, लेकिन सारे

[श्री ताराचन्द खंडेलवाल]

अधिकार केन्द्र ने अपने पास रख लिए। इसमें यह बात सिद्ध होती है कि केन्द्र सरकार और कांग्रेस यह नहीं चाहते थे कि उनके अधिकार में जो चीज है, वह दिल्ली के नागरिकों के अधिकार में चली जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक और साजिश मुझे नजर आती है। जब दिल्ली में विधान सभा के चुनाव होंगे तो उसके साथ-साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होंगे। मैं समझता था कि सरकार इतनी सूझबूझ वाली होगी और इस विधेयक के साथ-साथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, जो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें भी संशोधन यहां पर प्रस्तुत करेगी। जिस तरह से गृह मन्त्री जी ने कहा है कि 6 महीने के अन्दर दिल्ली में चुनाव करवा देंगे, तो उसके लिए परिसीमन की कार्यवाही भी की जाएगी, क्योंकि 70 सीटें दिल्ली को दी गई हैं। इसी तरह से दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए भी 140-150 सीटें होनी चाहिए, बिना संशोधन के यह कैसे होगा। अगले सत्र में शायद वह विधेयक लाया जाएगा, तब तक परिसीमन प्रारम्भ नहीं हो सकता। इस चीज में फिर कई महीने निकल जाएंगे। इस तरह से इसमें भी मुझे एक षडयंत्र नजर आता है, इन्होंने विधेयक लाने का अपना वादा तो पूरा कर दिया, परन्तु वह विधेयक अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, उसमें एक लेकूना छोड़ दिया।

दिल्ली स्टेट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास की रीढ़ डी० डी० ए० है। इतनी महत्वपूर्ण संस्था दिल्ली राज्य के अधीन आनी चाहिए थी। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अक्तूबर 1961 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान बनाया गया और 1981 में पहला मास्टर प्लान पूरा हो गया। दूसरा मास्टर प्लान 1982 में प्रारम्भ होना चाहिए था, लेकिन यह बात दिल्ली के इतिहास का काला कलंक रहेगी कि 1981 से 1990 तक दूसरा मास्टर प्लान नहीं बना और अभी भी 15 जोंस का प्लान नहीं बन पाया है, इसमें शायद 3 साल और लगेंगे। यह दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ है, दिल्ली वालों की विडंबना है कि डी० डी० ए० जो दिल्ली के विकास की रीढ़ है, जो दिल्ली का विकास करती है, सड़कें, पुल इत्यादि की योजनाएं बनाती है, उसको दिल्ली राज्य के अधीन नहीं किया जा रहा है। इस बारे में दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी राय देने का अधिकार आप दिल्ली वालों को नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय का काला चित्र और क्या हो सकता है कि 1981 से 1990 तक दिल्ली का दूसरा मास्टर प्लान तैयार नहीं हो सका, इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की बात है। आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। संविधान की धारा 1-2 के अन्तर्गत ला एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट माना गया है और अरूणाचल प्रदेश में धारा 371 में परिवर्तन करके वहां के लेफ्टीनेंट गवर्नर को यह अधिकार दिया भी गया है, तो क्या वही अधिकार दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर को नहीं दिया जा सकता, लेफ्टीनेंट गवर्नर केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि है, इससे केन्द्र सरकार की लाज भी रह जाती और केन्द्र सरकार का अधिकार भी रहता और दिल्ली का जो मुख्यमन्त्री और गृह मंत्री होता, उसकी दिल्ली के लोगों के प्रति जवाब-देही भी होती। आज आम नागरिक यह नहीं जानता कि ला एण्ड आर्डर केन्द्र का विषय है या केन्द्र सरकार के गृह मन्त्री का विषय है। जब भी ला एण्ड आर्डर बिगड़ेगा, भले ही उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की हो, लेकिन बदनामी दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मन्त्री की होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, गृह मन्त्री महोदय, डी० डी० ए०, ला एण्ड आर्डर तथा यूटीलिटी सर्विसेस को दिल्ली राज्य के अधीन कर दें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, 70 सीटें दी गई हैं, लेकिन दिल्ली की आबादी 1 करोड़ के लगभग है। इस हिसाब से 1 लाख 35 हजार लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। अगर सरकारिया कमीशन या दूसरे

कमीशनों को आधार मानें तब भी 84 सीटें असेंबली की होनी चाहिए, हालांकि ये भी पर्याप्त नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से दिल्ली वालों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और आप कोई मौका नहीं देना चाहते कि दिल्ली में कोई सुख-सुविधा उपलब्ध हो सके दिल्ली के प्रतिनिधि अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बातें तो क्लाज बाई क्लाज पर चर्चा के समय आएंगी, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। परन्तु दिल्ली वालों से हमने वादा किया था कि जब हम संसद में पहुंचेंगे तो दिल्ली के चुनाव कराने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। हमें खुशी है कि आज हमने केन्द्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि दिल्ली में चुनाव हों। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि इन्होंने 6 महीने में दिल्ली में चुनाव कराने का जो आश्वासन दिया है, उस पर ये पूरे उतरें।

[अनुवाद]

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित किए गए विधेयक का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। प्रस्तावित विधेयक निःसन्देह ही दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और इस विधेयक से यह भी सिद्ध होता है कि देश में कांग्रेस (इ) ही ऐसा दल है जो इस शहर और इस देश की जनता के सपनों को साकार रूप दे सकती है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे सहकर्मी श्री सज्जन कुमार ने बताया है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री महोदय श्री राजीव गांधी ने हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में इसका वायदा किया था और उस वायदे को अब हमारे प्रधानमन्त्री महोदय और गृह मन्त्री महोदय ने पूरा किया है और हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।

महोदय, दिल्ली न केवल आधुनिक भारत की राजधानी है, बल्कि एक ऐसा अनोखा शहर भी है जिसने जहां तक हमें इस देश के इतिहास की जानकारी है यह इस देश का राजनीतिक भाग्यविधाता रहा है। इस शहर के महान स्मारक इस बात के गवाह हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में इस शहर का इतिहास और उसकी भूमिका उतनी ही पुरानी है जितना कि पुराना किला और उतनी ही नई है जितना कि यह संसद भवन। हर कोई सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि दिल्ली का न केवल अपना इतिहास है बल्कि अपनी संस्कृति भी है। दिल्ली की यह संस्कृति और इतिहास कई शताब्दियों से विकसित होता रहा है और भारत के इतिहास का निर्माण करने वाली सभी महान संस्कृतियों का यह उदार मिश्रण है।

यह इतिहास की ही देन है कि इसने दिल्ली को आज प्राचीन विरासत सहित, सक्रिय व्यापार केन्द्र, उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र और सबसे बढ़कर भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक नमूना बनाया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न धर्मों, और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लोग सम्मिलित भारतीय व्यक्तित्व के रूप में रहते हैं।

मेरा यह निवेदन है कि कोई भी विधेयक जो शहर में एक नये राजनैतिक संगठन को प्रदान करने की मांग करता है उसे यह विचार अवश्य करना चाहिए कि यह वह संस्कृति है जिसे हमें बनाए रखना है। यही वह संस्कृति विरासत, परम्पराओं और धर्मनिरपेक्षता है जिन्हें हमें बनाये रखना है। इसके साथ-साथ, हमें इसे ऐसा प्रशासनिक रूप देना होगा जिससे कि इस शहर का व्यवस्थित रूप से व

[श्री जगदीश टाईटलर]

तीव्र गति से विकास हो सके। दिल्ली के सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। कुछ भी हो, यह दिल्ली के सभी हिस्सों की चाहे वे पुराने हों अथवा नये हों या घनी आबादी वाले हों अथवा अन्यथा उन पर दिल्ली में बनने वाली सरकार का उचित ध्यान जाना चाहिये।

8.00 म० प०

अतः, मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार वर्तमान में दिल्ली के प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र से भी नई विधान सभा को एक समान संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महोदय, इससे हीं सही ढंग से सभी राज्यों के उन सभी लोगों को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो दिल्ली में आकर बस गये हैं, उन्हें और दिल्ली के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करेगा तथा यही एकमात्र तरीका होगा जिसके द्वारा हम दिल्ली की संस्कृति और विरासत एवं परम्परा को बनाये रख सकते हैं।

दिल्ली के समक्ष कई समस्यायें हैं। इसमें कानून और व्यवस्था, जल आपूर्ति, बिजली, नागरिक सुविधा संगठन, शहर का विकास, अनियन्त्रित औद्योगीकरण और परिणामस्वरूप प्रदूषण इत्यादि शामिल हैं जिनके बारे में मेरे मित्र और सहकर्मी श्री सज्जन कुमार और श्री मदनलाल खुराना जी ने भी बताया है। शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करने की तथा विकास की ओर पूरे मन से ध्यान देने की प्राथमिक आवश्यकता है कानून और व्यवस्था को बनाये रखना और प्रशासनिक प्रणाली इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जिससे दिल्ली के लोगों को वस्तुएं प्राप्त हो सकें। अतः, मेरा अनुरोध है कि राजधानी के कानून और व्यवस्था तंत्र की सम्पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो पुलिस आयुक्त प्रणाली को भी समीक्षा की जानी चाहिये। कानून और व्यवस्था तन्त्र को अनिवार्य रूप से अधिक प्रभावशाली बनाया जाये ताकि शहर में शांतिपूर्वक विकास हो सके। इतिहास में दिल्ली अनेक बार खलबली का शिकार रही है, और वह भी इतना कि इसका नाम कम से कम सात बार बदला गया है। तथापि, जब कभी भी दिल्ली खलबली से प्रभावित हुई उसका इस देश के राजनैतिक भाग्य पर दूरगामी प्रभाव रहा है। अतः, हमें इस फैसले और कोलाहल भरे महानगरीय शहर में कानून और व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से बनाये रखने के लिए सभी उपाय करने चाहिए।

मैं इस सम्मानित सभा के सदस्यों के समक्ष विचार के लिए कतिपय सुझाव रखना चाहूंगा। यह विधेयक निरन्तर दिल्ली का नाम छोड़कर उसके स्थान पर केवल राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उल्लेख करके बहुत अलग धारणा उत्पन्न कर रहा है जिसके लिए मेरे मित्र श्री सज्जन कुमार पहले ही से संशोधन ला रहे हैं। महोदय, जैसाकि मैं बार-बार बल देता रहा हूं यह राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पहले से ही नाम को धारणा से जुड़ा हुआ है और जो संस्कृति, परम्परा और इतिहास के रूप में विशाल है। अतः, 'दिल्ली' नाम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए जब कभी भी राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाये। महोदय, मैं जानता हूं कि आप यह कर रहे हैं जिसके लिए हम सब आपके धन्यवादी हैं। राजनैतिक और प्रशासनिक संगठन बनाकर के जोकि लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों पर आधारित होगा यह दिल्ली के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, तथा तात्कालिक मांगों को अपने सदस्यों के माध्यम से दर्शायेगा। अतः यह आवश्यक हैं कि लिये गये सभी निर्णयों, जैसाकि धारा 47, खण्ड 3 में दिया गया है, पर मुख्यमन्त्री के विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपराज्यपाल को मामले पर मुख्यमन्त्री से बात करनी चाहिये। तीसरे, विधान का एक भाग यह भी होना चाहिए कि जैसाकि श्री सज्जन कुमार ने कहा था कि दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्यों को, जोकि विधान सभा में से ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से चुने गये हों, दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य होने की अनुमति दी जाये, जिससे कि इस नगर राज्य में भूमि का लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, सही समन्वित ढंग से, उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अन्त में, प्रत्येक राज्य में एक राज्य योजना बोर्ड होता है और विभिन्न अन्य प्रकार के संगठन होते हैं जो उन स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों तथा अन्य सरकारी संगठनों की गतिविधियों को समन्वित करते हैं जो राज्य के शासन में अपनी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली एक नगर राज्य होगा जिसकी शहरीकरण की अपनी विलक्षण समस्याएं होंगी। इसलिए एक नई धारा जोड़नी वांछित होगी कि यदि स्थानीय निकाय विधान सभा के पास नहीं जाते हैं तो तब ऐसे मुख्यमन्त्री के अधीन एक समन्वयकारी बोर्ड होना चाहिए जिसमें सभी स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को भी, जैसाकि बोर्ड में होना उचित समझा जाए, सम्मिलित किए जाएं। आपको स्मरण कराने के लिये कि हमारे पास दिल्ली में कुछ स्थानीय प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय हैं, हमारे पास दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली जल आपूर्ति और जल-मल व्ययन संस्थान, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली पुलिस, दिल्ली शहरी कला आयोग और मदर डेयरी हैं। इनके अतिरिक्त, अन्य मन्त्रालय और भूमि विकास कार्यालय जैसे स्कन्ध हैं।

महोदय, विधान सभा को वित्तीय शक्तियां विशेषरूप से ऐसे मामलों में जिनमें पी० आई० बी० का अनुमोदन नहीं चाहिए, प्रदान की जाएं। विधान सभा को अपर-सचिव स्तर तक के योजना और गैर-योजना पदों के सृजन की शक्तियां भी प्रदान की जाएं। इससे तकनीकी कार्मिकों को पर्याप्त उन्नति के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। सभी विकास कार्य मुख्य कार्यों से ही आरम्भ होते हैं। इसलिए दिल्ली में अपना सार्वजनिक निर्माण विभाग होना चाहिए जैसाकि संघ राज्य क्षेत्र होने के समय अरुणाचल प्रदेश में था। इससे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(व्यवधान)

मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता हूं। एक भिन्न प्रकार के तर्क-वितर्क में पड़कर कृपया एक सुन्दर विधेयक को नष्ट न करें जिसके लिये दिल्ली के लोग एक लम्बे समय से मांग कर रहे थे।

महोदय, मैं अन्त में यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में सुन्दर लोग रहते हैं और वे सब एक सुन्दर देश के निवासी हैं। हम शान्ति चाहते हैं और चाहते है कि यह विधेयक पारित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा की व्यवस्था से सम्बन्धित विधेयक पर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं। हम अपने प्रजातांत्रिक निकायों को मजबूत करके,

[श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन]

महात्मा गांधी और नेहरू जी के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार यह विधेयक लेकर आई है।

भारतीय जनता पार्टी, जिसने जनता दल का साथ दिया वह श्री वी० पी० सिंह से दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिला सकी क्योंकि श्री वी० पी० सिंह का प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है और उन्होंने दिल्ली को एक प्रजातांत्रिक संस्था से वंचित रखा। यही कारण है कि लोगों ने वी० पी० सिंह को ठीक उसी प्रकार अस्वीकार कर दिया जिस प्रकार से तमिलनाडु में लोगों ने श्री करूणानिधि को अस्वीकार किया। उनका भी प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। अतः सभा में हम सभी को सर्वसम्मत रूप से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये जिसमें दिल्ली में एक प्रजातांत्रिक संस्था बनाये जाने की व्यवस्था है।

दिल्ली भारत की राजधानी है। यदि राजधानी में हमारे पास लोकतान्त्रिक रूप से चुना हुआ निकाय नहीं है, तो हम यह दावा किस प्रकार से कर सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? इसलिये यह विधेयक आवश्यक रूप से अधिनियमित होना चाहिये। संविधान (संशोधन) विधेयक में यह बताया गया है कि यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई तिथि से प्रभावी होगा। मैं लोकतन्त्र के हित में सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी जाए जिससे कि लोगों में यह शंका न रहे कि विधेयक के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

अब तक दिल्ली पर अधिकारियों का शासन रहा है। यह दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य ही रहा है कि उन्हें एक छोटा सा काम कराने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक भागना पड़ता है। ऐसा कोई मंच है नहीं है जहां लोगों के अधिकारों को समर्थन प्राप्त हो सके। ये अधिकारी ही होते हैं जिनकी मर्जी चलती है और जो कठपुतलियों की डोरियां अपने हाथों में रखते हैं। यहां अधिकारियों का राज है। इस विधेयक से अधिकारियों का राज समाप्त हो जाएगा, मैं सन्तुलित प्रावधानों के साथ विधान लाए जाने के लिये प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं। दिल्ली विभिन्न गतिविधियों वाला तेजी के साथ फैलने वाला क्षेत्र है। संविधान विधेयक मन्त्रिमण्डल को कुल सदस्यता के दसवें भाग पर सीमांकित करता है। जिसका अभिप्राय यह है कि यहां केवल सात मंत्री बन सकेंगे। दिल्ली के वृहत राज्य क्षेत्र की देखभाल करने में सात मन्त्री सक्षम नहीं होंगे। इस सीमाबन्दी को समाप्त किया जाना चाहिए। इस नये प्रकार के प्रावधान के स्थान पर सरकार को 10 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने सम्बन्धी प्रगतिशील प्रावधान रखना चाहिये। इस राजधानी क्षेत्र में यदि विधान सभा में महिलाओं के लिए ऐसा आरक्षण कर दिया जाता है, तो इससे हमारे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दूरगामी परिणाम होंगे।

पिछली लोक सभा में, एक माननीय सदस्य महोदय ने विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी विधेयक सभा पटल पर रखा था। किन्तु वह विधेयक समाप्त हो चुका है। किसी देश की प्रगति को वहां की महिलाओं की मान प्रतिष्ठा से ही जाना जाता है। तमिलनाडु ने इतनी अच्छी प्रगति की है कि वहां अब एक महिला ही मुख्यमन्त्री बन गई है। तमिलों के लिए यह गर्व की बात है। इसी प्रकार राजधानियों को भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करके गर्वोन्नत होना चाहिए। इससे विदेशों में हमारी साख बढ़ेगी। महिलाओं के लिए संसद और विधानमण्डलों में 10% स्थान आरक्षित करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिये।

इसी प्रार्थना के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से, गृह मन्त्री महोदय द्वारा विधेयक प्रस्तुत किये जाने पर उनका स्वागत करता हूं। यदि यह सम्माननीय सभा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देती है जिसमें दिल्ली में चुनी हुई विधान सभा निकाय का प्रावधान है, तो आज का दिन बड़ी खुशी का दिन होगा।

इस सरकार का निर्णय न केवल प्रशंसा के ही योग्य है बल्कि बेमिसाल भी है। साधारणतः, इस प्रकार के विधेयक को एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है जो इसे अधिक उपयोगी बना देती है। लेकिन यहां पर इस प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है जिससे कि दिल्ली के लोगों को जितना शीघ्र हो सके, एक चुना हुआ निकाय प्रदान किया जा सके।

क्या मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय को दो बातें कह सकता हूं। पहले, मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के समय, जैसाकि विधेयक में प्रावधान किया गया है, सरकार को यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिये कि परिसीमन कार्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता।

दूसरे, दिल्ली में ऐसे लोगों की जनसंख्या काफी है जिनकी मातृभाषा उर्दू है। उनकी उर्दू भाषा का दिल्ली के भावी प्रशासन द्वारा सम्मान किया जाना चाहिये। सरकार को भी यह प्रयास करना चाहिये कि दिल्ली की शैक्षणिक संस्थाओं में उर्दू को उचित स्थान मिले।

दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत देश की विरासत है। दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत इतनी शक्तिशाली है जितना कि लाल किला, यह इतनी ऊंची है जितनी कि कुतुबमीनार और यह भारतीय संस्कृति को हमेशा ही प्रतिष्ठापित करती और सम्पन्न बनाती रहेगी।

मैं इस विधेयक का एक बार फिर तहेदिल से स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्षों बाद जिस बात के लिए दिल्ली में सभी राजनैतिक दलों ने चुनाव घोषणा-पत्रों में वचन दिया—किसी ने पूरे राज्य का दर्जा देने की बात की होगी, किसी ने विधान सभा मात्र देने की बात की होगी लेकिन उसमें ग्रेटर कामन डिनामिनेशन विधान सभा ही बनता है और ग्रेटर कामन डिनामिनेशन होते हुए भी श्री सज्जन कुमार जी ने सही कहा कि उनकी पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा था लेकिन उनकी पार्टी का यह घोषणा-पत्र 1980 में लिखा गया था और आज 1991 में भी अगर यह ग्रेटर कामन डिनामिनेशन संसद द्वारा स्वीकार हो रहा है तो उसका कारण यह है कि हम में से कुछ लोग सतत् इस पर लगे रहे कि यह काम जरूर होना चाहिये दबाव देते आये।

यहां तक कि इस सत्र के आरम्भ में भी जब सरकार ने विभिन्न विधेयकों की घोषणा की थी कि हम इस सत्र में ये-ये विधेयक पारित करेंगे, तो उसमें दिल्ली को विधान सभा देने का कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक नहीं था। सत्र आरम्भ होते ही तुरन्त दिल्ली के मेरे साथी सांसद और मैं प्रधान मंत्री

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

जी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी को हमने यह बात कही कि इस मामले में मतभेद हैं। हमारी पार्टी की राय है कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और आपकी पार्टी की राय यह रही है और वर्षों से रही है कि यहां पर विधान सभा ही देना पर्याप्त होगा। यहां तक कि यहां के जो मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, वे वित्तीय कारणों से कहते थे कि अगर यूनियन टैरिटरी रहेगी तो हमको वित्त तो मिलता रहेगा, अगर राज्य बन जायेगा तो हमको जितना पैसा चाहिये दिल्ली के विकास के लिए, वे हम अपने रिसोर्सेज से पैदा नहीं कर पायेंगे और इसीलिए विधान सभा का स्वरूप मिलना, यह दिल्ली के लिए ज्यादा हितोवह है। ऐसा वे हमेशा कहते थे और उनकी राय रही है और उस राय का अपना वजन है। हम क्यों राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में हैं, उसका मैं थोड़ा संक्षेप में उल्लेख करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने हमने यह बात रखी कि अगर एक छोटे से मतभेद का परिणाम यह होता है कि 1983 के बाद से लेकर दिल्ली में चुनाव ही न हों और यहां पर ये जो 7 हमारे लोक सभा के चुने हुए सदस्य हैं, इन सात के ऊपर सवा सौ या डेढ़ सौ लोगों का दायित्व आ जाये और रोज का उनका यह काम हो जाये कि फलानां जगह पर पानी है या नहीं है, सफाई है कि नहीं है, यही वह काम करते रहें तो यह संसद के कार्य के प्रति भी अन्याय है और दिल्ली के नागरिकों के प्रति भी अन्याय है। तो हम आपसे यह मांग करने आये हैं कि यहां आप तुरन्त चुनाव कराइये या फिर जैसा आपको लगता है कि दिल्ली के लोगों को देने के योग्य है, लायक है, उचित है, विधान सभा सही, तो वह देकर आप फैसला करिये। यह मांग लेकर हम उनके पास गये थे और उन्होंने पहले ही दिन हमको कहा था कि आपकी बात उचित है और मेरी सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।

उसमें भी आपको पता है कि हम और विशेषकर मेरे जो दिल्ली के सहयोगी हैं चारों सदस्य, वे लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं और दबाव देते आए हैं और इसीलिए यहां तक हो गया कि कल जब समस्या पैदा हुई कि एक हमारे साथी का देहान्त हो गया जिसके कारण एक दिन हमारे सत्र में से कम हो गया तो हमने कहा कि और नहीं तो हम बिना चर्चा के ही संविधान संशोधन विधेयक पास करने को तैयार हैं। इसमें से यही बात निकलती है और मैं यह मानता हूं कि दिल्ली की आबादी आज इतनी ज्यादा हो गई है कि आज यहां पर 85 लाख लोग रहते हैं और 85 लाख लोग यहां पर, अभी-अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उर्दू का भी ख्याल करना चाहिये। मैं उनको कहूंगा कि दिल्ली तो सूक्ष्म में भारत है और दिल्ली में जो भी सरकार होगी, उस सरकार को हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं का ख्याल करना पड़ेगा। तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया, असमिया, इन सब भाषाओं के लिए यहां पर स्कूल हो ही गये हैं। कुल मिलाकर आभास यह मिलना चाहिए कि यह दिल्ली, दिल्ली में रहने वाले सब लोगों की है जिसमें कोई भाषा का भेदभाव नहीं है। यह ठीक है कि फ्लोटिंग पापुलेशन है, लोग आते भी है और खासकर सरकारी कर्मचारी होने के कारण, लेकिन स्थायी रूप से बसने वाले भी हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों के लोग यहां पर आ गये हैं। हो सकता है कि पश्चिम की ओर जब हमारा विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण यहां पर कुछ लोगों की संख्या बढ़ गई होगी। एक समय लगता था वह समाप्त हो गया, अब वह नहीं लगता। अब तो कभी-कभी लगता है कि कुछ क्षेत्रों में हमारे बिहार के ही बन्धु इतने हैं कि छाए हुए हैं। कुल मिलाकर कोई भी सरकार यहां पर आये, उस सरकार को इसकी अनुभूति मन में रखनी पड़ेगी कि दिल्ली बहुत सूक्ष्म में भारत है।

जब दिल्ली एक सूक्ष्म भारत है तो सूक्ष्म भारत होते हुए भी, सारे भारत का जिनको दायित्व दिया गया है, वे ही इस पर राज करना चाहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि या तो वे अपने जो बाकी

दायित्व हैं, राष्ट्रीय सरकार के नाते, उनके प्रति कोताही करेंगे, उनके प्रति अन्याय करेंगे, या फिर, जो ज्यादा होता रहा है, दिल्ली का शासन, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि न चलाकर, केन्द्रीय सरकार में बैठे हुए कुछ अफसर चलायेंगे। आज भी वही स्थिति है। उस स्थिति को बदलने के लिए हम लगातार चुनाव कराये जाने की मांग करते रहे हैं और इस विधेयक के बाद भी उस स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। थोड़ा परिवर्तन आयेगा, बहुत ज्यादा नहीं आयेगा। इसीलिये मेरे साथी ने कहा कि वे इस बिल को सपोर्ट तो करते हैं, मगर अण्डर प्रोटेस्ट करते हैं।

मैं यह भी मानता हूं कि यह आन्दोलन और चलेगा। आप देख लीजिये हिन्दुस्तान में जितने संघ राज्य क्षेत्र थे, यूनियन टैरिटरीज कितनी थीं।

[अनुवाद]

गोवा एक संघ राज्यक्षेत्र था; अरुणाचल प्रदेश एक संघ राज्यक्षेत्र था; मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र था और मेघालय एक संघ राज्य क्षेत्र था।

[हिन्दी]

ये सारे के सारे संघ राज्यक्षेत्र थे—मिजोरम, मेघालय आदि, जिनमें किसी की जनसंख्या 5 लाख थी, किसी की 6 लाख थी, किसी की 10 लाख थी, किसी की 11 लाख थी, किसी की 12 लाख थी। हो सकता है कि गोआ की आबादी 15-20 लाख होगी। (व्यवधान) सिक्किम शुरू से ही स्टेट था, जहां तक मुझे स्मरण है। जब उसका मर्जर हुआ था, उस समय वह स्टेट था। लेकिन धीरे-धीरे करके, हमने इस बात को क्यों माना कि वहां यूनियन टैरिटरी नहीं होनी चाहिये, वहां पर स्टेट होना चाहिये। उसका कारण है कि जब तक वहां यूनियन टैरिटरी थी, वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को यह आभास नहीं होता था कि हम शासन चला रहे हैं। उन्हें लगता था कि ठीक है हमें पद मिल गया, झण्डी वाली गाड़ी मिल गई, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल गई, लेकिन जितने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं जिनका पूरा समर्थन वहां की विधान सभा करती है, लैजिस्लेटिव असेम्बली भले ही उसका नाम दिया हो, लेकिन नई दिल्ली में बैठे, केन्द्र सरकार में बैठे अफसर, यदि किसी मामले में "न" कह दें, यह नहीं होगा, तो बात खत्म हो जाती है और वास्तव में बात खत्म हो जाती थी। उसका परिणाम यह निकला कि सतत संघर्ष चलता रहा। गोआ का संघर्ष ऐसे ही चलता रहा, और कई जगह संघर्ष चलता रहा। आज भी पांडिचेरी में मांग की जा रही है कि उसे भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं कल्पना करता हूं कि एक दिन आयेगा जब चव्हाण साहब भी मानेंगे कि पांडिचेरी को भी यह दर्जा दे दो, दिल्ली को भी दे दो।

श्री मनोरंजन भक्त : बाकी सबको आप भूल गये। विरोधी पक्ष के नेता, हमारी टैरिटरी को बिल्कुल भूल गये। इस तरह कैसे चलेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहता हूं कि जहां भी इलेक्टिड गवर्नमेंट नहीं है, आपकी जैसी स्थिति ही चण्डीगढ़ की है। चण्डीगढ़ की आबादी मैं समझता हूं कि शायद लक्ष्यद्वीप से ज्यादा होगी, जो किसी समय नागालैंड की आबादी थी। सम्भव है, अब कुछ बढ़ गई हो 1991 में। इसलिए यह जो टैन्डेंसी है, वह टैन्डेंसी हमेशा रही है और जनता पर विश्वास करके उनको दे देना, यह प्रवृत्ति कम होती है।

कहा जाता है कि यह विधेयक बालकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है और मोटे तौर

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

पर उस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है भी । मेरी शिकायत यह है कि जब उन्होंने स्थिति का विवेचन किया, विश्लेषण किया कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, इस पर उन्होंने एक पूरा चैप्टर दिया है :

[अनुवाद]

"वर्तमान ढांचे में त्रुटियां और कमियां ।"

[हिन्दी]

उनका जिक्र करते हुए उन्होंने गिनती करवाई है कि यहां-यहां कमियां हैं। पहले-पहले उन्होंने जो कमियां बतलायी हैं, उनमें है —ऐबसैंस आफ ए नोडल अथारिटी—वह अथारिटी जो निर्णय करती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके कारण गड़बड़ है दिल्ली में, नहीं है । उन्होंने ऐबसैंस आफ नोडल अथारिटी को प्रमुख स्थान दिया है और बिल्कुल सही तौर पर दिया है। उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"दिल्ली का प्रशासन कुछ मामलों में प्रशासन के माध्यम से और कुछ अन्य मामलों में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है ।"

[हिन्दी]

एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के अलग-अलग मन्त्रालय के माध्यम से काम करता है। एजूकेशन मिनिस्ट्री का भी काम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी काम है, हैल्थ मिनिस्ट्री का भी काम है। जितनी गिनती कर लें, सब मिनिस्ट्रीज का दखल दिल्ली में है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी है। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ-साथ ऐगजीक्यूटिव काऊंसिल था तो उसने कहा :

[अनुवाद]

"प्रशासक भी कुछ मामलों में स्वविवेक से कार्य करता है और कुछ अन्य मामलों में कार्यकारी परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है । इन सब बातों के परिणामस्वरूप, दिल्ली में सरकारी अधिकारी हतोत्साहित होते हैं और यहां दिल्ली के प्रशासन के सभी मामलों को देखने के लिए कोई एकल शीर्षस्थ प्राधिकरण नहीं है ।"

[हिन्दी]

इसको प्रमुख कारण करके बताया है। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक इस प्रमुख समस्या का कोई हल लाता है ? कोई नहीं लाता । आज भी स्थिति लगभग वही है कि सारी की सारी केन्द्र की मिनिस्ट्रीज दखल देगी। लैफ्टिनैंट गवर्नर अपनी डिस्क्रीशन में काम करेगा, वह दखल देगा, ऐगजीक्यूटिव काऊंसिल के स्थान पर काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स का नाम हो गया है, वह काम करेगा । एक ही फर्क हुआ है और वह यह है कि मैट्रोपोलीटन काऊंसिल को तो कानून पास करने का भी अधिकार नहीं था । मैट्रोपोलीटन काऊंसिल केवल बिल्स पास करती थी ।

मैं 1966 में, जब मैट्रोपोलीटन काऊंसिल बनी, तब से उससे सम्बन्धित था, महानगर परिषद का सदस्य था । उसके बाद व्यवस्थित महानगर परिषद 1967 में बन गई तो तीन साल तक, संभव में

आने से पूर्व, मैं महानगर परिषद का अध्यक्ष था। इसलिए मैं जानता हूं कि सारी कौरमैलिटीज होती थी। मोशन वही होते थे जो संसद में होते हैं, फस्ट रीडिंग, सैकिंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सब होती थी और बिल पास होता था। लेकिन बिल पास होने के बाद कानून नहीं बनता था। वह बिल पार्लियामेंट को भेजा जाता था। यहां पड़ा रहता था। उसका वर्णन भी लम्बा है कि कितने बिल महानगर परिषद ने पास किये, उसमें से कानून कितने बने। इस मामले में अभी जो असेम्बली होगी उसमें फर्क होगा। यद्यपि मेरी शिकायत है कि उसमें भी पुलिस, पब्लिक आर्डर, लैंड, इसको निकाल दिया कि इस पर विधान सभा का अधिकार नहीं है। दुनिया भर में पुलिस और पब्लिक आर्डर का दायित्व कारपोरेशन के सुपुर्द किया जा रहा है। न्यूयार्क, लन्दन, इन सब शहरों में :

[अनुवाद]

"पुलिस का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं देखा जाता। न्यूयार्क में, पुलिस कार्य को राज्य सरकार द्वारा नहीं देखा जाता, बल्कि यह निगमों द्वारा देखा जाता है।"

[हिन्दी]

वहां का मेयर देखता है। लेकिन हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने से एक बात मन में बैठी हुई है कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं कर सकते, इसके बस की बात नहीं है, ये गड़बड़ करेंगे। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लोग, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आता है, सबके मन में वही बात आती है। मैं इसके सारे सिस्टम को इनहैरैंट शार्टकमिंग मानता हूं। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इनहैरैंट शार्टकमिंग मानता हूं कि जनता के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। यह तो दिल्ली की बात हो रही है, मैं तो मानता हूं कि केन्द्र, राज्य सम्बन्धों के बारे में भी आज जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण ओवर सैन्ट्रलाइजेशन है और उसको भी इन्होंने गिना है। जैसे इन्होंने कहा कि ऐबसैंस आफ नोडल अथारिटी। दूसरा इन्होंने कहा है कन्फ्यूजन ऐज टू जूरिसडिक्शन। वह इसी का परिणाम है। मैं सारा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल शीर्षक पढ़ता जा रहा हूं कि कौन-कौन सी कमियां हैं वर्तमान ढांचे में। कन्फ्यूजन टू जूरिसडिक्शन, आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका हल कहां होगा।

तीसरा इन्होंने ओवर सैन्ट्रलाइजेशन कहा है। इस ओवर सैन्ट्रलाइजेशन का जो मर्ज है वह न केवल केन्द्र और दिल्ली के सम्बन्धों के सन्दर्भ में है, मैं यह मानता हूं कि यह केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध में भी है। राज्य पर विश्वास नहीं होता कि कहीं गड़बड़ करेंगे। इसलिए सैन्ट्रल अथारिटी होनी चाहिए। इसलिए यह अधिकार हमको चाहिए।

चौथा लैक आफ ऐडीक्वेट फाईनैंशल पावर्स है।

अब ये जो चार प्रमुख व्याधियां बताई हैं, मुझे इस विधेयक में इन चारों का हल कोई दिखाई नहीं देता, इसका कोई उपचार दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को फिर से चिंतन करना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए और अब जरा निश्चिन्त होकर विचार कर सकते हैं क्योंकि एक बात हमने ग्रेटेस्ट कामन डिनामेटर के रूप में स्वीकार कर ली है और इसलिए स्वीकार की कि हम को लगता था कि अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं होंगे। शायद कुछ पार्टियों का दिल्ली के चुनाव में इन्टरस्ट नहीं होगा। हो सकता है, अपना कोई कारण हो लेकिन जिनका इन्टरस्ट है, वे सब समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यही सही लेकिन एक बार करना चाहिए जिससे दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधि आ जायें। इस कारण मैं थोड़े से शब्द कहने को खड़ा हुआ और मैं आशा करता हूं कि इससे दिल्ली का कुछ लाभ होगा।

आज की जो अव्यवस्था है, उसमें कुछ सुधार होगा। चाहे हमारी आकांक्षायें और आशायें पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी मात्रा में हुई हैं, उसका हम स्वागत करते हैं।

मैं इतना ही अन्त में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बात का निर्णय मेरे मन में कम से कम साफ नहीं है क्योंकि इस विधेयक को स्वीकार कर उसको जोड़ दिया गया डिलिमिटेशन के साथ। अब डिलिमिटेशन किस आधार पर होगा? हमने विधेयक में लिख दिया कि 1991 के सैंसस की जो प्रावीजनल रिपोर्ट है उसके आधार पर होगा। प्रावीजनल रिपोर्ट जिन्होंने देखी हैं, उनका कहना है कि उसमें कोई चीज ही नहीं है जिसके आधार पर डिलिमिटेशन हो सके। डिलिमिटेशन के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि एक-एक क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्ट्स कितने हैं और नान शेड्यूल्ड कास्ट्स कितने हैं, यह मालूम होना चाहिये। इसका जब तक पता नहीं चलता तब तक आप कांस्टीट्यूयेंसी में डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर इस समय दिल्ली की जो आबादी है वह 86 लाख है या 84 लाख है, इसका डिलिमिटेशन से कोई लेना-देना नहीं है।

दूसरा सवाल इस सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान भर में हरेक राज्य में जो स्थिति है, अगर वहां पर 15 लोक सभा की सीटें हैं और एक लोक सभा की सीट के नीचे 6 असेम्बली सीटें हैं तो 15 के नीचे हैं। सारे हिन्दुस्तान में एक ही मल्टीपल है। किसी राज्य में 8 है, किसी में 6 है। हिमाचल प्रदेश में 17, राजस्थान में 8, उत्तर प्रदेश में 5 मध्य प्रदेश में 8 है। यहां पर क्या है? यहां पर आज जो 7 लोक सभा की सीटें हैं, उसमें बहुत एनामलीज हैं, बहुत अन्तर है। सज्जन कुमार जी बैठे हैं, उनकी सीट देखिये, बी० एम० शर्मा बैठे हैं, इनकी सीट देखिये, ये बहुत बड़ी सीटें हैं। इसके विपरीत जिस सीट में मैं पिछली लोक सभा में प्रतिनिधि था और इस बार जहां से फिर से चुना गया, उस नई दिल्ली की सीट में कुल मिलाकर वोटों की स्ट्रैंथ चार लाख से थोडी अधिक है। ताराचन्द खंडेलवाल जी की तो उससे भी कम है, टाइटलर जी की पांच-साढ़े पांच लाख है लेकिन साउथ दिल्ली बड़ी है। उनमें बड़ी ईस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली है। इतना वैरिएशन है, उसके रहते हमारा एप्रोच क्या होगा? इस बारे में हमने क्या सोचा है? हमने जब कहा है कि कुल मिलाकर असेम्बली की 70 सीटें होंगी तो एक-एक के नीचे 10 होंगे। इसका मतलब है कि जो चांदनी चौक की सीट होगी या नई दिल्ली की सीट होगी और सदर की सीट होगी, वे छोटी होंगी व आउटर दिल्ली की बड़ी होंगी। मैं चाहूंगा कि अगर इसके बारे में सरकार ने मन बना रखा है तो उसकी जानकारी दे।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी संसद में पिछले साल एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था, जिसके द्वारा सरकार ने निर्णय किया था कि हिन्दुस्तान भर की जो लोक सभा और विधानसभा की सीटें हैं जिनका डिलिमिटेशन 1977 के सैंसस के आधार पर हुआ था, और आज 20 साल बाद भी जिनका डिलिमिटेशन नहीं हुआ और परिणामस्वरूप बहुत छोटी बड़ी और एक एक प्रदेश में भी बहुत छोटी और बहुत बड़ी कांस्टीट्यूयेंसी बन गई हैं, उनका फिर से परिसीमन होना चाहिये, डीलिमिटेशन होना चाहिये और डीलिमिटेशन करने के लिए कांस्टीट्यूशन में भी भी एमेण्डमेंट करना जरूरी है, वह कर देना चाहिये चाहे कुल मिलाकर जो हमने कहा है कि सन् 2000 साल तक लोक सभा की सीटों में या विधान सभा की सीटों मेंहम वृद्धि नहीं करेंगे, उस पर हम टिके भी रहें तो भी बाकी में डीलिमिटेशन करने की परम आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि शैड्यूल्ड कास्ट की जो रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों का रोटेशन होता रहे और एक ही सीट से सालों तक अगर जनरल व्यक्ति चुना गया है और रिजर्व सीट पर शैड्यूल्ड कास्ट के किसी मैम्बर को अवसर नहीं मिला है 40 सालों तक और एक सीट केवल रिजर्व को ही चुनती रही और बाकी लोगों को अवसर नहीं मिला है तो रोटेशन से अवसर मिल जायेगा इसलिए रोटेशन का प्रिंसीपल स्वीकार करना चाहिये।

मैं चाहूंगा कि इस विषय में भी सरकार अपना मन बना ले और अगले सत्र के आरम्भ में ही इसको लाकर डीलिमिटेशन कमीशन बनाकर इसका निर्णय कर ले।

यह दो निवेदन करता हुआ, उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही, लोगों को बहुत समय लगा है लेकिन आपने थोड़ा सा समय दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक सुखद उद्घोषणा है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, सदस्यों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था कमरा सं० 70 में और लोक सभा के कर्मचारियों के लिए क० सं० 73 में की गई है। जिन सदस्यों को थोड़ी भूख लगी है, कृपया वे जाएं और बारी-बारी से रात्रि भोज करलें। (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : क्या लोक सभा के कर्मचारियों के लिए भी भोजन व्यवस्था की गई है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां, यह कमरा सं० 73 में की गई है।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस लोक सभा सैशन का अन्तिम दिन नहीं एक ऐतिहासिक दिन है जब हम इस बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज कांग्रेस पार्टी ने और नरसिंह राव जी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार और गृह मंत्री चव्हाण साहब ने इस बात को साबित कर दिया कि सारी दुनिया के अन्दर भारत का लोकतन्त्र अपना ही एक महत्व रखता है।

अमेरिका में वाशिंगटन डी० सी०, जिसको राज्य का दर्जा आज भी नहीं मिला लेकिन दिल्ली में केन्द्रीय सरकार बहुत सोच विचार करके और बहुत सलाह मशविरा करने के बाद, कई कमेटियों की रिपोर्ट की जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि देश के किसी भी हिस्से में जो लोग रहते हैं, उनकी जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं हैं, उनका पूरी करना आवश्यक है और उस दिशा पर जाकर आज यह ऐतिहासिक विधेयक इस सदन के समक्ष है और हम सब उसका समर्थन करते हैं।

मुझे सिर्फ अफसोस एक बात के ऊपर जाहिर करना पड़ता है कि जब मैं देखता हूं कि लोकतन्त्र के लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा शोर करने वाले जो हमारे वामपंथी दल और जनता दल के लोग हमेशा बहुत बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, आज जब दिल्ली की जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार देने और उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत है और सदन के सब लोग उसका समर्थन करते हैं तब मैं देखता हूं कि ये लोग नहीं हैं, ये लोग अभी बाहर चले गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इस बात ने साबित कर दिया है कि लोकतन्त्र की बात मुंह से करने से लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले यह लोग नहीं हैं। यही बात आज सदन के सामने समझने की है। मुझे यह बात सिर्फ इसलिये कहनी पड़ी है कि सरकार ने जब यह निर्णय लिया कि हम दिल्ली को विधान सभा देंगे, उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षा को पूरा करेंगे उसके पीछे मसला क्या था। अभी थोड़ी देर पहले आडवाणी जी ने जिक्र किया कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा कई प्रदेश ऐसे थे, जहां के लोगों की आकांक्षाओं को केन्द्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करके पूरा किया है और उसके मुताबिक

[श्री मनोरंजन भक्त]

विधान सभाओं का गठन किया गया। आज दिल्ली के लोगों की आकांक्षायें तो आप इस बिल के द्वारा पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी पांच केन्द्र शासित प्रदेशों—अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर-नगरहवली, चंडीगढ़ और दमनद्वीप में लैजिसलेचर नहीं है। चंडीगढ़ में लैजिसलेचर है, लेकिन वहां के लोग वहां की आवाज उठाने के लिए नहीं है। जो एक अच्छा शासन केन्द्रीय सरकार द्वारा उन प्रदेशों को देना चाहिए, वह शासन क्या हमको मिलता है? वहा हमें शासन मिलता है—नौकरशाही का, जो वहां हावी होकर जनता की आशाओं और आकांक्षाओ को तोड़कर, उनके ऊपर एक किस्म का दबाव डालकर, काम करती है। जिस प्रणाली के लिए वहां के लोगों को, छोटे इलाके के लोगों को, विश्वास नहीं है।

माननीय गृह मंत्री जी यहां सदन में बैठे हुये हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आज देश के अन्दर नागालैंड में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, किन परिस्थितियों में उनको प्रदेश का दर्जा दिया गया, यह आपको देखना चाहिये। इसके साथ-साथ जो दूरदराज के इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, उनके दुखदर्द को भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर मैं इस बात को नहीं बताऊंगा तो गलत होगा, कि केन्द्रीय सरकार यूनियन टैरेटरीज एक्ट के अनुसार उन इलाकों के विकास के लिये, उन इलाकों की तरक्की के लिए पूरी रकम देती है और कोशिश करती है कि वहां के लोगों की अच्छे ढंग से तरक्की हो, लेकिन जब तक वहां की जनता के नुमाइन्दे शासन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक शासन के अन्दर उनका बोलबाला नहीं होगा, तब तक वह रकम पूरी उपयोग में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक-एक जगह पर दुरुपयोग होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वहां के लोगों के विकास के लिए इस बात को भी देखना चाहिए कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू की जाए।

मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली तो एक दम सैण्टर में है और दिल्ली के लोगों की यह भारी विजय है, लेकिन जो दूरदराज के इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उनके लिए कुछ काम करने के लिए, जिस ढंग से लोकसभा में सुविधा है, वह सुविधा वहां नहीं होती है। जो संख्या में ज्यादा है, वह ज्यादा शोरगुल करता है, वह अपना काम करा सकता है और वे कराकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जो दूर के इलाके के लोग हैं, शोरगुल नहीं करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छोटे-छोटे इलाकों के लोगों के अन्दर एक ऐसी लाचारी की भावना पैदा हो गई है, वे सोचते हैं कि जब तक तोड़ा-फोड़ी नहीं होगी, जब तक सरकारी भवन नहीं चलेगा, जब तक लोगों का कत्ल नही होगा, जब तक कानून-व्यवस्था गिर नहीं जाएगी, जब तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे स्थिति के अन्दर केन्द्रीय सरकार बुलाएगी और कहेगी कि आइए, बात करिए, आपकी बात मानते हैं कि हम इतना देंगे और इतना नहीं देंगे। जब तक इस तरीके से एक फैसले पर आते हैं, तब तक मसला बहुत दूर पहुंच जाता है। राष्ट्र के हित के लिए यह आवश्यक है, जब शुरू में मांग आती है, बहुत लम्बे दिनों से मांग आती है, तो उस मांग पर विचार किया जाए। इस पर विचार करके उनको सुलझाने का काम हो, जिससे राष्ट्र मजबूत होगा और ये छोटे-छोटे इलाके में रहने वाले लोग भी महसूस करेंगे कि हमारे दुख-दर्द को भी ये समझते हैं और हमको भी उतना ही अधिकार है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को है।

इसलिए मैं गृह मंत्री जी से ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण दे करके बताना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री में, जो कंसलटेटिव कमेटी का

मीटिंग था तो मैंने उसके लिए कुछ एजेंडा का प्वाइंट भेजा, भेजने के बाद मेरे पास एक चिट्ठी आई, गृह मंत्रालय से जवाब दिया कि यह जो मसला है, गृह मंत्रालय का नहीं है, अरबन डेवेलपमेंट में आप इस मसले को उठाइए और इसके एक हफ्ते के पहले उसी मसले के ऊपर गृह मंत्री जी ने मेरे अनस्टार्ट क्वश्चन में मेरे सवाल का जवाब दिया और लोक सभा के अन्दर जो जवाब दिया, वही मसला उनकी सलाहकार समिति में बात करने के लिए दिया, तो फिर वह बोलते हैं कि अरबन डेवेलपमेंट में जाइए। गृह मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय में जो अधिकारीगण बैठा है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और देश के बाकी हिस्सों के दुख-दर्द को भी समझना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि यह आपके प्रशासन व्यवस्था के अन्दर हो रहा है या नहीं, अगर नहीं होता है तो उसमें कुछ करने की जरूरत है।

दूसरी एक बात जो मैंने सुबह बताई थी कि एक मसला हुआ है अंडमान-निकोबार में 20-25 साल में कुछ ऋण कृषि विभाग और बाकी जगह से दिया हुआ था, जो जानवर मर जाने के बाद किसानों को दिया था, तो 20-25 साल तक उनके पास कोई डिमाड नहीं भेजा और आज अचानक से उनके पास अटेचमेंट नोटिस चला गया कि तुम्हारा 4-5 गुना, सूद से साथ इतना हो गया और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान और जमीन अटेच कर लेंगे।

गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इस किस्म का कुआसी एक्शन न लें और किसानों को बचा लें। आखिरी में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आपने जो दिल्ली के लिए कार्यवाही की है यह सराहना के योग्य है और इसके लिए सारा देश आपकी सराहना करेगा, लेकिन बाकी जो यूनियन टेरेटरीज बचे हैं अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप, उनके लिए भी कुछ इस प्रकार का उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बन्दोबस्त कीजिए।

मैं चाहता हूं कि आप एक कमेटी बिठाएं जो सारे यूनियन टेरेटरीस के बारे में देखे और देखने के बाद सारी रिपोर्ट दे और उसके ऊपर आप हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जी० एल० शर्मा 'प्रेम' (पूर्व दिल्ली) : मान्यवर, मैं दिल्ली के लिए प्रस्तावित ढांचे को दिल्ली-वासियों के साथ किया गया भद्दा मजाक समझता हूं। दिल्ली के लिए अत्यन्त सीमित अधिकारों वाली जिस विधानसभा का प्रस्ताव किया गया है, उससे दिल्लीवासियों को लोकतांत्रिक और राजनैतिक आकांक्षाओं की संतुष्टि नहीं हो सकती। सीमित अधिकारों वाली विधान-सभा दिल्ली के सामाजिक, आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहेगी। मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग को दोहराता हूं और दिल्ली के लिए पूर्ण अधिकार सम्पन्न विधान सभा की मांग करता हूं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हमने संघर्ष किया।

प्रस्तावित विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में संविधान में निर्दिष्ट राज्यों की सूची के सभी विषय आने चाहिए। राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 1, 2 और 18 के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रस्तावित विधान सभा को दिया जाना चाहिए।

राज्य सूची के विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की प्रस्तावित विधान सभा को उसी प्रकार से होनी चाहिए, जैसे अन्य राज्यों को विधानसभाओं को है। जिस विषयों पर संसद कानून बनाएगी और विधान सभा भी कानून बनाएगी तो संसद का कानूनी प्रभावी होगा, इस तरह से विधानसभा मात्र खिलौना बनकर रह जाएगी।

[श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम']

उपाध्यक्ष महोदय, उपराज्यपाल को असीमित अधिकार दिए गए हैं, इसकी मैं आलोचना करता हूं और निर्वाचित विधानसभा को अत्यन्त सीमित अधिकार दिये गये हैं, यह ठीक नहीं है। उपराज्यपाल को एक्स्ट्राआर्डनरी अधिकार देकर लोकतन्त्र की मूलभूत भावना का तिरस्कार किया गया है। मैं उपराज्यपाल को दिए गए अधिकारों को कम करने पर जोर देता हूं। उपराज्यपाल को सामान्यतः मंत्री-परिषद की सलाह से काम करना चाहिए, केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अन्दर ही राज्यपाल को अपने डिस्क्रीशनरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली, पानी, सीवेज, परिवहन-सुधार जैसे सभी विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए और प्राधिकरणों की मौजूदा बहुलता समाप्त की जानी चाहिए। यदि जनसुविधाएं विधानसभा के अन्तरगत नहीं रहेंगी तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधि आम आदमी से सरोकार रखने वाले विषयों के प्रति जवाबदेह कैसे हो सकेंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने वर्ष दिल्ली के अन्दर चुनाव नहीं हुए, इसका दुष्परिणाम यह निकला कि दिल्ली के अन्दर पिछले 11 वर्षों में 7 अरब रुपए की जमीन के ऊपर दुनिया ने लैंड ट्रेडिंग का काम किया है। यदि पहले से इस बात को कर लिया जाता तो सरकार द्वारा बनाई गई कल्याण योजनाएं भी लागू हो गई होती।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि जो तय हुआ है कि 6 महीने के अन्दर ही चुनाव कराए जाएंगे, उस वादे को पूरा किया जाए। अभी जैसाकि सज्जन कुमार जी कह रहे थे कि चुनाव होंगे तो कांग्रेस की जीत होगी, उनको मैं केवल इतना ही उत्तर देना चाहता हूं—

अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला,
जिस दिये में जान होगी, वह दिया रह जाएगा।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में कुछ बोलने के लिये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अन्तर मैं विपक्ष के नेता द्वारा भाषण दिए जाने की प्रतीक्षा करता हूं, और प्रायः उससे सामग्री लेकर मैं अपनी बात कहता हूं। मैं जो कुछ समझ सका हूं, वह यह है कि उन्होंने पहली बार अपने समूचे दल की ओर से कोई सार्वभौम बात कहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि लोकतन्त्र के नाम पर सभी छोटे-छोटे स्थानों को मताधिकार मिलना चाहिए, वहां के लिए पूर्ण मंत्री होने चाहिए जिन्हें विधिवत रूप से पूर्ण मंत्रीपदीय अधिकार मिलने चाहिए। मैं बड़े ही सम्मानपूर्ण यह बात कहता हूं कि ऐसा करके उन्होंने विगत दो वर्षों से जो कुछ हो रहा है, उसकी अति कर दी है। हमने पिछले दो वर्षों की वोट बैंक पर आधारित राजनीति की एक पीड़ाभरी अवधि देखी है जिसमें भारतीय को दूसरे भारतीय से विशेषरूप से जातिगत आधार पर अलग-अलग किया गया। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिया है उसका अर्थ मात्र यही है कि वे देश के विखंडन की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली कोई आम शहर नहीं है। यह भारत की राजधानी ही नहीं है। यह इस उप-महाद्वीप की राजधानी है। यही कारण है कि गृह मंत्री को संतुलन बनाए रखना था और मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा संतुलन रखा है। हम और आगे विखंडन नहीं कर सकते जैसाकि श्री आडवाणी जी ने सुझाया है। जैसाकि उन्होंने सुझाव दिया है, यदि आपके यहां पूर्ण लोकतन्त्र हो, जहां

पर प्रत्येक को मतदान करने का अवसर होगा, और वे सभी मंत्री परिषद में होंगे, प्रत्येक मंत्री एक अलग मंत्रालय का प्रभारी होगा तो राजधानी नहीं रहेगी और आप देश का आगे विखंडन कर देंगे तथा भारत एक राष्ट्र के रूप में तबाह हो जाएगा। जैसाकि इसका स्वरूप है, दिल्ली अपने में ही पूर्ण इकाई है। यह कोई साधारण स्वरूप की राजधानी नहीं है। यह उप-महाद्वीप की राजधानी है जिसका व्यक्ति-दर-व्यक्ति विखंडन कर दिया गया है। हमने वह देखा है, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहां पर तथाकथित उच्च श्रेणियों और पिछड़ी श्रेणियों के मध्य एक गृह-युद्ध हुआ था। हम नहीं चाहते कि वह गृह-युद्ध दिल्ली में भी फैल जाए। और जो कुछ आडवाणी जी ने कहा यदि उसका तार्किक निष्कर्ष निकाले तो —आप प्रत्येक मतदाता को मत-अधिकार दे दें लेकिन यदि आप अनेक मंत्री बना देंगे और प्रत्येक मंत्री स्वयं में ही कानून हो जाएगा और वे कतिपय महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं देंगे—तो इसका अर्थ होगा हमारे उप-महाद्वीप की एकता का विखंडन।

जैसाकि जो टाइटलर ने उल्लेख किया है दिल्ली इस अर्थ में अद्वितीय है कि यहां पर सभी भागों, भाषाओं और धार्मिक समूह के लोग आकृष्ट हुए हैं। कोई व्यक्ति हिन्दुस्तानी की बात कर रहा था। कोई व्यक्ति चाहे कोई भी भाषा बोले, उसकी आचरण और संस्कृति कोई भी हो, विशेषरूप से अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत उसको अपना स्कूल रखने का अधिकार होता है।

मैंने एक समाचारपत्र में पढ़ा था कि इनमें से एक मंत्री शिक्षा का प्रभारी होगा। मैं यह आशा ही कर सकता हूं कि वह व्यक्ति किसी जातीय समूह अथवा धार्मिक समूह विशेष द्वारा निर्वाचित नहीं होगा जोकि उन नीतियों पर अपने पूर्वग्रह थोपेगा। मैंने माध्यमिक शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किये जाने के लिए काफी लड़ाई की है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि केन्द्र को एकता प्रदर्शित करनी है तो इसे समूचे देश के लिये शिक्षा नीति बनाने में निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी। हम आज यही देख रहे है।

पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि जातीयवाद और भाषाईवाद में घोर वृद्धि हुई है। हम नहीं चाहते कि यह उप-महाद्वीप में भी फैले जिसके हरेक दिशा में हरेक तरह के खिचाव हैं। जिस बात का मुझे भी डर है वह है कि यदि केन्द्र के पास वह शक्ति नहीं रही जो इसके पास रही है, तो विधिक विवाद पैदा हो जाएंगे और भारत से राष्ट्रपति का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री आ सकते हैं।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मैंने एक अन्य दिन यह प्रश्न उठाया था। मैं ससम्मानपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को अनधिकृत शक्ति सौंप दी है। जब मैंने इस बात का उल्लेख किया, तो अध्यक्ष ने कहा कि वह सर्व सम्प्रभुता का व्यक्तिगत रूप से चैम्पियन हैं वह किसी भी न्यायालय, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आते। लेकिन उस समय क्या होगा जब उदाहरणार्थ आन्तरिक रूप से शिक्षा का प्रभारी व्यक्ति, केन्द्र में शिक्षा मंत्री के अधिकार को चुनौती दे? वह शिक्षा मंत्री के अधिकार पर प्रश्न करता

9.00 म० प०

है क्या वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और इस पद्धति पर कोई विधान बनाने के लिए कह सकता है?

मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के स्व० मुख्य न्यायाधीश को श्रद्धांजलि दे रहा था और मैं बता रहा था कि आपराधिक कानून पक्ष के अग्रणीनेता के रूप में मैं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी अग्रणीनेता बन गया था। इसका कारण यह था कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत

[श्री फैंक एन्थनी]

सम्भवतः किसी भी अन्य वकील की अपेक्षा ज्यादा याचिकाओं पर बहस की थी। क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही कार्यवाही करके अनधिकृत रूप से शक्ति सम्पन्न हो जाए, उदाहरण के लिए अध्यक्ष—चाहे केन्द्र में हो अथवा राज्य में, का प्रतिस्थापन्न बन जाए। इसका अर्थ होगा कि देश का शासन न्यायपतिका द्वारा चलाया जाएगा और आपके यहां न्यायिक विधान होंगे। हाल ही के तीस मामलों में से एकमात्र हारे हुए मामले में यही हुआ है। लेकिन उन्होंने संसद की दोनों सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से पारित निर्णय को रद्द कर दिया है।

एक विशेषज्ञ के नाते मुझे अपना मत व्यक्त करने के लिए कहा गया। मैंने कहा कि दो न्यायधीशों ने विविध शक्ति का प्रयोग किया है। हाल ही के उस मामले में जिसमें मैंने बहस की थी, कुछ न्यायधीशों ने कहा है कि अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत जो अल्पसंख्यक अपनी संस्था स्थापित करता है, वह उसकी पसन्द की होनी चाहिए। यहां प्रमुख शब्द "उसकी पसन्द" है। बशर्ते यह युक्तियुक्त नियमों के अन्तर्गत कार्य करे तो कोई न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई सरकारी प्राधिकारी उसके आन्तरिक प्रबन्धन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहीं पर मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री जी का लोकतंत्र को अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन उन्होंने दिल्ली के स्थायित्व, जोकि अपने में एक है, को भी समर्थन दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार से उन्होंने अच्छा संतुलन रखा है।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जिस समय उन्होंने बोलना शुरू किया था, उससे पहले उन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना दी थी। मैंने उनको अनुमति दी है। उन्होंने हमें काफी पहले सूचना दे दी है। ठीक है, श्री राम नाईक आप पांच या दस मिनट बाद बोलिएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गये दो साल से मैं इस लोक सभा में हूं। जब कभी दिल्ली की बात होती थी तब सब जगह से लोग बोलते थे और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे साथी यह कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश हिन्दुस्तान है, लेकिन जैसे दीये तले अन्धेरा होता है वैसे ही दिल्ली में जनतन्त्र नहीं है। इस प्रकार के लोगों के शब्द होते थे। अब इस विधेयक लाने से वह शिकायत दूर होने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।

इसलिये मैं दिल्ली निवासियों को बधाई देना चाहता हूं और उनका इस अवसर पर अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उनको अब अपना जनतन्त्र मिल रहा है। मेरी मुम्बई हिन्दुस्तान की वाणिज्यिक कर्मशियल राजधानी है और दिल्ली देश की राजनैतिक राजधानी है। इसलिये कर्मशियल राजधानी की ओर से भी दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात को अवश्य कहूंगा जो कि चर्चा नहीं की गई और उसकी ओर से गृह मन्त्री और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा की बनाने की बात तो हुई लेकिन दिल्ली में कारपोरेशन भी है जिसके चुनाव 7-8 साल से नहीं हुये हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब आप विधान सभा के चुनाव करायेंगे, उस समय महानगरपालिका का चुनाव भी कराना चाहिये। इस प्रकार दिल्ली को कारपोरेशन के काम के लिये जो काम होगा, लोगों को उसका

प्रतिनिधि उपलब्ध होगा और असेम्बली चलाने के लिये तथा सरकार चलाने के लिये भी उनका प्रतिनिधि उपलब्ध होगा। किसी भी नगर के लिये थ्री-टीयर सिस्टम होता है, वह दिल्ली को मिलना चाहिए इसलिये मेरा निवेदन रहेगा कि कारपोरेशन का चुनाव भी विधानसभा चुनाव के साथ-साथ ही होना चाहिये, तब दिल्ली वालों को न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी जी ने क्षेत्रों की पुनर्रचना की बात का उल्लेख किया है। मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं कि यहां पर विधान सभा के लिये 70 स्थान होंगे लेकिन लोक सभा के अन्दर आप करने की कोशिश करेंगे जिसका उल्लेख माननीय आडवाणी ने किया कि चान्दनी चौक एक छोटा सा लोक सभा क्षेत्र है, उसमें दस विधान सभा क्षेत्र दिये जायेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में जो प्रोपोरशनल रिप्रजेंटेटिव होना चाहिये, वह नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जनसंख्या के अनुपात को निकालकर कर ही रचना करनी चाहिये। अभी हमारे मुम्बई के मुरली देवड़ा नहीं बैठे हैं। लेकिन मुम्बई की महानगरपालिका के चुनाव कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं। वहां पर अभी-अभी निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्रचना हुई है लेकिन वह 1981 की सैंन्सज के आधार पर हुई। हम इसकी मांग कर रहे थे कि यह 1991 की सैंसेज के आधार पर होनी चाहिये। यदि फाइनल फिगर्स तैयार नहीं हुई हैं तो प्रोविजनल फिगर्स के आधार पर करें तो महाराष्ट्र सरकार प्रोविजनल सैंसेज के आधार पर करने को तैयार है नहीं। क्यों नहीं है? इस बारे में डायरेक्टर आफ सैंसेज को पत्र लिखा है जिसकी एक कापी मेरे पास है और मैंने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि जो सैन्सेज का सर्किल होता है, उसकी जानकारी हमने अब तक पूरी तैयार नहीं की है। मैं गृह मन्त्री से चाहूंगा कि प्रोविजनल सैन्सेज की फीगर्स आप जल्दी से जल्दी तैयार करें और दिल्ली के लिये भी उसी प्रकार तैयार करवाईये। यदि यह हो जाता है तो सही मात्रा में प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटेटिव मतदाता को समान रूप से मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि दिल्ली में उप-नगरों का नया विस्तार है, वहां आबादी और बढ़ने वाली है और यह ख्याल में रखकर यदि उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं तो ठीक प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र की बाडों की रचना करें। इसके साथ-साथ जिस बात की चर्चा नहीं हुई, उसको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने सब को विश्वास दिया है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में भी लिखा है कि 30 परसेंट स्थान महिलाओं के लिए आप आरक्षित रखेंगे।

तो किसी ने अब तक इस बात की चर्चा नहीं की और इसलिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यहां जो 70 कांस्टीट्यूएंसीज बनेंगी, उसमें 30 प्रतिशत सीट्स महिलाओं के लिये आरक्षित रखनी चाहिये। सज्जन कुमार जी, मन्जूर है क्या? तो 30 प्रतिशत सीट्स महिलाओं के लिये आरक्षित रखनी चाहिये, ऐसा भी मेरा इसके साथ-साथ आग्रह है और यदि हम यह करेंगे तो पापुलेशन भी अलग-अलग सब लोग बता रहें हैं। कुछ 85 लाख बता रहे हैं और कुछ 95 लाख बता रहे हैं। मुझे बताया गया कि 95 लाख लेटेस्ट पापुलेशन की फिगर्स हैं। उनके आधार पर यह करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा इस बारे में सुझाव है।

यह भी विचार करना चाहिये कि दिल्ली कार्पोरेशन की जो आज यहां 100 सीट्स हैं, वह पहले की हैं। अब जबकि दिल्ली की पापूलेशन 95 लाख तक पहुंच गयी है, तो कार्पोरेशन की सीटों की संख्या कुछ बढ़ानी चाहिए। कार्पोरेशन ऐक्ट तो आपको अमेंड करना पड़ेगा।

श्री जगदीश टाईटलर: वह तो बढ़ रही है। अमेंड भी हो जाएगा।

श्री राम नाईक : उसके साथ चुनाव करने की बात मैं कर रहा हूं। इसलिये जो 100 सीट्स हैं उसके बदले 150 या 160 तक बढ़ानी चाहिये, इस प्रकार का मेरा आग्रह है और दोनों चुनाव साथ में हो तो बढ़िया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मुम्बई महापालिका में 170 वार्ड्स थे, उसकी पुनर्रचना में 270 वार्ड्स हो गये हैं। वहां आबादी बढ़ने के कारण 100 वार्ड्स बढ़ाए हैं, वैसे ही दिल्ली में करना चाहिये और एक बात यह है कि जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे सईद साहब का लक्षद्वीप है, अण्डमान है और इसलिए इनका अपना स्टेटस बनने वाली असेम्बली, अपनी सरकार बनाने का अधिकार देने का विचार सरकार को करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जब गृह मंत्री इस प्रकार से सोचेंगे तो सारे सदन का आपको समर्थन मिलेगा। हमारी ओर से जरूर समर्थन मिलेगा, इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री पी० एम० सईद** (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत मैं कन्नड़ भाषा में बोलने को वरीयता दूंगा यद्यपि यह मेरी मातृभाषा नहीं है। आप अब पीठासीन हैं और यदि कन्नड में मेरी अभिव्यक्तियों में कोई कमी पाई जाये या वे गलत हों तो मुझे आशा है कि आप उन्हें ठीक कर देंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : उस मामले में मुझे अपना उत्तर मराठी भाषा में देने दीजिये।

***श्री पी० एम० सईद** : महोदय, वे मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके राज्य गृह राज्य महाराष्ट्र में रह रहा था। यद्यपि मैंने मराठी भाषा धाराप्रवाह से बोलनी नहीं सीखी है फिर भी जो मराठी भाषा में कहा जाये वह मैं समझ सकता हूं। मैं मन्त्री महोदय श्री नाईक को इसकी जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको भी सूचित करना चाहता हूं कि मैंने इस सम्मानित सभा में केवल पहली बार ही कन्नड़ भाषा में अपना भाषण नहीं दे रहा हूं। तत्कालीन मैसूर राज्य के नाम में परिवर्तन करके कर्नाटक राज्य करने के लिए इस सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और मुझे उस ऐतिहासिक विधेयक पर यहां कन्नड़ भाषा में ही बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह 1973 की बात थी जब मैं जवान था। यह दूसरी बार है कि मुझे कन्नड़ भाषा में बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इन दो भाषाओं में व्यापक अन्तर है। इन वर्षों के दौरान मेरा अपने कन्नड़ भाइयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहा है और हो सकता है मेरी भाषा भी उनको अच्छी नहीं लगी हो। इसलिए मैं विस्तृत भाषण देने का साहस नहीं कर सकता। तथापि आप अब पीठासीन हैं और यह मेरे लिये कन्नड भाषा में बोलने के लिये एक प्रेरणा है।

दिल्ली के लोगों को कतिपय अधिकार देने के लिए जिन्हें केवल प्रजातन्त्रीय व्यवस्था द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस सभा में जोकि कानून बनाने वाला सर्वोच्च निकाय है, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक लाया गया है हम अपने प्रधानमन्त्री महोदय और गृह मन्त्री महोदय को हार्दिक बधाई देते हैं। यह सच है कि यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमारा वायदा था और हमने अपना वायदा पूरा किया है। इस शुभ अवसर पर मैं दिल्ली के लोगों को भी बधाई देता हूं। हमने जो कहा था वह कर दिया है। लोग अब यह महसूस करेंगे कि हम केवल आश्वासन ही नहीं देते बल्कि अपने शब्दों के साथ डटे रहते हैं और अपने वायदे पूरे करते हैं और यह सब देख रहे हैं कि हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। अब यह एक वास्तविकता बन गई है। हम उनमें से नहीं हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

*मूलतः कन्नड़ भाषा में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विधेयक के सम्बन्ध में मुझे विस्तारपूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सुस्पष्ट और व्यापक विधेयक है। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो इस विधेयक पर पहले ही बोल चुके हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया है। 1977 में जनता सरकार द्वारा किये गये वायदे का बताना बहुत आवश्यक है। वे दो वर्ष और 4 महीने तक सत्ता से रहे थे। उनकी सरकार गिर गई थी लेकिन वे सत्ता में रहते हुए दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे थे। यह बात न केवल दिल्ली के लोगों को बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी समझने की आवश्यकता है। वही ग्रुप ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमन्त्री बनाया था। वे ग्यारह महीने सत्ता में रहे थे लेकिन वे भी दिल्ली-वासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में बुरी तरह से असफल रहे थे यह सच्चाई सभी को याद रखनी चाहिए।

हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से दिल्ली के लोगों को एक महत्वपूर्ण वचन दिया था। और अब हमारी सरकार ने वही दे दिया है जो दिल्लीवासी चाहते थे। तदनुसार, हमारी सरकार ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है।

25 वर्ष पहले जब मैंने एक नौसिखियों के रूप में इस सभा में प्रवेश किया था तो बुजुर्ग नेता मुझे 'मारी' (बेबी) कह कर पुकारा करते थे। बैरिस्टर नाथपेयी मुझे मारी कहने के बहुत शौकीन थे। अब मैंने इस देश देश की सर्वोच्च जनसभा में 25 वर्ग का अनुभव प्राप्त कर लिया है। मैं आरम्भ से ही केन्द्र सरकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप के लिये अधिक प्रजातन्त्रीय अधिकार देने की मांग करता आ रहा हूं। तत्कालीन गृह मन्त्री महोदय और अन्य वरिष्ठ नेता यह प्रश्न उठाया करते थे कि लगभग 25000 जनसंख्या वाले एक छोटे से प्रदेश में प्रजातन्त्रीय ढांचा कैसे स्थापित किया जा सकता है। मुझे लक्षद्वीप के लोगों के लिये अधिक प्रजातन्त्रीय अधिकार प्राप्त करने के लिये गृह मन्त्रालय के दृष्टिकोण के कारण अभियान छेड़ने पर बाध्य होना पड़ा। संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की जनसंख्या अब दुगनी हो गयी है, यह 25000 से 50000 तक बढ़ गई है। पेन इण्डियन जनसंख्या की तुलना में लक्षद्वीप की जनसंख्या एक प्रतिशत से भी कम है।

परसों शून्य-काल के दौरान मैं यहां आपके सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा था। मैं इस द्वीप के प्रति अधिकारियों की उदासीनता के विरोध में मामला उठा रहा था। ये नौकरशाह अपने ही तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे ही वे समुद्र पार करते है वे सोचते हैं कि वे सम्राट हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता है। यदि ये अधिकारी हमारे प्रति इसी तरह स्वेच्छाचारी और उदासीन रहे तो हम अपने प्रजातन्त्रीय अधिकारों को कैसे बचाये रख सकते हैं? आज दोपहर बाद इस विधेयक के बारे में मैंने अपना विचार व्यक्त किया था। मैं केन्द्र सरकार से यह नहीं कह रहा हूं कि वह हमारे लिए शीघ्रातिशीघ्र एक वैधानिक निकाय की व्यवस्था करे। यदि एक पूर्णकालिक वैधानिक निकाय की नहीं तो गृह मन्त्री को हमारे प्रजातन्त्रीय अधिकारों के उपयोग के लिए कम से कम कोई न्यायाधिकरण देने पर विचार करना चाहिए। यह चाहे किसी भी नाम से हो अथवा इसका चाहे कोई भी रूप हो। उनकी आकांक्षाओं का आदर करना पड़ेगा और हमें उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

इसलिये मैं गृह मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह लक्षद्वीप के लोगों को अपने प्रजातन्त्रीय अधिकारों का प्रयोग करने और उनका आनन्द लेने के लिये कम से कम वर्तमान ढांचे में कोई अवसर देने के बारे में अपने उत्तर में हमें आश्वासन दे।

महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिये मुझे यह अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? माननीय सदस्य श्री सईद की मातृभाषा मलयालम है। मलयालम भाषी लोग सभी भाषाओं को अच्छे ज्ञाता होते हैं। उन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बोला है। मेरा यह निवेदन है कि श्री सईद को विधेयक के तीसरे पठन पर भी बोलने का अवसर दिया जाये और वे तमिल में बोलने को वरीयता प्रदान करें।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : महोदय, माननीय सदस्य श्री अहमद की मातृभाषा मलयालम है और मैं मलयालम भाषा में बोलूंगा।

श्री ई० अहमद : नहीं महोदय, माननीय सदस्य श्री सईद को तमिल भाषा में बोलना चाहिये क्योंकि मलयालम भाषी लोग हमेशा आगे रहते हैं और सभी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता होते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है यह विद्वानों की विशिष्टता है। अब श्री पी० सी० थामस।

श्री पी० सी० थामस : क्या कन्नड़ भाषा में बोलना है, महोदय ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कन्नड़ भाषा अथवा अपने द्वारा चुनी गई किसी अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन और सराहना करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक को लाने के लिये माननीय गृह मन्त्री और इस सरकार का समर्थन करता हूं। मुझे खुशी है कि दिल्ली में लोकतान्त्रिक ढांचे की स्थापना की जा रही है। मुझे विश्वास है कि जो प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे वे इस स्थापित किये जाने वाले लोकतान्त्रिक ढांचे से लाभ उठाते हुये इसकी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे।

अब यह स्पष्ट दिखता है कि जैसे ही सीमा निर्धारक पूर्ण हो जाता है, दिल्ली में चुनाव कराये जायेंगे। दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां पर समूचे भारत का किसी न किसी रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। मुझे विश्वास है कि इस सर्वदेशीय शहर, जहां पर कि समाज के सभी वर्गों द्वारा सभी भाषायें बोली जाती हैं, का प्रतिनिधित्व किया जाता है—और इस तरह भारत के लगभग समूचे भूभागों का प्रतिनिधित्व भी किया जायेगा—में एक विधान सभा गठित की जायेगी।

इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करूंगा कि चुनाव कराये जाने से पूर्व, चुनाव आयोग मतदाताओं की सूची को सही ढंग से अद्यतन करने के लिये सभी संभव कदम उठाये। एक शिकायत यह है कि दिल्ली में मतदान के पात्र कई व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है। मेरी समझ से मतदाता सूची में उनका नाम न होने का एक कारण यह है कि उनमें से अधिकांश के पास यह दिखाने के लिये कोई राशन कार्ड और पर्याप्त सबूत नहीं है कि वे शहर की मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकारी हैं।

इस तरह से, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। मेरा यह सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिये जो सबूत अपेक्षित हैं, वह उदार दृष्टिकोण अपनाकर उपलब्ध

कराया जाना चाहिये जिससे कि दिल्ली के वास्तविक निवासियों अथवा जिन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाना है, उनके पास मतदाता सूची में आने से चूक न जायें। मैं इस पद पर यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि मतदाता सूची इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये बनाई जानी चाहिये कि बहुत से लोगों के पास निवासी होने का साक्ष्य दिखाने की सुविधा नहीं रहती क्योंकि उनमें से अधिकतर किरायेदार होते हैं और मकान मालिक उन्हें किरायेदार होने का वास्तविक सबूत दिखाने की अनुमति नहीं देते। इस तरह से कई किरायेदार अपना वास्तविक सबूत दिखाने की स्थिति में नहीं होते। वे लोग जब कभी मतदाता सूची से अपने नाम शामिल कराना चाहते हैं तब यह बात भी उनके विरूद्ध जाती है। अतः मेरा विचार है कि दिल्ली में चुनाव होने के समय इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

मैं यह विधेयक लाने के लिये माननीय मन्त्री जी और सरकार की एक बार फिर सराहना करता हूं।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा···

एक माननीय सदस्य : कृपया तमिल में बोलिये।

श्री अन्बारासु इरा : यहां पर कोई भाषांतरकार नहीं है। महोदय, दिल्ली की जनसंख्या 85 लाख है। 85 लाख में से 20 प्रतिशत व्यक्ति भाषाई अल्पसंख्यक हैं और यहां पर देश के सभी भागों से आकर लोग बसे हुये हैं। अतः यह विधेयक तैयार करते समय मुझे नहीं मालूम कि इस पहलू को किस तरह से पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है। इन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये इसमें व्यवस्था की जानी चाहिये थी।

श्री आडवाणी जी ने बिल्कुल सही उल्लेख किया है कि यह दिल्ली केवल राजधानी ही नहीं है, बल्कि एक महानगर भी है तथा प्रस्तावित विधान सभा संसद का लघु रूप होना चाहिये। इसमें राष्ट्र की संस्कृति, भारतीय संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिये और इसलिये महोदय, मेरा सुझाव यही है कि यदि सम्भव हो, तो अभी भी देरी नहीं हुई है और इसमें यह खण्ड जोड़ा जाना चाहिये कि संसद अथवा भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और इनका प्रतिनिधित्व करने वाले को कम से कम दो विधान सभा सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होना चाहिये जिन्हें मतदान के सभी अधिकार प्राप्त हों। श्रीमान, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं, उन्हे उपयुक्त आवास के बिना बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है। विशेषकर युवा लड़के और लड़कियां, जो यहां पर रोजगार की तलाश में आते हैं, रोजगार तो पा लेते हैं लेकिन उन्हें आवास सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती इसलिये ऐसे लोगों विशेषकर उन लोगों, जो यहां आकर बस रहे हैं, के लिये छात्रावास अथवा आवास-गृहों के निर्माण के लिये भूमि आवंटन का प्रावधान होना चाहिये।

इतना ही नहीं, बल्कि स्कूलों, कालेजों और शिक्षा संस्थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। देश के अन्य भागों से दिल्ली में आने वाले लोगों को दिल्ली में स्कूलों और कालेजों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में बहुत कठिनाई होती है और इसलिये वे दिल्ली तमिल स्कूल, कन्नड़ स्कूल, तेलुगु और इसी तरह के स्कूल शुरू करते हैं और इस तरह से ऐसे सभी लोग अपने ही स्कूल शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें यहां पर पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। इसलिये इन सभी बातों को पूरा करने के लिए कुछ

[श्री अन्नारासु इरा]

किया जाना चाहिये। श्री खुराना जी बता रहे थे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली परिवहन निगम जैसे संगठनों में हमें भारत के अन्य भागों से आये हुये लोग देखने को नहीं मिलते। दिल्ली में बहुसंख्यक लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को भयभीत नहीं करना चाहिए। अतः महोदय मैं गृह मन्त्री जी से भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये इसमें एक खण्ड जोड़ने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति अथवा संसद को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए कम से कम दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली शहर के विकास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अपने मत व्यक्त करने के लिये माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने के पश्चात इस विधेयक के सम्बन्ध में इतनी लम्बी चौड़ी चर्चा के लिये कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन प्रत्येक माननीय सदस्य दिल्ली के भावी स्वरूप के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करना चाहता था और इसीलिये मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं। प्रथमतः मैं माननीय विपक्ष के नेता द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करूंगा। उन्होंने सहकारिता समिति और बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया और तीन पहलुओं का हवाला दिया। पहली बात एक केन्द्रीय मन्त्रालय के बारे में थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह केन्द्रीय मन्त्रालय नहीं है, बल्कि केन्द्रीय एजेंसी है। कोई एक प्राधिकारी जिम्मेदार होना चाहिये।

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में केन्द्रीय प्राधिकारी को दिल्ली की सभी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय रखना होता है। इसी तरह से अत्यधिक केन्द्रीयकरण के बारे में भी बात की गई थी। बालकृष्णन समिति ने इस पहलू का जिक्र किया है। मुझे यकीन है कि यदि इसी रिपोर्ट को आगे देखा जाए, तो दिल्ली को दिये जा रहे राज्य के दर्जे के फायदों और नुकसान के बारे में भी उल्लेख मिलेगा। यदि माननीय सदस्य इसे पढ़ें तो वे भी इस बात से आश्वस्त होंगे कि हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा जैसाकि मैंने आज प्रातः अपने भाषण में कहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली के लोगों की यह एक जायजा आकांक्षा है कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले और उनके पास लोकतांत्रिक ढांचा हो तथा दूसरी वह जिम्मेदारी है जिसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण निभाना है। दिल्ली कोई छोटा क्षेत्र नहीं है जिसका प्रशासन दिल्ली के प्रतिनिधियों द्वारा देखा जाना है अंततोगत्वा, हम संभवतः यह नहीं भूल सकते हैं कि यह एक राष्ट्रीय राजधानी है तथा इसीलिए संसाधनों का ख्याल किए बिना, भारत सरकार क्यों दिल्ली के विकास के विभिन्न पहलुओं पर इतनी विशाल धनराशि खर्च कर रही है ? ऐसा इस तथ्य के कारण है क्योंकि कुछ भी हो, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तथा सभी सुविधाएं जो दिल्ली शहर के लिए दी गई हैं, उच्च स्तर की होनी चाहिए। यदि हमारे पास ऐसा स्तर नहीं होगा, तो लोग विभिन्न देशों की विभिन्न राजधानियों में हो रहे विकास से इसकी तुलना करके अप्रसन्न होने के लिए बाध्य होंगे। अतः, इस दृष्टिकोण से, जबकि लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना हेतु सभी प्रबन्ध किए जाने हैं, संसाधनों की वजह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

केन्द्र सरकार को यह देखने के लिए मामले में हस्तक्षेप करना होगा कि सभी सुविधाएं कुछ इस प्रकार से प्रदान की जाएं कि न केवल दिल्ली शहर के लोग बल्कि वे सभी लोग जो भारत के विभिन्न भागों से आते हैं तथा विदेशों से भी आते हैं, दिल्ली शहर की तुलना जब अपने क्षेत्र के तुलनात्मक जनसंख्या वाले शहर से करें तो उन्हें दिल्ली को देखकर खुशी हो और इसीलिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि हमें इन दो पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसके परिणामस्वरूप वे शक्तियां जिन्हें, वास्तव में, दिया जाना आवश्यक है, विधान सभा को दी गई हैं। मेरे विचार से, यदि मुझे यह कहने की अनुमति हो, मुझ पर महानगर परिषद का चुनाव कराने का दबाव था। जो लोग मुझसे मिलने आए थे उन लोगों की यह मांग थी कि महानगर परिषद के चुनाव कराए जाएं और वे लोग केवल यही दबाव डाल रहे थे कि महानगर परिषद का चुनाव हों। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया कि मैं अब महानगर परिषद का चुनाव कराने की बजाए दिल्ली को विधान सभा के लिए बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के अन्तिम चरण में पहुंच गया हूं तो वे मान गए। सभी ने यह मान लिया कि संविधान के अन्तर्गत यह सर्वोत्तम समाधान है। इसीलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए किसी प्रकार के आंदोलन करने जैसी बातें न सोचें। मैं यह बात अवश्य ही आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र के रूप में, जिसमें लोगों की प्रतिनिधित्व क्षमता को उनकी आकांक्षाओं के साथ विधान सभा और मंत्रालय के रूप में प्रतिबिम्बित किया गया है, से आप लोगों को लाभ होगा। जब तक हम इस प्रकार के ढांचे को स्वीकार नहीं कर लेते, राजधानी के लिए हमारी दृष्टि के अनुरूप योजनाओं के साथ आगे बढ़ने में सरकार को भी और अधिक कठिनाई होगी।

कई माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों को उठाया है। श्री एम० एल० खुराना महानगर परिषद में थे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां वे विपक्ष के नेता थे। हम सभी ने राज्य विधान सभा में काम किया है। हमें पता है कि चालू योजनाओं के लिए कितना दिया जाता है और नई योजनाओं के लिए कितना दिया जा रहा है। यदि आप लोगों को विभिन्न राज्य सरकारों के बजट की कोई जानकारी है, तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता सकता हूं कि चालू योजनाओं के लिए लगभग 80 से 85 प्रतिशत के लिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वे समाप्ति के अन्तिम चरण पर हैं। यदि आप उन योजनाओं को वंचित रखकर और नई योजनाओं के लिये देते है जैसाकि कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं—हम अनेक योजनाओं को वंचित रखते हैं और उन्हें कभी भी पूरा नहीं करते यही तथ्य हमारे आर्थिक घाटे में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। हमें उस निवेश का लाभ नहीं मिलता जिसे हम पहले कर चुके हैं। इसी-लिए, किसी योजना को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। किसी भी योजना को पूरा करने के लिए, जो भी निधि आवश्यक हो, पहले आप उस निधि की व्यवस्था करें, उसके पश्चात् ही किसी नई योजना को आरम्भ करने की सोचें। इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मैं यह भली-भांति समझ सकता हूं कि राजनेता नई योजनाओं में रूचि लेते हैं। जब भी वह चुना जाता है जो वह अपने क्षेत्र में किसी नई योजना को आरम्भ करने में रूचि रखता है। यह बात अच्छी तरह समझ में आती है। परन्तु उसे भी समायोजित करने के लिए, प्रावधान है कि आप कितनी प्रतिशत नई योजनायें हाथ में ले सकते हैं। इस तरह का प्राव्धान पंचवर्षीय योजना में किया गया है तथा हमारा यह प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक योजनायें पूरी हो सकें और कई योजनाओं के लिए अनुमति दी जा रही है जिनका आंशिक प्रावधान किया जाय।

यदि किसी योजना के लिए एक करोड़ रुपये दिए गये हैं तो मैं कहूंगा कि उन्होंने काफी धन राशि दी है। मैं कई योजनाओं का उदाहरण दे सकता हूं जिनमें आंशिक प्रावधान किये जा रहे हैं, जिससे

यदि किसी विभाग में कोई बचत होती है, तो उसे नई योजना को आरम्भ करने के लिए अपवर्तित किया जाए और इस प्रकार यह कार्य होता है। मैं नहीं समझता कि यह कहने के लिए एक बहुत उपयुक्त उदाहरण है कि बहुत कम राशि किसी योजना के लिए दी गई है तो माननीय सदस्य इस ढांचे में कोई आकर्षण नहीं है, और इस प्रकार के निष्कर्ष पर हमारे माननीय सदस्य पहुंचे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस विधान ऐसा कोई पहलू हो जिससे आप यह महसूस कर सकें कि अन्ततः आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इस तरह की भावना को माननीय सदस्यों के मन से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री खुराना भी कुछ बातों के बारे में कहना चाहते थे, मान लीजिये मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल में किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो उस मामले को दिल्ली के मुख्यमन्त्री पर छोड़ दिया जाना चाहिये। यही उनका कहना था। वस्तुतः मुद्दा यह है कि, यदि मन्त्रिपरिषद और उपराज्यपाल के बीच कोई लड़ाई है, तो उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने का प्रावधान है। अन्ततःसंघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। परन्तु, राष्ट्रपति को अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है। अन्तरिम अवधि वह अधिकारी कौन है जिस पर इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंप दी जाए यह एक छोटी बात है। प्रश्न यह है कि क्या वह उपराज्यपाल होना चाहिये या भारत सरकार इस प्रश्न की चर्चा कार्य के नियमों के दौरान प्रत्येक मन्त्रालय में की जायेगी और वे इसके लिए व्यवस्था करेंगे।

हमारे पास इस प्रकार के कुछ अनुदेश होने चाहिए जहां उपराज्यपाल को शक्तियां प्रदान की जाती हैं लेकिन ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इन शक्तियों का उपयोग करने समय उसे भारत सरकार से सलाह मशविरा अवश्य करना चाहिए। ताकि हमें मामले के भी हर पहलू का पता लग सके इससे पहले कि वह कोई त्वरित और अन्तरिम निर्णय ले क्योंकि, कुछ भी हो, राष्ट्रपति को ही अन्तिम निर्णय लेना होता है। लेकिन अगर यह अपरिहार्य है, तो यह विषय उपराज्यपाल के पास आएगा या उस मामले में भारत सरकार के पास जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार घबराने की आवश्यकता है।

कानून और व्यवस्था तथा अन्य सभी मामलों में, लगभग सभी विभाग राष्ट्रपति के पास थे। अब केवल तीन विषयों को ही राष्ट्रपति के पास रखा गया है बाकी के सभी विषय दिल्ली सरकार को सौंप दिए गये हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें जो कुछ संविधान या विधेयक में है उसके आधार पर होगी। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अनुभव करता हूं कि अधिकतर चीजों का निपटान किया जा सकता है अगर एक स्वस्थ परम्परा बना दी जाए और मुझे विश्वास है कि दिल्ली विधान सभा को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो अन्य विधान सभाओं द्वारा अपनाया जाए और वह दावा कर सके कि हम दिल्ली में एक बहुत ही स्वस्थ परम्परा बनाने में सफल रहे हैं, हालांकि यह बहुत बड़ी विधान सभा नहीं है, जबकि विधान सभा के पास सभी अधिकार होते हैं। इसके बावजूद, आप जो भी परम्पराएं बना सकते है, जोकि अन्य विधान सभाओ से ज्यादा अच्छी होंगी जिनके पास सभी शक्तियां होती हैं। लेकिन मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता कि वहां पर क्या हो रहा है।

केवल संघ राज्य क्षेत्रों तक ही निर्देश देने की शक्ति सीमित नहीं है, संविधान में राज्य सरकारों को भी निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है जिसकी भारत सरकार ने कभी जरूरत नहीं समझी है। यह शक्ति तो दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर उन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो गृह मंत्रालय में हमारे पास अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता है। ऐसा समझा जायेगा कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही हैं और जो अन्ततः

प्रशासन को असफलता की तरफ ले जायेगा। हम निश्चय ही अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने में रूचि नहीं रखते हैं।

इसीलिए हमने निर्देश देकर सत्ता का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यहां भी केवल कतिपय मुद्दे हैं जिन पर कुछ निदेश दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मामले पर भारत सरकार द्वारा निदेश दिये जा सकते हैं।

अगला मुद्दा मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। मैं भी इसे पूरी तरह नहीं समझ सका था। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में हमने अपने देश के लिये इस प्रकार का संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया है जिसमें बहुमत दल का नेता सरकार बनाता है। यहां विधान सभा के सभी सदस्यों में से नेता चुना जाता है। यह उस संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल है जिसे हमने स्वीकार किया है। हमारी प्रणाली के अनुसार जो भी दल सत्ता में है अथवा बहुमत दल है, वह अपना नेता स्वयं चुनेगा और उसके बाद उपराज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की स्वतः ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करें और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य सभी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं।

9.44 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

एक और मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहूंगा। वास्तव में मैंने अपने सुबह के भाषण में निगम अथवा बालकृष्णन् रिपोर्ट भाग I के बारे में उल्लेख किया था। वस्तुतः हमारा इस मुद्दे को शीघ्रता के आधार पर आरम्भ करने का विचार था और यदि संभव हुआ तो हम संसद के समक्ष एक विधान लाएंगे ताकि हम विभिन्न प्रकार के निगमों के लिए, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और बिजुत निगम, जल निगम, सभी निगमों जो हमारे पास हैं, के ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। सभा के सदस्यों और विभिन्न निगमों के बीच क्या संबंध होगा ? वे निश्चित रूप से स्वायत्त निकाय है परन्तु इसके साथ-साथ क्या विधान सभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उचित अथवा अनुचित है, इस पर सरकार को विचार करना होगा और इसके पश्चात् पूरा मामला सभा के समक्ष आएगा। अतः इस पर चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

परिसीमन के बारे मुद्दा में उठाया गया था। यदि वर्ष 1991 के अन्तरिम जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध हैं और उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तो प्रश्न यह है कि आप परिसीमन कैसे करेंगे। एक बहुत तर्कसंगत प्रश्न उठाया गया है। निश्चित रूप से हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। जहां तक संभव है हम आंकड़ों को लें। यदि हम 1981 अथवा 1971 के आंकड़ों के अनुसार चलें तो क्या इस आधार पर हम जनसंख्या में वृद्धि की गणना कर सकते है ? उस आधार पर क्या हम वर्ष 1991 की जनसंख्या की गणना कर सकते हैं ? मैं नहीं समझता कि वह इसका सही तरीका होगा। किन्तु यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो जनसंख्या के जो भी नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हों, हमें उन्हीं आंकड़े के अनुसार चलना होगा। परन्तु परिसीमन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। वस्तुतः मैं किसी के दिमाग में किसी भी प्रकार की गलत-धारणा उत्पन्न करने का कोई अवसर नहीं देना चाहता हूं। हम कुछ जनसंख्या को कुल सीटों की संख्या से विभाजित करेंगे, चाहे वह इस संसदीय क्षेत्र मे अथवा उस संसदीय क्षेत्र से हो। इस मामले पर बाद में विचार किया जा सकता है। परन्तु सम्पूर्ण जनसंख्या को उसमें से बढ़ती हुई जनसंख्या को घटाना होगा। यदि स्थायी जनसंख्या के नाम मतदाता सूचियों में हो तो निसंदेह हमें उस तरीके से चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि यह पता करना कठिन नहीं होगा कि प्रत्येक

[श्री एस० बी० चव्हाण]

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी सचमुच यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर परिसीमन आयोग निश्चित रूप से विचार करेगा।

मैं बहुत खुश था जब आडवाणी जी ने इस बात का उल्लेख किया जोकि माननीय सदस्यों के भाषण में विभिन्न भाषाओं में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हुई संक्षेप में मुद्दा यह है कि दिल्ली शहर के प्रतिनिधित्व स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए। दिल्ली में केवल ये दो अथवा तीन भाषाएं नहीं, बल्कि यहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। श्री अन्बारासु इरा ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दो सीटें आरक्षित करने के लिए मुझे कहा है। यहां बहुत संख्या में अल्पसंख्यक है। मैं नहीं समझता हूं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित करने का यह सही अनुपात होगा। यह सभी राजनैतिक दलों का दायित्व होगा चाहे वह कांग्रेस दल, भा० ज० पा० दल, सी० पी० एम० दल अथवा कोई भी अन्य राजनैतिक दल हों, उन्हें देखना होगा कि इन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और किसी को ऐसा महसूस न हो कि उसे बिलकुल छोड़ दिया गया है। विधान सभा में न सही, निगम में उन्हें प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में हमें होना चाहिए। परन्तु प्रतिनिधित्व के नाम पर यदि हमने एक बार भी सदस्यों को मनोनीत करने का सिद्धांत स्वीकार किया तो निश्चित रूप से इसका कोई अन्त नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए यह सही उपाय नहीं होगा। श्री मनोरंजन भक्त और श्री पी० एम० सईद ने ऐसी व्यवस्था की मांग करने में मुबह और इससे पूर्व चर्चा के दौरान जल्दी की है। यहां लोगों की लम्बी सूची है। अब वह पीठासीन हैं। पीठासीन होने के कारण मेरे पास मुश्किल से कोई विकल्प है। परन्तु क्या इस प्रकार का लोकतांत्रिक ढांचा कुछ छोटे क्षेत्रों में उपयुक्त होगा, यह एक मुद्दा है जिस पर हमें कुछ विचार करना होगा। परन्तु मैं किसी प्रकार का एक तंत्र देने के पक्ष में हूं जिससे स्थानीय लोगों को किसी प्रकार प्रतिनिधित्व मिले। (व्यवधान) मुद्दा यह है किस रूप में और किस आकार में यह आएगा जिसके लिए माननीय मंत्री इस पर विचार करने के लिए कुछ समय देंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे ताकि हम कुछ निर्णय ले सकें जैसाकि हमने दिल्ली के मामले में किया है।

अल्पसंख्यकों द्वारा शुरू किये गए स्कूलों के बारे में श्री फ्रैंक एन्थनी ने कुछ आशंका व्यक्त की है। मैं नहीं समझता कि इसमें इस प्रकार की आशंका की कोई गुंजाइश है। जब तक संविधान में अनुच्छेद 30 विद्यमान है आपको इसके बारे में चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो भी दल सत्ता में आता है, मैं नहीं समझता कि कोई संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर सकता है।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा आरम्भ किये गए सभी स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं को अपने दिमाग में किसी प्रकार की आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ निश्चित रूप से एक जैसा वही व्यवहार किया जाएगा जैसाकि अन्य संस्थाओं के साथ किया जा रहा है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग में एक तरह का विश्वास पैदा हो जाए कि आखिरकार वे भी दिल्ली के ही अंग हैं और उनके साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस तरह का विश्वास सभी सम्बन्धित लोगों के मन में पैदा किया जाना चाहिए।

यह वह मुद्दे हैं जिन्हें माननीय सदस्यों ने कहा है। विभिन्नन मुद्दों के विभिन्न प्रभावों को स्पष्ट करने की मैंने पूरी कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : अब श्री मनोरंजन भक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं० 6 को विचार के लिए लिया जाएगा।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा और उसके बाद अपना संशोधन वापस ले लूंगा। गृह मंत्री जी ने इस राज्य क्षेत्र पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दूसरा मुद्दा यह है कि श्री खुराना ने कहा है कि यह विधान सभा लूला लंगड़ों की है इसलिए मैंने सोचा कि इस लूला लंगड़ों की विधान सभा का इलाज करने के लिए यह संशोधन उन्हें स्वीकार्य होगा। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करते हैं और अपने शब्दों में संशोधन करते हैं तो मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहूंगा।

मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद से सम्बन्धित संविधान के उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उससे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा की जायेगी।

खण्ड—2 परिभाषायें

श्री भवन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 6—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

55 "उप-राज्यपाल" से अभिप्रेत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र के उपराज्यपाल से" (9)

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 14, 15 और 16 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं अन्य संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 6—

'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र' के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाये। (22)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9—

"राष्ट्रीय राज्यधानी राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाये। (23)

श्री ई० अहमद : माननीय सभापति महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा है, ये संशोधन खण्ड 2 की परिभाषाओं के सम्बन्ध में हैं जबकि इस विधेयक में सभी अधिकारियों की परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें अनुच्छेद, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन आयोग, विधान सभा की परिभाषाएं भी शामिल हैं। लेकिन इस विधेयक में अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारी उप-राज्यपाल हैं। परन्तु उप-राज्यपाल की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। निःसन्देह संविधान में उप-राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। परन्तु संविधान में विधान सभा, निर्वाचन आयोग और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिभाषा का भी प्रावधान किया गया है। जब संविधान में इन सभी की परिभाषाएं दी गई हैं तो उप-राज्यपाल की परिभाषा भी होनी चाहिये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अनुच्छेद 239 का उल्लेख करूंगा जिसमें राष्ट्रपति को सभी अधिकारियों को नियुक्त करने और उनकी परिभाषा देने का पूरा अधिकार है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उप-राज्यपाल भी आता है।

श्री ई० अहमद : गृह मन्त्री के उत्तर को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा में मतदान हेतु रखूंगा।

संशोधन संख्या 8 को सभा में रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि श्री ई० अहमद द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को वापिस ले लिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 9 को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं, श्री सज्जन कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार करता हूं क्योंकि ये आनुषंगिक हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (22)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (23)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 2, यथासंशोधित, में सभा के मतदान के हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड-3, विधान सभा और इसकी संरचना

सभापति महोदय : इस खण्ड के लिए कुछ संशोधन हैं। श्री याहया सिंह उपस्थित नहीं हैं।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति·····के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(3) राष्ट्रपति, भाषायी अल्पसंख्यकों जो दिल्ली में स्थायी रूप में बसे हुए हैं, के हितों के संरक्षण के लिए विधान सभा के लिए दो से अन्यून सदस्यों को, जो मतदान की शक्ति सहित निर्वाचित सदस्यों की सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे, नागनिर्देशित करेगा।" (2)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति···,

"सत्तर" के स्थान पर "चौरासी" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

श्री ई० अहमद : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

10.00 म० प०

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें मतदान के अधिकार सहित निर्वाचित सदस्यों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ताकि भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके, जोकि दिल्ली के स्थायी निवासी हैं।

निसन्देह रूप से गृह मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा राजनैतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा की जायेगी। परन्तु मेरी अपनी आशंका है कि यदि कर्नाटक के मुख्यमन्त्री जैसा कोई व्यक्ति यदि दिल्ली का मुख्यमन्त्री बन जाता है, तो···

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : नहीं, आप इस प्रकार नहीं कह सकते।

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, इसके लिए मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापिस ले रहा हूं। यदि अन्य देशभक्ति के दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमन्त्री बनता है, तो ऐसी स्थिति में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जायेगा। अतः मैं गृह मन्त्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं।

श्री अन्नारासु इरा : महोदय, दिये गये आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेने हेतु सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

खण्ड 3

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, खण्ड 3, 1991 की अनन्तिम जनगणना से सम्बन्धित है। मैंने अभी-अभी गृह मन्त्री द्वारा इस मुद्दे की वैधता को स्वीकार करते हुए सुना है जिसे मैंने उठाया था और आगे यह कहा कि वह इसे देखेंगे कि यदि कोई अनन्तिम जनगणना उपलब्ध नहीं है, तो तब उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जायेगा। परन्तु विधेयक में स्पष्टतः कहा गया है :—

> "परन्तु जहां ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं वहां हम अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ राजधानी की जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों को, जैसे कि वे 1991 जनगणना के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए हों, राजधानी की जनसंख्या समझा जायेगा।"

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने दोनों बातें कही हैं। हम देखेंगे कि अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध कराये जायें और इन्हें प्रकाशित कराया जाये ताकि सभी लोग इसे जानें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने सदन को आश्वस्त किया है कि छह से आठ महीनों के भीतर दिल्ली में चुनाव कराये जायेंगे और दिल्ली में विधिवत् गठित एक प्रतिनिधित्व निकाय होगा। मैं इन चुनावों को छह से आठ महीनों के भीतर करवाने पर जोर देना चाहूंगा। मैं इस बात पर भी बल दूंगा कि परिसीमन की ओर ध्यान न देना चुनाव स्थगित करने का बहाना नहीं होना चाहिए। अतः छह से आठ महीनों के भीतर चुनाव करवाए जाने चाहिए। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

इसके आधार पर चुनाव स्थगित करना सबसे अच्छा आधार बन जाता है।

अतः मैं एक ऐसे अध्यादेश का भी समर्थन करने को तैयार हूं जिसमें 1991 की जनगणना के स्थान पर 1981 की जनगणना करने की व्यवस्था हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव 6 से 8 महीनों के अन्तर्गत हो जायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक विकल्प के रूप में, हम निश्चित रूप से यह करने का प्रयास करेंगे कि नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हों, जिन्हें अनन्तिम माना गया है। यदि यह वास्तविक रूप में नहीं हो पाता है तो केवल तभी यह प्रश्न उठेगा उस स्थिति में हम उस पर विचार कर सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री खण्डेलवाल जी क्या आप अपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन दिया है, इसमें प्रावधान किया

गया है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली में 70 सीटें होंगी। आज दिल्ली की आबादी जितनी बढ़ गई है और जितना विस्तार हुआ है, इसकी आबादी 95 लाख है, जब तक यह विधान सभा बनेगी, इसकी जनसंख्या एक करोड़ तक पहुंच जायेगी। तो मेरा निवेदन है कि लोगों को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए इसकी 84 सीटें होनी चाहिए जोकि बहुत सी कमेटियों ने भी सजेस्ट किया है। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री महोदय मेरे इस आग्रह और निवेदन को स्वीकार करें।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 से सम्बन्धित संशोधन संख्या को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 3 को सभा में मतदान हेतु रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : खण्ड 4 से 37 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 37 को विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 38

सभापति महोदय : खण्ड 38

श्री अन्वारासु इरा : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 38 को विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : खण्ड 39 से 44 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39 से 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 से 44 को विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 45

सभापति महोदय : खण्ड 45, इसके लिए श्री सज्जन कुमार ने एक संशोधन नोटिस दिया है।

श्री सज्जन कुमार : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45 को विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 46—राजधानी राज्य क्षेत्र की संचित निधि

श्री सज्जन कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 15, पंक्ति 18,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 15, पंक्ति 18,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं यथासंशोधित रूप में खण्ड 46 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 46, यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 को यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 47—राजधानी राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि

सभापति महोदय : अब सभा में खण्ड 47 के अन्तर्गत संशोधन संख्या 25 पर विचार किया जायेगा। श्री सज्जन कुमार, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री सज्जन कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15, पंक्ति 28,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 15, पंक्ति 28,—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 47, यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47, यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : खण्ड 48 और 49 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48 और 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 और 49 को विधेयक में जोड़ा गया।

नया खण्ड 49क

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"पृष्ठ 16,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

अनुच्छेद 239कख के अधीन किये गये आदेश की अवधि और संसद द्वारा उसका अनुमोदन

"49क. (1) अनुच्छेद 239कख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, उस आदेश के किए जाने की तारीख से एक वर्ष का अन्त होने पर समाप्त हो जायेगा और अनुच्छेद 356 के खंड (2) और खंड (3) के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा को लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति पूर्वोक्त आदेश की अवधि को उपधारा (1) के अधीन आदेश की समाप्ति की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए और बढ़ा सकेगा कि एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी अवधि के लिए उक्त आदेश के प्रत्येक विस्तार का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा किया जायेगा।"(27)

सभापति महोदय : चूंकि यह नया खंड है आडवाणी जी, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम जो कुछ कहना चाहते थे वह पहले ही कह चुके हैं क्योंकि इससे समय-सीमा निर्धारित होती है इसे पहले निर्धारित नहीं किया गया था और यह हमारी आपत्तियों में एक आपत्ति है। मेरा विचार है कि पहले चरण में भी जबकि असेम्बली भंग हो अथवा निलम्बित हो, सदन में आना चाहिए—जैसाकि किसी राज्य के मामले में किया जाता है जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक वर्ष के पश्चात् यदि अवधि बढ़ाई जाए तो इसके लिए सभा में आना चाहिए। इस बारे में हमारे मतभेद हैं इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 16, पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

49क
(नया)

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए--

अनुच्छेद 239कख के अधीन किये गये आदेश की अवधि और संसद द्वारा उसका अनुमोदन

"49क. (1) अनुच्छेद 239कख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, उस आदेश के किए जाने की तारीख से एक वर्ष का अन्त होने पर समाप्त हो जायेगा और अनुच्छेद 356 के खंड (2) और खंड (3) के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा को लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति पूर्वोक्त आदेश की अवधि को उपधारा (1) के अधीन आदेश की समाप्ति की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए और बढ़ा सकेगा कि एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी अवधि के लिए उक्त आदेश के प्रत्येक विस्तार का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा किया जायेगा।"(27)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 49क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 49क विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : खंड 50 से 53 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 50 से 53 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 50 से 53 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 54—1950 के अधिनियम की धारा 27क का संशोधन

सभापति महोदय : अब हम खंड 54 के अन्तर्गत संशोधन सं० 26 पर विचार करेंगे।

श्री सज्जन कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"पृष्ठ 16 पंक्ति 30

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे यह स्वीकार है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 16 पंक्ति 30

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

श्री एस० बी० चव्हाण : यह मुझे मंजूर है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 54, यथासंशोधित रूप में, मतदान के लिए सभा में प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 54, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 54, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : खंड 55 में परिवर्तन करने के लिए कोई संशोधन नहीं है। अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 55 को विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड—एक

सभापति महोदय (श्री पी० एम० सईद) : श्री खुराना और श्री सज्जन कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन संशोधन हैं जिनकी संख्या 7, 12 और 21 है। क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री मदन लाल खुराना : जी, हां। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पंक्ति 5 और 6

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

श्री सज्जन कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 1 पंक्ति 5 और 6

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991" के स्थान पर

"दिल्ली शासन अधिनियम 1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित करें।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 7 को मतदान के लिए सभा प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री सज्जन कुमार : मैं खंडन के अपने संशोधन सं० 12 को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

संशोधन संख्या 12 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं खण्ड 1 के संशोधन सं० 21 को स्वीकार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1 पंक्ति 5 और 6—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।"

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ा गया लम्बा शीर्षक

सभापति महोदय : शीर्षक के दो संशोधन हैं जिनकी संख्या 11 और 12 है क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री सज्जन कुमार : मैं संशोधन 11 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं संशोधन सं० 20 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

लम्बे शीर्षक में :—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि लम्बे शीर्षक में—

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" के स्थान पर

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लम्बा शीर्षक, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लम्बा शीर्षक, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, तीसरे पठन में मुझे एक प्रश्न का उल्लेख करना है जिसका मैंने पहले उल्लेख नहीं किया था क्योंकि यह विधेयक का भाग नहीं था।

लेकिन मैंने गृह मन्त्री को बता दिया था कि इस विधेयक को बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिए और बालकृष्णन समिति ने एक सिफारिश यह की थी कि यद्यपि यह एक संघ शासित क्षेत्र होना चाहिए फिर भी दिल्ली की विधान सभा होनी चाहिए और विधान सभा सदस्यों को निर्वाचक मण्डल जो संविधान की धारा 54 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का भाग होना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि मैंने इस प्रश्न को लेकर गृह मंत्री महोदय से बात की थी उनसे व्यक्तिगत रूप से और सर्वदलीय बैठक में भी बात की थी उस प्रश्न का उनका जवाब सकारात्मक था। उन्होंने कहा था कि मेरे विचार से यह एक औचित्यपूर्ण सिफारिश है और मैं इसे स्वीकार करने का इच्छुक हूं। लेकिन फिर उनको बताया गया और उन्होंने मुझे बताया कि संविधान की धारा 368 में यह दिया गया है कि यदि धारा 54 में संशोधन किया जाता है—धारा 54 राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मण्डल से सम्बन्धित है—तो इसका आधे राज्यों द्वारा पुष्टिकरण कराये जाने की आवश्यकता होगी। इसलिये उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं आपने सुझाव का सकारात्मक जवाब दे रहा हूं, लेकिन यदि मैं बालकृष्णन समिति की इस विशेष सिफारिश को इस विधेयक में अथवा संविधान में शामिल करता हूं तो आधे राज्यों द्वारा इसका पुष्टिकरण कराना आवश्यक होगा यह स्वयं दिल्ली से भी पुष्टि करानी होगी। इसलिये मैंने इस मुद्दे पर दबाव डाला और मुद्दे पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। इसका यह कारण है कि सरकार ने हमें एक संकेत दिया था कि वह इसके खिलाफ नहीं है और बाद में न केवल दिल्ली को बल्कि पांडिचेरी को भी जो आज निर्वाचक मण्डल से बाहर है, एक उपयुक्त विधान द्वारा निर्वाचक मण्डल में शामिल किया जायेगा। मैं उन्हें इस महत्वपूर्ण विधान को शीघ्रता से लाने का आग्रह करता हूं ताकि समय पर इसकी पुष्टि कराई जा सके।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं पूर्णतः सहमत हूं केवल एक मुद्दा है कि हमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण में होने वाले विलम्ब से बचना चाहिए। इसीलिए मैं इन दोनों, दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में पूर्णतः सहमत हूं, इसके लिए हमें एक अलग कानून बनाना पड़ेगा ताकि निर्वाचक मण्डलों का गठन किया जा सके और हम राष्ट्रपति को चुनने में समर्थ हो सकें।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : महोदय, मुझे तीन प्रश्न पूछने हैं।

पहला, हमने यह दिल्ली विधेयक पारित किया है लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रंथालय और राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इन दोनों के बिना यह एक गांव सा दिखेगा।

दूसरा जब हमारा देश 1942 में आजाद हुआ था तो इस शहर की जनसंख्या मुश्किल से साढ़े तीन लाख थी। देश के विभिन्न भागों से काफी बड़ी संख्या में लोग राजधानी आए थे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं। वह यह है कि दिल्ली के लोग संस्कृति, परम्परा आदि को लेकर आए थे किन्तु अब वे महसूस करते हैं कि वे दूसरों के साथ मिल गए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती है। दिल्ली विधेयक जो पारित किया जा रहा है, के साथ-साथ मैं केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि उनकी भावनाओं, परम्पराओं तथा संस्कृति को निश्चित रूप से कायम रखा जाना चाहिए।

तीसरा प्रश्न यह है। वहां एक कमी है कि भूकम्प प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित लोगों को कम्बल और अन्य वस्तुएं जैसी सहायता उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त धनराशि दी। लेकिन उस धन का उचित उपयोग नहीं किया गया। सदन में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। वे लोग काफी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उत्तर-प्रदेश सरकार उन्हें आश्रय नहीं दे रही है। इस संसद को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और प्रभावित लोगों को आश्रय न देने के लिए उनकी निन्दा करनी चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : उनके पहले दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन उनका तीसरा प्रश्न इस विधेयक से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है, इसीलिए मैं उनके पहले दो प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा।

उनका पहला प्रश्न राष्ट्रीय ग्रंथालय और राष्ट्रीय रंगमंच के बारे में है। मुझे इस सम्बन्ध में में सम्भावनाओं के बारे में पता लगाना होगा। मैं यह पता लगाऊंगा कि क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए अथवा हम इसे आने वाली विधान सभा के लिए छोड़ दें। चूंकि उन्होंने 'राष्ट्रीय रंगमंच' और 'राष्ट्रीय ग्रंथालय' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है तो मेरी प्रथम दृष्टया: प्रतिक्रिया यह है कि साधारणत: केन्द्रीय सरकार द्वारा ही इसे किया जाता है बशर्ते कि जांच से कोई और बात सामने न आ जाये।

उनके दूसरे प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इतिहास की बात होगी कि ये साढ़े तीन लाख लोग कौन हैं जिनके पास मूल संस्कृति थी जिसे संजोकर रखने की आवश्यकता है। यह शोध का एक अन्य विषय होगा। मैं उस विषय में निर्णय देने का प्राधिकारी नहीं हूं। हम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करेंगे और उससे सम्बन्धित प्राधिकारी से सफलता लेने कोशिश करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति महोदय, आज जब सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया जा रहा है तो विपक्ष में केवल सोहल सदस्य उपस्थित हैं और कांग्रेस दल ही समर्पण की भावना से यह कर रहा है और इसीलिए हम इस विधेयक को पारित करने की स्थिति में हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को सम्बोन्धित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10.28 म० प०

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। माननीय मन्त्री जी।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कुम्टुम्ब न्यायालय अधिनियम के इस संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया। अब मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

यह अधिनियम, 10 दिसम्बर, 1991 से बिहार में लागू किया जा चुका है। एक बार राज्य में अधिनियम लागू हो जाए तो, सभापति महोदय, यह राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह विभिन्न क्षेत्रों, जहां जनसंख्या दस लाख या इससे अधिक हो, में ऐसे न्यायालय खोले।

राज्य न्यायपालिका के लिए हम कदम उठाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायिक खर्चे व्यय की योजना में से हों और इस मामले को योजना आयोग को सौंपा जा रहा है।

मैं आभारी होऊंगा यदि सदन इस विधेयक को विचार के लिए ले और इसे सर्वसम्मति से पारित करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, मैं संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी ।

खण्ड 2, संशोधन सं० 1, श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तुत स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10.31 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सर्विस डाक्टर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय आपकी अनुमति से मैं एक दो वाक्य कहना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि आज दिन में हड़ताल कर रहे डाक्टरों के बारे में कुछ कहा नया है ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अब रात को इस बारे में क्या कहते हो ?

श्री ए म० एल० फोतेदार : रात को मैं वही कहूंगा जो आप सबको पसन्द आता है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों द्वारा इस बारे में वास्तव में क्या कहा गया है। लेकिन मैंने एक वायदा किया था ये दो वायदे थे। पहला मैंने वायदा किया था कि उनकी शिकायतों पर खुले दिमाग से सहानु-

भूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और दूसरा यह है कि उस समय हड़ताल पर गए डाक्टरों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैं उन दोनों वायदों पर अटल हूं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैंने अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है जिसने हड़ताल कर रहे डाक्टरों के साथ तीन बार बैठकें की हैं। मुझे भी उनसे कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं कि मैं दो या तीन बार उनसे मिल चुका हूं मैं आज और कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सका हूं, लेकिन परसों या नरसों सोमवार को या अगले सप्ताह के किसी भी दिन मैं कुछ आदेश दूंगा और जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है मुझे वित्त तथा कार्मिक विभागों द्वारा इसकी जांच करवानी पड़ेगी क्योंकि इस प्रकार के मसले जल्दबाजी से नहीं निपटाए जाते। तत्पश्चात् मैं प्रधानमन्त्री महोदय और केबिनेट की अनुमति लूंगा उस समय मैं पूर्णतया कह सकूंगा कि क्या किया गया है। लेकिन जहां का मेरा सम्बन्ध हैं सरकार का सम्बन्ध है हम खुले दिमाग से इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का प्रयार करेंगे। मैं यही कुछ कहना चाहता हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हैं।

10.32 म० प०

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के जिला न्यायालय के मूल अर्थ सम्बन्धी क्षेत्राधिकार की वर्तमान सीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने से सम्बन्धित है जिससे पांच लाख से अधिक राशि के मूल मुकदमे को ही दिल्ली उच्च न्यायालय में भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार की इस सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रुपये का अवमूल्यन हुआ है और दिल्ली उच्च न्यायालय के काम के दबाव को भी कम करना है। प्रस्तावित संशोधन से कुल मिलाकर मुकदमों के निपटारे से काम में तेजी आएगी। विद्यमान मूल मुकदमों, जिनमें 5 लाख रुपये से कम की राशि अन्तर्ग्रस्त है, जिला न्यायालयों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, इनमें वे मुकदमे नहीं होंगे जितनी सुनवाई पहले हो चुकी हैं यह विधेयक प्रस्तावित संशोधन लागू होने के पश्चात् अधीनस्थ अदालत की डिक्री या आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील करने की भी अनुमति प्रदान करेगा जहां मूल मुकदमें में एक लाख से अधिक राशि अन्तर्ग्रष्त नहीं होगी और जिसकी डिक्री या फैसला हो चुका है।

इस प्रकार यह विधेयक जिसका उद्देश्य जिला अदालतों का और अधिक शक्ति प्रदान करना है, कुल मिलाकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की मुकदमेबाज जनता के लिए लाभप्रद होगा। सरकार अलग से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की जिला अदालत के विकेन्द्रीकरण प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे दिल्ली के मुकदमेबाज लोगों को लम्बा सफर तय न करना पड़े। विकेन्द्रीकरण की सम्भावनाओं के बारे में दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श किया जा रहा है। मामला उच्च

स्तर पर है। ऐसा इरादा है कि जिला अदालतों के धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का और विकेन्द्रीकरण का कार्य साथ-साथ किया जाये।

मैं आशा करता हूं कि सभा में इस विधेयक को पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

10.33 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा, इस विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

खण्ड दो—धारा 5 का संशोधन

खण्ड 2 में संशोधन करने के लिए श्री गिरधारी लाल भार्गव और प्रो० रासा सिंह रावत के प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"पांच लाख रुपये" के स्थान पर "पचास लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"पांच लाख रुपये" के स्थान पर "पचास लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

[अनुवाद]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"पांच लाख रुपये" के स्थान पर "सात लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"पांच लाख रुपये" के स्थान पर "सात लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

"एक लाख रुपए" के स्थान पर "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाए। (5)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अभी बात कही है इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की अगर सीमा एक लाख से बढ़ाकर

पांच लाख रुपए किए जाने सम्बन्धी यह विधेयक पेश हो रहा है, मुझे यहां पर यह निवेदन करना है कि तीस हजारी कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की और यहां पर केवल एक लाख रु० से पांच लाख रु० करने के लिए मंत्री जी ने भी कहा है कि पैसे की कीमत बहुत कम हो गई है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि पांच लाख कम हैं इसको पचास लाख रु० करना चाहिए, एक तो मेरी बात यह है।

दूसरी बात मेरी यह है कि पांच जो न्यायालय बनाने की मांग आप मंजूर करने जा रहे हैं दिल्ली में अलग-अलग जगह न्यायालय बना देंगे तो इन वकीलों को आपने इस सम्बन्ध में विश्वास में ले लिया है कि यह कर देने के बाद कोई आन्दोलन होगा या नहीं होगा, इस सम्बन्ध में उन लोगों से भी आपको सलाह कर लेनी चाहिए, जोनल जूडिशियरी अदालत बनाने से पहले ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपको पांच न्यायाधिक जिले की मांग, जो आप करने जा रहे हैं इससे भी विकृत पैदा होगी। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो वहां पर इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। यहां पर दो प्रकार की मांग है और आपने यहां पर कमेटी बनाने वाली बात मानी थी कि कमेटी बनेगी और कमेटी बना करके इस का क्या आधार होगा, दिवानी अदालत के विभाजन के मामले किस प्रकार से निपटाए जाएंगे, लेकिन वह कमेटी आज तक भी नहीं बनी है। मैं समझता हूं कि यह कमेटी पिछले मंत्रियों ने नहीं बनाई। इसलिए यहां पर मेरा कहना है कि पांच से पचास लाख करें और पचास लाख करके ये जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन, न्यायाकरण करने जा रहे हैं इससे आन्दोलन होगा और वकील समुदाय को भी आपको इस सम्बन्ध में कांफीडेंस में लेना चाहिए, वरना जो आन्दोलन अभी तक तीस हजारी कोर्ट के वकीलों का चल रहा है, जो बहुत दिन तक चला वह फिर होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कमेटी का निर्णय कमेटी बना करके, उसके बाद कमेटी चाहे कुछ भी निर्णय करे, उसके आधार पर यदि इस प्रकार का संशोधन लाया जाएगा तब तो मुनासिब होगा वरना मैं समझता हूं कि दिल्ली में लोगों को जो आप सस्ता न्याय देना चाहते है यह न्याय नहीं दे पाएंगे और निश्चित रूप से आन्दोलन जो वकीलों के द्वारा होगा, तो इससे बहुत परेशनानी होगी। यदि अदालत बन्द हो गई, वकील आएंगे-जाएंगे नहीं तो मुवक्किलों को जो मुकद्में में 15-15 वर्ष तक लग जाते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें और भी ढील होगी।

इसलिए माननीय मंत्री जी इस संशोधन को लाने से पहले एक कमेटी बनाएं और इस पर विचार करके इस बिल को लाएं तो मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा। धन्यवाद।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 1991 जो लाया गया है वह बहुत जल्दी में लाया गया है और जैसे अभी मेरे पूर्व साथी सांसद महोदय ने कहा था कि अगर कोई एक कमेटी बिठा दी जाती और सारे वकील तथा इस न्याय के क्षेत्र से सम्बन्धित जितने भी लोग हैं उन सबसे विचार-विमर्श करके अगर यह संशोधन पूर्ण रूप से लाया जाता, संपूर्ण रूप से लाया जाता तो ज्यादा उचित रहता।

हमारे यहां न्याय के क्षेत्र में कहा जाता है "जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइट", कि अगर न्याय के अन्दर देरी की जाती है तो वास्तव में न्याय से इन्कार किया जाता है और आज हमारे न्याय के क्षेत्र में यही हो रहा है। आज दिल्ली के अन्दर भी हजारों-लाखों मुकद्में न्यायालयों में पड़े हुए हैं—चाहे वे जिलास्तर के न्यायालय हों या छोटे न्यायालय हों या उच्च न्यायालय हों।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह जो लिमिट बढ़ाई जा रही है एक लाख से पांच हजार रुपए, तो मैं समझता हूं कि इसको 10 या 15 लाख, जितनी ज्यादा कर दी

जाए, तो ठीक है, नहीं तो बार-बार इसको बढ़ाना पड़ेगा। नीचे के न्यायालयों के अन्दर भी जो अब तक बहुत कम सीमा थी उस सीमा को भी उनके हिसाब से बढ़ा दिया जाए ताकि उच्च न्यायालयों के ऊपर ज्यादा भार न आए और जितने भी रिक्त स्थान पड़े हुए हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए।

आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि उत्तर-भारत के जिसने हिन्दी-भाषी राज्य हैं चाहें राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश हो, वहां के नीचे के न्यायालयों में भी वहां की राजभाषा, प्रादेशिक भाषा हिन्दी को स्थान मिल गया है।

वहां पर न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है और माननीय न्यायाधीश हिन्दी भाषा में भी कुछ निर्णय देने लगे हैं, लेकिन दिल्ली हिन्दीभाषी क्षेत्र होते हुए और 80-85 प्रतिशत जनता हिन्दी भाषी होते हुए अदालतों में सारा अंग्रेजी का प्रयोग होता है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली जोकि संघशासित प्रदेश है, यहां पर विधान सभा बनेगी तब वहां पर यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लेकिन तब तक दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्दर संविधान में उल्लिखित भाषा, राजभाषा हिन्दी को प्रवेश मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा न्यायालयों में जो विलम्ब होता है, खर्चा बहुत होता है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से लोक-अदालतों का निर्माण किया गया था, जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उनको सरकारी वकील और लीगल-एड प्रदान की जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट पद पर एक माननीय न्यायाधीश थे, तब तक तो वह मामला चला, लेकिन धीरे-धीरे अब वह मामला ठंडा होता जा रहा है तथा गरीबी तथा बंदियों को न्यायिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि दिल्ली न्यायालयों में काम करने वाले वकील, तीस हजारी अदालत में काम करने वाले वकील बार-बार क्यों असन्तोष का शिकार हो रहे हैं, हड़ताल पर बार-बार चले जाते हैं, वोट क्लब पर धरना देते हैं, इनके पीछे क्या कारण हैं। अभी भी कई वकीलों को किन्हीं कारणों से आयोग्य घोषित कर दिया गया है। और भी ऐसे मामले हुए, जिनको लेकर न्यायालय के अन्दर न्याय में सहयोग देने वाले और कानून की लड़ाई लड़ने वालों के बीच में मतभेद रहे। हमारे विधि मन्त्री जी को ऐसे प्रयास करने चाहिए, ताकि वकीलों और न्यायाधीशों के बीच सौहार्द रहे, जनता को सुलभ तथा सस्ता न्याय मिले। इसी तरह से न्यायाधीशों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं और राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए, 85 लाख आबादी को देखते हुए जजेज के पद भी बढ़ाए जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हम सब के लिए मैं समझता हूं यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की वर्तमान जिला अदालतों में, जिनका धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, उच्च न्यायालयों से रूपान्तरित किए जाने वाले मुकदमों की संख्या अपने आप में काफी अधिक हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारों की प्रशंसा करता हूं कि इस राशि को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये और सभी मूल मुकदमों को आरम्भ से ही जिला स्तर अदालतों में शुरू किया जाना चाहिये यहां तक शुरू अगर सम्भव हो तो निम्नतम अदालतों यानी मजिस्ट्रेट की अदालत से आरम्भ किया जाना चाहिये। लेकिन स्थिति आमतौर पर यह हैं कि

आधारभूत ढांचा ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में मुकदमेबाजी के लिये मामले वहां से स्थानांतरित कर सकें।

हमने इस विधेयक के रूप में प्रथम कदम बढ़ाया है इस कारण से कि दिल्ली में मुकदमेबाजी के केसों का विकेन्द्रीयकरण किया जाये जिससे जहां तक हो सके कि मुकदमेबाजों को कम परेशानी हो और न्याय उनके यथासम्भव निकट उपलब्ध हो सके। हम देखते हैं कि लोगों को तीस हजारी न्यायालय तक पहुंचने के लिये कई किलोमीटर की यात्रा करना पड़ती है। मैं यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम इसका विकेन्द्रीयकरण इस प्रकार नहीं कर सकते हैं जहां इसे लागू करना असम्भव हो जाए। हम यह देखेंगे कि यह इस प्रकार से किया जाए जहां पर आधारभूत ढांचे की व्यवस्था की जा सके और सभी सम्बद्ध लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। मुझे विश्वास है कि सभी सम्बद्ध व्यक्ति प्रशंसा करेंगे कि मुकदमेबाज लोगों के हित के लिए यह आवश्यक भी है।

लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के लिए प्राथमिक उद्देश्य के रूप में और दिल्ली निवासियों तथा नागरिकों के लिए प्राथमिक हित के रूप में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस मामले में बहुत से लोगों के निहितस्वार्थ हो सकते हैं और नहीं भी है। हम निश्चय ही सम्बद्ध लोगों से मिलेंगे, सभी सम्बद्ध व्यक्तियों से बात करेंगे और हम दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों को निसन्देह ध्यान में रखेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि पहला कदम बढ़ाकर हम आगे आए हैं और मैं निवेदन करता हूं कि समस्त सभा इस विधेयक को पारित करने में समर्थन प्रदान करे। मैं माननीय सदस्यों से संशोधन वापस लेने और विधेयक को समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : वित्तीय क्षेत्राधिकार को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किये जाने से वादी जकता और वकीलों को अधिक लाभ नहीं होगा। अतः जिला न्यायालयों को असीमित वित्तीय क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग चीज है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय; मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन से अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन यह अनुमति प्रदान करता है कि श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधन वापस किया जाये?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस किया गया

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन यह अनुमति प्रदान करता है कि श्री रासासिंह रावत द्वारा प्रस्तावित संशोधन वापस लिया जाये?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-3

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपने संशोधन का प्रस्ताव कर रहें हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत, क्या आप अपने संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

प्रो० रासा सिंह रावत : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड I, अधिनियमन सूत्र और पूरे नाम को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड I, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का भाग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10.49 म० प०

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, शीतकालीन अधिवेशन का अवसान होने जा रहा है और कुछ ही समय में हम यहां से विदा होंगे और कुछ ही दिन बाद वर्ष का अन्त भी होगा और वर्ष के अन्त के साथ-साथ जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण हमारे लिए होगा, वह यह कि जो गत वर्ष से हमारे महासचिव रहे हैं उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। श्री कैलाश चन्द्र रस्तोगी बहुत योग्यता से पिछले वर्ष से महासचिव का कार्य देखते आये हैं।

अपनी विद्वता से, अपनी शालीनता से, अपनी सौजन्यता से सब माननीय सदस्यों के साथ उनका बहुत स्नेहपूर्ण सम्बन्ध रहा और सबका उनके मन में आदर रहा। यह उपयुक्त समय होगा, अगर हम उनको शुभकामनायें प्रेषित करें और जो उन्होंने सेवाएं की हैं इस सदन की, इस संस्था की, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करें और जीवन में वे यशस्वी रहें, आगे भी स्वस्थ रहें, यह कामना करते हुए मैं इस बात का संतोष प्रकट करना चाहता हूं कि इस सत्र के प्रभाव में कुछ चीजें हुई हैं और सरकार ने संसद का आदर करते हुए आज दिल्ली का विधेयक पास किया। संसद का आदर करते हुए डाक्टरों की स्ट्राइक के सम्बन्ध में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की। मुझे खुशी होती अगर स्वास्थ्य मंत्री पूरी घोषणा कर देते। क्योंकि परसों हमने संसदीय मंत्री से बात की थी उन्होंने बताया था कि कैबिनेट फैसला भी कर चुकी है। हाइएस्ट लेवल मैं कैबिनेट को मानता हूं। प्रधानमंत्री से भी हाइएस्ट लेवल कैबिनेट को मानता हूं, मैंने कैबिनेट समझा। कैबिनेट के निर्णय की घोषणा कर देते, हो सकता है कि संसद की कार्यवाही से और भी अधिक संतुष्ट होता।

तीसरा मामला जिसके बारे में संतोष तो हुआ कि सरकार ने संसद की जो भावना थी मेघालय के विषय में आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि अनौपचारिक रूप से उस आश्वासन की पूर्ति की दिशा में कुछ कदम उठ रहे हैं, लेकिन अगर घोषणा हो जाती गृह मंत्री द्वारा कि क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और किस प्रकार से उसकी पूर्ति हो गई है, मुझे और संतोष होता। लेकिन कुल मिलाकर संसदीय प्रणाली में संसद को जो कार्यवाही करनी चाहिए, संसद को जिस प्रकार की अपेक्षा सरकार से करनी चाहिए वह अपेक्षा करने की दिशा में हम प्रयत्न करते रहे, इसकी मुझे खुशी है।

एक बार मैं पुनः श्री कैलाश चन्द्र जी रस्तोगी को शुभकामनायें प्रेषित करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं लोक सभा का यह दूसरा सत्र समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से सभी माननीय सदस्यों, सभी राजनैतिक दलों के नेताओं, विपक्ष के नेताओं और माननीय अध्यक्ष, आप को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

सत्र के दौरान, कई ऐसे अवसर आये, जब हमें नेताओं की, विशेषकर विपक्षी नेता और विपक्षी पार्टियों के अन्य नेताओं के निकट समन्वयन सहयोग और परामर्श की आवश्यकता हुई और ऐसे सभी अवसरों पर उनके विनम्र रवैये के लिए वस्तुत: आभारी हूं। इसी तरह, ऐसे भी कई अवसर आये, जब हमारे माननीय सदस्यों को सदन में सामान्य से अधिक समय तक बैठना पड़ा और उनके सहयोग में कभी भी कमी नहीं आई।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कृपया इस तरफ भी देखिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं आपकी ओर अवश्य देखूंगा। इससे हमें सभा के समक्ष सभी कार्यों को सुचारू रूप से निपटाने में सहायता मिली है। कई अत्यधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी मुद्दे थे जिन पर बहस हुई और माननीय सदस्यों का सरकार की नीतियों को रूप देने में अमूल्य योगदान रहा है। कई ऐसे अवसर आये जब सभा ने कतिपय मुद्दों के लिए अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की, फिर भी राजनैतिक दलों के नेताओं और सदस्यों की बुद्धिमता ने यह सुनिश्चित किया कि सदन की प्रति गरिमा और प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अपने सदन का कार्य इस सम्मानीय संस्था की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार चलाने और वाद-विवाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सदस्यों की शक्ति का उपयोग सुनिश्चित किया। महोदय इस अवसर पर, मैं समस्त सभा की ओर से महासचिव, जो मैं समझता हूं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, की महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं और उनके प्रयत्न, स्वस्थ्य और सफल शेष जीवन की कामना करता हूं।

मैं एक बार फिर आप सभी का आपके सहयोग और इस सत्र को सफल बनाने में सहायता करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अन्त में, मैं आप सभी को क्रिशमश की शुभकामनायें और नव वर्ष की शुभकामनायें देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, दसवीं लोक सभा का दूसरा सत्र आज समाप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस सभा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे और मेरे सहयोगियों—उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

इस अल्पअवधि के सत्र के दौरान, जो 20 नवम्बर, 1991 को प्रारम्भ हुआ था, सभा की 22 बैठकें हुई जो कुल 140 घंटे चली। सत्र 16 नवम्बर, 1991 को हुए उपचुनाव में प्रधानमंत्री के नांदयाल

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने पर लोक सभा के सदस्य की शपथ लेने के साथ प्रारम्भ हुआ। पहले दिन ही रक्षा मंत्री श्री शरद पवार सहित नौ अन्य सदस्यों ने शपथ ग्रहण की सभा की संख्या में यह वृद्धि अत्यधिक स्वागतयोग्य है।

20 अक्तूबर, 1991 की रात को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जान और माल के विनाश की छाया सभा की कार्यवाही पर पड़ी। मैंने महाविपत्ति का उल्लेख किया था और सभा ने इस त्रासदी पर मेरे साथ अपना दुःख व्यक्त किया।

चालू सत्र के दौरान सभा द्वारा निपटाये गए कार्य का उल्लेख करने से पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सत्र को भविष्य में याद रखा जाएगा क्योंकि सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदन ने संसद के प्रश्नकाल की कार्यवाही में प्रयोग के आधार पर दूरदर्शन पर प्रसारित करने का निर्णय लिया था।

सत्र के दौरान 449 प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए रखे गए थे। इनमें से 88 प्रश्नों का वास्तव में मौखिक उत्तर दिया गया। 4559 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिये गये। दो आधे घंटे की चर्चायें भी हुई।

विधायी कार्य के अंतर्गत सदन ने 14 विधेयक पारित किये। महत्वपूर्ण विधेयकों में संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, जिसे आज ही प्रातः लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष अनुबंध) संशोधन विधेयक, 1991, भारतीय उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 1991, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक, 1991 है।

वित्तीय कार्य के अन्तर्गत पंजाब बजट की वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान की मांगे और अनुदानों (सामान्य) की वर्ष 1991-92 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई और इन्हें पारित किया गया।

नियम 193 के अन्तर्गत चार अल्पकालिक चर्चायें हुई इनमें से महत्वपूर्ण चर्चायें हैं देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति, कावेरी जल विवाद और देश में आर्थिक स्थिति।

सदन ने 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा मेघालय राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गई उद्घोषणा को स्वीकार करके सांविधिक संकल्प पर भी चर्चा की और उसे पारित किया।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से दो महत्वपूर्ण विषय उठाये गये। वह है देशभर में सेवारत डाक्टरों की हड़ताल और दिल्ली में आंगनबाड़ियों के मार्फत बच्चों को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सप्लाई किया जाना जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त नियम 377 के अधीन 133 मामले उठाये गए।

हमेशा की तरह गैर सरकारी सदस्यों ने अपने विधेयकों और संकल्पों को सदन में प्रस्तुत करने में गहरी रुचि दिखाई। विभिन्न विषयों पर चवालीस विधेयकों को गैर सरकारी सदस्यों ने प्रस्तुत किया। श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पुरःस्थापित सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने अथवा स्व-रोजगार के लिए साधन और संसाधन उपलब्ध कराने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा पहले सत्र में शुरू हुई और इस सत्र में भी जारी रही। श्री तेज नारायण सिंह ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा

चित कदम उठाये जाने के हेतु संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाद-विवाद में काफी रुचि दिखाई। सभी लोगों के सदस्यों के साथ-साथ मंत्री महोदय ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त की।

एक अन्य संकल्प, जिसे डा० के० वी० आर० चौधरी ने पेश किया, द्वारा देश में बढ़ते हुए जाति संघर्ष के बारे में चिंता प्रकट की गई और सरकार से इसे जड़ से उखाड़ने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया। इस संकल्प पर भी सदन के सभी पक्षों के सदस्यों ने अपनी गहरी रुचि प्रकट की। इस संकल्प पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है।

माननीय सदस्यो, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर आप सब लोगों का खासकर सदन के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों व गुटों के नेताओं और विभिन्न दलों के सचेतकों को उनके सतत सहयोग और सौजन्य के लिए धन्यवाद करता हूं जिसके बिना मेरा कार्य आसान नहीं होता।

अन्त में सचिवालय के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने सदन की सुचारू कार्यवाही हेतु दिया है।

11.00 अ० प०

श्री के० सी० रस्तोगी द्वारा महासचिव के पद का त्याग करना तथा महासचिव के रूप में श्री सी० के० जैन की नियुक्ति

अध्यक्ष महोदय : श्री के० सी० रस्तोगी इस माह के अन्त में अपने पद से सेवामुक्त हो रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य बहुत विनम्रतापूर्वक कर्त्तव्यनिष्ठा से और निष्पक्षता से निभाया है। उन्होंने हमेशा सही मत और राय दी जोकि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने किसी व्यक्ति या दल के प्रति कभी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने दूसरों पर अपने विचार थोपने की कभी कोशिश नहीं की। हमें विश्वास है कि उनकी सहायता और सलाह देश को हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। यह स्वस्थ है इसलिए वे लम्बे समय तक विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा कर सकते हैं। लोक-सभा को दी गई उनकी प्रशंसनीय सेवा की हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

मुझे यह घोषणा करते हुए अति हर्ष हो रहा है कि श्री के० सी० रस्तोगी सदन के अवैतनिक अधिकारी होंगे। लोक सभा में उनकी सेवाओं के महत्व को देखते हुए हम यह घोषणा कर रहे हैं।

हम भविष्य में उनके अच्छे स्वास्थ्य की स्वनात्मक सार्थक जीवंत, जैसा कि वह अब तक जीते आए हैं, की कामना करते हैं।

अब हमें दूसरी व्यवस्था भी करनी है। मैंने श्री सी० के० जैन, अतिरिक्त सचिव को महासचिव का पदभार सम्भालने हेतु कहने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिक और कानूनी आदेश जारी किए जायेंगे।

हमें कुछ अन्य रिक्तियों को भी भरना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मैं सदस्यों, सभी नेताओं और सभी अधिकारियों, प्रेस और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों, कर्मचारियों जो सदन की गतिविधियों से सम्बद्ध व्यक्तियों का हार्दिक और तहेदिल से धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रबीन डेका (मंगलदाई) : महोदय मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वक्तव्य है ?

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : वे शून्यकाल का वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री प्रबीन डेका : मुझे 19 दिसम्बर, 91 के "असम ट्रिब्यून" में छपे समाचार को पढ़कर अत्यन्त दुःख हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेरा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिपझार में 17 और 18 दिसम्बर, 1991 को कथित सैनिक कार्यवाही में हाथ था। कथित कार्यवाही में मेरे शामिल होने की बात का मैं खण्डन करता हूं। मैं इस सप्ताह दिल्ली में था और मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है।

समाचार में प्रकाशित यह आरोप मुझ पर राजनीतिक नेताओं ने मुझे राजनीतिक दृष्टि से बदनाम करने हेतु लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है।

11 00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी० एल० एस०—43/16/8/92 (एल०)
250

©1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, बीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।